दशम माला, खण्ड 28, अंक 5

सोमवार, 28 फरवरी 1994
9 फाल्गुन, 1915 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

नवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 28 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

दशम माला, खंड 28, नवां सत्र, 1994/1915 (शक)

अंक 5, सोमवार, 28 फरवरी, 1994/9 फाल्गुन, 1915 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या	61-64	1-23
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या	65-80	23-59
अतारांकित प्रश्न संख्या	635-657, 659-679, 681-783, 785-805 और 806-866	59-365
अध्यक्ष द्वारा घोषणा		
सामान्य बजट - प्रस्तुत		366
पत्रकारों के लिए नए वेतन बोर्ड की मांग के बारे में		366-368
मतदान हेतु मतदाताओं को फोटो-पहचान पत्र जारी करने के बारे में		368-377
सभा पटल पर रखे गए पत्र		377-381
राज्य सभा से सन्देश		381
रेल (संशोधन) विधेयक		381
राज्य सभा द्वारा यथा पारित - सभा पटल पर रखा गया		
विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन विधेयक - पुरःस्थापित		381-382

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण 382

कॉफी (संशोधन) विधेयक – पुरःस्थापित 382

कॉफी (संशोधन) अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण 383

खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक – पुरःस्थापित 383

खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण 383

नियम 377 के अधीन मामले 384-387

(एक) देश में लाटरी व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता 384

श्री शांताराम पोतदुखे

(दो) महाराष्ट्र में पाटन और शिराला खंडों को पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल करने की आवश्यकता 384

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण

(तीन) गुजरात के लिए प्राकृतिक गैस के आबंटन में वृद्धि करने की आवश्यकता 384-385

श्री छीतूभाई गामीत

(चार) उड़ीसा में बालासौर खड़गपुर ग्रांड ट्रंक रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने की आवश्यकता 385

डा. कार्तिकेश्वर पात्र

(पांच) गुजरात में पेयजल की गंभीर समस्या को दूर करने की दृष्टि से नर्मदा परियोजना को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता 385

श्री रतिलाल वर्मा

(छः) उड़ीसा में गोपालपुर पत्तन का स्तर बढ़ाकर उसे सभी मौसमों में खुला रखने की आवश्यकता 385-386

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी

(सात) उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में उरई के रेलवे गेट क्रासिंग संख्या 1 पर एक ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता 386

श्री गया प्रसाद कोरी

(आठ) पश्चिम बंगाल में एकलखी–बारूनघाट रेलवे परियोजना का काम शुरु करने की आवश्यकता 386-387

श्री जितेन्द्र नाथ दास

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री शिव चरण माथुर 387-402

प्रो. के. वी. थामस 402-410

श्री जसवंत सिंह 410-411

यूरोपीय संसद के अध्यक्ष का स्वागत 405-406

बजट (सामान्य) 1994-95 – प्रस्तुत

श्री मनमोहन सिंह 501-531

वित्त विधेयक, 1994 – पुरःस्थापित 531-532

लोक सभा

सोमवार, २८ फरवरी 1994/9 फाल्गुन, 1915 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

दूरदर्शन के कृषि संबंधी कार्यक्रम

***61. श्री के. जी. शिवप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन और दूरदर्शन के प्रादेशिक केन्द्रों से प्रसारित होने वाले कृषि संबंधी कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाने की निरंतर मांग की जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने मांग के अनुरूप 1993 में ऐसे कार्यक्रमों की अवधि बढ़ा दी थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कब तक की जायेगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रो द्वारा प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों की समयावधि बढ़ाने हेतु प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा केन्द्रीयकृत रूप से समेकित रूप में नहीं रखा जाता।

(ख) यद्यपि 1993 के दौरान दूरदर्शन ने इस प्रकार के कार्यक्रमों की समयावधि में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी तथापि वर्ष के दौरान दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार किए जाने के साथ-साथ विद्यमान कार्यक्रमों की पहुंच में बढ़ोतरी हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कार्यक्रम संबंधी निर्धारित समय-सूची का परिशोधन एक सतत प्रक्रिया है जो कि किसी अमुक समय पर नेटवर्क की समग्र कार्यक्रम संबंधी आवश्यकता पर निर्भर करती है। वर्तमान में इस प्रकार के कार्यक्रमों की समयावधि बढ़ाने संबंधी कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

श्री के. जी. शिवप्पा : अध्यक्ष महोदय, भारत में एक बहुत बड़ा किसान वर्ग है। परन्तु दूरदर्शन ने किसान वर्ग की उपेक्षा की हुई है। सरकार ने कृषि में सुधार करने के लिए उर्वरक, कीटनाशक, ड्रिप सिंचाई और अधिक राजसहायता प्रदान करने को अधिक महत्व दिया है। लेकिन दूरदर्शन पर कृषि से संबंधित कार्यक्रमों को अधिक समय नहीं दिया गया है। इसकी उपेक्षा की गई है। इन परिस्थितियों में, माननीय मंत्री जी विशेष रूप से किसान वर्ग के लिए एक अलग चैनल, किसान चैनल, का प्रावधान करेंगे जैसा कि व्यावसायिक वर्ग के लिए किया गया है और डी. डी. मैट्रो की तरह, यदि हां, तो यह कब किया जायेगा।

श्री के. पी. सिंह देव : माननीय सदस्य ने यह कहा है कि कृषि क्षेत्र की अवेहलना की गई है। मैं यह चाहता हूं कि इसका निर्णय सभा करे कि क्या इसकी अवहेलना की गई है अथवा नहीं। मैं आपको तथ्य तथा आंकड़े देता हूं। प्रथमतः दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र प्रत्येक सोमवार, मंगलवार तथा शुक्रवार को सांय 7.00 बजे 25 मिनट के लिए कृषि दर्शन का प्रसारण करता है। दिल्ली से ही विशेष रूप से हरियाणा, पश्चिमी यू. पी. तथा हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लिए दस मिनट का एक अन्य कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है।

श्री अमल दत्त : आपको केवल समय ही नहीं बताना चाहिए बल्कि यह भी बताना चाहिए कि कब तथा दिन के किस समय इसका प्रसारण किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री के. पी. सिंह देव : मैंने इसका समय सांय 7.00 बजे बताया है। फिर ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम प्रथम, तीसरे तथा पांचवें बुधवार को सांय 7.00 बजे 25 मिनट के लिए प्रसारित किया जाता है; फिर ग्रामीण युवाओं के लिए भी दूसरे बुधवार को सांय 7.00 बजे 25 मिनट के लिए एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है; ग्रामीण बच्चों के लिए चौथे बुधवार को सांय 7.00 बजे 25 मिनट काम कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। फिर क्षेत्रीय चैनलों पर भी कृषि संबंधी कार्यक्रम दिखाये जाते हैं। मंडालयों अथवा ग्रामीण विकास, कृषि, बागवानी, पशुपालन, बैंकिंग, सिंचाई तथा अपारम्परिक ऊर्जा विभागों जिनका कृषि से संबंध होता है से विचार विमर्श किया जता है। कृषि समुदाय विकास तथा कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के साथ भी विचार विमर्श किया जाता है। क्या आप यह चाहते हैं कि मैं सभी राज्यों के संबंध में ब्यौरा दूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस समय का प्रतिशतांक बता सकते हैं?

श्री के. पी. सिंह देव : महोदय, जहां तक दिल्ली का संबंध है, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, चैनल दो पर इसका प्रसारण सप्ताह में एक बार 15 मिनट की अवधि के लिए किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आबंटित समस्त समय का प्रतिशतांक क्या है?

श्री के. पी. सिंह देव : महोदय, मैं एक मिनट में आपको पूरा ब्यौरा देता हूं।

मुम्बई में सप्ताह में पांच दिन प्रतिदिन 30 मिनट तक इसको प्रसारित किया जाता है,

कलकत्ता में महीने में एक बार तथा सप्ताह में एक बार क्रमशः 30 मिनट तथा 25 मिनट की अवधि के लिए सांय 7.00 बजे इसको प्रसारित किया जाता है; मद्रास में यह सप्ताह में चार दिन तथा चैनल दो पर सप्ताह में एक बार 30 मिनट तक प्रसारण किया जाता है; जालन्धर में, यह सप्ताह में चार दिन 15 मिनट का कार्यक्रम है; श्रीनगर में, यह सप्ताह में चार दिन 30 मिनट का कार्यक्रम है; लखनऊ में यह सप्ताह में पांच दिन का 30 मिनट का कार्यक्रम है; हैदराबाद में यह सप्ताह में चार दिन 35 मिनट का कार्यक्रम है; कटक में यह सप्ताह में चार दिन 20 मिनट का कार्यक्रम है तथा रांची में यह सप्ताह में एक बार 15 मिनट का कार्यक्रम है। **(व्यवधान)** मैं यह कहने का प्रयास कर रहा था कि हम इसकी उपेक्षा नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रतिशतांक बताना आसान नहीं है?

श्री के. पी. सिंह देव : इसे प्रतिशत में बताना बहुत कठिन है क्योंकि यह प्रत्येक केन्द्र में भिन्न-भिन्न है।

श्री अमल दत्त : भिन्न-भिन्न केन्द्रों में प्रतिशतांक बताते हुए ब्यौरा क्यों नहीं देते?

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य अगला अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री के. जी. शिवप्पा : महोदय, किसान गरीब वर्ग से संबंधित है तथा कार्यक्रमों का देखने के लिए टी.वी. सेट खरीदने में सक्षम नहीं है। अब, लगभग सभी गांवों में सामुदायिक हाल हैं जहां उनके अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। अतः यह देखते हुए कि वे गरीब वर्ग के लोग हैं, क्या सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से, गांवों में इन सामुदायिक हालों को ये टी.वी. सैट निःशुल्क प्रदान करेगी? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन परिस्थितियों में, सरकार सामुदायिक हालों को टी.वी. सैट प्रदान करेगी।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से यह बात नहीं उठती।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा बार-बार तथा स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी से इसका प्रतिशतांक बताने का अनुरोध करने के बावजूद भी, माननीय मंत्री जी वह जानकारी प्रदान नहीं कर सकते क्योंकि इस समय उनके पास वह जानकारी नहीं है। हम इसे समझते हैं।

लेकिन यह स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र को दिया गया समय बहुत ही कम है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, जहां कृषि विस्तार कार्य अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, तथा इस तथ्य को देखते हुए कि समग्र घरेलू उत्पाद का लगभग एक-तिहाई कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है, क्या दूरदर्शन क्षेत्रीय केन्द्रों के चैनलों में अधिक समय देगा ताकि किसानों को बेहतर ढंग से शिक्षित किया जा सके, सिंचाई जल के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता तथा उर्वरकों की आवश्यक मात्रा के बारे में अवगत हो सके। अध्यक्ष महोदय, कई बार ऐसा होता है, कि अधिक उत्पादन प्राप्त करने की उत्सुकता में किसान कीटनाशकों तथा उर्वरकों की अधिक मात्रा का प्रयोग करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ समयोपरान्त भूमि के उपजाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसानों तक अनुसंधान का लाभ पहुंचाने के लिए दूरदर्शन सबसे कारगर उपाय है। अतः, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दूरदर्शन कृषि क्षेत्र के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करेगा तथा इसके लिए अधिक समय प्रदान करेगा।

श्री के. पी. सिंह देव : महोदय, जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि क्या विस्तार कार्य अपेक्षा के अनुरूप है अथवा नहीं इसका उत्तर कृषि मंत्रालय को देना है न कि मेरे मंत्रालय को। हमारे पास एक ग्रामीण कार्यक्रम सलाहकार समिति है जिसमें राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि संस्थानों तथा ग्रामीण कार्यक्रम विकास के विशेषज्ञ हैं। और उनके द्वारा जिस किसी भी कार्यक्रमों का सुझाव दिया जाता है विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्र समिति द्वारा की गई सिफारिशों का अनुपालन करते हैं। इसको दिल्ली से मानीटर नहीं किया जाता। प्रत्येक केन्द्र की एक स्वतन्त्र ग्रामीण कार्यक्रम सलाहकार समिति है। मैं निश्चित रूप से इस जानकारी को उन तक पहुंचाऊंगा ताकि वे उस पर विचार करें। अन्यथा, ऐसा प्रतीत होता है मानो हम यहां से आदेश जारी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आवश्यक हो तो नीति-संबंधी मामलों में, हम मंत्रालय से आदेश भेजने की आज्ञा करते हैं।

श्री के. पी. सिंह देव : जी हां, नीति संबंधी मामलों में, लेकिन हम अवधि के प्रश्न पर हस्तक्षेप नहीं करते और हम इसे उनपर छोड़ देते हैं। वे सब इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं।

अध्यक्ष महोदय : किसान विज्ञापनों के लिए धन प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं। तथा कृषि मुख्य व्यवसाय है, हमारे लोगों का मुख्य धन्धा तथा कृषि संबंधी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है।

हम मंत्रालय से इस मामले की जांच करने तथा एक उचित निर्णय लेने का अनुरोध करेंगे।

श्री के. पी. सिंह देव : महोदय, अवधि के संबंध में क्या दिशा-निर्देश हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह सभा की इच्छा है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कृषि संबंधी कार्यक्रमों की समयावधि बढ़ाने संबंधी सवालों पर यह उत्तर दिया कि इसकी समयावधि बढ़ाने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कृषि का संबंध सीधे-सीधे गांव में रहने वाले किसानों से होता है और गांव में किसान की जो वर्तमान स्थिति है, उसमें गांवों में दिनों-दिन जो सांस्कृतिक गिरावट होती जा रही है तो गांव का जो संबंध कृषि से है, कृषि संबंधी कार्यक्रमों में हिन्दुस्तान की इस गौरवशाली सांस्कृतिक परम्परा को बढ़ाने की कोई विशेष व्यवस्था दूरदर्शन पर कार्यक्रम दिखाकर करने की सरकार की योजना है?

[अनुवाद]

श्री के. पी. सिंह देव : क्या यह संस्कृति के बारे में है अथवा कृषि संस्कृति के बारे में है?

अध्यक्ष महोदय : संस्कृति का अर्थ व्यापक है। कृषि उसका एक भाग है।

श्री के. पी. सिंह देव : हमारी संस्कृति कृषि है और इसे अधिक से अधिक दिखाने का हमारा प्रयास है।

अमरीका में समर्थन जुटाने वाली फर्म की नियुक्ति

+

*62. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** :

श्री सुदर्शन राय चौधरी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका में अपने पक्ष में समर्थन जुटाने हेतु किसी फर्म को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है तथा उसकी नियुक्ति की शर्तों की मुख्य बातें क्या हैं और इसे कितना शुल्क दिया जायेगा;

(ग) फर्म का चयन करने हेतु क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(घ) क्या विभिन्न राजनैतिक और आर्थिक मामलों में भारत की छवि समुचित रूप से प्रस्तुत करने के लिए देश में भारतीयों के संघों और संगठनों की सेवायें ली जा रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत के वांशिगटन स्थित राजदूतावास ने 12 जनवरी, 1994 को एक समझौते पर हस्ताक्षर करके विधि सलाहकार फर्म सर्वश्री मैकआलिफ केली रॉफेल्ली की सेवाएं हासिल की जो डेनियल जे. एडिल्मैन वल्डपाईजरन कारपोरेशन की जनसम्पर्क फर्म के सहयोग से काम करती है। यह समझौता प्रारम्भ में 46,000 अमरीकी डालर प्रतिमाह की दर से 6 महीने के लिए किया गया है और इसमें सभी तरह के खर्च शामिल हैं।

इस फर्म को अमरीका में भारत के राजदूत की सिफारिश के आधार पर चुना गया है जिन्होंने लागत और कई दूसरी बातों को ध्यान में रखकर इनकी सिफारिश की थी जैसे यह बात कि अमरीकी सरकार की कार्यकारी और विधायी शाखाओं में इस फर्म की पहुंच है यह फर्म भारत की ओर ज्यादा ध्यान दे सकेगी तथा इसे अच्छा अनुभव और इसकी अच्छी साख है।

भारत अमरीकी समुदाय के सदस्यों द्वारा भी भारत मे होने वाली गतिविधियों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने के प्रयास किये जाते हैं। वे कांग्रेस सदस्यों, सीनेटरों, प्रशासन के सदस्यों तथा अन्य मत निर्माताओं को इलैक्ट्रानिक मेल के माध्यम से पत्र लिखते रहे हैं। ऐसे संलग्न, जहां कहीं भी आवश्यक होता है, हमारे राजदूतावास तथा कौंसलावासों से सम्पर्क बनाये रखते है जो उन्हें अद्यतन जानकारी देते हैं। इन प्रयासों से प्रेरित तथा भारत-विरोधी प्रचार का सामना करने की सरकार की क्षमता को बल मिला है।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अमेरिका में समर्थन जुटाने वाली इस फर्म को जो ठेका दिया गया है, वह किस आधार पर दिया गया है, उसके क्या मानदंड थे? क्या इस फर्म को इस प्रकार का कार्य करने का कोई अनुभव भी है अथवा इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है? क्या इस ठेके से संबंधित लोग भारत आये थे या फर्म की ओर से भारत आये थे, और उन्होंने यहां भारत में कोई बातचीत की है?

श्री आर. एल. भाटिया : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह फर्म एक एक्सपीरियेंस फर्म है और इन्होंने दो तीन मुल्कों का कांट्रैक्ट आलरेडी लिया हुआ है। इसको इण्डिया में बुलाया गया था..

श्री जसवंत सिंह : कौन से मुल्क हैं?

[अनुवाद]

श्री आर. एल. भाटिया : एक दूसरा देश भी है। उन्होंने भी ताईवान से सम्पर्क किया हे लेकिन इस समय हमारे थाइलैण्ड और तुर्की ही हैं।

[हिन्दी]

वह भारत में आये थे, उनको ब्रीफिंग कर दी गई है और उनका एक्सपीरियेंस भी पूछा गया था। उनको एपोइंटमेंट देने से पहले हमने इस बात की जानकारी ली है कि उनका तजुर्वा क्या है, उनकी रैपुटेशन क्या है और इसके अलावा उनका रसूख कैसा है। यह सारी बाते हमने देखी हैं, फिर उसके बाद हमारे वाशिंगटन की एम्बेसी ने उनसे बातचीत करके तय किया।

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : भारत विरोधी दुष्प्रचार का खंडन करने के लिए जिस फर्म को आपने ठेका दिया है, क्या यह सही है कि वह कराधान के क्षेत्र में ही केवल अनुभव रखती हे और उसका राजनयिक क्षेत्र में कुछ भी अनुभव नहीं है? केवल तुर्की को यह अपनी सेवाएं दे रही है, और किसी देश को सेवाऐं नहीं दे रही है और वहां पर भी इसकी कोई साख नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि अन्य दूसरी जो फर्म लाबिंग का कार्य करती है, उनको नजरअंदाज करके इसको किस आधार पर प्राथमिकता दी गई? क्या यह भी सही है कि भारत विरोधी दुष्प्रचार वहां पर लम्बे समय से चल रहा था और पाकिस्तान ने अन्य कई फर्मों से लाबिंग की सेवाऐं ली थी तो इसमें इतना विलम्ब करने का क्या कारण था? क्या यह भी सही है कि भारतीय व भारतीय मूल के जो लोग वहां पर हैं, वह भारत की इस समस्या के बारे में लगातार दूतावास पर इस प्रकार का दबाव डाल रहे थे कि हमारी छवि बिगड़ रही है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या भारतीय दूतावास इतना अक्षम है, असमर्थ है कि वह अपनी बात सही ढंग से नहीं कर पा रहा था और इसलिए इस फर्म की सेवाऐं लेनी पड़ीं जो इस कार्य के अन्दर अक्षम है, पूरी तरह से उसका अनुभव ही नहीं है। मैं जानना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि मानदण्ड इसके क्या थे और साथ ही जो ठेका दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 6 महीने के अंदर इसका रिव्यू करेंगे तो क्या रिव्यू मंथली होगी, त्रिमासिक रिव्यू होगा या 6 महीने के बाद ही रिव्यू होगा? रिव्यू का आधार क्या होगा? अन्यथा इस प्रकार की स्थिति ठीक नहीं है। अन्य संस्थाओं की सेवाएं क्यों नहीं ली जा रही हैं।

श्री आर. एल. भाटिया : जिस फर्म को ठेका दिया गया है, इसका वाइड रेजिंग एक्सपीरियेंस हैं। इकोनोमिक में भी है और पोलिटिकल में भी है। और दूसरे क्षेत्रों में भी है। इसका जो फैसला किया गया है, वह हमारे एम्बेसडर ने जो भी 2-3 फर्मों ने एप्लाई किया था, उनसे बातचीत करके, उनमें जिसमें हमको ज्यादा क्षमता नजर आई, उनको ठेका दिया गया।

इसके अलावा आपने पूछा है कि बाहर रह रहे इंडियन और अन्य सोसायटीज एवं इंस्टीट्यूशंस की सेवाएं क्यों नहीं ली गई, इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि उन सब की सेवाएं ली जा रही हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले चन्द अरसे से आपने देखा होगा कि प्रो-पाकिस्तान और प्रो-खालिस्तान आदि लॉबियों ने काफी शोर मचाया है और अपनी लॉबीज खड़ी की हैं और इस मुद्दे को काफी उछाला है। इस बात को देखते हुए हमने फैसला किया कि हम भी एक लॉबी वहां पर रखें। इस बारे में हमारे अंबेस्डर्स, हाई कमीशंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यह कहना उचित नहीं है कि यह काम नहीं कर रहे है या इससे फायदा नहीं हुआ है, लेकिन यह समस्या बढ़ती जा रही है और बहुत सी प्रो-पाकिस्तान और प्रो-खालिस्तान लॉबीज वहां खड़ी हो गई हैं और उन्होंने सेनेटर्स को, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को इनफ्लेंस किया है। इसलिए इस बात की जरूरत महसूस की गई और हमने भी एक लॉबी खड़ी की।

आपने तजुरबे के बारे में पूछा है, तो इनका तजुरबा है और हम 6 महीने तक इनका काम देखेंगे, उसके बाद रिव्यू करेंगे। हमें आशा है कि इनका काम ठीक रहेगा और हमारे मुद्दों को और आईडियाज को सफलता पूर्वक लोंगों तक पहुंचाएंगे।

[अनुवाद]

श्री सुदर्शन राम चौधरी : महोदय, अमरीका में, समर्थन जुटाने हेतु कार्य करने वाली फर्म के क्रियाकलापों के तौर-तरीकों में अन्य बातों के साथ, यदि आवश्यक हुआ तो लक्षित लोगों को प्रभावित करने के लिए रिश्वत लेना अथवा उपहारों का आदान-प्रदान करना भी शामिल है, जैसा कि यह अमरीका में 70 के दशक के मध्य में हुए एक एशियाई देश के तथाकथित कांड से विदित है। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह समर्थन जुटाने वाली फर्म की नियुक्ति के खिलाफ है। यह स्पष्ट लोकतांत्रिक कूटनीति के सिद्धान्तों के ही विरुद्ध है। इस प्रकार समर्थन जुटाने वाली फर्म की नियुक्ति हमारी विदेशी नीति के स्वीकृत मानदण्डों से एकदम हटकर है। इस पृष्ठभूमि में मैं दो प्रश्न करना चाहूंगा :

(क) क्या कारण है कि भारत सरकार ने कोई भी समर्थन जुटाने वाली फर्म नियुक्त करने से पूर्व संसद का मत नहीं लिया - इस विशेष फर्म की बात तो छोड़ ही दीजिए; और

(ख) क्या सरकार छः महीनों की अवधि के उपरांत इस समर्थन जुटाने वाली फर्म के कृत्यों और गतिविधियों की पुनरीक्षा करने से पूर्व इस संसद को विश्वास में लेने के लिए तैयार है?

श्री आर. एल. भाटिया : महोदय, यह सच है कि औपचारिक रूप से हमारे पास कतई कोई लाबी नहीं थी। जैसा कि मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं, मौजूदा स्थिति वहां पर काफी संख्या में पाकिस्तानी और खालिस्तानी लोग सक्रिय हैं। अतः यह आवश्यकता महसूस की गयी कि हमें भी कोई लाबी रखनी चाहिए। इस संबंध में जो भी निर्णय लिए जाएंगे अथवा जो भी कार्यवाही की जाएगी और अंततः जो भी रिपोर्ट होगी, मुझे संसद में आकर बताना होगा कि क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं।

आपका पिछला प्रश्न है कि हमने इस संबंध में संसद की अनुमति क्यों नहीं ली? मैं समझता हूं कि ऐसा करना हमने आवश्यक समझा। अतः कई बार इस सदन में यह आवाज उठाई गई कि भारत का प्रचार-प्रसार बहुत धीमा है और उसकी स्थिति अपना बचाव करने की ही है जबकि पाकिस्तान का रुख काफी आक्रामक है।

अतएव, इस सबको दृष्टिगत रखते हुए, हमने एक लाबी बनाने का निर्णय लिया है। अमरीकी राजनीतिक प्रणाली के हिसाब से तो यह जरुरी है कि सभी देशों के पास लाबियां हैं। अगर आप चाहें तो मेरे पास कई देशों की सूची है जिनकी वहां लाबियां है। आपकी अनुमति हो तो मैं इसे पढ़ सकता हूं।

श्री अमल दत्त : क्या आप हमें ऐसी लाबियों के बारे में बता सकते हैं जो भारत के विरूद्ध कार्य कर रही हैं?

श्री आर. एल. भाटिया : पाकिस्तान के पास तीन लाबियां और कई संगठन हैं।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : क्या आप ब्यौरे दे सकते हैं?

श्री आर. एल. भाटिया : अभी मेरे पास विवरण नहीं है। लेकिन मैं इसे बाद में आपको दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री भाटिया, आपको मुख्य अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देना है, कृपया उसे दें। अन्यथा यह चलता रहेगा। यदि आप चाहते हैं तो कृपया अपनी बात जारी रखें।

श्री आर. एल. भाटिया : जिन देशों की लाबियां हैं, वे हैं कनाडा, चीन, मिश्र, फिजी, फ्रांस, ब्रिटेन, इस्त्रायल, जापान, नेपाल, पाकिस्तान और सऊदी अरब।

श्री आनन्द गजपति राजू पूसापति : विदेश नीति में, हमें अनेक मानदंडों के आधार पर कार्य करना होता है। हम देखते हैं कि कश्मीर पर मानव अधिकारों के अप्रसार के मामले में हमें लताड़ा जा रहा है और प्रत्येक मामले में हमें गलत समझा जा रहा है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस फर्म को क्या मूल बात बतायी गयी, वे अपना काम कैसे करते हैं? अंततः उनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा और यह निर्णय कैसे किया जाएगा कि घटनाओं को प्रभावित करने की संगठित प्रणाली के लिए उनकी सेवाओं को जारी रखा जाए अथवा नहीं क्योंकि नुकसान हम झेल रहे हैं और इस मुद्दे पर हम हमेशा अंधेरे में हैं।

श्री आर. एल. भाटिया : हमने लाबी को जो कार्य सौंपे हैं उनका सार-संक्षेप निम्नलिखित है :-

(क) भारत को संसदीय लोकतंत्र पर आधारित मुक्त प्रेस तथा स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ एक खुले, धर्म निरपेक्ष, बहुसंख्यक समाज के रूप में पेश करना।

(ख) भारत के आर्थिक उदारीकरण के कार्यक्रम, इन उपायों की अनुक्रमणीय प्रकृति को मुख्य रूप से सामने लाना तथा भारत को एक निवेश योग्य देश के रूप में पेश करना।

(ग) भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया को पूरा करने के सहायतार्थ उसकी नई प्रौद्योगिकियों की आवश्यकताओं और संवेदनशील आंकड़ों तथा प्रौद्योगिकियों के पुनर्निर्यात को रोकने में भारत द्वारा दिखाई गई जिम्मेदारी पर प्रकाश डालना।

(घ) भारत की सम्पन्नता और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करना और इसका एक पर्यटन योग्य देश के रूप में विकास करना।

(ङ) भारत विरोधी तत्वों द्वारा, मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाकर, उसके खिलाफ किए जाने वाले प्रेरित दुष्प्रचार का मुकाबला करना। इस प्रकार के दुष्प्रचार का सामना करने में, हमारे संविधान में उल्लिखित मूलभूत मानव अधिकारों, कार्यपालिका द्वारा की गई ज्यादतियों के विरूद्ध सांस्थानिक सुरक्षोपाय तथा साथ ही गलती करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही पर भी मुख्य रूप से प्रकाश डालने का प्रयास किया जा रहा है।

(च) अमरीकी समाचार माध्यमों, द्वारा सामाजिक मुद्दों, जैसे-बाल श्रम का प्रचलन, कार्पेट और जवाहरात जैसे कतिपय निर्यात उद्योगों में इसका प्रयोग और दहेज प्रथा आदि पर दी जाने वाली नकारात्मक रिपोर्टों का खंडन करना इन सभी मुद्दों पर सार-संक्षेप उन्हें दिया गया है।

श्री आनन्द गजपति राजू पूसापति : क्या आप सही समय पर सही दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं?

श्री आर. एल. भाटिया : यह उनका काम है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अगले प्रश्न में एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन, आपने अपना हाथ उठाया।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैंने उठाया था।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। जब आपने अपना हाथ उठाया तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए था।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, इसका मुझे खेद है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं भाटिया जी से जानना चाहता हूं कि अमेरिका में लॉबिस्ट मुकर्रर करने के लिए कब सरकार को महसूस हुआ कि यह जरूरी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्योंकि वे प्रश्न के जवाब देने के दरम्यान दो-तीन बार बोल चुके हैं कि खालिस्तानी एलीमेंट्स, पाकिस्तानी एलीमेंट्स, खास करके खालिस्तानी एलीमेंट्स ने हिन्दुस्तान के खिलाफ ज्यादा प्रचार किया, इसलिये यह भी एक कारण है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि हमको बार-बार अखबार के जरिये यह पता चलता है कि वहां जो हिन्दुस्तानी लोग हैं उनको अमेरिकी दूतावास से कोई इस तरह के कागजात नहीं दिये जाते हैं और बार-बार वे आते रहते हैं। वहां के जो एम्बेसडर हैं उनको इतना नहीं दे पाते ताकि वे जा करके उनकी तरफ से हिन्दुस्तान के खिलाफ जो प्रचार होता है उसके

खिलाफ वे कार्यवाही कर पाते। मेरा एक खास सवाल यह है क्या यह सही है कि जो वहां भारत सरकार के दूतावास और जो दूतावास का सारा तंत्र है वहां भारत सरकार के खिलाफ जो प्रचार हो रहा है, उनके दूतावास की तरफ से जिस तरीके से, जिस मुस्तैदी के साथ हिन्दुस्तान के बारे में, हिन्दुस्तान की छवि समुचित रूप से प्रस्तुत करने के लिए जो काम करना है उसमें असफलता हुई इसलिये लॉबिस्ट को मुकर्रर करने के लिये तय किया है।

श्री आर. एल. भाटिया : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि हमारा दूतावास इंडिया का केस प्रोजेक्ट करने में असफल रहा है। दूसरी बात आपने कही कि वहां के जो इंडियन एसोशिएशन्स हैं उनको पूरा मैटीरियल या जानकारी नहीं दी जाती है यह बात गलत है। वहां की जो इंडियन एसोशिएशन्स हैं वे हमारा हाथ बंटा रही हैं, जैसे-नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन-अमेरिकन एसोशिएशन, एसोशिएशन ऑफ इंडियन्स इन अमेरिका, इंडो-अमेरिकन फोरम, इंडो-अमेरिकन पोलिटिकल एक्शन, ग्लोबलाईजेशन आफ पिपल्स आफ इंडियन ओरिजिन, इस तरह की लंबी लिस्ट है। जो भी हमारा पब्लिकेशन है वह मुहैया किया जाता है और अक्सर मीटिंग्स भी होती हैं जिनमें ये बैठकर सवाल-जवाब करते हैं। उनकी ब्रीफिंग की जाती है लेकिन इससे पहले वे एक्टीव नहीं थे। वहां के एलीमेंट्स ने शोर मचाया तो काफी इंडियन दिलचस्पी दिखा रहे हैं और हमारी मदद कर रहे हैं और हमारा दूतावास इसी लाईन पर है कि जो मैटीरियल टाईप करके डिस्ट्रीब्युशन के लिए उन सारी एसोशिएशन्स को भेजते हैं और अच्छा काम करते हैं। पहले क्यों नहीं किया गया और अब क्यों कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि यह विचाराधीन था...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप कृपया मुख्य अनुपूरक का ही उत्तर दीजिए।

[हिन्दी]

श्री आर. एल. भाटिया : हमने जरूरत महसूस नहीं की क्योंकि हमारा दूतावास ठीक तरह से उसका अंजाम दे रहा था और आज भी है। वहां के आरगेनाईजेशन्स ने शोर मचाया और एंटी-इंडिया प्रपोगंडा शुरु हुआ.....**(व्यवधान)** इसी लाईन पर जब दूसरी सरकार करती हैं, इतने मुल्क कर रहे हैं ब्रीफ और कंपनियां करती हैं तो हमें भी इस बात का फायदा होना चाहिए।

[अनुवाद]

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री के उत्तर सुन चुका हूं। मैं एक संदेह दूर करना चाहता हूं, जो मेरे मन में बना हुआ है। जहां तक इन लाबियों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि हमारे पास अपना मामला उस सरकार के समक्ष रखने की प्रवीणता अथवा क्षमता नहीं है। इसीलिए हम लाबियों की सहायता मांग रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात है। जब भी लाबी की आवश्यकता होती है .....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम यहां समर्थक फर्मो लाबिस्ट की नियुक्ति करने का औचित्य नहीं जानना चाहते। हम प्रश्न चाहते हैं।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : जब कभी समर्थक फर्मों लाबिस्ट की आवश्यकता हो तो उन्हें उस देश की सरकार के बहुत निकट होना चाहिए ताकि हमारा लाबी प्रचार प्रभावी हो सके। मेरी राय में यही मानदंड होना चाहिए। लेकिन मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि ...

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार के प्रश्न की अनुमति प्रदान नहीं करूंगा। प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए। आप कृपया अपना प्रश्न पूछें।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि उस देश में भारतीय दूतावास द्वारा इसी फर्म विशेष को क्यों चुना गया अथवा इसी की सिफारिश क्यों की गई।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा प्रश्न है। इस बारे में क्या मानदंड हैं?

श्री आर. एल. भाटिया : जैसा कि मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, हमारा मिशन अच्छा कार्य करने का है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इन समर्थन फर्मों को विशेषज्ञता प्राप्त है और इनकी राज्य विभाग तक पहुंच है....

एक माननीय सदस्य : आपको किसने बताया कि इन्हें विशेषज्ञता प्राप्त है?

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : हम यह जानना चाहते हैं, कि इसका चयन करने के क्या कारण थे। इस संबंध में क्या मानदंड हैं?

श्री आर. एल. भाटिया : समर्थक फर्मों (लाबिस्ट) की नियुक्ति करने का उद्देश्य विदेशों में भारत की छवि बनाना और उनका सुविज्ञ परामर्श प्राप्त करना है। यही कारण है कि हमने उन समर्थक फर्मों (लाबिस्ट) को इस कार्य में लगाया है।

एक पहले के प्रश्न के बारे में आज मुझे जानकारी प्राप्त हो गई है। मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि लाबी प्रचार के बारे में सरकार ने इस सभा में एक आश्वासन दिया था। यह प्रश्न लगभग पांच वर्ष पहले उठाया था। **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा अपना अनुभव है कि अमरीका में भारतीय राजनयिक बहुत चिन्तित हैं, यहां तक कि आज भी, नवम्बर-दिसम्बर में, जब मैं वहां गया था तो मैंने भारत द्वारा काश्मीर में मानव अधिकारों का उल्लंघन करने के बारे में पाकिस्तान के प्रचार के कारण उनको ऐसी स्थिति में पाया है। उनका विचार है कि उनकी ड्यूटी केवल इस प्रचार का मुकाबला करना है, इससे अधिक कुछ नहीं। जब मैंने उनसे यह पूछा कि वे मानव अधिकार के क्षेत्र में पाकिस्तान के अपने इतिहास को प्रकट क्यों नहीं करते, तो उनका उत्तर था कि इस बारे में हर कोई जानता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जांच करने पर मुझे यह पता चला है कि इस बारे में कोई नहीं जानता क्योंकि कम से कम संयुक्त राष्ट्र में सभी विकासशील देशों से बहुत ही युवा राजनयिक हैं। उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं कि पाकिस्तान कैसे अस्तित्व में आया, मानव अधिकारों के क्षेत्र में पाकिस्तान का क्या रिकार्ड रहा है। अंततः एक दस्तावेज तैयार किया गया और पाकिस्तान ने मानव अधिकारों से संबंधित अपना संकल्प वापस ले लिया।

पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, उसका विरोध करने के लिए निश्चित रूप से एक नीति होनी चाहिए लेकिन हमारी कोई आक्रामक नीति नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस

संबंध में भारत सरकार की नीति क्या है और क्या उसने इसमें कोई परिवर्तन किया है अथवा क्या वह निकट भविष्य में इसमें कोई परिवर्तन करेगी।

श्री आर. एल. भाटिया : विदेशों में हमारे मिशन अन्य सरकारों को इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं। हम भी विभिन्न देशों के दूतावासों को जानकारी दे रहे हैं। हम किसी विशेष स्थिति से हमेशा उन्हें अवगत कराते हैं और हमारे मिशन संबंधित सरकारों से निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं और वे सभी अपेक्षित जानकारी दे रहे हैं।

श्री उमराव सिंह : महोदय, विदेशों में भारतीय समुदाय के लोग, जिनमें से अधिकांश का संबंध मेरे राज्य और निर्वाचन क्षेत्र से है, उनकी अपनी वास्तविक शिकायतें हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह पूर्णतः अलग चीज है।

श्री उमराव सिंह : उन्हें दोहरी नागरिकता तथा ऐसी ही अन्य स्थानीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ब्रिटेन और अमरीका में भी इसी प्रकार की समस्याएं हैं। ब्रिटेन में 'इंडियन ओवरसीज कांग्रेस' ने एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है और वहां हमें किसी भी लाबी की कोई आवश्यकता नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ब्रिटेन की तर्ज पर हम अमरीका में भी इसी प्रकार का संगठन क्यों नहीं रख सकते जिसमें सभी भारतीय हों और जो लाबी बनाने में हमारी सहायता करें।

श्री आर. एल. भाटिया : जैसा कि मैंने पहले स्पष्ट किया है कि ऐसे अनेक भारतीय संगठन हैं जिनके बारे में मैंने अभी जानकारी दी हैं। वे अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम उन्हें आवश्यक जानकारी देकर उनकी सहायता कर रहे हैं और वे एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। हम उन सब में समन्वय स्थापित नहीं कर सकते क्योंकि उनमें विभिन्न प्रकार के व्यक्ति विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, इनमें विद्यार्थी, वकील और व्यापारी भी शामिल हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्र में इसमें योगदान कर रहा है। वे सभी अच्छा कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

कश्मीर और पंजाब के संबंध में अमरीका के विचार

*63. **श्री चेतन पी. एस. चौहान** :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीका के राष्ट्रपति तथा विदेश विभाग (स्टेट डिपार्टमेंट) के अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा कश्मीर और पंजाब के संबंध में हाल ही में व्यक्त किये गये विचारों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने यह मामला अमरीकी अधिकारियों के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (घ). सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

सरकार को इस बात की जानकारी है कि 14 फरवरी 1994 को अमरीका में पाकिस्तान की राजदूत सुश्री मलीहा लोदी द्वारा प्रत्यय-पत्र प्रस्तुत किए जाने के अवसर पर राष्ट्रपति क्लिंटन ने कहा कि "विश्वभर में मानवाधिकारों के लिए उत्तरौत्तर सम्मान अमरीका की विदेश नीति का एक स्तम्भ है" उन्होंने कहा कि "कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में उन्हें वैसी ही चिंता है जैसी पाकिस्तान को" और कहा कि "अमरीका उग्रवाद तथा रुढ़िवाद चाहे वह धार्मिक हो अथवा अधार्मिक और जहां कहीं भी हो, के परिणामस्वरूप वैयक्तिक मानवाधिकारों के उल्लंघन का" विरोध करता है।

2. 16 फरवरी, 1994 को जारी एक वक्तव्य में हमारे सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि भारत मानवाधिकारों की सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध है जो हमारी विरासत का एक अंग है तथा जो हमारे संविधान और कानूनों में प्रतिष्ठित है। यह खेद की बात है कि राष्ट्रपति ने जम्मू एवं कश्मीर में मानवाधिकारों पर अपने वक्तव्य में पाकिस्तान का साथ दिया है तथा आतंकवाद के प्रायोजक राज्य के रूप में पाकिस्तान की प्रमाणित भूमिका को ध्यान में नहीं रखा। हमें खेद है कि पाकिस्तान द्वारा हथियार प्राप्त, प्रशिक्षित तथा जम्मू एवं कश्मीर में भेजे गए आतंकवादियों के हाथों शिकार हुए व्यक्तियों के मानवाधिकारों के प्रति कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई है।

3. इससे पूर्व गुलाम नबी फाई के पत्र के उत्तर में राष्ट्रपति क्लिंटन द्वारा भेजे गए पत्र पर सरकार की चिंता राजदूत के द्वारा अमरीकी अन्डर सेक्रेटरी (राजनीतिक कार्य) पीटर टर्नाफ को लिखे पत्र द्वारा प्रकट की गई थी। इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया कि फाई कश्मीरी अमरीकी परिषद द्वारा उनके लिए समर्थन जुटाने के लिए विशेषरूप से नियुक्त किया गया व्यक्ति है और यह ऐसा संगठन है जो कश्मीर में आतंकवाद और उग्रवाद का वित्त पोषण कर रहा है और उसे प्रोत्साहित कर रहा है। यह बहुत खेद की बात है कि फाई जैसे व्यक्ति को जो भारत के टुकड़े करने के आंदोलन में सबसे आगे है उसे अमरीका के उच्चतम राजनीतिक प्राधिकारी से मान्यता प्राप्त हो और प्रोत्साहन मिले। ऐसा कोई भी संकेत कि अमरीकी राष्ट्रपति उसके द्वारा दी गई सूचना को मान्यता प्रदान करते हैं तथा उसके साथ कार्य करने के इच्छुक हैं इससे बहुत गंभीर गलतफहमी हो सकती है।

4. मीडिया के प्रश्नों के उत्तर में हमारे सरकारी प्रवक्ता ने कहा "हमारा यह विश्वास है कि जब अमरीका के राष्ट्रपति ने मानवाधिकारों के सम्मान की बात कही तो उनका यह उल्लेख उग्रवादियों तथा आतंकवादियों द्वारा, जिन्हें भारत के बाहर से सहायता प्राप्त हो रही है और दुष्प्रेरित किया जा रहा है, मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के संदर्भ में था। मानवाधिकारों की सुरक्षा के प्रति विश्व की बढ़ती हुई चिंता को हम भलीभांति समझते है और मानवाधिकारों की सुरक्षा के सम्बद्ध संस्थानों को सदृढ़ करने के प्रति हम वचनबद्ध हैं।

5. कांग्रेस मैन कोंडिट को 27 दिसम्बर, 1994 के राष्ट्रपति क्लिंटन के इस जवाब की सूचना कि वह उनकी तरह ही, "एक ऐसा शांतिपूर्ण समझौता चाहते है जिससे सिखों के अधिकारों की रक्षा हो सके" मिलने पर सरकार ने तुरन्त कड़े शब्दों में एक वक्तव्य जारी किया जिसमें यह कहा गया कि अमरीका के राष्ट्रपति का कांग्रेसमैन कौंडेट को लिखा गया पत्र कश्मीर, मानवाधिकार और पंजाब जैसे मसलों पर अमरीकी प्राधिकारियों के नकारात्मक वक्तव्यों के क्रम में ही लिखा गया एक पत्र है। पंजाब में स्थिति शांतिपूर्ण है तथा लोकतांत्रिक तरीकों से समाधान किया जा चुका है जिसके अंतर्गत सिखों सहित सभी भारतीयों के अधिकार चाहे वह किसी धर्म के हो कानून के अनुसार सुरक्षित हैं। यह बात भी बलपूर्वक कही गई कि मानवाधिकारों तथा लोकतंत्र के प्रति भारत की वचनबद्धता भारत का अस्तित्व स्वयं सिद्ध करता है तथा बाहर से कोई भी सुझाव स्वीकार्य नहीं होगा। यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि उच्चतम स्तर से अमरीका की सरकार द्वारा दिए गए ऐसे अधिकारिक वक्तव्यों का भारत-अमरीका द्विपक्षीय संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ सकता है। राजदूत के असिस्टेंट सेक्रेटरी रॉबिन रेफेल से मिले और सरकार की चिन्ता से उन्हें अवगत कराया।

6. सरकार ने एशिया सोसायटी के सम्मुख वाशिंगटन में 9 फरवरी 1994 को कश्मीर के संबंध में असिस्टेंट सेक्रेटरी रॉबिन रेफेल द्वारा दिए गए भाषण में उनकी इस टिप्पणी पर भी गौर किया जिसमें उन्होंने "अफगानिस्तान में गृह युद्ध" की तुलना "कश्मीर में विद्रोह" से की। उन्होंने कहा कि अमरीका की दक्षिण एशियाई नीति में ये दोनों संघर्ष उनकी कार्यसूची में सबसे ऊपर हैं। प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने दोहराया कि अमरीका कश्मीर को विवादास्पद क्षेत्र मानता है तथा व्यावहारिक रूप से कोई भी समाधान कश्मीर के लोगों को स्वीकार्य होना चाहिए अन्यथा यह एक स्थायी समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि इस राज्य का इतिहास उसके भविष्य की कुंजी हो। यह एक यंत्रणा इतिहास है। जब उनसे पूछा गया कि कश्मीर के लोगों के विचारों का पता कैसे लगाया जाए तो उन्होंने कहा कि अमरीका का इस संबंध में कोई औपचारिक दृष्टिकोण नहीं है।

7. 11 फरवरी 1994 को एक सरकारी वक्तव्य में सरकार ने कहा कि अफगानिस्तान तथा जम्मू और कश्मीर की स्थितियों के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसमें पहली स्थिति शीत युद्ध का परिणाम है जबकि जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान द्वारा समर्थित तथा दुष्प्रेरित आतंकवाद के घोर अभियान का सामना कर रहा है। अफगानिस्तान तथा जम्मू एवं कश्मीर के बीच अगर कोई कड़ी है तो वह यह कि अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से हथियार तथा भाड़े के सैनिक जम्मू एवं कश्मीर आ गए हैं जो आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं सरकार उम्मीद करती है कि अमरीका की सरकार इस बात को स्वीकार करेगी कि जम्मू एवं कश्मीर में शांति और अमन बहाल करने में पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवाद सबसे बड़ी अड़चन है। जम्मू एवं कश्मीर की स्थिति के बारे में जिम्मेदार अमरीकी प्रशासन के अधिकारियों द्वारा निरन्तर दिए गए असन्तुलित वक्तव्य जिनमें सही परिप्रेक्ष्य का अभाव होता है पाकिस्तान को तथा उनके द्वारा समर्थित आतंकवादियों को अपनी हिंसक गतिविधियां जारी करने के लिए समर्थन प्रदान करते हैं। ऐसे वक्तव्य सहायक नहीं होते तथा लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया पुनः आरम्भ करने तथा सामान्य परिस्थिति बहाल करने में जिसके लिए भारत सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है। वे बाधा उत्पन्न करते हैं।

8. भारत निरंतर उन घटनाओं पर निगाह रखता है जिनका भारत के हितों पर असर पड़ता हो, सरकार अमरीका के साथ सुविचारित एवं रचनात्मक नीति का अनुसरण कर रही है, सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप नीतियों के प्रति तथा भारत की प्रादेशिक एकता एवं अखण्डता की सुरक्षा

के लिए कदम उठाने के प्रति वचनबद्ध है।

9. उपरोक्त सभी गतिविधियों पर वाशिंगटन तथा दिल्ली में अमरीका की सरकार के साथ विचार-विमर्श किया जा चुका है। उनका कहना है कि ये अमरीका की नीति में किसी परिवर्तन का सूचक नहीं है ओर न ही इन्हें इस रूप में देखा जाना चाहिए।

श्री चेतन पी. एस. चौहान : अध्यक्ष महोदय, गत सप्ताह ही कश्मीर विषय पर, सदन ने सभी दलों द्वारा समर्थित एक संकल्प पारित किया है। परन्तु भारत ने कश्मीर विषय पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने में अत्यधिक समय लिया। इस विफलता के फलस्वरूप उसे प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय मंच, संयुक्त राष्ट्र, वियना ब्रुसेल्स तथा जिनेवा में अत्यधिक राजनयिक दवाब का सामना करना पड रहा है। अनुच्छेद 370 जो कि कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है, को जारी रखने के अलावा.....

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न को मत पढ़िये, आपको प्रश्न पूछना है।

श्री चेतन पी. एस. चौहान : महोदय, मैं प्रश्न पूछने ही वाला हूं। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 370 अनुच्छेद के जारी रखने के अलावा, लगभग 5 लाख कश्मीरी पण्डितों और अन्य मुस्लिम, सिखों के स्थानान्तरण की दुर्दशा को उजागर नहीं करके तथा पाकिस्तान द्वारा समर्थित उग्रवाद को रोकने में विफल होने के कारण यह मामला और भी अधिक उग्र हो गया है। क्या सरकार को स्वतंत्र कश्मीर के बारे में अमरीका के तीसरे विकल्प की जानकारी है?

सरकार ने इस स्थिति का सामना करने हेतु क्या कार्यवाही की है क्योंकि अमरीका द्वारा, भारत में अधिमिलन पर प्रश्न उठाया गया है।

श्री आर. एल. भाटिया : सरकार लोगों को जम्मू और कश्मीर की वास्तविक स्थिति को बताने हेतु भरसक प्रयास कर रही है।

एक माननीय सदस्य : यह पर्याप्त नहीं है।

श्री आर. एल. भाटिया : यदि इससे अधिक कुछ चाहते है तो मैं कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप सभी बीच बीच में बोलते रहते हैं। कृपया आप अपने मुख्य अनुपूरक प्रश्न तक ही सीमित रहें। यह बेहतर रहेगा कि आप अध्यक्ष को संबोधित करें। बीच में बोलने वालों को कोई उत्तर मत दीजिए अन्यथा आप और किसी अन्य बात का जवाब दे देंगे।

श्री आर. एल. भाटिया : जहां तक जम्मू और कश्मीर का संबंध है भारत सरकार सभी लोगों को अपने विचार समझाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। हमने विश्व में सभी लोगों, सभी सरकारों, तथा संस्थानों को अपने मिशनों के माध्यम से, यह स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू और कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वह पाकिस्तान द्वारा समर्थित उग्रवाद के परिणामस्वरूप हो रहा है तथा और यह तथ्य सभी को पता है और यदि पाकिस्तान बार-बार मानवाधिकारों का प्रश्न उठाता है तो हमारा उत्तर एकदम स्पष्ट है कि जब तक पाकिस्तान द्वारा उग्रवाद को समर्थन देना जारी रहेगा यह मामला हमेशा उठता रहेगा। परन्तु हम लोग जम्मू और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं और हम लोग हमारे देश के मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दास्त नहीं करेंगे।

श्री चेतन पी. एस. चौहान : उन्होंने तीसरे विकल्प का कोई उत्तर नहीं दिया है। क्या आप को अमरीका के तीसरे विकल्प अर्थात स्वतंत्र जम्मू और कश्मीर की जानकारी है?

श्री आर. एल. भाटिया : यह भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है और केवल ये दोनों सरकारें इस मामलें पर वार्ता करमे हेतु बैठ सकती हैं और शिमला समझौता भी है जिसके अन्तर्गत हम वार्ता कर सकते हैं। हम लोग इस संबंध में कोई अन्य मध्यस्थता कोई और तरीका अथवा अन्य सिद्धांत स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री चेतन पी. एस. चौहान : राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पंजाब की स्थिति तथा सिखों के अधिकारों पर 16 विधायकों को लिखा है।

उससे पंजाब में आतंकवाद तथा खालिस्तान के समर्थकों को प्रोत्साहन मिला हैं पंजाब में सामान्य स्थिति कायम हो रही है। आतंकवाद पर नियंत्रण किया गया है तथा पंजाब में खालिस्तान की मांग भी दब गई है।

अमरीका के अधिकारियों द्वारा इस प्रकार के संवेदनशील मामलों को न उठाया जाए, इसलिए सरकार क्या कदम उठा रही है? यह बताया गया है कि राज्य विभाग, जिसमें किसी को यह भी पता नहीं होगा कि भारत कहां है.....

अध्यक्ष महोदय : आप फिर पढ़ रहे हैं।

श्री चेतन पी. एस. चौहान : मैं, पढ़ नहीं रहा हूं, मैं अपने टिप्पण को देख रहा हूं। यह बताया गया है कि कोई जिसे यह भी पता नहीं है कि भारत कहां हैं, जिसे यह भी पता नहीं है कि भारत में जम्मू और कश्मीर कहां है, वह पत्रों का प्रारुप तैयार कर रहा है और उसे अमरीका के उच्च अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किया जा रहा है।

श्री आर. एल. भाटिया : यह सही है कि राष्ट्रपति क्लिंटन ने, जम्मू और कश्मीर की स्थिति तथा खालिस्तान के संबंध में कुछ सिनेटरों को उत्तर देते हुए, एक पत्र भेजा है, परन्तु हमारे राजदूत ने तत्काल ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा राज्य विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की तथा यह स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकार उल्लेख चाहे, जैसे कि आपने उल्लेख किया है, निम्न स्तर पर हो या उच्च स्तर पर हो, इसे भारत तथा अमरीका के संबंधों के बीच असर पड़ेगा। हमने उन्हें स्पष्ट बता दिया है कि ये बातें दोनों देशों के संबंधों के विकास के आडे आयेंगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री परसराम भारद्वाज, उपस्थित नहीं, श्री चन्द्रजीत यादव।

श्री चन्द्रजीत यादव : तीन महत्वपूर्ण अवसरों पर न केवल राज्य विभाग के अधिकारियों ने अपितु अमरीका के अधिकारियों ने भी भारत विरोधी वक्तव्य दिए। एक अवसर पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, जब पाकिस्तान के नव नियुक्त राजदूत ने 14 फरवरी, 1994 को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया तब, राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि वे जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकार के दुरुपयोग संबंधी पाकिस्तान के विचारों से सहमत हैं। दूसरे अवसर पर, कश्मीरी अमरिकन काऊंसिल के प्रदत्त लॉबिस्ट श्री फैय के पत्र के उत्तर में राष्ट्रपति महोदय ने भारत विरोधी वक्तव्य दिया। तीसरा अवसर गत वर्ष, 23 दिसंबर को जब एक कांग्रेसमेन श्री कॉन्डीड के पत्र के उत्तर में उन्होंने कहा कि वे भी भारत को मानवाधिकार के दुरुपयोग विशेषकर पंजाब और कश्मीर के, प्रति चिन्तित है। उन्होंने सिख

अधिकारों के बारे में भी कहा और उनके पक्ष में अपने विचार भी व्यक्त किए, जबकि पंजाब की समस्या का देश के लोगों के विचारों के अनुरुप बड़ी ही सहजता से समाधान किया गया है।

महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद होता है कि अमरीका के राष्ट्रपति ने इन अवसरों पर भारत विरोधी वक्तव्य दिए, परन्तु हमारी सरकार ने इसे बहुत ही मामूली बात समझी और बड़े ही हल्के ढंग से इसका खंडन किया। प्रधानमंत्री की तो बात दूर रही, विदेश मंत्री जी ने आज तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। यह कोई साधारण सी बात नहीं है कि किसी देश का राष्ट्रपति लगातार भारत विरोधी टिप्पणियां कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री और विदेशमंत्री, बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं, वे लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी चिंता, राजदूत के माध्यम से व्यक्त कर दी है। यह बड़ा ही लज्जाजनक वक्तव्य है।

इन्होंने अपना विरोध नहीं जताया, उन्होंने केवल अपनी चिंता व्यक्त की। अमरीकी यह कह रहे हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने भारत के प्रति अपना रवैया बदल लिया है। क्या भारत सरकार अमरीकी सरकार के इस मत का यह अर्थ लगाती है कि भारत के प्रति उनकी नीति में कोई परिवर्तन नहीं है, अथवा इसे वे भारत विरोधी टिप्पणियां मानते हैं? क्या आपके विचार से इससे आपसी संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा ? भारत के नागरिकों की भावना तथा विचारों को ध्यान में रखते हुए क्या भारत के प्रधानमंत्री इस मामले को अपने स्तर पर, अमरीकी राष्ट्रपति के साथ उठायेंगे।

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : अध्यक्ष महोदय, अमरीका सारे विश्व में मानवाधिकारों के बारे में अत्यधिक चिंतित है। उन्होंने भारत तथा कई अन्य देशों में मानवाधिकारों के उल्लंघन का उल्लेख किया है। राष्ट्रपति महोदय, अपनी घरेलू नीति में इसी व्यवस्था का अनुपालन कर रहे हैं।

अब, जब कभी भी कोई वक्तव्य दिया जाता है तो हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि इस प्रकार के वक्तव्य पर उत्तर देना मेरे विचार से न तो प्रधानमंत्री को अथवा मुझे देना, शोभा देता है।

मेरे विचार से प्रवक्ता का उत्तर ही काफी है, मैं क्या करूं....**(व्यवधान)** वह आपकी राय है तथा यह मेरी राय है। मैं क्या करूं? **(व्यवधन)**

एक माननीय सदस्य : यह अमरीका के राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने यह कहा है।

श्री दिनेश सिंह : वे राष्ट्रपति हो सकते हैं, परन्तु हमें क्या करना चाहिए? **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मंत्री महोदय का वक्तव्य सार्थक नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री दिनेश सिंह : यदि आपको सुनने की रुचि नहीं है तो, मैं क्या करूं? **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, हमारे राजदूत का अमरीका में दिया गया वक्तव्य यथेष्ट है। राष्ट्रपति वक्तव्य दे सकते है। मेरे मित्र यह सोच सकते हैं कि राष्ट्रपति के वक्तव्य का उत्तर प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए, हमेशा ऐसा आवश्यक नहीं है क्योंकि अमरीका स्थित भारत सरकार के प्रतिनिधि द्वारा दिया गया वक्तव्य अमरीका में यथेष्ट असर डालता है।

हमने बार-बार यह स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर भारत का अंग है तथा सदैव भारत का अंग रहेगा। यह हमारा घरेलू मामला है। यदि वे लोग सुनना नहीं चाहते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं तो, मैं क्या करूं? **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : क्या भारत इतना असहाय है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते?

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : इसके बावजूद भी यदि वे यह कहते हैं भारत के लिए उनके संबंध उनका रवैया, पहले जैसा ही है, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम उन्हें कहें कि नहीं यह उसी प्रकार का नहीं हैं? **(व्यवधान)** उन्होंने अपने आप अपने वक्तव्य को सुधार लिया है। मेरे विचार से हमें, इस बात को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। इस सभा ने जो संकल्प पारित किया था वह सारे विश्व को मालूम है और वह हम लोगों द्वारा दिए गए वक्तव्य से अधिक सशक्त है।

[हिन्दी]

श्री राम कापसे : अध्यक्ष जी, मंत्री जी जो कुछ कह रहे हैं, इसमें मुझे आपत्ति है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के तीन पहलू हैं, जम्मू और कश्मीर राज्य तथा उसकी स्थिति, पंजाब का प्रश्न और मानवाधिकार का प्रश्न।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं? इस प्रश्न पर सदस्यों की भावना को कोई समझ सकता है, परन्तु हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया जा रहा है तथा हमें इसे और अधिक बढ़ावा नहीं देना चाहिए।

श्री जसवंत सिंह : बिल्कुल ठीक है, इन तीन विषयों पर, जम्मू और कश्मीर राज्य और इसकी स्थिति, पंजाब का प्रश्न तथा समग्रतः मानवाधिकारों का प्रश्न और इन मानवाधिकारों का भारत में कथित उल्लंघन, का प्रश्न कई ऐसे अवसर आए हैं जब अमरीकी राष्ट्रपति ने मौखिक, लिखित में तथा दक्षिणी एशिया डेस्क के प्रमुखों ने पुनः मौखिक तौर पर कतिपय टिप्पणियां की हैं। अमरीका ने क्या कहा है, इस पर ध्यान देते हुए, वास्तव उनकी नीति में इन वक्तव्यों के सामुहिक तथा समग्र परिणामों को ध्यान में रखते हुए कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? क्या इसका अर्थ, यह है कि जहां तक संयुक्त राज्य अमरीका का संबंध है, इन तीन विषयों पर कोई परिवर्तन आया है, अथवा क्या अमरीका के उच्च पदस्थ अधिकारियों के अनुभव तथा परिपक्वता की कमी और अपर्याप्त तथा अकुशल जानकारी देने को जिम्मेदार माना जा सकता है?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही सांराश में शामिल नहीं किया जा रहा है।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं अधिकारियों के बारे में कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यदि आप अधिकारियों के बारे में कह रहे हो तो।

श्री जसवंत सिंह : मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या यह नीति में परिवर्तन है? क्या अमरीका के राज्य विभाग तथा अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त जानकारी देने के लिए, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सकता हैं? मानवाधिकार जिसके लिए भारत किसी के पीछे नहीं है, के बारे में चिंता करते हुए क्या भारत सरकार अमरीका में विशेषकर अश्वेत लोगों के मानवाधिकारों के हनन के बारे में अत्यधिक चिंता व्यक्त करने पर भी विचार करेगी?

श्री आर. एल. भाटिया : यह सही है कि विभिन्न स्तरों पर वक्तव्य दिए गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि दो वक्तव्य दिए गए हैं तो अन्तिम वक्तव्य अधिक प्रभावी माना जायेगा।

श्री दिनेश सिंह : उन्होंने वक्तव्य दिया तथा उन्हीं लोगों ने स्वयं यह कहते हुए कि अमरीका की स्थिति जैसे पहले थी, वैसी ही है, अपनी बात को सुधार लिया। अतः हमें यह मान लेना चाहिए कि पहले उन्होंने गलती से ऐसे वक्तव्य दिए थे।

श्री एम. गनेन्द्र रेड्डी : मैं सीधे माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या यह सही है कि पाकिस्तान सरकार भारत में आतंकवाद तथा हिंसा को प्रोत्साहन दे रही है? यदि हां, तो क्या भारत सरकार, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान हिंसा तथा उग्रवादियों को सहायता करते हुए मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन कर रहा है, उसे एक आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने पर विचार कर रहा है? तथा क्या भारत सरकार, पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित कराने संबंधी मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने पर विचार कर रही है?

श्री आर. एल. भाटिया : हमने यह किया है कि, हमने सभी देश की सरकारों तथा मित्र देशों को, पाकिस्तान सरकार जम्मू और कश्मीर में क्या कर रहा है, वहां आतंकवाद को कैसे समर्थन दिया जा रहा है, आतंकवादियों को हथियारों की आपूर्ति कैसे की जा रही है तथा पाकिस्तान द्वारा हस्तक्षेप किए जाने से मानवाधिकारों का मामला कैसे उठाता है, संबंधी सारी जानकारी उन्हें दे दी है। तथा सभी मित्र देशों और देशों को यह सब कुछ समझा दिया गया है।

[हिन्दी]

चीनी प्रतिनिधिमंडल

*64. **श्री आनन्द अहिरवार** :

श्री चन्द्रजीत यादव :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक चीनी प्रतिनिधिमंडल भारत-चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाये रखने संबंधी समझौते के अनुसरण में भारतीय अधिकारियों के साथ वार्ता करने के लिए भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या उनकी यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) दोनों देशों के बीच सीमा विवाद संबंधी मामले के व्यापक समाधान के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) नई दिल्ली में 2-4 फरवरी, 1994 तक आयोजित भारत-चीन विशेषज्ञ दल की पहली बैठक के लिए एक चीनी दल ने भारत की यात्रा की थी।

(ख) से (घ). अपनी पहली बैठक में इस विशेषज्ञ दल में प्रादेश, भावी कार्य और तौर-तरीके के संबंध में बहुत से विषयों पर बुनियादी सहमति हुई। इस बैठक में किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

(ङ) विगत कुछ वर्षों में भारत-चीन के संबंधों में चहुंमुखी सुधार हुआ है। सीमा के जटिल प्रश्न पर सरकार ने द्वेष भावना से मुक्त वातावरण में चीन के साथ उपयोगी बातचीत का सिलसिला बनाए रखा है। दोनों देश इस समस्या पर उचित तर्क संगत और परस्पर स्वीकार्य समाधान के लिए वचनबद्ध है। उम्मीद की जाती है कि भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पारस्परिक विश्वास और समरसता को विकसित करने के लिए जो ठोस कदम उठाए हैं उनसे सीमा के प्रश्न के समाधान के अनुकूल वातावरण तैयार करने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री आनन्द अहिरवार : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं भारत सरकार को खास करके प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने में वह निरंतर प्रयासरत रहते हैं और दृढ़ संकल्प रखते हैं। चीनी प्रतिनिधि मंडल ने भारत की यात्रा के दौरान अनेक विषयों पर बुनियादी सहमति दी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे प्रमुख विषय कौन-कौन से हैं जो देश की शांति व्यवस्था और देश के विकास में मुख्य भूमिका रखते हैं?

श्री आर. एल. भाटिया : जैसा कि मैंने बताया कि यह एक एक्सपर्ट ग्रुप था जिस को यह टास्क दिया गया था कि जो बाउन्डरी लाइन है, उसके बारे में वह हम को राय दे कि कौन-कौन सी जगहों में यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या-क्या जरूरी तबदीलियां होनी चाहियें। यह एक एक्सपर्ट ग्रुप था और उसके साथ बहुत थोड़े मुद्दे जुड़े हुए थे। उसको मैंडेट के मुताबिक चलने के लिये कहा गया था, आने वाले समय में कार्यक्रम बनाने के लिये कहा गया था और मॉडेलिटीज को देखने के लिये कहा गया था। इस एक्सपर्ट ग्रुप का इतना ही काम था। सबस्टैंशल इशू पर इन लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया है और न ही वह ले सकता था। सिर्फ इन चीजों को देखकर रिकमैंड करने का ही उसका काम था।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे देखने में आया है कि लोकसभा की मेरी 18 वर्षों की सदस्यता के बाद भी मेरा नाम गलत छपा है। मेरा नाम सही छापा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नाम कुछ भी हो, गुलाब की महक वही होगी।

श्री चन्द्रजीत यादव : बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय मंत्री ने कहा है कि यह विशेषज्ञ दल कुछ मुद्दों पर एकमत हुआ था और उसने कुछ सिफारिशें की हैं, भारत-चीन संयुक्त आयोग के भविष्य के कार्यों के लिए इसने कतिपय रूपरेखाओं पर अपनी सहमति दी है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस विशेषज्ञ समूह की मुख्य सिफारिशें क्या हैं? क्या वे केवल सीमा-रेखा संबंधी मुद्दों तक ही सीमित हैं अथवा वे हमारे व्यापारिक संबंधों में सुधार करने तथा एशियाई क्षेत्र में हमारी संयुक्त कार्यवाही के बारे में भी कुछ कहते हैं?

श्री आर. एल. भाटिया : महोदय, मैं इस विशेषज्ञ दल को दिए गए अधिदेशों को स्पष्ट करना चाहूंगा। वे हैं : वास्तविक नियंत्रण रेखा का स्पष्टीकरण, अर्थात् पक्षों द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा के विभाजकों जहां उनमें मतभेद है - का संयुक्त नियंत्रण और निर्धारण, सेना की पुनर्तैनाती, अर्थात्, परस्पर और समान सुरक्षा के सिद्धान्तों पर आधारित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य बलों को घटाने की सीमा, गहनता, समय और स्वरूप को तैयार करना, विश्वास पैदा करने के अन्य उपाय जैसे - सैन्य अभ्यासों की पूर्व सूचना, सीमा पर तैनात कार्मिकों की बैठकें और वायु मार्ग द्वारा घुसपैठ को रोकना, सैनिक बलों को कम करने के लिए सत्यापन उपायों को तैयार करना तथा शांति और स्थिरता बनाए रखना। इस विशेषज्ञ दल ने इन सारी रूपरेखाओं पर चर्चा की है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह देवरिया : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार का बराबर यह कहना रहा है कि हमारे बहुत से क्षेत्रों पर चीन का अधिकार है। अभी बातचीत के लिये जो दस्ता आया, उसके बारे में कुछ अखबारों के हवाले से यह खबर मालूम हुई कि अक्साई चिन पर भारत अपना दावा छोड़ने जा रहा है। मैं साफ तौर पर मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एक्चुअल कंट्रोल लाइन के बहाने क्या भारत का अपनी उन सीमाओं और उन क्षेत्रों के ऊपर जिस के बारे में अभी तक दावा रहा है कि 1962 के युद्ध के बाद चीन ने उस पर अधिकार कर लिया, क्या उन क्षेत्रों पर अपने दावे को सीमित रखेगा या उसे जारी रखेगा?

श्री आर. एल. भाटिया : अध्यक्ष महोदय, अखबारों में बिल्कुल निराधार खबरे छपी हैं। हमारी बातचीत में ये बातें हुई हैं कि इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम या चीनी बैठे हुए हैं, उसको सामने रखते हुए इसमें जहां-जहां डिफरेंसिज है, उनको चेंज करें, लेकिन यह गलत बात है कि हमने कोई इलाका चीन को दे दिया है या देने का इरादा है, हमारी पोजिशन वही है जो पहले थी कि जहां-जहां .... **(व्यवधान)**

मैं आपका नहीं, उनके सवाल का जवाब दूंगा। उन्होंने मुझे यही हुक्म दिया था। वह यह है कि अखबारों में गलत बात छपी है कि हम चीन को कोई इलाका देने जा रहे हैं। इसमें एक्सपर्ट ग्रुप रिकमेण्डेशन करेगा और उसे पार्लियामेंट के सामने लाया जायेगा। पार्लियामेंट को उसको एक्सैप्ट करने का अधिकार होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं, तो वह दे सकते हैं।

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह स्पष्ट करना चाहता था कि हम चीन के साथ सीमा संबंधी मुद्दे पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमें मुद्दों पर भ्रम नहीं उत्पन्न करना चाहिए। बातचीत का मुद्दा केवल वास्तविक नियंत्रण रेखा थी और हम वहां शांति तथा स्थिरता चाहते हैं इस प्रकार, यदि उस पर कोई मतभेद है, तो यह विशेषज्ञ दल उसे हल करने का प्रयास करेगा। माननीय सदस्य ने सीमा संबंधी मुद्दे के बारे में प्रश्न उठाया है, मैं नहीं समझता कि अभी हमें इसे यहां उठाना चाहिए। हमारे चीन के साथ अच्छे संबंध हैं और दोनों देश एक-दूसरे के साथ मिलकर परस्पर विश्वास का वातावरण पैदा कर रहे हैं? हमें इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर बातचीत जारी रखनी चाहिए।

श्री सुधीर सावंत : महोदय, चीन और भारत के बीच संबंध न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व में शांति और स्थिरता के लिए अति आवश्यक है। हमारे पास विवाद का केवल एक मुद्दा, सीमा विवाद, है। सीमा विवाद अपनी प्रकृति से ही बहुत जटिल है और इससे राष्ट्रीय राजनीति पर इसका अपना प्रभाव पड़ेगा जैसा कि यह श्री मोहन सिंह के प्रश्न से स्पष्टरूपेण विदित होता है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार हमारे उपागम को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सहमति तैयार करने हेतु कोई कदम उठा रही है और क्या विशेषज्ञ दल ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद वाले क्षेत्रों की पहचान की है और क्या इसे हल करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है।

श्री दिनेश सिंह : बहुत पहले से ही श्री जवाहर लाल नेहरू हमेशा कहा करते थे कि भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं है। सीमा को परम्परागत रूप से जाना जाता है। यह इस पर केवल समझबूझ का प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय को यह पता है कि इस लोक सभा के द्वारा यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकार किया हुआ है कि अक्साई चीन का पूरा इलाका चीन से वापस लेने के लिए सतत् प्रयास किया जायेगा? यदि आपको ऐसा पता है तो आप क्या इस बैठक में या अन्य समय इसका प्रयास करेंगे कि भारत का जो कब्जा चीन ने सन् 1962 में ले लिया था, वह जमीन हमें वापस मिलें? हजारों मील जमीन हमारी चीन ने ले ली है।

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि कृपया अभी सीमा की समस्याऐं न उठाई जायें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, आप वाजपेयी जी से बात कर लें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गुमान मल लोढा : क्या हमें समर्पण कर देना चाहिए? क्या आप कह रहे हैं कि हमें समर्पण कर देना चाहिए?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि उस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि क्या उनकी जानकारी में यह बात आई है कि हाल ही में भारत सरकार के भूतपूर्व विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह द्वारा एक पुस्तक जारी की गई है जिसमें यह लिखा है कि सिक्किम के भारत में विलय को चीन द्वारा अभी भी मान्यता नहीं दी गई है। मैं जानना चाहूंगी कि क्या यह बात कहीं है अथवा नहीं।

श्री आर. एल. भाटिया : जैसा कि मैंने कहा है कि यह एक विशेषज्ञ दल था....

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा में नहीं आया है। वही उत्तर है।

श्री आर. एल. भाटिया : इसके पास कोई अधिदेश नहीं है। इसके कार्य सीमित हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, चीन और भारत, दोनों के प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा किए जा रहे क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है, सीमा व्यापार संबंधी क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि क्या उन क्षेत्रों को पता लगा लिया गया है जहां व्यापार संबंधों में सुधार किया जा सकता है?

श्री आर. एल. भाटिया : महोदय, सीमा व्यापार के और अधिक क्षेत्रों को खोलने के संबंध में हमारी बातचीत उनके साथ हुई है। वर्तमान में, लेपिचेक पर व्यापार हो रहा है और अब हमने हिमाचल प्रदेश में स्थित शिपाकी क्षेत्र को भी सीमा व्यापार हेतु खोलने के लिए बात की है। यह विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

फरक्का के मामले पर इंडोनेशिया के मंत्री का साक्षात्कार

*65. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान फरक्का के मामले पर इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिए गए साक्षात्कार के बारे में बंगलादेश के समाचार पत्र "न्यू नेशन" में 5 नवम्बर, 1993 को प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को इंडोनेशिया सरकार के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) समाचार-पत्र की खबर के अनुसार इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत को गंगा के पानी को इकतरफा रूप से वापस ले लेने का कोई अधिकार नहीं है और यह कि संयुक्त राष्ट्र को तत्काल फरक्का मसले पर विचार करना चाहिए।

(ग) जी हां।

(घ) इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने जकार्ता स्थित हमारे राजदूतावास को बताया कि उक्त समाचार पत्र में स्वास्थ्य मंत्री के बारे में जो कहा गया है वह सही नहीं है और फरक्का मसले पर उनके कथित विचार निराधार हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन कार्यक्रम

[अनुवाद]

*66. **श्री बी. शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** :

श्री रमेश चेन्नित्तला :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन कार्यक्रमों की तुलना में विदेशी टेलीविजन के कार्यक्रम देश में अधिक पसन्द किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दूरदर्शन के कार्यक्रमों के स्तर में गिरावट आती जा रही हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों का स्तर सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां। दूरदर्शन द्वारा इस प्रकार के सर्वेक्षण नियमित रूप से किए जाते हैं।

(घ) सर्वेक्षणों से यह बात सामने आई है कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों को काफी दर्शकों

द्वारा देखा जाना जारी है। दर्शकों की रुचि बनाए रखने के उद्देश्य से दूरदर्शन अपने कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए सतत रूप से प्रयासरत है।

भारत-संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग

*67. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत-संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और इसका क्या परिणाम निकला?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां। भारत-संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग का सातवां अधिवेशन नई दिल्ली में 4 से 6 जनवरी, 1994 तक हुआ था।

(ख) इस संयुक्त आयोग ने पूंजी निवेश, व्यापार, आर्थिक एवं जनशक्ति संबंधी मामले, जल एवं दूर संचार, बैंक कारोबार, शिक्षा एवं सूचना तथा संवाद-तंत्र के क्षेत्र में आदान-प्रदान से सम्बद्ध बहुत से मसलों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया।

दोनों पक्षों के बीच स्वापक औषधियों के गैर-कानूनी व्यापार के प्रतिकार तथा 1994-95 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के संबंध में करारों पर हस्ताक्षर हुए। नशीली दवाइयों से सम्बद्ध समझौते में सूचना का आदान-प्रदान करने तथा दोनों पक्षों के नामित अभिकरणों के बीच अन्य प्रकार के सहयोग की व्यवस्था है और यह करार किसी अरब देश के साथ भारत द्वारा सम्पन्न पहला करार है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान का यह कार्यक्रम शिक्षा जिसमें उच्चतर शिक्षा भी शामिल है कला, संस्कृति पर्यटन, सूचना, सामूहिक जनसम्पर्क ओर खेलकूद के क्षेत्रों में सहयोग करने की एक विशिष्ट कार्ययोजना है।

प्रत्यर्पण से सम्बद्ध एक द्विपक्षीय संधि के बारे में तकनीकी विचार विमर्श हुआ और इस दिशा में बात काफी आगे बढ़ी।

पाकिस्तान के साथ वार्ता

*68. **श्री राम प्रसाद सिंह** :

श्री राजेश कुमार :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1994 में पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव स्तर की वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो वार्ता में किन-किन द्विपक्षीय विषयों पर बातचीत हुई और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) प्राप्त परिणामों पर सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है;

(घ) क्या दोनों देशों के बीच भविष्य में किसी वार्ता का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो वार्ताएं कब तक होंगी और किस स्तर पर होंगी?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की इस्लामाबाद में 1-3 जनवरी,. 1994 तक बैठक हुई। इन वार्ताओं में समूचे द्विपक्षीय मसलों पर विचार-विमर्श किया गया, जिनमें जम्मू एवं कश्मीर से संबद्ध मतभेद भी शामिल हैं।

(ग) सरकार ने सियाचिन, सर क्रीक, नियंत्रण रेखा पर शांति एवं अमन बनाए रखने के संबंध में करार का मसौदा, अतिरिक्त विश्वास निर्माण उपाय और भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग के बारे में विशिष्ट और ठोस प्रस्तावों के संबंध में छह सुझाव 24 जनवरी, 1994 को पाकिस्तान को भेजे।

(घ) और (ङ). इस्लामाबाद में 1 - 3 जनवरी, 1994 तक भारत और पाकिस्तान के बीच हुई विदेश सचिव स्तर की बातचीत में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय बातचीत करने की आवश्यकता को दोहराया। सरकार ने आगामी बातचीत के लिए समय निर्धारित करने की अपनी तत्परता व्यक्त की। तथापि पाकिस्तान आगामी वार्ता के लिए कोई समय निर्धारित करने के लिए तैयार नहीं था और उसने भावी वार्ता के समय-निर्धारण की बात को जम्मू एवं कश्मीर की स्थिति के साथ जोड़ने का प्रयास किया जिसमें जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध तैनात सुरक्षा बलों का स्तर और जनमत संग्रह के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श शामिल है, जिसे सरकार ने निरन्तर अस्वीकार्य माना है।

विदेश सचिव स्तर की बातचीत के बाद से पाकिस्तान भारत के विरुद्ध अति उत्तेजनात्मक प्रोपेगेन्डा में लगा हुआ है और उसने जम्मू एवं कश्मीर के मसले को अन्तर्राष्ट्रीय मसला बनाने के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। इससे संबंधों का वातावरण बिगड़ा है और द्विपक्षीय प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

महानगरों में टेलीफोन

*69. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए बड़ी संख्या में लोग प्रतीक्षा-सूची में हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक महानगर के बारे में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन लोगों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन अपलब्ध करा दिये जायेंगे; और

(घ) महानगरों में टेलीफोन कनेक्शन शीघ्र दिये जाने अेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) 31.12.93 की स्थिति के अनुसार चार महानगरों की प्रतीक्षा-सूची के ब्यौरे नीचे दिये हैं :

1.	कलकत्ता	-	69,181
2.	मद्रास	-	1,03,475
3.	दिल्ली	-	3,43,869
4.	बंबई	-	1,88,121

(ग) और (घ). आठवीं योजना उद्देश्य के अनुसार, बड़ी टेलीफोन प्रणाली में, आठवीं योजना अवधि (92-97) के अंत तक टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा अवधि को घटाकर दो वर्ष से कम किया जाना है। तदनुसार, चार महानगरों में एक्सचेंजों के विस्तार की योजनाएं बनाई जा रही हैं। चार महानगरों में 1993-94 के दौरान टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य नीचे दिया है :

कलकत्ता	-	34200
मद्रास	-	33200
दिल्ली	-	76600
बंबई	-	42800

क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड

*70. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों को परस्पर जोड़ने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं और लाभ क्या हैं; और

(ग) यह योजना कब तक कार्यान्वित कर दी जाएगी?

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम समुपयोजन किए जाने के लिए राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड स्थापित किए जाने से संबंधित सरकार की नीति के अनुसरण में उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्र की विन्ध्याचल उच्च वोल्टता डारेक्ट करंट (एच.वी.डी.सी.) बैक-टू-बैक परियोजना के जरिए पहले ही जोड़ा जा चुका है। एक अन्य एच.वी.डी.सी. बैक-टू-बैक चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) जिसके द्वारा पश्चिमी एवं दक्षिण क्षेत्र को जोड़ा जा रहा है, इसको सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सरकार के विचाराधीन ऐसी अन्य स्कीमों में, 1x500 मे.वा. जाणोर-गजुवाका

एच.वी.डी.सी. बैक-टू-बैक लिंक जिसके द्वारा पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा और 1x500 मेगावाट एच.वी.डी.सी. बैक-टू-बैक अन्तःक्षेत्रीय लिंक जिसके द्वारा पूर्वी एवं उत्तरी क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा, शामिल हैं।

(ख) एच.वी.डी.सी. बैक-टू-बैक अन्तः कनैक्शनों की प्रमुख विशेषताओं में, विभिन्न वोल्टता तथा आवर्तिता स्तर वाले क्षेत्रों में विद्युत का आदान-प्रदान किया जाना ताकि उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम समुपयोजन किया जा सके एवं आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान सहायता उपलब्ध कराने समेत विद्युत प्रणालियों की अधिक सुरक्षा/स्थिरता सुनिश्चित की जा सके, शामिल हैं।

(ग) मुख्य उपस्करों के लिए ठेका दिए जाने की तारीख से एच.वी.डी.सी. परियोजनाओं की निर्माण अवधि लगभग 4 वर्ष होती है।

पासपोर्ट कार्यालय

[हिन्दी]

*71. **श्री काशीराम राणा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यभार के युक्तिकरण तथा भौगोलिक क्षेत्र वितरण के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस सर्वेक्षण का निष्कर्ष यह था कि पासपोर्ट जारी करने की सम्पूर्ण प्रणाली की समीक्षा किए जाने तक कार्यभार के अनुसार पदों का अपेक्षाकृत संतुलित वितरण करके इसे युक्तिसंगत बनाया जा सकता है और ऐसा कर लिया गया है। सरकार ने वर्तमान पासपोर्ट कार्यालयों को सुदृढ़ करके कार्य-निष्पादन में वृद्धि करने तथा विलम्ब को समाप्त करने पर भी ध्यान दिया है। ऐसा स्टाफ क्षमता बढ़ाकर, कार्य करने की परिस्थितियों को बेहतर बनाकर, पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट पुस्तिकाओं तथा आधुनिक कार्यालय, उपकरणों की आपूर्ति करके प्रक्रियाओं का सरलीकरण करके तथा कार्य-निष्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना लागू करके किया गया है।

विवरण

विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पासपोर्ट कार्यालयों के कर्मचारियों की संख्या तथा उनका भौगोलिक वितरण इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि कार्यभार को युक्तिसंगत बनाया जा सके। इस उद्देश्य से समीक्षा करने के लिए देश भर में पासपोर्टों की मांग का जिलेवार सर्वेक्षण करने की आवश्यकता थी। 16 पासपोर्ट कार्यालयों के सम्बन्ध में यह

सर्वेक्षण कर लिया गया है। 5 अपेक्षाकृत छोटे कार्यालयों तथा दिल्ली स्थित पासपोर्ट कार्यालय में यह सर्वेक्षण आवश्यक नहीं है।

2. जिन 16 पासपोर्ट कार्यालयों के सम्बन्ध में मांग से सम्बन्धित जिलावार सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है उनके बारे में निम्नलिखित सूचना अनुबंध "क" पर दी गई है।

(क) वर्ष 1992 के दौरान नए पासपोर्टों के लिए प्राप्त आवेदनपत्र की संख्या;

(ख) 16 पासपोर्ट कार्यालयों में प्रत्येक के अन्तर्गत पांच ऐसे जिले जहां से वर्ष 1992 के दौरान सबसे अधिक संख्या में नए पासपोर्टों के लिए आवेदनपत्र प्राप्त हुए; तथा

(ग) 16 पासपोर्ट कार्यालयों के संबंध में 1992 तथा जनवरी-अप्रैल 1993 में नए पासपोर्टों के लिए प्राप्त आवेदनपत्रों की जिलावार संख्या।

3. इस समय भारत में 22 पासपोर्ट कार्यालय हैं जिन्हें वर्ष 1992 के दौरान नए पासपोर्टों के लिए 24.72 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनपत्रों के आधार पर पासपोर्ट कार्यालयों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता था :

(क) वे पासपोर्ट कार्यालय जिन्हें 1 वर्ष $1^1/_2$ लाख से अधिक आवेदनपत्र प्राप्त हुए। निम्नलिखित पासपोर्ट कार्यालय इस वर्ग में आते हैं। (प्रत्येक कार्यालय के सामने 1992 में प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या दी गई है) :

बम्बई	259374
कोजीकोड	235223
हैदराबाद	212635
त्रिची	181215
कोचिन	179871
त्रिवेन्द्रम	157316

(ख) माध्यम आकार के पासपोर्ट कार्यालय, जिन्हें लगभग 1 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए:

1.	दिल्ली	143812
2.	मद्रास	141194
3.	अहमदाबाद	133283
4.	लखनऊ	130861
5.	जालंधर	112179
6.	जयपुर	109886
7.	बंगलौर	104871
8.	चण्डीगढ़	100565

9.	बरेली	75484
10.	कलकत्ता	60319
11.	पटना	41614

(ग) छोटे पासपोर्ट कार्यालय, जिनमें 1992 के दौरान वर्ष में 50,000 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए :

1.	भोपाल	27713
2.	पणजी	20137
3.	नागपुर	13893
4.	भुवनेश्वर	12808
5.	गोहाटी	8176

सामान्य : पासपोर्ट कार्यालय का स्थान कई बातों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे राज्य का आकार, पासपोर्ट कार्यालय से फासला, पासपोर्टों के लिए मांग, पासपोर्ट धारक की सुविधा तथा जन-सेवाएं आदि। यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण बात है कि किसी एक क्षेत्र से कितने आवेदनपत्र प्राप्त होते हैं तथापि किसी भी पासपोर्ट कार्यालय का स्थान निर्धारण करने के लिए यह एकमात्र आधार नहीं हो सकता। इसका उदाहरण गोहाटी स्थित पासपोर्ट कार्यालय है जिसे 1992 में नए पासपोर्टों के लिए केवल, 8,175 आवेदनपत्र प्राप्त हुए तथापि इस बात को देखते हुए कि इस पासपोर्ट कार्यालय को असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम तथा अरूणाचल प्रदेश पासपोर्ट के लिए आवेदनपत्र प्राप्त होते हैं और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में एकमात्र यही पासपोर्ट कार्यालय है। इस पासपोर्ट कार्यालय द्वारा सेवित पासपोर्ट आवेदकों की कम संख्या के बावजूद इसका इस स्थान पर होना पूर्णतया उचित है। केरल में पासपोर्ट आवेदकों की संख्या सबसे अधिक है, 1992 के दौरान केरल से नए पासपोर्टों के लिए 5,72,510 आवेदनपत्र प्राप्त हुए वहां 3 पासपोर्ट कार्यालय हैं जो कोजीकोड, कोचिन और त्रिवेन्द्रम में स्थित हैं। पासपोर्ट आवेदनों की संख्या के आधार पर महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। जहां इसी अवधि के दौरान नए पासपोर्टों के लिए 2,73,207 आवेदनपत्र प्राप्त हुए।

वित्त मंत्रालय के स्टाफ निरीक्षण एकक ने हाल ही में कुछ पासपोर्ट कार्यालयों का अध्ययन करने के पश्चात यह सुझाव दिया है कि अगर किसी स्थान पर एक वर्ष में पासपोर्ट आवेदनों की संख्या 50,000 से कम है तो वहां अलग से पासपोर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। इस मानदंड के आधार पर इसने सुझाव दिया है कि भोपाल, भुवनेश्वर, नागपुर, गोहाटी, पणजी स्थित पासपोर्ट कार्यालयों को स्वतंत्र कार्यालयों के रूप में काम करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि इन सभी स्थानों पर एक सम्पर्क कार्य स्थापित किया जाना चाहिए जैसा कि शिमला में है।

निष्कर्ष : इन आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकांश मौजूदा पासपोर्ट कार्यालय उन शहरों में स्थित हैं जहां आवेदनपत्रों की संख्या सबसे अधिक है। औसत के आधार पर संतुलन कायम करने से जनता का पूरी तरह से हित साधान नहीं होगा क्योंकि इसके परिणामस्वरूप कुछ राज्य ऐसे हो जायेंगे जहां एक ही कार्यालय नहीं होगा। अतः कार्यालयों का पुनः वितरण करने के स्थान पर कार्यभार

के आधार पर कार्मिकों का वितरण किया गया है और ऐसा करते समय इसमें एक राज्य को एक यूनिट के रूप में लिया गया है। ताकि पासपोर्ट कार्यालयों तथा स्थानीय एवं राज्य के प्राधिकारियों के बीच समन्वय सुविधाजनक बन सके। उदाहरण के तौर पर नागपुर स्थित पासपोर्ट कार्यालय हैदराबाद स्थित पासपोर्ट कार्यालय का कार्यभार कम करने के लिए आन्ध्र प्रदेश के कुछ पड़ौसी जिलों के लिए कार्य करना आरम्भ कर सकता है। चूंकि कुछ रिपोर्टें ऐसी होती हैं जो राज्य एवं स्थानीय प्राधिकारियों से मंगानी ही पड़ती हैं अतः दोनों राज्यों में विभिन्न एजेंसियों से सम्पर्क में रहने वाले इन कार्यालयों की कार्य कुशलता प्रभावित हो सकती है। अतः कार्यभार के आधार पर क्षेत्रीय दृष्टिकोण उस स्थिति में अपनाया जाता है जहां आवेदन पत्रों की संख्या वाकई काफी कम होती है। तथापि इस समस्त प्रणाली की समीक्षा की आवश्यकता है। यह समीक्षा की जा रही है।

विदेश मंत्रालय कार्य में होने वाले विलम्ब को समाप्त करने के लिए वर्तमान कार्यालयों को सुदृढ़ कर रहा है। ऐसा स्टाफ क्षमता बढ़ा कर कार्य परिस्थितियों में सुधार करके, पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट पुस्तिकाओं तथा आधुनिक कार्यालय उपकरणों की आपूर्ति करके, पासपोर्ट कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण करके तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण करके किया जा रहा है। जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या से पता चलता है कि 1991 की तुलना में वर्ष 1992 में इसमें 40% की वृद्धि हुई है। 1993 के आकड़ों से भी और वृद्धि का संकेत मिलता है। मंत्रालय का अनुभव यह रहा है कि केवल नये कार्यालय खोलने से सेवाएं बेहतर नहीं बनाई जा सकती। इसके लिए जरूरी है कि आवश्यक आधारभूत संरचना तथा कार्मिक मुहैया कराये जायें। मौजूदा पासपोर्ट कार्यालयों का विभाजन करने से और समस्याएं ही उत्पन्न होंगी क्योंकि मौजूदा कार्यालय स्वयं ही सेवाओं संबंधी वर्तमान मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। अतः इस समय कोशिश इस बात का सुनिश्चय करने की की जा रही है कि बकाया आवेदन पत्रों का निपटान किया जाए तथा जनता को पासपोर्ट सेवाएं हासिल करने में जिस विलम्ब का सामना करना पड़ रहा है उसे कम से कम किया जाए। स्टाफ प्रशिक्षण, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, जनता में जानकारी का विस्तार ऐसे तीन प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर इसके बाद ध्यान देने की आवश्यकता होगी और इसके साथ ही पासपोर्टों में धांधले तथा धोखाधड़ी को खत्म करने के उपाय भी किए जायेंगे।

अनुबंध 'क'

पासपोर्ट कार्यालय–अहमदाबाद

(क) 1992 में नए पासपोर्टों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या - 1,33,293

(ख) पांच जिलों के नाम जिसमें 1992 के दौरान सबसे अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

अहमदाबाद	-	20502
सूरत	-	15168
खेड़ा	-	15070
बलसाद	-	12839
बड़ौदा	-	11719

(ग) वर्ष 1992 और जनवरी अप्रैल, 1993 के दौरान प्राप्त पासपोर्ट आवेदन-पत्रों का जिला-वार वितरण।

जिले का नाम	वर्ष 1992 के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	जनवरी-अप्रैल, 1993 तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
राजकोट	5707	2366
बड़ौदा	11719	4951
सूरत	15168	4749
अहमदाबाद	20502	6352
जामनगर	6476	1886
जूनागढ़	4453	991
अमरेली	1438	204
पोरबंदर	4176	1146
भावनगर	2509	451
कच्छ	9197	2503
सबरकांथा	2048	443
बनासकांथा	1972	414
मेहसाना	5442	1463
पाटन	2073	526
खेड़ा	15070	3149
गांधीनगर	1262	2623
सुरेन्द्र नगर	679	196
पंचमहल	2293	737
भड़ौंच	7365	2184
वलसाद	12839	3960
डांग	142	32
दीव	493	144

पासपोर्ट कार्यालय–बरेली

(क) 1992 में नए पासपोर्टों के लिए प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या - 75484

(ख) पांच जिलों के नाम जिसमें 1992 के दौरान सबसे अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त हुए।

मुरादाबाद	11062
बिजनौर	10751
मुजफ्फरनगर	8054
मेरठ	7167
सहारनपुर	5679

टिप्पणी : यह महत्वपूर्ण है कि वर्ष 1992 के दौरान बरेली जिले से नए पासपोर्टों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या केवल 3013 थी।

(ग) वर्ष 1992 और जनवरी-अप्रैल, 1993 के दौरान प्राप्त पासपोर्ट आवेदन पत्रों का जिला-वार वितरण।

जिले का नाम	वर्ष 1992 के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	जनवरी-अप्रैल, 1993 के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
अल्मोड़ा	142	39
आगरा	2100	756
अलीगढ़	2593	803
बदायूं	852	197
बिजनौर	10751	3481
बरेली	3013	900
बुलंदशहर	3921	1374
चमोली	20	7
देहरादून	1809	507
एटा	622	192
फिरोजाबाद	1130	355

1	2	3
गाजियाबाद	4135	1297
हरिद्वार	1065	390
मैनपुरी	108	60
मथुरा	1538	551
मुजफ्फरनगर	8054	2401
मुरादाबाद	11062	3095
मेरठ	7167	2401
नैनीताल	2000	699
पौड़ी गढ़वाल	135	40
पिथौरागढ़	55	13
पीलीभीर+पीलीभीत	956	267
शाहजहांपुर	1078	393
सहारनपुर	5679	2055
रामपुर	5394	1701
टिहरी गढ़वाल	66	19
उत्तर काशी	55	7

पासपोर्ट कार्यालय–बम्बई

(क) 1992 में नए पासपोर्टों के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या - 259374

(ख) उन पांच जिलों के नाम जिनमें 1992 के दौरान सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए -

बम्बई	-	189951
थाणे	-	32403
पुणे	-	17250
नासिक	-	3681
रायगढ़	-	3651

(ग) वर्ष 1992 और जनवरी-अप्रैल, 1993 के दौरान प्राप्त पासपोर्ट आवेदनपत्रों का जिलावार वितरण ।

जिले का नाम	वर्ष 1992 के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या	जनवरी-अप्रैल, 1993 तक प्राप्त ओवदनों की संख्या
अहमदनगर	1094	284
औरंगाबाद	1653	258
बीड	416	86
बम्बई	1899	51
धूले	567	124
जलगांव	694	136
कोल्हापुर	1176	395
नासिक	3681	697
पुणे	17250	4766
राजगढ़	3651	1117
रत्नागिरि	3102	1009
सांगली	1047	294
सतारा	915	247
सिंधुदुर्ग	288	65
शोलापुर	1486	348
थाणे	32403	9318

पासपोर्ट कार्यालय–बंगलौर

(क) 1992 में नए पासपोर्टों के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या - 104871

(ख) उन पांच जिलों के नाम जिनमें 1992 में सबसे अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए

बंगलौर - 42658

मंगलौर - 21763

------	-	3429
मैसूर	-	3323
तुन्कुर	-	2671

(ग) वर्ष 1992 और जनवरी-अप्रैल, 1993 के दौरान प्राप्त पासपोर्ट आवेदन पत्रों का जिलावार विवरण

जिले का नाम	वर्ष 1992 के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	जनवरी-अप्रैल, 1993 तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
बंगलौर	42658	
बिदर	1163	
बेल्लरी	1626	
बेलागांव	1633	
बीजापुर	1368	
चित्रदुर्ग	1443	
चिकमगलूर	1398	
धारवाड़	1832	
गुलबर्गा	3429	
हसन	1057	
करवार	2062	
कोलार	2381	
मंगलौर	21763	
मंड्या	684	
मरकारा	1628	
मैसूर	3323	
रायपुर	641	
शिमोगा	2197	
तुन्कुर	2671	

पासपोर्ट कार्यालय–कलकत्ता

(क) 1992 में नए पासपोर्टों के लिए प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या–60319

(ख) उन पांच जिलों के नाम जिनमें 1992 में सबसे अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

कलकत्ता	-	26200
24 परगना (उत्तर)	-	12355
24 परगना (दक्षिण)	-	9092
नादिया	-	3580
हावड़ा	-	2892

(ग) वर्ष 1992 और जनवरी-अप्रैल, 1993 के दौरान प्राप्त पासपोर्ट आवेदनपत्रों का जिला-वार वितरण

जिले का नाम	वर्ष 1992 के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	जनवरी-अप्रैल, 1993 तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
कलकत्ता	26200	7022
24 परगना (द)	9092	2558
24 परगना (उ)	12335	3459
हावड़ा	2892	1646
बीरभूम	336	110
नादिया	3850	1740
हुगली	1872	884
मिदनापोर	1988	455
मुर्शिदाबाद	2272	557
पुरूला	35	18
बांकुरा	54	35
सिक्किम	82	32
जलपाईगुड़ी	60	36

1	2	3
दार्जिलिंग	352	197
मालदा	90	40
प. दीनाजपुर	53	35
बर्दवान	1052	571
त्रिपुरा	72	34
कूच बिहार	22	27

पासपोर्ट कार्यालय–कोचिन

(क) 1992 में नए पासपोर्टों के लिए आवेदन पत्रों की संख्या – 179871

(ख) उन पांच जिलों के नाम जिनमें 1992 में सबसे अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए। पासपोर्ट कार्यालय, कोचिन का क्षेत्राधिकार 6 जिलों तक बढ़ा दिया गया। कृपया आवेदन पत्रों की संख्या के लिए नीचे (ग) में देखें।

(ग) वर्ष 1992 और जनवरी-अप्रैल 1993 के दौरान प्राप्त पासपोर्ट आवेदन पत्रों का जिला-वार वितरण

जिले का नाम	वर्ष 1992 में प्राप्त आवेदनों की संख्या	जनवरी-अप्रैल, 1993 तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
एर्नाकुलम	48949	16330
त्रिचुर	60110	16558
एल्लैपी	38689	11150
कोट्टायम	24310	6219
इड्डकी	7673	1945
लक्षद्वीप	140	28

पासपोर्ट कार्यालय–हैदराबाद

(क) 1992 में नए पासपोर्टों के लिए प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या – 212635

(ख) उन पांच जिलों के नाम जिनमें 1992 के दौरान सबसे अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

हैदराबाद	-	66000
कुड्डाप्पाह	-	25200
निजामाबाद	-	21600
करीमनगर	-	21600
चित्तौड़	-	8880

उपरोक्त आंकड़े आवेदन पत्रों की साप्ताहिक औसत संख्या के आधार पर बताए गए हैं।

(ग) नए पासपोर्टों के लिए आवेदन पत्रों की औसत साप्ताहिक संख्या

जिले का नाम	
रंगा रेड्डी	140
आदिलाबाद	15
निजामाबाद	450
करीमनगर	450
मेडक	55
वारंगल	55
हैदराबाद	1375
नलगोंदा	85
खम्माम	10
महबूबनगर	100
कुरनूल	10
श्रीकाकुलम	35
विजियानगरम	05
विशाखापत्तनम	70
पूर्वी गोदावरी	80
पश्चिमी गोदावरी	120

कृष्णा	45
गुन्टूर	70
प्रकाशम	10
अनन्तपुर	30
कुड्डाप्पाह	525
नेल्लौर	150
चित्तूर	185

पासपोर्ट कार्यालय–जालंधर

(क) 1992 में नए पासपोर्टों के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या – 112179

(ख) उन पांच जिलों के नाम जिनमें 1992 में सबसे अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए। क्षेत्राधिकार केवल 5 जिलों तक बढ़ा दिया गया। कृपया नीचे (ग) में आंकड़े देखें।

(ग) वर्ष 1992 और जनवरी-अप्रैल, 1993 के दौरान प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों का जिलेवार-वितरण

जिले का नाम	1992 में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	जनवरी-अप्रैल, 1993 तक प्राप्त आवेदनों की संख्या
जालंधर	49544	13711
कपूरथला	15756	3969
होशियारपुर	16908	4653
अमृतसर	13108	4695
गुरदासपुर	8593	2148

पासपोर्ट कार्यालय–कोजीकोड़

(क) 1992 में नए पासपोर्टों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या – 235223

(ख) उन पांच जिलों के नाम जिनमें 1992 में सबसे अधिक आवेदनपत्र प्राप्त हुए।

मलाप्पुरम	-	115654
कोजीकोड़	-	46543
कन्नूर	-	31987
पालाक्कड़	-	31548
कासरगॉड	-	9609

(ग) वर्ष 1992 और जनवरी-अप्रैल, 1993 के दौरान प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों का जिला-वार वितरण।

जिले का नाम	1992 के दौरान आवेदन पत्रों की संख्या	जनवरी-अप्रैल, 1993 तक प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या
मालाप्पुरम	115654	11105
कोजीकोड़	46543	6787
कन्नूर	31987	5470
पालाक्कड़	31548	4710
कासरगॉड	9609	1920
यानाड	4643	860
माहे	501	80

पासपोर्ट कार्यालय–लखनऊ

(क) 1992 में नए पासपोर्ट के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या – 130861

(ख) उन पांच जिलों के नाम जिनमें 1992 के दौरान सबसे अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

आजमगढ़	-	18211
लखनऊ	-	14300
गोरखपुर	-	11235
देवरिया	-	10550
इलाहाबाद	-	8470

(ग) वर्ष 1992 के और जनवरी-अप्रैल, 1993 के दौरान प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों का जिला-वार वितरण।

जिले का नाम	1992 के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	जनवरी से अप्रैल, 1993 तक प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
इलाहाबाद	8470	1780
आजमगढ़	18211	3100
बाराबंकी	4727	2020
बलिया	1510	1700
बस्ती	2610	1220
बांदा	401	90
बहराइच	1873	Nil
देवरिया	10550	5020
इटावा	316	180
फैजाबाद	2705	1700
फतेहपुर	2050	990
फर्रुखाबाद	579	160
गोरखपुर	11235	2060
गोंडा	3435	2300
गाजीपुर	1757	600
हमीरपुर	522	170
हरदोई	1017	200
जौनपुर	4880	2400
जालौन	82	100
झांसी	370	80
कानपुर	6985	2030

1	2	3
लखनऊ	14300	4100
ललितपुर	320	10
लखीमपुर खीरी	719	800
मऊ	5300	1250
मिर्जापुर	779	150
महाराजगंज	3863	2060
प्रतापगढ़	1350	1050
रायबरेली	1690	1200
सीतापुर	2130	1130
सुल्तानपुर	2013	1326
सिद्धार्थनगर	1360	1100
सोनभद्र	332	450
उन्नाव	2450	2000
वाराणसी	4570	850

पासपोर्ट कार्यालय–मद्रास

(क) 1992 में नए पासपोर्टों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या – 141194

(ख) उन पांच जिलों के नाम जिनमें 1992 के दौरान सबसे अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

मद्रास	-	50793
दक्षिण आरकोट	-	26711
चिंगलपुट	-	23433
उत्तरी आरकोट	-	11048
कोयम्बटूर	-	7614

(ग) वर्ष 1992 और जनवरी-अप्रैल, 1993 के दौरान प्राप्त आवेदनों का जिला-वार वितरण।

ज़िले का नाम	1992 के दौरान प्राप्त आवेदन-पत्र	जनवरी से अप्रैल, 1993 तक प्राप्त आवेदन पत्र
मद्रास	50793	20160
उत्तरी आरकोट	11048	2633
सेलम	5891	2131
चिंगलपुट	23433	9609
दक्षिण आरकोट	26711	9002
कोयम्बटूर	7614	3639
नीलगिरि	2698	844
धर्मपुरी	1916	799
पेरीयार	1432	817
पांडिचेरी	4164	1735
कराईकल	1232	476

पासपोर्ट कार्यालय–त्रिवेन्द्रम

(क) 1992 में नए पासपोर्टों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या – 157316

(ख) उन पांच जिलों के नाम जिनमें 1992 के दौरान सबसे अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए इनके क्षेत्राधिकार में केवल 3 जिले आते है। कृपया (ग) के अन्तर्गत आंकड़ें देखें।

(ग) वर्ष 1992 और जनवरी-अप्रैल, 1993 के दौरान प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों का जिला-वार वितरण।

जिले का नाम	1992 के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या	जनवरी-अप्रैल, 1993 तक प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या
त्रिवेन्द्रम	76754	21659
क्वीलोन	56390	15912
पट्टनमथित्ता	23496	6631

पासपोर्ट कार्यालय-त्रिची

(क) 1992 में नए पासपोर्टों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या – 180690

(ख) उन पांच जिलों के नाम जिनमें 1992 के दौरान सबसे अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

तिरूचिरापल्ली	-	34102
नगाईक्वेड मिल्लेठ	-	26546
तंजौर पश्चिम	-	24847
कन्याकुमारी	-	22325
रामनाथपुरम	-	16899

(ग) वर्ष 1992 और जनवरी-अप्रैल, 1993 के दौरान प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों का जिले-वार वितरण।

जिले का नाम	1992 के दौरान प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या	जनवरी से अप्रैल, 1993 तक प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या
तंजौर पश्चिम	24847	9139
नगाईक्वेडमिलेथ	26546	8879
रामनाथपुरम	16899	5643
पान मुथुरामलिंगम	12900	5868
कामराजर	4152	1763
तिरूचिरापल्ली	34102	11161
मदुरै (शहर)	5588	2184
मदुरै (ग्राम)	4139	2088
अन्ना (दिंदीगल जिला)	2837	935
तिरूनेलवल्ली	10615	3956
वी.ओ. चित्रम्परमार	4510	2266
पडूकोट्टई	11230	5139
कन्याकुमारी	22325	7031

पासपोर्ट कार्यालय–पटना

(क) 1992 में नए पासपोर्टों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या – 52524

(ख) उन पांच जिलों के नाम जिनमें 1992 के दौरान सबसे अधिक आवेदनपत्र प्राप्त हुए

गोपालगंज	-	11862
सिवान	-	11704
पटना	-	3097
दरभंगा	-	3088
जमशेदपुर	-	2676

(ग) वर्ष 1992 और जनवरी-मार्च, 1993 के दौरान प्राप्त पासपोर्ट आवेदन पत्रों का जिला-वार वितरण।

जिले का नाम	1992 के दौरान प्राप्त आवेदनपत्र	1.1.93 से 31.3.93 तक प्राप्त आवेदन पत्र
1. सिवान	11704	3342
2. गोपालगंज	11862	3308
3. जमशेदपुर	2676	1060
4. पटना	3097	1106
5. दरभंगा	3088	1042
6. रांची	2570	560
7. प. सिंहभूम	218	192
8. मधुबनी	2548	204
9. पू. सिंहभूम	1605	66
10. धनबाद	2018	62
11. सरन	1157	42
12. भोजपुर	1068	46
13. बक्सर	178	26

1 2	3	4
14. अरारिया	166	12
15. बांका	142	9
16. देवधर	132	9
17. जमूई	130	11
18. समस्तिपुर	102	18
19. स्पूपॉल	45	8
20. गुमला	63	6
21. गरवा	42	7
22. रोहतास	68	6
23. कटिहार	166	9
24. गोंडा	48	7
25. पलामू	106	13
26. दुमका	62	9
27. किशनगंज	148	27
28. पुरेनिया	136	17
29. पू. चम्पारन	542	68
30. प. चम्पारन	531	42
31. मुजफ्फरनगर	540	56
32. वैशाली	521	48
33. सीताम्भी	478	38
34. नालंदा	433	32
35. गया	280	27
36. बोकारो	288	29

1 2	3	4
37. जेहनाबाद	210	22
38. सहरसा	188	18
39. भागलपुर	244	23
40. मुंगेर	192	17
41. बेगुसराय	142	14
42. गिरीडीह	142	14
43. लोहारडागा	60	8
44. छप्परा	20	3
45. माधेपुर	20	7
46. साहेबगंज	72	11
47. नवादा	560	105
48. बहाबऊ	78	13
49. औरंगाबाद	482	104

पासपोर्ट कार्यालय–जयपुर

(क) 1992 में नए पासपोर्टों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या – 109886

(ख) उन पांच जिलों के नाम जिनमें 1992 के दौरान सबसे अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

जयपुर	-	16955
सीकर	-	16889
झुनझूनु	-	12593
चुरू	-	10912
नागौर	-	9373

(ग) 1992 के दौरान प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों का जिला-वार वितरण।

	जिले का नाम	1992 के दौरान प्राप्त आवेदन-पत्र
1.	जयपुर	16955
2.	सीकर	16889
3.	झुनझुनु	12593
4.	चुरू	10912
5.	नागौर	9373
6.	अजमेर	5780
7.	डंगरपुर	5538
8.	उदयपुर	5351
9.	जोधपुर	4582
10.	बांसवाड़ा	4037
11.	श्री गंगानगर	3450
12.	कोटा	1956
13.	अलवर	1429
14.	टोंक	1220
15.	बाडमेर	1209
16.	सवाई माधोपुर	1165
17.	बीकानेर	1140
18.	चित्तौड़गढ़	934
19.	भीलवाड़ा	846
20.	पाली	703
21.	झालावाड़	560
22.	राजसंमद	549

	जिले का नाम	1992 के दौरान प्राप्त आवेदन-पत्र
23.	भरतपुर	538
24.	जैसलमेर	505
25.	दौसा	462
26.	सिरोही	429
27.	बूंदी	330
28.	धौलपुर	198
29.	बाबान	165
30.	जालौर	88

पासपोर्ट कार्यालय–चण्डीगढ़

(क) 1992 में नए पासपोर्टों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या – 101092

(ख) उन पांच जिलों के नाम जिनमें 1992 में सबसे अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त हुए।

लुधियाना	-	21904
फरीदकोट	-	10057
चण्डीगढ़	-	8194
फिरोजपुर	-	7099
पटियाला	-	6124

(ग) वर्ष 1992 और जनवरी-जून, 1993 के दौरान प्राप्त आवेदनों का जिला-वार वितरण।

	जिले का नाम	1992 के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	जनवरी से जून, 93 तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
पंजाब			
1.	लुधियाना	21904	9356
2.	फरीदकोट	10057	3793
3.	फिरोजपुर	7099	3042

	1	2	3
4.	पटियाला	6124	2865
5.	रोपड़	5675	2497
6.	संगरूर	4511	2140
7.	फतेहगढ़ साहिब	3486	1196
8.	मंसा	2717	1183
9.	भटिण्डा	3004	1392
हरियाणा			
1.	फरीदकोट	3667	1640
2.	कुरूक्षेत्र	2706	1133
3.	गुड़गांव	2663	1055
4.	अम्बाला	2507	955
5.	यमुनानगर	1868	736
6.	सिरसा	1551	644
7.	हिसार	1389	513
8.	रोहतक	1266	475
9.	पानीपत	1178	466
10.	करनाल	1144	454
11.	जींद	987	386
12.	कैथल	749	308
13.	सोनीपत	598	219
14.	भिवानी	467	168
15.	रिवाड़ी	403	148
16.	महेन्द्रगढ़	412	161

1		2	3
चण्डीगढ़			
1.	चण्डीगढ़	8194	3951
हिमाचल प्रदेश			
1.	ऊना	1639	740
2.	कांगड़ा	1361	609
3.	मंडी	699	312
4.	सोलन	336	150
5.	हमीरपुर	197	95
6.	सिरमौर	109	47
7.	शिमला	221	103
8.	बिलासपुर	80	30
9.	चम्बा	59	32
10.	नाहन	65	29

[अनुवाद]

फाइनेन्शल टाइम्स का आनन्द बाजार समूह के साथ सहयोग

*72. **श्री रवि राय** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंदन के "फाइनेन्शल टाइम्स" ने आनन्द बाजार पत्रिका समूह के साथ सहयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दोनों समचार-पत्रों ने भारत में एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस कंपनी ने अपने प्रकाशन शीघ्र शुरू करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). एक वित्तीय दैनिक समाचारपत्र के प्रकाशन हेतु आनन्द बाजार पत्रिका लिमिटेड और फाइनेंशियल टाइम्स लिमिटेड, यू.के. के बीच एक संयुक्त क्षेत्र कंपनी "दा फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार की कंपनी की स्थापना के लिए सरकार द्वारा अभी अनुमति नहीं दी गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह

*73. **श्री अन्ना जोशी** :

डा. लाल बहादुर रावल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कलकत्ता में 25वां अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ग) समारोह पर कुल कितना व्यय किया गया और इससे कितनी आय हुई;

(घ) क्या समारोह की विभिन्न कमियों के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भविष्य में ऐसी कमियां न हों, इसके लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, हां। यह 10-20 जनवरी, 1994 के दौरान आयोजित किया गया था।

(ख) समारोह में भाग लेने वाले देशों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सरकार ने इस समारोह के लिए 115 लाख रुपये का व्यय स्वीकृत किया था। 24.2.94 तक 76.62 लाख रुपये की राशि के बिल प्राप्त हुए हैं जिनका निपटान किया जा चुका है। समारोह के टिकटों एवं प्रकाशनों की बिक्री से अर्जित राजस्व 20,81,003 रुपये था।

(घ) से (च). प्रत्येक महत्वपूर्ण संगठनात्मक आयोजन के बाद सरकार द्वारा एक समीक्षा की जाती है ताकि और सुधार किए जा सकें। सुधार एक सतत प्रक्रिया है और पूर्व समारोहों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आगामी समारोहों में उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

विवरण

भाग लेने वाले देशों की सूची		भाग लेने वाले देशों की सूची	
1.	अर्जेंटीना	21.	इटली
2.	अर्मेनिया	22.	जापान
3.	आस्ट्रेलिया	23.	दक्षिण अफ्रीका
4.	बेल्जियम	24.	लिथुआनिया
5.	कनाड़ा	25.	मेक्सिको
6.	चीन	26.	मंगोलिया
7.	डेनमार्क	27.	नीदरलैण्ड्स
8.	इजिप्त	28.	न्यूजीलैण्ड
9.	एस्टोनिया	29.	नाइजीरिया
10.	फिनलैण्ड	30.	नार्वे
11.	फ्रांस	31.	फिलीपाइन्स
12.	जर्मनी	32.	पोलैण्ड
13.	घाना	33.	पुर्तगाल
14.	ग्रीस	34.	स्पेन
15.	हांग-कांग	35.	श्री लंका
16.	हंगरी	36.	स्वीडन
17.	भारत	37.	स्विट्जरलैण्ड
18.	इंडोनेशिया	38.	थाईलैण्ड
19.	ईरान	39.	यू.के.
20.	इज़राईल	40.	यू.एस.ए.

[हिन्दी]

पाकिस्तान को भेजे गये प्रस्ताव

*74. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** :

प्रो. प्रेम धूमल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने द्विपक्षीय मामलों के संबंध में पाकिस्तान को कई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इन पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारत-पाक संयुक्त आयोग और विश्वास बढ़ाने संबंधी उपायों को पुनः सक्रिय करने की प्रक्रिया इस समय किस चरण में हैं?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). 24 जनवरी, 1994 को सियाचिन, सरक्रीक, तुलबल नौवहन परियोजना, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और अमन कायम करने, अतिरिक्त विश्वास उत्पन्न करने के उपाय तथा भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग से संबंधित छह सुझाव पाकिस्तान को दिए थे।

सरकार ने इन विषयों पर विशेष तथा रचनात्मक सुझाव इस उद्देश्य से भेजे हैं कि पाकिस्तान के साथ मतभेदों को शांतिपूर्ण तथा द्विपक्षीय वार्ताओं के जरिए सुलझाया जा सके और इसके साथ ही शिमला समझौते के अन्तर्गत संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ा जा सके। पाकिस्तान ने 19 फरवरी 1994 को भारत द्वारा भेजे गए सभी छह सुझावों के संबंध में अपनी टिप्पणियां तथा उनके जवाब में अपने सुझाव भेजे हैं जिनमें भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग तथा विश्वास उत्पन्न करने वाले अतिरिक्त उपाय भी शामिल हैं। ये सरकार के विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

प्रसार भारती अधिनियम, 1990

*75. **श्री चित्त बसु** :

श्री बीर सिंह महतो :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 को अभी तक लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सरकार प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के परिचालन के समय आने वाले परिचालनात्मक कठिनाईयों को दूर करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम के लागू होने से पूर्व उसकी धारा 11(1), (11)2, 15(7) तथा 25 में संशोधन करने पर विचार कर रही है। तथापि, कोई लक्ष्य तिथि नहीं बताई जा सकती।

[हिन्दी]

लघु इस्पात संयंत्र

*76. **श्री गुमान मल लोढा** :

श्री नीतीश कुमार :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान देश में कई लघु इस्पात संयंत्रों को रुग्ण घोषित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे एककों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन इस्पात संयंत्रों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग). समय-समय पर यथा संशोधित रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस.आई.सी.ए.) में कुछ वित्तीय प्राचल विनिर्दिष्ट किए गए हैं जिनके तहत किसी औद्योगिक कंपनी को "रुग्ण औद्योगिक कंपनी" की श्रेणी में रखा जाता है। एस.आई.सी.ए. के इन उपबंधों के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) ने 1992-93 और 1993-94 के दौरान जनवरी, 1994 तक 8 विद्युत चाप भट्टी इकाइयों को रुग्ण घोषित कर दिया है। इनमें से एक इकाई को परिसमापन नोटिस जारी कर दिया गया है जबकि एस.आई.सी.ए. के उपबंधों के अनुसार बी.आई.एफ.आर. द्वारा शेष इकाइयों के मामले में कार्रवाई शुरू की जा रही है।

[अनुवाद]

कश्मीर के मामले के संबंध में पाकिस्तान का प्रचार

*77. **श्री सनत कुमार मंडल** :

श्री ताराचंद खंडेलवाल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की जेनेवा में हुई बैठक में कश्मीर का मामला उठाया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल की क्या प्रतिक्रिया थी?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के चालू सत्र में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि भारत जम्मू एवं कश्मीर के लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर दिया है कि मानवाधिकारों के पूर्ण प्रयोग का सुनिश्चय भारतीय राजनीतिक और प्रजातांत्रिक ढांचे, संविधान स्वतंत्र प्रैस और स्वाधीन न्यायपालिका द्वारा किया जाता है और पाकिस्तान द्वारा सीमा-पार प्रायोजित आतंकवाद भारत के जम्मू एवं कश्मीर राज्य में निर्दोष नागरिकों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी हैं।

[हिन्दी]

रेडियो टेलीफोन केन्द्र

*78. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दूर-दराज और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए रेडियो टेलीफोन केन्द्र स्थापित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो वे प्रत्येक राज्य में कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) क्या ये सभी केन्द्र सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। सरकार ने देश में दूर-दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में रेडियो टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना की है।

(ख) मौजूदा नीति के अनुसार, सरकार देश में प्रत्येक पंचायत ग्राम में टेलीफोन की व्यवस्था कर रही है। इसमें दूर-दराज के इलाके और पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल हैं। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए नीति विद्यमान है, लेकिन दूर-दराज के क्षेत्रों के बारे में कोई विशेष नीति अथवा परिभाषा नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों के स्थानों के राज्य-वार ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और इन्हें सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) कुछेक केन्द्र ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं।

(घ) इसका मुख्य कारण यह है कि पुरानी किस्म के कुछ उपस्कर खराब हो गए थे और जहां ये उपस्कर संस्थापित थे वे स्थान सुगम्य नहीं थे।

(ङ) इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) वाहन, स्टाफ, फालतू पुर्जे एवं परीक्षण-उपकरण जैसी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं नियमित रूप से प्रदान की जा रही हैं।

(ii) उपस्करों के कार्य-निष्पादन पर उचित नियंत्रण एवं निगरानी रखी जा रही है।

(iii) ग्रामीण नेटवर्क में नवीनतम प्रौद्योगिकी के रेडियो उपस्करों जैसा अधिक विश्वसनीय माध्यम अधिष्ठापित किया जा रहा है।

उजबेकिस्तान के राष्ट्रपति की यात्रा

*79. **श्रीमती भावना चिखलिया :**

श्री शरत चन्द्र पटनायक :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1994 में उजबेकिस्तान के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए थे;

(ख) यदि हां, तो भारतीय नेताओं के साथ उनकी बातचीत में किन-किन द्विपक्षीय विषयों पर विचार-विमर्श किया गया;

(ग) क्या उजबेकिस्तान के साथ सूचना और प्रसारण, जल-भूतल परिवहन और संचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कोई समझौते किए गये; और

(घ) यदि हां, तो इन समझौतों की मुख्य बातें क्या हैं?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय नेताओं के साथ क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की समीक्षा करने के अतिरिक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिक, संस्कृति और विशेषकर अर्थ-व्यवस्था तथा वाणिज्य के क्षेत्रों में संवर्धित सहयोग कुछ ऐसे द्विपक्षीय मसले थे जिन पर नई दिल्ली में उनकी बातचीत के दौरान विचार-विमर्श हुआ।

(ग) डाक, दूर-संचार, संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी और व्यापक आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग से संबद्ध पांच करारों, समझौता ज्ञापनों प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए गए। अन्तर-राज्यीय संबंध और सहयोग के सिद्धांतों के संबंध में भारत-उज्बेक संधि के अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया गया। सूचना एवं प्रसारण और भूतल परिवहन के क्षेत्रों में अलग से किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

(घ) आर्थिक सम्पर्क के विकास और व्यापक सहयोग को सुदृढ़ करने के संबंध में करार का उद्देश्य व्यापक आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाना है जिसमें संयुक्त उद्यम और निवेश संवर्धन, कार्मिकों का प्रशिक्षण, सूचना का आदान-प्रदान आदि शामिल है। डाक और संबद्ध मामलों के क्षेत्र में सहयोग संबंधी करार में डाक के शीघ्र और कारगर प्रेषण के संवर्धन, विशेषज्ञों के आदान-प्रदान प्रशिक्षण सुविधाओं और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की बात कही गई है। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक सहयोग संवर्धित करने के लिए भारत-उज्बेक केन्द्र की स्थापना संबंधी प्रोतोकोल में वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान

का प्रबंध करने, प्रशिक्षण के संवर्धन और वैज्ञानिक क्षेत्र में सूचना के आदान-प्रदान की व्यवस्था है। संस्कृति संबंधी करार में शिक्षा, कला, विज्ञान, खेल-कूद, युवा कार्यकलाप, मुद्रण एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया के क्षेत्रों में सहयोग का प्रावधान है। दूर-संचार संबंधी समझौता ज्ञापन में दूर-संचार के कारगर तरीकों और तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग के संवर्धन की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

उपग्रह चैनलों में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी

*80. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**

श्री गुरुदास कामत :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई सैटेलाइट टेलीविजन मैनेजमेंट स्कीम के अंतर्गत सरकार ने हाल ही में उपग्रह चैनल पर प्रसारण-अवधि के एक भाग का आवंटन गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस नई योजना का ब्यौरा क्या है और इस नीति में परिवर्तन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पांच उपग्रह चैनलों में गैर-सरकारी क्षेत्र की सीमित भागीदारी के लिये कोई दिशा-निर्देश निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख). जी, नहीं। इन चैनलों पर "पहले आओ, पहले पाओ" आधार पर समय स्लॉट्स के आवंटन की योजना को रद्द करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय में की गई टिप्पणियों के अनुपालन में समय स्लाटों की नीलामी के लिए दूरदर्शन के सैटेलाइट चैनलों पर केवल दस प्रतिशत समय उद्दिष्ट किया गया है। तथापि, वास्तविक नीलामी, उक्त निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में सरकार द्वारा की गई अपील पर निर्भर करेगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मालदीव में भारत द्वारा वित्तपोषित अस्पताल

635. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मालदीव की राजधानी माले में कई करोड़ की आधुनिक अस्पताल परियोजना को वित्तपोषित करने का उत्तरदायित्व लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितना खर्च आएगा;

(ग) यह अस्पताल कब तक खोल दिया जाएगा;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस अस्पताल के लिए प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मचारी भी प्रदान किए जाएंगे;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने मालदीव के राष्ट्रिकों को चिकित्सकीय एवं अन्य अर्द्ध-चिकित्सकीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने का भी उत्तरदायित्व लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस परियोजना पर 38.69 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।

(ग) 2 फरवरी, 1994 को आयोजित समारोह में, यह अस्पताल भारत सरकार की ओर से शहरी विकास मंत्री श्रीमती शीला कौल द्वारा मालदीव सरकार को सौंपा गया। इसको शुरू करने से संबंधित कार्य पूरा हो जाने पर, उम्मीद है कि यह अस्पताल जून, 1994 में कार्य करना आरम्भ कर देगा।

(घ) और (ङ). जी हां।

(च) दोनों सरकारों के बीच सम्पन्न समझौता ज्ञापन के अधीन, भारत-सरकार 127 चिकित्सकीय/अर्द्ध-चिकित्सकीय/तकनीकी कार्मिकों को माले में अस्पताल में नियुक्ति के लिए भेजेगी और 1991-1997 की अवधि के दौरान भारत में सम्बद्ध संस्थाओं में मालदीव के कुल 147 राष्ट्रिकों को प्रशिक्षण देने के लिए भी वचनबद्ध है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 को चौड़ा करना

636. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा और आगरा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को चार लेन वाले राजमार्ग बनाने के संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में प्राप्त विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिहवन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) मथुरा और आगरा के बीच राष्ट्रीय राज मार्ग सं. 2 को चौड़ा करके चार लेनों का बनाने से संबंधित परियोजना को अभी हाल ही में मंजूरी दे दी गयी है। इस पर कार्य अभी शुरू होना है।

(ख) ओवरसीज इकॉनामिक कॉ-आपरेशन फंड (जापान) इस परियोजना के लिए 4,855 मिलियन येन की ऋण सहायता उपलब्ध कराने पर सहमत हुआ है।

[अनुवाद]

भूकम्प-पीड़ितों को विदेश सहायता

637. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अक्तूबर, 1993 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर गया है जिसका संबंध संयुक्त अरब अमीरात एवं अन्य खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों द्वारा महाराष्ट्र के भूकम्प पीड़ितों को सहायता प्रदान करने की पेशकश से है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) इन भूकम्प पीड़ितों के लिए विदेशों से देश-वार कितनी और किस रूप में सहायता प्राप्त हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) खाड़ी के देशों में भारतीय समुदायों और संगठनों ने स्वैच्छिक रूप से धन एकत्र किया और जो भी सामग्री तथा धन एकत्र किया वे दान में दे दिया इनमें से अधिकांश दान उन देशों में स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से भिजवाए गए।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

15.2.94 तक प्राप्त सहायता और सहायता देने की पेशकश का विवरण

सूचना का स्त्रोत	निधि का स्त्रोत		राशि अमरीकी डालर में लगभग	अभ्युक्तियां		
				C	U	K
1	2		3	4	5	6
1. डी एच ए	यू.एन.एजेन्सी	डी एच ए	50000			
		यू एन डी पी	100000			
		यूनीसेफ	110000			
		डब्ल्यू एच ओ	50000			
	योग :-		310000	200000	--	110000
	बहुपक्षीय ई ई सी		564971			
	योग :-		564971	564971		
सरकारें		कनाडा	530302			
		फ्रांस	173722			

1	2	3	4	5	6
	इटली	312500			
	जापान	1946197			
	जापान	25000			
	लक्समबर्ग	285713			
	नीदरलैंड	1974470			
	नार्वे	443020			
	स्वीडन	425000			
	स्विटजरलैंड	145000			
	पाकिस्तान				
	यू.के.	1041788			
	यू.एस.ए.	3225000			
	बंगलादेश				
	सिंगापुर				
	आस्ट्रेलिया	333332			
	डेनमार्क	151515			
	योग	11312559	3558559	--	775000

1	2	3	4	5	6
	कारे	250000			
	करीतास	82600			
	आस्ट्रिया				
	कारीतास	176940			
	जर्मनी				
	सी आर एस				
	मेपीसा	57000			
	मेडिकस				
	सेकर	10000			
	पोपूलर				
	कोसी, फ्रांस				
	पास्टर इंस.				
	माओ इस.	275085			
	मेकर	85470			
	केथौलिक				
	फ्रांस				
	सेकर				

1	2	3	4	5	6
	वर्ल्ड विजन	503975			
	इन्टरनेशनल				
	वाई एम सी ए	20000			
	चर्च वर्ल्ड	90908			
	सर्विस				
	दायकोनिश	179640			
	वर्क/जर्मनी				
	एन डी एम/फ्रांस				
	नार्वेजियन चर्च	189540			
	एड (कासा)				
	आई एफ आर सी एस के माध्यम से				
	आर सी/कनाडा	7575			
	आर सी/डेनमार्क	30303			
	आर सी/फिनलैंड	34364			
	आर सी/आइसलैंड	15408			
	आर सी/जापान	104761			
	आर सी/कोरिया	10000			

1	2	3	4	5	6
	आर सी/न्यूजीलैंड	82872			
	आर सी/श्रीलंका	1000			
	आर सी/स्विटजरलैंड	49645			
	आर सी/अमरीका	20000			
योग :		2279786	1257348	1022438	
2. महिला, शिशु विभाग	युनीसेफ	400000			
	केयर, आस्ट्रेलिया	250000			
	केयर इंडिया	300000			
योग :		950000			950000
3. विदेश मंत्रालय/ विदेश स्थित मिशन	यूनेस्को	100000			
	कुवैत सरकार	1000000			
	जर्मनी	6200000			
	जर्मनी (निजी)	12804			
	हांग कांग (सरकार)				
	हांग कांग (निजी)	558924			
	बंगलादेश (निजी)	5861			

1	2	3	4	5	6
	ए.आर.ई.	4451			
	(पोर्ट सेड) सरकारी				
	मंगोलिया	3125			
	भूटान	312500			
	मालदीव	25000			
	चीन	50000			
	नेपाल (सरकार)	50000			
	मारीशस (सरकार)	53879			
	चैक	166000			
	उजबेकिस्तान (निजी)	222			
	ताशकंद				
	फिलीपीन्स (निजी)	59978			
	मलेशिया (निजी) के.एल.	37053			
	न्यूजीलैंड (निजी)	25			
	इस्रायल	-			
	टर्की	-			
	अल्जीयर्स	-		-	
	संयुक्त अरब अमीरात	-		-	

1	2	3	4	5	6
	जार्डन	-		-	
	इटली	15625	-		
	बंगलादेश (सरकार)	10000	-		
	रेड क्रिसेंट	-		-	
	अमरीकयर्स	-		-	
	डायकोमिया, स्वीडन	125000		-	
	भारतीय महिला एसोसिएशन, सियोल, कोरिया	2455	-		
	इंडियन मर्चेंट एसोसिएशन एंड इंडियन कम्यूनिटी, सियोल, कोरिया	8120	-		
	कोरिया (निजी)	31239	-		
	डेनमार्क (निजी)	109971	-		
	नीदरलैंड (निजी)	178571	-		
	रियूनियन द्वीप (निजी)	62667	-		
	रोमानिया (निजी)	179	-		
	इंडोनेशिया (निजी)	54099	-		
	थाईलैंड (निजी)	191211	-		

1	2	3	4	5	6
	यू एस ए शिकागो (सरकार)	58000	-		
	यू एस ए शिकागो (निजी)	7745			
	पोर्ट ऑफ स्पेन (निजी)	4715	-		
	लीबिया (निजी)	38842	-		
	थाईलैंड (सरकार)	160000			
	कतर (सरकार)	1000000		-	-
	कतर (निजी)	54259	-		
	ओमान (सरकार)	3000000			
	ओमान (निजी)	207516	-		
	मैक्सिको (निजी)	1944	-		
	कुवैत (निजी)	313226	-		
	संयुक्त राष्ट्र जेनेवा (निजी)	1720			
	थाईलैंड (शरणार्थियों के लिए आपातकालीन राहतन के लिए) कैथोलिक कार्यालय, (बैंकाक)	8000	-		
	पाकिस्तान (निजी)	3158	-		
	बोत्स्वाना (निजी)	21505	-		
	जापान (निजी)	69140	-		

1	2	3	4	5	6
	बेल्जियम (निजी)	97976	-		
	पुर्तगाल	4966	-		
	स्विटजरलैंड	11062	-		
	भारतीय एसोसिएशन, जेनेवा				
	नार्वे (निजी)	17979			
	जाम्बिया (निजी)	750	-		
	यू.के. (निजी)	2213655	-		
	भारतीय रैड क्रास यू.के.	18048			
	मारीशस (निजी)	14821	-		
योग :		16757976	9106976	7651000	
	भूटान निजी	78125	-		
	मारीशस निजी	93752	-		
	ओमान निजी	17270	-		
	अजेन्टीना निजी	3200	-		
	दलाई लामा	10189	-		
योग :		202536	202536		

1	2	3	4	5	6
4. भारत में मिशन	स्पेन	18000		-	-
	फ्रांस	-		-	-
	जर्मनी	593750		-	-
	यू.के.	7500000		-	
योग :		8273750		8273750	
5. गैर सरकारी संगठनों द्वारा सीधे	मैडिसिन दुमोआद	-	-		
	हैन्डीकैप इन्टरनैशनल	-	-		
	ओक्सफाम ट्रस्ट	1250000		-	
योग :		1250000		1250000	
कुल योग :		41901578	14890390	27011188	

सी-नकद यू-मात्रा निर्दिष्ट नहीं हैं। *पुर्नवास के लिए सहायता के-वस्तु, नकद

महाराष्ट्र को राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धन का आवंटन

638. **श्री मोहन रावले** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के रख रखाव की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग को मूल रूप से बनाने तथा मरम्मत कार्य के लिए अलग अलग कितनी राशि उपलब्ध कराई गयी तथा राज्य सरकार ने इस कार्य हेतु कितनी धनराशि की मांग की थी;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को इस प्रयोजनार्थ दी गयी राशि राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य बनाये रखने हेतु पर्याप्त समझी गयी थी; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार ने विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों के रख रखाव हेतु राज्यों को अतिरिक्त धन राशि उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष	मूल कार्य		अनुरक्षण एवं मरम्मत	
	मांगी गई राशि	आबंटित राशि	मांगी गई राशि	आबंटित राशि
1990-91	2965.00	2750.00	1747.28	1489.15
1991-92	6618.21	3358.00	2056.67	1620.90
1992&93	7047-00	3280-00	2514-24	1506-67

(ग) और (घ). संसाधनों के समग्र अभाव के कारण, सम्पूर्ण निधियां प्रदान करना संभव नहीं हो पाया है। फिर भी, राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पंचायतों को टेलीफोन

639. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में जिलेवार कितने ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) इनमें से वर्ष 1993-94 के दौरान कितने ग्राम पंचायतों को उक्त सुविधा प्रदान की गई हैं; और

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 31.01.1994 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश के 12,670 ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई थी। जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) 1993-94 के दौरान 710 ग्राम पंचायतों में।

(ग) इस पर आया कुल व्यय 15,950 लाख रुपए (अनुमानतः) है।

विवरण

मध्य प्रदेश में 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन सुविधा प्राप्त पंचायत ग्रामों की जिलावार संख्या

क्र.सं.	जिला	31.1.1994 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन सुविधा प्राप्त पंचायत ग्राम	वर्ष 1993-94 के दौरान (31.1.94 तक) टेलीफोन सुविधा प्राप्त पंचायत ग्राम
1.	बालाघाट	258	15
2.	बस्तर	580	20
3.	बेतूल	290	32
4.	भिंड	152	1
5.	भोपाल	111	शून्य
6.	बिलासपुर	627	9
7.	छत्तरपुर	200	7
8.	छिंदवाड़ा	386	68
9.	दमोह	184	5
10.	दतिया	123	शून्य
11.	देवास	250	30
12.	धार	268	22
13.	दुर्ग	266	13
14.	गुना	246	29

1	2	3	4
15.	ग्वालियर	237	शून्य
16.	होंशंगाबाद	381	47
17.	इन्दौर	180	शून्य
18.	जबलपुर	464	31
19.	झाबुआ	210	शून्य
20.	खंडवा	336	17
21.	खरगांव	403	12
22.	मांडला	206	8
23.	मंदसौर	339	11
24.	मुरैना	366	29
25.	नरसिंहपुर	226	9
26.	पन्ना	71	शून्य
27.	रायगढ़	414	13
28.	रायपुर	743	42
29.	रायसेन	255	13
30.	राजगढ़	194	10
31.	राजनादगांव	240	शून्य
32.	रतलाम	224	9
33.	रीवा	237	24
34.	सागर	402	36
35.	सरगूजा	217	12
36.	सतना	219	27
37.	सिहोर	252	42

1	2	3	4
38.	सिवनी	219	3
39.	शहडोल	185	11
40.	शाजापुर	307	15
41.	शिवपुरी	260	1
42.	सिधी	173	24
43.	टीकमगढ़	184	6
44.	उज्जैन	291	5
45.	विदिशा	194	2
	योग	12670	710

[अनुवाद]

समुद्री बेड़े का निष्पादन

640. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन का योगदान विदेशी व्यापार के संबंध में सामान्य माल ढुलाई के बारे में निरन्तर कम हो रहा है तथा देश को विदेशी नौवहन कंपनियों पर अधिकाधिक आश्रित होना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां तो इस प्रवत्ति को रोकने हेतु क्या उपाए किए जाने का विचार है;

(ग) क्या देश के समुद्रीय बेड़े को सहायता देने हेतु विनियम बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां। भारतीय जहाजों द्वारा ढोए गए सामान्य कार्गो के प्रतिशत हिस्से में कमी आई है। यह 1992-93 में लगभग 14.4% रहा जबकि 1984-85 में यह लगभग 24% था।

(ख) भारतीय टन भार में वृद्धि तथा समुद्री कार्गो की ढुलाई में भारतीय जहाजों की और अधिक सहभागिता प्राप्त करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

1. निम्नलिखित के लिए अब स्वतः अनुमोदन दिया जाता है :

(i) निजी जहाज मालिक कंपनियों द्वारा क्रूड टैंकरों और ओ एस वी को छोड़कर सभी श्रेणियों के जहाजों की खरीद।

(ii) भारत अथवा विदेश में किसी कंपनी को आगे व्यापार/स्क्रैपिंग के लिए जहाजों की बिक्री।

(iii) किसी भारतीय शिपयार्ड से जहाज की खरीद, और

(iv) टन भार के रिप्लेसमैंट के लिए खरीद।

2. भारतीय नौवहन निगम को तीन सैल्यूलर कंटेनर वैसल खरीदने की अनुमति दी गई ताकि निगम कंटेनरीकृत कार्गो में अपना हिस्सा बढ़ा सके।

3. ऐसे लाइनर मार्गो जिन पर कोई भारतीय नौवहन कंपनी प्रचालन नहीं कर रही है, पर प्रचालन के लिए नौवहन महानिदेशक से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

4. नौवहन कंपनियों को विदेश में अपने जहाजों की बिक्री से प्राप्त राशि रखने और उसका नई खरीद के लिए प्रयोग करने की अनुमति दी गई है।

5. नौवहन कंपनियों को बेयर बोट चार्टर-कम-डिमाइज विधि द्वारा जहाज खरीदने की अनुमति दी गई है।

6. विदेशी ऋणदाता वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम की कुछेक धाराओं को ऋण के मामले में चूक और बंधक को पुरोबंधित किए जाने के बारे में ऋण दाता के अधिकार को लागू करने में बाधक मानते थे। अब इन धाराओं में संशोधन कर दिया गया है ताकि भारतीय नौवहन कंपनियां विदेशों से जहाज खरीदने के लिए बाहर से वाणिज्यिक ऋण जुटा सकें।

(ग) और (घ). सरकार, यू एन लाइनर कोड के कार्गो भागीदारी संबंधी प्रावधानों को लागू करने से संबंधित प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव में भारतीय जहाजों के लिए भारत के समुद्री लाइनर कार्गो का 40% भाग प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

आधुनिकीकरण तथा निजीकरण

641. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :**

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

श्री नुरुल इस्लाम :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात क्षेत्र में विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आधुनिकीकरण की चालू योजनाओं की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार आधुनिकीकरण तथा विस्तार के कार्यों में निजी कंपनियों अथवा बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को भी शामिल करने का है; और

(ग) सभी इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण पर कुल कितनी धनराशि व्यय की जाएगी?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) "सेल" के संयंत्रों के आधुनिकीकरण की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

(i) **दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण** : इस परियोजना को 16 टन की पैकेजों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। 6 पैकेजों का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है तथा 8 पैकेजों में आंशिक सुविधाएं पूरी हो गयी हैं। आधुनिकीकरण कार्य के जून, 1995 तक पूरा होने की आशा है।

(ii) **राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण** : यह दो चरणों यथा चरण-I और चरण-II में टर्न-की आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। चरण-I का कार्य 9 स्वदेशी पैकेजों के द्वारा तथा चरण-II का कार्य 20 पैकेजों (5 अन्तर्राष्ट्रीय तथा 15 स्वदेशी) के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। चरण-I तथा चरण-II दोनों कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। चरण-I का कार्य मार्च, 1994 में पूरा होने की आशा है तथा चरण-II का कार्य दिसम्बर, 1995 तक पूरा किए जाने की समय-सूची है।

(iii) **बोकारो इस्पात संयंत्र (बी.एस.एल.) का आधुनिकीकरण** : बोकारो इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण कार्य (चरण-I) 4 अन्तर्राष्ट्रीय पैकेजों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। सेल/बी.एस.एल. द्वारा 17.2.1994 को एक पैकेज के लिए आशय पत्र (एल.ओ.आई.) जारी किया गया है तथा अन्य तीन पैकेजों के लिए प्राप्त बोलियां आर्डर देने हेतु तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकनाधीन हैं।

(ख) दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र में आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए निजी कंपनी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, दोनों संलग्न हैं। सरकारी क्षेत्र के कुछ संगठनों के अलावा संघ के सदस्य/प्रमुख ठेकेदार अथवा प्रमुख ठेकेदार के भागीदार के रूप में लगे हुए हैं।

बोकारों इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए निजी कंपनियों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने तीन अन्तर्राष्ट्रीय पैकेजों के लिए बोली प्रस्तुत की हैं जिन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है। एक पैकेज के संबंध में एक भारतीय पार्टी को आशय-पत्र (एल.ओ.आई.) जारी किया गया है।

(ग) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण पर प्रत्याशित खर्चा 3967.29 करोड़ रुपए (989.37 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा) है, जबकि राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के संबंध में सरकार द्वारा मंजूर संशोधित लागत अनुमान 3954 करोड़ रुपए (714 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा) है। बोकारों इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण (चरण-I) के लिए अनुमानित लागत 1625.79 करोड़ रुपए (283.50 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा) को मंजूरी दे दी गयी है।

[अनुवाद]

एफ. एम. चैनल

642. **डा. कृपा सिंधु भोई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे एफ.एम. चैनलों का पता लगा लिया है जिन्हें वर्ष 1994 के दौरान कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों में एफ.एम. चैनल स्थापित किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) तथा (ख). जी, हां। 1994 के दौरान पूर्ण किए जाने के लिए लक्ष्यित एफ.एम. स्टेशनों का विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) जिन स्थानों पर एफ.एम. स्टेशन/चैनल कार्य कर रहे हैं, उनको विवरण-2 में दर्शाया गया है।

विवरण - 1

वर्ष 1994 के दौरान पूरा करने के लिए लक्ष्यित एफ.एम. रेडियो केन्द्रों का ब्यौरा

क्र.सं.	स्थल	राज्य	परियोजना
1.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	1 कि.वा. मी.वे. सहित 2x5 कि.वा. एफ.एम. ट्रां.
2.	भद्रवाह	जम्मू और कश्मीर	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रां.
3.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रां.
4.	दमन	संघ शासित क्षेत्र	3 कि.वा.एफ.एम. ट्रां.
5.	धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश	2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रां.
6.	धुले	महाराष्ट्र	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रां.
7.	इदुक्की	केरल	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रां.
8.	जैसलमेर	राजस्थान	2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रां.

1	2	3	4
9.	कराइकल	पांडिचेरी	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रां.
10.	कोडाईकनाल	तमिलनाडू	2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रां.
11.	कुल्लू	हिमाचल प्रदेश	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रां.
12.	लुंगलेह	मिजोरम	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रां.
13.	माउण्ट आबू	राजस्थान	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रां.
14.	मसूरी	उत्तर प्रदेश	2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रां.
15.	नागरकोइल	तमिलनाडू	1 कि.वा.मी.वे. सहित
			2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रां.
16.	नासिक	महाराष्ट्र	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रां.
17.	नौगोंग	असम	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रां.
18.	उस्मानाबाद	महाराष्ट्र	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रां.
19.	पुंछ	जम्मू और कश्मीर	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रां.
20.	राउरकेला	उड़ीसा	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रां.

विवरण - 2

उन स्थलों की सूची, जहां पर एफ.एम. केन्द्र/चैनल कार्य कर रहे हैं

क्र.सं.	स्थल	राज्य
1.	कोथागुडम	आन्ध्र प्रदेश
2.	वारंगल	-वही-
3.	निजामाबाद	-वही-
4.	तिरुपति	-वही-
5.	अनन्तपुर	-वही-
6.	कुरनूल	-वही-

1	2	3
7.	मरकापुरम	आन्ध्र प्रदेश
8.	हैदराबाद	-वही-
9.	जोरहाट	असम
10.	हाफलांग	-वही-
11.	डाल्टनगंज	-वही-
12.	हजारीबाग	-वही-
13.	पूर्णिया	-वही-
14.	सिंहभूम (चाईबासा)	-वही-
15.	सासाराम	-वही-
16.	पटना	-वही-
17.	पणजी	गोवा
18.	सूरत	गुजरात
19.	गोधरा	-वही-
20.	कुरुक्षेत्र	हरियाणा
21.	कसौली	हिमाचल प्रदेश
22.	हमीरपुर	-वही-
23.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर
24.	कठुआ	-वही-
25.	हासन	कर्नाटक
26.	होसपेट	-वही-
27.	चित्रदुर्ग	-वही-
28.	रायचूर	-वही-
29.	मरकारा	-वही-
30.	कारवाड़	-वही-

1	2	3
31.	कन्नानोर	केरल
32.	कोचीन	-वही-
33.	खण्डवा	मध्य प्रदेश
34.	बैतूल	-वही-
35.	बिलासपुर	-वही-
36.	शिवपुरी	-वही-
37.	छिन्दवाड़ा	-वही-
38.	शहडोल	-वही-
39.	बालाघाट	-वही-
40.	रायगढ़	-वही-
41.	गुना	-वही-
42.	सागर	-वही-
43.	भोपाल	-वही-
44.	इन्दौर	मध्य प्रदेश
45.	बीड	महाराष्ट्र
46.	अहमदनगर	-वही-
47.	नांदेड़	-वही-
48.	अकोला	-वही-
49.	कोल्हापुर	-वही-
50.	यवतमाल	-वही-
51.	सतारा	-वही-
52.	चन्द्रपुर	-वही-
53.	पुणे	-वही-
54.	नागपुर	-वही-

1	2	3
55.	बम्बई	महाराष्ट्र
56.	बारीपाड़ा	उड़ीसा
57.	बरहामपुर	-वही-
58.	बोलांगीर	-वही-
59.	भटिण्डा	पंजाब
60.	पटियाला	-वही-
61.	जालंधर	-वही-
62.	अलवर	राजस्थान
63.	नागौर	-वही-
64.	बांसवाड़ा	-वही-
65.	चित्तौड़गढ़	-वही-
66.	सवाई माधोपुर	-वही-
67.	चुरू	-वही-
68.	झालावाड़	-वही-
69.	कैलाशार	त्रिपुरा
70.	बेलोनिया	-वही-
71.	मदुरै	तमिलनाडु
72.	बरेली	उत्तर प्रदेश
73.	फैजाबाद	-वही-
74.	झांसी	-वही-
75.	ओबरा	-वही-
76.	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल
77.	कलकत्ता	-वही-
78.	दिल्ली	दिल्ली

केरल में डाकघर

643. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल के प्रत्येक जिले में इस समय कुल कितने डाकघर और शाखा डाकघर कार्यरत हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : केरल के प्रत्येक जिले में जितने डाकघर और शाखा डाकघर इस समय कार्य कर रहे हैं, उनकी कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

केरल में इस समय जितने डाकघर और शाखा डाकघर कार्य कर रहे हैं, उनकी संख्या का जिलावार ब्यौरा

क्रं.सं.	जिले का नाम	डाकघरों की कुल संख्या	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
1	2	3	4
1.	अल्लेप्पी	371	180
2.	कालीकट	393	216
3.	कन्नानूर	300	175
4.	एर्णाकुलम	383	199
5.	इदुक्की	299	234
6.	कासरगोड	240	177
7.	कोट्टायम	421	233
8.	मालापुरम	428	284
9.	पालघाट	452	266
10.	पट्नमथिट्टा	281	160
11.	क्विलोन	374	232
12.	त्रिचूर	491	263
13.	तिरूवनंतपुरम	420	250
14.	वायनाड	161	139
	कुल	5014	3008

जन संहार अभिसमय

644. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनसंहार अभिसमय, 1948 पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इसके कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय विधान बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय विधान न बनाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). भारत 1959 में नर संहार के अपराध की रोकथाम और दण्ड से संबंधित अभिसमय का पक्षकार बना। इस अभिसमय के अन्तर्गत पक्षकार राज्यों को इस अभिसमय के क्रियान्वयन के लिए अपने-अपने संविधानों के अनुरूप आवश्यक कानून बनाने होते हैं। भारतीय संविधान, भारतीय दंड संहिता और दूसरे अपराध कानून, जेनेवा अभिसमय अधिनियम, 1960 तथा अन्य संबद्ध कानून नरसंहार के विरुद्ध पर्याप्त रूप से विचार करने के लिए ढांचा प्रदान करते हैं।

एम.टी.एन.एल. द्वारा सड़क के आर-पार तार कनेक्शन

645. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा टेलीफोन के उपभोक्ताओं को सड़क के आर-पार तार कनेक्शन दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस पर तत्काल रोक लगाने और बाग से सड़क के आर-पार तार कनैक्शन लगाने की अनुमति नहीं देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ङ). व्यवहारिक रूप से प्रमुख सड़कों के ऊपर से ओवर-हैड वायर्स के जरिए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान नहीं किए जाते हैं। तथापि, कई बार सड़क पर केबिलें बिछाए जाने तक अंतरिय व्यवस्था के तौर पर ऐसा किया जा सकता है। तथापि सड़क के ऊपर से ओवर-हैड वायर्स के जरिए कनेक्शन, विशेषकर गलियों में, बिल्कुल न दिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ऐसा व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है।

[हिन्दी]

राजस्थान में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र

646. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में किन-किन स्थानों पर दूरदर्शन ट्रांसमिटर/आकाशवाणी केन्द्र कार्य कर रहे हैं और इनकी क्षमता कितनी है तथा इन केन्द्रों द्वारा कितने क्षेत्र में प्रसारण किया जाता है;

(ख) राज्य में उच्च शक्ति के दूरदर्शन ट्रांसमिटरों की स्थापना के लिए किन-किन स्थानों का पता लगाया गया है, और अब तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) अब तक इन पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(घ) शेष दूरदर्शन ट्रांसमिटरों का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा और इन्हें किन स्थानों पर लगाया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) और (ग). राजस्थान के बाड़मेर तथा जैसलमेर में दो उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जा रहे हैं जिन पर दिसंबर, 1993 तक कुल 1457.95 लाख रुपये व्यय किया जा चुका है। जैसलमेर की परियोजना तथा बाडमेर में अंतरिम सेट अप (1 कि.वा.) तकनीकी रूप से तैयार है। इनके अतिरिक्त बीकानेर, अनूपगढ़, अजमेर, जोधपुर तथा नाथद्वारा में भी उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की परिकल्पना है।

(घ) सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण - 1

राजस्थान में कार्यरत ट्रांसमीटर शक्ति तथा कवर किए गए क्षेत्रों को दर्शाते हुए दूरदर्शन तथा आकाशवाणी केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	स्थान	ट्रांसमीटर की शक्ति	कवर किए गए क्षेत्र (हजार वर्ग कि.मी. में)
1.	2.	3.	4.
दूरदर्शन			
1.	जयपुर	10 कि.वा.	46.10
2.	बूंदी	10 कि.वा.	41.40
3.	अजमेर	100 वा.	2.00
4.	अलवर	100 वा.	2.00
5.	अनूपगढ़	100 वा.	0.70
6.	बांसवाड़ा	100 वा.	0.70

1.	2.	3.	4.
7.	बाड़मेर	100 वा.	2.00
8.	ब्यावर	100 वा.	2.00
9.	भीलवाड़ा	100 वा.	2.00
10.	बीकानेर	100 वा.	2.00
11.	चित्तौड़गढ़	100 वा.	0.70
12.	चुरू	100 वा.	0.70
13.	डीग	100 वा.	2.00
14.	डंगूरपुर	100 वा.	0.70
15.	गंगानगर	100 वा.	2.00
16.	हनुमानगढ़	100 वा.	0.70
17.	जैसलमेर	100 वा.	2.00
18.	जालौर	100 वा.	2.00
19.	झालावाड़	100 वा.	0.70
20.	झुंझनू	100 वा.	0.70
21.	जोधपुर	100 वा.	2.00
22.	करनपुर	300 वा.	2.00
23.	खेतड़ी	100 वा.	2.00
24.	कोटपुतली	100 वा.	2.00
25.	नागौर	100 वा.	0.70
26.	नाथद्वारा	100 वा.	2.00
27.	पाली	100 वा.	0.70
28.	पिलानी	100 वा.	2.00
29.	रायसिंहनगर	100 वा.	2.00

1	2	3	4
30.	सलुम्बर	100 वा.	0.70
31.	सरदार शहर	100 वा.	0.70
32.	सवाईमाधोपुर	100 वा.	0.70
33.	सीकर	100 वा.	0.70
34.	सिरोही	100 वा.	0.70
35.	सुजानगढ़	100 वा.	2.00
36.	टोंक	100 वा.	2.00
37.	उदयपुर	100 वा.	2.00
38.	वल्लभनगर	300 वा.	2.00
39.	रावतभाटा	10 वा.	0.20
आकाशवाणी			
1.	जयपुर	1 कि.वा.मी.वे.	4.00
		1 कि.वा.मी.वे. (वि.भा.)	4.90
2.	अजमेर	2x100 कि.वा.मी.वे.	162.3
3.	जोधपुर	100 कि.वा.मी.वे.	122.3
		1 कि.वा.मी.वे.(वि.भा.)	4.0
4.	बीकानेर	2x10 कि.वा.मी.वे.	20.1
5.	उदयपुर	10 कि.वा.मी.वे.	9.5
6.	सूरतगढ़	300 कि.वा.मी.वे.	57.4
7.	कोटा	1 कि.वा.मी.वे.	3.5
8.	अलवर	2x3 कि.वा.एफ.एम.	11.3
9.	नागौर	2x3 कि.वा.एफ.एम.	11.3
10.	बांसवाड़ा	2x3 कि.वा.एफ.एम.	11.3

11.	चित्तौड़गढ़	3 कि.वा.एफ.एम.	2.8
12.	बाड़मेर	2x10 कि.वा.मी.वे.	6.3
13.	सवाई माधोपुर	3 कि.वा.एफ.एम.	2.8
14.	चूरू	2x3 कि.वा.एफ.एम.	11.3
15.	झालावाड़	2x3 कि.वा.एफ.एम.	11.3
16.	जैसलमेर	2x5 कि.वा.एफ.एम.	14.0

विवरण - 2

राजस्थान में कार्यान्वयनाधीन अल्प शक्ति/अति अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटरों की सूची

क्र.सं.	स्थान	पूरा होने की लक्ष्यित तारीख
1.	बारां	1994-95
2.	बड़ीसादरी	-वही-
3.	भद्रा	-वही-
4.	गंगापुर (सवाईमाधोपुर जिला)	1994-95
5.	हिण्डौन	-वही-
6.	रतनगढ़	-वही-
7.	रावतसर	-वही-
8.	श्रीडूंगरगढ़	-वही-
9.	सुजानगढ़	-वही-
10.	मकराना	-वही-
11.	करौली	-वही-
12.	फलोदी	-वही-
13.	राजगढ़ (चुरू जिला)	-वही-
14.	माउण्ट आबू	-वही-

1	2	3
15.	प्रतापगढ़	1994-95
16.	नोहर	-वही-
17.	बसावा	-वही-
18.	नाखा	-वही-
19.	शहपुरा	-वही-
20.	अमेट	-वही-
21.	चौमहला	-वही-
22.	देवगढ़	-वही-
23.	फतेहपुर	-वही-
24.	गंगापुर (भीलवाड़ा जिला)	-वही-
25.	कुम्बलगढ़	-वही-
26.	लक्ष्मणगढ़	-वही-
27.	भीम	-वही-
28.	राजगढ़ (अलवर जिला)	-वही-
29.	लालसोट	-वही-
30.	चिरावा	-वही-
31.	निमाज	स्कीम का अनुमोदन किया जाना है

[अनुवाद]

कर्नाटक में उच्च ताप बिजली घर

647. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में बेलगाम से उद्योगों का महाराष्ट्र से लगे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर पलायन हो रहा है;

(ख) क्या इस प्रवृत्ति से राज्य में औद्योगिक विद्युत की कमी हो गई है;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार क्षेत्रीय "पावर ग्रिड" बनाने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) कर्नाटक में उद्योगों से पड़ौसी राज्यों में बड़े स्तर पर पलायन के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग). अप्रैल, 93 फरवरी, 94 के दौरान कर्नाटक ने 22.5% की सीमा तक की विद्युत की कमी का सामना किया तथा राज्य में कोई अधिसूचित ऊर्जा/मांग में कटौती लागू नहीं की गई है। राज्य में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए, दक्षिणी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रों से इसके आवंटित हिस्से के अलावा राज्य को 15% अनाबंटित विद्युत उत्पादन से भी सहायता प्रदान की गई है। आठवीं योजना के दौरान, राज्य क्षेत्र में 996 मे.वा. क्षमता अभिवृद्धि की परिकल्पना की गई है। दक्षिणी क्षेत्र में चालू किए जाने वाले केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रों से भी कर्नाटक को उसका हिस्सा प्राप्त होगा।

(घ) तथा (ङ). देश को पांच विद्युत क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड पहले से ही विद्यमान है। सम्बद्ध क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के समन्वयन प्रचालन हेतु प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड विद्यमान है। उपलब्ध विद्युत के ईष्टतम समुपयोजन को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना, जो विकासात्मक प्रक्रिया में है, हेतु प्रभावशाली रूप से कार्यवाही की जा रही है। इसमें अंतः राज्यीय तथा अंतः क्षेत्रीय पारेषण लाइनों, जो राज्य तथा क्षेत्रीय सीमाओं में से गुजरती है, की स्थापना द्वारा क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों के सशक्तीकरण एवं सुधार तथा उनके विकासात्मक एककीकरण की परिकल्पना की गई है।

आन्ध्र प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्रों से कार्यक्रमों का प्रसारण

648. **डा. के. वी. आर. चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम अपेक्षित स्तर के नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों के स्तर में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

यूरोपीय संघ से बातचीत

649. **श्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनकी हाल ही में यूरोपीय संघ से बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस बातचीत से देश को कितना लाभ मिलेगा?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारत-यूरोपीय संघ त्रयी वार्ता का मंत्रीस्तरीय सातवां दौर ब्रसेल्स में 8 फरवरी, 1994 को हुआ।

(ख) इस वार्ता में जिन मुख्य विषयों पर विचार किया गया वे थे, यूरोपीय संघ की दिशा में प्रगति, यूरोपीय सुरक्षा से सम्बद्ध मसले, दक्षिण एशिया की स्थित और भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध। यूरोपीय-संघ त्रयी ने इस बात से अवगत कराया कि यूरोपीय संघ एक राजनीतिक वार्ता साझीदार के रूप में भारत को महत्व देता है तथा उसने भारत-यूरोपीय संघ के 20 दिसंबर, 1993 के संयुक्त राजनीतिक वक्तव्य के अनुरूप इस वार्ता को विभिन्न स्तरों पर विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

(ग) इस बातचीत के परिणामस्वरूप यूरोपीय संघ भारत के दृष्टिकोण और इसकी चिन्ताओं को ज्यादा अच्छी तरह समझ सका जिनमें आतंकवाद और भारत-पाक मुद्दों से सम्बद्ध मसले भी शामिल हैं तथा यह उम्मीद की जा रही है कि अब राजनीतिक, आर्थिक, प्रौद्योगिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत-यूरोपीय संघ के बीच सहयोग सघन होगा।

[हिन्दी]

बिहार के रुग्ण उद्योग

650. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिहार में मधुबनी, दरभंगा और ओइनी स्थित तीन फल प्रसंस्करण उद्योग रुग्णता के कगार पर हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इन उद्योगों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या उपाय कर रही है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख). सहकारी क्षेत्र में मधुबनी, दरभंगा और ओइनी जिलों में 3 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए एन.सी.डी.सी. द्वारा वर्ष 1966-67 में स्वीकृति जारी की गयी थी और यह कार्य 1969 के अंत तक पूरा कर लिया गया। ठेकेदार और संबंधित सोसाइटियों के बीच विवादों के कारण यूनिट वाणिज्यिक उत्पादन का काम शुरू नहीं कर सकी। विवाद निपटाने के लिए मध्यस्थता कार्य 1975 में पूरा होने तक सोसाइटी की इसमें रुचि नहीं रही और ये यूनिट मृतप्राय हो गयी। इसके पश्चात राज्य सरकार की सिफारिशों पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 1976 में दरभंगा स्थित यूनिट के लिए 4.80 लाख रु, 1982 में ओइनी स्थित यूनिट के लिए 4.20 लाख रु. तथा मधुबनी यूनिट के लिए 4. 12 लाख रु. की सहायता राशि मंजूर की। राज्य सरकार ने क्योंकि आगे की कारवाई नहीं की इसलिए सोसाइटियों की मंजूरियां निरस्त कर दी गयीं।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में नए टेलीफोन एक्सचेंज

651. **प्रो. प्रेम धूमल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान हिमाचल प्रदेश में खोले गए नए टेलीफोन एक्सचेंजो का ब्यौरा क्या है; और

(ख) निकट भविष्य में खोले जाने वाले टेलीफोन एक्सचेजों का उनकी क्षमता सहित ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हरियाणा में एस.टी.डी. सुविधा

652. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न टेलीफोन एक्सचेजों में एस टी डी सुविधा प्रदान करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्धारित मानदंडों के अनुसार हरियाणा को उक्त सुविधा दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इस समय एस टी डी सुविधा वाले टेलीफोन एक्सचेजों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शेष टेलीफोन एक्सचेजों को एस.टी.डी. सुविधा कब तक प्रदान कर दी जायेगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

- 1.4.1997 तक सभी एक्सचेजों में राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सुविधा प्रदान करना।

(ख) 1.4.1995 तक उप मंडलीय मुख्यालयों/तहसील मुख्यालयों या समकक्ष शहरों में 500 लाइनों के या उसे अधिक बड़े आकार के सभी एक्सचेंजों को यह सुविधा प्रदान कर दी जाएगी

- 1.4.1995 तक सभी औद्योगिक विकास केन्द्र, पर्यटन और तीर्थ स्थानों पर एन.एस.डी. सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

(ग) जी, हां। यह उत्तरोत्तर रूप से प्रदान की जा रही है।

(घ) संलग्न विवरण में लिखित केन्द्रों में स्थित टेलीफोन एक्सचेजों को हरियाणा में 31.1.94 तक एन एस डी सुविधा से जोड़ा गया है।

(ङ) उपरोक्त (ख) में दर्शाये गये उद्देश्यों के अनुसार, संसाधन उपलब्ध होने पर सुविधा प्रदान की जाएगी।

विवरण

एन एस डी सुविधा के साथ जोड़े गए केन्द्रों की सूची हरियाणा में 31.1.1994 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	केन्द्र	क्र.सं.	केन्द्र
1.	आदमपुर मंडी	18.	फतेहबाद
2.	अम्बाला कैंट	19.	फिरोजपुर झिरका
3.	अंबाला सिटी	20.	गन्नौर (एसपीटी एसडीसी ए)
4.	असंध	21.	घरौंदा
5.	बदरपुर	22.	गोहाना
6.	बहादुर गढ़	23.	गुड़गांव
7.	बल्लभगढ़	24.	हेली मंडी
8.	बरार	25.	हांसी
9.	बावल	26.	हटिनाबिया पलवल
10.	बवानी खेड़ा	27.	हिसार
11.	भिवानी	28.	एच एम टी पिंजौर
12.	चचरौली	29.	होडेंल
13.	चौताला	30.	इस्लामाबाद
14.	चीका	31.	झाज्जर
15.	डबवाली	32.	जींद
16.	धारुहेड़ा	33.	कैथल
17.	फरीदाबाद	34.	कलानौर

35. कालका
36. करनाल
37. कोसली
38. कुंडली
39. कुरुक्षेत्र
40. लाडवा
41. मेहम
42. मोहिन्दर गढ़
43. मूरथल (एसपीटी एसडीसीए)
44. मुल्लाना
45. नारायणगढ़
46. नारनौल
47. नारनौंद (हांसी एसडीसीए)
48. निरवाणा
49. नूह
50. पलवल
51. पेहोवा
52. पानीपत
53. रदौर
54. रनिया (मलनाबाद एसडीसीए)
55. रतिया
56. रिवाड़ी
57. रोहतक
58. सफीदों
59. स्मालखां
60. समपला
61. शाहबाद
62. सिरसा
63. सिठनी
64. सोहना
65. सोनीपत
66. तरक्की
67. तोहना
68. तोशम
69. यमुना नगर

[अनुवाद]

क्रयादेश देने की प्रक्रिया

653. **प्रो. सुशांत चक्रवर्ती** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी पत्तन न्यासों को क्रयादेश दिए जाने की प्रक्रिया के संबंध में कोई अनुदेश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सेन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन तथा हुगली डाक एण्ड पोर्ट्स इंजीनियर्स लिमिटेड को क्रयादेश बुकिंग स्थिति सुधारने के लिए जल भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा भी इन अनुदेशों का समान रूप से पालन नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं?

जल भूतल परिहवन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत के वैशल्ज और क्राफ्ट्स के बारे में निविदात्मक पूछताछ जल भूतल परिवहन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय क्षेत्र के चार सार्वजनिक शिपयार्डों और रक्षा क्षेत्र के तहत आने वाले 3 शिपयार्डों तक सीमित कर दी जाए। जब तक इन शिपयार्डों की आर्डर बुक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता तब तक के लिए यह अस्थायी उपाय है और अक्तूबर, 1994 में इसकी समीक्षा की जानी है।

(ग) और (घ). जल भूतल परिवहन मंत्रालय समान रूप से इन अनुदेशों का पालन कर रहा है।

महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंज

654. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में अब तक स्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों की प्रतिशतता क्या है;

(ख) 1993-94 के दौरान नये टेलीफोन एक्सचेंज किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे और अब तक ये किन-किन स्थानों पर खोले गये हैं; और

(ग) उन ग्राम पंचायतों का जिला-वार ब्यौरा क्या है जिनमें 1991-92 के दौरान टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 30.9.93 तक स्थापित टेलीफोन एक्सचेजों का प्रतिशत इस प्रकार हैं :

	महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल (प्रतिशत)	बंबई टेलीफोन जिला (प्रतिशत)
इलेक्ट्रो-मेकेनिकल	23.6	30.6
इलेक्ट्रानिक	76.4	69.4

(ख) महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल के ब्यौरे संलग्न विवरण-1 तथा विवरण-2 में दिये हैं और बम्बई दूरसंचार जिले के ब्यौरे विवरण-3 में दिये हैं।

(ग) ब्यौरे विवरण-4 में दिये हैं।

विवरण-1

महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल

क्र.सं.	जिले का नाम	93-94 का लक्ष्य	क्र.सं.	जिले का नाम	93-94 का लक्ष्य
1.	अहमद नगर	20	2.	अंकोल	4
3.	अमरावती	4	4.	औरंगाबाद	7
5.	बीड	-	6.	भंडारा	3
7.	बुल्ढाना	3	8.	चंद्रनगर	-
9.	धुले	3	10.	गढचिरसैली	-
11.	जलगांव	4	12.	जालना	-
13.	कसेन्हसुवा	2	14.	लातूर	4
15.	नागपुर	13	16.	नान्देड़	5
17.	नासिक	6	18.	उस्मानाबाद	2
19.	परभनी	4	20.	पुर्णे	12
21.	रायगढ़	4	22.	रत्नागिरि	1
23.	सांगली	6	24.	सतारा	7
25.	शोलापुर	7	26.	सिंधु दुर्ग	-
27.	थाणे	5	28.	वर्धा	2
29.	यवतमाल	3			

विवरण-2

महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में खोले गए नये एक्सचेंज

एक्सचेंज का नाम		एक्सचेंज का नाम	
अहमदनगर		3.	कोल्हारफ्वुदुल्क
1.	नवेशी	4.	पगोरी पिंपलगांव
2.	नंदुरखंडरवाल	5.	देशगढसिद्ध

	एक्सचेंज का नाम		एक्सचेंज का नाम
6.	खेड़गांव	22.	सिद्धनेरली
7.	कंगडौरी	23.	मनगांव
अकोला		24.	किनी
8.	गजगांव (गोरेगांव)	25.	बडांगे
9.	दक्षहांडा	**लटूर**	
10.	वंरूढ़ जौनका	26.	कुमठा (बीके)
11.	खुंडगांव	27.	जनवल
अमरावती		**नागपुर**	
12.	अजनंगांवबोरी	28.	पिपला
13.	कलखेड़	29.	कनवाह
14.	किकभी	30.	तिनखेड़ा
औरंगाबाद		31.	कामती मसूद
15.	गेवराम	**नान्देड़**	
भंडारा		32.	रहाली
16.	नाका डांगरा	**नासिक**	
17.	गौंड-डुमरी	33.	डावाच वाडी
बुल्ढाना		**उस्मानाबाद**	
18.	कहगांव	34.	वेडगां
चन्द्रनगर		**परभनी**	
19.	मेंगाराह	35.	वडगांव (रेलवे स्टेशन)
धुले		**पुर्ने**	
20.	अरिठ	36.	चिंचवाड़-II
कोल्हापुर		37.	शिवाजी नगर
21.	कंबा	38.	सिटी आरएलयू

	एक्सचेंज का नाम		एक्सचेंज का नाम
39.	हदपसद	49.	कासेगांव
40.	एम कर्वे-II	50.	घारी
41.	के. - शिंधेली	51.	टडवाल
42.	भासारी	**थार्ने**	
रायगढ़		52.	भिंवडी
43.	जिराद	**वर्धा**	
रत्नागिरी		53.	कनगरूल
44.	निवाली	54.	अंतोरा
45.	शल्होर	**यवत माल**	
46.	कतर-खाटव	55.	आलोड
47.	गिरवी	56.	कुलका
शोलापुर			
48.	कोरपल्ल		

विवरण-3

बंबई दूरसंचार जिला

1993-94 के दौरान 18.7.94 तक निम्नलिखित एक्सचेंज चालू किये गये

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्षमता
1.	कूपरेज-5	5.0के(केपरेज 1 में 3.4 हजार लाइनें बद कर दी हैं)
2.	3 फाउन्टेन-3	5.0के(4 हजार लाइनें फाउंटेन 1 बंद कर दी गई हैं)
3.	गामदेवी-2	11.0 हजार लाइनें
4.	3 मालाबार हिल	7.3के(4 हजार लाइन का मालाबार हिल-2 और 1 हजार लाइन शहर-2 बंद कर दिया)
5.	2 वडाला	4.0 हजार लाइनें

6.	शिवाजी पार्क आर ल यू	7.0 हजार लाइनें
7.	वर्ली-3	03.0 हजार लाइनें
8.	विलेपार्ले-3	7.0 हजार लाइनें
9.	अंधेरी-1	7.0 हजार लाइनें
10.	गोकुलधाम आरएलयू	1.0 हजार लाइनें
11.	मरोल-4	1.7 हजार लाइनें
12.	गोरेगांव-1	34.0 हजार लाइनें (गोरेगांव आरएलयू 17.6 हजार लाइन दुबारा चालू किया)
13.	भयाण्डर आरएलयू	0.5 हजार लाइनें
14.	चोरा रोड आरएलयू	3.0 हजार लाइनें
15.	बोरो वल्लो आरएलयू	1.0 हजार लाइनें
16.	कांदिवली-2	1.0 हजार लाइनें
17.	कांदिवली-5	1.0 हजार लाइनें
18.	घाटकोपार-2	8.0 हजार लाइनें
19.	घाटकोपार-3	0.5 हजार लाइनें
20.	गोदरेज आरएलयू	1.0 हजार लाइनें
21.	पोदई आरएलयू	1.0 हजार लाइनें
22.	मुलंद-3	7.0 हजार लाइनें
23.	वायले स्टेट आरएलयू	2.0 हजार लाइनें
24.	मुबरा आरएलयू	1.0 हजार लाइनें
25.	थाणे घिराई आरएलयू	1.0 हजार लाइनें
26.	थाणे आरएलयू	1.0 हजार लाइनें
27.	रबाला आरएलयू	1.0 हजार लाइनें
28.	वासी आरएलयू	3.0 हजार लाइनें
29.	दुर्भे-3	3.5 (3 हजार पोआर ए एक्स बंद कर दिया)

30.	सिटी-5	3.0 हजार लाइनें (लेवल 29 शहर 3 के बंद कर दिया)
31.	वाईकुला आरएलयू	8.0 हजार लाइनें (4 हजार मयरवलय आरएलयू पुनः चालू किया)
32.	वरसोवा आरएलयू	4.0 हजार लाइनें
33.	मनखुर्द-2	5.0 हजार लाइनें
34.	चेम्बूर आरएलयू	2.0 हजार लाइनें
35.	नोवा सी-डॉट	0.07 हजार लाइनें
36.	बेलापुर आरएलयू	3.0 हजार लाइनें

18.2.94 से 31.3.94 के दौरान निम्नलिखित एक्सचेंज चालू करने की संभावना है।

क्र.सं.	एक्सचेंज	जोड़ी जाने वाली सकल क्षमता	पुराने उपस्कर बदलने के बाद बढाई गई निबल क्षमता
1.	वडाला	1.0 हजार लाइनें	1.0 हजार लाइनें
2.	पनवेल	3.0 हजार लाइनें	0.0 हजार लाइनें
3.	टी-चिराई	24.0 हजार लाइनें	13.0 हजार लाइनें
4.	मांडवी	26.0 हजार लाइनें	7.0 हजार लाइनें
5.	मलाड	20.0 हजार लाइनें	3.0 हजार लाइनें
6.	कांदविली	19.0 हजार लाइनें	19.0 हजार लाइनें

विवरण-4

1991-92 में महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में ग्राम पंचायतों को प्रदान की गई टेलीफोन सुविधाओं का जिला-वार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	1991-92 के दौरान प्रदान की गई टेलीफोन सुविधा
1.	अहमदनगर	187
2.	अकोला	41
3.	अमरावती	72.

1	2	3
4.	औरंगाबाद	69
5.	बीड	21
6.	भंडारा	93
7.	बुलधाना	52
8.	चन्द्रपुर	31
9.	धुले	103
10.	गढ़चिरौली	21
11.	जलगांव	79
12.	जलना	18
13.	कोल्हापुर	104
14.	लातूर	55
15.	नागपुर	142
16.	नान्देड़	64
17.	नासिक	182
18.	उस्मानाबाद	12
19.	परभनी	41
20.	पुर्णे	84
21.	रायगढ़	103
22.	रत्नागिरि	51
23.	सांगली	56
24.	सतारा	109
25.	सोलापुर	122
26.	सिंणुदुर्गा	15

1	2	3
27.	थाणे	97
28.	वर्धा	29
29.	यवतमाल	66
30.	गोवा	53

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में श्रीनगर जल विद्युत परियोजना

655. **श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को अपनी स्वीकृति दे दी है;

(ख) परियोजना की कुल लागत व्यय क्या है;

(ग) इस परियोजना पर अब तक उत्तर प्रदेश का कुल कितना व्यय हुआ;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता प्रदान की जानी है और इस परियोजना के लिए अब तक कितनी वास्तविक धन राशि दी गई है; और

(ङ) शेष राशि के कब तक मुहैया कराने की आशा है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). श्रीनगर जल विद्युत परियोजना (6x55), 330 मे.वा. को जनवरी, 1988 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। (मार्च, 92 के मूल्य स्तर पर) अद्यतन अनुमानित लागत 592.45 करोड़ रुपये है।

(ग) से (ङ). परियोजना का क्रियान्वयन विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा था। परियोजना के लिए अगस्त, 1992 में विश्व बैंक ऋण रद्द कर दिया गया था। मार्च, 1993 तक परियोजना पर हुआ कुल व्यय 77 करोड़ रुपये के लगभग है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए निधियां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी थी परन्तु निधियों संबंधी कमी के कारण उत्तर प्रदेश सरकार पिछले दो वर्षों से इस परियोजना के लिए कोई निधियां आंबटित नहीं करा रही है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा टैंकों की खरीद

656. **श्री भेरू लाल मीणा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 सितम्बर, 1993 के हिन्दुस्तान टाइम्स में पाकिस्तान द्वारा

ब्रिटेन से टैंकों की खरीद के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार उन सभी गतिविधियों पर बराबर निगाह रखती है जिनका देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करती है।

कोलार गोल्ड फील्ड में सोने की उपलब्धता

657. **श्री के. एच. मुनियप्पा** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कोलार गोल्ड फील्ड के उत्तर में श्रीनिवासपुरा तक समुचित प्रतिशत सोना विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में ऊपरी खनन द्वारा सोना निकालने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) इस आशय की कोई सत्यापित सूचना प्राप्त नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बैटरी चालित बसें

659. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में बैटरी चालित प्रदूषण मुक्त बसें चलायी जा रही हैं;

(ख) किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इन्हें चलाना बंद कर दिया गया है; और

(ग) उन्हें न चलाने के परिणामस्वरूप राज्य वार और संघ राज्य क्षेत्र वार कितनी धनराशि की हानि हुई है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) बैटरी बस प्रचालित करने वाले संगठनों/विभागों/निकायों की एक सूची संलग्न विवरण में है।

(ख) किसी राज्य/संघ शासित राज्य ने बैटरी बसें वापस नहीं ली हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1. दिल्ली ऊर्जा विकास एजेंसी।
2. जम्मू और कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम, श्रीनगर।
3. थर्मल विद्युत संयंत्र, भटिंडा (पंजाब)
4. रोपड़ थर्मल विद्युत संयंत्र (पंजाब)
5. मुख्य वार्डन, वन्यजीवन, जयपुर (भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान में प्रचालन के लिए)
6. राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी।
7. मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड, जबलपुर।
8. अहमदाबाद नगर निगम।
9. पूना जिला कुष्ठरोग समिति।
10. हिन्दुस्तान प्रीफेब लि. दिल्ली।
11. भेल, दिल्ली।
12. भारतीय राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण दिल्ली।
13. लक्षद्वीप प्रशासन।
14. पिमपरी चिंचवाड़ा नगर निगम।
15. गैर परम्परागत ऊर्जा विकास एजेंसी, लखनऊ।
16. भेल, झांसी।
17. भेल, रूद्रपुर।
18. आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
19. महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड।
20. उत्तर रेलवे, नई दिल्ली।
21. राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण, दिल्ली।
22. पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड।
23. भेल सीरीफोर्ट, नई दिल्ली।

24. उड़ीसा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, भुवनेश्वर।

25. विज्ञान एवं तकनीकी एवं एन ई एस विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार।

26. तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एवं पेपर लि.।

27. चीरन परिवहन निगम।

28. पल्लवन परिवहन निगम लि.।

29. ए एन ई आर टी, केरल।

30. नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद।

31. भारत पैट्रोलियम निगम लि.।

32. बी.ए.आर.सी., परमाणु ऊर्जा विभाग।

[अनुवाद]

गयाना के राष्ट्रपति की यात्रा

660. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गयाना के राष्ट्रपति की हाल की यात्रा का क्या परिणाम निकला;

(ख) क्या इस यात्रा के दौरान कोई समझौता हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) इस यात्रा से दोनों देशों के नेताओं को उच्चतम स्तर पर पारस्परिक हित के मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर मिला है। इससे दोनों पक्षों को विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने का भी अवसर मिला ताकि विद्यमान द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ किया जा सके।

(ख) तथा (ग). जी हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग, संस्कृति तथा कोंसली मसलों पर करार सम्पन्न हुए। भारत की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा गयाना की इंस्टीच्यूट आफ अप्लाईड साइंस एंड टेक्नोलाजी के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सम्पन्न सहयोग के करार में अन्य बातों के साथ-साथ वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचना के आदान-प्रदान की तथा संयुक्त रूप से अनुसंधान करने की व्यवस्था है। कौंसली मामलों में किए गए समझौते के अन्तर्गत दोनों देशों के राजनयिकों तथा सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की अपेक्षा समाप्त कर दी गई है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत शैक्षिक सम्पर्कों के संवर्द्धन तथा कलाकरों, शिक्षाविदों, विद्वानों, प्रदर्शनियों, रेडियो तथा टेलीविजन कार्यक्रमों आदि के आदान-प्रदान की व्यवस्था है।

विदेशी निवेश

661. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने विदेशी प्रचार के माध्यम से विदेशों से और अधिक निवेश आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : सरकार ने विदेशों में संभावित पूंजी निवेशकों के बीच हाल ही के आर्थिक उदारीकरण का प्रचार करने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाए हैं; इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. विदेश स्थित हमारे मिशनों को यह निदेश देना कि वे अर्थव्यवस्था के उदारीकण के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में सूचना का यथा संभव भरपूर प्रचार करने के लिए व्यापक और समन्वित रूप से प्रयास करें।

2. उपर्युक्त कार्य को मिशन प्रभावपूर्ण ढंग से कर सकें, इस उद्देश्य से संभावित पूंजी निवेशकों में प्रचार कार्य के लिए उन्हें एक समेकित मीडिया पैकेज दिया गया है। इस पैकेज में विभिन्न प्रकार के ब्रोशर "डूइंग बिजनेस विद इंडिया" विषय पर एक फ्लॉपी डिस्क "इंडियाः लैंड ऑफ न्यू आपॉर्चुनिटीज" नामक वीडियो कैसट शामिल है; इन सभी में आर्थिक नीतियों, क्रियाविधियों, आवेदन पत्रों इत्यादि के बारे में सुविस्तृत सूचना दी गई है।

3. एक अन्तर्क्रियात्मक प्रक्रिया की स्थापना करना जिसके तहत मिशनों को नियमित रूप से आर्थिक सुधार कार्यक्रम के बारे में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और मिशन हमें इस जानकारी के प्रत्युत्तर के रूप में पूंजी निवेशकों की प्रतिक्रिया के साथ-साथ (आर्थिक) सुधारों पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय की प्रतिक्रिया की भी जानकारी उपलब्ध कराते हैं।

4. हमारे पूंजी निवेश संवर्द्धक प्रयासों के दृष्टिकोण से लक्ष्य देशों के समूह का पता लगाना और सरकारी प्रतिनिधियों, 'फिक्की', 'सी आई आई' जैसे शीर्षस्थ संगठनों तथा निजी उद्योग की भागीदारी में संगोष्ठियों का आयोजन करना।

5. विदेश स्थित, जो मिशन आर्थिक और वाणिज्यिक कार्य में रहे हैं, उनमें वरिष्ठ तथा मध्य स्तर के अधिकारियों के लिए विशेष अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन करना ताकि वे इस बात को कि "भारत पूंजी निवेश का एक लक्ष्य देश है" बढ़ावा देने में सक्षम हो सकें।

6. अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में भारत के संबंध में विशेष परिशिष्ट निकालना।

सेतु समुद्रम परियोजना

662. **श्री इरा अन्बारासु** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सेतु समुद्रम परियोजना संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इसे केरल की नदियों से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) संसाधनों की कमियों को ध्यान में रखते हुए सेतु समुद्रम परियोजना की इस मंत्रालय की 8 वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

वामनपुरम विद्युत परियोजना

663. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान केरल में वामनपुरम विद्युत परियोजना को आरम्भ करने के लिए कोई आवंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवंटित राशि प्रदान कर दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्यम मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (घ). केरल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है कि उन्होंने राज्य क्षेत्र में क्रियान्वयन हेतु वामनपुरम बेसिन में 3.5 मे.वा. लोअर मीनमुट्टी लघु जल विद्युत स्कीम के अधिष्ठापना के लिए अपनी राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु एक स्कीम प्रस्तुत की है। वर्ष 1993-94 के दौरान इस स्कीम के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गयी है।

पन बिजली परियोजना

664. **प्रो. (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अदिरापल्ली पन बिजली परियोजना को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जून, 1989 में अदिरापल्ली जल विद्युत परियोजना (2x80 मे.वा.) को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाया गया था।

खाड़ी क्षेत्र से वापस आए व्यक्तियों के क्षतिपूर्ति दावे

665. **श्री के. राममूर्ति टिड्डिवनाम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाड़ी क्षेत्र से निकाले गये भारतीय द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति के क्षतिपूर्ति दावों की प्राप्ति की अंतिम तिथि बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से अधिकांश लोगों को इस योजना की जानकारी नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख). क्षतिपूर्ति के विभिन्न प्रकार के दावों की अंतिम तारीख तय करने और बढ़ाने का सक्षम प्राधिकरण संयुक्त राष्ट्र क्षतिपूर्ति आयोग का शासी निकाय है।

क, ख, ग और घ प्रकार के दावों के निमित्त राष्ट्रीय सरकारों के लिए अंतिम तारीख पहले 1.7.93 रखी थी जो संयुक्त राष्ट्र क्षतिपूर्ति आयोग ने बढ़ाकर 1.10.93 की और इसके बाद 1.1.94 कर दी। "ङ" प्रकार के दावों को पेश करने की अंतिम तारीख 1.1.94 से बढ़ाकर 1.4.94 कर दी गई है।

(ग) से (ङ). संयुक्त राष्ट्र क्षतिपूर्ति आयोग की मुआवजा योजना कर व्यापक प्रचार किया गया था। जुलाई 1992 में अखबारों में विज्ञापन देकर भारतीय दावेदारों से संयुक्त राष्ट्र क्षतिपूर्ति आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देने के लिए कहा गया था और इस सिलसिले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का भी व्यापक प्रचार किया गया था। भारतीय राष्ट्रिकों से कुवैत सैल से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 1.12.92 थी लेकिन भारतीय राष्ट्रिकों के हितों को और संयुक्त राष्ट्र क्षतिपूर्ति आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम तारीख बढ़ा देने के कारण विशेष कुवैत सैल 8.12.93 तक दावे स्वीकार करता रहा और इसके बाद कार्यस्वरूप के परिप्रेक्ष्य में दावे स्वीकार करना संभव नहीं था क्योंकि अंतिम अवधि विस्तार के बाद इसकी अंतिम तारीख 1.1.94 तय कर दी गई थी और सभी दावों को देख जांच कर उन्हें जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र क्षतिपूर्ति आयोग भेजने और पहुंचाने के लिए कम से कम तीन सप्ताह का समय आवश्यक था मार्च, 1993 में "क" वर्ग के अधूरे/त्रुटिपूर्ण मामलों की कम्प्यूटरीकृत राज्यवार सूची तैयार की गई, जिसमें सबसे अधिक दावे प्राप्त हुए थे, और राज्य/संघ क्षेत्र की सरकारों के मुख्य सचिवों को इस सलाह के साथ भेज दी गई कि वे स्थानीय जन प्रचार अथवा स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से दावेदारों को यह समझाऐं कि वे अपने प्रपत्र भरकर शीघ्र हमें भेज दें। इसके बाद, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को कुछ ऐसे राज्यों में भेजा गया जहां से वर्ग "क" के प्राप्त दावे 1.000 से ऊपर थे। इन राज्य सरकारों ने दावेदारों को इस बात की सूचना देने के विशेष प्रयास किए कि वे अधूरी सूचना को पूरा करके शीघ्र विशेष कुवैत सैल भेज दें और इसी बीच उन्होंने क्षतिपूर्ति योजना के संबंध में गांव के स्तर तक सूचना प्रसारित की। बाद में विदेश मंत्रालय ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करके त्रुटिपूर्ण आवेदन भेजने वाले सभी लोगों को यह सलाह दी कि वे अपने दावे/उत्तर विशेष कुवैत सैल को भेजें ताकि उन्हें क्षतिपूर्ति आयोग को भेजा जा सके।

[हिन्दी]

सड़क दुर्घटनाएं

666. श्री पंकज चौधरी :

श्री जनार्दन मिश्र :

श्री बी. एल. शर्मा प्रेम :

डा. राम कृष्ण कुसमरिया :

श्री रमेश चेन्नितला :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

डा. महादीपक सिंह शाक्य :

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

डा. आर. मल्लू :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, अन्य महानगरों तथा देश के विभिन्न भागों में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, महानगर-वार और राज्य वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(घ) दुर्घटना के शिकार लोगों को, मरने से पूर्व शीघ्र चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाए किए गए हैं; और

(ङ) ऐसी सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) महानगरों और राज्यों में 1990, 1992 और 1992 के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं के वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-1 और 2 में दिए गए हैं।

(ग) सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को देश में स्थापित अनेक दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों द्वारा

मुआवजा दिया जाता है और यदि वाहन का बीमा हुआ होता है तो बीमा कंपनी इसका भुगतान करती है नहीं तो वाहन मालिक इसका भुगतान करते हैं। इस प्रकार सड़क दुर्घटना के पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में दी गई राशि के आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) राज्यों की पुलिस/परिवहन विभागों में प्रचालित सामान्य प्रथा के अनुसार दुर्घटना स्थल पर तत्काल एम्बूलैंस भेजी जाती हैं ताकि पीड़ितों को शीघ्र चिकित्सा सहायता दी जा सके। उसके बाद इन्हें तत्काल नजदीक के अस्पताल में ले जाया जाता है। इसके अतिरिक्त, मोटर यान अधिनियम की धारा 134 के अनुसार दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक के लिए यह अपेक्षित है कि वह घायल व्यक्ति की चिकित्सा के लिए सभी उपयुक्त प्रयास करे तथा यदि आवश्यक हो तो उसे निकटतम अस्पताल में ले जाए बशर्ते कि यदि घायल अथवा घायल व्यक्ति नाबालिग होने की स्थिति में उसके अभिभावक की अन्यथा इच्छा न हो।

(ङ) सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सकरार द्वारा किए गए उपाय विवरण-3 में दर्शाए गए हैं।

विवरण-1

वर्ष 1990 से 1992 के दौरान महानगरों में हुई सड़क दुर्घटनाएं

महानगर	1990	1991	1992
दिल्ली	7697	8065	8506
कलकत्ता	10911	10017	8413
मद्रास	5877	3782	3787
बम्बई	25331	25477	7831*

*नाबालिगों तथा ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या, जिनमें कोई घायल नहीं हुआ हो, इसमें शामिल नहीं की गई है।

विवरण-2

राज्य	वर्ष		
	1990	1991	1992
आन्ध्र प्रदेश	16042	17833	16553
अरूणाचल प्रदेश	233	213	169

1	2	3	4
असम	1762	1899	2093
बिहार	9357	9776 (अ.)	8018
गोवा	2205	2418	1781
गुजरात	25495	27140	26726
हरियाणा	5096	4862	5196 (अ.)
हिमाचल प्रदेश	1123	1269	1296
जम्मू तथा कश्मीर	2326	2451	2645
कर्नाटक	21992	58707	23390
केरल	20247	23985	27093
मध्य प्रदेश	23492	26406	24744
महाराष्ट्र	56982	58378	38495
मणिपुर	472	393	341
मेघालय	540	550	453
मिजोरम	80	87	74
नागालैंड	237	111	125
उड़ीसा	6069	6177	5820 (अ)
पंजाब	1621	1581	1581 (पु.)
राजस्थान	10456	11046	11809
सिक्किम	115	137	150
तमिलनाडु	34634	32522	34247
त्रिपुरा	408	371	422
उत्तर प्रदेश	16318	16864	16480
पश्चिम बंगाल	16375	16136	16136 (पु.)

1	2	3	4
संघ शासित क्षेत्र			
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	144	86	72
चंडीगढ़	250	277	296
दादर नगर हवेली	79	50	55
दमन व दीव	91	67	73
दिल्ली	7697	8063	8506
लक्षद्वीप	2	शून्य	1
पांडिचेरी	662	724	848
कुल	282602	294381	275688

अ. अनुमानित पु. पुनरावृत

विवरण-3

किए गए/किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1 मोटर वाहन अधिनियम 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने के संबंध में सख्त अपेक्षाओं और अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है।

2. परिहवन वाहनों को चलाने के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए ड्राइविंग स्कूल में औपचारिक प्रशिक्षण को एक पूवपिक्षा बनाया गया है।

3. हल्के वाणिज्यिक वाहनों सहित ट्रकों के लिए अधिकतम सुरक्षित लदान भार निर्धारित किया गया है।

4. हल्के मोटर वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों के लिए अधिक गति सीमाएं निर्धारति की गयी हैं।

5. देश भर में वाहनों की फिटनेस की जांच करने के लिए एक समय अंतराल निर्धारित किया गया है।

6. यह निर्धारित किया गया है कि वाहनों में सड़क सुरक्षा उपस्कर लगाए जाएंगे अर्थात वाहनों के लिए ब्लिंकर प्रणाली सहित दिशा संकेतक, खतरनाक या जोखिम वाले माल की ढुलाई करते समय विशेष लैबल लगाए जाएंगे।

7. सड़क सुरक्षा उपाय तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया

है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया कि वे राज्य स्तर पर सड़क सुरक्षा परिषदों का गठन करें।

8. यातायात नियमों और विनियमों को सख्ती से लागू करना।

9. अंधाधुंध और लापरवाही से वाहन चलाने, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, खराब हैड लाइटों, ओवर स्पीडिंग, ओवर-लोडिंग आदि के विरुद्ध नियमित रूप से विशेष अभियान चलाना।

10. उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नोटिस जारी करके नियमित अभियोजन।

11. दिल्ली यातायात पुलिस के सड़क सुरक्षा सैल द्वारा स्कूलों में स्कूल बच्चों को सड़कों के नियमों और संबंधित सुरक्षा पहलुओं के बारे में नियमित रूप से आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है।

12. दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में ब्लिंकर/संकेत लगाना।

13. राडार गनों द्वारा प्रासीक्यूशन।

14. दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में अधिक पुलिस की उपस्थिति।

15. विशेष प्रातःकालीन अभियान तथा रात्रि में चलती-फिरती गश्त।

16. सड़क सुरक्षा के संबंध में व्यापक प्रचार करने के लिए दूरदर्शन/आकाशवाणी, प्रैस का उपयोग।

17. बस बाक्सेज और यलो-बाक्सेज की पेंटिंग।

18. राजमार्गों पर विशेष रात्रि चैकिंग।

19. बस, भारी परिवहन वाहनों, टी एस आर, टैक्सियों आदि के विरुद्ध विशेष अभियान।

20. सड़क सुरक्षा कक्ष द्वारा सभी विभिन्न सड़क प्रयोक्ताओं और बच्चों में सड़क सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए पेंटिंग प्रतियोगिताएं और अन्य सड़क सुरक्षा कार्यकलाप आयोजित किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अग्रवाल समिति

667. **श्री अनन्तराव देशमुख :**

श्री शरद पटनायक :

श्री प्रकाश बी. पाटिल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार माध्यमों के सभी एककों और संगठनों की अध्यक्षता में गठित की गई उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) समिति द्वारा की गई सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सेवाओं तथा संवर्गों, इसके माध्यम एककों के पुनर्गठन, कार्मिकों के प्रशिक्षण और प्रशासनिक तथा आर्थिक शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित है।

(ग) जब कि सरकार द्वारा कुछ सिफारिशों को पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। अन्य सिफारिशों की जांच प्रक्रिया चल रही है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31

668. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 पर फलाकाटा और पुंडीबारी से नये मार्ग बनाने के लिए सड़क और पुल का निर्माण कार्य समय से पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है और इस काम के लिए वर्ष वार कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(घ) निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) एजेंसियों का निपटारा और कार्य की वास्तविक शुरुआत में कुछ विलम्ब हो गया था। राज्य लोक निर्माण विभाग के साथ विवाद हो जाने के कारण ठेकेदार ने जुलाई, 1993 से कार्य रोक दिया है।

(ग) 13.72 करोड़ रु.। इस परियोजना पर 1991-92 से किया गया व्यय नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	किया गया व्यय
1991-92	143.73 लाख रु.
1992-93	189.76 लाख रु.
1993-94	222.00 लाख रु. (आबंटन)

(घ) सड़क कार्य पुनः प्रारंभ किए जाने के 2 वर्ष के भीतर पूरा हो जाएगा।

[हिन्दी]

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ

669. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों में सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और इसके क्या कारण हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). 5 जनवरी, 1994 को नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा के बारे में एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सेमिनार में विचार विमर्श के दौरान यातायात तथा परिवहन दोनों, विभागों में सड़क सुरक्षा कक्ष खोले जाने के बारे में एक सुझाव दिया गया था ताकि राज्य स्तर पर सड़क सुरक्षा संबंधी उपायों का समन्वय किया जा सके। चूंकि, सेमिनार में दिए गए सुझावों को मुख्यतया राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाना होता है, इसलिए आवश्यक कार्रवाई हेतु उनके पास पत्र लिख दिए गए हैं।

[अनुवाद]

विदेशी चैनलों की वृद्धि पर रोक

670. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी टी.वी. नेटवर्कों द्वारा भौतिकतावाद और सेक्स पर आधारित दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों का भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में ऐसे कार्यक्रम दिखाए जाने पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) सरकार को जानकारी है कि विदेशी टेलीविजन चैनलों के कार्यक्रम को अधिकांश लोगों द्वारा भारतीय संस्कृति और जीवन पद्धति से भिन्न समझा जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विदेशी टेलीविजन चैनलों के कार्यक्रम के विषय वस्तु भारत सरकार के अधिनियम की परिधि के अंतर्गत नहीं आते।

उपग्रह नेटवर्क के माध्यम से "मनीआर्डर" का प्रेषण

671. **श्री शरद दिघे :**

श्री हरिभाई एम. पटेल :

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

श्री गोविन्द राव निकम :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मनीआर्डर के शीघ्र प्रेषण के लिए उपग्रह नेटवर्क का उपयोग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो स्थान सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). जी हां। उपग्रह संचार द्वारा मनीआर्डरों के शीघ्र पारेषण के लिए कम्प्यूटर प्रणालियों सहित 'वेरी स्मॉल अपरचर टर्मिनल' (वी एस ए टी) स्थापित करने का विभाग का प्रस्ताव है।

75 स्थानों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

माइक्रो अर्थ स्टेशन स्थापित करने के लिए स्थानों की सूची

क्र.सं.	सर्किल	स्थान
1.	असम	1. गुवाहाटी 2. सिलचर 3. तेजपुर 4. डिब्रुगढ़ 5. उत्तरी लखीमपुर
2.	आंध्र प्रदेश	1. हैदराबाद 2. विजयवाड़ा 3. विशाखापटनम 4. तिरुपति 5. करनूल
3.	बिहार	1. पटना 2. रांची 3. गया 4. पूर्णिया 5. दरभंगा 6. माधेपुरा 7. मुजफ्फरपुर
4.	दिल्ली	

1	2	3
5.	गुजरात	1. राजकोट 2. बड़ोदा 3. अहमदाबाद
6.	हिमाचल प्रदेश	1. शिमला 2. मंडी
7.	हरियाणा	1. अम्बाला 2. रोहतक
8.	जम्मू एवं कश्मीर	1. जम्मू 2. श्रीनगर
9.	कर्नाटक	1. बेंगलूर 2. मैसूर 3. धारवाड़ 4. मंगलूर 5. रायचूर
10.	केरल	1. त्रिवेन्द्रम 2. कालीकट 3. कोचीन
11.	मध्य प्रदेश	1. रायपुर 2. जबलपुर 3. इंदौर 4. रतलाम 5. भोपाल 6. ग्वालियर
12.	महाराष्ट्र	1. नागपुर 2. बंबई 3. पुणे 4. पणजी 5. औरंगाबाद
13.	उत्तर पूर्व	1. शिलांग 2. आइजोल 3. अगरतला 4. कोहिमा
14.	उड़ीसा	1. भुवनेश्वर 2. संभलपुर
15.	पंजाब	1. लुधियाना 2. जालंधर
16.	राजस्थान	1. जयपुर 2. जोधपुर 3. उदयपुर 4. अजमेर 5. कोटा
17.	तमिलनाडु	1. मद्रास 2. कोयम्बटुर 3. मदुरै 4. तिरूची 5. थानजावूर
18.	उत्तर प्रदेश	1. लखनऊ 2. कानपुर 3. वाराणसी 4. आगरा 5. इलाहाबाद 6. सहारनपुर 7. बरेली 8. रूद्र प्रयाग
19.	पश्चिम बंगाल	1. कलकत्ता 2. सिलीगुडी 3. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (पार्ट ब्लेयर)

गुजरात में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

672. **श्री रतिलाल कालिदास वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात में जिला-वार कितने स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं; और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना अवधि के दौरान राज्य में ऐसे और अधिक एक्सचेंज स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो 1994-95 के लिए इस संबंध में यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो तत्संबंधी जिलवार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान गुजरात में, मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में, लगभग 40 एक्सचेंजों को खोले जाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक वर्ष अप्रैल/मई माह में स्थान निर्धारित किए जाते हैं।

विवरण

31.12.93 की स्थिति के अनुसार एक्सचेंजों की वर्णानुसार सूची

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
जिला : अहमदाबाद		14.	छनगीदर
1.	"35" एक्सचेंज*	15.	दावहोडा (एएम)
2.	"39" एक्सचेंज*	16.	देहगम
3.	बदरखा	17.	डेटरोज
4.	बगोदरा	18.	देवकरनामुवड़ा
5.	बहीआल	19.	धुंधुका*
6.	बारावाल	20.	धोलेरा
7.	बरेजा	21.	धोलका
8.	बावला	22.	धोलका सेट*
9.	भद्रा	23.	एलिसब्रिज*
10.	भीमनाथ	24.	फेडरा
11.	बोपाल	25.	गुंडी
12.	कन्टीनमैंट (1)*	26.	हलिसा
13.	सेंट्रल*	27.	हंसलपुर

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
28.	इसानपुर मोटा	52.	नवरंगपुरा-4*
29.	झोलापुर	53.	नवरंगपुरा-5*
30.	जिंडवा	54.	ओधव*
31.	कामोजाला	55.	ओगानेज
32.	करकथाल	56.	रायपुरगेट*
33.	कटोसन रोड	57.	रखीयाल
34.	कौका	58.	रामपुरा (एएम)
35.	केलियावसना	59.	रनपुरा (एएम)
36.	केरल (जीआईडीसी)	60.	रेलवेपुरा-1*
37.	कोठ	61.	रेलवेपुरा-2*
38.	कुआ	62.	रेलवेपुरा-3*
39.	कुजद	63.	रेलवेपुरा-4*
40.	लिहोडा	64.	सावरमती*
41.	मंडल	65.	सनंद*
42.	मनीपुरा	66.	वसना*
43.	मिरोली	67.	वसना-2*
44.	नंदेज	68.	वसना-3*
45.	नरनपुरा-1*	69.	वस्त्रपुर
46.	नरनपुरा-2*	70.	वटामन
47.	नरोदा*	71.	बटवा*
48.	नवागम	72.	वऊथा
49.	नवरंगपुरा-1*	73.	वेहलाल
50.	नवरंगपुरा-2*	74.	वीरामगम*
51.	नवरंगपुरा-3*	75.	वीरामगम सेट-1*

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
76.	वीरामगम सेट-2*	22.	गोविन्दपुर
77.	विसालपुर	23.	हरमड़िया
जिला : अमरेली		24.	हुडली
1.	अमरेली*	25.	जाफराबाद*
2.	अमरेली सैट*	26.	जाफराबाद सैट
3.	अंनीदा	27.	जलिया
4.	अंसोडर	28.	जामवरवाला
5.	बाबापुर	29.	जूना वागहड़िया
6.	बाबरा*	30.	केरियाछाड
7.	बगासरा*	31.	खंभा*
8.	छलाला	32.	खंभा (सैट)*
9.	छलाला (सैट)	33.	कोडीनर (सैट)*
10.	छवंड	34.	कोडीनर*
11.	छितल	35.	कुंकावव*
12.	दामनगर	36.	कुंकावव सैट
13.	दामनगर (सैट)	37.	लाठी*
14.	देदन	38.	लिलिया मोटा*
15.	धरगानी	39.	मोटा अंकड़िया
16.	धारी*	40.	मोटा देवलिया
17.	डोलासा	41.	मोटा मड़ावड़ा
18.	डूंगर	42.	मोटा समथियाला
19.	इकलेरा	43.	नाना अंखड़िया
20.	घटवाड़	44.	पीपीदव
21.	गोपालग्राम	45.	रजूला*

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
46.	रजूला (सैट)*	16.	छादोतर
47.	सरगभाड़ा	17.	चांदीसर
48.	टटनिया	18.	छापी
49.	टिम्बो	19.	त्रिचसानी
50.	उन्तवाड़	20.	डेंटा*
51.	वाड़िया	21.	डेंटीवाड़ा
52.	वेलन	22.	दीसा*
53.	विक्टर	23.	देओडर*
जिला : बनासकांठा		24.	धंधा
1.	अंबाजी	25.	धानेरा (सैट)*
2.	अंबाजी (सैट)	26.	धानेरा*
3.	अमीरगढ़	27.	धीमा
4.	असेदा	28.	गढ़
5.	बापला	29.	घाना
6.	भाभर	30.	गोला
7.	भाभर (सैट)	31.	हदद
8.	भादथ	32.	इकबालगढ़
9.	भलसारा	33.	जलोतरा
10.	भरादवा	34.	जोगोल
11.	भवीसना	35.	जोतपुर
12.	भोल	36.	जूनी सेधानी
13.	भोलदी	37.	कबीरपुरा
14.	भारदू	38.	कनोदर
15.	भूटेडी	39.	सवीमत

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
40.	कुवाला	64.	सिहोरी
41.	लखानी	65.	सुगम
42.	मडल	66.	टाकरवाड़ा
43.	मालन	67.	थारा
44.	मेटा	68.	थारड़ (सैट)*
45.	मोरिया	69.	थारड़*
46.	नेनवा	70.	उन
47.	पालनपुर*	71.	वाडावल
48.	पालनपुर (सैट-1*)	72.	वडगम*
49.	पालनपुर(सैट-2)*	73.	वारही
50.	पालड़ी	74.	वसादा
51.	पंछाडा	75.	वसाना
52.	पंथावाड़ा	76.	वीरमपुर
53.	पिलूछा	77.	वाव
54.	पिलूडा	78.	जेरदा
55.	राधनपुर*	**जिला : भड़ौच**	
56.	राह	1.	अमलेश्वर
57.	रामपुरा (पीएनपी)	2.	अमोड़*
58.	रामसन	3.	अंकलेश्वर*
59.	रनपुर (पीएमपी)	4.	भलौद
60.	रसाना	5.	भामड़िया
61.	समाऊमोटा	6.	भड़ौच*
62.	सनटलपुर	7.	छछवेल
63.	सेजलपुरा	8.	चंडेरिया

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
9.	दहेज	33.	पनोली
10.	डेडियापाड़ा	34.	पनोली गांव
11.	डेरोल (वीसीएच)	35.	प्रतापनगर
12.	डेवला	36.	राजपरदी
13.	हनसोट*	37.	राजपीपला
14.	हिंगलोट*	38.	संजोद
15.	इलाब*	39.	सामनी
16.	जमबूसर*	40.	सरभान
17.	जंतरन	41.	सर्लेबा
18.	झागड़िया (सैट)*	42.	शुक्ल तीर्थ
19.	झागड़िया*	43.	सिसोदरा
20.	कवि	44.	टंकारिया
21.	केवड़िया कालोनी	45.	उमल्ला
22.	खरोड़	46.	वगरा
23.	कौछ	47.	वालिया
24.	लाछरस	48.	जनोर
25.	मंडवा	**जिला : भावनगर**	
26.	मुल्लर	1.	अलंग
27.	नाबीपुर	2.	अम्बारदी
28.	नेतरंग	3.	बाधड़ा
29.	निकोली	4.	भामभान
30.	पलेज	5.	भावनगर*
31.	पलेज (सैट)	6.	भावनगर (सैट)*
32.	पनेथा	7.	भीमदाद

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
8.	बोटड*	32.	मंडवा
9.	बुधेल	33.	मंडवी (वी वी)
10.	चित्रा	34.	मोटा खुन्तावाड़ा
11.	दत्ता	35.	नानी राजस्थली
12.	धासा	36.	नवागम
13.	डोला	37.	निनगाला
14.	दिहोर	38.	नोहनवाडर
15.	गदहाड़ा*	39.	ओलिया
16.	गरियाधर*	40.	ओथा
17.	घेटो	41	पालीटाना (सैट)*
18.	गोधाकड़ा	42.	पालीटाना*
19.	घोघा*	43.	पालीयाड़
20.	गुंदरन	44.	पखड़ी
21.	जेसर	45.	पिथालपुर
22.	जीरा	46.	रंगोला
23.	जूनासावर	47.	रोहीशाला
24.	खोपला	48.	सनोसारा
25.	कोलोयक	49.	सावरकुंडला
26.	कुंभन (महुआ)	50.	सावरकुंडला (एसए)
27.	कुंभन (थाल)	51.	सिहोर*
28.	लाठीदाद	52.	सोधड़
29.	मधोदा	53.	टलाजा*
30.	महुआ*	54.	टना
31.	मालपारा	55.	थालिया

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
56.	टिमना	2.	आमरन
57.	ट्रापज	3.	बालाछड़ी
58.	तुरखा	4.	बालंभा
59.	उगामदी	5.	बलवा (जेएमएन)
60.	अमराला*	6.	भदथार
61.	वल्लभीपुर*	7.	भान्गोर
62.	वालूकड़	8.	भानवाड़*
63.	वंडा	9.	भाटिया
64.	वेलावाडर	10.	डाबासंग
65.	बीजापड़ी	11.	धरपा
66.	जामराला	12.	धरोल*
जिला : डांग		13.	द्वारका
1.	अहवा	14.	द्वारका सैट
2.	सपुतरा	15.	पल्ला
3.	वाघई	16.	गधका
जिला : गांधीनगर		17.	हदीआना
1.	अदालज	18.	हापा
2.	गांधीनगर*	19.	जामदेवलिया
3.	रंधेजा	20.	जमजोधपुर*
4.	सादरा	21.	जामकल्याणपुर*
5.	शेराथा	22.	जामखमभालिया*
6.	सिहोलो मोती	23.	जामखमभालिया एस*
जिला : जामनगर		24.	जामनगर*
1.	अलियाबाड़ा	25.	जामनगर सैट

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
26.	जमरावल	50.	रनपुर (जेएमएन)
27.	जामवनथली	51.	सादोदर
28.	जिवापर	52.	सलाया
29.	जोडिया*	53.	सलाया सैट
30.	कलावड़*	54.	समाना
31.	कनालुस	55.	सापर
32.	खंडेरा	56.	सातापर
33.	खरेदी	57.	सेठवडाला
34.	लालपुर*	58.	शिवा
35.	लाम्बाबुंदर	59.	सिदसर
36	लातीपुर	60.	सिक्का
37.	मातवा	61.	सिक्का सत
38.	मीथापुर	62.	सोनवाड़िया
39.	मोटा अशोटा	63.	तासार
40.	मोटा गुंडा	64.	वेदपंचावा
41.	मोटा पंछदेवाड़ा	65.	विरद
42.	मोटा वडाला	66.	वडपंचसरा
43.	मोती वानूगर	जिला : जूनागढ़	
44.	मोवन	1.	अदारी
45.	नवागम (जेएमएन)	2.	अदित्याना
46.	निकावा	3.	अदवाना
47.	ओखा*	4.	अजब
48.	ओखा सैट*	5.	अजोथा
49.	रन	6.	अकोलवाड़ी

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
7.	अमरपुरगिर	31.	कुटीयाना*
8.	असनीयाला	32.	कुटीयाना सैट
9.	बागूद	33.	लिम्बुड़ा
10.	बागवाडर	34.	लुशाला
11.	बालागम	35.	माधवपुर
12.	बामनाशा	36.	माधवपुर (जीआईआर)
13.	बंतवा	37.	महीयारी
14.	भालगम	38.	माजेवाड़ी
15.	भीसन*	39.	मलिया हतीना*
16.	बिलेश्वर	40.	मलिया हतीना एस*
17.	बिलखा	41.	मानवदार*
18.	छोखाड़	42.	मानवदार (सैट)*
19.	धंधूसर	43.	मंगनाथ पीपल
20.	धोखड़वा	44.	मंगरोल*
21.	दिवराना	45.	मेनडरडा*
22.	पटाना	46.	मोहब्तपुर
23.	गंटिया प्रानछी	47.	मोरासा
24.	गिर गधाड़ा	48.	मोती मोनपारी
25.	जूनागढ़*	49.	नवाबंदर
26.	कडाछ	50.	पोरबंदर*
27.	केशोड़ (सैट)*	51.	पोरबंदर (सैट)*
28.	कशोड़*	52.	राना कन्डोरना
29.	खागेशरी	53.	राना खीरासारा
30.	खीरासारा	54.	रानावडाला

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
55.	रानावव*	4.	अलीना
56.	संखेड़ा (जेएनडी)	5.	अलिन्द्रा
57.	सरदारगढ़	6.	आनंद*
58.	सरसई	7.	अनारा
59.	ससागिर	8.	अंगदी
60.	शाहपुर	9.	अंकलव
61.	शर्मा	10.	अंतीसर
62.	शेरबोघ	11.	असामली
63.	शील	12.	असोदर
64.	सूत्रपाड़ा	13.	अन्तरसम्बा (के)
65.	टलाला*	14.	बालासिनोर
66.	टीकर	15.	बालासिनोर (एसएटी)
67.	टुंडागोसा	16.	बामागंम
68.	ऊना*	17.	बमानवा
69.	वाडल	18.	बहादरन
70.	वंथली	19.	मलांदा
71.	वेरावल*	20.	मलेज
72.	वीसावड़ा	21.	बोचासन
73.	वीसावाडर*	22.	बरसाद*
74.	जापोडाड	23.	काम्बे*
जिला : खेड़ा		24.	चाकलसी
1.	अदास	25.	चिप्पादी
2.	अजरपुरा	26.	चितारवड़ा
3.	अकलाचा	27.	चनेल

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
28.	दबहन	52.	कोयदाम
29.	दादहो	53.	लसूंदरा
30.	दकोर	54.	लिम्बासी
31.	देवहरी	55.	मगोनपुरलाट
32.	देवा	56.	महीसा
33.	धरमाज	57.	महुधा
34.	धरमाज (एसएटी)	58.	मटार*
35.	धुवरन	59.	मेहलाव
36.	गोलना	60.	मेहमदाबाद*
37.	गुदेल	61.	मीयापुर (खेड़ा)*
38.	हलदरवास	62.	मोहलेल
39.	जनोद	63.	तोतीजहेर
40.	जिचका	64.	नडियाद*
41.	कनिशा	65.	नडियाद (एसएटी)*
42.	कांजरी	66.	नैका
43.	कांजरी (एसएटी)	67.	नापा
44.	कंपडगंज*	68.	नपाद
45.	कपड़गंज (एसएटी)*	69.	नार
46.	कथाना	70.	नरनपुरा (लाट)
47.	कथलाल	71.	नेस
48.	सांदली	72.	निर्मली
49.	खेड़ा	73.	ओदे
50.	खेड़ा (एसएटी)	74.	पानदाद
51.	किंखलू	75.	पनोवा

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
76.	पनसोरा	100.	उमरेठ (एसएटी)
77.	पेतलांद	101.	उंदेल
78.	पेतलाद (एसएटी)*	102.	उत्तरसांदा
79.	पिज	103.	दीवी नगर
80.	राधू	104.	वदाद
81.	रस	105.	वदादला
82.	संदेसर	106.	वाटू
83.	संधेली	107.	वदतल
84.	सरसा	108.	वदथल
85.	सरसा (एसएटी)	109.	वनूआ
86.	सस्तापुर	110.	वसाद
87.	सवाली (खेड़ा)	111.	वसाद (एसएटी)
88.	सेवालिया	112.	वसना मर्जिया
89.	सोजित्रा	113.	वास
90.	सोजित्रा (एसएटी)	114.	वतोदरा
91.	सोमेश्वर लाट	115.	वीरपुर (के)
92.	सनाव	116.	व्यास वसना
93.	सुंदरपुरा	117.	वादगम
94.	तारापुर	118.	वानकबोरी (के)
95.	तारापुर (एसएटी)	जिला : कच्छ	
96.	थसरा	1.	अदसार
97.	तोरना	2.	अठोई
98.	उमेता	3.	आदिपुर
99.	उमरेठ	4.	अंजार*

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
5.	बालसर	29.	गंगापार
6.	माधौ*	30.	धादुली
7.	भारापर	31.	गोयला
8.	भस्पदिया	32.	गुंदाला
9..	भीमासर (बी)	33.	हाजापार
10.	भीमासर (सी)	34.	जाखौ
11.	भुज*	35.	के. मांडवी*
12.	भुज (एसएटी)*	36.	कादगड़ा
13.	भुजपुर	37.	कांडला
14.	बिदादा	38.	कांडला कफतज
15.	बीट्टा	39.	कारागोगा
16.	चन्द्रोदा	40.	केरा
17.	चिराई मोती	41.	खाम्मारा
18.	दहीसारा (बुज)	42.	सावदा
19.	दरसादी	43.	खेदोई
20.	दयापार	44.	कोइड़ा (सी)
21.	देशालपुर	45.	कोइड़ा (जे)
22.	दुधई	46.	कोइड़ा (आर)
23.	दुमरा	47.	कोठारा
24.	फतेहगढ़	48.	कुकमा
25.	गधसीसा	49.	लैजा
26.	गागोदर	50.	लकाडिया
27.	गांधीधाम	51.	लाखापेर
28.	गांधीधाम (एसएटी)	52.	लोदई

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
53.	लूनी	77.	समराय
54.	मधवारा	78.	समखैली
55.	मनकुवा	79.	सनोसरा (कच्छ)
56.	माताबध	80.	सुखापाट (बी)
57.	मिथीरोहर	81.	सुखपेर (आर)
58.	मोटाअसामबिया	82.	सुथारी
59.	मोढाला	83.	सुवाई
60.	मुंद्रा*	84.	सुमरासर
61.	नाखातराना*	85.	ताप्पड़
62.	नलिया	86.	टेरा
63.	नलिया (एसएटी)	87.	तराम्बी
64.	नारायण सरोवर	88.	तुना
65.	नोयरा	89.	उमेदी
66.	निरोना	90.	वादला
67.	पदमपुर	91.	वंछिया
68.	पांघरो (एसकेवी)	92.	वंकी
69.	पांघरो (केएलटीपी)	93.	वरसामेठी
70.	पातरी (के)	94.	क्योर
71.	रहपार (के)*	95.	विशन
72.	रहपार (एसएटी)*	96.	वाड़ा
73.	रमानिया	**जिला : मेहसाणा**	
74.	रतनाल	1.	अगलोड
75.	रावमोती	2.	अम्बालियासन
76.	रानापार	3.	अमरापुर

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
4.	तलीसाना	27.	दुधर्मपुरा
5.	बलीसाना (एसएटी)	28.	गम्मू
6.	बलोल	29.	गेरीता कोलावदा
7.	बालवा (एसईएच)	30.	गोज़ारिया
8.	बेघराजी	31.	हरीज*
9.	मदरादा	32.	हरीज (एसएटी)*
10.	मांदू	33.	जगुदन
11.	मिलवान	34.	जामला (मेह)
12.	बिलिया	35.	जंगराल
13.	चादा	36.	जनीराल
14.	चनासमा*	37.	जसपुर
15.	चनासमा (एसएटी)*	38.	झलासन
16.	चरादा	39.	जोताना
17.	छतराल	40.	जोताना (एसएटी)
18.	छतराल (एसएटी)	41.	कादा
19.	दबहाद	42.	कादी (एसएटी)*
20.	दमेआ (एमईएच)	43.	कादी
21.	दंगारवा	44.	कहोदा
22.	दसाज	45.	ककोशी
23.	देलमाल	46.	कालोल (एसएटी)*
24.	धर्मपुर (एमईएच)	47.	कालोल*
25.	धिनोज	48.	कल्याणपुर
26.	दुधाका	49.	कल्याणपुर (एसएटी)

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
50.	कमाना	73.	मुजपुर
51.	कमलीवाला	74.	नाना
52.	कांसा	75.	हंडासना
53.	करबाटिया	76.	नारदीपुर
54.	कटरा	77.	नारदीपुर (एसएटी)
55.	खम्बेल	78	पाली
56.	खरेलू*	79.	पंचोट
57.	खेरवा	80.	पाटन (एसएटी)
58.	खिमियाना	81.	पाटण*
59.	कुकरवाड़ा	82.	पुनासन
60.	कंधेर	83.	रणुज
61.	लदोल	84.	रणुज (एसएटी)
62.	लंघनाज	85.	सामेतरा
63.	लंघनाज (एसएटी)	86.	सामी (एसएटी)
64.	लिंच	87.	सामी*
65.	लोदरा	88.	संतेज
66.	महूदी	89.	सरदारपुर
67.	मानसा	90.	सरियाद
68.	मेड़ा	91.	सैलासना
69.	मेड़ा अदराज	92.	शंखेश्वर
70.	मेहसाणा (एसएटी)*	93.	सिद्धपुर (एसएटी)*
71.	मेहसाणा*	94.	सिपोर
72.	मोठेरा	95.	सुदासना

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
96.	संधिया	4.	भोरवा
97.	सूरज	5.	कुथनामवाड़ा
98.	योल	6.	डी बरिया (एसएटी)*
99.	तरनसवाड़	7.	डी बरिया*
100.	तंडव (एमईएच)	8.	देरोल
101.	उमटा	9.	धनपुर
102.	उमझा	10.	दिवादा कालोनी
103.	ऊंझा (एसएटी)	11.	दोहाद (एसएटी)*
104.	उपेरा	12.	दोहाद*
105.	वदावली	13.	फतेहपुरा
106.	वादनगर	14.	गरबददा
107.	वड़नगर	15.	धोधाम्बा
108.	वालम	16.	गोधरा (एसएटी)-1*
109.	वसाई	17.	गोधरा (एसएटी)-2*
110.	वयाद	18.	गोधरा
111.	विजापुर*	19.	गोथि
112.	विसनगर (एसएटी)*	20.	हलोल (एसएटी)
113.	विसनगर*	21.	हलोल*
114.	विथोड़ा	22.	जंतराल
जिला : पंचमहल		23.	जेसावाड़ा
1.	अदादरा	24.	झलोदं*
2.	अराद	25.	ककनपुर
3.	बकोर	26.	कटवाड़ा

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
27.	खखरिया	50.	सगिजाला
28.	खानपुर	51.	संजेली
29.	कोथम्बा	52.	संसोली
30.	लिमाडिया	53.	सनीरामपुर
31.	लिमोई	54.	सनीरोड
32.	मिलखेड़ा*	55.	सेवानिया
33.	मधवास	56.	शेहेरा
34.	मालव	57.	शिवराजपुर
35.	मालेकपर	58.	सुखसार
36.	मालवन	59.	टिम्बारोड
37.	मेहलोल	60.	वरधारी
38.	मूरा	61.	वेजालपुर
39.	मुखरेना	**जिला : राजकोट**	
40.	मुवादा (आर)	1.	अजी राजकोट*
41.	निम्नखखेरिया	2.	अजी राजकोट सैट
42.	पंचमहुड़ी	3.	अन्दरना
43.	पावागढ़	4.	अटकोट
44.	पिलोद	5.	बागथला
45.	रचनारदा	6.	भदला
46.	रमेशरा	7.	भक्तिनगर राजकोट*
47.	रामपुर	8.	भयावदर
48.	रंधीकपुर	9.	भुनावा
49.	रिंचवानी	10.	चाचापड़

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
11.	चित्रवद	35.	कोलीथाड़
12.	दहीसारा	36.	कोलकीं
13.	देरदी	37.	कोट्डासंगानी*
14.	देवकाडालोल	38.	केआर राजकोट*
15.	धान्क	39.	कुवादवा
16.	धोराजी*	40.	लाजई
17.	गोमता	41.	लाठ
18.	जमकनडोरना*	42.	लीलापर
19.	जसदन*	43.	लोधीका*
20.	जेबी राजकोट*	44.	लुनसार
21.	जेतलसर	45.	महिका
22.	जेतपुर (एम)	46.	माकनसार
23.	जेतपुर (सैट)*	47.	मलिया मियाना
24.	कलाना	48.	मलियासन
25.	कमलापुर	49.	मोर्वी*
26.	कस्तूरबा धाम	50.	मोर्वी सैट*
27.	केराली	51.	मोटा दादवा
28.	खाद वन्धली	52.	मोती मराद
29.	खजुर्दी	53.	मोविया
30.	खाखारेची	54.	नगर पिपालिया
31.	खरेदा .	55.	नवलखी
32.	खिरसारा (राजकोट)	56.	पादहरी
33.	सिरसारा	57.	पनेलीमोती
34.	खोराना	58.	पतनवाव

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
59.	पतिदाद	83.	वीरनगर
60.	पिपलीराज	84.	वीरपुर (आरजे)
61.	राजकोट ई-10 बी*	85.	वंकनेर (आरजे)*
62.	राजकोट आरएलयू*	**जिला : साबरकांठा**	
63.	रामू	1.	अगिओल
64.	रतनपार	2.	अकसंद
65.	सनथाली	3.	अबालिया
66.	सरधांर	4.	अंवपाईथारा
67.	सरपदाद	5.	अनिओर
68.	सतोदाद	6.	अतरसुवा
69.	शापर	7.	बदोली
70.	शिवराजगध	8.	बमना
71.	सिंधारवादर	9.	बयाद (एसएटी)*
72.	सुल्तानपुर	10.	बयाद*
73.	सुपेदी	11.	बेरेना
74.	तनकारा	12.	मदरेश्वर
75.	टिथावा	13.	भिलोदा
76.	उवलेता	14.	चंदारनी
77.	वदाधरी	15.	चिथोदा
78.	वदासदा	16.	चितरोदा
79.	वाजदी	17.	दधलिया
80.	वसावदा	18.	दवाद
81.	ववानिया	19.	देहगमड़ा
82.	विंचिया	20.	देमई

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
21.	देशोन्तर	45.	खेरोल
22.	धनसुरा	46.	कूइयावाड़ा
23.	धनसुरा (एसएटी)	47.	लम्बादिया
24.	फिंकू	48.	लम्सहनपुराकहवा
25.	तुडेड़ा	49.	लक्ष्मीपुर
26.	गांबत	50.	लिम्बोई
27.	गादही	51.	मालपुर
28.	गधुआ	52.	मैहोदा
29.	गदकन	53.	मेघ
30.	गम्मोई	54.	मेघराज*
31.	हरसोल	55.	वोडासा (एसएटी)*
32.	हिम्मतनगर*	56.	वोदासा*
33.	इदार*	57.	मोती इसरोल
34.	इल्लाल	58.	मूर्ल
35.	जादर	59.	मुनाई
36.	जाड़ता (एचएचआर)	60.	नाना देलवाड़ा
37.	कटिआदरा	61.	नवानगर
38.	कटोली	62.	पटेलढूंढा
39.	कासना	63.	पोशीना
40.	कावा	64.	प्रान्तीज*
41.	रनेद	65.	प्रतापपुरा
42.	खेडब्रह्मा*	66.	पुन्सारी
43.	खेरदी	67.	पुराल
44.	खेरोज	68.	रायगढ़

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
69.	रामगढ़ी	92.	विजयनगर*
70.	रामपीरकम्पा	93.	विष्णुपुराकंपा
71.	रामपुरा कंपा	**जिला : सूरत**	
72.	रानासन	1.	अनावल
73.	रूपाल	2.	अनुमाला
74.	सागपुर	3.	अरेठ
75.	सलात	4.	बाजीपुरा
76.	सरदोई	5.	बलकस
77.	सथम्बा	6.	बरबोधन
78.	सतनगर	7.	बरदोली (सैट)
79.	शामलाजी	8.	भाठा
80.	शिनोल	9.	बोधां
81.	शिवराजपुर कैंप	10.	बुहारी
82.	टकाटुका	11.	दोलारा
83.	तखतगढ़	12.	डोलवन
84.	तालोद	13.	डुमस
85.	तारकवाड़ा	14.	फोर्ट सोंगध*
86.	तिनतोई	15.	गंगाधर
87.	तिनतोईसैन	16.	गोदावड़ी
88.	उमेदगढ़	17.	कदोद
89.	ऊचीधनाल	18.	कदोदारा
90.	वड़ागाम	19.	कामरेज*
91.	वाडाली	20.	करचेलिया

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
21.	कटरगाम	44.	सूरत (एसएटी)
22.	कटरगाम (सैट)	45.	सूरत 63 लैवल
23.	काचोर	46.	सूरत एमकेटीई आरएलयू
24.	कवस	47.	सूरत एनईसी
25.	किम	48.	सूरत यूनिट-1
26.	कोसम्बा	49.	सूरत यूनिट-2
27.	लिम्बादा	50.	सूरत यूनिट-3
28.	एम.एम. मंगरोल*	51.	तदकेश्वर
29.	माधी	52.	उधना
30.	महुवा*	53.	उकाई
31.	मजूरा (आरएलयू)	54.	उमरपाडा
32.	मान्दवी*	55.	वलोद*
33.	निजार	56.	वंकल
34.	ओल्पाड	57.	वरद
35.	पल्साना*	58.	वंकानेर (एसआर)
36.	पण्डेसारा	59.	जखवाव
37.	रेन्डर (सैट)*	**जिला : सुरेन्द्रनगर**	
38.	रेन्डर (एसआर)*	1.	बाजना
39.	सचिन	2.	बजरंगपुरा
40.	सारभान (एसआर)	3.	बमनबोर
41.	सायान	4.	मलगामदा
42.	शामपुरा	5.	चरादवा
43.	शिवानी	6.	चोकदी

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
7.	चोटिला*	30.	मोटा अंकेवलिया
8.	चुढा	31.	मुली*
9.	दानावड़ा	32.	नाना अंकेवड़िया
10.	दसादा*	33.	नानी खखरेची
11.	धंधलपुर	34.	निमकनगर
12.	धोली	35.	पनिसाना
13.	धरंगधरा*	36.	पटोई
14.	धरंगधरा एस-1*	37.	पोरदा
15.	धरंगधरा एस-2*	38.	राजसीतापुर
16.	धरूमढ	39.	रंगध
17.	ददापुर	40.	सारा
18.	हलवाद*	41.	सारला
19.	जुनादेवालिया	42.	सायला*
20.	कनकावती	43.	सेदला
21.	सरगोधा	44.	शियानी
22.	खोदू	45.	सोलदी
23.	खोलदियाद	46.	सुधामदा
24.	कुंध	47.	सुरेन्द्रनगर
25.	लखतर*	48.	सरेन्द्रनगर
26.	लिम्बादी*	49.	ससवाव
27.	मरादियानगर	50.	थन्धध
28.	माथक	51.	थन्धध (एसएटी)
29.	म्यूरनगर	52.	टीकार (आरएएन)

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
53.	वगाडिया	11.	दबाका
54.	गिंजवाड़ा	12.	दबोई*
जिला : संघ राज्य क्षेत्र		13.	देसार
1.	दादरा	14.	दोरमार
2.	दमन	15.	देगरवार
3.	दमन (एसएटी)	16.	फतेहगंज (बीआरडी)*
4.	दिव	17.	गधबरियाद
5.	खनवेल	18.	हंदोद
6.	नरोली	19.	जम्बूगोंडा
7.	सिलवासा	20.	जरोद
8.	सिलवासा (एसएटी)	21.	कादीवनी
9.	वानकवाड़ा	22.	कदवाल
जिला : वडोदरा		23.	करसादी
1.	अलकापुरी*	24.	कारवन
2.	अलकापुरी ई-10बी*	25.	केलनपुर
3.	मातपुर	26.	कोसिन्दरा
4.	बुदेली	27.	कोढी*
5.	चूंढ	28.	कोयली (बीआरडी)*
6.	चढराली	29.	कोयली (एसएटी)*
7.	छोटाउदयपुर*	30.	कवंत
8.	छोरोदा	31.	मकरपुरा (बीआरडी)*
9.	सिटी एक्सचेंज (बीआरडी)*	32.	मासर रोड
10.	सिटी क्रासबार (बीआरडी)	33.	मियागम

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
34.	मोभारोड	57.	वेजपुर
35.	नंदेसरी	58.	वधोदिया*
36.	नसवाडी	59.	जोज
37.	पादरा	**जिला : वलसाड़**	
38.	पनवाड़	1.	आई
39.	पवीजेतपुर	2.	अबरामा
40.	पोर	3.	अच्छारी
41.	पनियाड़	4.	अमलसाद
42.	रंगपुर	5.	अतुल्ल
43.	रनिया	6.	बांसदा
44.	रारोद	7.	भटबंदर
45.	सधाली	8.	मिलाद (सरीगम)
46.	साम्लिया	9.	विलिमोरा
47.	संदासल	10.	विलिमोरा (एसएटी)
48.	संखेड़ा (बीआरडी)*	11.	चिरनली (एसएटी)*
49.	सावली*	12.	चिरवती*
50.	सिनोर	13.	देगम
51.	सोखाड़ा	14.	धर्मपुर (वीएएल)
52.	तंरनाला	15.	धोलाई
53.	थुवावी	16.	दुंगरी
54.	तिलकवाड़ा	17.	फनसा
55.	तदंव	18.	गंदेवी*
56.	वादू	19.	गंदलव

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
20.	गुरूकुलसुपा	36.	रनवेल
21.	खंदसुवा	37.	रूमला
22.	खरेल	38.	संजन
23.	खेरगम	39.	सतेम
24.	किलावर्द (एसएटी)*	40.	टिघरा
25.	किल्लीपर्दी*	41.	उदवादा
26.	मरोली (बी)	42.	उगात
27.	मरोली (एस)	43.	अंबेरगांव*
28.	मैवाद	44.	ऊनाई
29.	नरगोल	45.	वलसाद (एसएटी-1)*
30.	नवसारी	46.	वलसाड़*
31.	नवसारी (एसएटी)	47.	वलसाड़ (एसएटी-2)*
32.	नोगमा	48.	वापी
33.	ओंजल	49.	वापी (एसएटी)
34.	परिया	50.	वेसमा
35.	रंकुबा	51.	वागछिपा मोटा

कुवैती दल की यात्रा

673. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991 के खाड़ी युद्ध से प्रभावित भारतीयों और भारतीय कम्पनियों द्वारा दायर मुआवजे के दावों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में एक कुवैती दल ने भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) दावों के कुल मूल्य और इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख). कुवैत के एक

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य रूप से खाड़ी युद्ध पीड़ितों के लिए उचित मुआवजा प्राप्त करने में हमारा सहयोग लेने के लिए 15 से 17 जनवरी, 1994 तक भारत की यात्रा की। इस बात पर सहमति हुई कि एक-दूसरे के साथ निकट सहयोग किया जाएगा।

(ग) अब तक लगभग 3.2 बिलियन डालर के लगभग 1.40 लाख भारतीयों के दावे जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र क्षतिपूर्ति आयोग को भेज दिए गए हैं। यह उत्तरदायित्व संयुक्त राष्ट्र क्षतिपूर्ति आयोग का है कि वह दावों का मूल्यांकन करें, भुगतान का तरीका निर्धारित करें और राष्ट्रीय सरकारों के माध्यम से भुगतान के लिए पात्र दावेदारों को प्रदान किए जाने वाले मुआवजे भेजें। इस समय यह अनुमान लगाना कठिन है कि भुगतान में कितना समय लगेगा या भुगतान की राशि कितनी है जिसका भुगतान अन्ततः संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग द्वारा किया जाएगा विशेषकर जब यह मालूम है कि दावों की राशि को पूरा करने के लिए मुआवजा कोष में अपर्याप्त धन है।

नौवहन के क्षेत्र में सिंगापुर के साथ समझौता

674. **श्री शांताराम पोतदुखे** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सिंगापुर ने हाल ही में नौवहन के क्षेत्र में कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय गणराज्य की सरकार तथा सिंगापुर गणराज्य की सरकार के बीच तटीय परिवहन के बारे में नई दिल्ली में दि. 21.1.94 को मंत्रियों के स्तर पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। सिंगापुर के साथ हुआ समझौता मौटें तौर पर एक सरलीकरण दस्तावेज के रूप में है। इसमें यह परिकल्पित किया गया है कि दोनों संविदाकारी पक्षों के जहाजों को कार्गो ढोने के बारे में समान अधिकार तथा अवसर प्राप्त होगें। इस समझौतें में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के नौवहन उद्यम संविदाकारी पक्ष के एक दूसरे देश में लागू कानूनों और विनियमों के अधीन ट्रकिंग, शिप-एजेंसी, भंडारण, कन्टेनर फ्रंट स्टेशन जैसी नौवहन से संबंधित सेवाओं में निवेश कर सकते हैं।

[हिन्दी]

ताप विद्युत संयंत्रों में विदेशी निवेश

675. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रमुख विदेशी विद्युत कम्पनियों ने उत्तर प्रदेश में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु भारी पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) सरकार ने ऐसी विदेशी कम्पनियों को उत्तर प्रदेश में विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु पूंजी निवेश करने के लिए क्या प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) जवाहरपुर (3x250 मे.वा.) ताप विद्युत संयंत्र को निजी क्षेत्र में क्रियान्वित किये जाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने 17.11.93 को, मै. पेसिफिक इलैक्ट्रिक पावर डवलपमेंट कारपोरेशन कनाडा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ग) विद्युत क्षेत्र में अधिकाधिक निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए स्कीम में जिन प्रोत्साहनों की प्रस्तावना है इसकी सुविधा इस परियोजना में भी दी जायेगी। जो प्रोत्साहन दिये जायेंगे उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विद्युत उत्पादन तथा परिषण में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने हेतु प्रोत्साहन नीति मार्गदर्शी सिद्धान्त

- निजी क्षेत्र किसी भी आकार की ताप विद्युत परियोजनाएं (कोयला/गैस) तथा जल विद्युत परियोजनाएं और पवन/सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित कर सकता है।
- उन विद्युत परियोजनाओं जिनकी कुल लागत 15 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
- निजी क्षेत्र कंपनियां या तो लाइसेंसधारी के रूप में या फिर उत्पादन कंपनियों के रूप में प्रचालन के लिये उद्यमों को स्थापित कर सकती हैं।
- इसके बाद विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाली सभी निजी कंपनियों को 4:1 तक का ऋण इक्विटी अनुपात प्रदान किया जाएगा।
- प्रवर्तक का योगदान कुल लागत का कम से कम 11% होना चाहिये।
- यह सुनिश्चित करने के लिये कि निजी उद्यम क्षेत्र में संसाधनों की वृद्धि में सहायता करेंगे परियोजना के लिये कुल लागत का 60% से अधिक का भाग सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों को छोड़कर अन्य स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा।
- विदेशी निजी निवेशकर्ताओं द्वारा स्थापित परियोजनाओं के लिये 100% तक की विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति दी जा सकेगी।

- निर्यात आय से लाभांश संतुलन की शर्त जो सामान्यतः 51% इक्विटी वाले विदेशी निवेश वाले मामलों में अपनाई जाती है, वह विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश पर लागू नहीं होगी।

- परिसंपत्तियों के सबंध में अवमूल्यन की दरों को उदार कर दिया गया है।

- सरकार की स्वीकृति से विद्युत परियोजनाओं के लिए उपस्कर के आयात को भी अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। उन मामलों में जहां विदेशी आपूर्तिकर्ता या एजेसियां रियायती ऋण प्राप्त करते हैं।

- विद्युत उपस्कर के आयात के लिये सीमा-शुल्कों को घटाकर 20% कर दिया गया है तथा इस दर को विद्युत केन्द्रों के आधुनिकीकरण तथा नवीकरण हेतु आवश्यक मशीनरी के लिये लागू किया गया है।

- एक पंचवर्षीय टैक्स होली-डे भारत में कहीं भी विद्युत के उत्पादन या फिर उत्पादन और वितरण के लिये स्थापित नये औद्योगिक उद्यमों के लाभ के आधार पर अनुमति प्रदान की गई है। यह पंचवर्षीय टैक्स होली-डे विद्युत के उत्पादन के वर्ष से प्रारंभ होगा।

- विद्युत क्षेत्र में पूंजीगत माल तथा उपकरणों पर उत्पादन शुल्क को घटा कर 5% की एक अपरिवर्तनीय निम्न दर कर दिया है।

- टैरिफ में शामिल विदेशी इक्विटी पर 16% लाभांश की राशि संबंधित विदेशी मुद्रा में उपलब्ध करायी जा सकती है।

- इक्विटी पर 16% लाभांश (आर.ओ.ई.) समेत निर्धारित लागत 68.5% संयंत्र भार अनुपात पर वसूल की जायेगी। इस संयंत्र भार अनुपात से बेहतर कार्य निष्पादन के लिये प्रत्येक 1% की संयंत्र भार अनुपात की वृद्धि हेतु अतिरिक्त आर.ओ.ई. (6.7%) के रूप में आकर्षक प्रोत्साहनों का निर्धारण किया गया है।

- परियोजना लागत में बीमा प्रभारों समेत नम्यता की अनुमति प्रदान की गई है।

- राज्य बिजली बोर्डों द्वारा निजी विद्युत कंपनियों को देय राशि भुगतान के दायित्व के लिये भारत सरकार संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर प्रति गारंटी की सुविधा प्रदान कर सकती है बशर्ते इस संबंध में कुछ शर्तों की पूर्ति की जाये।

लाइसेंसधारकों के लिये विशिष्ट प्रोत्साहन :

- लाइसेंस की प्रारंभिक वैधता 30 वर्ष किया जाना तथा बाद में क्रमशः 20 तथा 10 वर्षों के बदले में, (जैसा कि पहले था) प्रत्येक अवसर पर 20 वर्ष के लिये बढ़ाया जाना।

- रिजर्व बैंक की उपर्युक्त 2% दर के स्थान पर 5% लाभांश उच्च दर।

- मूल परियोजना और साथ ही परवर्ती विस्तारों के लिये निर्माण के दौरान ब्याज का (रिजर्व बैंक की वर्तमान 1% दर के स्थान पर) वास्तविक लागत पर पूंजीकरण, जैसा कि पहले था।

- ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए विशेष विनियोजन।

[अनुवाद]

डाक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

676. **श्री हन्नान मोल्लाह :**

श्री देवी बक्स सिंह :

श्रीमती भावना चिखालिया :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में डाक कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन पर क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) डाक कर्मचारियों के महासंघों/संघों द्वारा दिए गए मांग-पत्र की एक प्रति विवरण-1 में दी गई है।

(ग) इस मांग-पत्र पर सरकार द्वारा की गई/की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण - 1

मांग-पत्र

1. अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की मांगें :

(i) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के सभी वर्गों के लिए वेतनमानों की शुरूआत।

(ii) अतिरिक्त विभागीय सेवा की गणना।

(iii) पेंशन/सांविधिक उपदान की मंजूरी।

(iv) निर्वाह भत्ते की मंजूरी।

(v) वेतन सहित छुट्टी की मंजूरी।

2. **द्विवार्षिक संवर्ग पुनरीक्षा :**

(i) उच्च चयन ग्रेड-2 पदों के 10% पदों का उच्च चयन ग्रेड-1 में उन्नयन।

(ii) बी.सी.आर. रु. 1200 – 1800/- में रखे गए डाकियों और संबद्ध संवर्गों के वेतनमान में संशोधन।

(iii) 950 – 1400/- रु. के बी.सी.आर. वेतनमान में रखे गए ग्रुप "घ" कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष रखना।

3. **निजीकरण, मशीनीकरण और कम्प्यूटरीकरण :**

(क) हड़ताल समझौता दिनांक 12.7.87 की धारा 7(घ) का कड़ाई से पालन।

(ख) सेवाओं का निजीकरण करने की सभी योजनाओं को समाप्त करना; जैसे

(i) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डाक तथा रेल डाक सेवा का कार्य करने के लिए प्राइवेट एजेंटों को लाइसेंस देना।

(ii) मेल मोटर सेवा को हटा कर डाक लाने-ले-जाने के कार्य का निजीकरण।

(iii) डाक और रेल डाक सेवा का कार्य करने के लिए सेवा निवृत्त कार्मिकों सहित गैर-डाक कर्मचारियों को लगाना।

(iv) बड़ी मात्रा में डाक भेजने वालों द्वारा भेजी डाक की पूर्व छंटाई प्रणाली को समाप्त करना।

(ग) मशीनीकरण और कम्प्यूटरीकरण के क्षेत्रों से जुड़े सभी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन-वृद्धियां और प्रोत्साहन।

(घ) कर्मचारियों के काम के घंटों को कम करना।

4. वर्तमान मानदंडों को कड़ा बनाने के सभी प्रस्तावों को छोड़ना और जहां कहीं समय कम किया गया है वहां कड़े बनाए गए मानदंडों से पहले वाले मानदंड लागू किए जाएं।

5. सभी संवर्गों में औचित्य-सिद्ध पदों की संस्वीकृति और मौजूदा तथा भविष्य में होने वाली रिक्तियों को भरना।

6. समयबद्ध पदोन्नति योजना को निम्नलिखित पर लागू करना।

(i) सर्किल कार्यालय संवर्ग।

(ii) मेल मोटर सेवा संवर्ग।

(iii) नॉन टैस्ट कैटेगरी और अन्य संवर्ग जिन्हें शामिल नहीं किया गया।

7. बोनस फामूर्ले में संशोधन।

8. (i) एबसेंटी बीट तथा हॉलीडे ड्यूटीज पर किए गए कार्य के लिए डाकियों को घंटों के हिसाब से समयोपरि भत्ते की दर की मंजूरी।

(ii) डाकघरों में समयोपरि ड्यूटी पर लगे प्रतिबंध को हटाना।

9. नैमित्तिक और अंशकालिक कर्मचारी।

(i) दिन में आठ घंटे से कम काम करने वाले नैमित्तिक मजदूरों को अस्थायी दर्जा देने के आदेश लागू करना।

(ii) अंशकालिक कर्मचारियों की समस्याएं।

10. (i) निरीक्षक/सहायक अधीक्षक संवर्ग का पुनर्गठन।

(ii) मेल ओवरसियर के पद तथा डाकघर निरीक्षकों/सहायक डाक अधीक्षकों के लिए अर्दली के पद बहाल करना।

(iii) डाक लेखा कार्यालयों के वरिष्ठ लेखाकारों का वेतनमान 1640/- रु. से 2900/- रु. तक बढ़ाना।

विवरण-2

कर्मचारियों के महासंघों/संघों द्वारा दिए गए मांग-पत्र पर सरकार द्वारा की गई/की जा रही कार्रवाई

कर्मचारियों के महासंघों/संघों के साथ हुई चर्चा के अनुसरण में सरकार ने निम्नलिखित मांगों को मानने से संबंधित आदेश पहले ही जारी कर दिए है :

(i) जिन अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों का कार्यभार 80 प्वांइट से अधिक हो जाता है उन्हें 100 प्वाइंट तक के ग्रेडिड स्केल द्वारा लाभान्वित किया गया है।

(ii) द्विवार्षिक संवर्ग पुनरीक्षा के आधार पर पदोन्नति पर ग्रुप "घ" कर्मचारियों को 950-1400/- रुपये या 800-1200/- रुपये के वेतनमान का चयन करने को विकल्प दिया गया है। यदि वे पहले विकल्प को चुनते हैं, तो वे 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे; और यदि वे बाद के वेतनमान को चुनते हैं, तो वे ग्रुप "घ" कर्मचारी माने जायेंगे और 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे।

(iii) जो कर्मचारी बहु-उद्देशीय काउंटर मशीनों पर कार्य करते हैं उन्हें 100 रुपये प्रतिमाह मशीन भत्ता दिया जाएगा चाहे उनका वेतनमान कुछ भी हो।

(iv) डाकियों के लिए "हॉली-डे ड्यूटी एलाउन्स" को 25 रुपये से बढ़ाकर 36 रुपये कर दिया गया है। "कम्बीनेशन ऑफ बीटस" के लिए, यदि बीट एक ही डाकिए को सौंपी जाती है, तो भत्ते को 24 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। यदि बीट दो डाकियों में बांटी जाती है, तो प्रत्येक डाकिए को 12 रुपये मिलेंगे।

(v) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को 16.09.1994 से प्रतिमाह 50 रुपये की अंतरिम राहत दी गई है।

(vi) जो अतिरिक्त विभागीय एजेंट 25.08.1987 से पहले भर्ती किए गए थे, उन्हें पदोन्नति परीक्षा में बैठने का पात्र माना गया है, चाहे उन्होंने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त न की हो।

(vii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा स्टाफ कार ड्राइवरों को 3 विभिन्न क्षेत्रों में रखने की स्कीम को ड्राइवरों के लिए लागू कर दिया गया है। जिसमें डाक विभाग के मेल मोटर सेवा के ड्राइवर भी शामिल हैं।

(viii) ऐसे आदेश जारी कर दिए गए हैं कि कर्मचारी पक्ष के साथ परामर्श किए बगैर कोई नया बल्क मेल सेंटर नहीं खोला जाएगा।

(ix) समयबद्ध एक पदोन्नति और द्विवार्षिक संवर्ग पुनरीक्षा की स्कीम सर्किल कार्यालय संवर्ग के ग्रुप "ग" के पदों के लिए भी पहले ही लागू की जा चुकी है।

2. निम्नलिखित मांगे सरकार के विचाराधीन हैं :

(i) उच्च चयन ग्रेड-2 (एचएसजी-2) पदों के 10 प्रतिशत पदों का एचएसजी-1 में उन्नयन।

(ii) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए अंशदायी भविष्य निधि प्रणाली की शुरुआत, जिसमें अंशदाता के अंशदान के बराबर अंशदान सरकार द्वारा हो।

(iii) ऐसे अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को राहत देना, जो पुट ऑफ ड्यूटी पर होते हैं और जिन्हें बाद में बहाल किया जाता है।

(iv) पोस्टमैन संवर्ग के वेतनमान को 1200-1800 रुपये करने के लिए द्विवार्षिक संवर्ग पुनरीक्षा में संशोधन।

(v) औचित्य सम्मत पदों की मंजूरी और मौजूदा तथा भविष्य के रिक्त पदों को भरना।

3. वेतन आयोग का गठन होने क बाद एक अतिरिक्त विभागीय समिति नियुक्त करने की बात सरकार ने मान ली है। इस समिति के अध्यक्ष कोई बाहरी व्यक्ति होगें। यह समिति अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सभी अन्य मांगों पर विचार करेगी। इस समिति के विचारार्थ विषय, डाक कर्मचारी महासंघों के साथ परामर्श करके तय किए जायेंगे। यह बात भी मान ली गई है कि समिति को अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को पेंशन देने की मांग को विशेष तौर पर जांच करने और उस पर अपनी सिफारिशें देने के लिए कहा जायेगा।

4. सरकार ने कर्मचारी महासंघों के साथ परामर्श करके विभागीय डाक कर्मचारियों की मांग-पत्र में शामिल उन सभी मांगों, जो उपर्युक्त में शामिल नहीं हैं, पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना स्वीकार कर लिया है।

[हिन्दी]

अवैध खनन

677. **श्री लाल बाबू राय** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास देश के विभिन्न भागों में चल रही अवैध खानों की कोई सूची है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में अवैध खानों को बंद करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) केन्द्र सरकार के पास ऐसी कोई सूची नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अवैध खनन के मामलों का पता लगने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

678. **श्री राम पूजन पटेल** :

डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में जिलावार कुल कितने व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) किस वर्ष तक के आवेदन पत्रों के संबंध में टेलीफोन कनेक्शन दे दिये गये हैं;

(ग) शेष आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रतीक्षा सूची को निपटाने हेतु राज्य में टेलीफोन लाइनों की संख्या में वृद्धि करने और नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अभ्रक का उत्पादन

679. **श्री मोहम्मद अली अशाफ फातमी** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अभ्रक के उत्पादन और निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान कितनी कमी आई और इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा आय में कितनी कमी आई;

(ग) अभ्रक उद्योग में मंदी के लिए पता लगाए गए मुख्य कारणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) मंदी के कारण कितने श्रमिक बेरोजगार हो गए; और

(ङ) सरकार ने अभ्रक उद्योग को लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, अभ्रक के उत्पादन सभा निर्यात का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है :

उत्पादन	1990-91	1991-92	1992-93
	(टन)	(टन)	(टन)
अभ्रक कच्चा	4062	3593	2507
अभ्रक कतरन एवं छीजन	3366	2364	1490
निर्यात	42591	34879	25160
निर्यात का मूल्य (करोड़ रुपये में)	51.3	55.5	38.8

(ग) देश के अभ्रक उद्योग में जिन मुख्य कारणों से मंदी आई वे हैं :

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की कमी, अभ्रक और इसके उत्पादों का प्रतिस्थापन और गहरी खानों का प्रचालन आर्थिक रूप से व्यवहार्य न होना।

(घ) 1990-91 के दौरान अभ्रक खानों में 2942 व्यक्ति रोजगार पर लगाये गये। जबकि 1992-93 में 2213 व्यक्ति रोजगार पर लगाए गए थे।

(ङ) नए उत्पादों में विविधीकरण द्वारा नए प्रयोगों का पता लगाकर तथा विपणन और तकनीकी सुधार करके इस उद्योग को बचाया जा सकता है।

मध्य प्रदेश में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण

681. **श्री खेलन राम जांगड़े** :

श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के मूल्यांकन हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां सर्वेक्षण कराया गया है और खनिज भंडार का पता चला है; और

(ग) उन बहुमूल्य खनिजों के दोहन के लिए जिनकी राज्य में प्रचुर उपलब्धता है, क्या कदम उठाए जाएंगे?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा मध्य प्रदेश में हाल ही में किए गए सर्वेक्षण और गवेषण से निम्नलिखित खनिज स्त्रोतों/भण्डारों का पता चला है :

(1) लोहानी क्षेत्र, छत्तरपुर और सागर जिले में 92 मिलियन टन निम्न सिलिका डोलोमाइट।

(2) खेरली बाजार क्षेत्र, बैतुल जिले में 6.48% जस्ता अंश वाला 0.85 मिलियन टन जस्ता अयस्क।

(3) इटवा में 27.91 कैरेट/100 टन हीरा अंश वाला 0.45 मिलियन टन डाइमंड फैरस कनूलोमैरेट और पन्ना हीरा पट्टी के हातूपुर "ए" ब्लाक में 23.08 कैरेट/100 टन हीरा अंश वाला 0.27 मिलियन टन डाइमंड फैरस कनूग्लामैरेट के प्रभाव क्षेत्र का पता चला है।

(4) पांढरीपानी क्षेत्र, रायगढ़ जिले में 1.3 ग्रा./टन सोना अंश वाला 0.4 मिलियन टन सोना अयस्क।

(5) पिंडरी क्षेत्र, सतना जिले में 4.90% के ओ अंश वाला 1206 मिलियन टन ग्लायकोनाइट सैंडस्टोन।

(ग) पहले पता लगाए गए भण्डारों की आर्थिक रूप से व्यवहार्यता के आधार पर बस्तर जिले के और ढाली-राझोरा क्षेत्र में लौह अयस्क, बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिलों के उक्वा और तिरोदी क्षेत्र में मैगनीज, बालाघाट जिले के मलंजखंड क्षेत्र में तांबा, बैतुल जिले के पठाखेरा, शाहपुर, बिलासपुर जिले के कोरबा में चिन्दवाड़ा जिले के पंच कनहन घाटी परासिया में, शाहडोल जिले के उमारिया सोहागपुर, सिद्धी जिले के सिंगशैली में सरगुजा जिले के बिशरामपुर चिरमिरी में कोयला और जबलपुर जिलों, कटनी, अमरकंटक में मांडला और शाहडोल के जिलों में और बिलासपुर जिले के कोरबा में बाक्साइट (एल्यूमिनियम के अयस्क) का खनन कार्य आरंभ किया गया है।

भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि. (बाल्को) ने सरगुजा जिले के मैनपट भण्डारों में बाक्साइट खानों में खनन कार्य आरंभ कर दिया है। राजनंदगांव के बाक्साइट भण्डारों का भी खनन करने की कंपनी की योजना है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय एल्यूमिनियन कंपनी लि. में वित्तीय संकट

682. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एल्यूमिनियन कंपनी लि. को भीषण वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संस्थान को अर्थक्षम बनाने और इसकी कार्यक्षमता में सुधार लाने के क्या उपाय किये जा रहे हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में सोने के नए भंडार

683. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में अंजनाभल्ली में सोने के नए भंडार का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो स्वर्ण भंडार की अनुमानित मात्रा क्या होगी;

(ग) कर्नाटक के और किन-किन स्थानों पर स्वर्ण भंडारों का पता चला है;

(घ) क्या अंजनाभल्ली में स्वर्ण निकालने का कार्य आरंभ कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो यह कब तक आरंभ कर दिया जाएगा?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने अंजनाभल्ली में गवेषण कार्य किया है तथा लगभग 1.7 मि. टन भण्डारों का पता लगाया है जिसमें लगभग 2.09 ग्राम/टन स्वर्ण मिलने का अनुमान है। अंजनाभल्ली के पश्चिमी खंड में ड्रिलिंग करने पर 650 मी. की खनन पट्टी का पता चला है जिसमें 0.91 से 3.20 ग्राम/टन स्वर्ण निकलने का अनुमान है।

(ग) हाल ही के वर्षों में, गवेषण करने पर कर्नाटक में निम्नलिखित स्वर्ण भण्डारों का पता चला है :

	क्षेत्र	भंडार	ग्रेड
		(मि.टन में)	(ग्राम/टन में)
1.	चिन्वेरगी	0.06	5.00

1		2	3
2.	तुपाधूर	0.089	3.95
3.	सांगली खानें	5.5	3.77
4.	कार्म्पीकोट	3.5	1.22
5.	उटी	0.88	4.00
6.	वांडाली	0.65	4.00
7.	कादानी	0.064	4.00
8.	मैसूर खान	0.23	3.00
9.	होसूर चैम्पियन	1.63	2.60
10.	बलोरा	0.25	4.50

(घ) तथा (ङ). जी नहीं। स्वर्ण का निष्कर्षण, निवेशक द्वारा भंडार की आर्थिक व्यवहार्यता के आंकलन पर निर्भर करता है।

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

684. **श्री हाराधन राय :**

श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में टेलीफोन एक्सचेजों का विस्तार और आधुनिकीकरण करने के लिये कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य के प्रत्येक जिले में इस समय एस.टी.डी. सुविधायुक्त कितने इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य में एस.टी.डी. सुविधायुक्त नये इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ). संलग्न विवरण के अनुसार।

(घ) जी हां।

विवरण

विभाग की आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है:

बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा अवधि घटाकर 2 वर्ष तक करने और योजना अवधि के अंत तक ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में व्यवहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन प्रदान करने के लिए टेलीफोन एक्सचेजों का विस्तार करना।

निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण :

(i) मार्च 1994 तक नेटवर्क का पूर्ण स्वचलीकरण।

(ii) मियाद समाप्त और घिसे पिटे स्विचों को उनकी मियाद समाप्त होते ही बदलना।

(iii) सभी स्ट्रोजर मैक्स-3 एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना।

(iv) सभी लाइन फाइन्डर किस्म के मैक्स-2 एक्सचेंजों को इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलना।

जिलावार ब्यौरे नीचे दिये हैं :

	जिले का नाम	31.1.1994 की स्थिति के अनुसार एसटीडी सुविधा युक्त कार्यरत इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या
1.	बांकुरा	14
2.	बीरभूम	4
3.	बर्दवान	10
4.	कलकत्ता	15
5.	दार्जीलिंग	3
6.	हावड़ा	7
7.	हुगली	4
8.	जलपाई गुड़ी	4
9.	मालदा	3

10.	मिदनापुर	19
11.	मुर्शीदाबाद	4
12.	नादिया	8
13.	24 परगना (उत्तर)	11
14.	24 परगना (दक्षिण)	18
		124

राज्य में 1993-94 के दौरान एस टी डी सुविधायुक्त 6 और नये इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू किये जाने की संभावना है। जिलवार ब्यौरा नीचे दिया है :

जिले का नाम	एक्सचेंजों की संख्या	जिले का नाम	एक्सचेंजों की संख्या
बीरभूम	1	24 परगना (उत्तर)	3
पुरलिया	1	बांकुरा	1

मद्रास में दूरसंचार सम्मेलन

685. **श्री राम कापसे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विदेश संचार निगम लिमिटेड ने मद्रास में एक दूरसंचार सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। विदेश संचार निगम लि. द्वारा 20 जनवरी, 1994 को मद्रास में लंदन और वाशिंगटन के साथ 40 मिनट की अवधि के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वीडियो कॉनफ्रेंसिंग सेवा प्रदान की गई थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाला केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान उद्योग, मद्रास इस कॉनफ्रेंसिंग के लिए भारतीय ग्राहक था।

(ख) और (ग). दूरसंचार सम्मेलन सुविधा से संबद्ध सुझावों के ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं और सभा-पटल पर रख दिए जाएंगे।

भारत में विदेशी समाचारपत्रों का प्रवेश

686. **श्री गुरू दास कामत :**

प्रो. प्रेम धूमल :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विदेशी समाचारपत्र/एजेंसियां देश में प्रवेश करने का प्रयास कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय प्रेस परिषद् के चेयरमैन ने विदेशी प्रचार माध्यमों के प्रवेश का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या विदेशी प्रचार माध्यमों के प्रवेश से भारतीय समाचारपत्र उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख). भारत से अखबार/पत्रिकाओं के प्रकाशन हेतु विदेशी सहयोगियों के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिए भारतीय प्रोत्साहकों से कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं। भारतीय समाचार एजेंसियों के माध्यम से भारत में पहले से परिचालित कुछ विदेशी समाचार एजेंसियों ने भी भारतीय मीडिया तक प्रत्यक्ष पहुंच हेतु सरकार की अनुमति मांगी है।

(ग) इस संबंध में समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के बारे में सरकार को जानकारी है।

(घ) से (च). देश में विदेशी मीडिया के प्रवेश को प्रतिबंधित करने संबंधी अपनी नीतियों में सरकार ने न तो कोई परिवर्तन किया है और न ही उन्हें निरस्त किया है।

[हिन्दी]

इकोनोग्रीन का निर्माण

687. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री राम सिंह कस्वां :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन की खपत कम करने और वाहनों में प्रदूषण रोकने के लिए एक नए उपकरण "इकोनोग्रीन" का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उपकरण का देश में निर्माण किया गया है अथवा इसके निर्माण के लिए किसी विदेशी सहयोग का अनुरोध किया गया है;

(ग) इस उपकरण से कितने प्रतिशत ईंधन की बचत होगी;

(घ) क्या इस उपकरण का परीक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ङ). मैं. इकोनोग्रीन लिमिटेड, एक लघु उद्योग इकाई ने अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई ऑटो-एक्सपो-93 प्रदर्शनी में स्वचालित प्रयोग के लिए एक ईंधन बचत/प्रदूषण नियंत्रण यंत्र "इकोनोग्रीन" प्रदर्शित किया था। तकनीकी विकास महानिदेशालय (डी जी टी डी) ने सूचित किया है कि अपने द्वारा बुलाई गई एक बैठक में इस पार्टी ने इस यंत्र का प्रदर्शन किया था। हालांकि यह पार्टी अपने दावे के समर्थन में प्रमाणित परीक्षण रिपोर्टें और प्रलेखन उपलब्ध नहीं करा सकी। तकनीकी विकास महानिदेशालय ने भारतीय ऑटो मोटिव अनुसंधान संगठन और दि.प.नि. को सलाह दी है कि ईंधन किफायत और प्रदूषण स्तरों के संदर्भ में वे इस यंत्र के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करें।

पाकिस्तान की जेलों में भारतीय

688. **श्री एन. के. बालियान :**

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :

श्री बापू हरि चौरे :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

श्री बी. देवराजन :

श्री मोहन रावले :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान की जेलों में कितने भारतीय सड़ रहे हैं;

(ख) क्या गुजरात तथा दमन और दीव के बच्चों सहित अनेक मछुआरे भी पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन व्यक्तियों को तत्काल रिहा कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जायेंगे?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस समय पाकिस्तान की जेलों में 1013 भारतीय राष्ट्रिक बंदी हैं।

(ख) और (ग). 106 भारतीय मछुआरों, जिसमें गुजरात तथा दमन और दीव और कुछ बच्चे भी शामिल हैं, को 1993 में चार अलग-अलग घटनाओं में पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया वे इस समय पाकिस्तान की हिरासत में हैं।

(घ) पाकिस्तानी जेलों में सभी भारतीय कैदियों को रिहा कराने के प्रयास जारी हैं।

सरकार ने 27 जनवरी, 1994 को पाकिस्तान सरकार के साथ एक-दूसरे की हिरासत में भारतीय और पाकिस्तानी मछुआरों के आदान-प्रदान का प्रस्ताव रखा है। इस सम्बन्ध में तौर-तरीके राजनयिक माध्यमों से तय किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण

689. **श्री के. प्रधानी :**

श्री रामपाल सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य के लिए निर्धारित धनराशि, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इसका कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इससे निकट भविष्य में बेरोजगारी बढ़ेगी; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). जी हां। डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए जिन क्षेत्रों पर जोर दिया जाना है, वे हैं काउंटर कम्प्यूटरीकरण, डाक मशीनीकरण और उपग्रह संचार के जरिए इलेक्ट्रानिक मनी ट्रांसफर। आठवीं पंच वर्षीय योजना

(1992-97) के दौरान, देश के विभिन्न डाकघरों में 5000 कम्प्यूटर आधारित काउंटर मशीनें लगाने की योजना है।

विभाग ने अप्रैल, 1993 में बम्बई में एक पत्र छंटाई मशीन स्थापित की। वर्ष 1994-95 के दौरान मद्रास में एक और पत्र छंटाई मशीन स्थापित करने का प्रस्ताव है। विभाग का प्रस्ताव उपग्रह के माध्यम से मनीआर्डरों के शीघ्र पारेषण के लिए देश में 75 स्थानों पर वैरी स्मॉल अपरचर टर्मिनल्स (वी.एस.ए.टी.) स्थापित करने का है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान मशीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 138.30 करोड़ रु. का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

(घ) जी नहीं। आधुनिकीकरण का मूल उद्देश्य ग्राहक सेवा को बेहतर बनाना है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

690. **श्रीमती दिलकुमारी भंडारी** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में इस समय कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं;

(ख) इन उद्योगों की स्थापना किस वर्ष में की गई थी; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कितना धन स्वीकृत किया गया?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख). खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं इसलिए सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या, वे किस राज्य में स्थित हैं और उन्हें किस वर्ष स्थापित किया गया, संबंधी सूचना केन्द्र में नहीं रखी जाती। बहरहाल, चावल मिल, रोलर फ्लोर मिल और उत्पाद आदेश के अन्तर्गत पंजीकृत फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या विवरण 1 में दी गई है।

(ग) मंत्रालय की योजना स्कीमों के अन्तर्गत इन राजयों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण 2 में दिया गया है।

विवरण 1

राज्य का नाम	फल और सब्जी प्रसंस्करण	रोलर फ्लोर मिल	चावल मिल
सिक्किम	2	3	17
असम	22	40	2,820

1	2	3	4
मणिपुर	*19*	*1*	*169*
मेघालय	7	2	201
मिजोरम	2	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
नागालैंड	4	4	उपलब्ध नहीं
त्रिपुरा	8	2	703
अरुणाचल प्रदेश	8	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

विवरण 2

मंत्रालय की योजना स्कीमों के तहत सिक्किम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्षेत्र/वर्ष	सिक्किम	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	त्रिपुरा	अरुणाचल प्रदेश
फल तथा सब्जी प्रसंस्करण								
1991-92	-	-	-	-	70.00	-	-	-
1992-93	-	-	-	-	59.92	6.00	-	-
1993-94 (दिसम्बर, 93 तक)	-	40.40	-	-	177.82	-	3.00	2.73
मांस तथा मांस उत्पाद								
1991-92	-	285.62	5.18	-	-	-	-	-
1992-93	-	18.25	0.67	-	68.25	30.75	-	-
1993-94 (दिसम्बर, 93 तक)	-	3.16	0.72	-	-	-	-	-

एम्नेस्टी इंटरनेशनल से प्राप्त सुझाव

691. **श्री विजय नवल पाटिल :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के सम्बन्ध में एम्नेस्टी इंटरनेशनल और अमरीका जैसे देशों से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या विचार व्यक्त किए हैं?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एम्नेस्टी इन्टरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट "एन अननेचुरल फेट-डिसअपीयरेन्सिस एंड इम्पयूनिटी इन दि इंडियन स्ट्रेट्स आफ जे एंड के एंड पंजाब" में कहा है कि जम्मू एवं कश्मीर ओर पंजाब में "लापता होने" के कई मामले हुए हैं। सरकार ने कहा है कि एम्नेस्टी की रिपोर्ट सरासर गलत है। सरकार ने अमरीका की सरकार के साथ अपनी वार्ताओं में मानवाधिकार सहित कई मसलों पर बातचीत जारी रखी है। सरकार ने निरन्तर इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि मानवाधिकार के समर्थन के प्रति भारत की वचनबद्धता किसी से कम नहीं है। और इसके उद्देश्य के लिए भारत में संवैधानिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध है ओर इसके साथ ही विदेशों उग्रवादियों तथा आतंकवादियों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन, सहायता देने ओर उकसाने की ओर ध्यान केन्द्रित किया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के लिए धनराशि का नियतन

692. **श्री हरिलाल ननजी पटेल :**

श्री अरविंद त्रिवेदी :

क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के अहमदाबाद-मुम्बई खण्ड का विकास करने के लिए विशेष धनराशि निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डी टी सी की बसों में भीड़

693. **श्रीमती शीला गौतम :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जनवरी, 1994 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित तस्वीर की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यात्रियों को दिल्ली परिवहन निगम की बस के पायदान पर खड़े हुए दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली परिवहन निगम की बस के भीतर खड़े हुए यात्रियों की संख्या की कोई सीमा निर्धारित है; और

(ग) यदि हां, तो बसों में भीड़ को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 7 जनवरी, 1994 को नवभारत टाइम्स में प्रकाशित तस्वीर एस टी ए के अंतर्गत प्रचालित निजी बस की है।

(ख) जी हां।

(ग) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के परिवहन विभाग का प्रवर्तन पक्ष तथा दिल्ली यातायात पुलिस स्थानीय यात्री बसों में अधिक यात्री लाने-ले जाने को रोकने के लिए अधिकृत है और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के उपबंधों के अनुसार दोषियों का नियमित अभियोजन किया जाता है।

[अनुवाद]

विद्युत प्रणाली के विकास में आमूल परिवर्तन

694. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विद्युत प्रणाली के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए ठोस कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्धारित की गई/प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और आठवीं योजना के दौरान उन पर क्या कार्यवाही की जायेगी; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान "पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया" के कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) तथा (ख). जल विद्युत तथा ताप विद्युत केन्द्रों दोनों के लिए नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को हाथ में ले लिया गया है। ताप विद्युत केन्द्रों के लिए 13585 मे.वा. की कुल क्षमता वाले 164 यूनिटों को सम्मिलित करते हुए 34 केन्द्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम सितम्बर, 1984 में आरम्भ किया गया था। अद्यतन कुल स्वीकृत लागत 1222.88 करोड़ रुपये है। इस समय 87% गतिविधियों को पूरा कर लिया गया है तथा शेष को वर्ष 1994-95 में पूरा कर लिए जाने की आशा है। इनके पूरा हो जाने पर 1000 मि.यू. तक के अतिरिक्त उत्पादन क्षमता लाभ की प्रत्याशा है। कार्यक्रम के दूसरे सोपान को, जो 1647.80 करोड़ रुपये की कुल अद्यतन स्वीकृत लागत पर 20871 मे.वा. की कुल क्षमता वाली 209 यूनिटों को शामिल करने वाले 46 ताप विद्युत केन्द्रों को शामिल करते हुए आठवीं योजना के

दौरान आरम्भ कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के पूरे हो जाने पर 8750 मि.यू. के लगभग की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता प्राप्त होने की आशा है।

9648 मे.वा. की कुल अधिष्ठापित क्षमता वाली 55 जल विद्युत स्कीमों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा उच्चीकरण के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। 2152 मे.वा. की कुल क्षमता लाभ की परिकल्पना की गई है जिसमें 6898 मि.यू. ऊर्जा लाभ प्रति वर्ष प्राप्त होगा। इसमें 1310 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है। इन 55 स्कीमों में से, 4 स्कीमों को पहले ही पूरा किया जा चुका है तथा अन्य 24 स्कीमों को आठवीं योजना अवधि के दौरान चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

(ग) निर्माण कार्यक्रम में पावर ग्रिड कारपोरेशन का कार्य निष्पादन, 1991-92 के दौरान 113%, 1992-93 में 100% तथा 1993-94 में (जनवरी, 1994 तक) लगभग 100% तक की समग्र उपलब्धि कुल मिलाकर बहुत अच्छी रही। वित्तीय दृष्टि से भी पावरग्रिड का कार्य निष्पादन बहुत अच्छा रहा है। वर्ष 1992-93 के दौरान इसने 236.61 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया।

दूरदर्शन/आकाशवाणी द्वारा अर्जित राजस्व

695. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :**

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :

डा. के. पी. आर. चौधरी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन/आकाशवाणी को गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, कितने-कितने राजस्व की प्राप्ति हुई तथा आठवीं योजनावधि के दौरान कितना राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है;

(ख) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राजस्व में वृद्धि करने के लिए हाल ही में नयी विज्ञापन नीति का निर्धारण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क)

(राशि करोड़ रुपयों में)

	1990-91	1991-92	1992-93
आकाशवाणी	39	53	59
दूरदर्शन	254	301	360

आठवीं योजना अवधि के शेष वर्षों के दौरान आकाशवाणी तथा दूरर्शन का अनुमानित राजस्व अर्जन क्रमशः 300 करोड़ रुपये और 1600 करोड़ रुपये के लगभग होगा।

(ख) दूरदर्शन ने हाल ही में अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिए हाल ही में दर कार्ड को संशोधित किया है।

(ग) संशोधित दरों का ब्यौरा संलग्न विवरण के अनुसार है।

विवरण

1. अनुबंध-1, 2(क), 2(ख), तथा 3 में स्पॉट खरीदारी एवं प्रायोजन संबंधी दरें इंगित की गई हैं।

2. श्रेणियों का विवरण निम्नानुसार है :

(क) राष्ट्रीय नेटवर्क (डी.डी.-1)

1. सुपर "ए" विशेष	(1) हिन्दी फीचर फिल्म (शनिवार)
	(2) चित्रहार (बुधवार)
	(3) रंगोली (रविवार)
2. सुपर "ए"	(1) सभी दिवसों को रात्रि 9.00 बजे स्लॉट (हिन्दी/अंग्रेजी)
	(2) रात्रि 9.30 से 10.00 बजे तक हिन्दी धारावाहिक।
	(3) विशेष अन्तर्राष्ट्रीय खेलों की सीधी कवरेज/उनके मुख्य अंश (अग्रिम रूप से सूचित किए जाने अपेक्षित)।
	(4) रात्रि 8.30 बजे "समाचार" से पहले।
	(5) पूर्व सूचित कोई अन्य कार्यक्रम।
3. "ए" विशेष	(1) रविवार सुबह विभिन्न कार्यक्रम/स्लॉट (प्रातः 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे)
	(2) रात्रि 9.30 बजे से 10.00 बजे (हिन्दी धारावाहिकों को छोड़कर)
	(3) अन्तर्राष्ट्रीय खेलों से संबंधित घटनाओं की सीधी कवरेज/उनके मुख्य अंश।
	(4) रात्रि 10.00 बजे "समाचार" से पहले।
	(5) अग्रिम रूप से सूचित अन्य कोई कार्यक्रम।
4. "ए"	(1) सभी दिन रात्रि 10.30 बजे स्लॉट।
	(2) देर रात्रि/मंगलवार अपराह्न फिल्म।
	(3) राष्ट्रीय खेलों संबंधी घटनाओं की सीधी कवरेज (रविवार, अवकाश दिवसों को तथा अंतिम मैच)।

(4) रिकार्डिड अन्तर्राष्ट्रीय खेल घटनाओं/उनके मुख्य अंशों का रात्रि 10.30 बजे के बाद प्रसारण।

(5) केवल शनिवार को 9.00 बजे के बाद।

(6) अग्रिम रूप से सूचित कोई अन्य कार्यक्रम।

5. "बी"

(1) प्रातःकालीन एवं अपराह्न प्रसारण।

(2) रात्रि 11.00 बजे से।

(3) राष्ट्रीय नेटवर्क पर क्षेत्रीय भाषा फिल्म, (रविवार)।

(4) साप्ताहिक दिवसों को राष्ट्रीय खेल संबंधी घटनाओं और सेमी फाइनल तक के मैचों का सीधा प्रसारण।

(5) अपराह्न प्रसारण में वर्ल्ड आफ स्पोर्ट्स/प्रायोजित खेल कार्यक्रम।

(6) अग्रिम रूप से सूचित अन्य कोई कार्यक्रम।

(ख) क्षेत्रीय चैनल-1

1. सुपर "ए" विशेष

(1) राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में, (मराठी, गुजराती तथा पंजाबी को छोड़कर) और फिल्म आधारित कार्यक्रम।

(2) क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के बीच कार्यक्रम/समाचार (बम्बई, अहमदाबाद तथा जालंधर को छोड़कर)

(3) राष्ट्रीय नेटवर्क पर हिन्दी फीचर फिल्मों तथा चित्रहार के बीच कार्यक्रम/समाचार (लखनऊ, जालंधर, जयपुर तथा भोपाल को छोड़कर)।

(4) चित्रहार से पहले (अहमदाबाद)।

(5) अग्रिम रूप से सूचित अन्य कोई कार्यक्रम।

2. सुपर "ए"

(1) धारावाहिक।

(2) मराठी फिल्म (बंबई), गुजराती, (अहमदाबाद) तथा पंजाबी (जालंधर)।

(3) संबंधित राज्य की क्षेत्रीय भाषा के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में।

(4) नाटक (मद्रास)।

(5) चित्रांजली, (कलकत्ता)।

(6) दिल्ली, अहमदाबाद, कलकत्ता तथा बंबई के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क पर हिन्दी फीचर फिल्मों के बीच और चित्रहार (बुधवार) से पूर्व कार्यक्रम/समाचार।

(7) 10% प्रीमियर सहित क्षेत्रीय समाचार-मद्रास, हैदराबाद, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम तथा कलकत्ता।

(8) अन्य केन्द्रों में क्षेत्रीय समाचार।

(9) अग्रिम रूप से सूचित कोई अन्य कार्यक्रम।

3. "ए" (1) नाटक (मद्रास को छोड़कर), साप्ताहिकी।

(2) सायं 6.30 बजे से।

(3) रविवार के कार्यक्रमों पर प्रातःकालीन प्रसारण।

(4) मद्रास, हैदराबाद, बंगलौर तथा त्रिवेन्द्रम के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क पर हिन्दी फीचर फिल्म (शनिवार) के बीच और चित्रहार (बुधवार) से पहले।

(5) अग्रिम रूप से सूचित कोई अन्य कार्यक्रम।

4. "बी" सांय 6.30 बजे से पहले।

मैट्रो मनोरंजन चैनल (दिल्ली दूरदर्शन-2)

(21.3.94 से प्रभावी)

1. सुपर "ए" (1) रात्रि 8.00 बजे से 10.00 बजे।

(फिल्म आधारित कार्यक्रम तथा धारावाहिक)

(2) पूर्व सूचित कोई अन्य कार्यक्रम।

2. "ए" विशेष (1) रात्रि 8.00 बजे से 10.00 बजे।

(वार्तालाप, प्रश्नोत्तरी, खेल शो, अंग्रेजी धारावाहिक, अन्य गैर-फिल्म आधारित एवं गैर-धारावाहिक कार्यक्रम)।

(2) प्रातः 8.00 बजे से 12.00 बजे (दोपहर) (केवल रविवार)

(प्रारूप एवं भाषा पर ध्यान दिए बिना सभी कार्यक्रम)।

(3) सांय 7.30 बजे से 8.00 बजे।

रात्रि 10.30 बजे से 11.00 बजे।

(4) अग्रिम रूप से सूचित कोई अन्य कार्यक्रम।

3. "ए" (1) सांय 7.00 बजे से 7.30 बजे।

(2) अग्रिम रूप से सूचित अन्य कोई कार्यक्रम।

4. "बी" (1) प्रातः (सभी दिवसों को)

(2) अपराह्न तथा सांय 7.00 बजे तक कार्यक्रम।

(3) रात्रि 11.00 बजे के बाद।

(4) अग्रिम रूप से सूचित कोई अन्य कार्यक्रम।

3. **प्रायोजित कार्यक्रम**

(क) (1) किसी ग्राहक अथवा उत्पाद की बुकिंग स्वीकार्य है। एक उत्पाद के मामले में, निःशुल्क विज्ञापन समय का उपयोग केवल उक्त उत्पाद के विज्ञापन हेतु किया जा सकता है।

(2) प्रायोजक (प्रायोजकों)/ग्राहक(ग्राहकों) को स्वीकार्य विज्ञापन समय में कितने भी उत्पादों को विज्ञापित करने की अनुमति दी जाती है।

(3) **धारावाहिकों में विज्ञापन**

30 मिनट स्लॉट कार्यक्रम में एक विज्ञापन और 45 मिनट/60 मिनट के कार्यक्रम में दो विज्ञापन की अनुमति दी गई है।

बाहरी प्रायोजित कार्यक्रमों के मामलें में, निःशुल्क विज्ञापन समय संबंधी विज्ञापनों का समावेश निर्माता द्वारा किया जाएगा।

(4) किसी धारावाहिक/कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों को शामिल करते हुए विज्ञापनों को भी उसी कार्यक्रम के साथ-साथ प्रसारित किया जा सकता है।

(5) राष्ट्रीय नेटवर्क तथा केन्द्रों पर फिल्मी गीतों के कार्यक्रमों को प्रायोजित नहीं किया जा सकता।

(ख) **क्रेडिट लाइन्स**

निःशुल्क विज्ञापन समय के अलावा, प्रायोजकों को केवल चैनल-1 के मामले में, आरंभ में 10 सैकेण्ड के लिए तथा कार्यक्रम के बाद 10 सैकेण्ड के लिए क्रेडिट लाइन्स की अनुमति दी जाती है। चैनल-2 में क्रेडिट लाइन, एफ.सी.टी. का एक हिस्सा होती है।

सतत कार्यक्रमों (अर्थात फीचर फिल्में, खेल आदि) के मामले में, विभिन्न प्रायोजकों को प्रत्येक

30 मिनट स्लॉट हेतु 10 सैकेण्ड के लिए क्रेडिट लाइन्स को कार्यक्रम में इस प्रकार बांटा जाएगा जिससे कि कार्यक्रम को देखने में बाधा न आए।

क्रेडिट लाइन्स का प्रसारण, निम्नलिखित द्वारा शासित किया जाता है :

(1) ग्राहक (कम्पनी) के नाम में प्रायोजित कार्यक्रम

क्रेडिट लाइन में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है :

(क) कंपनी के नाम का उनको इच्छानुसार किसी भी रूप में दृश्य और/अथवा श्रव्य (संबंधित संगीत, यदि वांछित हो, सहित) प्रस्तुतीकरण।

(ख) यदि वांछित हो, कंपनी के मानक लोगों का दृश्य प्रस्तुतीकरण और

(ग) कंपनी की इच्छानुसार, बिना विशेष प्रभावों के दृश्य प्रस्तुतीकरण हेतु कोई रंगीन स्कीम।

(2) किसी उत्पाद के नाम में प्रायोजित कार्यक्रम

क्रेडिट लाइन्स में उत्पाद का नाम किसी भी तरह से उच्चरित या लिपिबद्ध, संगीत सहित या इसके बिना सम्मिलित हो सकता है। तथापि, क्रेडिट लाइन्स में उत्पाद का स्वभावतः प्रदर्शन और दृश्य भाग में किसी प्रकार का विशेष प्रभाव नहीं होना चाहिए।

टिप्पणी : क्रेडिट लाइन्स के अनुमोदन हेतु प्रक्रिया, विज्ञापन संबंधी प्रक्रिया के समान है।

4. 30 मिनट कार्यक्रम के लिए प्रायोजन हेतु निःशुल्क विज्ञापन समय

(क) दूरदर्शन कार्यक्रम	40 सैकेण्ड
(सभी समय/श्रेणियां/सभी केन्द्र)	
(ख) दूरदर्शन द्वारा चालू	40 सैकेण्ड
प्राप्त किए गए कार्यक्रम	60 सैकेण्ड
(राष्ट्रीय नेटवर्क)	
"सुपर ए" "ए विशेष" तथा "ए" श्रेणियां	

टिप्पणी : तथापि, दूरदर्शन को कार्यक्रम दर कार्यक्रम एफ.सी.टी. को बढ़ाने या कम करने का अधिकार है।

(ग) पुनः प्रसारण/मुख्य/मैट्रो से मुख्य चैनल

प्रायोजन शुल्क (केवल बी श्रेणी)

90 सैकेण्ड एफ.सी.टी. सहित 70.000/- रु.

(कोई परिवर्तन नहीं)

प्रमुख/मैट्रो से अथवा मैट्रो से मैट्रो चैनल स्पाट खरीद पर

"बी" श्रेणी 10,000 रु.

'ए" श्रेणी 15,000 रु.

प्रायोजन शुल्क

"बी" श्रेणी 90 सैकेण्ड सहित 20,000/- रु.

"ए" श्रेणी 70 सैकेण्ड सहित 35,000/- रु.

(ङ) टेली फिल्में/टेली नाटक ("ए" वर्ग के अन्तर्गत)

90 मिनट 4 मिनट (एक माह की अवधि सहित उसी वर्ग में अधिकतम चार कार्यक्रमों के साथ उपयोग की जानेवाली 2 मिनट की बैंकिंग सहित)।

60 मिनट 3 मिनट (एक माह की अवधि में उसी वर्ग में अधिकतम दो कार्यक्रमों के साथ उपयोग की जानेवाली 10 मिनट की बैंकिंग सहित)।

5. **स्वीकृत प्रायोजकों की संख्या**

राष्ट्रीय नेटवर्क/क्षेत्रीय केन्द्र/मैट्रो मनोरंजन चैनल

(क)	30" तक की एफसीटी सहित कार्यक्रम के लिए	एक
(ख)	60" तक की एफसीटी सहित कार्यक्रम के लिए	दो
(ग)	90" तक की एफसीटी सहित कार्यक्रम के लिए	तीन
(घ)	120" तक की एफसीटी सहित कार्यक्रम के लिए	चार
(ङ)	150" तक की एफसीटी सहित कार्यक्रम के लिए	पांच
(च)	180" तथा उसे अधिक की एफसीटी सहित कार्यक्रम के लिए	छः

(यह दूरदर्शन निर्माणों तथा बाहरी निर्माण पर समान रूप से लागू होगा)

6. **अन्य दरें**

राष्ट्रीय नेटवर्क तथा केन्द्रों पर फिल्म संगीत कार्यक्रम प्रायोजकता के लिए नहीं दिए जाते हैं।

निम्नलिखित प्रीमियम दरों पर कार्यक्रम के बीच में विज्ञापनों के लिए विशेष स्थान।

निर्धारण तथा प्रसारण को शुरू करने का निर्णय लिया गया है :

कार्यक्रम से पूर्व

निम्नलिखित प्रीमियन दर पर कैप्सूल में स्थान निर्धारण :

समाप्ति से संबंधित आखिरी दो स्लॉट्स	10% प्रभार प्रीमियम

कार्यक्रम के बीच में

(i) प्रत्येक 30 मिनट के स्लॉट के लिए प्राकृतिक अवरोध पर प्रत्येक 60 सैकेण्ड के दो कैप्सूल 25% प्रीमियन

(ii) **देर रात्रि फिल्में (बाहरी प्राधिकर्ता)**

दोपहर की फिल्में

स्पॉट खरीद	25,000/- रुपये 10 सैकेण्ड के लिए
30 मिनट के लिए	1,25,000/- रुपये 90 सैकेण्ड एफसीटी तथा दो क्रेडिट लाइनों सहित।

प्रायोजकर्ता शुल्क

(iii) रविवार की फिल्में (दिल्ली तथा अ.श.ट्रा./लखनऊ/जालंधर/श्रीनगर/जयपुर)

स्पॉट खरीद	10 सैकण्ड हेतु 60000/- रुपये
30 मिनट हेतु	240000/- रुपये सैकण्ड एफसीटी तथा दो क्रेडिट लाइनों सहित।

प्रायोजकता शुल्क

(iv) फिल्म (मंगलवार को दोपहर प्रसारण में) (दूरदर्शन)

स्पॉट खरीद	10 सैकण्ड हेतु 25000/- रुपये
प्रायोजकता	100000/- रुपये 40 सैकण्ड एफसीटी तथा दो क्रेडिट लाइनों सहित।

(v) बृहस्पतिवार को क्षेत्रीय फिल्म (दूसरे तथा चौथे) दिल्ली तथा अ.श.ट्रा.(दूरदर्शन)

स्पॉट खरीद	10 सैकण्ड हेतु 25000/- रुपये
30 मिनट हेतु	75000/- रुपये 40 सैकण्ड एफसीटी तथा दो क्रेडिट लाइनों सहित।

प्रायोजकता शुल्क

(vi) प्रायोजित गीत

राष्ट्रीय नेटवर्क	100000/- रुपये
दिल्ली	50000/- रुपये
मद्रास तथा हैदराबाद	20000/- रुपये
बम्बई	10000/- रुपये
अन्य केन्द्र	6000/- रुपये

(vii) टाई-अप स्पॉट विज्ञापन

इन विज्ञापनों को बिना प्रभार वाले सामान्य विज्ञापन समझा जाएगा।

(viii) सामूहिक विज्ञापन

ऐसे विज्ञापनों की न्यूनतम अवधि की पाबन्दी को हटा लिया गया है।

(ix) समाचारों से पूर्व टाइम चैक

या तो उत्पाद अथवा ग्राहक के नाम सहित 5 से 10 सैकण्ड का मूक विज्ञापन लोगों उत्पाद शॉट अथवा उत्पाद विज्ञापन की अनुमति/स्वकार्य नहीं है।

(क) 8.30 रात्रि/10.00 रात्रि (बुलेटिन) :	25000/- रुपये
(ख) प्रातः/दोपहर (बुलेटिन) :	10000/- रुपये

7. **बैंकिंग**

(क) राष्ट्रीय नेटवर्क

प्रथम 5 प्रकरणों हेतु प्रति आधे घण्टे, 30 सेकण्ड के लिए सुपर ए तथा ए स्पेशल वर्ग में एफसीटी की बैंकिंग अनुज्ञेय है। तथापित इस पद्धति में एफसीटी बैंक का अगले पांच प्रकरणों में पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाना है।

(ख) क्षेत्रीय केन्द्र

एफसीटी की बैंकिंग निम्न प्रकार से अनुज्ञेय है :

(i) यदि एफसीटी की अवधि 150/160 सेकण्ड है तो 30 सेकेण्ड

(ii) किसी भी मामले में बैंकिंग तथा 60 सेकण्ड, यदि कार्यक्रम की अवधि के दौरान एफसीटी 180 सेकण्ड या अधिक हो।

8. छूट

30 सेकण्ड से अधिक की स्पॉट बुकिंग पर विज्ञापक निम्नलिखित छूट का पात्र होगा :

(क) 50 सेकण्ड तक, 5 सेकण्ड की छूट।

(ख) 60 सेकण्ड या इसे ऊपर के लिए 10 सेकण्ड की छूट।

9. (क) यदि दूरदर्शन किसी भी स्तर पर प्रसारण, समय स्लॉट अथवा प्रसारण के दिन को ध्यान में न रखकर चालू कार्यक्रम के वर्ग में परिवर्तन का निर्णय लेता है तो वह 30 दिन का नोटिस देकर ऐसा कर सकता है।

(ख) प्रसारण के समय तथा दिन को ध्यान में न रखकर चालू धारावाहिक के समय वर्ग में परिवर्तन किया जा सकता है।

(ग) प्रसारण के समय तथा दिन को ध्यान में न रखकर किसी भी कार्यक्रम को उसके शुरू होने से पूर्व सामान्य समय वर्ग की अपेक्षा उच्च वर्ग में रखा जा सकता है।

अनुबन्ध-1

दर कार्ड स्पॉट खरीद

राष्ट्रीय नेटवर्क

स्पॉट खरीद हेतु दर (10 सेकण्ड रुपयों में)

केन्द्र	सुपर ए स्पेशल	सुपर ए	ए स्पेशल	"ए"	"बी"
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नेशनल	चित्रहार				
नेटवर्क	1,20,000	60,000	40,000	25,000	15,000
	1,30,000 (आखिरी दो स्पॉटों के लिए)				
	1,50,000 (बीच में)				
	हिन्दी फीचर फिल्म				
	1,00,000				
1. समाचार से पूर्व				रंगोली	
				स्पॉट खरीद	
	70,000			75,000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. द न्यूज					
	40,000			80,000	
				(आखिरी दो स्पॉट)	
				1,00,000	
				(बीच में)	
समाचार से बीच में :		80,000			
द न्यूज :		60,000			

दर कार्ड स्पॉट खरीद

क्षेत्रीय केन्द्र

(10 सेकण्ड रुपयों में)

केन्द्र	सुपर ए स्पेशल	सुपर ए	"ए"	"बी"
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
दिल्ली	40,000	25,000	7,000	2,000
मद्रास	30,000	14,000	4,000	1,500
बम्बई	26,000	18,000	5,000	1,500
हैदराबाद	18,000	11,000	4,000	1,500
कलकत्ता	18,000	11,000	4,000	1,500
बंगलौर	18,000	11,000	4,000	1,500
त्रिवेन्द्रम	12,000	8,000	3,500	1,000
अहमदाबाद	12,000	8,000	2,500	1,000
लखनऊ	10,000	6,000	2,500	1,000
जालंधर	7,000	6,000	3,000	1,000
भोपाल/जयपुर	6,000	4,000	2,000	1,000
श्रीनगर/गुवाहाटी	....	1,500	1,000	500

क्षेत्रीय समाचार

मद्रास, हैदराबाद, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम, कलकत्ता में : सुपर "ए" वर्ग में 10% प्रीमियम

फिल्म गीत कार्यक्रम (क्षेत्रीय केन्द्र)

(i) आखिरी दो स्पाट्स : 10% प्रीमियम

(ii) बीच में : 25% प्रीमियम

नोट : पूर्व दर आधार पर 15 सेकण्ड के विज्ञापन की अनुमति है।

अनुबंध-2

निर्मित/कमीशन्ड तथा अधिग्रहित दूरदर्शन कार्यक्रमों की प्रायोजकता हेतु दरें

(रुपयों में..... 30 मि.)

समय श्रेणियां

केन्द्र	सुपर ए विशेष	सुपर ए	ए विशेष	"ए"	"बी"
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राष्ट्रीय नेटवर्क	हिन्दी फीचर फिल्म				
	6,50,000	3,50,000	2,20,000	1,30,000	
	40 सेकण्ड	60 सेकण्ड	60 सेकण्ड	60 सेकण्ड	
	प्रायोजित हिन्दी फिल्म				
	5,00,000	2,40,000	1,60,000	1,00,000	40,000
	60 सेकण्ड	40 सेकण्ड	40 सेकण्ड	40 सेकण्ड	40 सेकण्ड

सभी श्रेणियों में सभी क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिए समान्यतया 40 सेकण्ड एफ.सी.टी. है।

केन्द्र	सुपर ए विशेष	सुपर ए	"ए"	"बी"
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
दिल्ली	2,10,000	1,20,000	28,000	6,000

बाहरी निर्माताओं द्वारा निर्मित कार्यक्रमों के लिए एफ.सी.टी. के विवरण सहित प्रायोजकता के लिए दरें।

(30 मिनट के कार्यक्रमों के लिए)

(क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिए)

केन्द्र का नाम/नेटवर्क	सुपर-ए	टेलीफिल्म/लघु नाटक
दिल्ली	20,000: 90 सेकण्ड एफ.सी.टी.	30,000/90 मि.
		20,000/60 मि.
बम्बई	16,000: 110 सेकण्ड एफ.सी.टी.	15,000/90 मि.
		10,000/60 मि.
मद्रास	12,000: 120 सेकण्ड एफ.सी.टी.	10,000/90 मि.
		7,000/60 मि.
बंगलौर, हैदराबाद तथा कलकत्ता	10,000: 120 सेकण्ड एफ.सी.टी.	7,000/90 मि.
		5,000/60 मि.
त्रिवेन्दम तथा अहमदाबाद	10,000: 160 सेकण्ड एफ.सी.टी.	-तथैव-
लखनऊ तथा जालंधर	7,000: 180 सेकण्ड एफ.सी.टी.	5,000/90 मि.
		3,000/60 मि.
जयपुर तथा भोपाल	5,000: 210 सेकण्ड एफ.सी.टी.	-तथैव-
श्रीनगर तथा गुवाहाटी	5,000: 240 सेकण्ड एफ.सी.टी.	3,000/90 मि.
		2,000/60 मि.

टिप्पणी :

(1) बाहरी निर्माताओं द्वारा निर्मित कार्यक्रमों (टेलीफिल्मों/लघु नाटकों को छोड़कर) को क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा केवल सुपर-ए श्रेणी में प्रसारित किया जाएगा।

(2) टेली फिल्मों/लघु नाटकों के लिए एफ.सी.टी. हकदारी :

90 मि. : 2 मि. की बैंकिंग सहित 4 मि.

60 मि. : 1 मि. की बैंकिंग सहित 3 मि.

अनुबंध-3

दूरदर्शन-2 मैट्रो चैनल का दर कार्ड

	सुपर-ए		ए-स्पेशल		ए-श्रेणी *	बी-श्रेणी *
	एफ.	एस.एस.	एफ.	एस.एस.		
			सी/आई/जी/क्यू.			
स्पॉट खरीद दर (10 सें.)	30,000	30,000	22,000	22,000	15,000	10,000
एफ.सी.टी. (सैकण्ड में)	150	180	150	180	210	210
प्रायोजकता शुल्क	2,00,000	1,40,000	1,00,000	50,000 (एस.एस.)	35,000	20,000
				1,00,000 (सी/आई/जी/क्यू)		

सिंगल मैट्रो

	सुपर-ए	ए-श्रेणी	बी-श्रेणी
स्पॉट खरीद दर	8,000	5,800	4,200
एफ.सी.टी. (सैकण्ड में)	120	150	210
प्रायोजकता शुल्क	20,000	10,000	5,000

एफः (फिल्म आधारित)
एस.एस.: (प्रायोजित धारावाहिक)
सीः (चार शो)
आईः साक्षात्कार
जीः गेम शो
क्यूः (क्वीज)

* "ए" तथा "बी" श्रेणी में एफ.एस.एस. सी/आई/जी/क्यू कार्यक्रमों के लिए एक समान दरें होंगी।

1. निर्माता नीचे अनुसूची के अनुसार अतिरिक्त एफ.सी.टी. (कार्यक्रमों के बीच में) बुक करने के पात्र होंगे।

(1) प्रथम 30 सैकण्डों के लिए	- 15% प्रीमियम
(2) अगले 30 सैकण्डों के लिए	- 20% प्रीमियम
(3) अगला 30 सैकण्ड तथा उपरोक्त के लिए उससे आगे के 30 सेकण्ड और अधिक के लिए	- 25% प्रीमियम

2. *डी.डी.आई.आई. पर प्रायोजकता के लिए दूरदर्शन के कार्यक्रम उपलब्ध नहीं होंगे। कार्यक्रमों* के बीच में संबंधित स्पॉट खरीद दर पर 20% प्रीमियम पर विज्ञापन भी प्रसारित किये जायेंगे। 90-90 सेकण्ड के दो कैप्सूल 30 मि. के स्लॉट में प्रसारित किए जाएंगे।

[हिन्दी]

गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलना

696. **श्री दिलीप भाई संघाणी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में जिलावार अब तक कितनी पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदला गया है;

(ख) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदला गया है; और

(ग) अमरेली और सावर कुंडला जिलों में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में कब तक बदल दिया जायेगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये हैं।

(ख) (i) 1993-94 के दौरान 181, और

(ii) 1994-95 के दौरान 155

(ग) (i) अमरेली जिले के टेलीफोन एक्सचेंज को 1994-95 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में बदलने की संभावना है, बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

(ii) सावरकुंडला, जिला नहीं है और वहां पर इस समय एक इलेक्ट्रो-मकेनिकल एक्सचेंज कार्य कर रहा है। 1994-95 के दौरान, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की संस्थापना करने की योजना है।

विवरण

गुजरात में अब तक (15.2.94 तक) इलेक्ट्रानिक में बदले गये पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलावार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	अब तक (15.2.94 तक) बदले गये पुराने एक्सचेंजों की संख्या
1.	अहमदाबाद	34
2.	गांधीनगर	02
3.	बड़ौदा	39

1	2	3
4.	राजकोट	55
5.	सूरत	36
6.	नदियाड (खेड़ा)	72
7.	भावनगर	42
8.	भुज	42
9.	बुलासाड़ (वालसाढ़)	28
10.	डांग	-
11.	जामनगर	33
12.	जूनागढ़	42
13.	मेहसाणा	74
14.	अमरेली	26
15.	हिम्मतनगर	64
16.	पालनपुर	46
17.	सुरेन्द्र नगर	40
18.	भड़ौच	30
19.	गोधरा	30
	योग	735

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में टी.वी. ट्रांसमीटर

697. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय कुल कितने दूरदर्शन ट्रांसमीटर/ट्रांसपौंडर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या दूरदर्शन नेटवर्क के कार्यक्रम राज्य के सभी भागों में देखे जाते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो दूरदर्शन नेटवर्क के कार्यक्रम राज्य के सभी भागों में देखे जा सकने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? अथवा उठाने का विचार हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) वर्तमान में मध्य प्रदेश में भिन्न-भिन्न शक्तियों के 54 टी.वी. ट्रांसमीटर/ट्रांसपोजन कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग). यद्यपि वर्तमान में राज्य को 69.3% जनसंख्या कवर की जाती है तथापि, लगभग 78.7% जनसंख्या के लिए स्थलीय कवरेज को बढ़ाने के लिए राज्य में 22 और टी.वी. ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित हैं। स्थलीय टी.वी. कवरेज में और अधिक सुधार भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

देश में बिजली उत्पादन, आवश्यकता और आपूर्ति

698. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 जनवरी, 1994 तक की स्थिति के अनुसार बिजली के उत्पादन, आवश्यकता और आपूर्ति के बीच के अंतर का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें किसानों को सिंचाई हेतु बिजली की देय राशि के भुगतान से छूट अथवा बिजली की सप्लाई पर राज सहायता दी जाती है और कितनी-कितनी दी जाती है उसका 31 जनवरी, 1994 तक का तत्संबंधी प्रत्येक राज्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में पन बिजली, ताप विद्युत तथा परमाणु ऊर्जा की उत्पादन लागत, तथा प्रति इकाई औसत उत्पादन लागत का पृथक्-पृथक् ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) अप्रैल, 1993 - जनवरी, 1994 के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता, उपलब्धता और कमी के बारे में राज्य/क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) विद्युत उत्पादन तथा सप्लाई की औसत लागत की अपेक्षा कृषि क्षेत्र को विद्युत सप्लाई में भारी आर्थिक सहायता शामिल होती है। विद्युत उत्पादन एवं सप्लाई की औसत लागत और कृषि क्षेत्र से औसत वसूली तथा 31.3.1993 की स्थिति के अनुसार इनके कारण राज्य बिजली बोर्डों को हुई हानि को दर्शानें वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 1991-92 के दौरान ताप विद्युत और जल विद्युत उत्पादन की औसत लागत क्रमशः 82.84 पैसे/कि.वा.आ. और 16.74 पैसे/कि.वा.आ. थी। न्यूक्लीय विद्युत केन्द्रों से, राज्य बिजली बोर्डो को विक्रय की गई विद्युत का मूल्य ईंधन और जल समायोजन प्रभारों के अधीन निम्नलिखित हैं :

केन्द्र	दर (पैसे/कि.वा.आ.)	प्रभावी तारीख
1. तारापुर एटमिक पावर स्टेशन	57.00	1.12.1992
2. राजस्थान एटमिक पावर स्टेशन	60.80	जून, 1992
3. मद्रास एटमिक पावर स्टेशन	75.04	जून, 1992
4. नरौरा एटमिक पावर स्टेशन	140.96	1.2.1992

विवरण-1

अप्रैल-93 से जनवरी, 94 तक वास्तविक विद्युत सप्लाई की स्थिति

(सभी आंकड़ें मि.यू. निवेश में)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	अप्रैल, 1993 - जनवरी, 1994			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	(%)
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
चंडीगढ़	577	577	0	0.0%
दिल्ली	9330	9180	150	1.6%
हरियाणा	9900	8905	995	10.1%
हिमाचल प्रदेश	1347	1347	0	0.0%
जम्मू व कश्मीर	3020	2450	570	18.9%
पंजाब	16155	15600	555	3.4%
राजस्थान	12995	12265	730	5.6%
उत्तर प्रदेश	27785	25014	2771	10.0%
जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	81109	75338	5771	7.1%
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	24750	23617	1133	4.6%
मध्य प्रदेश	19430	18474	956	4.9%

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	36795	35530	1265	3.4%
गोवा	718	715	3	0.4%
जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	01693	78336	3357	4.1%
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	23135	22130	1005	4.3%
कर्नाटक	17930	13892	4038	22.5%
केरल	6610	6467	143	2.2%
तमिलनाडु	21745	28966	779	3.6%
जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	69420	63455	5965	8.6%
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	7165	4732	2433	34.0%
दामोदर घाटी निगम	6480	5780	700	10.8%
उड़ीसा	7415	6638	777	10.5%
पश्चिम बंगाल	10590	10021	569	5.4%
जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	31650	27171	4479	14.2%
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र				
अरुणाचल प्रदेश	127.9	85.5	42.4	33.2%
असम	2006.3	1805.7	200.6	10.0%
मणिपुर	245.6	240.3	5.3	2.2%
मेघालय	247.0	247.0	0.0	0.0%
मिजोरम	96.4	93.0	3.4	3.5%
नागालैण्ड	123.5	119.5	4.0	3.2%
त्रिपुरा	228.3	204.0	24.3	10.6%
जोड़ (उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र)	3075.0	2795.0	280.0	9.1%
अखिल भारत	266947	247095	19852.0	7.4%

विवरण-2

31.3.93 की स्थिति के अनुसार कृषि क्षेत्र को आपूर्ति किए जाने के फलस्वरुप राज्य विद्युत बोर्डों को हानियां और कृषि क्षेत्र से औसत वसूली और आपूर्ति की औसत लागत दर्शाने वाला विवरण

	विक्रय	कृषि से औसत वसूली	वितरण की औसत लागत	अन्तर	(हानियां करोड़ रु. में)
	(मि.कि.वा.आ.)	.....पैसे/कि.वा.आ.			
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	7894.54	8.10	105.56	97.46	769.38
2. बिहार	1527.27	10.48	188.04	177.56	271.18
3. गुजरात	7783.00	11.00	168.36	149.36	1162.49
4. हरियाणा	4862.70	21.97	139.62	117.65	477.97
5. हिमाचल प्रदेश	14.14	33.00	109.99	96.99	1.69
6. कर्नाटक*	5340.47	3.82	98.27	94.95	507.07
7. केरल	235.00	25.11	83.00	57.89	13.61
8. मध्य प्रदेश*	3618.76	25.32	175.99	132.67	480.11
9. महाराष्ट्र	8338.59	15.21	148.06	132.85	1106.73
10. उड़ीसा	406.00	33.99	104.99	71.00	28.83
11. पंजाब	6179.00	10.81	126.91	116.10	717.39
12. राजस्थान	3247.00	31.24	141.60	110.36	358.33
13. तमिलनाडु*	5160.00	0.19	133.27	133.08	686.70
14. उत्तर प्रदेश	8498.00	31.58	153.02	121.44	1032.01
15. पश्चिम बंगाल	740.00	32.55	163.97	131.42	97.25
16. असम	22.48	76.07	256.54	180.47	4.06

1	2	3	4	5	6
17. मेघालय	1.50	40.00	119.49	79.49	0.12
जोड़	63060.45	15.51	138.64	123.13	7714.29

*उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ निर्धारित अश्व शक्ति तक के कृषि पम्पसेटों के बारे में किसी प्रकार के प्रभार वसूल नहीं किए जा रहे हैं। संशोधित नीति मध्य प्रदेश में 1.2.94 से लागू की गई है।

[अनुवाद]

टेलीफोन बिलों की बकाया धनराशि

699. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992-93 के दौरान टेलीफोन बिलों की बकाया धनराशि में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों की तुलना में इस धनराशि में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) इस बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई/करने का विचार है; और

(घ) इस समय कितने मामलों में मुकदमा चल रहा है और इनमें कितनी धनराशि फंसी हुई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों की तुलना में इस वर्ष बढ़ाई गई राशि इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वर्ष में 30 जून की स्थिति के अनुसार 3 माह की बकाया राशि	पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ाई गई राशि
1989-90	201.67 रु.	—
1990-91	301.62 रु.	99.95 रु.
1991-92	449.87 रु.	108.25 रु.
1992-93	651.36 रु.	201.49 रु.

(ग) बिल जारी करने और उनकी वसूली का मुद्दा एक सतत् प्रक्रिया है और टेलीफोन बिलों की बकाया राशि की वसूली के लिए भली भांति पद्धतियों का निर्धारण किया गया है। बिल संबंधी झगड़ों/अदालती मामलों के तत्काल निपटान हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य मामलों में पत्र व्यवहार/व्यक्तिगत दौरों और कानूनी कार्रवाई द्वारा वसूली संबंधी कार्य किया जा रहा है।

(घ) सूचना यूनिटों से मांगी गई है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

गुजरात के बड़ौदरा में दूरदर्शन ट्रांसमीटर

700. **श्री एन. जे. राठवा :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में बड़ौदरा जिले के छोटा उदयपुर में अल्प शक्ति का टी.वी. ट्रांसमीटर कब लगाया गया;

(ख) क्या उक्त टी.वी. ट्रांसमीटर सही ढंग से काम कर रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति ट्रांसमीटर में बदलने के संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) उस पर अनुमानित व्यय क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) यह ट्रांसमीटर 30 अक्तूबर, 1989 को स्थापित किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान में हड़ताल

701. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कश्मीर में तथाकथित कार्यवाहियों का विरोध करने के लिए

पाकिस्तान में हुई हड़ताल और कश्मीर के लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त किये जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने पाकिस्तान द्वारा चलाये गये दुष्प्रचार अभियान को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान में जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए 5 फरवरी, 1994 को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई थी। पाकिस्तान की सरकार ने इस हड़ताल का समर्थन किया था। यह लगातार पांचवा साल था जबकि पाकिस्तान में इस तरह की हड़ताल की गई।

यह बड़े खेद की बात है कि पाकिस्तान की सरकार बराबर इस तरह की कार्यवाहियों से अपने आपको जोड़ती रही है जिनसे या तो लोगों की भावनाएं भड़कती हैं, हिंसा भड़कती है और जो किसी भी तरह ऐसे संबंधों का वातावरण तैयार करने में सहायक नहीं होती जिसमें मतभेदों को द्विपक्षीय रूप से और शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा तय करने के लिए कोई सार्थक बातचीत हो सकती हो।

(ग) सरकार अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को जम्मू और कश्मीर की स्थिति के बारे में सही तथ्य बताने और भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान के समर्थन से अवगत कराने के लिए सभी कदम उठाती रही है और उठाती रहेगी।

[हिन्दी]

बिहार में बाक्साइट के खनन हेतु पट्टे देना

702. **श्री ललित उरांव** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने बिहार की सिफारिश पर राज्य के गुमला, लोहरदगा और पलामू जिलों में कितनी कंपनियों को खनन पट्टे दिए हैं;

(ख) ये पट्टे कब दिये गये थे और ये पट्टे किन-किन क्षेत्रों के लिए दिए गए और कितने समय के लिए दिए गए थे;

(ग) बाक्साइट खनन के पट्टों की पात्रता के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गये हैं;

(घ) क्या जिन कंपनियों को ये पट्टे दिए गये हैं वे इन मानदंडो को पूरा करती हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ख). खनन पट्टे, संबंधित राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। तथापि, खान एवं खनिज (विनियमन और विकास)

अधिनियम, 1957 तथा खनिज रियायत नियम, 1960 के अनुसार अनुसूची "ए" में उल्लिखित खनिजों के लिए, राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से पूर्वानुमति लेनी होती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1992 के दौरान, केवल एक ही मामले में गुमला जिले की 51.67 एकड़ भूमि का बाक्साइट खनन पट्टा 20 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था।

(ग) से (ङ). खनन पट्टा मंजूर करने के लिए एक चयन राज्य सरकार द्वारा खान एवं खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 तथा खनिज रियायत नियम, 1960 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, किया जाता है। सरकार को उपरोक्त मामलें में ऐसे किसी प्रावधान के उल्लंघन की जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन द्वारा नये चैनलों की शुरूआत

703. **श्री पी.सी. थॉमस :**

श्री कृष्ण दत्त सुल्तान पुरी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने हाल ही में कई नये चैनल और नये कार्यक्रम शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह नया प्रयास आर्थिक रूप से तथा कार्यक्रम की दृष्टि से सफल है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दूरदर्शन के ऐसे कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की क्या भूमिका है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जहां तक चैनलों का संबंध है, दूरदर्शन के छः चैनलों को 1 फरवरी 1994 से पुनः संरचित किया गया है। परिणामतः कुछ नए कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे हैं।

(ख) इस संबंध में विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). हालांकि परिणामों का इस अवस्था पर परिमापन करना शीघ्रता होगी फिर भी पुनः संरचित चैनलों के प्रति प्रारंभिक प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है।

(ङ) इस संबंध में निजी क्षेत्र की भूमिका विविध प्रकार की है जिसमें सॉफ्टवेयर प्रदान करना, कार्यक्रमों में भागीदारी तथा विज्ञापनों की आपूर्ति शामिल हैं।

विवरण

दूरदर्शन चैनल

(i) **दूरदर्शन-1** : समाचार, सम-सामयिकी, फिल्में, खेल, शिक्षा तथा सार्वजनिक सेवा आदि सहित कार्यक्रमों की समग्र श्रेणी, सभी आयु वर्गों, ग्रामीण तथा शहरी लक्षित दर्शकों सहित। इसका पूर्ण भू-भागीय चैनल के रूप में कार्य करना जारी है।

(ii) **दूरदर्शन-2** : यह मौजूदा मैट्रो चैनल है जिसमें प्रमुखतः मनोरंजन प्रधान तथा खेल व संगीत कार्यक्रम भी इसमें शामिल हैं। लक्षित दर्शक प्रमुखतः युवा आयु वर्ग तथा मध्यम वर्ग में आर्थिक शहरी जनसंख्या से I चार महानगरों, लखनऊ तथा हैदराबाद में सीमित भू-भागीय पहुँचे।

(iii) **दूरदर्शन-3** : दिल्ली में सीमित भू-भागीय वितरण के साथ पूर्ण रूप से उपग्रह आधारित चैनल I इस चैनल की कार्यक्रम रूपरेखा प्रमुखतः लक्षित दर्शकों की पूर्ति के लिए है जो अधिक बौद्धिक, अधिक गम्भीर प्रवृत्ति वाले हैं। गम्भीर मनोरंजन, टेलीफिल्में, नाटक, चर्चाएं, सामाजिक समस्याओं पर आधारित कार्यक्रम तथा वृत्तचित्र की विस्तृत श्रेणी इसमें शामिल हैं।

2. क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रमों की आवश्यकता की पर्याप्त पूर्ति के उद्देश्य से बाकी तीन उपग्रह चैनलों का निम्न प्रकार से क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रमों हेतु विशिष्ट तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है :

(i) दूरदर्शन - IV : कन्नड़, मलयालम, तमिल तथा तेलुगु

(ii) दूरदर्शन - V : असमिया, बंगला तथा उड़िया

(iii) दूरदर्शन - VI : गुजराती, कश्मीरी, मराठी तथा पंजाबी

नए कार्यक्रम

धारावाहिकों तथा अन्य कार्यक्रमों का चयन दूरदर्शन में एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। हाल ही में शुरू हुए कुछ नए कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

धारावाहिक	:	दि ग्रेट मराठा, रिपोर्टर;
समाचार पत्रिका	:	न्यूज ट्रैक, आई विटनैस;
संगीत कार्यक्रम	:	हॉट स्पॉट;

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सायंकालीन समाचार बुलेटिन की अवधि को आधे घण्टे तक बढ़ाकर इसकी रूपरेखा में भी संशोधन किया गया है।

[हिन्दी]

केले से खराब न होने वाले खाद्य पदार्थ तैयार करना

704. **श्री दत्ता मेघे :**

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केले से संसाधित और खराब न होने वाले खाद्य पदार्थ तैयार करने हेतु कोई उद्योग स्थापित करने अथवा निजी उद्योगों को लाइसेंस देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई अनुसंधान कार्य शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख). खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं किसी उद्योग की स्थापना नहीं करता। प्रसंस्कृत फल और सब्जी मदों, इनमें केले से बनने वाली वस्तुएं शामिल हैं, के निर्माण के लिए औद्योगिक लाईसेंस लेने की जरूरत नहीं होती। 25 जुलाई, 1991 को नई औद्योगिक नीति जारी होने से लेकर अब तक कोई औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। बहरहाल निजी क्षेत्र में पहले से दो यूनिटें केले से केले का गूदा/प्यूरी तैयार कर रही हैं।

(ग) और (घ). केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर ने कुछ अनुसंधान और विकास कार्य किया है और गूदेदार फलों, इसमें केला शामिल है, से फ्रूट बार तैयार की है। उक्त संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास कार्यों से पता चलता है कि इन फ्रूट बारों का आसानी से विविध इस्तेमाल और एक कन्फेक्शनरी वस्तु के रूप में विपणन किया जा सकता है।

[अनुवाद]

डी.टी.सी. के किराए में वृद्धि

705. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए किराए बढ़ाने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). सरकार दिल्ली परिवहन निगम के किराए संशोधित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

टेलीफोन उपकरणों का निर्यात

706. **श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार उपकरणों का अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इनकी लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न दूरसंचार कंपनियों द्वारा टेलीफोन उपस्करों यथा टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीफोन उपकरणों मोरेम इलेक्ट्रानिक निजी शाखा एक्सचेंज और साथ ही दूरसंचार परियोजनाओं का निर्यात किया जा रहा हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरसंचार निर्यातों की लागत/मूल्य निम्नलिखित हैं :

दूरसंचार निर्यातों का अनुमानित मूल्य (दूरसंचार सेवाओं परियोजनाओं के निर्यात सहित)

(मूल्य लाख रु. में)

1990-91	1991-92	1992-93
5841	9111	14717

गुजरात में अहमदाबाद में दूसरा चैनल

707. **श्री शंकर सिंह वाघेला** :

श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में अहमदाबाद में दूसरा मैट्रो चैनल शुरु करने की हाल ही में घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से कार्य करना शुरु कर देगा;

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात में अहमदाबाद में "इनसैट" के साथ जोड़कर एक "न्यू-ट्रांसपोंडर" स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) अहमदाबाद में मैट्रो चैनल सेवा शुरु किए जाने के लिए 1994 के दौरान यंत्र व्यवस्था स्थापित किए जाने की आशा है।

(ग) और (घ). दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा निर्मित क्षेत्रीय दूरदर्शन कार्यक्रमों को इन्सैट के जरिए अपलिंक करने के लिए एक भू-केन्द्र अहमदाबाद में पहले ही स्थापित किया जा चुका है तथा गुजरात राज्य के सभी टी.वी. ट्रांसमीटरों द्वारा ये कार्यक्रम रिले किए जाते हैं।

पत्तनों पर भूमि प्रबन्धन

708. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पत्तनों पर भूमि प्रबन्धन संबंधी नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पारादीप पत्तनप्राधिकरण पर दिशा-निर्देशों के अनुसार निविदा प्रणाली अपनाए बिना व्यापारियों को कथित रूप से मुख्य भूमि का आबंटन करने का आरोप है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). जी हां। जारी किए गए मार्ग निर्देशों की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :

1. मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुरुप उपर्युक्त पट्टा आरूपों (लीज फार्मेट) को पत्तनों द्वारा निर्मित किया जाएगा।

2. न्यूनतम 20 वर्ष की अवधि की तात्कालिक अल्पकालिक और दीर्घकालिक आवश्यकताओं का पता लगा करके भूमि उपयोग के लिए एक भावी योजना प्रत्येक पत्तन द्वारा बनाई जाएगी। खाली भूमि का उपयोग पत्तन से संबंधित उद्योगों के लिए किया जाएगा अथवा भूमि उपयोग योजना के अनुसार वाणिज्यिक रूप से उसका लाभकारी उपयोग किया जाएगा।

3. तटीय भाग के 500 मीटर के अंदर भूमि के आबंटन पर विचार केवल पत्तन प्रचालनों से सीधे सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए किया जाएगा तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी मार्ग निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

4. किराया अनुसूची, बाजार भाव किराया के आधार पर बनाई जाएगी और क्षेत्र में तथा क्षेत्र के आस पास भू-संपदा की प्रचलित बाजार-भाव-किराया से इसका घनिष्ठ संबंध होगा तथा प्रत्येक पांच वर्ष बाद चालू बाजार दरों के आधार पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

5. आबंटन/खाली भूमि को पट्टे पर देने/वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए सुविधा के मामलों में, जहां एक से अधिक आवेदन हों अथवा एक से अधिक आवेदन होने की संभावना हो, पट्टा किराया, प्रतियोगी निविदाओं के आधार पर तय किया जाना चाहिए। दरों का आवधिक संशोधन अथवा वार्षिक वृद्धि के लिए एक प्रावधान होना चाहिए। सरकारी कार्यालयों अथवा रक्षा प्रयोजनों इत्यादि जैसे गैर वाणिज्यिक उपयोग के लिए भूमि के आबंटन के मामले में भूमि का पट्टा निर्धारित दरों पर दिया जा सकता है। यदि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा भूमि का आबंटन मांगा जाता है और यदि निविदाएं/कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं और उनकी दरें दूसरों के मुकाबले में कम हैं तो भी उन्हें सर्वाधिक बोली दर पर भूमि प्राप्त करने का विकल्प दिया जाए बशर्ते यह कानूनी तौर पर व्यवहार्य हो। तथापि, यह कानूनी तौर पर व्यवहार्य नहीं है, फिर भी परियोजना के महत्व को मद्देनजर रखते हुए उन्हें भूमि आवंटित करना उचित है तथा निर्धारित दर पर अथवा अन्यत्र तुलनात्मक भूमि की दरों पर उन्हें भूमि दी जा सकती है।

6. दीर्घकालिक आधार पर पत्तन भूमि के पट्टे के मामले में, यदि वह पूर्वानुमान है कि पट्टे की अवधि यद्यपि प्रारम्भ में 30 वर्ष तक हो सकती है किन्तु इसके इससे भी अधिक होने की संभावना है तो सभी पत्तनों को भूमि के ऐसे दीर्घकालिक पट्टे के लिए सिद्धान्त रूप में केन्द्र सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए। पट्टे को प्रारम्भिक 30 वर्ष की अवधि से आगे बढ़ाने के समय केन्द्र सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

7. केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से ही मार्गनिर्देशों में कोई परिवर्तन किया जा सकता है।

(ग) और (घ). पारादीप पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा इस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों को अनुमोदित किए जाने के पश्चात् पारादीप पत्तन न्यास ने कोई भूमि आबंटित नहीं की है।

मनीआर्डरों के लिए राकेट सेवा

709. **डा. महादीपक सिंह शाक्य** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीआर्डरों के भुगतान में विलम्ब को दूर करने के लिए राकेट सेवा शुरु की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) उक्त सेवा पर कितना व्यय किया जाएगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). मनीआर्डरों के शीघ्र पारेषण के लिए विभाग का प्रस्ताव भारतीय संचार उपग्रहों का उपयोग करने का है।

प्रस्ताव में, आवश्यक कम्प्यूटर उपकरणों सहित बैरी स्मॉल अपरचर टर्मिनल्स (वी.एस.ए.टी) की स्थापना करना शामिल है। स्थानों (फेज-1) की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) परियोजना के फेज-1 पर 12 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

विवरण

माइक्रो अर्थ स्टेशन (वी.एस.ए.टी.) स्थापित करने के लिए स्थानों की सूची

क्र.सं.	सर्किल	स्थान
1.	असम	1. गुवाहाटी 2. सिलचर 3. तेजपुर 4. डिब्रुगढ़ 5. उत्तरी लखीमपुर
2.	आंध्र प्रदेश	1. हैदराबाद 2. विजयवाड़ा 3. विशाखापत्तनम 4. तिरूपति 5. करनूल
3.	बिहार	1. पटना 2. रांची 3. गया 4 . पूर्णिया 5. दरभंगा 6. माधेपुरा 7. मुजफ्फरपुर
4.	दिल्ली	
5.	गुजरात	1. राजकोट 2. बड़ोदा 3. अहमदाबाद
6.	हिमाचल प्रदेश	1. शिमला 2. मंडी
7.	हरियाणा	1. अम्बाला 2. रोहतक
8.	जम्मू एवं कश्मीर	1. जम्मू 2. श्रीनगर
9.	कर्नाटक	1. बेंगलूर 2. मैसूर 3. धारवाड़ 4. मंगलूर 5. रायचूर
10.	केरल	1. त्रिवेन्द्रम 2. कालीकट 3. कोचीन
11.	मध्य प्रदेश	1. रायपुर 2. जबलपुर 3. इंदौर 4. रतलाम 5. भोपाल 6. ग्वालियर
12.	महाराष्ट्र	1. नागपुर 2. बंबई 3. पुणे 4. पणजी 5. औरंगाबाद
13.	उत्तर पूर्व	1. शिलांग 2. आइजोल 3. अगरतला 4. कोहिमा
14.	उड़ीसा	1. भुवनेश्वर 2. सम्भलपुर
15.	पंजाब	1. लुधियाना 2. जालंधर
16.	राजस्थान	1. जयपुर 2. जोधपुर 3. उदयपुर 4. अजमेर 5. कोटा
17.	तमिलनाडु	1. मद्रास 2. कोयम्बटूर 3. मदुरै 4. तिरूची 5. थानजावूर
18.	उत्तर प्रदेश	1. लखनऊ 2. कानपुर 3. वाराणसी 4. आगरा 5. इलाहाबाद 6. सहारनपुर 7. बरेली 8. रूद्रप्रयाग
19.	पश्चिम बंगाल	1. कलकत्ता 2. सिलीगुड़ी 3. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (पोर्ट ब्लेयर)

विद्युत क्षेत्र में निजी निवेशकों के लिए "काउंटर गारंटी" भुगतान योजना

710. **श्रीमती गिरिजा देवी :**

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री मोहन सिंह देवरिया :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि यदि राज्य विद्युत बोर्ड या राज्य सरकार निजी निवेशकों की बकाया राशि नहीं देते हैं तो केन्द्र सरकार उनके विद्युत देयों के भुगतान की गारंटी देगी;

(ख) यदि हां, तो गारंटी योजना का पूर्ण ब्यौरा क्या है और ऐसे निर्णय लेने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस योजना का लाभ निजी निवेशकों की सभी परियोजनाओं को मिलेगा या चुनी हुई परियोजनाओं को ही मिलेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य विद्युत बोर्डों, जिन पर प्रायः राशि बकाया रहती है और प्रतिवर्ष यह बकाया राशि बढ़ती जाती है तथा केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद इसका भुगतान नहीं किया जाता, *के द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को देय भुगतान के लिए भी ऐसी ही गारंटी योजना अथवा कोई* ऐसा ही तंत्र विकसित करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) विदेशी निवेश की दृष्टि से सरकार द्वारा स्वीकृत की गई 7 प्रारंभिक परियोजनाओं के बारे में निजी विद्युत उत्पादन कंपनियों को राज्य बिजली बोर्डों द्वारा भुगतान किये जाने के दायित्व के लिये भारत सरकार की प्रति गारंटी प्रदान किये जाने की सुविधा के बारे में निर्णय किया गया है बशर्ते इस संबंध में निर्धारित शर्तों की पूर्ति की जाये।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ). इस समय केवल 7 परियोजनाओं के बारे में निर्णय लिया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

निजी विद्युत उत्पादन कंपनियों को राज्य बिजली बोर्डों द्वारा भुगतान किये जाने के दायित्व के लिये भारत सरकार की प्रति गारण्टी की सुविधा किये जाने से संबंधित प्रस्तावित शर्तें

पात्रता :

(1) राज्य बिजली बोर्ड ने विदेशी निवेशक के साथ पी पी ए पर हस्ताक्षर किए हों।

(2) राज्य बिजली बोर्ड विलम्बलेख खाता (एस्क्रो एकाउंट) खोलने तथा जारी रखने के लिए सहमत हो गया है। जिसमें निजी विद्युत कंपनी के एक महीने के बिल की राशि के बराबर बोर्ड द्वारा राजस्व के रूप में जमा कराई जाएगी। इस खाते पर निजी विद्युत कंपनी का अधिकार होगा।

(3) राज्य बिजली बोर्ड, प्रचालन और वित्तीय कार्यवाही योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने की स्थिति में हो और इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए हों।

(4) ओ.एफ.ए.पी. की अनुपालना शर्तों के अनुसार राज्य बिजली बोर्ड 3% अथवा इससे अधिक लाभांश की दर बनाए रखने में सक्षम होना चाहिये जैसा कि भारतीय बिजली (प्रदाय) अधिनियम में प्रावधान है।

शर्तें :

(1) निजी विद्युत प्रवर्तकों को राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कम राशि का भुगतान किए जाने के मामले में इस राशि की पूर्ति किए जाने के लिए राज्य सरकार सहमत हो।

(2) भारत सरकार की दृष्टि में राज्य वित्तीय व्यवस्था इस कार्य के लिए सक्षम हो।

(3) राज्य सरकार बिना किसी शर्त के और अप्रत्यादेय रूप से इसके लिए सहमत हो कि भारत सरकार की प्रति गारंटी की शर्तों के आधार पर इसकी ओर से किसी भी प्रकार की राशि अबाध रूप से भारतीय रिजर्व बैंक में इसके खाते में डाली जाए।

(4) एक अतिरिक्त उपाय के रूप में राज्य सरकार इससे सहमत होगी कि भारत सरकार द्वारा देय किसी भी प्रकार की राशि जो कि उपरोक्त (3) में शामिल नहीं है, इसका समायोजन राज्य हेतु केन्द्रीय सहायता से किया जाएगा।

आकाशवाणी केन्द्र, निजामाबाद

711. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी के निजामाबाद केन्द्र से क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में आकाशवाणी का एक केन्द्र है। इसके द्वारा अधिकांश कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस केन्द्र द्वारा गढ़वाली तथा कुमाऊनी बोली के कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं।

विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेशक

712. **श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेशकों के लिए 16 प्रतिशत की दर से लाभ की गारंटी देने के लिए कितने धन की आवश्यकता है; और

(ख) ऐसा धन किन स्त्रोतों से उपल्बध कराने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). एक विद्युत उत्पादन कंपनी की विद्युत उत्पादन यूनिट से संबंधित प्रदत्त और संदत्त पूंजी पर 16% की दर से परिकलन इक्यूटि पर लाभांश विद्युत उत्पादन यूनिट द्वारा प्रसारित किए जाने वाले टैरिफ की निर्धारित लागतों के घटकों में से एक होगा। अतः विद्युत क्षेत्र में निवेशकों को 16% लाभांश की प्रत्याभूति के प्रयोजनार्थ अलग निधियों की आवश्यकता नहीं है।

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थलों के चयन के मानदंड

713. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्च शक्ति के टी.वी. ट्रांसमीटरों को लगाने के मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या ऊचें स्थानों पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों का लगाया जाना वांछनीय है;

(ग) क्या विशालगढ़ और अम्बा के बीच के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थलों का सर्वेक्षण कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटरों हेतु स्थलों के चयन के लिए सामान्य मानदण्डों में निम्नलिखित कारक शामिल हैं:

(1) लक्ष्य क्षेत्रों तक स्थल मार्ग की उपलब्धता,

(2) परिणामी कवरेज की सीमा,

(3) आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता,

(4) स्थल, हवाई अड्डे तथा इस प्रकार के ऐसे संचार प्रतिष्ठानों से उपयुक्त दूरी पर होना चाहिए जिनसे टी.वी. प्रसारण पर प्रभाव पड़ सकता हो।

(5) चयनित स्थल के फलस्वरूप राष्ट्रीय महत्व के किसी समीपस्थ स्मारक, यदि कोई हो, के ऐतिहासिक महत्व पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

(ख) जी, हां। उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटरों को स्थापित करने के लिए उत्थित स्थलों को प्राथमिकता दी जाती है बशर्ते कि ये ऊपर भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अन्य अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

(ग) और (घ). जी, हां। अम्बा सहित विशालगढ़ में एक सर्वेक्षण किया गया है और वहां उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करना, तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

नयी दूरसंचार नीति

714. **कुमारी क्रिडा तोपने** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नयी दूर संचार नीति को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं, और उसे कब तक अन्तिम रूप दिया जाएगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग). सरकार ने अभी दूरसंचार नीति को अंतिम रूप नहीं दिया है। इस नीति में दूरसंचार क्षेत्र में तीव्र विकास, पुनर्संरचना की आवश्यकता कार्मिक पहलू आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है। इसे शीघ्र ही अंतिम रूप दिये जाने की आशा है।

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा दावोस में कश्मीर मुद्दे को उभारना

715. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31.1.94 के पायनियर में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा हाल ही में दावोस में कश्मीर के मुद्दे को उभारने के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय शिष्टमंडल की प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान की प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य जैसे राजनीतिक वक्तव्यों के लिए आर्थिक मंच के प्रयोग को अच्छा नहीं समझा गया। दूसरी ओर विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के पूर्ण अधिवेशन में प्रधान मंत्री के भाषण में उनके इस सुसंस्कृत उल्लेख की सराहना की गई जिसमें उन्होंने कहा कि "कम लागत के परोक्ष युद्धों का भय, आतंकवाद का सीमा-पार निर्यात, अक्सर धन ओर अस्त्रों के माध्यम से धार्मिक रूढ़िवाद को चोरी-छिपे प्रोत्साहन, लोगों के बीच आतंक पैदा करने के लिए सार्वजनिक शांति में व्यवधान, स्थानीय मसलों को अन्तर्राष्ट्रीय बनाना, ब्लैक मेल करने के विभिन्न प्रकार के तरीकों का सहारा लेना – ये सभी बातें और इससे भी कुछ अधिक बातें पहले से ही विदित हैं ओर वास्तव में इनमें वृद्धि होती जा रही है।" प्रधान मंत्री ने यह भी कहा कि "समाजों में बेहतर जीवन की इच्छा उत्पन्न करने, उसे सुदृढ़ करने और उसे पूरा करने और उसमें साझीदार बनाने का काम करना है जहां धार्मिक सनक और घृणा ने लोगों के निर्णय को पूरी तरह घेर लिया है ओर उनके अपने भविष्य के प्रति उन्हें अन्धा बना दिया है।"

[हिन्दी]

ओ. बी. जारी करने के बाद दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

716. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसे कितने मामले हैं जिनमें टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत कर दिये गये हैं ओर ओ.बी.नंबर जारी कर दिये गए हैं परंतु अब तक कनेक्शन नहीं लगे हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक ऐसे मामलों के निपटाए जाने की आशा है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 14.2.94 की स्थिति के अनुसार उन मामलों की संख्या 23596 है जिनके संबंध में ओ.बी. जारी की जा चुकी है जेकिन अभी टेलीफोन संस्थापित नहीं किए गए हैं।

(ख) टेलीफोन संस्थापित न करने के कारण निम्नलिखित हैं :

(i) केबल पेयर 12995 उपलब्ध न होने के कारण अव्यवहार्य

(ii) उपभोक्ताओं की वजह से विचाराधीन है।

(क) उपर्युक्त दस्तावेज प्रस्तुत न करना।

(ख) उपभोक्ताओं का पता नहीं लगाया जा सका – 4112.

(iii) संस्थापनाधीन – 6489 ।

(ग) 31 मार्च, 1994 तक तकनीकी रूप से व्यवहार्य मामलों को निपटाने की संभावना है। अधिकतर अव्यवहार्य मामलों को लगभग 6 माह के समय में, क्षेत्रों को व्यवहार्य बनाकर निपटा दिया जाएगा।

[अनुवाद]

चुंगी और टाल टैक्स

717. **श्री छीतू भाई गामीत** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने चुंगी और टाल-टैक्स पर लेवी लगाने के लिए महान्यायवादी से परामर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो महान्यायवादी से प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पोत अभिकल्प और अनुसंधान केन्द्र का कार्यनिष्पादन

718. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पोत अभिकल्प और अनुसंधान केन्द्र के प्रबंधन ढ़ांचे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय पोत अभिकल्प और अनुसंधान केन्द्र द्वारा की गयी कोई सलाह व्यवहारिक लाभ की पायी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कार्य-निष्पादन का अब तक का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय पोत अभिकल्प और अनुसंधान केन्द्र (एन एस डी आर सी), विशाखापत्तनम को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है और यह एक शासी निकाय द्वारा चलाया जाता है। मार्च, 1992 में गठित वर्तमान शासी निकाय के 17 सदस्य हैं और सचिव (जल भूतल परिवहन) इसके अध्यक्ष हैं। अन्य सदस्य हैं - शिपयार्डों, पत्तनों, नौवहन कम्पनियों के प्रतिनिधि और व्यावसायिक इत्यादि। एन एस डी आर सी का रोजमर्रा का प्रशासन निदेशक द्वारा चलाया जाता है जो शासी निकाय के भी सदस्य हैं।

(ख) और (ग). एन एस डी आर सी ने एक मई, 1993 से पूरी तरह कार्य शुरु किया तथा इसने सरकारी, विभागों, पत्तनों, शिपयार्डों इत्यादि की अनेक परियोजनाओं के कार्य किए हैं। अभी से इसके निष्पादन का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

टेलीफोनों के लिए सर्वेक्षण

719. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय दूरसंचार विभाग द्वारा टेलीफोन प्रयोक्ताओं को संतुष्टि के संबंध में समय-समय पर सर्वेक्षण किये जाने को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार प्रयोक्ताओं की संतुष्टि के लिए क्या तरीका अपनाएगी;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश दूर-संचार परिमंडल ने गत दो वर्षों के दौरान टेलीफोन प्रयोक्ताओं की संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूरसंचार विभाग के पास उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही सेवाओं के सभी पहलुओं को मानीटर करने के लिए एक सशक्त "इन-बिल्ट-अर्गनाइजेशन" मौजूद है। दूरसंचार विभाग इस प्रणाली की निम्नलिखित स्तरों पर मानीटरिंग करता है :

(एक) दूरसंचार आयोग के स्तर पर :

इस स्तर पर एक मानीटरिंग आर्गनाइजेशन है जो कि टेलीफोन सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से देश भर में अपने कार्यालयों का निरीक्षण करता है और विभाग में एक ग्राहक सेवा सेल भी है जिसका कार्य किसी भी प्रकार के असंतुलन को मानीटर एवं ठीक करना है।

(दो) दूरसंचार सर्किल स्तर :

(तीन) जिला/क्षेत्रीय स्तर :

(चार) दूरसंचार विभाग ने प्रशासनिक स्टाफ कालेज हैदराबाद को और बाद में अन्य व्यावसायिक संगठनों को दूरसंचार सेवाओं के क्षेत्र में चेक मॉड्यूल विकसित करने तथा उपभोक्ताओं की संतुष्टि का मूल्यांकन करने के कार्य में लगा रखा है और इन्हें चुनिंदे शहरों में कुछ सीमा तक आवधिक सर्वेक्षण का कार्य भी सौंपा गया था।

(पांच) दूरसंचार विभाग ने एक सामाजिक परीक्षण चैनल नियुक्त किया है जिसमें विशिष्ट व्यक्ति शामिल है। ये लोग विभिन्न सर्किलों का दौरा करते हैं और ग्राहकों के साथ परस्पर विचार-विमर्श करते हैं। ये लोग उपयोगी सुझाव भी देते हैं।

(घ) और (ङ). जी हां। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद दूरसंचार जिले ने हैदराबाद में एक नमूना सर्वेक्षण करवाया था जिसमें उपभोक्ताओं को अलग-अलग ग्राहकों को प्रदान की जा रही सेवाओं से संबंद्ध एक प्रश्नावली भेजी थी।

[हिन्दी]

सोने की उपलब्धता

720. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बिहार में सोने की उपलब्धता के संबंध में इस मंत्रालय को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट भेज दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ अन्य राज्यों ने भी उन राज्यों में सोने की उपलब्धता के संबंध में अपनी रिपोर्ट भेजी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस सबंध में क्या कदम उठाये हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां। बिहार सरकार द्वारा बिहार के सोनो ब्लाक, कर्माटिया क्षेत्र तथा जमुई जिले में की गयी जांच संबंधी रिपोर्ट भेज दी गयी है।

(ख) बिहार के भूविज्ञान तथा खनन निदेशालय ने अपनी रिपोर्ट में कुल 223 मिलियन टन स्वर्ण-अयस्क का अनुमान लगाया है जिसमें स्वर्ण का अंश 0.17 ग्राम/टन होगा, जो कि बहुत ही कम हैं। इसलिए कर्माटिया में आर्थिक महत्व की संभावना नजर नहीं आती।

(ग) जी, नहीं।

(घ) तथा (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण दूरसंचार-सेवाएं

721. **डा. असीम बाला** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण दूर संचार प्रणाली में हुए विकास का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह विकास निर्धारित लक्ष्य के अनुरुप नहीं है;

(ग) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) गत तीन वर्षों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों के साथ-साथ इस संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

टेलीफोन एक्सचेंजों और प्रदान की गई तार सुविधा के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा-पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ख) से (घ). विश्वसनीय रेडियो उपस्करों के उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 1992-93 के दौरान पंचायत ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य प्राप्त करने में कुछ चूक हुई थी। अब इन उपस्करों के स्वदेशी रूप से उपलब्ध होने के साथ संसाधनों के उपलब्ध होने पर निर्भर करते हुए लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है।

विवरण

क्र.सं.	सर्किल	गांवों की कुल सं.	उपलब्धि 90-91	लक्ष्य 91-92	उपलब्धि 91-92	लक्ष्य 92-93	92-93 के दौरान उपलब्धि	93-94 का लक्ष्य	93-94 में 31.12.93 तक उपलब्धि	31.12.93 को सुविधायुक्त गांवों की संख्या	शामिल किए गए टेलीफोन का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	27221	3474	1400	1903	3050	1961	3600	633	13777	46.76
2.	असम	22224	74	300	342	550	555	620	305	1958	6.90
3.	बिहार	67566	88	1000	1005	2000	1265	3020	637	7908	9.19
4.	गुजरात	18518	536	1299	1576	3000	1755	4500	1706	7514	40.00
5.	हरियाणा	6745	525	1200	1251	1200	981	1250	676	4351	62.80
6.	हिमाचल प्रदेश	16916	384	50	111	200	205	250	119	2134	7.40
7.	जम्मू व कश्मीर	6503	39	100	125	125	126	80	33	844	9.70
8.	कर्नाटक	26826	1597	450	1068	1500	1207	1500	702	6350	23.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	केरल	1530	439	21	21	0000	000	-	-	1470	60.70
10.	मध्य प्रदेश	71352	324	1800	4005	5000	2668	6000	552	12512	17.50
11.	महाराष्ट्र	36187	1256	2000	2172	5000	2881	6000	1543	11155	30.80
12.	उत्तर पूर्व	15192	01	300	300	417	519	600	217	1414	7.98
13.	उड़ीसा	46992	289	800	1064	1000	1230	800	249	4652	8.83
14.	पंजाब	12188	411	1200	901	2000	2126	3000	2414	6470	53.00
15.	राजस्थान	33305	246	1100	1287	1800	1811	1800	608	6346	18.40
16.	तमिलनाडु	15735	3985	1450	1160	2000	2157	3000	423	10423	66.20
17.	उत्तर प्रदेश	112568	25	5000	2725	6858	7037	10000	1380	16420	13.19
18.	प. बंगाल	38679	40	600	600	800	579	800	155	2781	5.93
19.	न.दिल्ली म.टे.नि.लि.	243	00	125	136	09	09	-	-	191	70.60
	जोड़ :	576490	13733	10000	21752	36509	30072	46820	12347	118670	19-15

[हिन्दी]

मौसमी फलों और सब्जियों को डिब्बा बन्द करना

722. **श्री केशरी लाल** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मौसमी फलों और सब्जियों को डिब्बा बंद करने को विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि बाजार से पूरे वर्ष उचित दरों पर फलों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके; और

(ख) कुल उत्पाद में से कितने प्रतिशत मौसमी फलों और सब्जियों को डिब्बा बंद किया जाता है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख). डिब्बा बंद करने के लिए मौसमी फल और सब्जियों की मात्रा को विनियमित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ मौसमी फल और सब्जियां सारे साल बाजार में उपलब्ध रहती हैं। सरकार विभिन्न मौसमी फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रही है। अनुमान है कि कुल 102 मिलियन टन फल और सब्जी की पैदावार होती है जिसमें से लगभग 1.6 मिलियन टन का इस्तेमाल इस समय फल उत्पाद आदेश 1955 के तहत लाइसेंसशुदा यूनिटों द्वारा विभिन्न फल और सब्जी उत्पाद तैयार करने के लिए किया जाता है। फिलहाल लगभग 76,000 टन फल और सब्जी का इस्तेमाल 38,000 टन डिब्बा बंद फल और सब्जी तैयार करने के लिए किया जाता है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में ट्रांसमीटर

723. **श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के रायचूर में निम्न शक्ति के ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति में बदलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसका कार्यान्वयन कब तक कर दिया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). जी, हां। कर्नाटक के रायचूर में एक उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त स्थल और पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता के अधीन स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम को औपचारिक रूप से अनुमोदित किए जाने के पश्चात् इस आकर की परियोजना को पूरा करने में लगने वाला सामान्य समय 3-4 वर्ष है।

निजी विद्युत क्षेत्र में उत्पादन लागत पर नियंत्रण

724. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी विद्युत क्षेत्र में विद्युत उत्पादन लागत पर नियंत्रण करने के लिए निवारक उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन लागत का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों तथा उनके अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं में लाइसेंसधारियों तथा उत्पादन कंपनियों की यूनिटों द्वारा उत्पादित विद्युत के मूल्य नियंत्रण की कार्य संरचना का उल्लेख किया गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तकनीकी तथा आर्थिक मानदण्डों के अनुसार परियोजना के लिए समरूपता के आधार पर अन्य बातों के साथ-साथ लाइसेंसधारियों और विद्युत उत्पादन कंपनियों दोनों को ही परियोजना के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। लाइसेंसधारियों और विद्युत उत्पादन कंपनी दोनों क से संबंधित मामलों के लिए विधायी में ऐसे सिद्धान्तों का प्रावधान किया गया है जिनके आधार पर टैरिफ का निर्धारण किया जा सकता है। पहले वाले मामले के बारे में विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में प्रावधान किया गया है और दूसरे मामले में इस अधिनियम के अधीन अधिसूचना जारी की गई है जिसमें नियामक मानदण्ड, विद्युत उत्पादन का स्तर, ईंधन, तेल की खपत, प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय आदि और अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए प्रोत्साहन संबंधी दर का निर्धारण किया गया है।

(ग) वर्ष 1991-92 के लिये राज्य बिजली बोर्डों की विद्युत उत्पादन की लागत का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। 1991-92 के लिए निजी क्षेत्र की दोनों यूटिलिटिज की विद्युत उत्पादन की लागत का ब्यौरा निम्नवत है :

	ताप विद्युत	जल विद्युत	गैस	संचयी
1. अहमदाबाद इलैक्ट्रि	106.9	-	82.27	103.48
2. टाटा इलैक्ट्रिसिटी	97.66	14.30	-	79.39

विवरण-1

वर्ष 1991-92 में राज्य बिजली बोर्डों की विद्युत उत्पादन लागत का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य बिजली बोर्ड	ताप विद्युत (पै./कि.वा.घं.)	जल विद्युत (पै./कि.वा.आ.)	गैस (पै./कि.वा.आ.)	पूल (पै./कि.वा.आ.)
1.	आंध्र प्रदेश	69.46	10.35	0.00	38.27

1	2	3	4	5	6
2.	बिहार	150.67	32.92	0.00	137.72
3.	गुजरात	89.69	28.20	0.00	86.59
4.	हरियाणा	116.05	12.43	0.00	58.39
5.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	कर्नाटक	0.00	24.05	0.00	24.05
7.	केरल	0.00	7.80	0.00	7.80
8.	मध्य प्रदेश	67.47	18.68	0.00	61.31
9.	महाराष्ट्र	69.81	16.04	66.18	61.94
10.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	पंजाब	86.32	16.37	0.00	45.03
12.	राजस्थान	109.34	0.00	0.00	109.34
13.	तमिलनाडु	91.42	20.51	0.00	67.31
14.	उत्तर प्रदेश	82.81	31.39	0.00	65.69
15.	पश्चिम बंगाल	81.80	69.23	0.00	81.23
16.	मेघालय	0.00	24.82	0.00	24.82
17.	असम	190.08	0.00	98.16	150.84
जोड़ : राज्य बिजली बोर्ड		82.84	16.74	70.26	61.72

1. हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

2. राजस्थान के जल विद्युत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

स्विट्जरलैंड द्वारा निवेश

725. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विट्जरलैंड के निवेश से कई इस्पात संयंत्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) आज की तारीख तक की उपलब्ध सूचना के अनुसार स्विट्जरलैंड के निवेश से कोई इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेश मंत्री का जिम्बाब्वे का दौरा

726. **श्री देवी बक्स सिंह** :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश राज्य मंत्री ने हाल ही में जिंबाब्वे का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस दौरे का क्या उद्देश्य था और इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या इस दौरे के दौरान किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उस देश में किसी व्यापारिक शिष्ट-मंडल को भेजे जाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख). विदेश राज्य मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने जिम्बाब्वे के अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय, धार्मिक और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर बातचीत करने के इरादे से 16 जनवरी से 19 जनवरी, 1994 तक जिम्बाब्वे की यात्रा की। उनके साथ एक छोटा व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल भी गया था।

जिम्बाब्वे के कार्यकारी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, वाणिज्य मंत्री तथा कृषि मंत्री से विचार-विमर्श हुआ जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने और उसमें विविधिता लाने के तरीकों का पता लगाया। विचार-विमर्श में क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर भी चर्चा की गई।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मलेशिया के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा

727. **श्री आर. जीवरत्तनम** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशिया के प्रधान मंत्री जी - 15 सम्मेलन के संबंध में भारत की यात्रा पर आये थे;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच कोई समझौते हुये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी प्रमुख बातें क्या हैं?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दोनों प्रधान मंत्रियों के बीच हुए व्यापक विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों के संबंध में एक-दूसरे की धारणाओं और चिन्ताओं को बेहतर ढंग से समझा गया है।

(ग) और (घ).. दोनों देशों के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए । तथापि दोनों प्रधान मंत्रियों के सामने दोनों देशों के निजी क्षेत्रों के बीच छह करारों पर हस्ताक्षर हुए। ये थे :

1. कलकत्ता के ग्रुप सर्विस मोबाइल (जी एस एम) डिजिटल सेलुलर नेटवर्क चालू करने के लिए टेलीकाम मलेशिया और उषा मार्टिन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम करार।

2. पालघाट, केरल में हीट रेजिस्टेट लोटैक्स रबड़ ग्रैड (एच के एल आर टी) के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित करने के वास्ते सब्फिल एस.बी. मलेशिया और सब्फिल इन्टरनेशनल लिमिटेड, भारत के बीच तकनीकी सहायता करार।

3. मलेशिया में रेल बनाने तथा चालू करने और संबद्ध सेवाओं के लिए लैण्ड एड जनरल लुम्बेर बी. और इंडियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. के बीच संयुक्त उद्यम करार।

4. एम.बी.बी.एस. की उपाधि के लिए युग्म कार्यक्रम की स्थापना के लिए सी आई एस सी ओ ग्रुप आफ कम्पनीज, मलेशिया और कस्तूरबा मेडिकल कालेज, कर्नाटक के बीच समझौता ज्ञापन।

5. वातानुकूलन उपकरण के निर्माण और होटलों और गॉल्फ-मैदानों के विकास के लिए बेजीया ग्रुप आफ मलेशिया और मोदी मेरलीस ब्लैकस्टोन लि. भारत के बीच समझौता ज्ञापन।

6. केरल में विभिन्न संयुक्त उद्यम परियोजनाओं का कार्य करने के लिए यूनीफानिक्स कार्पोरेशन बेहांड और केरल स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन, (के.एस. आई.डी.सी.) भारत के बीच समझौता ज्ञापन।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की पन बिजली परियोजना

728. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने केन्द्र सरकार की निजीकरण की नीति को दर्शाते हुए कुछ पन बिजली परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित उद्योगपतियों ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को इन परियोजनाओं की एक विस्तृत रिपोर्ट आवश्यक स्वीकृति हेतु भेजी है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना (400 मे.वा.) के निजी क्षेत्र में क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने मै. जयप्रकाश इन्डस्ट्रीज (जी.आई.एल.) के साथ दिनांक 14.10.1992 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

(ग) जी, हां। मै. जयप्रकाश इंडस्ट्रीज ने उ.प्र. राज्य बिजली बोर्ड के माध्यम से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को जून, 1993 में परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में परियोजना रिपोर्ट की जांच की गयी है और उ.प्र. राज्य बिजली बोर्ड/जय प्रकाश इंडस्ट्रीज को टिप्पणियां भेज दी गई हैं। जयप्रकाश इंडस्ट्रीज द्वारा टिप्पणियों का संतोषपूर्ण अनुपालन किये जाने के बाद स्कीम पर तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

गुजरात में खाद्य प्रसंस्करण एककों के लिये विदेशी सहायता

729. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना करने के लिये विदेशी सहायता का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी नेताओ की यात्रा

730. **श्री अरविंद तुलशीराम काम्बले :**

श्री चन्द्रेश पटेल :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसंबर, 1993 से फरवरी, 1994 तक की अवधि के दौरान भारत की यात्रा पर आये विभिन्न देशों के शासनाध्यक्षों और अन्य उच्च पदाधिकारियों की यात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ने प्रत्येक यात्रा के दौरान इनसे जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दौरों के दौरान कोई समझौते किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी यात्रावार ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) इस अवधि के दौरान जिन राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों तथा विदेश मंत्रियों ने भारत की यात्रा की उनके नाम संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं। इस सूची में उन विशिष्ट व्यक्तियों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं, जो जी - 15 की बैठक में भाग लेने के लिए आए थे।

(ख) इन यात्राओं के दौरान क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति पर विचार करने के अतिरिक्त द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई।

(ग) और (घ). इन यात्राओं के दौरान जिन करारों पर हस्ताक्षर किए गए उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-2 पर दिया गया है।

विवरण-1

दिसंबर, 1993 से फरवरी, 1994 की अवधि के दौरान विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों की यात्राओं का ब्यौरा, जिनका प्रबंध प्रोतोकोल - 1

क्र.सं.	अवधि	यात्रा का ब्यौरा
1.	27 नवम्बर -1 दिसंबर, 1993	महामान्य यश्री लादिस्लाव जोवानेबिक, यूगोस्लाविया के विदेश मंत्री।
2.	29 नवम्बर-4 दिसंबर, 1993	महामान्य श्री लिरुईहुब्रान, चीनी सी सी पी पी सी सी के अध्यक्ष।

क्रं.सं.	अवधि	यात्रा का ब्यौरा
3.	29 नवम्बर-11 दिसंबर, 1993	महामान्य नेपाल नरेश बीरेन्द्र (निजी)
4.	1-4 दिसंबर, 1993	महामान्य श्री सैदकासिमोव, उजबेकिस्तान के विदेश मंत्री
5.	12-15 दिसंबर, 1993	महामान्य, डां. महाथीर मोहम्मद, मलेशिया के प्रधान मंत्री
6.	13-15 दिसंबर, 1993	महामान्य श्री रोबर्ट जी. मुगाबे, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति
7.	15-17 दिसंबर, 1993	महामान्य श्री सोहार्तो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति
8.	24-31 दिसंबर, 1993	महामान्य डां. छेदी बेरेट जगन, गयाना के राष्ट्रपति
9.	2-4 जनवरी, 1994	महामान्य प्रोफे. बेनीआमिनी अन्द्रेता, इटली के विदेश मंत्री
10.	3-7 जनवरी, 1994	महामान्य श्री इस्लाम अब्दुगानिविच करीमोव, उजबेकिस्तान के राष्ट्रपति
11.	14-20 जनवरी, 1994	स्पेन की महामान्य महारानी सोफिया (निजी)
12.	23-30 जनवरी, 1994	महामान्य श्री गोह चोक तोंग, सिंगापुर के प्रधान मत्री
13.	24-31 जनवरी, 1994	महामान्य डां. परमहंस नबाबसिंह, मारीशस के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री
14.	6-11 फरवरी, 1994	महामान्य श्री वास्लाव ह्मवेल, चैक गणराज्य के राष्ट्रपति और श्रीमती हावलोवा
15.	21-25 फरवरी, 1994	महामान्य श्री पी. ओचिरबात, मगोलिया के राष्ट्रपति

विवरण-2

उजबेकिस्तान

1. अंतर-राज्य संबंधों और सहयोग के सिद्धान्तों पर भारत-उजबेक संधि के अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान-प्रदान।
2. सांस्कृतिक सहयोग का करार।
3. वैज्ञानिक और प्रौद्यौगिक सहयोग के संवर्द्धन के लिए भारत-उजबेक केन्द्र की स्थापना पर प्रोतोकोल।

4. डाक एवं संबद्ध मामलों के क्षेत्र में सहयोग पर करार।

5. आर्थिक संपर्कों के विकास और व्यापक सहयोग को सुदृढ़ करने के सिद्धान्तों पर करार।

6. दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

मलेशिया

1. कलकत्ता में ग्रुप सर्विस मोबाइल (जी एस एम) डिजिटल सेलुलर नेटवर्क संचालित करने के लिए टेलेकोम मलेशिया और ऊषा मार्टिन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम करार।

2. पालघाट, केरल में ताप प्रतिरोधी लेटेक्स रबर ग्रेड के निर्माण के लिए एक संयंत्र की स्थापना के लिए रबफिल एस.बी. मलेशिया और रबफिला इन्टरनेशनल लिमिटेड, भारत के बीच तकनीकी सहायता करार।

3. मलेशिया में रेल बनाने तथा चालू करने और संबंद्ध सेवाओं के लिए लैंड एंड जनरल लंबर बी. तथा इंडियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम करार।

4. एम.बी.बी.एस. की उपाधि के लिए युग्म कार्यक्रम की स्थापना के लिए सी आई एस सी ओ ग्रुप ऑफ कम्पनीज, मलेशिया और कस्तूरबा मेडिकल कालेज, कर्नाटक के बीच समझौता ज्ञापन।

5. वातानुकूलन उपकरण के निर्माण और होटलों और गोल्फ-मैदानों के विकल्प के लिए बेरजया ग्रुप आफ मलेशिया और मोदी मेरलीस ब्लैकस्टोन लिमिटेड, इन्डिया के बीच समझौता ज्ञापन।

6. केरल में विभिन्न संयुक्त परियोजनाओं का कार्य करने के लिए यूनीफीनिक्स कारपोरेशन बेहार्ड और केरल स्टेट इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन, भारत के बीच समझौता ज्ञापन।

सिंगापुर

1. दोहरा कराधान परिहार करार।

2. नौवहन करार।

3. पर्यटन सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

4. आर्थिक सहयोग के लिए सामरिक रूपरेखा पर (दोनों देशों के निजी क्षेत्रों के बीच) करार।

गयाना

1. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा कोंसली मामलों में सहयोग पर करार।

मंगोलिया

1. मैत्री एवं सहयोग पर संधि।

2. दोहरा कराधान परिहार करार।

3. संयुक्त समिति की स्थापना करार।

4. स्वास्थ्य में सहयोग पर कार्य योजना।

5. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 1994-96 ।

गुजरात में बंदरगाह का पुनर्निर्माण

731. **श्री हरिन पाठक** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने सौराष्ट्र और कच्छ के तट पर विभिन्न बंदरगाहों के पुनर्निर्माण के लिए सहायता का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिजली के ट्रांसमिशन तथा वितरण से हो रहे घाटे

732. **श्री पृथ्वी राज डी. चव्हाण** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका मूल की एक कंपनी नेशनल रूरल इलेक्ट्रिक को-आपरेटिव एसोसिएशन (एन.आर.ई.सी.ए.) ने देश में बिजली के ट्रांसमिशन तथा वितरण से हो रहे घाटे पर एक अध्ययन किया है;

(ख) क्या अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि देश में कुल उत्पादित बिजली में से 13% की चोरी होती है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) अमरीका मूल की एक कंपनी नेशनल रूरल इलेक्ट्रिक को-आपरेटिव एसोसिएशन (एन.आर.ई.सी.ए.) द्वारा देश में बिजली के ट्रांसमिशन तथा वितरण में हो रहे घाटे के बारे में किसी प्रकार का विशेष अध्ययन कार्य नहीं किया गया है।

(ख) "विद्युत की चोरी" - कारोबार सत्र 9 में मीटर के अनुरूप बिल बनाने तथा राशि वसूल करने के लिए विकल्पों का विकास किए जाने के बारे में विद्युत वित्त निगम द्वारा आयोजित कार्यशाला के दौरान एन.आर.ई.सी.ए. द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में एक दस्तावेज में, गुजरात में सिंगल फीडर पर 2040 मामलों में अध्ययन करने पर उन्होंने प्रक्षिप्त में उल्लेख किया है कि भारत में मीटर से सप्लाई की गई विद्युत की 13% मात्रा में विद्युत का अपवर्तन किया जाता है।

(ग) भारत सरकार को बिजली के दुरुपयोग एवं चोरी की जानकारी है इसलिये भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 में संशोधन करके ऊर्जा की चोरी और दुरुपयोग को एक संदेह अपराध घोषित किया गया है। सभी राज्य बिजली बोर्डो को सलाह दी गई है कि वे अपनी सतर्कता व्यवस्था को सशक्त बनाए तथा ऊर्जा की चोरी/दुरुपयोग की रोकथाम के लिए सख्त प्रशासनिक एवं तकनीकी उपाय करें।

चैक राष्ट्रपति की भारत यात्रा

733. **श्री चन्द्रेश पटेल :**

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चैक राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आये थे;

(ख) यदि हां, तो भारतीय नेताओं के साथ उनकी किन-किन विषयों पर बातचीत हुई और उनके क्या परिणम निकले हैं;

(ग) क्या उनकी इस यात्रा के दौरान कोई समझौता किया गया; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी हां। चैक गणराज्य के राष्ट्रपति वास्लाव हावेल भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे और 6 से 11 फरवरी, 94 तक यहां ठहरे थे।

(ख) राष्ट्रपति हांवेल ने राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा विदेश राज्य मंत्री श्री रघुनंदन लाल भाटिया से बातचीत की। यह बातचीत प्रमुख द्विपक्षीय संबंधों पर और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर भी हुई। दोनों देशों के बीच संबंध परम्परा से अच्छे रहे हैं और उनका मजबूत आधार है इस बात को स्वीकार करते हुए दोनों पक्षों में इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि दोनों देशों में हो रहे परिवर्तनों को देखते हुए नए-नए स्वरूप का सहयोग विकसित किया जाना चाहिए। आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और विकसित करने के अवसर और आवश्यकता पर बल दिया गया। चैक-पक्ष को भारत में आधारित संरचना क्षेत्र में पूंजीनिवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया जहां रुचि के क्षेत्र तय कर लिए गए है।

कश्मीर के संबंध में राष्ट्रपति हावेल ने चैक के इस मत हो दोहराया कि इस समस्या का समाधान दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से और दोनों में से किसी पक्ष द्वारा इस मसले का अन्तर्राष्ट्रीय करण न करके खोजना चाहिए।

राष्ट्रपति हावेल की यात्रा चैक गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा भारत की यह पहली यात्रा थी। इससे द्विपक्षीय संबंधों के निरन्तरता की पुनः पुष्टि हुई और दोनों पक्षों की इस इच्छा भी कि वह अपने संबंध सुदृढ़ करना चाहते हैं। राष्ट्रपति हावेल ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चैक गणराज्य की यात्रा का निमंत्रण दिया। अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका उत्तर-दक्षिण वार्ता तथा यूरोप में उदीयमान सुरक्षा और आधारिक संरचना के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के बारे में विचार-विमर्श हुआ। इस बात पर सहमति हुई कि इस बात की गुंजाइश है कि दोनों पक्ष मिलकर शांति और एक नई विश्व व्यवस्था के लिए मिलकर काम करेंगे।

(ग) और (घ). इस यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

जे.के.एल.एफ. के प्रमुख की रिहाई

734. **श्री बी.एन. रेड्डी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे.के.एल.एफ. के प्रमुख श्री अमानुल्ला खां को बेल्जियम के अधिकारियों ने रिहा कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या राजनयिक कदम उठाये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने अमानुल्ला खां की वापसी के लिए बेल्जियम की सरकार से 20 अक्तूबर, 1993 को औपचारिक रूप से अनुरोध किया था। बेल्जियम के न्याय मंत्रालय ने हमारे अनुरोध को स्वीकार न करने के अपने निर्णय की सूचना 29 दिसंवर, 1993 को हमें दी इस निर्णय पर हमने अपना खेद व्यक्त कर दिया था।

गुजरात में विदेशी सहयोग से इस्पात संयंत्रों की स्थापना

735. **श्री हरिभाई पटेल** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में विदेशी कंपनियों/अनिवासी भारतीयों के सहयोग से कोई नये इस्पात संयंत्र स्थापित किये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख). गुजरात सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गुजरात राज्य में विदेशी कंपनियों/अनिवासी भारतीयों के सहयोग से कोई इस्पात संयंत्र स्थापित नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

लॉस एन्जेल्स भूकम्प में मारे गये भारतीय

736. **श्री बृजभूषण शरण सिंह** :

श्री चेतन पी.एस. चौहान :

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भूकम्प के कारण लॉस एजेंल्स में रह रहे भारतीयों की सम्पति को काफी क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो संपति का कितना नुकसान हुआ;

(ग) इस भूकम्प में कितने भारतीय हताहत हुये है; और

(घ) सरकार ने इन्हें सहायता देने के लिये क्या कदम उठाये हैं?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) लॉस एंजेल्स में भारत-अमर्रीकी समुदाय को लगभग 2 करोड़ 75 लाख अमरीकी डालर का नुकसान हुआ।

(ग) बताया जाता है कि इसमें भारतीय-अमरीकी समुदाय को कोई जनहानि नहीं हुई है। इनमें से कुछ लोगों को मामूली चोटें आई थीं।

(घ) इस भूकम्प के बाद सान-फ्रासिस्कों में भारत के उप प्रधान कोंसल ने लॉस-एंजेल्स का दौरा किया, और वहां भारतीय-अमरीकी समुदाय के लोगों से मिले। भारत का प्रधान कोसलावास, सान-फ्रांसिस्कों के सुझाव पर भारत-अमरीकी एसोसिएशन के फेडरेशन की एक उप समिति गठिन की है जो राज्य और संधीय सहायता के दावे करने में, बीमा कंपनियों और बैंकों आदि से सम्पर्क करने में भूकम्प पीड़ितों की सहायता करेगी। सान फ्रांसिस्कों में भारत के प्रधान कोंसल से भी लॉस-एंजेल्सि का दौरा किया तथा वहां उन्होंने भारत-अमरीकी समुदाय के नेताओं से मुलाकात की। सान-फ्रांसिस्कों स्थित भारत का प्रधान कोसलावास, लॉस एजेंल्स के भारतीय समुदाय से बराबर सम्पर्क रखता है तथा स्थिति पर निगाह भी रखता है।

आई.एस.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओ.

737. **श्री शिबू सोरेन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेराजगारों को एस.टी.डी./आई.एस.डी. बूथ आवंटित किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मानदंडों में परिवर्तन के पश्चात् अब तक आवंटित ऐसे बूथों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय राज्यवार ऐसे कितने आवेदन पत्र लंबित हैं; और

(घ) इन आवेदन पत्रों को कब तक निपटा दिया जाएगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में उरई में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

738. **श्री चया प्रसाद कोरी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में जालोन जिले के मुख्यालय, उरई में उच्च शक्ति का टी.वी. ट्रांसमीटर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऊरई में पहले से ही कार्य कर रहे एक अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर के अलावा जालौन जिले के भू-भाग कानपुर और ग्वालियर में कार्य कर रहे उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों के कवरेज क्षेत्र में भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले सहित देश के कवर न किए हिस्सों के लिए टी.वी. सेवा का और अधिक विस्तार टी.वी. विस्तार की भावी योजनाओं के साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध रूप से किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश में डाकघर

739. **श्री भीमसिंह पटेल** :

श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के अंत तक मध्य प्रदेश में ऐसे कितने गांव थे जहां कोई भी डाकघर नहीं था;

(ख) राज्य में जिलावार ऐसे कितने गांव हैं जहां विभिन्न श्रेणियों के डाकघर हैं;

(ग) इस समय जिला-वार कितने गांवों में कोई भी डाकघर नहीं है; और

(घ) राज्य में सरकार का जिला-वार और श्रेणीवार कितने डाकघर खोलने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) वर्ष 1992-93 के अंत तक उन गांवों की संख्या 66,437 थी, जिनमें डाकघर नहीं थे।

(ख) से (घ). जिन गांवों में डाकघर हैं और जिनमें नहीं हैं, उनकी जिलावार जानकारी विवरण में दी गई है। 31.1.94 की स्थिति के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खोले जाने वाले डाकघरों की जानकारी भी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मध्य प्रदेश के जिन गांवों में डाकघर हैं और जिनमें नहीं हैं, उनकी संख्या से संबंधित जानकारी तथा खोले जाने के लिए प्रस्तावित डाकघरों की संख्या

क्रं.सं.	जिले का नाम	वर्ष 1992-93 के अंत तक मध्य प्रदेश के उन गांवों की संख्या जिनमें डाकघर नहीं हैं।	मध्य प्रदेश में उन गांवों की जिलावार संख्या जहां विभिन्न श्रेणियों में डाकघर हैं।		मध्य प्रदेश के उन गांवों की जिलावार संख्या जहां इस समय डाकघर नहीं हैं।	खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की जिलावार/श्रेणीवार संख्या (31.1.94 की स्थिति के अनुसार)	
			उप डाकघर	शाखा डाकघर	कुल		उप डाकघर	शाखा डाकघर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	भोपाल	481	3	58	61	481	1	-
2.	भिंड	695	5	229	234	695	-	-
3.	बालघाट	1177	15	193	208	1176	-	-
4.	बिलासपुर	3014	24	570	594	3010	1	-
5.	बस्तर	3175	30	521	551	3174	-	1
6.	बेतुल	1186	12	193	205	1185	-	-
7.	छत्तरपुर	999	7	195	202	998	-	-
8.	छिन्दवाड़ा	1742	16	233	249	1741	-	-
9.	दमोह	1230	9	162	171	1230	-	1
10.	देवास	991	4	149	153	991	-	-
11.	दतिया	361	3	89	92	361	-	-
12.	धार	1377	15	179	194	1376	1	-
13.	दुर्ग	1597	6	270	276	1596	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	ग्वालियर	648	2	134	136	647	-	-
15.	गुना	2094	8	171	179	2094	-	-
16.	होशंगाबाद	1342	9	209	218	1340	-	-
17.	इंदौर	546	6	101	107	546	1	-
17.	जबलपुर	2136	5	298	303	2136	1	-
19.	झाबुआ	1206	5	148	154	1206	-	-
20.	खंडवा	994	15	186	201	993	-	-
21.	खरगोन	1835	15	262	277	1833	-	-
22.	मंदसौर	1488	17	267	284	1488	-	-
23.	मुरैना	1186	6	231	237	1184	-	-
24.	मांडला	1970	6	198	204	1969	1	-
25.	नरसिंहपुर	912	10	160	170	912	-	-
26.	पन्ना	949	4	140	144	948	-	-
27.	रायगढ़ (बायो)	1601	6	136	142	1601	-	-
28.	रायसेन	1325	9	182	191	1325	-	1
29.	रतलाम	916	8	146	154	916	1	-
30.	राजनंदगांव	2202	3	195	198	2201	-	-
31.	रायगढ़	1838	18	387	405	1838	-	2
32.	रायपुर	3459	24	523	547	3459	3	3
33.	रीवा	2436	13	296	309	2436	-	-
34.	सागर	1900	9	171	180	1900	-	-
35.	सिहोर	937	8	138	146	937	-	-
36.	शिवपुरी	1244	11	196	207	1243	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	सिओनी	1480	9	174	183	1480	-	-
38.	सतना	1802	8	257	265	1802	-	-
39.	सरगुना (अम्बिकापुर)	2176	23	239	262	2176	-	2
40.	शहडोल	1855	--	258	258	1851	-	-
41.	सिधी	1726	1	179	180	1724	-	-
42.	शाजापुर	956	7	151	158	956	-	-
43.	टीकमगढ़	826	5	162	167	826	-	-
44.	उज्जैन	957	11	151	162	956	-	1
45.	विदिशा	1470	8	140	148	1470	-	-
	कुल योग	66437				66407	10	12

[अनुवाद]

पंचायतों में डाक और दूरभाष सुविधा

740. **श्री जार्ज फर्नांडिज** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सभी पंचायतों को डाक और दूरभाष सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) विभाग की नीति उन पंचायतों में उत्तरोतर रूप से डाकघर खोलना है जो इस सबंध में विभागीय मानदंडों को पूरा करते हों, 31.3.95 तक सभी पंचायतों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

(ख) आठवीं योजना के पहले वर्ष अर्थात् 1992-93 के दौरान 635 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर मंजूर किए गए, और चालू योजना के अंतर्गत 31.1.94 तक 600 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर मंजूर किए गए। आठवीं योजना के शेष तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष 800 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य है।

दूरसंचार सुविधायें प्रदान करने के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी के अधिक विश्वसनीय माध्यम के साथ-साथ जरूरी इन्फ्रास्ट्रकचरल सुविधायें प्रदान करने के लिए कदम उठाए गए हैं। उपस्कर की कार्य प्रणाली पर उचित नियंत्रण और मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

बिहार और उत्तर प्रदेश की लंबित विद्युत परियोजनाएं

741. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास बिहार और उत्तर प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं के प्रस्ताव काफी समय से लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दे दी जायेगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). बिहार की जल विद्युत परियोजना संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित नहीं है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मई/जुलाई में उत्तर प्रदेश के जल विद्युत परियोजना के तीन प्रस्ताव तथा बोबला नन्द प्रयाग (3x44 मे.वा) तपोवन विष्णुगढ़ (3x120 मे.वा.) और विष्णुप्रयाग (4x100 मे.वा.) प्राप्त हुए थे। क्रियान्वयन प्राधिकरणों से कुछेक स्पष्टीकरण मांगे गए हैं और संबंधित प्राधिकरणों से टिप्पणियां प्राप्त हो जाने के बाद ही आगे कार्यवाही की जायेगी।

पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध

742. **श्री सुरेशानन्द स्वामी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान पड़ौसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) निकट भविष्य में पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा देश-वार क्या प्रयास किए जाएंगे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (ग). देशवार सूचना नीचे लिखे अनुसार है :

चीन :

(i) भारत की सरकार ने दोनों देशों के बीच दीर्घावधिक, स्थायी तथा अच्छे पड़ोसी के संबंधों की स्थापना के उद्देश्य से चीन लोक गणराज्य की सरकार के साथ उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता का सिलसिला कायम रखा है। उच्च स्तरीय सम्पर्कों की प्रक्रिया के एक भाग के रूप

में प्रधानमंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव 6 से 9 सितंबर, 1993 तक चीन की यात्रा पर गए। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और अमन कायम रखने से संबंधी करार का सम्पन्न किया जाना था। इस करार के अन्तर्गत सीमा संबंधी अंतिम समझौता होने तक दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा का ध्यानपूर्वक पालन करने पर सहमत हुए। ऐसा सीमा के प्रश्न पर दोनों देशों को अपनी-अपनी स्थितियों को प्रभावित किए बिना किया जाएगा। दोनों पक्षों में विशेषज्ञ उन क्षेत्रों में जहां रेखाकंन के संबंध में मतभेद है वास्तविक नियंत्रण रेखा की संयुक्त रूप से जांच करेंगे और उसका निर्धारण करेंगे। दोनों देश अनेक विश्वास उत्पन्न करने वाले उपाय करने के लिए भी सहमत हुए हैं जिसमें सैन्य बलों की पुनः तैनाती, सैन्य अभ्यासों की पूर्व-सूचना तथा वायु मार्ग से घुसपैठ की रोकथाम शामिल है।

(ii) उपरोक्त करार के क्रियान्वयन में संयुक्त कार्यकारी दल की सहायता करने के लिए दिसंबर, 1993 में भारत-चीन विशेषज्ञ दल की स्थापना की गई। इस विशेषज्ञ दल की पहली बैठक 2 से 4 फरवरी, 1994 तक नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में यह विशेषज्ञ दल इसके प्रादेश, भावी कार्यों तथा तौर-तरीकों से संबंधित अनेक मसलों पर मूलभूत रूप से सहमत हुआ।

(iii) भारत और चीन ने संयुक्त कार्यकारी दल में सीमा के प्रश्न का एक न्यायसंगत, युक्तियुक्त और परस्पर स्वीकार्य समाधान खोजने के प्रयास जारी रखें है।

(iv) परस्पर विश्वास उत्पन्न करने की प्रक्रिया के भाग के रूप में भारत और चीन के बीच रक्षा आदान-प्रदानों को और बढ़ाया गया। चीनी नौ सेना जहाज "झेंग हे" नवम्बर, 1993 में सद्भावना यात्रा पर बंबई आया। किसी चीनी युद्ध पोत द्वारा भारतीय पत्तन की यह पहली यात्रा थी।

(v) पिछले 2 वर्षों में भारत और चीन ने अपने संसदीय संस्थानों के बीच उच्च स्तरीय सम्पर्क भी दोबारा शुरू किया है। जनवरी, 1993 में माननीय लोक सभा अध्यक्ष के नेतृत्व में एक संसदीय शिष्टमंडल चीन गया।

(vi) इस अवधि के दौरान दोनों देशों ने शंघाई तथा बंबई में अपने-अपने कोंसलावास पुनः स्थापित किए हैं। शंघाई में भारत के प्रधान कोंसलावास का जनवरी, 1993 में औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया तथा चीनी प्रधान कोंसलावास का औपचारिक उद्घाटन बंबई में दिसंबर, 1992 में किया गया।

(vii) भारत और चीन ने सीमा व्यापार जून, 1992 में पुनः आरम्भ कर दिया। प्रधानमंत्री की सितंबर, 1993 में चीन की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने सीमा व्यापार का विस्तार एक अतिरिक्त रास्ते तक यानी हिमाचल प्रदेश तिब्बत सीमा पर शिप्की दर्रे से होकर करने पर सहमत हुए। यह मार्ग उत्तर प्रदेश तिब्बत सीमा पर लिपुलेख-पास के मार्ग के अलावा है।

(viii) इस अवधि के दौरान भारत सरकार ने व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच कार्यात्मक आदान-प्रदान विस्तृत करने के लिए चीनी पक्ष के साथ कार्य करना जारी रखा है। दिसंबर, 1992 में चीनी संस्कृति महोत्सव भारत में

आयोजित किया गया तथा चीन में भारत-महोत्सव मई-जून, 1994 में आयोजित किया जा रहा है।

पाकिस्तान :

सरकार पाकिस्तान के साथ सभी मतभेदों को सीमा समझौते के अनुरूप द्विपक्षीय रूप से तथा शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से हल करने के लिए वचनबद्ध है। इस उद्देश्य से सरकार ने पाकिस्तान के साथ बातचीत का मार्ग अपनाया है।

19 अक्तूबर, 1993 को पाकिस्तान ने नई सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर हमारे प्रधानमंत्री ने 19 अक्तूबर, 1993 को पाकिस्तान की प्रधानमंत्री को सम्बोधित एक पत्र में दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने के उद्देश्य से एक व्यापक तथा विस्तृत बातचीत करने का सुझाव दिया। इस पेशकश के अनुसरण में भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिव 1 से 3 जनवरी, 1994 को इस्लामाबाद में मिले। इन बातचीतों में जम्मू एवं कश्मीर सहित सभी द्विपक्षीय मसलों पर विचार-विमर्श किया गया।

24 जनवरी, 1994 को सरकार ने पाकिस्तान को छह सुझाव भेंजे जिनमें, सियाचीन, सरक्रीक, नियंत्रण रेखा पर शांति और अमन कायम करने के लिए उपायों से संबंधित करार का एक मसौदा, तुलबुल नौवहन परियोजना, अतिरिक्त विश्वास उत्पन्न करने वाले उपाय तथा भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग के संबंध में विशिष्ट एवं रचनात्मक प्रस्ताव शामिल थे। इन प्रस्तावों का उद्देश्य अनसुलझे मुद्दों को हल करना तथा दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाना है। 19 फरवरी, 1994 को पाकिस्तान ने अपनी टिप्पणियां तथा हमारे इन सुझावों के जवाब में अपने प्रस्ताव भेजे। पाकिस्तान का जवाब सरकार के विचाराधीन है।

तथापि, विदेश सचिव स्तर की बातचीत समाप्त होने के बाद से पाकिस्तान भारत के विरुद्ध अत्यंत उत्तेजक प्रचार कर रहा है और जम्मू एवं कश्मीर के मुद्दे का अन्तर्राष्ट्रीय करण करने के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। इनसे संबंधों का वातावरण दूषित हुआ है और द्विपक्षीय प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

नेपाल :

उच्चस्तरीय यात्राओं से नेपाल के साथ द्विपक्षीय संबंध पिछले 2 वर्षों में निर्बाध गति से आगे बढ़ते रहे हैं जिसमें अक्तूबर, 1992 में भारतीय प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा तथा मई, 1993 में नरेश बीरेन्द्र की भारत की राजकीय यात्रा शामिल है। 1 अप्रैल, 1993 से संशोधित व्यापार प्रणाली के क्रियान्वयन से व्यापार में वृद्धि हुई है और व्यापार आंकड़ों से वर्ष के पूर्वार्द्ध में इस वृद्धि का पता चलता है। नेपाल के संसदीय मंत्री ने 21 से 25 दिसंबर, 1993 तक भारत की यात्रा की तथा भारत के जल संसाधन मंत्री ने 26 से 28 दिसंबर, 1993 तक नेपाल की यात्रा की। व्यापार एवं पारगमन प्रणाली के उदारीकरण के परिणामस्वरूप "फेडरेशन ऑफ नेपालीज चैम्बर्स आफॅ इन्डस्ट्री" का एक वाणिज्यिक शिष्टमंडल यात्रा पर आया।

भूटान :

प्रधानमंत्री की 21-22 अगस्त, 1993 की भूटान की यात्रा से भूटान के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में उत्तरोत्तर प्रगति हुई। भूटान में एक अन्य कुरिचु-पन बिजली परियोजना के लिए एक करार भी सम्पन्न हुआ। वर्ष की पहली छमाही में व्यापार संबंधी आकड़ों में वृद्धि परिलक्षित होती है।

मालदीव :

पिछले दो वर्षों के दौरान मालदीव के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसमें उच्च स्तर की विभिन्न यात्राओं का आदान प्रदान शामिल हैं, जिसमें हमारे विदेश राज्य मंत्री, रेल मंत्री, तथा शहरी विकास मंत्री की मालदीव की यात्रा और मालदीव के विदेश मंत्री की भारत की यात्रा है। मालदीव के राष्ट्रपति का मार्च 94 में भारत आने का कार्यक्रम है। हमारे प्रधान मंत्री का मई-जून, 1994 में मालदीव की यात्रा पर जाने का कार्यक्रम है। मालदीव के कई विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए भारत आएंगे। भारत सरकार मालदीव में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करेगी और मालदीव के राष्ट्रिकों को प्रशिक्षण देने से सम्बद्ध एक त्रिपक्षीय करार पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे।

म्यांमा :

पिछले दो वर्षों के दौरान म्यांमा के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस अवधि के दौरान भारत और म्यांमा के बीच निम्नलिखित करार/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं :

(i) औषध द्रव्यों का दुरुपयोग और अवैध व्यापार रोकने से संबंधित करार।

(ii) अंडमान सागर में भारत-म्यांमा और थाईलैंड के बीच त्रि-बिन्दु के निर्धारण से संबंधित त्रिपक्षीय समुद्रीय करार।

(iii) सीमा व्यापार करार।

(iv) दोनों देशों के असैनिक सीमा प्राधिकारियों के बीच सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन।

सरकार म्यांमा के साथ अच्छे पड़ोसी के संबंधों को कायम रखने के प्रति वचनबद्ध हैं और इस उद्देश्य से अपेक्षित उपाय करना जारी रखेगी।

श्रीलंका :

श्रीलंका के साथ भारत के संबंध पारम्परिक रूप से निकट के और सौहार्दपूर्ण रहे हैं जो इसकी भौगोलिक निकटता तथाा सांस्कृतिक एकरूपता पर आधारित है। स्व. राष्ट्रपति प्रेमदास की अक्तूबर, 1992 से अप्रैल, 1993 तक 3 बार भारत की यात्राओं से दोनों देशों के बीच सद्भाव संवर्धित करने में मदद मिली।

राष्ट्रपति डी.यी. विजयतुगा के नेतृत्व में श्रीलंका की वर्तमान सरकार हमारी तरह भारत-श्रीलंका संबंधों को सुदृढ़ करते रहने तथा परस्पर स्वीकार्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग विस्तृत करने के प्रति वचनबद्ध है। यह खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री रनिल विक्रम सिंघे ने कार्यभारत संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना। उनकी इस यात्रा से श्रीलंका की नई सरकार के साथ, जो राष्ट्रपति प्रेमदास की दुःखद हत्या के बाद सत्ता में आई, कार्यकलाप करने का उपयोगी अवसर प्राप्त हुआ।

दोनों देश भारत-श्रीलंका, संयुक्त आयोग के तत्वावधान में विदेश मंत्रियों के स्तर पर आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक सहयोग के लिए कई प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। जनवरी, 1992 में दिल्ली में हुई संयुक्त आयोग की पहली बैठक में तथा व्यापार, संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित तीन उप-आयोगों की पिछले दो वर्षों में दिल्ली में हुई बैठकों में उपयोगी विचार-विमर्श हुए। संयुक्त आयोग की अगली बैठक नई दिल्ली में शीघ्र ही होगी जिससे मौजूदा प्रस्तावों की प्रगति की समीक्षा करने का सुअवसर प्राप्त होगा तथा द्विपक्षीय सहयोग के लिए नए प्रस्ताव तैयार करने का अवसर भी।

बंगलादेश :

मई, 1992 में बंगलादेश की प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर आई। अनेक मुख्य द्विपक्षीय मसलों पर उपयोगी विचार-विमर्श करने के अतिरिक्त तीन करार सम्पन्न किए गए। तीन बीघा मसला संतोषजनक तरीके से सुलझाया गया और यह कारीडोर बंगलादेश को पट्टे पर दे दिया गया। बंगलादेशी यात्रियों तथा यातायात के लिए 26 जून, 1992 को खोल दिया गया। इससे उत्पन्न हुई सद्भावना में 1992-93 के दौरान अनेक उच्च-स्तरीय यात्राओं देश के आदान-प्रदान से वृद्धि हुई। बंगलादेश से अवैध आप्रवासी भारतीय विद्रोही दलों को बंगलादेश से सहायता, सीमा पर वारदातें, अवैध-व्यापार आदि जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श जारी रहा। त्रिपुरा से चकमा शरणार्थियों की बंगलादेश वापिसी 15 फरवरी 1994 को शुरू हो गई।

हम अपने सभी पड़ौसियों, विशेषकर बंगलादेश के साथ मैत्रीपूर्ण तथा सहयोगी संबंधों को कायम रखने तथा उन्हें और सुदृढ़ बनाने के प्रति वचनबद्ध हैं। हम विभिन्न अनसुलझी समस्या को द्विपक्षीय बातचीत तथा परस्पर प्रक्रिया के माध्यम से हल करने के अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं।

आगरा में रिंग रोड का निर्माण

743. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताज से 10 किलोमीटर दूर आगरा होकर गुजरने वाले तीन राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने के लिए एक रिंग रोड के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रिंग रोड के निर्माण की आवश्यकता अभी प्रमाणित होनी शेष है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण एकक

744. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमता का मूल्यांकन करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में, इन क्षेत्रों के उद्यमियों को कोई वित्तीय सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास के लिए अनेक विकासात्मक योजना स्कीमें बनाई हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित यूनिटों को संलग्न विवरण में दिए ब्यौरे के अनुसार वित्तीय सहायता दी गई है। 1993-94 के दौरान, फल तथा सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र में 3 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन मामलों में कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

विवरण

योजना स्कीमों के अन्तर्गत दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा

क्षेत्र	1991-92	1992-93
फल तथा सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र	34.297 लाख रु.	146.86 लाख रु.
मांस पाल्ट्री तथा मांस प्रसंस्करण क्षेत्र	118.000 लाख रु.	32.50 लाख रु.
मात्स्यिकी क्षेत्र	-	39.50 लाख रु.

[हिन्दी]

बिजली की दरों में संशोधन

745. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने भारत सहित एशियाई देशों को पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए धन राशि एकत्र करने हेतु उपभोक्ताओं को रियायती दर पर दी जा रही बिजली की दर बढ़ाने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस सुझाव का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इटली के साथ द्विपक्षीय संबंध

746. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इटली के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : सरकार ने विगत तीन वर्षों में इटली के साथ संबंध विकसित करने और उनमें विविधता लाने के कई कदम उठाए हैं। उच्च-स्तर की यात्राओं का नियमित आदान-प्रदान किया जा रहा है। इन यात्राओं में इटली पक्ष की ओर से विदेश व्यापार मंत्री, सीनेटर क्लौडियो विटालोने (फरवरी, 1993) रक्षा मंत्री श्री फबियो फब्बरी (सितम्बर, 1993), विदेश मंत्री श्री बैनियमिनो एन्द्राता (जनवरी, 1994) और इटली की सीनेट के अध्यक्ष प्रो. गियोवानी स्पादोलिनी (फरवरी, 1994) की यात्राएं और भारतीय पक्ष की ओर से वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह (जून, 1993) और कृषि मंत्री श्री बलराम जाखड़ (फरवरी, 1994) की यात्राएं शामिल हैं। इटली के साथ विदेश कार्यालय स्तर की बातचीत भी सितम्बर, 1992 और जनवरी, 1994 को हुई है। एक भारत-इटली औद्योगिक मंच गठित किया गया है ताकि दोनों देशों के व्यावसायिक प्रतिनिधियों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ाया जा सके और द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और संयुक्त उद्यमों को संवर्धित किया जा सके। 8 जून, 1993 को वियना में हुई इसकी वह पहली बैठक को हमारे वित्त मंत्री ने सम्बोधित किया था। भारत इटली संयुक्त आर्थिक आयोग की मंत्री स्तरीय बैठकें नियमित रूप से की जाती है। यूरोपीय संघ में इटली भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार में भागीदार बन गया है तीन द्विवसीय बहु-विषयक संगोष्ठी "बोलोग्ना-भारत" बोलोग्ना में सितम्बर, 1992 में उन पहलकदमियों की रूपरेखा के अंदर हुई जिनका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में संबंध प्रगाढ़ करना है। वर्ष 1993-95 के लिए एक नया सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम फरवरी, 1993 में सम्पन्न किया गया था और इस समय इस पर सक्रिय कार्यान्वयन हो रहा है।

आंध्र प्रदेश की सिंगूर परियोजना

747. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को जर्मनी की सहायता से सिंगूर परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या सरकार ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की सिंगूर जल विद्युत स्कीम (2x7.5 मे.वा.) को जर्मनी की वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

परिवहन नीति

748. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** 6 दिसंबर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 382 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की "ट्रांसपोर्ट नीड्स एसेसमेंट मिशन" संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट के आधार पर कोई नीतिगत निर्णय लिए गए हैं; और

(ग) रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं और रिपोर्ट के आधार पर क्या निर्णय लिए गए?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). मिशन ने प्रस्तावित मुख्य अध्ययन में विचारार्थ अनेक मुद्दों का पता लगाया है :

(i) परिवहन विकास और प्रचालन के लिए संसाधन जुटाना।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र परिवहन उपक्रमों की पुनर्संरचना ताकि वे व्यवसाय से प्रेरित सिद्धांतों पर प्रचालन कर सकें।

(iii) परिवहन सुविधाओं के विकास और प्रचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी।

(iv) भारतीय निर्यात में वृद्धि करने के लिए बहुविध परिवहन प्रणाली के विकास के लिए एक एकीकृत संस्थागत तथा सुप्रचालनिक ढांचे का विकास।

(v) प्रोत्साहन ढांचे और प्रबंधन प्रेरणा के जरिए मौजूदा परिवहन आस्तियों का बेहतर उपयोग।

(vi) परिवहन में ऊर्जा संरक्षण विशेषतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत इस समय

लगभग अपनी आधी पैट्रोलियम आवश्यकताएं आयात के माध्यम से पूरा कर रहा है और बाम्बे हाई से निकासी कम होती जा रही है, और

(vii) केन्द्रीय स्तर पर परिवहन नीतियों और कार्यक्रमों को समन्वित करने तथा राज्य स्तर अथवा स्थानीय स्तर पर एजेंसियों की बहुलता को कम करने के लिए एक एकीकृत संस्थागत ढांचे का विकास।

रिपोर्ट के आधार पर अभी कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक प्रचार तंत्र के माध्यम से राजस्थानी भाषा का संवर्द्धन

749. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रॉनिक प्रचार तंत्र के माध्यम से राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) दूरदर्शन पर राज्य में तथा राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित राजस्थानी फिल्मों के नाम क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). राजस्थान के आकाशवाणी केन्द्रों/दूरदर्शन केन्द्र में राजस्थानी कार्यक्रमों को नियमित रूप से दिखाया जाता है। विवरण संलग्न है।

(ग) अधोलिखित राजस्थानी फिल्मों को दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली द्वारा प्रसारित किया गया तथा दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर द्वारा रिले किया गया है :

सावन री तीज; कर्माबाई;

बई र बाग; बिकाव तोरड़ा;

राजा हरीश चन्द्र; बैसा र जतन करो।

विवरण

आकाशवाणी

प्रायः ग्रामीण और विशेष श्रोता कार्यक्रमों में राजस्थानी में कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, आकाशवाणी, जयपुर द्वारा राजस्थानी में 10 मिनट की अवधि का एक क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाता है तथा इसे अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और सूरतगढ़ स्थित रेडियो स्टेशनों द्वारा रिले किया जाता है।

दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर

28 मिनट की अवधि का एक मासिक कार्यक्रम-गजारो; 25 मिनट की अवधि का एक पाक्षिक कार्यक्रम-मिम्झार; 10 मिनट की अवधि का एक साप्ताहिक कार्यक्रम-लोक रंग; 20 मिनट की अवधि का एक पाक्षिक कार्यक्रम-लोक संगीत; दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा टेलीकास्ट राजस्थानी फिल्मों को रिले करना।

कर्नाटक में विद्युत आपूर्ति हेतु अनुदान

750. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कर्नाटक को उनके सिंचाई पम्प चलाने हेतु विद्युत खरीदने/उत्पादन करने के लिए ध्यान देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में वर्ष 1993-94 के दौरान कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में शाखा डाकघर

751. **प्रो. प्रेम धूमल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान हिमाचल प्रदेश में अब तक खोले गए/दर्जा बढ़ाए गए शाखा डाकघरों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) निकट भविष्य में खोले जाने वाले नए शाखा डाकघरों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान अब तक खोले गए/दर्जा बढ़ाए गए शाखा डाकघरों की संख्या के संबंध में जानकारी नीचे दी गई है :

वर्ष	शाखा डाकघर	
	जिनका विभागीय उप डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाया गया	खोले गए डाकघरों की संख्या
1991-92	-	31
1992-93	1	24
1993-94 (31.12.93 तक)	-	75

(ख) चालू वर्ष के 90 शाखा डाकघरों के लक्ष्य में से 31.3.94 तक खोले जाने वाले शेष 15 शाखा डाकघरों के ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

हरियाणा में टेलीफोन एक्सचेंजों को परिवर्तित करना

752. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरियाणा राज्य के कई जिला मुख्यालयों के टेलीफोन एक्सचेंजों को आंशिक रूप से इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा राज्य के सभी जिलों के टेलीफोन एक्सचेंजों को कब तक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में परिवर्तित किये जाने की संभावना है; और

(ग) राज्य में टेलीफोन एक्सचेंजों की मांग तथा उनकी क्षमता के अंतर को कब तक दूर किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां

(ख) राज्य के 16 जिलों में से 7 जिलों अर्थात् गुड़गांव, फरीदाबाद, रिवाड़ी, कुरूक्षेत्र, सिरसा, कैथल और भिवानी में पहले से ही पूर्णतया इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज विद्यमान हैं, जबकि शेष नौ जिलों-अंबाला, सोनीपत, यमुना नगर, पानीपत, करनाल, जींद, नारनौल, रोहतक और हिसार में अंशतः इलैक्ट्रानिक और अंशतः गैर इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज काम कर रहे हैं। ये गैर-इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज एस.एक्स.एस.एम.ए.एक्स.-1, क्रॉसबार, आई सी पी और एम ए एक्स-2 किस्मों के हैं जिनके लिए संस्थापित उपस्कर को बदलना विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार यथोचित नहीं है।

(ग) राज्य में टेलीफोन एक्सचेंजों की मांग तथा क्षमता के वर्तमान अंतर को 1996-97 तक दूर कर दिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

हुगली डॉक एण्ड पोर्ट्स इंजीनियर्स लिमिटेड

753. **प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल स्थित हुगली डॉक एण्ड पोर्ट्स इंजीनियर्स लिमिटेड की क्षमता का आई एच आई, जापान की क्षमता से तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए नियुक्त परामर्शदाता का मत था कि संबंधित एकक भारत के पोत कारखानों में सर्वाधित क्षमतावान है;

(ख) यदि हां, तो क्या आई एच आई, जापान ने आधुनिकीकरण/जीर्णोद्धार के लिए 45.91 करोड़ रुपये पूंजी निवेश की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ अब तक वर्ष-वार कितनी-कितनी धनराशि का निवेश किया गया?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग). सरकार ने जापान की ऋण सहायता से वर्ष 1989-90 के दौरान कई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विचार किया था। इनमें से एक परियोजना लगभग 59.44 करोड़ रु. की लागत से हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड की नजीरगंज युनिट के आधुनिकीकरण से संबंधित थी। आई.एच.आई. जापान ने हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड के आधुनिकीकरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी। परियोजना रिपोर्ट में हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड के आधुनिकीकरण के लिए केवल वैकल्पिक सिफारिशें की गई थी और इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि भारतीय शिपयार्डों में इसकी सम्भाव्यता सर्वाधिक है। तथापि कम लाभ को देखते हुए इस परियोजना को छोड़ दिया गया था।

महाराष्ट्र में आई.एस.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओ.

754. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में 1992-93 के दौरान कितने आई.एस.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओ. आबंटित किये गये; और

(ख) 1993-94 में कितने आई.एस.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओ. आबंटित करने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) महाराष्ट्र में 1992-93 की अवधि के दौरान 1914 आई.एस.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओ. आवंटित किए गए थे।

(ख) 1993-94 के दौरान 3050 आई.एस.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओ. खोले जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन कनेक्शन

755. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों में सैकड़ों व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन नहीं मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं और सामान्यत: कितनी अवधि में टेलीफोन कनेक्शन दिया जाता है;

(ग) क्या सांसदों के कोटे से स्वीकृत टेलीफोन कनेक्शन भी वर्षों से लंबित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे टेलीफोन कनेक्शन कितने न्यूनतम संभावित समय तक प्रदान कर दिए जाएंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) टेलीफोन कनेक्शनों के लिए दरभंगा जिले में 684 और मधुबनी जिले में 573 आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं। इन आवेदकों को जून, 1995 तक टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की संभावना है।

(ग) और (घ). जी नहीं। ऐसे सभी मामलों में से फरवरी, 1994 से केवल 3 मामले लंबित हैं जिन्होंने टेलीफोन कनेक्शन के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया है और अपेक्षित प्रभारों का भुगतान किया है। इन 3 मामलों में मार्च, 1994 के अंत तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये जाने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

कृषि में निवेश हेतु भूमि धारण

756. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि और संबंधित गतिविधियों में निवेश के लिए उद्योग के लिए अधिकतम सीमा से अधिक भूमि धारण करने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत गोल्ड माइन्स में चोरी के मामले

757. **श्री के.एच. मुनियप्पा** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गोल्ड माइन्स लि. ने अपने उत्पादन केन्द्रों में चोरियां रोकने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना

758. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान की सूरतगढ़ विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से मन्जूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी क्षमता कितने मेगावाट की होगी तथा इसकी कितनी यूनिटें होगी और इन यूनिटों की स्थापना कब तक हो जायेगी और उनमें विद्युत का उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना चरण-1 (2x250 मे.वा.) को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राजस्थान बोर्ड द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने 250 मे.वा. वाली प्रथम यूनिट पर कार्य आरंभ कर दिया है और यूनिट 1 और 2 के लिए अपने संसाधनों में से समान सुविधाएं उपलब्ध करायी हैं। पहली यूनिट को जून, 1996 में चालू करने की प्रत्याशा है। राजस्थान राज्य बिजली बोर्डो द्वारा यूनिट-2 के मुख्य संयंत्र और उपस्करों का आर्डर निधि संबंधी बाधाओं के कारण नहीं दिया गया है। अतः इसको चालू करने के कार्यक्रम का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। तथापि इस यूनिट के ओ.ई.सी.एफ. सहायता हेतु जापान सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

[अनुवाद]

कोका कोला को अनुमति

759. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोका कोला दक्षिण एशिया को हमारे देश में कोका कोला का उत्पादन तथा वितरण करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो कोका कोला द्वारा रखी गई शर्तों तथा इसके आश्वासन का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख). सरकार ने पेय आधार और आसव के निर्माण के लिए मैसर्स कोका कोला साउथ एशिया होल्डिंग्स इंक, अमरीका (अब मैसर्स ब्रिटको फूड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, बंबई के नाम हस्तांतरित) के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कंपनी की 60 करोड़ रु. की 100% विदेशी इक्विटी होगी जिसे वह स्वयं अथवा अपनी गौण/सह-कंपनियों के द्वारा जुटाएगी। कंपनी निर्यात-आयात का अनुपात 3:1 रखेगी। उत्पादन शुरु होने की तारीख से सात वर्ष तक लाभांश संतुलन रहेगा और यह अलग से विनिर्दिष्टि निर्यात-आयात के 3:1 के अनुपात के अलावा होगा। कंपनी का निम्नलिखित वचनबद्धताएं देने का प्रस्ताव है, जिन्हें नोट किया गया है :

(1) कंपनी तकनीकी लाइसेंस शुल्क के भुगतान, पेटेंट के प्रयोग के लिए रायल्टी के भुगतान, प्रशिक्षण शुल्क अथवा अन्य किसी परामर्शी, एकमुश्त भुगतान का उल्लेख नहीं करती।

(2) अनुमान है कि शुरु के सात वर्षों में 78 करोड़ रु. मूल्य का अनिवार्य सुगंध आसव आयात किया जाएगा।

(3) अनुमान है कि शुरु के सात वर्षों में निर्यात से 234 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

(4) शुरु के सात वर्षों में कोई लाभांश बाहर नही जाएगा।

सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा

760. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क दुर्घटना संबंधी मुआवजे के मामलों का निपटारा करने में अत्यधिक विलम्ब होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा करने तथा इस संबंध में एक समय सीमा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) सरकार के सामने इस प्रकार के दृष्टांत आए हैं।

(ख) और (ग). यद्यपि सरकार, दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों की आयु और आय के आधार पर मुआवजे के भुगतान के लिए एक पूर्व-निर्धारित फार्मूला तैयार करने का प्रस्ताव कर रही है फिर भी दावों के निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें न्यायिक प्रक्रिया निहित होती है और राज्य सरकारों ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण स्थापित किए हैं।

केन्द्रीय सड़क निधि

761. **श्री के.जी. शिवप्पा** :

श्री लोकनाथ चौधरी :

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :

श्री मोहन रावले :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि करने संबंधी संकल्प पारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाएंगे?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग). जी हां। संसद ने मई, 1988 में केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि करने के लिए एक संकल्प पारित किया जिसमें इसे वृद्धि को पैट्रोल पर लगे 3.5 पैसे प्रति लीटर उपकर को बढ़ाकर पैट्रोल और डीजल के आधार मूल्य का 5 प्रतिशत करके किया गया। संकल्प को कार्यान्वित करने का प्रश्न मंत्रियों के ग्रुप को भेजा गया है।

तमिल कार्यक्रम

762. **श्री के. राममूर्ति टिंडिवनाम** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रह सम्पर्क क्षेत्रीय सेवा (एस.एल.आर.एस.) पर दिखाये जाने वाले तमिल कार्यक्रम गुणवत्ता की दृष्टि से तुच्छ हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) दूरदर्शन, दर्शकों की रुचि को बनाए रखने के लिए अपने कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार लाने का लगातार प्रयास करता रहता है।

जी-15 के देशों की शिखरवार्ता

763. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में होने वाली जी-15 के देशों की शिखरवार्ता रद्द कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) सरकार और विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा इस शिखरवार्ता के लिए मद-वार कितना व्यय किया गया?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख). जी नहीं। यह शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया था इस शिखर सम्मेलन के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के, जिन्होंने

पहले इसमें भाग लेने की पुष्टि कर दी थी आवश्यक और अपरिहार्य पूर्ण-व्यस्तता के कारण अपने देश से प्रस्थान करने की असमर्थता की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया जिससे इस शिखर सम्मेलन का कोरम पूरा नहीं हो पाया। तथापि राज्य/शासनाध्यक्षों के निजी प्रतिनिधियों और विदेश मंत्रियों की शिखर सम्मेलन पूर्व तैयारी बैठकें निर्धारित समय के अनुसार हुई थी और वे इस बात पर सहमत हुए कि यह स्थगित शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में मार्च/अप्रैल, 1994 में आयोजित किया जाएगा और उन्होंने स्थगित शिखर सम्मेलन में राज्य/शासनाध्यक्षों के विचारार्थ संयुक्त विज्ञप्ति का मसौदा तैयार किया, समीक्षा की और आर्थिक एवं प्रौद्योगिक सहयोग के लिए जी-15 की परियोजनाओं को निदेश दिया।

(ग) यद्यपि दिसंबर, 1993 में हुए ग्रुप-15 सम्मेलन के लिए विभिन्न प्रबंधों के बारे में खर्च के सही आंकड़ें प्राप्त करना अभी तक संभव नहीं हो पाया है, फिर भी होटल और परिवहन प्रभार, सचिवालयी, प्रोतोकोल और मीडिया से सबद्ध आधारिक संरचना पर खर्च का प्रारम्भिक आकलन लगभग 6 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

परिवहन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता

764. **श्री चेतन पी.एस. चौहान** :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

श्री गुरुदास कामत :

डा. असीम बाला :

श्री सत्यदेव सिंह :

डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों तथा उन पर पुलों के निर्माण और रख-रखाव हेतु निजी क्षेत्र को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कुछ विदेशी कंपनियों ने प्रस्ताव किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन कंपनियों के नाम क्या हैं तथा इस संबंध में किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). जी हां। केन्द्र सरकार का बाईपास, पुलों और एक्सप्रैस वे जैसी शुल्क आधारित सुविधाओं के वित्त पोषण, निर्माण और प्रचालन में निजी क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय मूल के व्यक्ति

765. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने म्यांमार सहित अन्य देशों में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों की दशा के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है/कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार म्यांमार सहित विदेशों में भारतीय समुदाय के प्रवासी भारतीय समुदाय के कुशलक्षेम के बारे में निरंतर जानकारी रखती है। तथापि विदेशी राष्ट्रीयता वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों का प्राथमिक रूप से दायित्व संबद्ध विदेशी सरकार का होता है।

[अनुवाद]

कलकत्ता की टेलीफोन डायरेक्टरी

766. **डा. चित्त बसु** :

श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री अनिल बसु :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के टेलीफोन उपभोक्ताओं को 1990 से टेलीफोन डायरेक्टरी नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और डायरेक्टरी अविलंब वितरित करने के संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या जिस ठेकेदार को कलकत्ता टेलीफोन डायरेक्टरी छापने का काम दिया गया था, उसने 1989 के बाद डायरेक्टरी छापी ही नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) जिस ठेकेदार को 1988 से 1992 तक डायरेक्टरी के पांच संस्करणों के मुद्रण का कार्य सौंपा गया था, वह 1989 के बाद डायरेक्टरी मुद्रित करने में असमर्थ रहा। चूंकि 1993 में आमंत्रित को गई नई निविदाओं में से चुने गए दो सफल बोलीदाता भी प्रतिभूति राशि जमा करवाने में असमर्थ रहे, एक नई निविदा आमंत्रित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ग) जी हां।

(घ) ठेकेदार की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली गई है और ठेके की शर्तों के अनुसार मामला मध्यस्थ के पास भेज दिया गया है।

अमरीका-पाक संयुक्त सैन्य अभ्यास

767. **श्री सनत कुमार मंडल** :

श्री चन्द्रजीत यादव :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री परसराम भारद्वाज :

श्री लोक नाथ चौधरी :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

डा. डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री मनोरंजन भक्त :

डा. कृपासिंधु भोई :

श्री बापू हरि चौरे :

श्री मोहन रावले :

श्री राम विलास पासवान :

श्री बी. देवराजन :

श्री रमेश चेन्नित्तला :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में अमरीकी कमाण्डो तथा पाक स्पेशल सर्विसस ग्रुप द्वारा पाकिस्तान के चेरट क्षेत्र के मैदानी भाग को कायम रखने हेतु किये गये संयुक्त सैन्य अभ्यास की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार को यह मालूम है कि पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रांत के चेरट क्षेत्र में अमरीकी विशेष सैन्य बल और पाकिस्तान के विशेष सेना दल के बीच 6 जनवरी से 10 फरवरी 1994 के बीच एक महीने तक का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास चला था। फरवरी 1993 में भी इसी तरह का अभ्यास किया गया था।

(ख) सरकार ऐसी सभी घटनाओं पर बराबर निगाह रखती है जिनका भारत की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है और जिसमें अमरीका और पाकिस्तान के बीच चल रहा सैन्य सहयोग भी शामिल है। सरकार राष्ट्र की एकता और प्रादेशिक अखण्डता के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती है।

[हिन्दी]

बैंक ड्राफ्ट

768. **श्री जर्नादन प्रसाद मिश्र** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद तथा अन्य स्थानों से डाक से बैंक ड्राफ्टों तथा चैकों की चोरी के मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). जी हां। दिनांक 28.10.92 के रजिस्टर्ड पत्र सं. 4416 के वितरित न होने के संबंध में गाजियाबाद के श्री दिनेश शर्मा से दिनांक 1.12.92 की एक शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत में कहा गया है कि उक्त रजिस्टर्ड पत्र में 26 हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट था। तत्काल विभागीय जांच की गई, जिससे यह पता चला कि उक्त बैंक ड्राफ्ट गाजियाबाद प्रधान डाकघर में एक जाली डाकघर बचत बैंक खाते में जमा करवाया गया था। श्री दिनेश कुमार शर्मा ने स्थानीय पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। आगे और विभागीय जांच से यह पता चलता है कि गाजियाबाद प्रधान डाकघर में रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त हुए 1,42,700 रु. के 14 बैंक ड्राफ्ट तथा चैक चुरा लिए गए थे और इन्हें 6 जाली डाकघर बचत बैंक खातों में जमा करा दिया गया जो इसी उद्देश्य के लिए खोले गए थे। इन खातों का पता चलने पर उनमें आगे किसी लेन-देन को अवरुद्ध करने से पहले यह पाया गया कि ऐसे खातों से 18,000 रु. निकाले गए थे। 50 हजार रुपये का एक चोरी किया हुआ चैक जो इनमें से एक जाली खाते में जमा कराया गया था, अस्वीकृत कर दिया गया।

(ग) गाजियाबाद प्रधान डाकघर के वरिष्ठ पोस्टमास्टर ने स्थानीय पुलिस में दिनांक 10.11.93 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने 25.1.94 को गाजियाबाद प्रधान डाकघर के एक डाक सहायक को गिरफ्तार किया जिसे तुरन्त निलंबित कर दिया गया।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में यान्त्रिक एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना

769. **श्री धर्मण्णा मोंडयूया सादुल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यान्त्रिक एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का राष्ट्रीय औसत दिसंबर, 1993 तक क्या था;

(ख) इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य दूरसंचार सर्किल का इसी अवधि के दौरान क्या औसत था; और

(ग) चालू वर्ष की शेष अवधि तथा 1994-95 के दौरान देश में तथा महाराष्ट्र में वर्तमान यान्त्रिक एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है/की जायेगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) दिसंबर, 1993 के अंत तक जिन मेकेनिकल एक्सचेंजों के स्थान पर इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाए गए, उन लाइनों की संख्या 1714577 हैं। इलैक्ट्रो-मकेनिकल टाइप के एक्सचेंजों की लगभग 37.3 प्रतिशत सज्जित क्षमता है।

(ख) महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में अब तक 76960 लाइनें बदली जा चुकी हैं। महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में लगभग 43.7% सज्जित क्षमता इलैक्ट्रो-मकेनिकल किस्म की है।

(ग) देश में चालू वर्ष की शेष अवधि के दौरान 182000 लाइन के मकेनिकल एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक में बदलना है।

देश में 1994-95 के दौरान 3,59,000 लाइनों को बदलने का प्रस्ताव है बशर्ते उपस्कर और निधियां समय पर उपलब्ध हों।

महाराष्ट्र सर्किल में चालू वर्ष की शेष अवधि के दौरान मकेनिकल एक्सचेंजों की 11,768 लाइनों को बदलने का प्रस्ताव है।

महाराष्ट्र सर्किल में 1994-95 के दौरान इलैक्ट्रो-मकेनिकल एक्सचेंजों की 35,000 लाइनें बदलने का प्रस्ताव है बशर्ते उपस्कर और निधियां उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों का निजीकरण

770. **श्री राजेश कुमार** :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का निजीकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अच्छे सिनेमा के लिए एक आन्दोलन के विकास और उन्नति हेतु भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन एक गैर वाणिज्यिक संवर्धनात्मक कार्यकलाप है। यद्यपि इस समारोह का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय, फिल्म समारोह निदेशालय के तत्वाधान में किया जाता है तथापि, भारतीय फिल्म उद्योग जो कि निजी क्षेत्र में है, के व्यक्तियों को फिल्म समारोह निदेशालय को सलाहकार समिति, आयोजन समिति और समारोह के लिए गठित की जाने वाली विभिन्न उप समिति के सदस्यों के रूप में समारोह के आयोजन में सहयोजित किया जाता है।

[अनुवाद]

भारत-जापान समझौता

771. **श्री शांताराम पोतदुखे** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में विद्युत परियोजनाओं हेतु सहायता प्रदान किए जाने के लिए जापान के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में जापान द्वारा कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ग) किन-किन विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की जाएगी और वे कहां-कहां स्थित हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) एवं (ग). निम्नलिखित तीन विद्युत परियोजनाओं के लिए ओ ई सी एफ जापान द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। 68.24 बिलियन येन के एक ऋण जो कि 1840 करोड़ रुपये के बराबर है, के संबंध में जनवरी, 94 में सहमति हो गई है :

	नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	क्षमता (मे.वा.)	सहायता राशि (बिलियन येन में)
1.	फरीदाबाद गैस आधारिक ताप विद्युत संयंत्र जिला	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम	480	23.54
2.	बक्रेश्वर कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र जिला वीरभूम पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम	420	27.07

3.	अनपारा "ख" कोयला आधारित विद्युत संयंत्र जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	1000	17.64

(निर्माणाधीन परियोजना - ऋण की अतिरिक्त किस्त)

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ और एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग की सदस्यता

772. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** :

श्री चन्द्रजीत यादव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

डा. डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एशियाई प्रशांत आर्थित सहयोग (एपेक) और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) में एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं और इनमें कितनी प्रगति हुई है: और

(ग) इनकी सदस्यता ग्रहण करने के परिणामस्वरूप देश को क्या लाभ होंगे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ग). एक दक्षिण एशियाई देश होने के नाते भारत अपने क्षेत्रीय समूह-क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ (सार्क) का सदस्य है। भारत दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान), जो दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का समूह है, के साथ पहले से ही क्षेत्रीय बातचीत का भागीदार है। इस भागीदारी में भारत और आसियान देशों के बीच पूंजी-निवेश, व्यापार, पर्यटन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में परस्पर लाभकारी और महत्वपूर्ण ढंग से संवर्द्धित सहयोग की व्यवस्था है।

आसियान भारत संयुक्त क्षेत्रीय सहयोग समिति (ए आई जे एस सी सी) की पहली महत्वपूर्ण बैठक 6 से 8 जनवरी, 1994 तक बाली (इंडोनेशिया) में हुई जिसने भारत-आसियान सहयोग को एक नया तत्व और एक नई दिशा प्रदान की।

एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) की सदस्यता अभी तक प्रशान्त महासागर के कुछ तटवर्ती राज्यों तक ही सीमित है और कोई भी गैर-प्रशान्त तटवर्ती देश इसका सदस्य नहीं है। 1991 में सिओल में हुए तृतीय मंत्रालयी सम्मेलन में भारत ने सरकारी तौर पर "एपेक" के कार्यकलापों में भाग लेने की इच्छा जाहिर की 1 नवंबर, 1993 में सीएटल में हुए एपेक शिखर सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि 1997 तक (एपेकका) कोई नया सदस्य नहीं बनाया जाएगा

बहरहाल, भारत को उम्मीद है कि वह "एपेक" के कुछ कार्यक्रमों के साथ सम्बन्धित हो सकेगा।

प्रधानमंत्री की दावोस यात्रा

773. **श्री चन्द्रजीत यादव** :

श्री मुमताज अंसारी :

डा. विश्वनाथम कैनिथी :

श्री केशरी लाल :

श्री चन्द्रेश पटेल :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :

श्री शिबू सोरेन :

श्री आर. जीवरत्नम :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री की हाल की दावोस, स्विटजरलैंड यात्रा के उद्देश्य क्या थे;

(ख) क्या सरकार को इन उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता मिली है;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप भारत में किये जाने वाले निवेश की अनुमानित मात्रा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रधानमंत्री ने स्विटजरलैंड के नेताओं के साथ वार्ता भी की; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या निष्कर्ष निकला?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) प्रधानमंत्री की दावोस की हाल की यात्रा का उद्देश्य विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के समक्ष जिसमें राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों, उद्योगपतियों, मीडिया के लोगों और शिक्षाविदों ने एक साथ भाग लिया भारतीय आर्थिक नीतियों की नई गतिशीलता और उसमें निहित द्रुतगामी प्रगति की क्षमता प्रस्तुत करना था। प्रधानमंत्री ने उन सभी लोगों को जो वार्षिक बैठक के लिए एकत्र. हुए थे, हमारे आर्थिक सुधारों और कार्यक्रमों की प्रगति, आर्थिक क्षेत्र में भारत की आज तक की उपलब्धियों और हमारी भावी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उनकी उपस्थिति से निवेश और व्यापार के लिए एक आकर्षक देश के रूप में भारत को प्रस्तुत करने में सहायता मिली।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रधानमंत्री ने भारत संबंधी सत्र तथा वार्षिक बैठक के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। उन्होंने विश्व की फर्मों के कई मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया के विभिन्न प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उनके भाषण की प्रतिक्रिया तथा महत्वपूर्ण कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान बहुत ही सकारात्मक था। भारत का मीडिया में काफी प्रचार किया गया है और कारपोरेट नेताओं ने, जिनसे प्रधानमंत्री मिले बताया कि वे भारत में अपनी कार्रवाई का विस्तार करने के लिए भारत आने की सोच रहे हैं। भारत में किए जाने वाले संभावित पूंजीनिवेश की अनुमानित मात्रा के बारे में ब्यौरा देना संभव नहीं है क्योंकि इन पूंजी निवेश संबंधी निर्णयों को कार्यान्वित करने में कुछ समय लगता है। इसके अतिरिक्त विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक एक ऐसा स्थान नहीं है जहां सामान्यतः निगमों द्वारा इस प्रकार के ब्यौरे की घोषणा की जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अथरेया समिति

774. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अथरेया समिति की सिफारिशों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) आत्रेय समिति की सिफारिशें अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अधीन भूखण्ड

775. **श्री लाल बाबू राय** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अधीन कितने खाली भूखण्ड हैं तथा प्रत्येक भूखण्ड का क्षेत्रफल कुल कितना है और इन भूखण्डों का इनके प्रयोजन हेतु उपयोग करने के लिए उठाए गये कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से कुछ भूखण्डों पर अवैध कब्जा किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन भूखण्डों को तत्काल खाली कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) दिल्ली में एम टी एन एल के पास ऐसे कुल 27 भूखण्ड हैं। ऐसे भूखण्डों, उनका प्रस्तावित उपयोग और वर्तमान स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है।

(ख) जी हां।

(ग) संलग्न विवरण में क्रं.सं. 18, 19 और 20 में लिखित मिंटो रोड, लोठियान रोड (कश्मीरी गेट) के भूखण्डों पर एम टी एन एल द्वारा कब्जा लेने से पहले से ही अनधिकृत कब्जा है जबकि शकूरबस्ती के भूखण्ड पर एम टी एन एल के कब्जे के बाद आंशिक तौर पर अनधिकृत कब्जा है।

(घ) दिल्ली प्रशासन में सचिव (लो.नि.वि.) से संलग्न विवरण को क्र.सं. 19 पर लिखित लोठियान रोड वाले भूखण्ड पर से अनधिकृत कब्जा करने वालों को हटाने के लिए सक्रिय रूप से बातचीत चल रही है।

संलग्न विवरण की क्रं.सं. 18 पर लिखित मिंटो रोड वाले भूखण्ड पर से अनधिकृत कब्जा हटाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय के सचिव से बातचीत चल रही है।

संलग्न विवरण की क्रं.सं. 20 पर लिखित शकूर बस्ती के भूखण्ड पर से अनधिकृत कब्जा हटवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

विवरण

क्रं.सं.	अवस्थिति	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	उद्देश्य	आवास अनुसूची की स्थिति	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	रोहिणी से.VI	12000	प्रशा. कार्यालय	जारी हो रहा है	--
2.	वसंत विहार	1800	टी.ई.	जारी कर दिया	भवन निर्माण की कारवाई शुरू की गई है।
3.	रोहिणी से.III भूखंड सं. 4	10000	स्टाफ क्वार्टर	-वही-	-वही-
4.	रोहिणी से.IV भूखंड सं. 31	1000	-वही-	-वही-	-वही-
5.	रोहिणी से.V भूखंड सं. 4	10000	-वही-	-वही-	-वही-
6.	रोहिणी से.V भूखंड सं. 10	10000	-वही-	-वही-	-वही-
7.	नरेला	8094	टी.ई.	-वही-	-वही-
8.	सरिता विहार (पॉकेट एम)	3990	टी.ई.	-वही-	-वही-
9.	कड़कडडूमा	2000	टी.ई.	-वही-	-वही-
10	सीरि फोर्ट एशियाई खेल गांव	225	आर एल यू	-वही-	-वही-

1	2	3	4	5	6
11.	कांडली घरौली	450	आर एल यू	-वही-	-वही-
12.	रोहिणी सें. V	999.4	आर एल यू	-वही-	-वही-
13.	रोहिणी से. XIV	1000	आर एल यू	जारी हो रहा है	-वही-
14.	सरिता विहार (पॉकेट जे)	494	आर एल यू	जारी कर दिया है	भवन निर्माण की कार्रवाई शूरु की गई है।
15.	सरस्वती विहार	8948.75	टी.ई.	-वही-	-वही-
16.	तुगलकाबाद (संस्थानिक क्षेत्र)	1394	आर एल यू	-वही-	-वही-
17.	नोएडा (संस्थानिक क्षेत्र)	80000	प्रशिक्षण केन्द्र	निगमित कार्यालय द्वारा जारी	-वही-
18.	मिंटो रोड (जवाहर लाल नेहरू मार्ग)	8211	टी.ई.	जारी कर दिया है	शहरी विकास मंत्रालय ने पूरी तरह खाली नहीं करवाया है।
19.	लोटियान रोड (कश्मीरी गेट)	5180	टी.ई.	जारी हो रहा है	दिल्ली प्रशा. के सचिव (लो.नि.वि.) ने पूरी तरह खाली नहीं करवाया है।
20.	शकूर बस्ती (लारेंस रोड)	9011	टी.ई.	जारी कर दिया है	आरएलयू पहले ही कार्य कर रहा है। लगभग 2400 वर्गमीटर पर अनाधिकृत कब्जा है। अनधिकृत कब्जा छुड़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

1	2	3	4	5	6
21.	मोती लाल नेहरू मार्ग	6070	टी.ई.	लागू नहीं	शहरी विकास मंत्रालय ने टी.ई. भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी है।
22.	मयूर विहार फेज II (ओसीपी)	899.63	आर एल यू	जारी हो रहा है	---
23.	रोहिणी से. IX (विस्तार)	28600	स्टाफ क्वार्टर	जारी कर दिया है	भवन निर्माण की कारवाई शुरु कर दी है।
24.	पंखा रोड भूखण्ड सं. 2	17000	स्टाफ क्वार्टर	-वही-	-वही-
25.	पश्चिम विहार जी 17 क्षेत्र	34400	-वही-	-वही-	-वही-
26.	आईटीओ/आईटीएक्स बंगला साहिब मार्ग	4420	टी.ई.	-वही-	-वही-
27.	रोहिणी से. III	10000	टी.ई.	-वही-	आरएलयू पहले से ही कार्य कर रहा है। नियमित टेलीफोन एक्सचेंज भवन के निर्माण की कार्य शुरू कर दी है।

अनुवाद

पत्तनों का विकास

776. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना के दौरान विभिन्न पत्तनों के विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो पत्तनवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) देश में विभिन्न महापत्तनों के विकास के लिये 8वीं योजना में 2984.00 करोड़ रु. का परिव्यय प्रदान किया गया है। इस परिव्यय का पत्तन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

महापत्तनों के लिए 8वीं योजना का परिव्यय

क्रं.सं.	पत्तन का नाम	परिव्यय 1992-97 (करोड़ रु.)
1.	(क) कलकत्ता	155.00
	(ख) हल्दिया	190.00
	(ग) आर आर स्कीमें	76.00
		421.00
2.	बम्बई	413.00
3.	ज.ने.प. न्यास	215.00
4.	मद्रास	570.00
5.	कोचीन	117.00
6.	विज़ाग	250.00
7.	कांडला	226.00
8.	मुरगांव	123.00
9.	पारादीप	486.00

1	2	3
10.	न्यू मंगलौर	98.00
11.	तूतीकोरिन	65.00
	जोड़ महापत्तन	2984.00

बंगलौर दूरदर्शन द्वारा अर्जित राजस्व

777. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर दूरदर्शन ने वर्ष 1993 के दौरान विज्ञापनों से कुल कितना राजस्व अर्जित किया;

(ख) विज्ञापन शुल्क की दरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या और अधिक संख्या में विज्ञापनदाताओं को आकर्षित करने के लिये विज्ञापन शुल्क की दर घटाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) वर्ष 1993 के दौरान दूरदर्शन केन्द्र बंगलौर द्वारा सकल राजस्व 1417.30 लाख रुपये अर्जित किया गया।

(ख) दूरदर्शन बंगलौर की वर्तमान विज्ञापन शुल्क दर का विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दूरदर्शन, बंगलौर की वर्तमान विज्ञान शुल्क दर

(10 सेकण्ड) के स्पॉट के लिए दर

सुपर ए स्पेशल	12000/- रुपये
सुपर ए	11000/- रुपये
"ए"	4000/- रुपये
"बी"	1500/- रुपये
टाइम चैक	4000/- रुपये

दूरदर्शन कार्यक्रम का प्रायोजन

सुपर ए स्पेशल	50000/- रुपये
	30 मिनट के लिए

सुपर ए	35000/- रुपये
ए	16000/- रुपये
बी	4500/- रुपये

बाहरी व्यक्तियों द्वारा निर्मित प्रायोजित कार्यक्रम

सुपर ए	10000/- रुपये प्रति
	30 मिनट स्लॉट के साथ
	120 सेकण्ड एफ.सी.टी.
टेली फिल्म	7000/- रुपये
	90 मिनट के लिए
टेली नाटक	5000/- रुपये
	60 मिनट के लिए

कुकरमुत्ता प्रसंस्करण और डिब्बाबंदीकरण परियोजना

778. **श्री राम कापसे** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पंजाब में हालैण्ड की प्रौद्योगिकी की सहायता से स्थापित की जाने वाली कुकरमुत्ता प्रसंस्करण और डिब्बाबंदीकरण परियोजना में सीधे इक्विटी पूंजी लगाकर इसमें भागीदारी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार और पंजाब सरकार ने कितनी-कितनी इक्विटी लगाई है; और

(ग) परियोजना का ब्यौरा क्या है और यह व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन कब तक आरम्भ करेगी?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी हां।

(ख) अपनी एक विकासात्मक योजना स्कीम के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पंजाब में जिला पटियाला में ललरु नामक स्थान पर संयुक्त क्षेत्र में तैयार की जा रही शत प्रतिशत खुम्बी निर्माण परियोजना के लिए पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के मार्फत 150 लाख रु. की इक्विटी सहायता दी है। पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ ने भी परियोजना में 300 लाख रु. लगाए हैं।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार परियोजना की कुल लागत 2350 लाख रु. है और इसकी उत्पादन क्षमता सालाना 2500 टन डिब्बाबंद बटन खुम्बी तैयार करने की है। अनुमान है कि परियोजना अप्रैल, 1994 में व्यावसायिक तौर पर उत्पादन करना शुरू कर देगी।

ताप विद्युत संयंत्रों का निजीकरण

779. **श्री गुरूदास कामत :**

श्री साईमन मरान्डी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का देश में कुछ ताप विद्युत संयंत्रों का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) राज्यवार, विशेष रूप से उड़ीसा में ऐसे संयंत्रों के नाम क्या हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). भारत सरकार द्वारा विद्युत के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण में निजी क्षेत्र की अधिक से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने के प्रयोजनार्थ एक नीति बनाई गई है। यह नीति विद्यमान ताप विद्युत केन्द्रों के निजीकरण कार्यक्षेत्र में बाधक नहीं है। अब तक उड़ीसा सरकार ने मे. कम्युनिटी एनर्जी अल्टर्मेटिव्स इन्क., यूएसए के साथ विद्यमान तलचेर ताप विद्युत केन्द्र (460 मे.वा.) के नवीकरण और आधुनिकीकरण हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा

780. **श्री के. प्रधानी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं योजना अवधि में विभिन्न राज्यों की ऐसे कितनी सड़कें हैं जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

क्रं.सं.	सड़क का नाम	राज्य	राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेसवे
1.	अहमदाबाद-बड़ौदरा	गुजरात	रा.ए.1
2.	कुडानूर-विलिंग्डन द्वीप	केरल	रा.रा.47 ए
3.	थेरियाट-तुइपेंग	मिजोरम	रा.रा.54 का विस्तार
	थेरियाट-लुंग्लई		रा.रा.54 ए
	विनश सैड्डल-सहिया		रा.रा.54 बी

4.	रा.रा.52 (तेजपुर) के साथ क्वरितल जंक्शन	असम	रा.रा.37 ए
5.	दौसा-मनोहरपुर	राजस्थान	रा.रा. 11ए
6.	बेवर-राधनपुर	राजस्थान गुजरात	रा.रा.14
7.	निजामाबाद-जगदलपुर	आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश	रा.रा.16
8.	पठानकोठ-मण्डी	हिमाचल प्रदेश और पंजाब	रा.रा.20
9.	कोचीन-मदुरै	केरल और तमिलनाडु	रा.रा.49 का विस्तार

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा दुष्प्रचार

781. **श्री साईमन मरान्डी :**

श्री सुधीर सावन्त :

श्री शिबू सोरेन :

श्री बापू हरि चौरे :

श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले :

डा. बसंत पवार :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कश्मीर के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने के लिये एक शक्तिशाली राजनयिक अभियान शुरू करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान द्वारा निरंतर किये जा रहे दुष्प्रचार का प्रतिकार करने के लिय कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर इस्लामी सम्मेलन संघ, अमेरिका, ब्रिटेन तथा ईरान सहित विभिन्न देशों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख). पाकिस्तान की प्रधानमंत्री सहित पाकिस्तान के नेता लगातार यह कहते आए हैं कि पाकिस्तान कश्मीरियों को नैतिक, राजनीतिक तथा राजनयिक समर्थन देता रहेगा।

24 जनवरी, 1994 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तान की प्रधानमंत्री ने कहा कि:

– पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के समक्ष रखेगा। "1 फरवरी को मैं स्वयं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के समक्ष इस मामले की पैरवी करूंगी।

तदुंपरान्त जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बैठक में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर की स्थिति का उल्लेख किया।

(ग) और (घ). प्रेरित भारत-विरोधी प्रचार का खंडन करना एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार कश्मीर मसले के संबंध में झूठे तथा निराधार पाकिस्तानी आरोपों तथा गलत सूचनाओं का सफलतापूर्वक खंडन कर रही है। इन प्रयासों के भाग के रूप में कश्मीर की स्थिति के बारे में सही जानकारी देने के उद्देश्य से अन्य सरकारों के साथ बार-बार तथा लगातार सम्पर्क किया जाता है। पत्रिकाएं तथा दृश्य-श्रव्य सामग्री तैयार की गई है जो विदेश स्थित हमारे मिशनों द्वारा वहां के राजनीतिज्ञों, अधिकारियों, प्रैस तथा अन्य मत-निर्माताओं में वितरित की जाती है यहां तथा अन्य देशों में हमारे मिशनों के माध्यम से भारतीय तथा विदेशी पत्रकारों को नियति रूप से जानकारी दी जाती है। विदेश स्थित मिशनों को सम्बद्ध जानकारी नियमित रूप से भेजी जाती है ताकि वे सम्बद्ध व्यक्तियों के साथ त्वरित तथा प्रतिकारक कार्रवाई कर सकें।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप इस्लामी संगठन के विभिन्न देशों तथा अधिकारियों ने इस मसले पर भारतीय दृष्टिकोण को बेहतर ढ़ंग से समझ सकें हैं।

इरान ने भारत की अखण्डता के लिए अपना समर्थन जाहिर किया है और कश्मीर मसले को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता का आह्वान किया है।

यू.के. और अमरीका की सरकारों के मतानुसार कश्मीर मुद्दा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का माध्यम है जिसकी संकल्पना शिमला समझौते में की गई है। अमरीका की सरकार का मानना है कि ऐसे किसी भी समझौते में कश्मीर के लोगों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं

782. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :**

श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी क्षेत्र, में स्वीकृति प्राप्त विद्युत परियोजनाओं, इनके स्थान, अनुमानित लागत क्षमता,

समय-सारणी, रोजगार आदि का परियोजनावार ब्यौरा क्या है जिनको आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ किया जायेगा;

(ख) विभिन्न चरणों के तहत परिपूर्ण हो रहे निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) आववीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश और विद्युत उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गोवा में विद्युत उत्पादन के लिए प्राप्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) विवरण 1 तथा 1 'क' संलग्न है।

(ख) विवरण 2 संलग्न है।

(ग) आठवीं योजना दस्तावेज के अनुसार 30538 मे.वा. विद्युत उत्पादन क्षमता को जोड़े जाने की परिकल्पना की गई थी जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	(के.वा.)
केन्द्रीय क्षेत्र	12858
राज्य क्षेत्र	17680
निजी क्षेत्र	2810
	30538

विद्युत उत्पादन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र परिवर्तन निम्नवत् है :

	(रुपये करोड़)
राज्य	23733
संघ शासित क्षेत्र	354
केन्द्र	24337
	49424

(घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में गोवा में विद्युत उत्पादन परियोजना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण-1

चालू निजी विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रं.सं.	परियोजना/राज्य का नाम	क्षमता (मे.वा.)	अंनतिम अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	चालू करने की तिथि	कम्पनी का नाम
1.	ट्राम्बे सीसीजीटी/महाराष्ट्र	180.00 (गैस)	212.00	1994-95*	टाटा इलैक्ट्रिक कंपनीज
2.	भीरा पीएसएस/महाराष्ट्र	150.00 (जल विद्युत)	85.95	1994-95	टाटा इलैक्ट्रिक कंपनीज
3.	मनियार एचईपी/केरल	12.00 (जल विद्युत)	15.00	1993-94	कारबोरैन्डम यूनिवर्सल जैनरेटिंग कंपनी
4.	बज-बज टीपीएस/पश्चिमबंगाल	500.00 (कोयला)	1638.00	1996-97	कलकत्ता इलैक्ट्रिक कंपनीज
5.	दहानू टीपीएस/महाराष्ट्र	500.00 (कोयला)	1472.00	1994-95	बंबई सुबरबन इलैक्ट्रिक कंपनी लि.
	जोड़ :	1342.00	3422.95		

*100 मे.वा. पहले से ही चालू कर दिया गया है।

विवरण - I 'क'

विदेशी निवेश दृष्टिकोण से स्वीकृत निजी विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम/राज्य	विदेशी/भारतीय	क्षमता (मे.वा.)	अनंतिम लागत अनुमान (करोड़ रु.में)	चालू करने की तिथि	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	जेगुरूपाडु जीबीपीपी/ (गोदावरी) आन्ध्र प्रदेश	विदेशी (एनआरआई)	235.00 (गैस)	827.00	1995-97	जी.वी.के.इंडस्ट्रीज,यू.एस.ए.
2.	काकीनाडा जीबीपीपी/ (गोदावरी)	विदेशी (एनआरआई)	208.00 (गैस)	748.43	1995-97	स्पैक्ट्रम पावर जैनरेशन लि.
3.	विशाखापत्तनम टीपीएस/ आन्ध्र प्रदेश	विदेशी भारतीय संयुक्त उद्यम	1000.00 (कोयला)	3000.00 (यू.के.)	लागू नहीं	अशोक के-लैण्ड एंड नैशनल पावर
4.	मंगलौर टीपीएस/ कर्नाटक	विदेशी (कोयला)	1000.00	5088.00	लागू नहीं	कोजैन्ट्रिक्स इन्क. यू.एस.ए.

1	2	3	4	5	6	7
5.	दभोल सीसीजीटी (एलएनजी)/	विदेशी महाराष्ट्र	2015.00	9051.27 (एलएनजी)	1996-97	एनरॉन पावर डवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड जनरल
6.	इब घाटी टीपीएस/	विदेशी उड़ीसा	420.00	2025.60 (कोयला)	1988-89	एईएस कॉरपोरेशन, यूएसए
7.	जीरो यूनिट (एनएलसी)/	विदेशी तमिलनाडु	250.00 (एनआरआई)	1127.00 (लिग्नाइट)	1996-97	एसटी पावर सिस्टम्स इन्क. यूएसए
	जोड़		5128.00	21867.30		

टिप्पणी : चूंकि उपरोक्त परियोजनाएं निजी क्षेत्र में हैं नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों का निर्णय स्वयं कम्पनी द्वारा ही किया जायेगा।

विवरण-2

निजी विद्युत परियोजनाएं जो स्वीकृति के विभिन्न चरणों में हैं, का ब्यौराः

क्र.सं.	परियोजना का नाम/राज्य	विदेशी/ भारतीय	क्षमता (मे.वा.)*	अनंतिम लागत अनुमान (करोड़ रुपये में)	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	कृष्णापट्टनम टीपीएस/		1000.00 (2 500) कोयला	3500.00	बोली के अधीन
2.	रामागुण्डम टीपीएस/आंध्र प्रदेश		1500.00 (2 250)*	1750.00	बोली के अधीन
	जोड़ : आंध्र प्रदेश		1500.00	5250.00	
3.	कामेंग एचईपी/अरुणाचल प्रदेश	भारतीय/विदेशी	600.00 (हाइडस)	1800.00	इन्टरकोर्प इण्डस्ट्रीज लि. स्पोती मांउटेंस इंजीनियरिंग (आस्ट्रेलिया)
4.	खारसांग जीबीपीपी/ (आस्ट्रेलिया)	विदेशी/भारतीय	48.00 अरुणाचल प्रदेश 648.00	168.00 संयुक्त उद्यम 1968.00	इन्टरकोर्प इण्डस्ट्रीज लि. स्पोती मांउटेंस इंजीनियरिंग (गैस)

1	2	3	4	5	6
5.	कारबी लांग्पी एचईपी/ (लोअर बारपानी) असम	भारतीय	100.00 (हाइडन)	300.00	भारत हाइड्रो पावर कारपो./गुभाव प्रोजैक्ट्स एंड मार्केटिंग
6.	अमगुरी जीबीपीपी/असम	विदेशी	360.00 (गैस)	1280.00	नोर्दरन इंजीनियरिंग इन्क. यूएसए/ आगरा इण्डस्ट्रीज
7.	आदमटिल्ला ओपन साइकल/ असम	भारतीय	15.00 (गैस)	52.50	डीएलएफ पावर कारपोरेशन लि.
8.	वाशखण्डी ओपन साइकल/ असम	भारतीय	22.50 (गैस)	78.75	डीएलएफ पावर कारपोरेशन लि.
	जोड़ : असम		497.50	1711.25	
9.	चान्दिल टीपीएस/बिहार	भारतीय	500.00 (2x250) (कोयला)	1037.00	आरनीजी एन्टरप्राइजेज
	जोड़ : बिहार		500.00	1637.00	

1	2	3	4	5	6
10.	बवाना जीबीपीपी दिल्ली		800.00 (गैस)	2000.00	बोलियां मूल्यांकनाधीन
	जोड़ : दिल्ली		800.00	2000.00	
11.	पागुथान जीबीपीपी/गुजरात	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	654.70 (गैस)	2178.14	गुजरात टीएरेंट एनर्जी कारपोरेशन लि./सिमेंस जर्मनी
12.	लिग्नाइट आधारित टीपीएस/ गुजरात	विदेशी	250.00 (लिग्नाइट)	875.00	आयजनबर्ग ग्रुप आफ कं. इजरायल
	जोड़ : गुजरात		904.70	3053.14	
13.	हिसार टीपीएस/हरियाणा	विदेशी	500.00 (2x250) (कोयला)	1000.00	कांजेट्रिक्स इन्क. यूएसए
	जोड़ : हरियाणा		1500.00	4500.00	
15.	घान्वी एचईपी/हिमाचल प्रदेश	भारतीय	22.50 (हाइडल)	40.00	पंजाब पावर जेनरेशन मशीन्स लि.

1	2	3	4	5	6
16.	उहल-3 एचईपी/हिमाचल प्रदेश	भारतीय	70.00 (3x23.4) (हाइडल)	176.77	बल्लारपुर इण्डस्ट्रीज लि. दिल्ली
17.	बारपा एचईपी/हिमाचल प्रदेश	भारतीय	300.00 (हाइडल)	547.00	जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लि.
18.	डिब्रा एचईपी/	विदेशी	231.00 (हाइडल)	708.50	हार्जा इंजीनियरिंग कं. यूएसए
19.	धामवाड़ी एचईपी/हिमाचल प्रदेश	विदेशी	70.00 (हाइडल)	245.00	हार्जा इंजीनियरिंग कम्पनी यूएसए
20.	कारछम वाम्टु/हिमाचल प्रदेश	भारतीय	900.00 (हाइडल)	3150.00	जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लिं.
21.	नियोगल एचईपी/हिमाचल प्रदेश	भारतीय	12.00 (हाइडल)	42.00	ओम पावर कारपोरेशन नई दिल्ली
22.	एल्लायन-दुबांगन एचईपी/ हिमाचल प्रदेश	भारतीय	192.00 (हाइडल)	672.00	राजस्थान स्पिल्लिंग एण्ड वेविंग मिल्स लि.

1	2	3	4	5	6
23.	मालाना एचईपी/हिमाचल प्रदेश	भारतीय	86.00 (हाइडल)	301.00	राजस्थान स्पिन्निंग एण्ड वेविंग मिल्स लि.
	जोड़ : हिमाचल प्रदेश		1883.50	5882.27	
24.	मंगलौर टीपीएस/कर्नाटक	भारतीय/विदेशी	300.00 (कोयला)	900.00	जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लि. नेशनल पावर (यू.के.)
25.	अल्माट्टी डैम एचईपी/ कर्नाटक	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	600.00 (हाइड्रो)	1800.00	एशिया पावर कं.लि. (टामको) यूएसए, कर्नाटक पावर कारपोरेशन
26.	होस्पैट टीपीएस/कर्नाटक	विदेशी	500.00 (1x500) (कोयला)	1350.00	हॉक इन्टरकोंटिनेंटल लि. यूएसए
27.	रायचुर चरण-5 टीपीएस/	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	500.00 (2x250) (कोयला)	1000.70	पब्लिक पावर इन्ट.इन्क. (नार्थ-ईस्ट एनर्जी) यूएसए, कर्नाटक पावर कारपोरेशन
	जोड़ : कर्नाटक		1900.00	5050.70	

1	2	3	4	5	6
28.	थ्रीक्कारीपुर टीपीपी/केरल	विदेशी	420.00 (2x210) (कोयला)	1480.00	एम.ए. एल-मजरुई जेन. ट्रेडिंग एस्ट.यूएई सकप्च्यर पावर कं. यूएसए
29.	कुथुंगल एचईपी/केरल	भारतीय	20.00 (हाइडल)	35.05	इण्डसिल इलैक्ट्रोस्मैल्ट्स लि.
30.	बुथाथांकेट्ट एचईपी/केरल	भारतीय	16.00 (हाइडल)	25.00	सिलकाल मैटलर्जिक (पी) लि.
31.	उल्लुंकल एचईपी/केरल	भारतीय	6.00 (हाइडल)	13.55	ट्रावांकोर इलैक्ट्रो कैमीकल इण्डस्ट्रीज लि.
32.	कारिकायामएचईपी/केरल	भारतीय	12.00 (हाइडल)	30.00	ट्रावांकोर इलैक्ट्रो-कैमिकल इण्डस्ट्रीज लि.
33.	बारापोल एचईपी/केरल	भारतीय	9.00 (हाइडल)	12.21	आइडियल प्रोजैक्ट्स एंड सर्विसिज (पी) लि.
34.	चाथांकोट्टुनाडा-2/केरल	भारतीय	7.00 (हाइडल)	4.94	आयडियल प्रोजैक्ट्स एण्ड सर्विसेज (पी) लि.
35.	अनाकायाम एचईपी/केरल	भारतीय	8.00 (हाइडल)	29.10	आयडियल प्रोजैक्ट्स एण्ड सर्विसेज (पी) लि.

1	2	3	4	5	6
36.	चैम्बुक्काडावु-2/केरल	भारतीय	9.00 (हाइडल)	12.85	आइडियल प्रोजैक्ट्स एण्ड सर्विसेज (पी) लि.
37.	पालचुराम एचईपी/केरल	भारतीय	3.50 (हाइडल)	4.72	आइडियल प्रोजैक्ट्स एण्ड सर्विसेज (पी) लि.
38.	विलांग्द एचईपी/केरल	भारतीय	7.00 (हाइडल)	10.59	आइडियल प्रोजैक्ट्स एण्ड सर्विसेज (पी) लि.
39.	वैस्टर्न काल्लार एचईपी/केरल	भारतीय	5.00 (हाइडल)	6.95	आइडियल प्रोजैक्ट्स एण्ड सर्विसेज (पी) लि.
	जोड़ : केरल		522.50	1664.96	
40.	पेंच टीपीएस/मध्य प्रदेश	भारतीय	420.00 (2x210) (कोयला)	1272.73	सैंच्यूरी पावर ळ
41.	महेश्वर एचईपी/मध्य प्रदेश	भारतीय	400.00 (10x40) (हाइडल)	1073.00	एस.कुमार्स

1	2	3	4	5	6
42.	कोरबा वैस्ट विस्तार यू. 5 एवं 6 टीपीएस/ मध्य प्रदेश	भारतीय	420.00 (2x210) (कोयला)	977.57	मुकुन्द लि.
43.	भिलाई कैप्टिव टीपीएस/ मध्य प्रदेश	भारतीय/विदेशी संयुक्त उद्यम	500.00 (कोयला)	1200.00	स्टील अथार्टी ऑफ इण्डिया लि.**
44.	तावा एचईपी/मध्य प्रदेश	भारतीय	12.00 (हाइडल)	20.00	एचईजी लि.
	जोड़ : मध्य प्रदेश		1752.00	4542.80**	एनटीपीसी पहले से सम्बद्ध था। अब वह परियोजना से सम्बद्ध नहीं है।
45.	खापरखेड़ा टीपीएस/यूनिट 5 एवं 6/ महाराष्ट्र	विदेशी	500.00 (2x250) (कोयला)	1632.00	अरान्को लाइन शिपिंग कंपनी (माल्टा/सिंगापुर) आर.आर. एसोसिएट्स
46.	बर्ज/शिप माउंटेड/महाराष्ट्र	भारतीय	110.00 (1x110) (एलएसएचएस)	395.00	मेगा पावर प्रा.लि. (कॉफिडेंस शिपिंग कं.लि.) महाराष्ट्र

1	2	3	4	5	6
47.	भिवपुरी पीएसएस/महाराष्ट्र	भारतीय	98.00 (1x90) (जल विद्युत)	89.87	टाटा इलैक्ट्रिक कंपनी
48.	खापरखेड़ा टीपीएस यूनिट 3 एवं 4/ महाराष्ट्र		500.00 (2x250) (कोयला)	1750.00	प्रस्ताव मूल्यांकनाधीन है।
49.	नागोथाणे जीबीपीपी/महाराष्ट्र		410.00	1435.00	प्रस्ताव मूल्यांकनाधीन हैं।
50.	उमरेद टीपीएस/महाराष्ट्र	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	1000.00 (कोयला)	3000.00	इस्पात एलौयस् लि./मित्सुई (जापान)
	जोड़ : महाराष्ट्र		2610.00	8301.87	
51.	तल्चेर टीपीएस/उड़ीसा	विदेशी	500.00 (2x250) (कोयला)	1500.00	स्पैक्ट्रम टैक्नोलोजीज यूएसए
52.	कमलांगा (धानकनाल टीपीएस)/ उड़ीसा	विदेशी	500.00 (2x250) (कोयला)	1500.00	इंटरनैशनल इक्विटी पार्टनर्स, एल.वी., यू.एस.ए

1	2	3	4	5	6
53.	इब घाटी टीपीएस/उड़ीसा	विदेशी	3000.00 (कोयला)	10500.00	आइजनबर्ग ग्रुप ऑफ कम्पनीज इजरायल
54.	दुबूरी टीपीएस/उड़ीसा	विदेशी/भारतीय	500.00 (2x250) (कोयला)	1548.00	कलिंगा पावर कारपोरेशन/नार्थ ईस्ट एनर्जी सर्विसेज इन्क. यूएसए/उड़ीसा सरकार
55.	लापंगा टीपीएस/उड़ीसा	विदेशी	500.00 (2x250) (कोयला)	1750.00	पायोनियर एनर्जी इन्क., यूएसए/ड्यूक इंजीनियर्स सर्विसेज
56.	नराज टीपीएस/उड़ीसा	भारतीय	1000.00 (4x250) (कोयला)	3500.00	इस्पात एलौयज लि., कलकत्ता
	जोड़ : उड़ीसा		6000.00	20298.00	
57	बरसिंगसर टीपीएस/राजस्थान	विदेशी	240.00 (2x120) (लिग्नाइट)	585.73	कोलमैन एंड एसोसिएट्स (आस्ट्रेलियन कन्सोर्टियम)

1	2	3	4	5	6
58.	चित्तोड़गढ़ टीपीएस/राजस्थान	भारतीय	500.00 (1x500) (कोयला)	1036.20	सेंचुरी टैक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लि.
	जोड़ : राजस्थान		740.00	1621.93	
59.	कुड्डालोर टीपीएस/तमिलनाडु	विदेशी	1000.00 (2x2500) (कोयला)	2000.00	इंटरनैशनल काट्रैक्टिंग एंड मार्केटिंग कारपोरेशन, यू.एस.ए.
60.	पिल्लईपेरुमतनल्लूर सीसीजीटी/तमिलनाडु	विदेशी	300.00 (2x100+1x100) (गैस)	429.49	पी विजयकुमार रेड्डी माकोवस्की एसोसिएट्स, यूएसए
61.	श्रीसेलम लिग्नाइट टीपीएस/तमिलनाडु	भारतीय	250.00 (1x250) (लिग्नाइट)	800.00	टिकापको (जीएम स्वामी एसोसिएट्स)
62.	जायमकोंडम लिग्नाइट टीपीएस/तमिलनाडु	भारतीय/ विदेशी	1500.00 (3x500) (लिग्नाइट)	4500.00	जायमकोंडम लिग्नाइट पॉवर कारपोरेशन लि. (टिडको)/मैकनैली भारत लि. एंड सिमन्स, जर्मनी
	जोड़ : तमिलनाडु		3050.00	7729.49	

1	2	3	4	5	6
63.	विष्णुप्रयाग एचईपी/उत्तर प्रदेश	भारतीय	360.00 (3x120) (जल विद्युत)	612.88	जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लि.
64.	रोजा टीपीएस/उत्तर प्रदेश	विदेशी/भारतीय	750.00 (3x120) (कोयला)	2625.00	इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स/पावर जैनरेशन यू.के.
	जोड़ : उत्तर प्रदेश		1110.00	3237.99	
65.	सागरदीघी टीपीएस/	विदेशी/ भारतीय	1000.00 (2x500) (कोयला)	2000.00	डवलपमेंट कंसलटेंट प्रा.लि. आर.एस. यूएसए जैनरेशन एंड पश्चिम बंगाल डब्ल्यू.पी.एस.ई.बी. संयुक्त उद्यम
66.	दानकुनी जीबीपीपी/ पश्चिम बंगाल	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	20.00 (गैस)	40.00	स्पैक्ट्रम टैक्नोलोजीज यू.एस.ए.
67.	गौरीपोर टीपीएस/ पश्चिम बंगाल	भारतीय	135.00 (कोयला)	500.00	बिरला टैक्नीकल सर्विसेज

1	2	3	4	5	6
68.	बालागढ़ टीपीएस/ पश्चिम बंगाल	भारतीय	500.00 (2x250) (कोयला)	1671.48	सीईएससी लि. कलकत्ता
	जोड़ : पश्चिम बंगाल		1655.00	4211.48	
	जोड़ : उत्तरी क्षेत्र		6033.50	17242.08	
	जोड़ : पश्चिमी क्षेत्र		5266.70	15897.81	
	जोड़ : दक्षिणी क्षेत्र		6972.50	19695.15	
	जोड़ : पूर्वी क्षेत्र		8155.00	26146.48	
	जोड़ : उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र		1145.50	3679.25	
	अखिल भारत जोड़ :		27573.20	82660.77	

[हिन्दी]

पाकिस्तान के साथ प्रत्यर्पण संधि

783. **श्री दिलीप भाई संघाणी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ किसी प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बिहार और उड़ीसा राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति

785. **श्री नीतीश कुमार** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और उड़ीसा के राज्य बिजली बोर्ड वित्तीय रूप से अक्षम बन गए हैं और इनके विद्युत संयंत्र पुराने पड़ गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बोर्डों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने तथा इनके विद्युत संयंत्रों को आधुनिक बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान बिहार और उड़ीसा राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय परिणाम निम्नलिखित हैं :

	1990-91	1991-92
	(करोड़ रुपये में)	
बिहार रा.बि.बो.	(-)178.89	(-)113.72
उड़ीसा रा.बि.बो.	(+)24.52	(+)24.74

उपरोक्त बिजली बोर्डों ने किसी भी विद्युत संयंत्र को अक्षम घोषित नहीं किया है, हालांकि उनके कुछ संयंत्र उपयुक्त तकनीकी क्रियाशील अवधि पूर्ण कर चुके हैं और जिनका नवीकरण एवं आधुनिकीकरण अपेक्षित है। इनमें बिहार राज्य बिजली बोर्ड की पतरातू की 3 यूनिटें, उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड की तेलेचर की 3 यूनिटें और हीराकुंड-1 की 4 यूनिटें शामिल हैं।

(ख) राज्य बिजली बोर्डों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने हेतु, जनवरी, 1993 में हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में एक कार्ययोजना को अपनाया गया था जिसमें टैरिफ की आवधिक रूप से समीक्षा करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में धीरे-धीरे कमी करना, संयंत्र भार अनुपात में सुधार करना आदि

शामिल हैं। बिहार और उड़ीसा राज्य बिजली बोर्डों ने क्रमशः 1.7.93 और 7.9.93 से अपनी टैरिफों में संशोधन किया है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा सरकार ने राज्य बिजली बोर्ड को दिए ऋण के एक भाग को इक्यूटि में बदल दिया है जबकि बिहार सरकार ने आर ई अनुदान के पुनः भुगतान के बदले में ऋणों पर ब्याज को माफ कर दिया है।

केन्द्रीय सरकार ने दोनों बिजली बोर्डों के पुरानी उत्पादन यूनिटों के संबंध में नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीमों को अनुमोदित कर दिया है जोकि क्रियान्वनाधीन है।

सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के लिए नई योजना

786. **श्री शरत् पटनायक** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा देने हेतु कोई नई योजना शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). जी हां। प्रस्तावित स्कीम में पीड़ित व्यक्ति की आयु/आय के आधार पर एक परि-निर्धारित फार्मूले के अनुसार मोटर वाहनों से हुई सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को प्रतिपूर्ति देने का प्रावधान है। इस प्रयोजन हेतु मोटर यान अधिनियम में संशोधन अपेक्षित है।

(ग) मोटर यान अधिनियम में संशोधन के लिए नई स्कीम के प्रावधानों सहित विभिन्न प्रस्तावों वाला विधेयक संसद के चालू सत्र में पेश किए जाने का प्रस्ताव है।

मार्ग के किनारों पर जन-सुविधाओं का विकास

787. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर मार्ग के किनारे जन-सुविधाएं प्रदान करने के लिए किन्हीं स्थलों का चयन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). जी हां। गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर मार्गस्थ सुविधाओं के लिए दो स्थानों का पता लगाया है। ये हैं:-रा.रा. 8 पर वापी और डबहोर।

कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना

788. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री थाइल जान अंजलोज़ :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विदेशी प्राइवेट फर्म ने नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में कायमकुलम ताप संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना के लिए आर्थिक सहयोग संगठन और जापान अथवा किसी अन्य विदेशी वित्तीय संस्था से वित्त पोषण करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). मै. आई. सी.एम.सी. पावर कन्सोर्टियम इन्क., यू.एस.ए. ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के साथ, एनटीपीसा को केरल स्थित कायमकुलम परियोजना स्थल पर, परियोजना के क्रियान्वयन के बारे में बातचीत की थी। कन्सोर्टियम ने एनटीपीसी के परियोजना स्थल पर परियोजना को क्रियान्वयन करने के बारे में अपनी पक्की वचनबद्धता की पुष्टि की है। एनटीपीसी और कन्सोर्टियम के बीच यह सहमति हो गयी है कि एनटीपीसी एक वर्ष की अवधि के लिये अपने द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन को व्यपवर्तन प्रदान करेगा। इस अवधि के दौरान कंसोर्टियम एनटीपीसी के साथ हुई बातचीत के साथ विशिष्ट कार्यों को हाथ में लेने हेतु सहमत हो गया है। केरल सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह केरल राज्य बिजली बोर्ड और परियोजना के प्रवर्तकों के बीच विद्युत खरीद संबंधी समझौता (पीपीए) पर हस्ताक्षर हेतु विचार करे।

(ग) और (घ). परियोजना को वित्तीय सहायता हेतु पहले ओवरसीज इकोनोमिक कोआपरेशन फण्ड (ओ ई सी एफ) को प्रस्तुत किया गया है। उनकी स्वीकृति प्रतीक्षित है।

बड़ोदरा (गुजरात) में फ्लोरस्पार/फ्लूराइट का सुरक्षित अधिकार समाप्त करना

789. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**

श्री हरिन पाठक :

श्री हरि सिंह चावड़ा :

श्री एम.एन. बैकारिया :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के बड़ोदरा जिले में फ्लोरस्पार/फ्लूराइट वाले क्षेत्र का सुरक्षित अधिकार समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब से लंबित है; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं और इसका कार्यान्वयन कब तक करा दिया जाएगा?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) व (ग). केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में चावल की मिलें

790. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**

डा. परशुराम गंगवार :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में चावल की मिलों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मिलों पर कुल कितनी धनराशि व्यय किए जाने का विचार है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पश्चिमी घाट पर पत्तन का निर्माण

791. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी घाट पर मुम्बई के लिए एक वैकल्पिक पत्तन की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई भी विद्यमान छोटा पत्तन उपयुक्त है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

संगीत पर आधारित कार्यक्रम

792. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "म्यूजिक टेलीविजन" पर भारतीय संगीत पर आधारित कार्यक्रमों संबंधी योजनाएं बनाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इनसे कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी;

(ग) क्या भारतीय संगीत उद्योग का विचार विश्व भर में अपनी गतिविधियों में अत्यधिक विस्तार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग). प्रश्न नहीं उठतें।

[हिन्दी]

उड़ीसा में आई.एम.टी./एस.टी.डी./सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

793. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा में, विशेष रूप से जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में आई.एस.डी./एस.टी.डी./सार्वजनिक टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) चालू वर्ष के दौरान 470 शहरी एस.टी.डी., पी.सी.ओ. तथा 130 ग्रामीण/जनजातीय एस.टी.डी., पी.सी.ओ. खोले जाने का प्रस्ताव है।

(ग) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों में केन्द्र की भागीदारी

794. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों में एक तिहाई अंशदान करने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में इस्पात की मांग

795. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस्पात की मांग और खपत की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस्पात की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) मांग का अनुमान अखिल भारतीय आधार पर लगाया जाता है न कि पृथक-पृथक राज्यों के आधार पर। इसी प्रकार इस्पात की खपत के आंकड़ें भी अखिल भारतीय आधार पर रखे जाते हैं न कि पृथक-पृथक राज्यों के आधार पर।

(ख) पतले गेज के कुछ चपटे उत्पादनों को छोड़कर देश में इस समय इस्पात की कोई कमी नहीं है। देश में इस्पात की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमताओं के सृजन के लिए सुविधा प्रदान कर रही है। सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण/विस्तार कार्य भी शुरू किए गए हैं। इस्पात की सभी मदों का स्वतंत्र रूप से आयात करने की अनुमति है। तप्त बेल्लित क्वायलों, शीत बेल्लित क्वायलों, जस्तीकृत सादी/नालीदार चादरों जैसी अनेक मदों के आयात शुल्क में कमी की गई है जिससे आयात सस्ता पड़ रहा है।

[हिन्दी]

ग्रामीण खाद्य प्रसंस्करण एकक

796. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार के और अवसर पैदा करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कुछ ग्रामीण खाद्य प्रसंस्करण केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र के विस्तार हेतु कोई कार्यक्रम चलाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख). अगस्त 1991 में उदारीकरण करने से लेकर जनवरी, 1994 तक 2471 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें 31,700 करोड़ रुपये के निवेश और 4.45 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने का प्रस्ताव है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समग्र विकास के लिए अनेक योजना स्कीमें बनाई हैं और उन्हें लागू कर रहा है। जिनसे अन्य बातों के साथ-साथ रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण और मत्स्यन क्षेत्र में 100% निर्यातोन्मुखी यूनिट स्थापित करने, संयुक्त उद्यम, विदेशी सहयोग आदि के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। इनमें 60,000 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया जाएगा।

(ग) से (ङ). खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही एक योजना स्कीम आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 250 खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने से संबंधित है। 1992-93 के दौरान बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ऐसे 38 केन्द्र स्थापित करने में सहायता दी गई है। 1993-94 के दौरान आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोआ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, नागालैंड, उत्तर प्रदेश और पं. बंगाल में ऐसे 29 केन्द्र स्थापित करने में सहायता दी गई है। 50 और प्रस्तावों पर कार्रवाई शुरू की गई है।

[अनुवाद]

कृतिक बल

797. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने कुल कितने कृतिक बलों का गठन किया है;

(ख) इन कृतिक बलों के विषयों और इनकी अवधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सभी प्रासंगिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) एक।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विभिन्न यूनिटों और अधीनस्थ कार्यालयों में उपयोग में लाये जा रहे विद्यमान फार्मों तथा प्रक्रियाओं एवं नियमों और कानूनों की जांच करना और उनमें संशोधन करने के लिए सिफारिश करना।

(ग) जी, हां।

फिल्मों पर सेंसरशिप समाप्त करने का प्रस्ताव

798. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फिल्मों पर सेंसरशिप समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे निर्णय के प्रतिकूल प्रभाव पर विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) हिंसा और सेक्स के प्रदर्शन को कम करने के लिए फिल्मों पर सेंसरशिप कड़ा करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु आयतित सभी फिल्मों की केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के माध्यम से सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में जांच की जानी अपेक्षित है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, प्रमाणन हेतु फिल्मों की जांच करते समय बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करेगा कि :

(1) हिंसा जैसे समाज-विरोधी क्रियाएं उत्कृष्ट अथवा न्यायोचित न ठहराई जाएं,

(2) मूलतः मनोरंजन प्रदान करने के लिए हिंसा, क्रूरता और आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य और ऐसे दृश्य न दिखाएं जाएं जिनसे लोग संवेदनहीन या अमानवीय हो सकते हों,

(3) अशिष्टता, अश्लीलता और दुराचारिता द्वारा मानवीय संवेदनाओं को ठेस न पहुंचाई जाए।

फिल्म का कोई भाग यदि किसी एक या अधिक मार्गदर्शी सिद्धान्त का उल्लंघन करता है तो उसे प्रमाणपत्र प्रदान करने से पहले हटा दिया जाता है। जब किसी फिल्म को अवयस्कों के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उसे "ख" प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। यदि फिल्म के किसी आपत्तिजनक प्रभाव को विलोपन के माध्यम से समाप्त न किए जा सकें तो उस फिल्म को प्रमणपत्र प्रदान नहीं किया जाता।

दूर संचार नीति

799. **डा. असीम बाला** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कोई दूरसंचार नीति है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं; और

(ग) दूरसंचार प्रणाली का सुचारु रूप से संचालन सुनिश्चित करने हेतु अपनाये गये सिद्धान्त का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति पर सरकार अभी विचार कर रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

ताप विद्युत केन्द्रों को स्वीकृति

800. **श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने महादे जल विद्युत परियोजना, रायचूर ताप विद्युत केन्द्र एकक-5, मैसूर ताप विद्युत केन्द्र और हासपेट ताप विद्युत केन्द्र को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दी है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इनको स्वीकृति देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता	स्थिति
1.	महादेव जल विद्युत	345 मे.वा.	अंतर्राज्यीय पहलुओं के समाधान के पश्चात परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करने हेतु लौटायी गई थी।
2.	रायचुर यूनिट-5	500 मे.वा.	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कर्नाटक कारपोरेशन लि. (के.पी.सी.एल.) से अनुरोध किया था कि वह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति ले और संशोधित लागत अनुमान प्रस्तुत करें।
3.	मैसूर ताप विद्युत केन्द्र	500 मे.वा.	परियोजना रिपोर्ट केपीसीएल को लौटायी जा चुकी है क्योंकि स्कीम के लिए परियोजना प्राधिकरणों द्वारा आधारभूत निवेश/स्वीकृतियां सुनिश्चित की जानी हैं।
4.	हास्पेट ताप विद्युत केन्द्र	500 मे.वा.	-वही-

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में उपग्रह केन्द्र

801. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कितने उपग्रह केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) उन पर जिलावार कितना धन खर्च किया जाएगा; और

(ग) क्या इस कार्य के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया और इस संबंध में गत 6 महीनों के दौरान किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 19 स्टेशनों पर उपग्रह केन्द्रों की व्यवस्था करने के लिए योजनाएं मंजूर की गई हैं।

(ख) कार्य पर खर्च की जाने वाली जिलावार अनुमानित लागत निम्नलिखित है :

क्र.सं.	जिले का नाम	राशि लाखों में
1.	शिमला	1643.66
2.	चम्बा	163.64
3.	मंडी	866.71
4.	लाहुल एवं स्पीति	163.64
5.	किन्नौर	409.10
6.	कुल्लू	81.82

(ग) जी हां। जोगिन्दरनगर में परीक्षण आधार पर, उपग्रह भू-केन्द्र प्रदान किया गया है और 15 स्टेशनों के संबंध में अधिकांश उपस्करों के आर्डर दिए जा चुके हैं। पांच स्थानों पर उपग्रह केन्द्र चालू करने के लिए आधारिक संरचना उपलब्ध करा दी गई है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा किए गए कल्याण कार्य और अर्जित लाभ

802. **श्री वीर सिंह महतो** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान अर्जित लाभ के अनुपात में अपने श्रमिकों के लिए कल्याणकारी कार्यों पर खर्च किए गए धन का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सहायक कम्पनियों को छोड़कर) द्वारा सामाजिक सुविधाएं जिनमें कार्यपालकों सहित अपने कामगारों/कर्मचारियों के लिए कल्याण सुविधाएं भी शमिल हैं, उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान अर्जित लाभ की तुलना में खर्च की गयी राशि का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपए)

	1991-92	1992-93
सामाजिक सुविधाओं/कल्याण सुविधाओं पर व्यय	240	271
कर-पूर्व निवल लाभ	367	423

लाभ की तुलना में सामाजिक सुविधाओं पर व्यय का प्रतिशत	65	64

1993-94 आंकड़ें वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद उपलब्ध होंगे।

[अनुवाद]

कच्छ जिले के बाक्साइट वाले क्षेत्र को आरक्षित रखना

803. **श्री हरिन पाठक :**

श्री शंकर सिंह बाघेला :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ जिले का बाक्साइट वाला पूरा क्षेत्र सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आरक्षित रखा गया है;

(ख) क्या बाक्साइट आधारित उद्योगों के विकास हेतु इन क्षेत्रों को अनारक्षित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). गुजरात सरकार ने निम्नलिखित गांवों को छोड़कर सभी बाक्साइट क्षेत्रों का आरक्षण समाप्त करना प्रस्तावित किया है :

1. बन्ध
2. नाना एवं मोतानागरेचा
3. तुमाडी
4. नाना असामबिआ
5. रतदिया
6. मुन्द्रा
7. नरेदी
8. नाधन्रा
9. कोटाडा
10. ननीबालाचर

11. खनई

12. ननी एवं मोती वनोती

13. रसालिया

काबुल में भारतीय राजदूतावास

804. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

डा. डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काबुल में अशांति होने के कारण उस देश में स्थित भारतीय दूतावास को बंद कर दिया गया था;

(ख) क्या दूतावास के सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को वहां से निकालकर भारत लाया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भरतीय दूतावास परिसर तथा कर्मचारियों को कोई हानि हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). काबुल स्थित अपने मिशन को वहां की लड़ाई और अस्थिर परिस्थिति को देखते हुए अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। इस मिशन में भारत आस्थानी जो 13 कार्मिक थे उन्हें 8 जनवरी को काबुल से निकाल लिया गया है।

(घ) से (ङ). राजदूतावास आवास को तथा मिशन कार्मिकों के घरों को मौजूदा लड़ाई से कुछ क्षति पहुंची है। मिशन के किसी सदस्य को किसी तरह की चोट नहीं आई है।

[हिन्दी]

राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शन

806. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राजस्थान में संचार प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने और किस प्रकार के टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना की जायेगी और आवंटित किए जाने वाले टेलीफोन कनेक्शनों की जिलावार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) अजमेर में दोषपूर्ण टेलीफोन प्रणाली को कारगर बनाने के लिए उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार अजमेर में "सुपर इलैक्ट्रानिक" प्रणाली की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) दूरसंचार विभाग ने राजस्थान में संचार प्रणाली में सुधार करने के लिए नए इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज खोलने, तहसील/उप मंडल मुख्यालयों में एस.टी.डी. और ग्रुप डायलिंग सुविधा की व्यवस्था करने, पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों के नई प्रौद्योगिकी के एक्सचेंजों में बदलने, पुराने टेलीफोन उपकरणों को पुश बटन टेलीफोन द्वारा बदलने, अक्सर खराब होने वाले भूमिगत केबिल बदलने और ओवरहेतु लाइनों को भूमिगत के बिलों में बदलने और कम्प्युटरीकृत (एफ आर) दोष मरम्मत केन्द्र और ग्राहक सेवा केन्द्र खोलने की योजना बनाई है।

(ख) संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।

(ग) और (घ). माह फरवरी, 1994 में अजमेर में 1.4 हजार लाइनों वाले सी-डॉट की संस्थापना की जाती है और वर्ष 1994-95 के दौरान अजमेर में 1 हजार लाइनों वाले डिजिटल-ट्रंक ऑटोमैटिक एक्सचेंज और 4 हजार लाइनों वाले आर एल यू (ई.10 बी इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज) खोलने की योजना है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

(ख) चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है। ब्यौरा इस प्रकार से है :

विवरण

किस्म	संख्या
नई प्रौद्योगिकी (सीमेंस) वाले एक्सचेंज	01
ई-10 बी	02
सी-डॉट मैक्स-1	04
सी-डॉट 1400 लाइनों वाले एस बी एम	06
1000 लाइनों वाले	36
सी-डॉट 256 पोर्ट	30
सी-डॉट 128 पोर्ट	100
एम आई एल टी 64	118

चालू वर्ष के दौरान आबंटित किए जाने वाले प्रस्तावित नए टेलीफोन कनेक्शनों की जिलेवार संख्या इस प्रकार से है :

क्रं.सं.	जिले का नाम	प्रस्तावित टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या
1.	अजमेर	3000
2.	अलवर	2400
3.	भरतपुर	2300
4.	बराना	500
5.	बूंदी	800
6.	बांसवाडा	1300
7.	भीलवाडा	1300
8.	बारमेर	2300
9.	बीकानेर	2500
10.	चुरू	1700
11.	चित्तौड़गढ़	2000
12.	धौलपुर	700
13.	डाजे	1500
14.	डूंगरपुर	600
15.	भालवाड़	700
16.	झुंझनू	3500
17.	जयपुर	10000
18.	जालौर	150
19.	जैसलमेर	300
20.	जोधपुर	1600
21.	कोटा	4000
22.	नामौर	3500

1	2	3
23.	पाली	4000
24.	राजसमंद	1200
25.	सवाईमाधोपुर	800
26.	सीकर	4900
27.	सिरोही	700
28.	श्रीगंगा नगर	6000
29.	टोंक	1300
30.	उदयपुर	1100

[अनुवाद]

केरल में भूमि-मूल्य का पुनर्निर्धारण

807. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन्** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कोडुंगल्लूर में के.एम. 407/900 से के.एम. 412/245 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण की स्वीकृति हेतु किसी अभ्यावेदन की पुनरीक्षा करके इसे कोडुंगल्लूर तहसील की भूमि के मूल्य का पुनर्निर्धारण करने हेतु केरल सरकार को वापस भेज दिया था;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों की भूमि के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्य निर्धारित किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त प्रस्ताव को केरल सरकार को वापस भेजने के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) जमीन की खरीद के भाव केन्द्र सरकार द्वारा नहीं बल्कि राज्य के राजस्व प्राधिकारियों द्वारा तय किये जाते हैं।

(ग) तथा (घ). प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य प्रसंस्करण तथा मत्स्य उद्योग में विदेशी पूंजी निवेश

808. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य प्रसंस्करण तथा मत्स्य उद्योग में गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र तथा विदेशी कंपनियों द्वारा कितनी पूंजी के निवेश का वचन दिया गया और वास्तव में कितनी पूंजी का निवेश किया गया;

(ख) इन क्षेत्रों में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार और विशेष रूप से महाराष्ट्र में, कितनी पूंजी का निवेश किया जाएगा;

(ग) महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) महाराष्ट्र में क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत की गई बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पूंजी निवेश योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समुद्री मात्स्यिकी बोर्ड से संबंधित प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) अगस्त, 1991 में उदारीकरण के बाद जनवरी 1994 तक 2471 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गये हैं जिनमें 31700 करोड़ रुपये का निवेश निहित है। इनमें से 140 यूनिटों ने वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया है जिनमें 3000 करोड़ रु. से अधिक का पूंजी निवेश निहित है। इसके अलावा सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण और गहन समुद्री मत्स्यन क्षेत्रों में बहुत से प्रस्तावों/परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिनमें संयुक्त उद्यमों, निर्यातोन्मुखी यूनिटों, अनिवासी भारतीयों/विदेशी कार्पोरेट निकायों के निवेश वाले यूनिटों, औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले यूनिटों के प्रस्ताव और वे प्रस्ताव शामिल हैं जिनके लिए योजना सहायता मांगी जाती है। उपर्युक्त में 6000 करोड़ रुपये से अधिक का किराया पूंजी निवेश और 2000 करोड़ रुपये से अधिक का विदेशी इक्विटी पूंजी निवेश निहित है।

(ख) चूंकि पूंजी निवेश को प्रस्ताव मुख्यतः निजी क्षेत्र से है अतः प्रस्तावित पूंजी निवेश का राज्यवार ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है।

(ग) और (घ). ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ङ) इस संबंध में कार्रवाई आरंभ की जा चुकी है।

विवरण

महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का ब्यौरा

परियोजना का नाम	कम्पनी का नाम	पूंजी निवेश
पेय तार और पेय वेसों का निर्माण	मै. कोका कोला साउथ एशिया होल्डिंग इंक (मै. ब्रिटको फूड्स कंपनी लि. के नाम में अंतरित)	60 करोड़ रुपये
खनिज जल का निर्माण	मै. फूड कन्सेप्ट इंडिया लि.	75 लाख रुपये

1	2	3
चाकलेट निर्माण	मै. कैडवरी इंडिया लि.	94.02 करोड़ रुपये
महाग्रेप्स	महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पुणे	12.00 करोड़ रुपये
ब्रायलर प्रसंस्करण संयंत्र	टाक्टम सांची इंडिया लि.	70.30 करोड़ रुपये
अनाज आधारित उत्पादों का निर्माण	मै. केलोग इंडिया लि.	180 करोड़ रुपये
गेहूं, आटा मिलिंग संयंत्र	मै. डी सी डब्ल्यू प्रोडक्ट्स, बम्बई	18.77 करोड़ रुपये
केक, कप केक, रस्क आदि	मै. इनकेक फूड सर्विस प्रा.लि.	18.55 करोड़ रुपये
अल्कोहाल पेयों का निर्माण	यू.बी.ग्रुप एंड यूनाइटेड डिस्टिलरीज, ब्रिटेन	12.00 करोड़ रुपये
अक्वाकल्चर परियोजना	सी.पी. अक्वाकल्चर ग्रुप, थाईलैंड	24 मिलियन डालर

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में बाई पासों का निर्माण

809. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने 1993-94 के दौरान बाई पासों के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार उक्त बाई पासों के निर्माण के लिए कब तक धन आवंटित करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं। आठवीं योजना में, अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न प्रस्तावों में बाई पासों के निर्माण की आवश्यकता शामिल नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

810. **श्री भीम सिंह पटेल :**

श्री सत्यनारायण जटिया :

श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में जिला-वार और श्रेणीवार कितने आवेदन लंबित हैं;

(ख) अब तक जिला-वार और श्रेणीवार कितने आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;

(ग) 1993-94 के अंत तक कितने आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दिए जाएंगे; और

(घ) शेष आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे लोक सभा के सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

पूर्वी क्षेत्र में हिन्दुस्तान कापर लि. का विकास

811. **श्री शिबू सोरेन** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने बिहार के सिंह-भूम जिले में स्थित हिन्दुस्तान कापर लि. की एक इकाई, इंडियन कापर काम्पलेक्स के विस्तार और विकास हेतु कदम उठाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सर्वाधिक पिछड़े और आदिवासी बहुल पूर्वी क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित करने हेतु उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). माननीय सांसदों से कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की दयनीय वित्तीय संकट पर चिंता व्यक्त की गयी है तथा अन्य बातों के अलावा, कंपनी को वित्तीय सहायता, तांबे पर आयात शुल्क की वृद्धि आदि सुझाया गया है ताकि कंपनी की स्थिति में सुधार हो।

(ग) भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार, कोई भी उद्यमी पूर्वी क्षेत्र सहित देश के किसी भी पिछड़े हुए तथा आदिवासी प्रमुख क्षेत्रों में उद्योग स्थापित कर सकते हैं।

[अनुवाद]

फिल्मों, वृत्तचित्रों और दूरदर्शन धारावाहिकों का निर्यात

812. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992 और 1993 में कुछ भारतीय फिल्मों, वृत्तचित्रों और दूरदर्शन धारावाहिकों का निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इनका देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अधिक विदेश मुद्रा आय के लिए आने जाने वाले वर्षों में भारतीय फिल्मों, वृत्तचित्रों और दूरदर्शन धारावाहिकों की मांग में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). जी, हां इस संबंध में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ). जी, हां। अगस्त, 1991 में उठाया गया पहला कदम फीचर फिल्मों के निर्यात का विसरणीकरण था। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की आगे की रणनीति की प्रमुख विशेषताएं --

1. टी.वी. तथा फिल्म बाजारों में वर्धित भागीदारी;

2. भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने और बिक्री के लिए और अधिक फिल्म समारोहों में भागीदारी;

3. विदेशी सरकारों के लिए उन राज्य एजेंसियों के साथ सम्पर्क स्थापित करना जो फिल्मों के आयात पर नियंत्रण रखती हैं।

4. वितरकों तथा विदेशी फिल्म समारोहों के सहयोग से संवर्धनात्मक-एवं वाणिज्यिक फिल्म प्रदर्शनियों कां आयोजन करना।

विवरण

1991-92

I. **फीचर फिल्में**

देश	मूल्य रुपयों में
अमेरी समोआ	66400
आस्ट्रेलिया	2581687

देश	मूल्य रुपयों में
आस्ट्रिया	4626022
बहरीन द्वीप समूह	155743
बेल्जियम	102360
कनाडा	601994
चाइनीज ताइपेई	483712
कोलम्बिया	43357
मिस्त्र अरब गणराज्य	952580
फ्रांस	3021343
जर्मन संघीय गणराज्य	2381583
गुयाना	316971
हांगकांग	5177146
इण्डानेशिया	7776636
ईरान	1201680
इटली	446596
आइवरीकोस्ट	52016
जापान	1036530
जार्डन	77500
केन्या	3481577
कोरिया गणतन्त्र	688528
लेबनान	139000
मलेशिया	12819603
मालदीव	144387
मारीशस	204442
म्यांमार	330852

देश	मूल्य रुपयों में
मोरक्को	2694007
नामीबिया	281920
नीदरलैण्ड	523000
न्यूजीलैण्ड	34326
नाइजीरिया	1629522
पुर्तगाल	266580
कतर	63250
रोमानिया	130000
सऊदी अरब	817506
सिंगापुर	4912212
स्पेन	114143
श्रीलंका	7171519
तंजानिया गणतंत्र	140751
थाईलैण्ड	11387
त्रिनिडाड	106888
ट्यूनीशिया	92500
संयुक्त अरब अमीरात	48978622
ग्रेट ब्रिटेन	18099929
संयुक्त राज्य अमेरिका	8098690
सोवियत संघ	9468843
यमन गणतंत्र	411370
2. अन्य	
आस्ट्रिया	5061465
कनाडा	99366

देश	मूल्य रुपयों में
केन्या	2000
कोरिया गणतंत्र	109493
मलेशिया	280542
रवाण्डा	34757
सऊदी अरब	272728
सिंगापुर	539877
संयुक्त अरब अमीरात	1358003
ग्रेट ब्रिटेन	410450
संयुक्त राज्य अमेरिका	734074
सोवियत संघ	65000
जिम्बाब्वे	776868
3. अन्य चलचित्रदर्शी फिल्में/वृत्तचित्र फिल्में	
चेकोस्लोवाक	40000
नीदरलैण्ड	40000
ग्रेट ब्रिटेन	3910348
समाचार रीलें	
हांगकांग	6167
शैक्षिक फिल्में	
मलेशिया	2698
अन्य	
अफगानिस्तान	1293301
आस्ट्रेलिया	116397
कनाडा	47350
हांगकांग	851525

देश	मूल्य रुपयों में
मारीशस	102817
सिंगापुर	25808
श्रीलंका	92600
तुर्की	120000
संयुक्त अरब अमीरात	128071
ग्रेट ब्रिटेन	3100

स्त्रोत : डीजीसीआई एण्ड एस, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित 1991-92 हेतु भारतीय विदेश व्यापार वार्षिक संख्या के मासिक आंकड़े।

1992 - 93

1. **फीचर फिल्में**

देश	मूल्य रुपयों में
अल्बानिया	112510
आस्ट्रेलिया	2093570
आस्ट्रिया	90640
बंगलादेश	786986
कनाडा	5088125
चिली	79808
चाइनीज ताइपेई	1566087
चीन पीपुल्स रिपब्लिक	625284
सी.आई.एस.	1469836
मिस्त्र अरब गणराज्य	3178136
फ्रांस	3790287
जर्मन संघीय गणतंत्र	2104107

देश	मूल्य रुपयों में
ग्रीस	40000
गुयाना	137999
हांगकांग	3198762
इण्डोनेशिया	10251626
ईरान	425806
इटली	4688115
केन्या	974636
कोरिया गणतंत्र	336273
लेबनान	227270
मलेशिया	16718158
मालदीव	454077
मारीशस	447388
म्यांमार	210904
मैक्सिको	175515
मोरक्को	2268860
नीदरलैण्ड	208355
नार्वे	229051
पाकिस्तान	667778
पेरू	76270
पोलैण्ड	40000
रोमानिया	220602
सऊदी अरब	565395
सिंगापुर	26150225
दक्षिण अफ्रीका	72769

देश	मूल्य रुपयों में
श्रीलंका	3404865
स्विटजरलैण्ड	467605
सीरिया	1883957
तंजानिया गणतंत्र	166175
थाईलैंड	544628
त्रिनिडाड	25000
तुर्की	56356
संयुक्त अरब अमीरात	47706112
ग्रेट ब्रिटेन	27018094
संयुक्त राज्य अमेरिका	16163110
यमन गणतंत्र	90619
2. अन्य	
आस्ट्रेलिया	61127
कनाडा	90013
फ्रांस	280000
जर्मन संघीय गणतंत्र	744196
हांगकांग	395200
हंगरी	40000
इटली	781100
मलेशिया	415970
मारीशस	198158
मोरक्को	1151
कतर	59617
सऊदी अरब	146042

देश	मूल्य रुपयों में
सिंगापुर	56346
श्रीलंका	498634
संयुक्त अरब अमीरात	1565400
ग्रेट ब्रिटेन	289007
संयुक्त राज्य अमेरिका	4688649
3. **अन्य चलचित्रदर्शी फिल्में/वृत्तचित्र फिल्में**	
सिंगापुर	70000
श्रीलंका	40000
विज्ञापन फिल्में	
मलेशिया	11250
सिंगापुर	4039914
श्रीलंका	97034
संयुक्त अरब अमीरात	13575
ग्रेट ब्रिटेन	56298
संयुक्त राज्य अमेरिका	94116
अन्य	
आस्ट्रेलिया	720927
बहरीन द्वीप समूह	426506
कनाडा	27316
चाइनीज ताइपेई	48789
हांगकांग	2828064
केन्या	28173
कतर	157261
सिंगापुर	237766

देश	मूल्य रुपयों में
थाईलैण्ड	77419
संयुक्त अरब अमीरात	516799
ग्रेट ब्रिटेन	377172
संयुक्त राज्य अमेरिका	1456223

स्त्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित 1992-93 हेतु भारतीय विदेश व्यापार वार्षिक संख्या के मासिक आंकड़े।

अमेरिका में भारतीय साफ्टवेयर व्यवसायिकों को वीजा देने पर रोक

813. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **विदेश मंत्री** 10 मई, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8125 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय साफ्टवेयर एवं सेवा कंपनी संघ ने सरकार से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रतिबन्धों में छूट देने के लिए चर्चा की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके परिणामों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित प्रतिबंधों के संबंध में सरकार ने अमरीकी प्राधिकारियों के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त की है क्योंकि इससे भारतीय साफ्टवेयर क्षेत्र के कार्मिकों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा।

(ग) इस मामले में बातचीत चल रही है।

[हिन्दी]

खन्ना समिति की रिपोर्ट

814. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी में विगत मानसून के दौरान टेलीफोनों के बड़े पैमाने पर खराब हो जाने के मामले की जांच करने हेतु गठित खन्ना समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) केबिल ब्रेक-डाऊन के कारणों का अध्ययन करने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एमटीएनएल द्वारा गठिन की गई समिति (यद्यपि इसे खन्ना समिति नहीं कहा गया) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) समिति ने केबिल ब्रेक-डाऊन के कारणों का गहन अध्ययन किया और भविष्य में बड़े पैमाने पर ब्रेक-डाऊन होने से रोकने के लिए सुझाव दिए हैं। समिति ने केबिलें जोड़ने केबिल डक्ट का निर्माण और केबिल डक्ट के रख-रखाव विधि व्यवस्था और तकनीकी में सुधार के उपायों के लिए कई सिफारिशें की हैं।

(ग) समिति की सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही हैं।

[अनुवाद]

समाचार पत्रों का पंजीकरण

815. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार एवं भाषा-वार 31 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार कुल कितने "समाचार पत्र" प्रेस एवं पंजीकरण बोर्ड अधिनियम के तहत पंजीकृत किए गए;

(ख) 1 अप्रैल, 1993 की स्थिति के अनुसार पंजीकरण के लिए लंबित कुल कितने आवेदन पत्र हैं;

(ग) अप्रैल-दिसंबर, 1993 की अवधि में कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(घ) उक्त अवधि में कुल कितने आवेदनों का निपटारा किया गया;

(ङ) क्या 1 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार एवं भाषा-वार कुल कितने आवेदन लंबित है; और

(च) एक वर्ष से अधिक समय से लंबित कुल कितने आवेदन हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण 1 तथा 2 में दिए गए हैं।

(ख) 1.4.1993 की स्थिति के अनुसार समाचारपत्रों के पंजीकरण के लिए लंबित प्राप्तियों की संख्या 245 थी।

(ग) अप्रैल-दिसंबर, 1993 की अवधि के दौरान समाचारपत्रों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में 11002 प्राप्तियां प्राप्त की गई थीं।

(घ) इस अवधि के दौरान 11085 प्राप्तियों का निपटान कर दिया गया था।

(ङ) 1 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार 162 प्राप्तियां लंबित थी। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण 3 में दिया गया है। प्राप्तियों का भाषावार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(च) एक वर्ष से अधिक अवधि की कोई प्राप्ति लंबित नहीं है।

विवरण-1

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के पास पंजीकृत समाचार पत्रों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	समाचार पत्रों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	1631
2. अरुणाचल प्रदेश	3
3. असम	300
4. बिहार	1457
5. गोवा	80
6. गुजरात	1026
7. हरियाणा	766
8. हिमाचल प्रदेश	132
9. जम्मू और कश्मीर	269
10. कर्नाटक	1646
11. केरल	1505
12. मध्य प्रदेश	2343
13. महाराष्ट्र	4120
14. मणिपुर	143
15. मेघालय	65
16. मिजोरम	99
17. नागालैण्ड	11
18. उड़ीसा	716
19. पंजाब	1113
20. राजस्थान	2397

1	2	3
21.	सिक्किम	10
22.	तमिलनाडु	2116
23.	त्रिपुरा	93
24.	उत्तर प्रदेश	4974
25.	पश्चिम बंगाल	3243
26.	अंडमान और निकोबार	26
27.	चंडीगढ़	283
28.	दमन, दादरा तथा नगर हवेली	2
29.	दिल्ली	4868
30.	लक्षद्वीप	2
31.	पांडिचेरी	63
	योग	35502

विवरण-2

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के पास पंजीकृत समाचारपत्रों का भाषावार ब्यौरा

भाषा	समाचारपत्रों की संख्या
अंग्रेजी	6188
हिन्दी	12267
असमिया	156
बंगला	2085
गुजराती	1049
कन्नड़	1081
कश्मीरी	01

1	2
कोंकणी	04
मलयालम	1140
मणिपुरी	26
मराठी	1597
नेपाली	44
उड़िया	509
पंजाबी	698
संस्कृत	42
सिंधी	89
तमिल	1483
तेलगु	803
उर्दू	2193
द्विभाषी	2620
बहुभाषी	1110
अन्य	317
योग :	35502

विवरण-3

1 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार राज्यवार लंबित प्राप्तियों की संख्या

राज्य का नाम	संख्या
आंध्र प्रदेश	4
असम	2
बिहार	0

1	2
चंडीगढ़	0
दिल्ली	12
गोवा	2
गुजरात	10
हरियाणा	0
हिमाचल प्रदेश	0
जम्मू और कश्मीर	0
कर्नाटक	18
केरल	10
मध्य प्रदेश	36
महाराष्ट्र	10
उत्तर पूर्वी	2
उड़ीसा	0
पंजाब	6
राजस्थान	10
तमिलनाडु	0
उत्तर प्रदेश	30
पश्चिम बंगाल	10
योग	162

हिन्दुस्तान जिंक लि. का कार्य-निष्पादन

816. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान जिंक.लि. ने कितना उत्पादन किया और इसका विक्रय-निष्पादन कितना हुआ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान जिंक.लि. का विक्रय-निष्पादन संतोषजनक है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) 1993-94 और 1994-95 के दौरान इसके उत्पादन और विक्रय-निष्पादन में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का अपना मुख्य उत्पादन अर्थात जस्ता तथा सीसा का उत्पादन तथा बिक्री कार्य-निष्पादन निम्न प्रकार रहा :

(टनों में)

वर्ष	उत्पादन		बिक्री	
	जस्ता	सीसा	जस्ता	सीसा
1990-91	72,362	24,919	60,667	21,082
1991-92	84,668	30,395	78,778	28,672
1992-93	1,06,564	38,382	91,741	21,194

(ख) से (घ). अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सीसे और जस्ते की कीमतों में अत्यधिक गिरावट, इन धातुओं के आयात शुल्क में कमी और पूरे विश्व में इनकी मांग स्थिर हो जाने के कारण इन दोनों धातुओं की बिक्री के लिए बहुत कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। उपर्युक्त आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि ऐसी प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों के बावजूद, 1992-93 में सीसे की कुल बिक्री को छोड़कर, कंपनी प्रत्येक वर्ष अपनी बिक्री की मात्रा बढ़ा सकी है।

कर्नाटक में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

817. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के ब्यौरे क्या हैं और इनकी क्षमता कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभ प्राप्त करने के लिए, कर्नाटक राज्य में स्थापित किए जाने हेतु

निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं की आयोजना की गई है :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वरूप	कुल अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	लाभ 92-97 (मे.वा.)
1.	शिवपुर	(हाइड्रो)	18.0	18.0
2.	घाटप्रभा	(हाइड्रो)	32.0	16.0
3.	रायपुर टीपीपी यूनिट-4	(थर्मल)	210.0	210.0
4.	कालीनदी-2	(हाइड्रो)	270.0	270.0
5.	धारावती टी.आर.	(हाइड्रो)	240.0	240.0
6.	मल्लापुर	(हाइड्रो)	9.00	9.00
7.	डी.जी. सैट्स	(थर्मल)	78.0	78.0
8.	बृन्दावन	(हाइड्रो)	12.0	12.0
9.	भादा आरबीसी	(हाइड्रो)	6.00	6.00
10.	बंगलौर डीजी	(थर्मल)	128.0	128.0
11.	वाराडी-मनि डैम	(हाइड्रो)	9.0	9.0
	कुल जोड़ :		1012.0	996.0
केन्द्रीय क्षेत्र प्रोजैक्टस				
12.	कैगा	(न्यूक्लीन)	440.0	440.0

महाराष्ट्र में विद्युत क्षेत्र

818. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1993-94 के लिए महाराष्ट्र में विद्युत क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय राशि में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में महाराष्ट्र में विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए शुरू की गई ग्रोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) तथा (ख). वर्ष

1993-94 के लिए महाराष्ट्र में विद्युत क्षेत्र के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय 888.11 करोड़ रुपये है। 1993-94 के लिए परिव्यय में और बढ़ोत्तरी किए जाने का कोई प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

जर्मनी के साथ प्रत्यर्पण संधि

819. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**

श्री राम सिंह कस्वां :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जर्मनी के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इसके बारे में भारत और जर्मनी के बीच अधिकारी स्तर की बातचीत बोन में 21-23 फरवरी, 1994 को हुई थी और एक प्रत्यर्पण संधि के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब इसे दोनों सरकारों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा भूमि का अधिग्रहण

820. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के काकीनाडा के समीप गैस पर आधारित विद्युत गृह स्थापित करने हेतु भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए अधिग्रहीत की गई कृषि भूमि का क्षेत्रफल कितना है;

(ग) निर्माण कार्य कब से आरम्भ किया जायेगा;

(घ) 1993-94 के दौरान परियोजना के लिए स्वीकृत परिव्यय कितना है; और

(ङ) निर्माण कार्य में विलंब के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्यया नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) 654.09 एकड़ अधिग्रहीत निजी भूमि में से, 592.13 एकड़ कृषि भूमि है।

(ग) से (ङ). पर्यावरणीय एवं वन संबंधी दृष्टि से स्वीकृति के अभाव में और संसाधनों की कमी के कारण, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा इस परियोजना का क्रियान्वयन रोक लिया गया था। परियोजना को निजी क्षेत्र में एनटीपीसी को अल्पमात्रा इक्विटी भागीदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा क्रियान्वयन किये जाने के संबंध में निर्णय किया गया है और अतः वर्ष 1993-94 में एनटीपीसी द्वारा कोई विशेष परिव्यय का प्रावधान नहीं किया गया है। परियोजना के वित्तीय समापन के बाद ही इस परियोजना पर निर्माण कार्य आरंभ किया जा सकता है।

[हिन्दी]

म्यानमार के शिष्टमंडल का दौरा

821. **श्री राम प्रसाद सिंह :**

श्री एस.बी. सिदनाल :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

डा. डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1994 के दौरान म्यानमार के उप विदेश मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भारत के दौरे पर आया था;

(ख) यदि हां, तो इस दोरे के दौरान दोनों देशों के बीच किन-किन द्विपक्षीय विषयों पर चर्चा हुई;

(ग) क्या विद्रोहियों की सीमा-पार की गतिविधियों, नशीली औषधियों के अवैध व्यापार करने वालों तथा तस्करों को रोकने और सीमा व्यापार को बढ़ाने हेतु म्यानमार सरकार के साथ कोई समझौता किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इन प्रत्येक समझौतों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) इनके कार्यान्वयन हेतु सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां। म्यांमा संघ के उप विदेश मंत्री की अध्यक्षता में म्यांमा के सात-सदस्यीय शिष्टमंडल ने 19 से 24 जनवरी, 1994 तक भारत की यात्रा की।

(ख) इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई।

(ग) और (घ). इस यात्रा के दौरान दो करार सम्पन्न हुए जिनमें सीमा पार भूमि मार्ग के

जरिये द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और नियमित करने संबंधी सीमा व्यापार करार और सीमा के पार विद्रोहियों तथा नशीली दवाइयों के अवैध व्यापारियों के आने-जाने पर रोक लगाने के उद्देश्य से सिविलियन सीमा प्राधिकारियों के बीच सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन शामिल हैं।

(ङ) म्यांमा के गृह सचिव की 2 से 4 फरवरी, 1994 तक की यात्रा के दौरान उपर्युक्त में से कुछ मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई पर चर्चा की गई और बाकी मुद्दों पर दोनों सरकारों के बीच आगामी कार्यकलापों के दौरान विचार किया जाएगा।

सिंगापुर के प्रधानमंत्री की यात्रा

822. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

डा. डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री राम सिंह कस्वां :

श्री उदय सिंह राव गायकवाड :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर के प्रधानमंत्री हाल ही में भारत यात्रा पर आए थे;

(ख) यदि हां, तो भारतीय नेताओं के साथ उनकी बातचीत में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस यात्रा के दौरान किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक समझौते की मुख्य बातें क्या हैं;

(ङ) सिंगापुर भारत में परियोजनावार कितना पूंजीनिवेश करने पर सहमत हो गया है; और

(च) उस देश से और अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां। सिंगापुर के प्रधानमंत्री गोह चोक तोंग 23-30 जनवरी, 1994 तक भारत की यात्रा पर आए थे।

(ख) सिंगापुर के प्रधानमंत्री और भारतीय नेताओं के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। इसके फलस्वरूप, दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए।

(ग) और (घ). जी हां। दोनों देशों ने, दोहरे कराधान से परिहार; नौवहन से सम्बद्ध करारों और पर्यटन में सहयोग से सम्बद्ध एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के निजी क्षेत्रों

के बीच आर्थिक सहयोग की रूपरेखा से संबद्ध एक करार पर भी हस्ताक्षर किए गए।

(ङ) सिंगापुर के प्रधान मंत्री के साथ आए व्यापारी शिष्टमण्डल ने वित्तीय सेवाओं, स्थावर संपदा, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, दूर संचार, बंदरगाह और नौवहन, गोदाम इत्यादि जैसे क्षेत्रों में निवेश करने की इच्छा जाहिर की।

• (च) भारत में निवेश के अवसरों और आर्थिक उदारीकरण की चालू प्रक्रिया की सूचना नियमित रूप से व्यापारी समुदाय, प्रचार माध्यमों और सरकारी संगठनों के बीच विभिन्न स्त्रोतों से प्रचारित की जाती है।

[अनुवाद]

भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी लिमिटेड का आधुनिकीकरण

823. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी लिमिटेड का आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को किन-किन अभिकरणों को सौंपा गया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में हस्ताक्षर किए गए समझौते की शर्तें क्या हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) इस्को के बर्नपुर इस्पात कारखाने का शीघ्र आधुनिकीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने इसके साम्या और प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने का निर्णय लिया है। सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को इस्को में उसकी शेयरधारिता को निजी व्यक्ति को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से सरकार को शक्तियां देने के लिए एक विधेयक लाने का प्रस्ताव किया है। यह विधेयक इस सनय उद्योग से संबंधित विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के विचाराधीन है।

(ख) और (ग). सरकार द्वारा इस संबंध में किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। प्रस्तावित विधेयक के कानून बनने और अन्य प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के बाद "सेल" और अभिज्ञात निजी क्षेत्र का भागीदार समझौता ज्ञापन/करार करेंगे जिसमें शेयरों के हस्तांतरण की सभी शर्तें और दो पार्टियों को विभिन्न बाध्यताएं शामिल होंगी। मुख्य शर्तें निम्नलिखित से संबंधित परिकल्पित की गई हैं :

(i) निर्धारित समय में आधुनिकीकरण करना और बर्नपुर इस्पात कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर प्रतिवर्ष 15 लाख टन अपरिष्कृत इस्पात करना,

(ii) इस प्रयोजन के लिए किए जाने वाले पूंजी निवेश की समय अनुसूची,

(iii) इस्को की परिसम्पत्तियों का निपटान न करना।

(iv) कर्मचारियों के हितों आदि की रक्षा करना।

[हिन्दी]

टेलीफोन प्रभारों की दरों में वृद्धि

824. **श्री बलराज पासी :**

श्री देवीबक्स सिंह :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में टेलीफोन प्रभारों की दरों में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कारणों के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग "क" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

फिल्मों को सेंसर बोर्ड की मंजूरी

825. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**

श्री प्रकाश वी. पाटील :

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :

श्री गोविन्दराव निकम :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अश्लील दृश्यों से युक्त फिल्मों को प्रदर्शन हेतु स्वीकृति देने के लिए किन-किन मानदण्डों को अपनाया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हिंसा तथा सेक्स दृश्यों से युक्त फिल्मों को प्रदर्शन हेतु स्वीकृति देता रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी फिल्मों के प्रदर्शन हेतु केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने नए मार्ग निर्देश बनाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या फिल्मों के ऐसे अश्लील दृश्य युवकों पर कुप्रभाव डाल रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार का फिल्मों में हिंसा तथा सेक्स को रोकने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (घ). सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु अभिप्रेत सभी फिल्मों को सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में 16.2.91 को जारी संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों का एक विवरण संलग्न है। मार्गदर्शी सिद्धान्त 2(1),2(4) तथा 2(7) विशेष रूप से फिल्मों में कामुकता एवं हिंसा को नियंत्रित करने से संबंधित हैं।

(ङ) युवाओं पर फिल्मों के अश्लील दृश्यों के प्रभाव के बारे में हाल में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

(च) फिल्मों में कामुकता एवं हिंसा वाले दृश्यों को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही मार्गदर्शी सिद्धान्त विद्यमान हैं।

विवरण

(भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3 तथा उपबंध(2) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसंबर, 1991

अधिसूचना

सा.का.नि.836(ई) केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952(1952 का 37) की धारा 5ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.9(अ) तारीख 7 जनवरी, 1978 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निर्देश देती है कि फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन को मंजूरी देने के लिए फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त होंगे :

1. फिल्म प्रमाणीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि :

(क) फिल्म माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बना रहे;

(ख) कलात्मक अभिव्यक्ति और सर्जनात्मक स्वतंत्रता पर असभ्यक रूप से रोक न लगाई जाए;

(ग) प्रमाणन व्यवस्था व सामाजिक परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी हों;

(घ) फिल्म माध्यम स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करें; और

(ङ) यथासंभव फिल्म सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण और चलचित्र की दृष्टि से अच्छे स्तर की हो।

2. उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसरण में फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि :

(1) हिंसा जैसी समाज विरोधी क्रियाएं उत्कृष्ट या न्यायोचित न ठहराई जाएं;

(2) अपराधियों की कार्यप्रणाली, अन्य दृश्य या शब्द जिनसे कोई अपराध का करना उद्दीप्त होने की संभावना हो, चित्रित न की जाए;

(3) ऐसे दृश्य न दिखाएं जाएं जिनमें :

(क) बच्चों को हिंसा का शिकार या अपराधकर्ता के रूप में अथवा हिंसा के बलात दर्शक के रूप में शरीक होते दिखाया गया हो या बच्चों का किसी प्रकार दुरुपयोग किया गया हो;

(ख) शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो अथवा उनका मजाक उड़ाया गया हो; और

(ग) पशुओं के प्रति क्रूरता या उनके दुरुपयोग के दृश्य अनावश्यक रूप से न दिखाए जाएं।

(4) मूलतः मनोरंजन प्रदान करने के लिए हिंसा, क्रूरता और आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य और ऐसे दृश्य न दिखाएं जाएं जिनसे लोग संवेदनहीन या अमानवीय हो सकते हैं;

(5) वे दृश्य न दिखाएं जाएं जिनमें मद्यपान को उचित ठहराया गया हो या उसका गुणगान किया गया हो;

(6) मादक पदार्थों के सेवन को बढ़ावा देने वाले अथवा उचित ठहराने वाले दृश्यों को न दिखाया जाए;

(7) अश्लीलता, अशलीलता और दुराचारिता द्वारा मानवीय संवेदनाओं को चोट न पहुंचाई जाए;

(8) दो अर्थों वाले शब्द न रखे जाएं जिनसे नीच प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता हो;

(9) महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार के तिरस्कारपूर्ण या उन्हें बदनाम करने वाले दृश्य न दिखाए जाएं;

(10) महिलाओं के साथ लैंगिक हिंसा जैसे बलात्संग की धमकियां, बलात्संग अथवा किसी

अन्य प्रकार का उत्पीड़न या इसी किस्म के दृश्यों से बचा जाना चाहिए तथा यदि कोई ऐसी घटना विषय के लिए प्रासंगिक हो तो ऐसे दृश्यों को कम से कम रखा जाना चाहिए और उन्हें विस्तार से नहीं दिखाना चाहिए;

(11) काम-विकृतियां दिखाने वाले दृश्यों से बचा जाना चाहिए। यदि विषयवस्तु के लिए ऐसे दृश्य दिखाना संगत हो तो इन्हें कम से कम रखा जाना चाहिए और इन्हें विस्तार से नहीं दिखाया जाना चाहिएं;

(12) जातिगत, धार्मिक या अन्य समूहों के लिए अवमाननापूर्ण दृश्य प्रदर्शित या शब्द प्रयुक्त नहीं किए जाने चाहिए;

(13) सांप्रदायिक, रूढ़िवादी, अवैज्ञानिक या राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तियों को दिखाने वाले दृश्यों या शब्दों को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए;

(14) भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता पर संदेह व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए;

(15) ऐसे दृश्य प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिएं जिनसे देश की सुरक्षा जोखिम या खतरे में पड़ सकती हो;

(16) विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों में मनोमालिन्य नहीं आना चाहिए;

(17) कानून व्यवस्था खतरे में नहीं पड़नी चाहिए;

(18) ऐसे दृश्य या शब्द नहीं प्रस्तुत किए जाने चाहिएं जिससे किसी व्यष्टि या व्यष्टि निकाय या न्यायालय की मानहानि या अवमानना होती हो;

व्याख्या : ऐसे दृश्य जिनसे नियमों के प्रति घृणा, अपमान या उपेक्षा पैदा हो या जो न्यायालय की प्रतिष्ठा पर आघात करें न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत आएंगे।

(19) संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का 12) के उपबंधों के अनुरूप से अन्यथा राष्ट्रीय चिह्न और प्रतीक न दिखाएं जाएं।

3. फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि :

(1) फिल्म का मूल्यांकन उसके समग्र प्रभाव को दृष्टि में रखकर किया गया है; और

(2) उस फिल्म पर उस काल, देश की तत्कालीन मर्यादाओं और फिल्म से संबंधित लोगों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है परन्तु फिल्म दर्शकों की नैतिकता को भ्रष्ट न करती हो।

4. ऐसी फिल्में, जो उपर्युक्त मापदंडों पर खरी उतरती हों, किन्तु अवयस्कों को दिखाए जाने के लिए अनुपयुक्त हों, केवल वयस्क दर्शकों को प्रदर्शित करने के लिए प्रमाणित की जाएंगी।

5. (1) निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करते समय बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म परिवार के साथ देखने योग्य है अर्थात् फिल्म ऐसी होनी चाहिए जिसे परिवार के सभी सदस्य जिसमें बालक हैं के साथ बैठकर देखा जा सकता हो।

(2) फिल्म के स्वरूप, विषयवस्तु और उद्देश्य को देखते हुए यदि बोर्ड का यह मत हो कि माता-पिता/अभिवावकों को सावधान करना जरूरी है कि क्या बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे को यह फिल्म दिखाई जाए तो निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणीकरण करते समय इस आशय का पृष्ठांकन किया जाएगा

(3) यदि फिल्म के स्वरूप, विषयवस्तु और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड का यह मत हो कि फिल्म का प्रदर्शन किसी व्यवसाय विशेष के सदस्यों या किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों तक सीमित रखा जाना चाहिए तो फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट दर्शकों तक सीमित रखने के लिए प्रमाणित की जाएगी।

6. बोर्ड फिल्मों के शीर्षकों की बड़े ध्यान से जांच करके सुनिश्चित करेगा कि ये शीर्षक उत्तेजक, अश्लील, आक्रामक अथवा उपर्युक्त मापदंडों में से किसी मानदंड का उल्लंघन नहीं करते हों।

पाद टिप्पण :- भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (II) तारीख 7.1.78 में का. आ.9(अ) के रूप में प्रकाशित तारीख 7.1.78 की अधिसूचना संख्या 5/5/77-एफ(सी)

(1) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (II) तारीख 17.2.79 में का.आ. 618 के रूप में प्रकाशित तारीख 27.1.79 की अधिसूचना संख्या 5/5/77-एफ.(सी)

(2) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (II) तारीख 7.5.83 में का. आ. 356(अ) के रूप में प्रकाशित तारीख 7.5.83 की अधिसूचना संख्या 805/2/82-एफ(सी)

(3) भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उपखंड(II) तारीख 9.9.89 में का.आ. संख्या 2179 के रूप में प्रकाशित तारीख 11.8.89 की अधिसूचना संख्या 803/4/89-एफ(सी)

फा.सं. 805/1/90-एफ(सी)

ह./-

(एस. लक्ष्मीनारायणन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

फोन : 383857

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस, रिंग रोड,
मायापुरी, नई दिल्ली-1

[अनुवाद]

प्रतिस्पर्द्धात्मक दूर-संचार नीति

826. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन आवेसी :**

श्री सी.के. कुप्पू स्वामी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार विशेषज्ञ ने सभी देशों द्वारा प्रतिस्पर्द्धा प्रधान दूर-संचार नीति अपनाने का सुझाव दिया है ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराई जा सके और दूर-संचार सेवाओं की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित हो सके;

(ख) क्या इस संबंध में कोई ब्यौरा तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रतिस्पर्धात्मक दूर-संचार नीति कब तक प्रस्तुत की जाएगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). उपर्युक्त भाग "क" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री का वक्तव्य

827. **श्री चन्द्रजीत यादव :**

श्री नीतीश कुमार :

श्री श्रीकांत जेना :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

श्री राम विलास पासवान :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा उनके हाल के उजबेकिस्तान दौरे के दौरान कश्मीर मुद्दे के कारण दक्षिण कोरिया में नाभिकीय युद्ध के खतरे के संबंध में दिए गए वक्तव्य की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) ताशकन्द में 8 जनवरी, 1994 को पाकिस्तान के विदेश मंत्री के इस आशय के कथित वक्तव्य की खबरें सरकार ने समाचार पत्रों में देखी हैं कि जब

तक कश्मीर मसले का समाधान संयुक्त राष्ट्र संकल्पों के अंतर्गत नहीं किया जाता तब तक नाभिकीय युद्ध का खतरा है।

(ख) पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने बाद में यह स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कश्मीर के मसले पर भारत और पाकिस्तान के बीच केवल एक अन्य युद्ध के खतरे का उल्लेख किया था।

सरकार पाकिस्तान द्वारा अपनाए गए ऐसे रुख और वाकपटुता को पाकिस्तान के नकारात्मक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति मानती है।

सरकार को पाकिस्तान के चोरी-छिपे और अस्मोन्मुख नाभिकीय कार्यक्रम की जानकारी है और वह उन सभी घटनाओं पर निरंतर निगाह रखती है जिन से भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है।

स्टार टी.वी. द्वारा बजट का प्रसारण

828. **प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टार टी.वी. को बजट भाषण प्रसारित करने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार प्रसारण की अनुमति देने के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) इस मंत्रालय को ऐसे निर्णय की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत परियोजनाओं में निवेश

829. **श्री राम कापसे** :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत परियोजनाओं में विदेशी निवेश के संबंध में कोई नई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों, विद्युत इंजीनियरों और संसद सदस्यों ने स्वीकृत परियोजनाओं स्वयं नीति के औचित्य के बारे में आपत्ति की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). विदेशी निवेश समेत बड़े पैमाने पर निजी निवेश आकर्षित करने की नीति कुछ समय पूर्व तैयार की गई थी तथा इसमें हाल ही में संशोधन किया गया है। इस नीति को मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में निहित हैं।

(ग) और (घ). निजी क्षेत्र नीति के प्रति प्रतिक्रिया आमतौर पर सकारात्मक है। पहले से अनुमोदित परियोजनाओं के बारे में कुछ शंकाओं के संबंध में समय-समय पर स्पष्टीकरण दिए जा रहे हैं।

विवरण

निजी क्षेत्र विकास

सरकार विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र से अतिरिक्त निवेश को बढ़ाने की दृष्टि से अनेक उपाय कर रही है। विद्युत मंत्रालय में एक निवेश उन्नयन कक्ष है जो निजी क्षेत्र निवेश को सुविधाजनक बनाता है तथा उत्पादन और वितरण में निजी क्षेत्र उत्पादन कंपनियों की भागीदारी के लिए विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 का संशोधन किया गया है। मार्च, 92 में एक टैरिफ अधिसूचना जारी की गई थी ताकि स्वतंत्र विद्युत परियोजनाओं और राज्य विद्युत बोर्डों के बीच विद्युत क्रय समझौतों के मोल-भाव हेतु मूल निर्धारकों को उपलब्ध करवाया जा सके। विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम के तहत विभिन्न सुविधाओं के लिए मुहैया कराई गई मूल्य ह्रास दरों की भी समीक्षा की गई थी तथा जनवरी, 1992 में थोड़े बहुत आशोधन किए गए थे।

पिछले दो वर्षों से अधिक समय में प्राप्त अनुभव को दृष्टि में रखते हुए इस स्थिति की और समीक्षा की गई है। राज्य विद्युत बोर्डों तथा विद्युत परियोजनाओं के प्रस्तावकों के बीच चल रहे वार्तालाप के अनुरूप परिवर्तन की आवश्यकता को पहचानते हुए यह निर्णय लिया गया है कि टैरिफ फार्मूला तथा मूल्य ह्रास में कुछ आशोधन किए जाएं। मुख्य परिवर्तन निम्नवत हैं :

1. कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए मूल्य ह्रास का 5.02% की भारित औसत दर ऋण-मोचन के लिए अपर्याप्त है। यह निर्णय लिया गया है कि सभी ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए मूल्य ह्रास की दर के रूप में 7.5% औसत दर लागू हो।

2. अनेक निवेशक यह अनुरोध कर रहे हैं कि टैरिफ में सम्मिलित इक्विटी पर लाभ को विदेशी मुद्रा में उपलब्ध करवाया जाए ताकि विदेशी मुद्रा में लाए गए निवेश की प्रतिपूर्ति हो सके। यह निर्णय लिया गया है कि इक्विटी के इस भाग पर लाभ विदेशी मुद्रा में अनुज्ञेय हो लेकिन विदेशी इक्विटी के 16% से अधिक न हो।

3. बड़ी बीमा लागतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय का परिकलन या तो पूर्ण परियोजना लागत के 2.5% पर अथवा पूर्ण/संविदा लागत के 2% जमा वास्तविक बीमा प्रभारों पर हो लेकिन शर्त यह है कि पूर्ण/संदित्त लागत के 3% से अधिक न हो।

4. वर्तमान टैरिफ फार्मूले में 68.5% के सामान्य सं.भा.गु. स्तर से अधिक उत्पादन के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देय दर पर किसी तरह के प्रतिबंध का प्रावधान नहीं है। यह निर्णय लिया गया है कि देश अतिरिक्त प्रोत्साहन सं.भा.गु. की प्रत्येक प्रतिशत वृद्धि के लिए इक्विटी पर लाभांश 0.7% की दर से अधिक नहीं होगा। यह अधिसूचना एक प्रतिबंध उपलब्ध करवाती है । प्रत्येक मामले में राज्य विद्युत बोर्डों तथा प्रोमोटरों के बीच बातचीत हेतु अवसर प्रदान करती है । अतिरिक्त उत्पादन के लिए उपर्युक्त प्रोत्साहन अदायगियां बिना किसी निर्धारित मूल्य घटक की हैं, तथा इसके परिणामस्वरूप इस प्रकार की विद्युत की कीमत नियामक सं. भा.गु. (आधार मूल्य) पर विद्युत की प्रति यूनिट कीमत से पर्याप्त रूप से कम होगी।

इलैक्ट्रानिकी डाक सेवाएं

830. **श्री के. प्रधानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियों को देश में इलैक्ट्रानिक डाक सेवाएं संचालित करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कुछ कंपनियों को लाइसेंस दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सेवाओं को संचालित करने के लिये क्या योजनाएं बनायी गयी हैं; और क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां, सरकार ने, देश में सार्वजनिक और निजी दोनों सेक्टरों में, पंजीकृत भारतीय कंपनियों को फ्रेचाइज आधार पर इलैक्ट्रानिक डाक सेवाओं का संचालन करने की छूट दे दी हैं।

(ख) अब तक, देश में इलैक्ट्रॉनिक डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए, एक कंपनी अर्थात् मद्रास की मैसर्स आई सी नेट को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 11 अन्य कंपनियों को भी आशय-पत्र जारी किए गए हैं।

(ग) योजना का आवश्यक ब्यौरा इस प्रकार से हैं :

- पांच वर्षों की अवधि के लिए, गैर-विशिष्ट आधार पर लाइसेंस अंनतिम रूप से मंजूर किया गया है।
- दूरसंचार विभाग को, लाइसेंसधारक द्वारा एक वार्षिक, लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
- लाइसेंसधारक देश में कहीं भी सेवा प्रदान कर सकता है।
- लाइसेंसधारक, दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित टैरिफ की निर्धारित सीमा के भीतर सेवा प्रदान करेगा।

- लाइसेंसधारक, दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तों का पालन करेगा।

(घ) लाइसेंसधारक, लाइसेंस करार पर, हस्ताक्षर करने की तारीख के एक वर्ष के भीतर, कम से कम पांच शहरों में सेवा प्रदान करेगा।

विकसित देशों द्वारा संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

831. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :**

श्री विजय नवल पाटील :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टेलीफोन उपकरणों का निर्माण करने हेतु संयुक्त उद्यमों के लिए विकसित देशों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार गोआ में ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने का है, जिससे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव न पड़े;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्य कौन-कौन सी महत्वपूर्ण परियोजनाएं कार्यान्वित करने का विचार है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान खोला जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) जुलाई,1991 में घोषित, नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत 51% तक विदेशी इक्विटी वाले विदेशी सहयोग/संयुक्त उद्यमों के लिए प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक की स्वतः अनुमोदन कार्यविधि (ऑटोमेटिक अप्रूवल प्रोसीजर) के अंतर्गत निपटाए जाते हैं। 51% से अधिक विदेशी इक्विटी वाले प्रस्तावों पर मामले दर मामले के आधार पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है। इन कार्य-विधियों के अंतर्गत पहले से ही अनुमोदित प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ). नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत निजी सेक्टर में दूरसंचार उपस्कर के विनिर्माण की अनुमति दी गई है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के पास, गांवों में, राज्य सेक्टर में दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण की परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च). जी नहीं, गोवा में किसी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित करने का कोइ प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

प्रस्तावित मुख्य विदेशी निवेश परियोजनाएं (दूरसंचार उपस्कर विनिर्माणकारी)

क्र. सं.	विदेशी कंपनी	परियोजना का प्रस्तावित स्थान	प्रस्तावित विदेशी इक्विटी का %	विनिर्माण की प्रस्तावित मदें
1.	एरिक्सन स्वीडन	जयपुर राजस्थान	51	स्विचन उपस्कर
2.	फजित्स जापान	सासननगर (पंजाब)	71	वही
3.	सीमेंस जर्मनी	कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	51	वही
4.	अल्काटेल फ्रांस	गुडगांव (हरियाणा)	51	वही
5.	जी पी टी यू.के.	गुडगांव (हरियाणा)	51	वही
6.	एटी एंड टी संयुक्त राज्य अमरीका	बेंगलूर कर्नाटक	51	वही
7.	एटी एंड टी संयुक्त राज्य अमरीका	गांधी नगर गुजरात	51	संचारण उपस्कर
8.	नोकिया फिनलैंड	बेंगलूर कर्नाटक	51	वही
9.	ह्यूजेज संयुक्त राज्य अमरीका	फरीदाबाद हरियाणा	51	वही
10.	मोटोरोला संयुक्त राज्य अमरीका	बेंगलूर कर्नाटक	100	मोडेम्स
11.	एरिक्सन केबिल्स स्वीडन	रीवा (मध्य प्रदेश)	30	केबिल
12.	फुजित्सू	भोपाल (मध्य प्रदेश)	61	संचारण उपस्कर

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

832. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :**

श्री भीम सिंह पटेल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश में जिलावार कितने स्वचालित टेलीफोन कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन एक्सचेंजों की जिलावार क्षमता कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने 1993-94 में और अधिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) इस समय मध्य प्रदेश में कार्यरत मौजूदा स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलेवार संख्या संलग्न विवरण-1 के कालम 1 से 3 के अनुसार हैं।

(ख) जिलेवार एक्सचेंजों की क्षमता संलग्न विवरण-1 के कालम 4 में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) 1993-94 के दौरान पहले ही स्थापित किए जा चुके टेलीफोन एक्सचेंजों के जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-1

मध्य प्रदेश में सज्जित क्षमता के साथ स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलेवार संख्या

क्रं.सं.	जिला	एक्सचेंजों की संख्या	सज्जित क्षमता
1.	बालाघाट	34	5428
2.	बस्तर	49	6612
3.	बेतुल	34	5230
4.	भिण्ड	41	5302
5.	भोपाल	22	41260
6.	विलासपुर	92	18686

1	2	3	4
7.	छतरपुर	26	4717
8.	छिन्दवाड़ा	55	9668
9.	दमोह	20	2952
10.	दतिया	15	2112
11.	देवास	58	8592
12.	धार	88	13050
13.	दुर्ग	27	10240
14.	गुना	51	7724
15.	ग्वालियर	38	26884
16.	होशंगाबाद	68	11930
17.	इन्दौर	53	60580
18.	जबलपुर	59	29716
19.	झबुआ	31	5176
20.	खाण्डवा	64	12410
21.	खरगोन	87	13517
22.	मांडला	23	3288
23.	मन्दसौर	101	20316
24.	मुरेना	46	8304
25.	नरसिंहपुर	39	6292
26.	पन्ना	12	1832
27.	रायगढ़	48	726
28.	रायपुर	74	28996
29.	रायसेन	37	5801

1	2	3	4
30.	राजगढ़	32	5192
31.	राजनंद गांव	26	4479
32.	रतलाम	53	13432
33.	रीवां	27	5244
34.	सागर	51	9360
35.	सरगुजा	25	4140
36.	सतना	27	6032
37.	सेहेर	37	5896
38.	सिन्नी	32	4168
39.	शाहदोल	29	5878
40.	शाजापुर	62	8714
41.	शिवपुरी	40	5454
42.	सिंधी	18	2736
43.	टीकमगढ़	15	1825
44.	उज्जैन	70	19161
45.	विदिशा	29	5936

विवरण-2

मध्य प्रदेश में 1993-94 के दौरान चालू किए जा चुके टेलीफोन एक्सचेंजों के जिले वार ब्यौरे

क्रं.सं.	जिला	
1.	**बस्तर**	1. कुखर 2. नगरमार
2.	**बेतुल**	1. बकोडा 2. भीमापर

3.	**भिण्ड**	1. देहागांव 2. पंजाबीपुरा
4.	**भोपाल**	1. थाना 2. पोलासगंज
5.	**छतरपुर**	1. मटगावन
6	**देवास**	1. गायत्रीनगर 2. दोरडा 3. नागुखेडी 4. गढकेंनुरिया 5. खोल 6. टिगारीकोडा।
7.	**धार**	1. अहमद 2. गोपावा 3. नागोडा 4. दत्तिगांव 5. नवास 6. बन्देवी 7. रायपखेडा 8. अम्बाला 9. बेगौड़ा।
8.	**गुना**	1. कमखेडा 2. भमनिऔर 3. मायापुर 4. पेंची 5. दौराला 6. बमारी।
9.	**ग्वालियर**	1. बेरूई
10.	**होशंगाबाद**	1. अचलाखेडा 2. गोहेड 3. कमटाडा 4. रोलगांव 5.कोयागांव 6. रजगांव 7. गदरिया 8. समयास 9. खेड़ा 10.जुलवनिया 11. तरोडा 12. भट्टी 13. राजपुर 14. भिलाईदियाकेला 15. नगटारा।
11.	**खाण्डवा**	1. देवल 2. भगवानपुरा 3. मोहाद 4. बमबोडा 5. गोउल 6. पटागय 7. शेखपुरा 8. भौरासा।
12.	**खरगोन**	1. बमाण्डी 2. चतलकी 3. बोकाराथा 4. पिपरोडा 5. जटाव
13.	**मन्दसौर**	1. बरिया आमरा 2. पावटी 3. जरदा 4. मलाहेडा 5.जमनि-आराव 6. बरखेडा गन्होरा 7. निंबरोडा 8. माजीरिया 9. टल्लू 10. नवपुरिया 11. मानागढ़ 12. बोलिया वास।
14.	**मुरैना**	1. पन्चुरणा
15.	**नरसिंहपुर**	1. बरहेटा
16.	**रायपुर**	1. संबलपुर 2. रॉन 3. पटेवा 4. सिंहेरा 5. खकरेल 6. दतरंगा।
17.	**रायसेन**	1. कुरवाई 2. मनपुर 3. जमणदी 4. सोमापुर।
18.	**राजगढ़**	1. असरेटा
19.	**राजनंदगांव**	1. मुदिया 2. गेंदा - टोला
20.	**रतलाम**	1. सेजावाटा 2. पंथापिपलोआ
21.	**रीवा**	1. रघुराजगंज 2. मुकुन्दपुर

22.	**सागर**	1. अनंतपुरा 2. बरजा
23.	**सेहोर**	1. घुराडा बुरमा
24.	**शाजापुर**	1. मोढी 2. सज्जोड 3. रायपुर-पिपलोउ 4. तानायल।
25.	**शिवपुरी**	1. सजइ 2. झिरी
26.	**उज्जैन**	1. बेल्डावान 2. निम्बोडा 3. कडोडिया

[अनुवाद]

डावोस में प्रधानमंत्री की विश्व के नेताओं से बातचीत

833. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने डावोस की अपनी हाल ही यात्रा के दौरान पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिये जाने के संबंध में विदेशी शासनाध्यक्षों से कोई बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में उन देशों के दृष्टिकेण में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत उत्पादन और वितरण

834. **श्री शरत पटनायक** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वी क्षेत्र में विद्युत वितरण प्रणाली की जांच करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति स्थापित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) तथा (ख). देश के पूर्वी क्षेत्र में विद्युत वितरण प्रणाली की जांच-पड़ताल करने हेतु कोई विशेषज्ञ समिति नहीं बनाई गई है।

गुजरात में डाक तथा तार घर

835. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ऐसे कितने गांव हैं जो नये डाक तथा तार घर को खोलने के लिए अपेक्षित

निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं;

(ख) विशेष रूप से छोटा नागपुर आदिवासी क्षेत्र में ऐसे कितने गांवों में उपरोक्त सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गयी है; और

(ग) उपरोक्त क्षेत्र में 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान कितने डाकघर/उप डाकघर तथा तारघर खोले गये?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) गुजरात में 155 गांव ऐसे हैं जो डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। तथापि, राज्य में ऐसा कोई गांव नहीं है जो नए तारघर खोलने के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करता हो।

(ख) छोटा उदयपुर तालुका के 276 गांवों में से 220 गांवों में डाकघर मुहैया नहीं कराए गए हैं। तार सुविधा केवल निम्नलिखित स्थानों पर सुलभ हैं क्योंकि इस समय इस तालुका में कोई अन्य गांव नया तारघर खोलने के औचित्य को पूरा नहीं करता।

कस्बा	छोटा उदयपुर के गांव
छोटा उदयपुर	कड़ीपानी
छोटा उदयपुर	(i) कावंत
आर एस	(ii) पानवाड़
	(iii) परवेदा
	(iv) सइदिवासन
	(v) रणपेर
	(vi) जेर

(ग) उक्त क्षेत्र में खोले गए डाकघरों/उप डाकघरों तथा तारघरों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	उप डाकघर	तारघर
1991-92	1	-	-
1992-93	4	-	-

केरल के कण्णानूर में टी.वी. ट्रांसमीटर की स्थापना

836. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कण्णानूर में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए स्थल का निर्धारण/अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां तो प्रस्तावित स्थान का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) इसकी स्थापना और शुरूआत कब तक की जाएगी; और

(ङ) इस परियोजना के लिए कुल कितना नियतन किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). कण्णानूर में प्रस्तावित उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर हेतु तलोपरम्ब ताल्लुक में अंदूर देशम के आर. एस. नं. 1 के अंतर्गत स्थित अनुमानतः 3.5 एकड़ जमीन को अंतिम रूप दिया गया है। केरल सरकार द्वारा जमीन दूरदर्शन को अभी सौंपी जानी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). सरकार द्वारा स्कीम को औपचारित रूप से अनुमोदित कर देने के पश्चात इस प्रकार की परियोजना के पूरा होने में लगने वाला सामान्य समय लगभग 3-4 वर्ष है।

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि. का विस्तार

837. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि. (नाल्को) के विस्तार योजना की मूल लागत कितनी थी;

(ख) नाल्को विस्तार योजना की संशोधित लागत कितनी है;

(ग) क्या सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने संशोधित लागत की स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा योजना के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ङ). पब्लिक इनवेस्टमैंट बोर्ड (पीआईबी) ने, मई, 1992 की कीमतों के आधार पर, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) की 969.95 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर, विस्तार योजना की सिफारिश, इन शर्तों के साथ की है :

परियोजना के खनन अंश के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त की जाए। पर्यावरण संबंधी

स्वीकृति मिलने तक वित्त मंत्रालय के परामर्शानुसार मई, 1993 की कीमतों के आधार पर 1056.95 करोड़ रु. की संशोधित लागत वाली इस परियोजना के लिए, योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। पर्यावरण संबंधी स्वीकृति शीघ्र प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की गयी है। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने, जनवरी, 1994 में, संबंधित क्षेत्र का दौरा किया है।

मुम्बई में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

838. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड मुम्बई के किन-किन स्थानों में नये टेलीफोन एक्सचेंज लगाने अथवा वर्तमान एक्सचेंजों का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) आगामी तीन वर्षों के लिए यदि कोई विस्तार कार्यक्रम बनाया गया है; तो उसका ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) बम्बई के उन स्थानों के नाम नीचे दिये हैं जहां एम.टी.एन.एल. द्वारा 31.3.94 तक नये टेलीफोन एक्सचेंज चालू करने का या मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

वडाला-2, पनवेल-1, थाना चिराई, मांडवी, मलाड और कांदिवली-4

(ख) अगले तीन वर्षों में निम्नलिखित रूप से निवल क्षमता बढ़ाने की योजना है :

वर्ष	क्षमता	टिप्पणी
1994-95	237.64 हजार	1994-95, 1995-96 और 1996-97
1995-96	94.00 हजार	विस्तार कार्यक्रमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।
1996-97	98.00 हजार	

विवरण

एमटीएनएल, बंबई के लिए 94-95, 95-96 और 96-97 के विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा

क्रं.सं.	नाम	जोड़ी जाने वाली निबल क्षमता		
		94-95	95-96	96-97
1.	कुफे परेड	1 हजार	2 हजार	1 हजार
2.	कूपरेज	10.2 हजार	4 हजार	3 हजार

1	2	3	4	5
3.	फांटेन	11.2 हजार	3 हजार	3 हजार
4.	शहर	10 हजार	2 हजार	2 हजार
5.	मांडवी	3 हजार	1 हजार	1 हजार
6.	गामदेवी	4 हजार	2 हजार	2 हजार
7.	एम.हिल	3 हजार	2 हजार	2 हजार
8.	मझगांव	6 हजार	2 हजार	2 हजार
9.	वडाला	5 हजार	3 हजार	2 हजार
10.	भयखूला	1 हजार	2 हजार	2 हजार
11.	बर्ली	4 हजार	2 हजार	2 हजार
12.	शिवाजी पार्क	2 हजार	2 हजार	1 हजार
13.	प्रभादेवी	4 हजार	2 हजार	2 हजार
14.	सायन	10 हजार	1 हजार	1 हजार
15.	बांद्रा	4 हजार	1 हजार	2 हजार
16.	खार	1 हजार	2 हजार	2 हजार
17.	विलपार्ले	6 हजार	3 हजार	3 हजार
18.	अंधेरी	6 हजार	शून्य	3 हजार
19.	वारसोवा	8 हजार	6 हजार	3 हजार
20.	मरोल	21 हजार	1 हजार	3 हजार
21.	गोरेगांव	3 हजार	2 हजार	3 हजार
22.	गोकुलधाम	6 हजार	2 हजार	2 हजार
23.	उरकी	15 हजार	2 हजार	3 हजार
24.	मलाड	2 हजार	2 हजार	2 हजार
25.	कांदिवली	8 हजार	3 हजार	3 हजार
26.	समतानगर	3 हजार	1 हजार	2 हजार

1	2	3	4	5
27.	मीरा रोड	3 हजार	2 हजार	2 हजार
28.	बोरिवली	9 हजार	2 हजार	3 हजार
29.	भाण्डर	5 हजार	4 हजार	4 हजार
30.	गोदरेज	1 हजार	1 हजार	1 हजार
31.	चेम्बूर	4 हजार	2 हजार	2 हजार
32.	पोवई	9 हजार	1 हजार	2 हजार
33.	मनखुर्द	3 हजार	2 हजार	3 हजार
34.	घाटकोपार	2 हजार	2 हजार	2 हजार
35.	मुलुंद	5 हजार	3 हजार	3 हजार
36.	थाणे	3.4 हजार	2 हजार	2 हजार
37.	थाणे चिराई	15 हजार	3 हजार	3 हजार
38.	वाग्ले एस्टेट	2 हजार	1 हजार	1 हजार
39.	मुम्बरा	2 हजार	1 हजार	1 हजार
40.	वासी	5 हजार	2 हजार	3 हजार
41.	तुर्भे	3 हजार	1 हजार	2.5 हजार
42.	रबाली	1 हजार	1 हजार	1 हजार
43.	बेलापुर	3 हजार	2 हजार	2 हजार
44.	पनवेल	3 हजार	2 हजार	2 हजार
45.	उरान	1 हजार	1 हजार	1 हजार
46.	शेवा	शून्य	1 हजार	शून्य
47.	तलोजा	शून्य	1 हजार	शून्य
48	नहवा	0.34 हजार	0.5 हजार	शून्य
49.	द्रोणागिरि	0.5 हजार	0.5 हजार	0.5 हजार
	जोड़	237.64 हजार	94.0 हजार	98.0 हजार

के का अर्थ है 1000 लाइनें।

[हिन्दी]

उड़ीसा के राष्ट्रीय राज्य मार्गों के लिए धन की मंजूरी

839. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कियोंझर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 के लिए कुल स्वीकृत धनराशि कितनी है;

(ख) अब तक इस पर कितना व्यय हुआ है;

(ग) क्या धन का कथित रूप से दुर्विनियोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक कराई जायेगी और यदि नहीं तो इसक क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ङ). उड़ीसा राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

इस्पात उत्पादन

840. **श्री छीतूभाई चामित** :

श्री एस.वी. सिदनाल :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत कितनी है;

(ख) क्या चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों - अप्रैल से नवम्बर, 1993 में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस्पात का उत्पादन कम रहा;

(ग) यदि हां, तो कुल उत्पादन में कितनी कमी हुई और इसके क्या कारण हैं;

(घ) आगामी वित्त वर्ष में इस्पात उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए क्या कदम लिए जा रहे हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कच्चे लोहे के उत्पादन, खपत और निर्यात का क्या ब्यौरा है; और

(च) गत तीन वर्षों में कच्चे लोहे के उत्पादन, खपत और आयात का क्या ब्यौरा है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) 1992 में भारत में और

विश्व के कुछ विकासशील देशों में अपरिष्कृत इस्पात की प्रति व्यक्ति दृश्यमान खपत* निम्नलिखित थी:

देश	प्रति व्यक्ति खपत (कि.ग्रा.)
अर्जेन्टीना	77.9
ब्राजील	65.5
चीन	71.3
मिश्र	90.9
इण्डोनेशिया	22.8
भारत	21.7
कोरिया (आर.ओ.के)	532.3
पाकिस्तान	14.5

*स्त्रोत : स्टेटिस्टिकल ईयर बुक, 1993, आई.आई.एस.आई. ब्रुसेल्स।

(ख) और (ग). अप्रैल - नवंबर, 1993 के दौरान 97.4 लाख टन परिसज्जित इस्पात का उत्पादन हुआ जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि अर्थात अप्रैल - नवंबर, 1992 के दौरान 98.6 लाख टन का उत्पादन हुआ, इससे 1.2 प्रतिशत की कमी हुई। यद्यपि प्रमुख उत्पादकों के उत्पादन में वृद्धि हुई है जबकि मांग में मंदी, स्क्रैप के उच्च अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, विद्युत आदि जैसे आदान लागतों में वृद्धि के कारण गौण उत्पादकों के उत्पादन में कमी हुई।

(घ) इस्पात के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र में नई क्षमताओं के सृजन में मदद कर रही है। सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण/विस्तार कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।

(ङ) पिछले 3 वर्षों के दौरान हुआ स्पंज लोहे का उत्पादन निम्नलिखित है :

1990-91	8.6 लाख टन
1991-92	13.1 लाख टन
1992-93	14.4 लाख टन

(च) पिछले 3 वर्षों के दौरान कच्चे लोहे का उत्पादन, खपत और निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(लाख टन)

	उत्पादन	दृश्यमान खपत	निर्यात
1990-91	14.9	16.4	-

1991-92	15.9	17.0	-
1992-93	18.4	17.3	0.16

[हिन्दी]

आकाशवाणी के नए चैनल

841. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी पर जल्दी ही नए चैनल शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों के लिए कितने चैनल सुरक्षित रखे जाएंगे और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) तथा (ख). जी, हां। इन्सैट-2 बी पर पांच ट्रांसपोन्डरों का प्रयोग करते हुए 20 रेडियो चैनलों के आरंभ करने की आकाशवाणी की योजना है।

(ग) बारह चैनल निम्नलिखित क्षेत्रीय भाषाओं के लिए निर्धारित किए जाएंगे :

असमी, बंगला, गुजराती, हिमाचली, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल तथा तेलुगु।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए विदेशी सहयोग

842. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए कुल कितने मूल्य के विदेशी सहयोग की मंजूरी दी गई; और

(ख) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए छोटे उद्यमियों को विदेशी सहयोग प्राप्त के लिए स्वीकृति लेने में सहायता करने और संयुक्त उद्यम लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) पिछले तीन सालों के दौरान संयुक्त उद्यम, लीजिंग और परीक्षण मत्स्यन से संबंधित योजनाओं के तहत विदेशी इक्विटी सहभागिता वाली 32 गहन समुद्री मत्स्यन परियोजनाओं को मन्जूरी दी गई है। इन परियोजनाओं में विदेशी इक्विटी का कुल मूल्य 32.98 करोड़ रुपये है।

(ख) उद्यमी विदेशी सहयोग के लिए परियोजना प्रस्ताव, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। इन प्रस्तावों पर गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाता है और निर्णय की सूचना यथा शीघ्र दी जाती है।

मुरारी समिति

843. **श्री एस.एम. लालजान वाशा :**

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग की रुग्णता की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित मुरारी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी; और

(घ) गहरे समुद्र में मत्स्यन क्षेत्र को अर्थक्षम बनाने के लिए और क्या कदम उठाने का विचार है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट जल्दी ही प्रस्तुत कर देगी।

(घ) गहन समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र की सहायता के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. देश में बनने वाले गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों की लागत पर 33% सब्सिडी का प्रावधान।
2. शिपिंग क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी आफ इंडिया लि. द्वारा आसान शर्तों पर ऋण देने का प्रावधान।
3. छोटे ओर बड़े पत्तनों पर मत्स्यन बंदरगाहों के निर्माण के लिए सहायता।
4. मत्स्यन जलयानों में तैनाती के लिए गहन समुद्री मत्स्यन कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।
5. विविधीकृत मत्स्यन के लिए सहायता।
6. निर्यातोन्मुखी गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों को चलाने में लगे हाई स्पीड डीजल की लागत की प्रतिपूर्ति।

7. गहन समुद्री मत्स्यन परियोजनाओं में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की इक्विटी सहभागिता।

8. रुग्ण गहन समुद्री मत्स्यन यूनिटों को पुनः स्थापन सहायता।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड नीति

844. **डा. असीम बाला** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने अपनी नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अथेरी समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). अत्रेय समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई की जा रही है।

कर्नाटक में डाक और तार घर

845. **श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में इस समय जिला-वार और श्रेणी-वार कितने डाक घर और तार घर कार्यरत हैं; और

(ख) राज्य में निकट भविष्य में श्रेणी-वार नये डाकघर खोलने संबंधी प्रस्ताव का जिलावार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) कर्नाटक में इस समय कार्य कर रहे डाकघरों की श्रेणीवार संख्या व तारघरों की संख्या से संबंधित जिलावार जानकारी क्रमशः विवरण-1 तथा 2 में दी गई है।

(ख) दिनांक 31.3.94 तक 7 और विभागीय उप डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है। इनका जिलावार ब्यौरा विवरण-3 में दिया गया है।

विवरण-1

कर्नाटक में इस समय कार्य कर रहे डाकघरों की श्रेणीवार संख्या का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रधान डाकघर	विभागीय उपडाकघर	अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	कुल
1.	बेंगलूर (ग्रामीण)	1	39	1	318	359
2.	बेंगलूर (शहरी)	7	244	4	68	323
3.	बेलगांव	9	136	66	500	711
4.	बेल्लारी	3	77	-	375	455
5.	बीदर	1	32	-	273	306
6.	बीजापुर	5	96	8	641	750
7.	चिकमंगलूर	2	84	1	228	475
8.	चित्रदुर्ग	2	84	1	388	475
9.	दक्षिण कन्नड़	8	176	117	490	791
10.	धारवाड़	6	119	42	476	643
11.	गुलबर्ग	4	69	6	540	619
12.	हासन	2	58	2	353	415
13.	कोडागु	1	25	3	188	217
14.	कोलर	2	58	2	349	411
15.	मांडया	2	54	1	307	364
16.	मैसूर	4	104	8	488	604
17.	रायचूर	2	67	1	435	505
18.	शिमोगा	3	84	1	378	466
19.	टुमकूर	2	77	5	483	567

1	2	3	4	5	6	7
20.	उत्तर कन्नड़	3	89	18	384	494
	कुल	69	1745	301	7662	9777

विवरण-2

क्रं.सं.	जिले का नाम	उन तारघरों की संख्या जहां तार सुविध उपलब्ध है
1.	धारवाड़	389
2.	बेल्लारी	132
3.	दक्षिण कन्नड़	505
4.	चिकमंगलूर	116
5.	हासन	99
6.	मेडीकेरी	84
7.	शिमोगा	182
8.	उत्तर कन्नड़	237
9.	बेलगांव	394
10.	बीजापुर	325
11.	गुलबर्ग	221
12.	रायचूर	163
13.	बीदर	106
14.	बेंगलूर (शहरी)	105
15.	बेंगलूर (ग्रामीण)	92
16.	कोलार	174
17.	मैसूर	397
18.	मांडिया	121
19.	टुमकूर	178
20.	चित्रदुर्ग	214

विवरण-3

कर्नाटक में चालू वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान अभी खोले जाने वाले डाकघरों की जिलावार संख्या का ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	विभागीय उप डाकघर
1.	बेंगलूर (ग्रामीण)	1
2.	बेंगलूर (शहरी)	1
3.	बेल्लारी	1
4.	बीजापुर	1
5.	चिकमंगलूर	1
6.	धारवाड़	1
7.	उत्तर कन्नड़	1
	कुल	7

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन का विस्तार

846. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन के विस्तार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार पूरे हिमाचल प्रदेश को दूरदर्शन नेटवर्क के अंतर्गत लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) शिमला में जहां एक उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर चालू किए जाने के लिए तैयार है, वहीं एक-एक अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर, सुंदरगढ़ तथा सुजानपुर, अहजूफोर्ट, पालमपुर तथा दलाश में तीन अति अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर और शिमला में एक स्टूडियो की स्थापना संबंधी कार्यान्वयन हिमाचल प्रदेश राज्य में विभिन्न स्तरों पर है।

(ख) और (ग). राज्य में टी.वी. सेवा को सुदृढ़ बनाये जाने के विचार से स्थलीय ट्रांसमिशन

में सुधार के लिए परिवर्ती शक्ति के 17 और टी.दी. ट्रांसमीटरों को स्थापित किए जाने की परिकल्पना है। तथापि, संपूर्ण राज्य उचित डिश ऐन्टीना का प्रयोग करते हुए इनसैट के जरिए टी.वी. सेवा प्राप्त कर सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

847. **श्री बीर सिंह महतो :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कितने स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये गये हैं;

(ख) क्या इस संबंध में 1994-95 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) क्षेत्र यूनिटों से जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) और (ग). 1994-95 को राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। विभाग की नीति के अनुसार किसी स्थान पर नया टेलीफोन एक्सचेंज तभी संस्थापित किया जाता है जबकि वहां की पंजीकृत दत्त मांग 10 अथवा उससे अधिक हो जाए।

उत्तर प्रदेश में दूरसंचार सेवाएं

848. **श्री भगवान शंकर रावत :**

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में दूरसंचार सेवाएं राष्ट्रीय औसत से कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन राज्यों में दूरसंचार सेवाओं को राष्ट्रीय औसत के समतुल्य लाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य में दूरसंचार समस्याओं और औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकताओं के संबंध में कोई अभ्यावेदन भेजा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, और पश्चिम बंगाल में टेलीफोन का घनत्व प्रति 1000 व्यक्तियों पर 8 टेलीफोन के राष्ट्रीय औसत से कम है।

(ख) और (ग). जी हां। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में व्यवहारिक मांग होने पर टेलीफोन प्रदान किये जा सकें और देश भर में बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में प्रतीक्षा अवधि को 2 वर्ष तक किया जा सके।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी हां।

(च) उत्तर प्रदेश सरकार से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार और विकास का उल्लेख किया था। 8वीं योजना के तहत औद्योगिक विकास केन्द्रों में प्राथमिकता आधार पर दूर-संचार सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की विस्तार योजनाओं में औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत

849. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वर्षा और बाढ़ के कारण कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षति पहुंची और इनकी राज्यवार किनती अनुमानित लम्बाई थी; और

(ख) इनकी मरम्मत पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) मानसून के दौरान प्रतिवर्ष सामान्यतया इतनी दूर दूर तक राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षति पहुंचती है कि प्रत्येक की अलग अलग सूची बनाना कठित है। संबंधित राज्यों के लोक निर्माण विभाग इस प्रयोजन हेतु आवंटित निधियों में से यथाशीघ्र इनकी मरम्मत करवाते हैं।

(ख) बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पिछले दो वर्षों में जारी की गयी निधियां संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्षतिग्रस्त रा.रा. की मरम्मत का व्यय की गयी राशि	
		1991-92	1992-93
		(लाख रुपए)	
1.	आंध्र प्रदेश	269.85	100.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	74.86	25.41

1	2	3	4
3.	असम	283.13	150.00
4.	बिहार	100.00	102.00
5.	चंडीगढ़	4.50	1.48
6.	दिल्ली	25.00	4.50
7.	गोवा	31.57	21.00
8.	गुजरात	184.11	110.00
9.	हरियाणा	73.62	-
10.	हिमाचल प्रदेश	211.18	155.00
11.	जम्मू तथा कश्मीर	3.00	106.89
12.	कर्नाटक	159.40	78.03
13.	केरल	171.95	105.00
14.	मध्य प्रदेश	157.13	39.64
15.	महाराष्ट्र	287.62	88.137
16.	मणिपुर	21.67	3.13
17.	मेघालय	67.53	13.06
18.	उड़ीसा	166.38	34.28
19.	पांडिचेरी	1.00	1.76
20.	पंजाब	152.87	192.69
21.	राजस्थान	121.05	97.16
22.	तमिलनाडु	144.56	180.00
23.	उत्तर प्रदेश	246.00	115.00
24.	पश्चिम बंगाल	496.80	127.16

[अनुवाद]

डाक तथा टेलीफोन परामर्शदात्री समितियां

850. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में डाक तथा टेलीफोन परामर्शदात्री समितियों का पुनर्गठन किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन समितियों का पुनर्गठन सही समय पर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है/की जायेगी;

(घ) क्या सरकार का विचार इस विभाग के प्रभावी कार्य-संचालन के लिए इन समितियों के गठन एवं शक्तियों में परिवर्तन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) दूरसंचार सलाहकार समितियों का गठन/पुनर्गठन एक सतत प्रक्रिया है और जब किसी भी दूरसंचार सलाहकार समितियों का पुनर्गठन किया जाना अपेक्षित होता है, उनके पुनर्गठन हेतु तत्काल कार्रवाई की जाती है।

डाक सलाहकार समितियों का शीघ्र गठन करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

(घ) और (ङ). जी नहीं। जहां तक गठन का संबंध है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन दूरसंचार सलाहकार समितियों को अधिक कारगर बनाया जा रहा है ताकि स्थानीय समस्याएं इनके स्तर पर निपटायी जा सकें।

विवरण

जिन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों/गौण स्विचन क्षेत्र में दूरसंचार सलाहकार समितियों (दू.स.स) और डाक सलाहकार समितियों (डा.स.स.) का गठन किया जाना है, उनके नाम निम्नानुसार हैं :

	दूरसंचार सलाहकार समितियां		डाक सलाहकार समितियां
1.	गोवा और पनजी	1.	असम
2.	मणिपुर	2.	आंध्र प्रदेश
3.	मेघालय	3.	बिहार

	दूरसंचार सलाहकार समितियां		डाक सलाहकार समितियां
4.	नागालैंड	4.	गोवा
5.	मध्य प्रदेश	5.	गुजरात
6.	त्रिपुरा	6.	हरियाणा
7.	उत्तर प्रदेश	7.	जम्मू और कश्मीर
8.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.	कर्नाटक
9.	पोर्ट ब्लेयर	9.	केरल
10.	इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	10.	महाराष्ट्र
11.	मेरठ (उत्तर प्रदेश)	11.	मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा
12.	जलगांव (महाराष्ट्र)	12.	मेघालय
13.	कटक (उड़ीसा)	13.	नागालैंड ओर अरुणाचल प्रदेश
14.	आसनसोल (पश्चिम बंगाल)	14.	उड़ीसा
		15.	सिक्किम
		16.	तमिलनाडु
		17.	पश्चिम बंगाल
		18.	मध्य प्रदेश
		19.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
		20.	दिल्ली

[हिन्दी]

ग्रेनाइट के भंडार

851. **श्री गया प्रसाद कोरी :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रेनाइट के भंडारों का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) तत्संबंधी रा- - ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग). देश में ग्रेनाइट के भंडारों का अनुमान लगाने हेतु अभी तक कोई योजनाबद्ध सर्वेक्षण केन्द्रीय सरकार ने नहीं कराया है। तथापि, ग्रेनाइट जो कि एक गौण खनिज है, के भण्डारों के पता लगाने का काम कुछ राज्य सरकारों द्वारा कराया गया है जो इस प्रकार है :

	राज्य	अनुमानित भंडार	टिप्पणी
		(आंकड़े मिलियन क्यूबिक मी.)	
1.	आंध्र प्रदेश	3.0	इससे केवल कुछ ही क्षेत्रों में भंडारों की मौजूदगी का पता चलता है। भंडारों के विस्तृत मूल्यांकन का काम चल रहा है।
2.	असम	43.5	
3.	बिहार	19.5	
4.	कर्नाटक	55.7	
5.	राजस्थान	0.08	
6.	तमिलनाडु	15.9	इससे काले ग्रेनाइट के भंडारों के होने का पता चलता है। अभी तक रंगीन ग्रेनाइट के होने का पता नहीं चला है।
7.	पश्चिम बंगाल	7.0	
8.	उड़ीसा	-	अभी तक भंडारों का पता नहीं चला है।

[अनुवाद]

समुद्री सीमायें

852. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पड़ौसी देशों के साथ समुद्री सीमाओं का सीमांकन अब तक कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के लिये तत्संबंधी अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार क्या कदम उठाएगी?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) आपसी, समुद्री सीमा रेखा करार के अन्तर्गत श्रीलंका, मालदीव और म्यांमा के साथ समुद्री सीमा अंकित कर ली गई है।

(ख) विवरण नीचे लिखे अनुसार है :

(i) भारत-श्रीलंका समुद्री-सीमा करार 23.3.1976 को सम्पन्न हुआ था इसमें मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में सीमाओं का निर्धारण किया गया था।

(ii) भारत-मालदीव समुदी सीमा करार 1976 में सम्पन्न हुआ था इसमें अरब सागर में समुद्री सीमाओं का निर्धारण किया गया।

(iii) भारत-बर्मा समुद्री सीमा करार 28.12.1986 में संपन्न हुआ था, इसमें बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा का निर्धारण किया गया था। भारत ने 26 सितंबर, 1993 को एक त्रिपक्षीय समुद्री सीमा करार पर भी हस्ताक्षर किए जिसमें अंडमान सागर में म्यांमा और थाईलैंड के साथ त्रिबिन्दु का निर्धारण किया गया है।

भारत-पाकिस्तान और भारत-बंगलादेश के वीच समुद्री सीमा का निर्धारण अभी किया जाना है।

(ग) प्रमुख मसलों पर मतभेद होने की वजह से बंगाल की खाड़ी में बंगलादेश के साथ समुद्री-सीमा का निर्धारण हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। भारत सरकार इस मसले को बंगलादेश की सरकार के साथ बातचीत के माध्यम से हल करने के लिए वचनबद्ध है। सरक्रीक क्षेत्र में सीमा रेखा का निर्णय करने के संबंध में पाकिस्तान के साथ मतभेद हैं। पाकिस्तान इस बात पर अटल है कि जब तक यह मतभेद हल नहीं हो जाते तब तक भारत-पाक समुद्री सीमा के निर्धारण पर बातचीत संभव नहीं है। 24 जनवरी, 1994 को सरकार ने अनसुलझे द्विपक्षीय मसलों को जिनमें हल करने के लिए, जिनमें सरक्रीक और भारत-पाक समुद्री सीमा निर्धारण के मसले भी शामिल थे, पाकिस्तान को रचनात्मक और विशिष्ट सुझाव भेजे। 19 फरवरी, 1994 को पाकिस्तान ने हमारे प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया जाहिर की है जो सरकार के विचाराधीन है।

भारत-रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड में घाटा

853. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड को प्रतिवर्ष घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस उपक्रम को गत तीन वर्षों के दौरान हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) घाटे के प्रमुख कारण क्या हैं;

(घ) क्या इस उपक्रम का मामला मई, 1992 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजा गया था;

(ङ) यदि हां, तो इस बोर्ड के निष्कर्ष क्या हैं; और

(च) घाटे को पूरा करने तथा इस उपक्रम को अर्थक्षम बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले 3 वर्षों में भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड (बी.आर.एल.) को हुई हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	करोड़ रुपए
1990-91	9.66
1991-92	8.94
1992-93	2.99

(ग) भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड को हुई हानि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

(i) समग्र रूप से रिफ्रैक्ट्री उद्योग में अधिक क्षमता के कारण क्षमता का कम उपयोग होना।

(ii) मशीनरी पुरानी होना।

(iii) इस्पात निर्माण प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के कारण रिफ्रैक्ट्रीज के मांग ढांचे में परिवर्तन।

(iv) इसकी नई इकाई अर्थात् भिलाई रिफ्रैक्ट्रीज संयंत्र में अभिविन्यास/क्षमता की कमी।

(घ) जी, हां। बी.आर.एल. के मामले को अगस्त, 1992 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को भेजा गया था।

(ङ) बी.आई.एफ.आर. द्वारा बी.आर.एल. के मामले पर विचार किया गया है। बी.आर.एल. की वर्तमान वित्तीय स्थिति और भावी परिप्रेक्ष्य पर विचार करने के बाद बी.आई.एफ.आर. ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) को प्रचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई पुनरुद्धार योजना पर विचार करने के बाद बी.आई.एफ.आर. ने आई.डी.बी.आई. को निदेश दिया है कि वह पुनरुद्धार योजना के संबंध में पुनः कार्य करें तथा उसे बी.आई.एफ.आर. के विचार हेतु उसकी अगली सुनवाई में प्रस्तुत करे।

(च) कंपनी अपनी अतिरिक्त लागतों में कमी करें, स्थापना लागत में कमी करके, श्रम शक्ति की दक्षता में सुधार करके, उत्पाद मिश्र में विविधता लाकर और अपनी विपणन गतिविधियों को और तेज करके अपनी हानि को कम करने का प्रयास कर रही है।

बिहार में पंचायतों को टेलीफोन सुविधाएं

854. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसंबर, 1993 की स्थिति के अनुसार कुल मिलाकर सारे देश में और विशेष रूप से बिहार राज्य में कितनी पंचायतों को टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की गई थी;

(ख) ऐसी पंचायतों की संख्या क्या है जिन्हें टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी है; और

(ग) 31 दिसंबर, 1993 की स्थिति के अनुसार बिहार में जिला-वार कितनी पंचायतों को टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की गयी थी और कितने पंचायतों को सुविधायें प्रदान नहीं की गयी थी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 31.12.93 की स्थिति के अनुसार देश में 1,10,591 और बिहार में 6,210 हैं।

(ख) 31.12.93 की स्थिति के अनुसार देश में 1,22,469 और बिहार में 5,552 हैं।

(ग) क्रमशः 6210 और 5552, 31 दिसंबर, 1993 की स्थिति के अनुसार बिहार में जिन स्थानों पर पी.सी.ओ. प्रदान किए गए हैं अथवा नहीं प्रदान किए गए हैं उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	जिला का नाम	पंचायत ग्रामों की कुल संख्या	31-12-93 को जिन पंचायत ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई उनकी संख्या	31-12-93 की स्थिति के अनुसार जिन पंचायत ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान नहीं की सकी उन की संख्या
1	2	3	4	5
1.	पटना	365	114	191
2.	नालंदा	214	184	30
3.	गया	365	140	225
4.	जेहानबाद	148	92	56
5.	औरंगाबाद	236	89	147
6.	नवादा	174	57	117
7.	डालटेनगंज	202	90	112
8.	गढ़वा	177	53	124
9.	भोजपुर	248	143	105
10.	रोहतास	278	130	148

1	2	3	4	5
11.	भाचुआ	159	23	66
12.	बक्सर	152	115	37
13.	हजारीबाग	298	158	140
14.	गिरीडीह	324	98	226
15.	छत्तरा	96	91	05
16.	धनबाद	174	130	44
17.	बोकारो	53	50	03
18.	सिंह भूमि (पूर्व)	200	160	40
19.	सिंह भूमि (पश्चिम)	273	155	118
20.	रांची	364	129	235
21.	गुमला	310	55	255
22.	लोहरडगा	67	32	035
23.	छपरा	320	224	104
24.	सिवान	306	135	171
25.	गोपालगंज	241	98	143
26.	मोतिहारी	397	175	222
27.	बेतिया	345	210	135
28.	मुजफ्फरपुर	321	227	94
29.	सीतामढ़ी	299	186	113
30.	वैशाली	258	129	129
31.	भागलपुर	291	121	170
32.	दुमका	283	55	228
33.	मुंगेर	272	120	152
34.	जमुई	153	76	77

1	2	3	4	5
35.	देवघर	140	55	85
36.	गोड्डा	147	63	84
37.	साहेबगंज	230	48	182
38.	बांका	146	107	39
39.	दरभंगा	377	242	35
40.	मधुबनी	327	281	46
41.	समस्तीपुर	337	226	111
42.	बेगूसराय	251	120	131
43.	खगड़िया	150	121	29
44.	कटिहार	220	158	62
45.	किशनगंज	118	50	68
46.	सहरसा	181	54	127
47.	पुणिया	234	62	172
48.	अरारिया	193	158	35
49.	माधोपुरा	189	106	83
50.	सुपवेल	155	88	67
	योग	11,762	6,210	5,552

राजस्थान में रामगढ़ विद्युत परियोजना

855. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में गैस आधारित रामगढ़ विद्युत परियोजना ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस विद्युत परियोजना से कब तक विद्युत उत्पादन आरम्भ होने की आशा है; और

(ग) इस समय परियोजना की स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). 3 मे.वा. रामगढ़ गैस टर्बाईन विद्युत परियोजना से संबंधित निर्माण कार्य पूर्ण वेग से चल रहा है। यूनिट के 1994-95 की पहली तिमाही में चालू हो जाने की प्रत्याशा है।

रामगढ़ संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन केन्द्र (35.5 मे.वा.) सपान-1 से संबंधित मुख्य संयंत्र तथा उपस्करों का आर्डर भेल को दे दिया गया है। सिविल कार्य भी आरंभ कर दिए गए हैं। इस यूनिट के 1994-95 को अंतिम तिमाही में चालू हो जाने की प्रत्याशा है।

नेपाल के साथ द्विपक्षीय संबंध

856. **श्री रामचंद्र वीरप्पा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) भारत-नेपाल सहयोग के रूप में दोनों देशों में शुरू की गयी परियोजनाओं की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारत सरकार ने नेपाल के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार लाने के लिए अभी पिछले दिनो कई कदम उठाए हैं। इनमें उच्चस्तरीय यात्राएं और संपर्क शामिल थे। नेपाल नरेश ने निजी तौर पर 30 नंबर से 11 दिसंबर, 1993 तक भारत की यात्रा की। नेपाल के संसदीय मामलों के मंत्री श्री महेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में एक नेपाली संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 21 दिसंबर से 25 दिसंबर, 1993 तक भारत की यात्रा की । जल संसाधन मंत्री श्री वी. सी. शुक्ल ने 26 से 28 दिसंबर, 1993 तक नेपाल की यात्रा की।

अनेक गतिविधियों पर विचार-विमर्श हुआ उदाहरण के लिए जल संसाधनों के समुपयोजन के क्षेत्र में सहयोग तथा इस क्षेत्र में सहयोग के एक संशोधित टाइम-फ्रेम पर सहमति हुई।

इसके अतिरिक्त भारत और नेपाल के बीच निकट सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए गए। बी.पी. कोइराला भारत-नेपाल फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तीसरी बैठक हाल ही में आनंद (गुजरात) में हुई जिसका उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और अध्ययन संबंधों के सुदृढ़ीकरण के विभिन्न प्रस्तावों का अनुमोदन करना था।

दोनों देशों के बीच व्यापार तथा पारगमन प्रणाली के उदारीकरण की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप "फेडेशन ऑफ नेपालीज चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसोचेम तथा पी. एच. डी. सी. सी. आई. से विचार-विमर्श करने के लिए दिसंबर, 1993 में भारत की यात्रा की।

(ख) इस समय भारत नेपाल में भिन्न-2 क्षेत्रों में परियोजनाओं की शुरूआत कर रहा है जिनमें स्वास्थ्य, दूरसंचार, उद्योग, सड़कें परिवहन इत्यादि शामिल हैं। पिछले 6 माह के दौरान रंगेली दूरभाष केन्द्र सफलता पूर्वक चालू कर दिया गया है और राजबिराज इंडस्ट्रियल एस्टेट भी पूरा कर दिया गया है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुल

857. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के पुणे जिले से गुजरने वाले ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है जिन पर या तो पुल है ही नहीं अथवा जिनकी स्थिति खराब है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन पुलों के निर्माण/पुनर्निर्माण के लिए कोई धनराशि स्वीकृत की गयी है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है; और

(घ) इस कार्य को कब तक पूरा किया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) संभवतः माननीय सदस्य पुणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों पर छुटे हुए (मिसिंग) पुलों तथा उन पुलों की संख्या के बारे में जानना चाहते हैं, जो खराब स्थिति में हैं। पुणे जिले से गुजरने वाले तीनों राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई ऐसा पुल नहीं है तथा सभी पुल यातायात योग्य स्थिति में रखे जाते हैं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन

858. **डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन उपभोक्ता द्वारा टेलीफोन कनेक्शन के लिए आरम्भ में कितनी राशि जमा की जाती है;

(ख) क्या टेलीफोन उपभोक्ता द्वारा अन्य विकासशील देशों की तुलना में कम राशि जमा की जाती है; और

(ग) एक टेलीफोन कनेक्शन पर औसतन कुल कितना धन खर्च किया जाता है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रारम्भ में जमा किए जाने वाले पंजीकरण शुल्क इस प्रकार हैं :

(i) **ओ वाई टी आवेदनों के लिए**

10000 और उससे अधिक लाइनों के लिए	1000 और उससे अधिक लाइनों लेकिन 10,000 लाइनों से कम	1000 लाइनों से कम
15000/- रु.	10000/- रु.	8000/- रु.

(ii) **सामान्य तथा विशेष श्रेणी के आवेदनों के लिए**

मीटर किए गए एक्सचेंज

10000 और उससे अधिक लाइनों के लिए	10000 लाइनों से कम
3000/- रु.	2000/- रु.

एक समान दर वाले एक्सचेंज

100 से अधिक लाइनों के लिए	100 और उससे कम लाइनें
1000/- रु.	100/- रु.

(iii) **तत्काल योजना**

आवेदन सहित	1000/- रु.
टेलीफोन प्रदान करने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद	29000/- रु.

(ख) तथा (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्शन

859. **श्री राव वाइडे शोभनाद्रीश्वर :**

श्री केशरी लाल :

श्री राम विलास पासवान :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान कितने गांवों को टेलीफोन कनेक्शन दिए गए और प्रत्येक राज्य के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) राज्य-वार कितने प्रतिशत टेलीफोन लगाए गए;

(ग) एक ग्रामीण टेलीफोन लगाने और रखरखाव की औसत लागत कितनी है; और

(घ) क्या सरकार ने उन्हें आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बनाने के लिए किसी उपयुक्त तरीके का पता लगाया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) क्रमशः 13,733,21752,12347 (31.12.1993 तक) 90-91, 91-92, 92-93 और 93-94 में लक्ष्य के साथ टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए गांवों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) संस्थापित किए गए टेलीफोनों के राज्यवार प्रतिशत संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) और (घ).

(i) एक ग्रामीण टेलीफोन की संस्थापना की औसत लागत 1.25 लाख रु. (लगभग) तक होती है।

(ii) एक ग्रामीण टेलीफोन के अनुरक्षण की औसत लागत, क्षेत्र और इसकी स्थिति पर निर्भर करेगा तथा यह 5000/- रु. से 20000/- रु. प्रति वर्ष हो सकती है।

(iii) जहां कहीं भी व्यवहार्य होता है, पंचायत गांवों में उत्तरोत्तर रूप से सार्वजनिक टेलीफोन को एसटीडी सुविधा प्रदान की जा रही है। 8 वीं योजना के अंत तक ग्रामीणों द्वारा इसके बढ़े हुए इस्तेमाल से ऐसे टेलीफोनों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो जाने की संभावना है।

विवरण

	गांवों की कुल संख्या	उपलब्धि 90-91 लक्ष्य* 90-91	लक्ष्य 91-92	उपब्धि 91-92	92-93 के लिए लक्ष्य	92-93 के दौरान उपलब्धि	93-94 के लिए लक्ष्य	93-94 के दौरान 31.12.93 तक उपलब्धि	31.12.93 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन सुविधा सहित गांवों की संख्या	गांवों की पूर्ति का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध प्रदेश	27221	3474	1400	1903	3050	1961	3600	633	1377	46.76
असम	22224	74	300	342	550	555	620	305	1958	6.90
बिहार	67566	88	1000	1005	2000	1265	3020	632	7908	9.19
गुजरात	18518	536	1200	1576	3000	1755	4500	1706	7514	40.00
हरियाणा	6745	525	1200	1251	1200	981	1250	676	4351	62.80
हिमाचल प्रदेश	16916	384	50	111	200	205	250	119	2134	7.40
जम्मू एवं कश्मीर	6503	39	100	125	125	126	80	33	844	9.70
कर्नाटक	26826	1597	450	1068	1500	1207	1500	702	6350	23.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
केरल	1530	439	21	21	0000	-	-	-	1470	60.70
मध्य प्रदेश	71352	324	1800	4005	5000	3668	6000	552	12512	17.50
महाराष्ट्र	36187	1256	2000	2172	5000	2881	6000	1543	11155	30.80
उत्तर-पूर्व	15192	01	300	300	417	519	600	217	1414	7.98
उड़ीसा	46992	289	800	1064	1000	1230	800	249	4652	8.53
पंजाब	12188	411	1200	901	2000	2126	3000	2414	6470	53.00
राजस्थान	33305	246	1100	1287	1800	1811	1800	608	6346	18.48
तमिलनाडु	15735	3985	1450	1160	2000	2157	3000	423	10423	66.20
उत्तर प्रदेश	112568	25	5000	2725	6858	7037	10000	1380	16420	13.19
पं. बंगाल	38679	40	600	600	800	579	800	155	2781	5.93
दिल्ली एमटीएनएल	243	0	125	136	09	09	-	-	181	78.60
जोड़	576490	13733	10000	21752	36509	30072	46820	12347	118670	19.18

*पंचायत गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की नीति जनवरी 1991 में अपनायी गई थी। अतः वर्ष 1990-91 में कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किए गए थे।

अफगानिस्तान में शांति का भारतीय प्रस्ताव

860. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अफगानिस्तान में शांति स्थापना के उपाय ढूंढने हेतु की जाने वाली किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय पहल में अपना योगदान देने का प्रस्ताव दोहराया है;

(ख) क्या भारत ने युद्ध में संघर्षरत गुटों के बीच युद्धविराम की स्थापना करने और वार्ता के माध्यम से अफगानिस्तान समस्या के समाधान के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का समर्थन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर अफगानिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). भारत हमेशा से ही अफगानिस्तान में अफगान लोगों की आकांक्षओं के आधार पर अफगानियों द्वारा स्वयं किए गए राजनैतिक समझौते के पक्ष में रहा है। तदनुसार, भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर इस क्षेत्र के देशों का आह्वान किया है कि वे अफगानिस्तान में राजनैतिक तथा सुरक्षा की स्थिति की ओर शीघ्र ध्यान दें और उस देश में शांति एवं स्थिरता के लिए पुनः खोज आरम्भ करें। इस प्रकार की किसी पहल में योगदान करने की हमने अपनी उत्सुकता व्यक्त की है।

रिपोर्टों के अनुसार स्थायी समझौता करने की दिशा में किसी शांति पहल में कोई प्रगति नहीं हुई है। 1 जनवरी, 1994 को विभिन्न दलों के बीच जो लड़ाई शुरू हुई थी, वह जारी है।

फरक्का तापीय विद्युत एकक-4

861. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :**

श्री जायनल अबेदिन :

श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री तरित वरण तोपदार :

श्री अनिल बसु :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में खराब हुए फरक्का तापीय विद्युत एकक-4 का इलैक्ट्रो-स्टैटिक प्रसिपिटेटर किसी विदेशी कंपनी से खरीदा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषपूर्ण उपकरण आयात करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस विदेशी कंपनी को फरक्का में राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम तापीय विद्युत परियोजना के एकक-5 के लिए उपकरणों की आपूर्ति हेतु ऐसे और अधिक क्रयादेश दिए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का इस आदेश को रद्द करके भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड को देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना की यूनिट 4 तथा 5 के लिए इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रसीपिटेटर, (ईएसपी) के डिजाइन, आपूर्ति, उत्थापन, परीक्षण तथा चालू किए जाने का आर्डर मै. अन्सालदो, इटली को दिया गया था।

(घ) और (ङ). चूंकि दोनों ईएसपी की आपूर्ति, अधिष्ठापना तथा उन्हें चालू किया जा चुका है। अतः इस आदेश को रद्द करके भेल (भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लि.) को आर्डर देने का प्रश्न ही नहीं उठता। यूनिट-4 के ईएसपी के एक भाग की खराबी के कारणों की जांच की जा रही है तथा आपूर्तिकर्ता को अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करना होगा।

यूरोपीय संघ के देशों द्वारा वीसा प्रतिबंध

862. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ के सदस्य देशों का एशियाई, अफ्रीकी देशों तथा कैरीबिया के लोगों पर वीसा प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख). यूरोपीय आयोग ने एक प्रस्ताव प्रकाशित किया है जिसके अन्तर्गत भारत सहित उन 129 देशों की सूची बनाई गई है जिनके राष्ट्रिकों के पास सदस्य राज्यों की बाहरी सीमाओं को पार करते समय वीजा होना अपेक्षित होगा। इस प्रस्ताव को लागू करने से पहले विदेश मंत्रियों की परिषद् द्वारा इस पर विचार-विमर्श करके इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाना अपेक्षित है। भारतीय राष्ट्रिकों को वीजा जारी करने का प्रश्न ब्रसेल्स में 8 फरवरी, 1994 को इंडो-यूरोपीय संघ त्रयी बैठक में उठाया गया था जब सरकार ने यह कहा कि यूरोपीय संघ द्वारा बनाए जाने वाले नए वीजा विनियम इस तरीके से लागू नहीं किए जाने चाहिए जिसमें भारत के वास्तविक यात्रियों को असुविधा हो।

बंगलौर में वाणिज्य दूत-कार्यालय

863. **श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से कुछ विकसित देशों के वाणिज्य दूत कार्यालय बंगलौर में खोलने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). कौंसली संबंधों से संबंधित विएना अभिसमय, 1963 के अनुसार दो राज्यों के बीच कौंसली संबंधों की स्थापना परस्पर सहमति से की जाती है। जो विदेशी सरकारें कौंसली कार्यालय/केन्द्र खोलना चाहती हैं उन्हें राजनयिक माध्यमों से प्राप्तकर्त्ता राज्य को अपने इस इरादे से अवगत कराना होता है। इन प्रस्तावों/अनुरोधों की जांच करते समय अन्य बातों के अलावा सामान्यतः पारस्परिकता के सिद्धान्त को भी ध्यान में रखा जाता है।

खान और खनिज अधिनियम, 1957

864. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में इस आशय का संशोधन करने का है कि रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज केन्द्रीय सरकार के अधीन रहे तथा शेष खनिज राज्य सरकारों के अधीन रहें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार राजस्थान में खानों और खनिजों के विकास हेतु उपयुक्त कदम उठाने का है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 की घोषणा तथा खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अध्यादेश, 1994 की मार्फत किए गए संशोधनों से राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य में खानों तथा खनिजों के विकास हेतु आवश्यक कदम उठाने में सक्षम है।

भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, कलकत्ता में रेडियो धर्मिता

865. **श्री राम कापसे** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के केन्द्रीय भू-भौतिकी प्रभाग में कार्यरत वैज्ञानिकों और उनके सहायक अपने द्वारा नियमित रूप से प्रयोग किए जाने वाले कुछ उपकरणों से हाल ही में रेडियो धर्मिता के प्रभाव में आ गए हैं;

(ख) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने इन उपकरणों का परीक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) इतने लंबे समय तक विकिरण की अनदेखी किए जाने के क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग). भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, कलकत्ता स्थित केन्द्रीय भू-भौतिकीय खंड के कुछ ग्रेवीमीटरों में रेडियेशन का निम्न

स्तर पाया गया था। परमाणु ऊर्जा नियमन बोर्ड के अध्यक्ष ने 6.11.1993 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि ग्रेवीमीटर में नापे गये रेडियेशन का स्तर बहुत ही निम्न है तथा रेडियेशन के वर्तमान परमाणु अनुसंधान केन्द्र की स्वास्थ्य-भौतिकी इकाई ने केन्द्रीय भू-भौतिकी खंड, कलकत्ता के सभी उपलब्ध संयंत्रों (ग्रेवीमीटरों) पर परीक्षण किये हैं। उनके परिणाम आने वाले हैं।

(घ) चूंकि विनिर्माताओं ने ग्रेवीमीटर के साथ दी जाने वाली निर्देशिका में ग्रेवीमीटर के भीतर रेडियो धर्मी पदार्थ के होने का उल्लेख नहीं किया था इसलिए रेडियेशन के निम्न स्तर का पता नहीं चल सका।

विशिष्ट आर्थिक जोनों का दोहन

866. **श्री के. प्रधानी :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशिष्ट आर्थिक जोनों के दोहन के लिए कोई दीर्घावधि योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार (तटीय राज्य) अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले आर्थिक जोनों के दोहन के लिए वित्तीय सहायता दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख). आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1992-97) के दौरान गहन समुद्री मत्स्यन और प्रसंस्करण में भागीदारी के लिए सहायता, गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों को प्राप्त करने के लिए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी देने के लिए सहायता अनुदान और विविधीकृत मत्स्यन के लिए सहायता की स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अलावा मार्च, 1991 में घोषित नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति के अन्तर्गत भारतीय उद्यमियों को संसाधनों के दोहन के लिए संयुक्त उद्यमों, पट्टेदारी और परीक्षण मत्स्यन स्कीमों के अन्तर्गत गहन समुद्री मत्स्यन जलयान चलाने की अनुमति दी गयी है।

(ग) और (घ). तटीय क्षेत्रों से मात्स्यिकी संसाधनों के दोहन के लिए वित्तीय सहायता, पारम्परिक जलयानों के मोटरीकरण, प्लाइवुड जलयानों की शुरूआत और ऑफ-शोर पेलाजिक मत्स्यन के लिए माध्यमिक किस्म के जलयानों की शुरूआत की स्कीमों के अन्तर्गत और केन्द्र/केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के तहत कृत्रिम रीफों और समुद्री - फार्मिंग परियोजनाओं आदि की स्थापना के लिए दी जाती है। राज्य सरकारों की जलयान और गियर प्राप्त करने के लिए मछुवारों को सहायता देने, मशीनीकरण के लिए मछुवारों को सहायता देने और मछली प्रसंस्करण, विपणन तथा वितरण आदि के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास जैसी अपनी योजना स्कीमें हैं।

12.00 म.

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

सामान्य बजट का प्रस्तुत किया जाना

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि आज सदन सांय 4 बजे स्थगित हो जाएगा तथा आम बजट प्रस्तुत करने हेतु सांय 5 बजे पुनः समवेत होगा।

12.01 म.प.

पत्रकारों के लिए नये वेतन बोर्ड की मांग के संबंध में

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट का और प्रेस का चोली-दामन का साथ है। पार्लियामेंट और प्रेस अन्योन्याश्रित हैं। प्रेस के बिना पार्लियामेंट प्रभावी ढंग से अपना काम नहीं कर सकती और पार्लियामेंट के बिना प्रेस को भी अपना दायित्व पूरी तरह से पालन करने में बाधा उत्पन्न होगी सदन में बजट पेश किया जाने वाला है। समाचार-पत्रों में काम करने वाले कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर हैं। उनकी मांग यह है कि नया वेज बोर्ड स्थापित होना चाहिये। बचावत वेज़ बोर्ड बना था और उसने १९८२ के मूल्यों के आधार पर सिफारिश की थी, अब वह सारा आधार बदल गया है। वेज बोर्ड की नियुक्ति के संबंध में कहा जाता है कि मामला केबिनेट में पड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि ऐसे मामले में तत्काल फैसला होना चाहिये। नये वेज बोर्ड की नियुक्ति एक सही और उचित मांग है और सरकार को उसे स्वीकार करने में विलम्ब नहीं करना चाहिये। समाचार-पत्र और सरकार दोनों टकराने की मुद्रा में रहें, यह ठीक नहीं है और पार्लियामेंट के लिये तो यह स्थिति सचमुच में बहुत ही शोचनीय है।

श्री शरदव यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, अटल जी ने जो सवाल उठाया है, इसके बारे में 26 तारीख को पत्रकारों ने और अखबारों में काम करने वाले कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किये। प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया कि वे नया वेज बोर्ड बना देंगे। आज हालत यह है कि वे तीन दिन पहले सड़कों पर प्रदर्शन कर चुके हैं। सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया गया कि प्रधान मंत्री नया वेज बोर्ड बनाने वाले हैं। अध्यक्ष जी, आज इस बजट को पेश होने के दौर में यह पहला मौका है कि समूचे सदन में एक हिस्सा, जो इस पूरे सदन को संपूर्णता और जीवंतता देता है वह आज खाली है। यह अफसोस है कि पहली बार किसी बजट में हमारे पत्रकारों का पूरी तरह से बहिष्कार है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सिर्फ पत्रकारों का मामला नहीं है, नया वेज बोर्ड का मामला अखबारों में काम करने वाले कर्मचारियों का भी है और यह लगातार बचावत कमीशन बनने के बाद टलता रहा है।

अटल जी ने सही कहा है कि परिस्थितियां बिल्कुल ही ऐसी बदल गई हैं कि जिसका अंदाजा नहीं है। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह गंभीर मामला है इसलिये आज या तो बजट ही पोस्टपोंड कर दिया जाये और इस हड़ताल का फैसला हो जाए तब कहीं काम हो, नहीं तो यह बजट का जो मामला है वह मजेदार नहीं रहेगा। आज जिस तरह से आप इस देश को जहां ले जा रहे हैं वह मामला भी हम दिक्कत के साथ यहां उठाना चाहते हैं लेकिन हमारी वह ताकत बिल्कुल पूरी तरह समाप्त हो जाती है जब एक तबका, जिसके चलते इस देश को पता चलता है वे यहां नहीं रहता।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस पर अभी और तत्काल कोई जवाब देना चाहिये। आज सारे पत्रकार ये कह रहे हैं कि हमारा मामला कोई उठाता नहीं है। इस मामले को लगातार टाला जा रहा है, हम सड़कों पर निकलते हैं तब भी कोई नहीं उठाता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार को इस बात पर जरूर जवाब देना चाहिये और यदि जवाब न दें तो फिर आज का बजट स्थगित कर दें यही बेहतर होगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब आज लोक सभा में बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो हमारे पूरे देश की प्रेस के लोग वहां उपस्थित नहीं होंगे। हम समाचार पत्रों में काम करने वाले कामगारों, संवाददाताओं तथा रिर्पोटरों की समस्याएं उठाते रहे हैं तथा मांग करते रहे हैं कि उनके लिए एक नया वेतन बोर्ड बनाया जाए क्योंकि बचावत पुरस्कार जो 1988 में दिया गया था, वह 1982 में लागू कीमतों के आधार पर दिया गया था। इस बीच काफी परिवर्तन हुए हैं। नए वेतन बोर्ड की मांग एक न्यायोचित मांग है। मेरे विचार से यह मांग पूरे सदन की मांग है।

सूचना और प्रसारण मंत्री यहां हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि उन्हें बजट प्रस्तुत होने से पहले तत्काल यह वक्तव्य देना चाहिए कि सरकार वेतन बोर्ड का गठन करेगी ताकि वे भी अपनी कार्यवाही के बारे में निर्णय ले सकें। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक अनुरोध ही बहुत है।

(व्यवधान)

श्री बसुदव आचार्य : महोदय, मैं अनुरोध करूंगा कि मंत्री महोदय को शीघ्र ही यह घोषणा करनी चाहिए क्योंकि यह पूरे सदन की मांग है।

[हिन्दी]

श्री उदय प्रताप सिंह (मैनपुरी) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर सारा विपक्ष एक है, सत्ता पक्ष के बारे में हमें पता नहीं है कि उनकी क्या राय है। जहां भी प्रजातंत्र की बात होती है, वहां पर प्रेस को प्रजातंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। यह बात डा. राम मनोहर लोहिया ने कही थी। एक बात जो वाजपेयी जी ने कही कि यह मामला केबीनेट में बंद है अंग्रेजी में दो केबीनेट होते हैं, कौन से केबीनेट में यह मामला बंद है, मंत्री महोदय इसका उत्तर देने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, यह मामला पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है। वास्तव में श्रम मंत्री ने, पत्रकारों के प्रतिनिधियों, जो इस संबंध में उनसे मिले थे, को एक आश्वासन दिया था। मैं सदन को तथा अपने पत्रकार मित्रों को आश्वासन दे सकता हूं कि मंत्रिमंडल के द्वारा 30 दिन के भीतर इस मामले पर विचार कर लिया जाएगा तथा इस मामले में निर्णय ले लिया जाएगा। हमें कार्यकारी पत्रकारों तथा पत्रकार मित्रों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाईयों तथा अन्य संबंधित कठिनाईयों की जानकारी है। अतः व्यापक स्तर पर बातचीत की गई है। मैं सदन को तथा अपने पत्रकार मिलों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि तीस दिन के भीतर अर्थात् मार्च माह के भीतर हम मामले में निर्णय ले लेंगे तथा मैं आशा करता हूं कि यह सदन में सबके लिए संतोषजनक निर्णय होगा।

12.08 म.प.

चुनाव प्रयोजनों के लिए मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करने के संबंध में

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत गंभीर समस्या की ओर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं, जिसके बारे में पिछले 4-5 दिन से नोटिस भी दे रहा हूं। पहचान पत्रों के संबंध में चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है 30 नवंबर तक जिन राज्यों में पहचान पत्र नहीं बनेंगे, उन राज्यों में चुनाव रोक दिए जाएंगे। इस संबंध में मैं दो तीन आग्रह करना चाहता हूं।

सबसे पहला राशि का मामला है, जिसके बारे में चुनाव आयोग ने कहा है कि 1100 करोड़ रुपया इस काम में लगेगा और उन्होंने इसका फार्मूला भी दे दिया है कि इसका सबसे आसान तरीका यह है कि सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक साल का वेतन न लें तो 1100 करोड़ रुपया जुट जाएगा। चंदा मांग रहे हैं, हमको यह समझ में नहीं आता कि पहचान-पत्र से कैसे बूथ कैप्चरिंग बंद होगा बल्कि और ज्यादा तेज हो जाएगा। गांवों के जो मठाधीश लोग हैं वे एक जगह पहचान-पत्र जमा कर लेंगे और सुबह सबका पहचान-पत्र लेकर वोट डाला जाएगा। धन का मामला मैंने बताया और पोलिटिकल मामला भी है। बिहार और उड़ीसा में मार्च के महीने में चुनाव होने वाले हैं लेकिन 30 नवंबर तक पहचान-पत्र नहीं बनेंगे। इसका मतलब है कि बिहार और उड़ीसा में चुनाव नहीं होंगे और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और शुक्ला जी का राज आ जाएगा। देश में गरीबों के पास रहने के लिए घर नहीं है, झोपड़ी नहीं है और बंजारा सड़क पर घूमता है तो वह पहचान-पत्र लेकर कहां घूमेगा? क्या भारत सरकार या चुनाव आयोग डबल लाक के साथ में स्टील का बक्सा देगी....
(व्यवधान)

जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : जो तकलीफें आप बता रहे हैं, वे सबको मालूम हैं। कुछ इलाज बताएं।

श्री राम विलास पासवान : मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार तमाम पक्ष के लोगों की मीटिंग बुलाए और बुलाई भी है। सबसे पहले पहचान-पत्र के प्रपोजल को अभी पोस्टपोन किया जाए और जब कभी भी लागू करने का सवाल हो तो भारत सरकार अपने पास से पैसे दे या चुनाव आयोग अपने फंड से देने की व्यवस्था करे। राज्य सरकार पर इसका बोझ न डाला जाए क्योंकि राज्य सरकारें ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि इसका खर्चा वहन कर सकें।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : अध्यक्ष महोदय, श्री राम विलास पासवान ने जो कुछ कहा, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। एक बहुत ही अनुचित विवाद छिड़ गया है तथा हमारे प्रजातंत्र के विभिन्न स्कंध किंकर्त्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव आयोग प्रतीयमान बेहतर आशयों से टिप्पणियां कर रहे हैं तथा आदेश दे रहे हैं जिससे वास्तव में समाज में भ्रान्ति फैल रही है। अतः प्रश्न यह उठता है कि चुनाव आयोग, राजनैतिक दलों तथा सरकार के बीच बातचीत करके पहचान पत्रों के संबंध में समाधान क्यों नहीं किया जा सकता। इतनी जल्दी क्या है? पूरी व्यवस्था को आघात क्यों पहुंचाया जा रहा है तथा प्रजातांत्रिक संस्थाओं को इतनी अधिक क्षति क्यों पहुंचाई जा रही है। **(व्यवधान)** मैं पहचान पत्रों के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन प्रश्न यह है कि इस समस्या का समाधान किया जाना है। एक ही संस्था सर्वोच्च नहीं हो सकती और यह सर्वाधिक बुद्धिमती नहीं हो सकती। यह अन्य सभी संस्थाओं को नष्ट नहीं कर सकती। जिस प्रकार से व्यापक चुनाव सुधारों का पूरा प्रश्न उठाया गया है मुझे उसके लिए खेद है। इस सदन में सब कुछ विधान के माध्यम से ही किया जाता है न कि अन्यत्र विराजमान किसी भी अधिकारी के आदेश द्वारा। अतः हमें व्यापक चुनाव संबंधी सुधारों का मामला अवश्य उठाना चाहिए तथा किसी भी चुनाव को पहचान पत्र जारी न किए जाने के नाम पर स्थगित या रद्द नहीं करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव क्यों स्थगित किए गए थे। इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर पूरा प्रजातंत खतरे में हैं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले को बहुत गंभीरता से लें तथा इस सभा में विधेयक लाए ताकि इस कार्य को सर्वसम्मति से किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी का मत स्पष्ट रहा है और कई सालों से स्पष्ट मत है कि चुनाव सुधार में पहचान-पत्र एक आवश्यक अंग है। हम इस मत के हैं कि इस पहचान-पत्र को विवाद का विषय न बनाकर एक मल्टी परपज पहचान-पत्र बनाईए हम उस मत के रहे है और आज भी हैं।

कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां सरकार की तरफ से पेश की गई हैं, कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां अन्य मित्रों की तरफ से पेश की गई हैं। हमारा मत है कि इस प्रकार का विवाद नित अखबारों में चले या विवाद के रूप में खड़ा हो, यह शोभनीय नहीं है। आवश्यकता है कि सरकार इस पर पहल करे। हमें शिकायत है कि इतने दिनों से यदि मुख्य चुनाव आयुक्त इसकी मांग करते आ रहे हैं तो सरकार की तरफ से उनके साथ बैठकर बातचीत करने की पहल अभी तक क्यों नहीं की गई है। यह पहल करना बहुत जरूरी है। सरकार पहल करे और उनकी कठिनाइयां समझे तथा अपनी कठिनाइयां रखे और इसमें से कोई समाधान निकाले।

दूसरी बात में कहना चाहूंगा कि पिछली लोक सभा में स्वर्गीय दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता

में चुनाव सुधार संबंधी समिति बनी थी। उस समिति ने अपनी सर्वसम्मत रिपोर्ट दी है जो कि सरकार के पास पड़ी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी अपनी तरफ से 24 या 34 पाइंट का चुनाव सुधार संबंधी एक दस्तावेज पेश किया है। सरकार क्यों नहीं चुनाव सुधार संबंधी विषय पर कदम उठाती। यदि वह कदम उठायेगी तो उसमें बहुउद्देशीय पहचान पत्र का जो मसला है उस पर भी बातचीत हो सकती है।

तीसरी बात इसमें वित्त की है। मैं समझता हूं कि इसमें कितना पैसा लगेगा, कौन देगा, यह अपने आप में कांसीक्यूएंशल मामला है। केवल सरकार की तरफ से बयान आये कि इसमें तीन हजार करोड़ रुपया खर्च होगा, फिर विवाद के रूप में कोई कहे कि नहीं छः सौ करोड़ रुपया खर्च होगा, इसको बैठकर बातचीत के द्वारा हल किया जाना चाहिए। पैसे के आधार पर कांस्टीट्यूएशनल इम्पास खड़ी हो जाये देश में, यह मुझे कोई अक्ल की बात नहीं लगती।

[अनुवाद]

श्री शोभानाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, तेलुगु देशम पार्टी की ओर से मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

हम चुनाव प्रयोजनों के लिए फोटो पहचान पत्रों के पक्ष में हैं। वास्तव में हमारी तेलुगु देशम सरकार आधं प्रदेश में श्री एन.टी. रामाराव के नेतृत्व में सात वर्षों तक सत्ता में थी हमने सहकारी चुनावों तथा नगर निगम के चुनावों के लिए भी फोटो पहचान पत्र दिए थे। यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इससे वित्तीय भार बहुत अधिक नहीं होगा। जब कि हमने पहले ही ऐसा कर दिया है तो यदि सरकार चुनाव सुधारों को क्रियान्वित करने के प्रति वास्तव में गंभीर है तथा ऐसा समझती है कि निष्पक्ष तथा उचित अवसर प्रदान प्रदान किए जाने चाहिए तो ऐसा किया जाना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया के द्वारा सरकार को आगे आना चाहिए तथा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस वित्तीय भार को वहन कर सकती हैं।

हम मांग करते हैं कि जैसा कि श्री दिनेश गोस्वामी ने सिफारिश की थी सरकार को व्यापक चुनाव सुधार करने चाहिए। हम चुनाव प्रक्रिया के एक भाग के रूप में पहचान पत्र जारी करने के पक्ष में हैं तथा यह बहुप्रयोजनीय होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामसागर (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं के लिए पहचान पत्र देने का सुझाव दिया गया है और सरकार की तरफ से उसमें कठिनाई व्यक्त की जा रही है। मैं इसमें केवल एक सुझाव देना चाहता हूं। मुझे इस बात का खेद है कि यह मामला बढ़ता जा रहा है। सरकार की तरफ से सभी दलों की एक बैठक बुलाने का निर्णय अभी तक नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि सभी दलों की एक बैठक बुलाकर कोई उपयुक्त निर्णय लिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : हम चुनाव प्रक्रिया मे संवैधानिक सुधारों के संबंध में सभी पक्षों से की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के पक्ष में हैं। हमारी सरकार पूर्णतः इसके पक्ष

में है। किन्तु यहां कई बार वित्तीय बाधाएं आ जाती हैं। इसीलिए चुनाव आयोग और सरकार के बीच बातचीत चल रही है कि क्या धन राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाएगी अथवा राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। पूरे सदन को इस तथ्य की जानकारी है कि धन एकदम नहीं दिया जा सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को बहुत अच्छे सुझाव देने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, यह विवाद इस रूप में पूरे देश के सामने आ रहा है जैसे हिन्दुस्तान की तमाम पालिटिकल पार्टीज लोकतंत्र के खिलाफ हैं और केवल एक आफिसर लोकतंत्र के पक्ष में है। इससे जो राजनैतिक इमेज बन रही है, मैं समझता हूं कि इसका असर बहुत बुरा पड़ रहा है। जितना जल्दी इस मामले को सुलझाने की बात की जाये, उतना ज्यादा अच्छा होगा। जहां तक आयडैंटिटी कार्ड का सवाल है तो इश्यू करने का कोई विरोधी नहीं है लेकिन कैसे किया जाये और उसके लिये जो पैसे का सवाल है, वह कैसे हो और क्या इलैक्शन के प्रोसैस में.....

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आयडेंटिटी कार्ड दिया गया और जो लोग वोट देने के लिये नहीं जाने देते, उसके लिये कैसे रोकेंगे?

श्री विजय कुमार यादव : मैं यही कह रहा हूं कि आयडैंटिटी कार्ड का मामला है और साथ में जो पैसे का सवाल है, पूरे एलेक्ट्रोल रिफार्म्स का सवाल है तो इस सारे मामले के लिये आवश्यक है कि सरकार को कोई इनिशियेटिव लेना चाहिये और इलैक्शन कमीशन को सब पालिटिकल पार्टीज के साथ बैठकर इस मामले का समाधान निकालना चाहिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : आपने एक सवाल पूछा है तो उसका उत्तर देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : जी, देना चाहिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जो घरों से लोगों को निकलने नहीं देते हैं, उनका इलाज आयडैंटिटी कार्ड नहीं है मगर जो पोलिंग बूथ पर पहुंच जाते हैं, वे सही मतदाता हैं या नहीं, इसका निर्णय करने में आयडैंटिटी कार्ड सहायता करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मेरा इतना ही निवेदन है कि यह जो आयडैंटिटी कार्ड का मामला चुनाव के वास्ते उठाया गया है और जिसका विवाद चुनाव से है और जैसा श्री जसवंत सिंह जी ने कहा....

अध्यक्ष महोदय : आपने सुझाव दिया हो तो सब मिलकर बात करेंगे।

श्री शरद यादव : मेरा सुझाव यह है कि इलैक्शन कमीशन सुधार के मामले में जो लगातार

कैम्पेन किये हुये है, निश्चित रूप से हमें महसूस होता है कि देश के अन्य राजनैतिक दल इसमें रुचि नहीं लेते हैं। हालांकि शुक्ला जी ने मीटिंग बुलायी थी और उसमें यह तय हुआ था कि हम कम्प्रहैंसिव एलेक्ट्राल रिफार्म्स के बारे में तत्काल ही कोई बैठक बुलायेंगे। इसीलिये आयडैंटिटी काड्र्ज का चुनाव के वास्ते इस्तेमाल करने से केवल हमारे पैसे की बरबादी न हो, यह पहले पाट में देख लिया जाये और इस मामले को छोड़कर एक कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस पैदा न किया जाए। मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार गोस्वामी समिति की सिफारिशों के आधार पर तत्काल सभी पार्टियों की एक मीटिंग बुलाये और एलेक्ट्राल रिफार्म्स में क्या काम्प्रिहैंसिव चेंज इन टोटल कर सकती है, इस पर गंभीरता से विचार करे और यहां पर खड़े होकर इस सवाल पर अपनी बात साफ-साफ रखें।

[अनुवाद]

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, पहचान पत्रों के मामले पर सदस्यों की चिंता में मैं भी शामिल हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा निर्धारित तारीख को ध्यान में रखते हुए यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। अतः यह ऐसा विषय नहीं है कि इसे विशेष महत्व न दिया जाए। मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना एक अच्छी बात है। परन्तु इसके साथ ही राज्यों पर अत्यधिक बोझ डालना अच्छी बात नहीं है। सरकार को इस समस्या को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री चित्त बसु (बारसाट) : पहचान पत्र जारी करने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मेरे विचार से पहचान पत्र जारी करने संबंधी मामला पूर्ण व व्यापक रूप से चुनाव सुधारों का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।

मेरा विचार है कि चुनावों में व्यापक रूप से सुधार न करके केवल पहचान पत्र जारी करने मात्र से अनेक सदस्यों द्वारा उठाई गई इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

पहचान पत्र के इस मामले के साथ अन्य समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। मेरे विचार से सदन को इस बात की जानकारी होगी कि चुनाव आयोग ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था जिसके द्वारा चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कतिपय मान्यता प्राप्त दलों का पंजीकरण रद्द करने और उनकी मान्यता समाप्त करने का अधिकार अपने हाथ में लिया था बशर्ते कि वे आदर्श आचार संहिता को लागू नहीं करते हों। सभी राजनैतिक दलों ने चुनाव आयोग को यह अधिकार देने का विरोध किया था सरकार भी अनेक उपाय करना चाहती है।

अतः मैं चाहता हूं कि इसी के साथ सरकार को इन सभी समस्याओं को सुलझाने और समुचित कदम उठाने के लिए सभी दलों की एक बैठक बुलानी चाहिए जिसमें चुनाव आयोग को भी शामिल किया जाए ताकि चुनावों में पूर्ण और व्यापक रूप से सुधार लाने के लिए यथाशीघ्र उपाय किए जा सकें।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : मेरा एक छोटा सा सुझाव है। मेरे ख्याल में आइडैंटिटी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक सर्टिफिकेट पोलिंग ऑफिसर दे दें जिसमें लिखा हो कि इन

लोगों ने वोट दिया है तो समस्या हल हो जाएगी। जो वोट नहीं देता है उसको राशन कार्ड भी नहीं मिलना चाहिए, उनके बाल-बच्चों का नाम लिखना उसमें मुश्किल होना चाहिए, उनको सब सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई मजबूरी हो तो उसके लिए आप कोई कानून बना सकते हैं या जरूरत पड़े तो संविधान में संशोधन कर सकते हैं कि आइडैंटिटी कार्ड की जरूरी नहीं है, एक सर्टिफिकेट ही होना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : मैं इस आइडैंटिटी कार्ड के इश्यू को सपोर्ट करना चाहती हूं। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो आइडैंटिटी कार्ड की बहुत जरूरत है।

[अनुवाद]

महोदय, मैंने देखा है कि एक ही नाम भारत और बंगलादेश दोनों की मतदाता सूची में हैं। मैंने हाल ही में दक्षिण दीनाजपुर जिले में तपन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया है। वहां की मतदाता सूची में जिस व्यक्ति का नाम था वही नाम बंगलादेश में राजसाही जिले की मतदाता सूची में भी था। मेरे पास मतदाता सूची है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह केवल इसी मामले पर व्यापक रूप से चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद (एन डी सी) की बैठक बुलाये ताकि आगामी चुनावों के लिए पहचान पत्र जारी किये जा सकें और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण हो सके।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : सर, बंगलादेश का वोटर लिस्ट इनको कहां से मिला है?

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : यदि आप चाहें तो मैं सभा पटल पर मतदाता सूची रख सकती हूं।

अध्यक्ष महोदय : मतदाता सूची एक सार्वजनिक दस्तावेज है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : मैं नहीं समझता कि वक्तव्य के इस भाग के बारे में कोई संदेह है कि बहु-प्रयोजनीय मतदाता कार्ड अनेक प्रकार से लाभप्रद है। यहां तक कि चुनावों के दुरुपयोग के समय ही इसका उपयोग किया जा सकता है। इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जिस मुद्दे पर यहां अत्यधिक बल दिया गया है वह इस समस्या का एकमात्र समाधान नहीं है। यह पहला मुद्दा है।

दूसरा मुद्दा यह है कि यह प्रत्येक समस्या का पूर्ण समाधान नहीं है। उन समस्याओं के समाधान के अन्य तरीके भी हैं। और अन्य समाधानों के बारे में संभवतः यह समस्या विपक्ष की ओर से है कि जो भी स्वर्गीय दिनेश गोस्वामी की सिफारिशों के अनुसार विगत में स्वीकार कर लिया गया है। उसको लागू किया जाना चाहिए, उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, और उस प्रश्न का एक त्वरित उत्तर सभा को दिया जाना चाहिए।

तीसरे मुद्दे, जिसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, के बारे में हम अपनी चिन्ता व्यक्त करना चाहते हैं वह यह है कि सांविधिक प्राधिकारियों के मध्य एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह राज्य के लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करने में अत्यधिक हानिकर है। उस भाग के बारे में भी यथाशीघ्र अध्ययन किया जाए।

जैसा कि पहले बताया गया है, पश्चिम बंगाल में तीन उप-चुनाव नहीं कराये जा सके, एक मंत्री जी को त्यागपत्र देना पड़ा था, क्योंकि उप-चुनाव नहीं हो सके थे। महोदय, उस पक्ष की ओर से एक प्रश्न पूछा गया है कि हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। मैं इस तरह से इसका समाधान नहीं चाहता हूं। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं।

दूसरे, किसी सदस्य ने एक प्रश्न यह पूछा है कि चुनावों में, बेईमानी क्यों होती है। इसका उत्तर है कि जहां कहीं भी कांग्रेस की पराजय होती है तो वहां बेईमानी सबसे अधिक होती है। यह हम जानते हैं। अतः हम चाहते है कि सत्ता पक्ष और सरकार को सभी राजनैतिक दलों की बैठक बुलाकर पहचान पत्र जारी करने और चुनाव सुधारों के बारे में चुनाव आयुक्त से संपर्क करने का प्रयास करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं पहचान पत्र के सवाल को चुनाव सुधार के साथ जोड़कर देखना चाहता हूं। पहचान पत्र का सवाल उठाने के पीछे मंशा यही है कि हर मतदाता मत दे सके लेकिन इसके साथ यह सवाल भी जुड़ा हुआ है कि अगर पहचान पत्र मिल जायेगा तो इस देश में गरीब तबके के अनेक लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, घर नहीं है। उनके समान की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर उन्हें पहचान पत्र मिल जायेगा तो उसके खोने की पूरी संभावनाएं हैं, नष्ट होने के चांस ज्यादा हैं। यदि उसका पहचान पत्र नष्ट हो गया तो चुनाव के दौरान क्या वह अपना मत दे पायेगा या नहीं क्योंकि चुनाव सुधार या पहचान पत्र जारी करने की मंशा इसी पर आधारित है कि वाजिब मतदाता को ही मतदान का अधिकार होना चाहिये। परन्तु उस स्थिति में जब पहचान पत्र खो जायेगा तो वह मत कैसे दे पायेगा। मैं दोनों सवालों को जोड़कर देखना चाहता हूं।

मैं इस सवाल को आपके सामने इसीलिये रखना चाहता हूं क्योंकि पूरे देश में जिस रूप में इसे प्रोजैक्ट किया जा रहा है कि पहचान पत्र के मामले में चुनाव सुधार चाहने वाले लोग पहचान पत्र के पक्षधर हैं और चुनाव सुधार के विरोधी लोग पहचान पत्र के खिलाफ हैं । मैं कहना चाहता हूं कि हम पहचान पत्र के खिलाफ नहीं हैं लेकिन इसके साथ जो व्यावहारिक दिक्कत है, उसको ध्यान में रखते हुए ही समस्या का समाधान होना चाहिये।

इस सवाल पर केन्द्रीय सरकार ने अभी तक अपना रूख स्पष्ट नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार आराम की मुद्रा में बैठी हुई है ओर इलैक्शन कमीशन के खिलाफ एक प्रौक्सी वार करना चाहती है। वह जानती है कि बाकी लोग इस सवाल को उठायेंगे, एक वातावरण बनेगा और इस तरह वह प्रौक्सी वार लड़ना चाहती है, समस्या का समाधान करना नहीं चाहती।

अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं ऐसा कहने के लिये इसलिये मजबूर हुआ हूं क्योंकि वर्तमान चुनाव आयुक्त ने प्रधानमंत्री जी के सामने चुनाव सुधार के सिलसिले में कई प्रस्ताव रखे थे

और उन्होंने उसकी एक कापी हर संसद सदस्य को भेजी है, उप-चुनाव आयुक्त के पत्र के साथ उसे सुझाव के तौर पर भेजा गया है। दिनेश गोस्वामी कमेटी ने इलैक्टोरल रिफार्म्स के बारे में जो काम्प्रीहैन्सिव सुझाव दिये थे, उस पर सारी पार्टियां सहमत हो चुकी थी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने यह बात कही है। आपके उस मुद्दे को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उसके आधार पर राज्य सभा में एक बिल भी इंट्रोड्यूस हुआ था परन्तु उस पर सरकार ने अभी तक कोई राय नहीं बनायी, कोई फैसला नहीं किया। उसका नतीजा यह हुआ कि वह मामला अभी तक अधर में लटका हुआ है, मामला इतना डिरेल हो चुका है कि आज अगर कोई चुनाव सुधार की बात करता है तो उसको इस रूप में लिया जायेगा कि हम पहचान पत्र के विरोधी है। मध्यम वर्ग के द्वारा ऐसा वातावरण पैदा किया जा रहा है और हम रोज अखबारों में भी पढ़ते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने यह मुद्दा उठाया है और आप इस समय उसे दोहरा रहे हैं। आपको अपनी बात पर विश्वास नहीं है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : एक व्यक्ति हर जगह भाषण दे रहा है और ऐसा लगता है कि राजनैतिक दलों के लोग चुनाव सुधार के मामले में ईमानदार नहीं है।

मैं आपका संरक्षण चाहता हूं इस बात को कहने के लिये..

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाईये। दूसरों को भी बोलने दीजिये।

श्री नीतीश कुमार : मैं अपनी व्यथा आपके सामने रखना चाहता हूं कि आखिर यह बदनामी सभी पोलीटिशियन्स की क्यों हो रही है, क्यों उनको बदनाम किया जा रहा है। राजनीति करने वाले एक एक आदमी को बदनाम किया जा रहा है। आप उसका कोई रास्ता निकालिये। आप सरकार को निर्देश दीजिये कि इस सवाल पर शीघ्रातिशीघ्र अपनी राय प्रकट करके, सभी लोगों के साथ बात करें, चुनाव आयुक्त ने जो पत्र सभी सांसदों को भेजा है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : अध्यक्ष जी, अगर सभी के लिये पहचान पत्र जारी करना संभव न हो तो मेरा निवेदन है कि कम से कम बौर्डर इलाकों में रहने वाले लोगों को पहचान पत्र अवश्य जारी कराये जाने चाहिये। उसका कारण यह है कि पाकिस्तान और बंगलादेश से हमारे देश में अनेकों घुसपैठिये आ गये हैं, उनमें से बहुत से दिल्ली तक आ गये हैं। हमारे बौर्डर के लोगों के पास पहचान पत्र न होने के कारण हम हिन्दुस्तान में घुसपैठियों का आना रोक नहीं सकते हैं। इसलिये सरकार को बौर्डर इलाकों में रहने वाले लोगों को पहचान पत्र जारी किये जाने के मामले में जल्दी कोई निर्णय लेना चाहिये और उसको कार्यान्वित करना चाहिये।

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझती हूं कि लोकतंत्र के हिसाब से ये आईडैन्टिटी काड्र्स जारी हों या न हों, इस पर पूरी चर्चा हो जानी चाहिये। इस संबंध में अलग-अलग प्रांतों के चीफ मिनिस्ट्र्स, अलग-अलग पक्षों के नेता, पोलिटिकल पार्टीज के नेताओं के साथ चर्चा की जाये।

इसमें यह डिसाइड हो कि इसके ऐडवानटेजेस क्या है, डिसऐडवानटेजेस क्या हैं, डैमोक्रेसी की नीति में क्या है, प्रैक्टिकल क्या है। इसकी चर्चा होकर डिसीजन किया जाए, नहीं तो आईडैनटिटी कार्ड हो या न हो, इसका एक पोलिटिकल ईशू बन जाएगा। इस पर चर्चा करके जल्दी कुछ निर्णय हो जाए तो अच्छा होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहती है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, सरकार ने पहल की है। इस मामले पर चर्चा करने के लिए मुख्य मंत्रियों की विशेष बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में अनेक मुद्दे प्रस्तुत किए गए थे। मुख्य मंत्रियों द्वारा अभिव्यक्त विचारों पर उचित ध्यान दिया गया है। इस मामले पर सरकार और विपक्षी नेताओं के बीच अनौपचारिक रूप से भी चर्चा हुई है।

हम निश्चय ही इस मामले को अत्यधिक महत्व देंगे जिससे कि इसे समुचित रूप से और सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके।

वास्तव में, सम्पूर्ण प्रश्न संसाधनों की उपलब्धता से जुड़ा हुआ है, जिससे कि यह कार्य समय सीमा के अंदर किया जा सके। अन्यथा, पहचान पत्र देने के प्रश्न पर मैं नहीं समझता कि चुनाव में भाग ले रहे राजनैतिक दलों और लोगों के बीच मतभेद उत्पन्न होगा। इस बारे में केवल दो मुद्दे हैं :

(क) क्या इसे प्रस्तावित समय-सीमा के अंदर पूरा किया जा सकता है; और

(ख) क्या उस समय-सीमा के अंदर संसाधन जुटाए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : यह भी कि कैसे रखा जाए और जिसका आईडैन्टिटी कार्ड खो जाएगा, उसको वोट का अधिकार रहेगा या नहीं।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा कि श्री पासवान ने सुझाव दिया है, कई अन्य संबंधित मुद्दे हैं। **(व्यवधान)** हम मामले पर विचार कर रहे हैं। हम जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, जो चर्चा अभी हुई, उसमें चाहे

केन्द्र बिंदु पहचान पत्र रहे हों लेकिन प्रायः सब लोगों ने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि चुनाव सुधार के बारे में सरकार कोई समन्वित दृष्टिकोण अपनाए। आखिर इन्हीं दिनों 1990 में दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी जिसमें सभी पक्षों के लोग थे, फौर्मर चीफ इलैक्शन कमिश्नर शकधर साहब थे और कुल मिलाकर जो कनसैनसस बना, उसके आधार पर विधेयक भी प्रस्तुत किया गया। लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा। फिर उसके बाद स्वयं इलैक्शन कमिश्नर ने अनेक सुझाव दिए। उन दो दस्तावेजों के आधार पर सरकार अपना मत बना लें, हमको बताए और हमसे प्रतिक्रिया स्वीकार करें और इस बजट सैशन में इलेक्टोरल रिफार्म पर जो कुछ करना है, वह करना चाहिए, यह मेरा आग्रह होगा।

[अनुवाद]

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : मैं, अनिवासी भारतीय लोगों के मुद्दे को उठाना चाहूंगा। जैसा कि हमने प्रश्न काल में चर्चा की है, बहुत सारी शिकायतें हैं। विदेशों में हमारे लाखों भारतीय हैं। जहां तक परिचय पत्र का संबंध है, जो भारतीय विदेशों में है उनके मामलों में हमें भारी कठिनाई होगी। वे करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा कमाकर भारत भेज रहे हैं। अतः इस पहलू पर निर्णय करते समय उनके हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सदन ने अपना मत बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया है। सभी ओर से यह मांग हो रही है कि चुनाव सुधारों पर विचार किया जाए तथा जो किया जाना हो उसका निर्णय किया जाना चाहिए।

परिचय पत्रों का प्रस्ताव अच्छा प्रतीत होता है। लेकिन इस मामले में कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। उन व्यावहारिक कठिनाइयों को हम कैसे दूर करें, इसका निर्णय सभी संबंधित वर्ग द्वारा किया जाना है। ऐसा लगता है कि सदस्यों ने यह निर्णय किया है कि संबंधित लोगों को एकजुट होकर इस प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए तथा मामले पर समुचित निर्णय लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल वैधानिक तरीका है।

12.40 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय पन विद्युत निगम लि. तथा विद्युत विभाग के बीच 1993-94 इत्यादि के लिए समझौता ज्ञापन

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : मैं नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत विभाग के बीच वर्ष 1993-94 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल.टी. 5387/94]

केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि., कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल.टी. 5388/94]

(3) (एक) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) के अंतर्गत दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल.टी. 5389/94]

(5) (एक) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) के अंतर्गत दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल.टी. 5390/93]

(7) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल.टी. 5391/94]

(ख) (एक) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के लेखापरीक्षति लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल.टी. 5392/94]

राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन, इत्यादि

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल.टी. 5393/94]

(2) (एक) भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल.टी. 5394/94]

भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत, अधिसूचनाएं और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय तार (पांचवा संशोधन) नियम, 1993 जो 1 नवम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 679(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय तार (पहला संशोधन) नियम, 1994 जो 17 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 24(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल.टी. 5395/94]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखक तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल.टी. 5396/94]

नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन, लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(1) नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल.टी. 5397/94]

12.40 1/2 म.प.

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना देनी है :

"राज्य सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 23 फरवरी, 1994 को हुई अपनी बैठक में पारित रेल (संशोधन) विधेयक, 1994 की एक प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।"

12.41 म.प.

रेल (संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित

महासचिव : महोदय, मैं 23 फरवरी, 1994 को राज्य सभा द्वारा यथापारित रेल(संशोधन) विधेयक 1994 को सभा पटल पर रखता हूं।

12.41 1/2 म.प.

[अनुवाद]

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन विधेयक*

वित्त मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार, अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*दिनांक 28.2.94 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग दो, खण्ड-2 में प्रकाशित किया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अबरार अहमद : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

12.42 म.प.

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन अध्यादेश द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण

वित्त मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : मैं, विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन अध्यादेश, 1994 द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 5398/94]

12.42 1/2 म.प.

कॉफी (संशोधन) विधेयक*

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कॉफी अधिनियम, 1942 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कॉफी अधिनियम, 1942 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।**

---

*दिनांक 28.2.1994 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग दो, खण्ड दो में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिशों के साथ पुनः स्थापित।

12.43 म.प.

कॉफी (संशोधन) अध्यादेश द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं, कॉफी (संशोधन) अध्यादेश, 1994 द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 5399/94]

12.43 1/2 म.प.

खान और खनिज (विनियम और विकास) संशोधन विधेयक*

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खान और खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खान और खनिज (विनियम तथा विकास) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री बलराम सिंह यादव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

12.44 म.प.

खान और खनिज (विनियम और विकास) संशोधन अध्यादेश द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : मैं, खान और खनिज (विनियम और विकास) संशोधन, अध्यादेश, 1994 द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 5400/94]

---

*दिनांक 28.2.1994 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-दो में प्रकाशित।

12.45 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) देश में लाटरी व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता

श्री शांताराम पोतदुखे (चन्द्रापुर) : सभा राज्य सरकारों तथा निजी एजेंसियों द्वारा देश में विकास संबंधी परियोजनाओं में वृद्धि करने के नेक इरादे से लाटरी व्यापार आरंभ किया गया था तथा चलाया जा रहा था परंतु यह एक बड़ी धोखाधड़ी निकली जिसमें उन अत्यधिक गरीब लोगों को ठगा गया जो इसके शिकार बने हैं। कम वेतन पाने वालों में लाटरी के टिकट खरीदना सामान्य क्रिया है जिसमें वे अपने अधिकांश वेतन को खर्च कर देते हैं और इस प्रकार अपने परिवार को जीवन की दैनिक आवश्यकताओं एवं बच्चों को शिक्षा तथा बेहतर जिंदगी के अधिकार से वंचित करते हैं। गरीबी के उन्मूलन के स्थान पर इसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस खतरे पर रोक लगा दी जाए तथा लाटरी व्यापार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाए और इस प्रकार गरीब लोगों को भुखमरी तथा विपत्ति का शिकार बनने से बचाया जाए।

(दो) महाराष्ट्र में पाटन और शिराला खंडों को पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल करने की आवश्यकता

श्री पृथ्वीराम डी. चव्हाण (कराड़) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिम महाराष्ट्र के दो खण्डों यथा पाटन और शिराला खण्डों में बार-बार भूकम्प आ रहा है। भूकम्प का मुख्य केन्द्र क्रमशः कोयना बांध तथा वारना बांध हैं। हाल के भूकम्पों ने सम्पत्ति को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है। सतारा जिले में ही 8,000 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। लोग बाहर सो रहे हैं। कोई औद्योगिक विकास नहीं होगा क्योंकि लोग वहां निवेश करने से डरते है। यह एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां मुम्बई के मठाडी कामगार ही रहते हैं।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि लोगों की कठिनाई को दूर करने के लिए इन दो खंडों को पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली खण्डों में शामिल किया जाए।

(तीन) गुजरात के लिए प्राकृतिक गैस के आवंटन मं वृद्धि करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री छीतूभाई गामीत (माण्डवी) : अध्यक्ष महोदय, इस वक्त देश में गुजरात राज्य औद्योगिक एवं ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में काफी अग्रसर है। दिन-प्रतिदिन घरेलू एवम् औद्योगिक ऊर्जा इस्तेमाल भी काफी बढ़ रहा है। गुजरात में भूमि क्षेत्र से प्राकृतिक गैस आबंटन पूर्ण रूप से हो गया है। इस भूमिगैस क्षेत्र में अब धीरे-धीरे उत्पादन कम होने लगा है। गुजरात राज्य की प्राकृतिक गैस की आवश्यकता के लिए बंबई हाई और अन्य समुद्रीय प्राकृतिक गैस क्षेत्र भण्डारों से प्राकृतिक गैस का आबंटन करने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं है।

ताप्ती गैस के आबंटन के अलावा राज्य के अलग-अलग थर्मल पावर प्रोजैक्ट्स जैसे कि इतराग आबंटन 135 मैगावाट, केवजाक बोरी 600 मैगावाट, पी.वावांव-2 615 मैगावाट, गांधीनगर 200

मैगावाट और सिनौर 1230 मैगावाट आदि के गैस आपूर्ति के लिए राज्य सरकार ने अपनी दरख्वास्त पेश कर दी है लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं।

गुजरात की दिन-प्रतिदिन ऊर्जा की मांग को ध्यान में रखते हुए मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि इस संबंध में उचित कार्यवाही शीघ्र की जाए।

(चार) उड़ीसा में बालासौर खड़गपुर ग्रान्ड ट्रेक रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने की आवश्यकता

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : बालासौर - खड़गपुर ग्रान्ड ट्रंक रोड भुवनेश्वर से कलकत्ता तक सबसे छोटी सड़क है। सभी भारी वाहन इस मार्ग से जाते हैं जिससे सड़क को भारी क्षति पहुंचती है। राज्य सरकार इस सड़क के निर्माण तथा मरम्मत के व्यय को वहन करने की स्थिति में नहीं है। यद्यपि वाहन चलाने के लिए यह सड़क उपयुक्त नहीं है फिर भी वाहन इस सड़क से गुजरते हैं और परिणामतः बार-बार दुर्घटनाएं होती हैं।

अतः, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बालासौर-खड़गपुर ग्रान्ड ट्रंक रोड़ को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने के लिए कदम उठाये तथा इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त धनराशि की मंजूरी दे।

(पांच) गुजरात में पेयजल की गंभीर समस्या को दूर करने की दृष्टि से नर्मदा परियोजना को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा (घुन्धका) : अध्यक्ष महोदय, देश के कई भागों में इस बार वर्षा कम होने के परिणामस्वरूप आने वाले दिनों में पीने के पानी की कमी महसूस होने लगी है। गुजरात के कई जिलों में पीने के पानी की कमी हो रही है, जैसे अहमदाबाद जिले और भावनगर जिले की कई तहसीलों में आज भी टैंकरों द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाता है। गर्मी के दिनों में इसका असर और गंभीर होने वाला है। लोगों को दूरदराज से पानी लाना पड़ता है। पीने के पानी की समस्या का कोई उपाय नहीं किया गया है। नर्मदा योजना पर आज सारा गुजरात अपनी निगाह लगाये बैठा है, लेकिन इस योजना को पूरा करने में बार-बार किसी न किसी बात को लेकर बाधायें खड़ी हो जाती हैं। अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि शीघ्रतिशीघ्र इस योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाये और लोगों की पीने के पानी की समस्या हल करने के लिए नर्मदा योजना को पूर्ण करने का संकल्प करें।

[अनुवाद]

(छः) उड़ीसा में गोपालपुर पत्तन का स्तर बढ़ाकर उसे सभी मौसमों में खुला रखने की आवश्यकता

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : उड़ीसा सरकार ने गोपालपुर में सीमित पत्तन सुविधाओं के साथ केवल साफ मौसम में काम आने वाला मालवोट बंदरगाह विकसित किया है, जिसने 1990-91

से कार्गो संभलाई का कार्य आरंभ कर दिया था। यह उत्तरी विशाखापट्टनम से 260 कि.मी. और दक्षिण पारादीप से 160 कि.मी. पर स्थित है, जिसे राष्ट्रीयय राजमार्ग 5 द्वारा 5 कि.मी. की दूरी पर एक ऐसी सड़क द्वारा भली-भांति जोड़ा गया है जो सभी मौस्मों में अनुकूल है तथा इसे 6 कि.मी. की दूरी पर बड़ी रेल लाइन द्वारा हावड़ा-मद्रास ट्रंकलाइन पर चत्तरपुर रेलवे स्टेशन से भी जोड़ा गया है। लंगरगाह पत्तन प्रचालन सीमाओं के बावजूद यह पत्तन बड़ी कुशलता से माल की ढुलाई धराई कर रहा हैं। बर्थिंग सुविधाओं के अभाव में तालचेर कोयला खानों से ताप बिजली उत्पादन के कोयले को बेकार में ही 300 कि.मी. दूर विशाखापटनम पत्तन तक ढोया जाता है। अतः गोपालपुर पत्तन पर सीधे बर्थिंग सुविधाएं आवश्यक हैं जिससे दक्षिण ताप विद्युत स्टेशनों के लिए कोयले की शीघ्र ढुलाई सुनिश्चित हो सकेगी तथा व्यर्थ ही परिवहन पर होने वाली राष्ट्रीय हानि को भी समाप्त किया जा सकेगा।

इस पत्तन की माल लदान ढुलाई की अच्छी संभावनाओं को देखते हुए इसका स्तर बढ़ाकर इसे सभी मौसमों में खुला रखने की आवश्यकता है। अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पत्तन को अपने नियंत्रण में लेने के लिए शीघ्र कदम उठाए तथा इस प्रयोजन के लिए आवश्यक निधियां आबंटित करे।

(सात) उत्तर प्रदेश के उरई और जालौन जिलों में रेलवे फाटक नं.1 पर उपरी पुल का निर्माण करने के लिए निधियों के आबंटन की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गया प्रसाद कोरी (जालौन) : अध्यक्ष महोदय, उ.प्र. के जिला जालौन को पिछड़ा और अल्प विकसित क्षेत्र घोषित किया गया है। मुख्यालय उरई में बड़े पैमाने पर लघु उद्योगों की स्थापना की जा रही है। यहां से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर दो रेल क्रांसिंग गेट स्थित है जिससे रेलगाड़ियों के गुजरने के समय रेल क्रासिंग गेट नं.1 के दोनों और यातायात पूरी तरह 40-50 मिनट तक अवरुद्ध हो जाता है। जालौन जिले के मुख्यालय उरई की गल्ला मंडी रेल क्रांसिग गेट नं. 1 के उस पार स्थित है जिससे किसानों, व्यापारियों और जनता का काफी समय बरबाद होता है। किसान और व्यापारी एवं क्षेत्रीय जनता इस उपरि पुल की मांग करती रही है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उरई में गेट क्रासिंग नं. 1 पर उपरि पुल निर्माण स्वीकृति करके निर्माण हेतु धन आवंटित करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

(आठ) पश्चिम बंगाल में इकलाखी-बाकनघाट रेल परियोजना पर कार्य आरंभ करने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में इकलाखी-बाकनघाट रेल परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि को किसी और कार्य के लिए खर्च करने और माल्दा में परियोजना कार्यालय को बंद करने के विरोध में 5 संसद सदस्यों का एक शिष्टमंडल 16-12-94 को माननीय रेल मंत्री से मिला था। हमें स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया गया था कि धनराशि का इस्तेमाल कहीं और नहीं किया जाएगा तथा इस कार्यालय को बंद करने का प्रश्न ही नहीं है। यह उत्तर बंगाल के लोगों की काफी पुरानी मांग है। वहां के लोग हम संबंध में अत्यधिक उत्तेजित हैं।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बिना किसी विलंब के इकलाखी-बाकनाघाट परियोजना पर कार्य आरंभ करने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न भोजन के लिए 13.50 बजे तक स्थगित हुई

12.52 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 13.50 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

13.57 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 13.57 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय-पीठासीन हुए]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री शिवचरण माथुर (भीलवाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :

"कि इस सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 21 फरवीर, 1994 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।"

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करता हूं कि मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी ने दोनों सदनों के समक्ष 21 फरवरी को जो कृपा करके भाषण दिया, इसके बारे में एक धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर हुआ करता है और मैं समझता हूं कि इसके महत्व को हमें उस दृष्टि से आंकना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में सबसे पहले इस बात की चर्चा की है उसको मैं माननीय सदस्यों के सामने दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कश्मीर के संबंध में अपनी चिंता प्रकट करते हुए यह कहा कि आजकल हो हालात हमारी सीमा पर हो रहे हैं उनसे हमें बहुत चिंता है और कश्मीर का मामला लगातार इस प्रकार से पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर रहा है उसके बारे में राष्ट्रपति जी ने बहुत दृढ़ता से अपना संकल्प दोहराया है और कहा है कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग रहा है और रहेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि भारत के सर्वोच्च व्यक्ति की तरफ से इस प्रकार का संकल्प प्रकट करना अपने आप में एक महत्व की बात है। हम सब उनकी इस घोषणा के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं।

यह भी ऐतिहासिक महत्व की घटना है कि राष्ट्रपति जी ने ठीक दूसरे दिन 22 फरवरी को

भारत की सर्वोच्च संस्था लोक सभा और राज्य सभा दोनों सदनों ने एक राय से बिना किसी विवाद के बिना किसी बहस के उस प्रस्ताव को आपके माध्यम से प्रस्तुत किया।

14.00 म.प.

और सर्वसम्मति से पारित किया गया। ऐसे मौके भारत की संसद के इतिहास में कम आये हैं, जबकि एक राष्ट्रीय संकट को सामने देखते हुए हमारे सदनों ने एकता का प्रदर्शन किया हो। अपने आप में यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। मैं ऐसा मानता हूं कि जब दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हुआ तो उस समय हमारे राष्ट्र की एकता का प्रदर्शन भी यहां पर हुआ। अनेक दलों के माननीय सदस्य यहां पर अपने दलों का प्रतिनिधत्व करते हैं और बहुत से मामलों में हमारे आपस के राजनैतिक मतभेद हैं। उनमें कभी-कभी कटुता भी आ जाती है। लेकिन यह खुशी की बात है कि राष्ट्र के एक संकट के होते हुए संसद ने उस प्रस्ताव को एकमत से पारित किया और अपना संकल्प जाहिर किया कि कश्मीर भारत का एक अविभाज्य अंग रहा है और रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की आजादी के समय जब भारत का विभाजन हुआ और हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान दो मुल्क बने। उस समय गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की मंशा के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी देशी रियासतें थी, राजाओं की हुकूमत थी, उनको अंग्रेज अधिकार देकर गये थे कि जहां भी वे चाहें, जिस यूनियन में चाहें अपना विलय करवा सकते हैं और वह विलय बिना शर्त था। उसमें किसी प्रकार की शर्तो का सवाल नहीं था। मैं ऐसा मानता हूं कि देश की 600 से ज्यादा रियासतों ने यह फैसला किया कि बिना किसी शर्त के वे भारत की यूनियन का एक हिस्सा होना चाहती हैं। उस समय के जम्मू-कश्मीर के महाराजा ने निर्णय किया कि कश्मीर हिन्दुस्तान का एक अंग होगा और बिना किसी शर्त के उन्होंने इस बात की घोषणा की। अध्यक्ष महोदय, उस समय जम्मू-कश्मीर के सबसे बड़े राजनैतिक दल नेशनल कांफ्रेंस ने इस घोषणा का स्वागत किया और उसको रेटिफाई किया। मैं ऐसा मानता हूं कि सारी दुनिया में उसको स्वीकार किया। जिस तरह से देशी रियासतों का विलय भारत की यूनियन में हुआ और कहीं पर कोई कठिनाई नहीं आई, जम्मू-कश्मीर के विलय में भी कोई कठिनाई का सवाल नहीं उठता, यदि पाकिस्तान 1947 में अक्तूबर माह में ट्राइबल इवेडर्स को हमारी सीमा में भेजकर फसाद की बात नहीं करता या 1948 के मई महीने में अपनी सशस्त्र सेना को हिन्दुस्तान की सीमा में नहीं भेजता, तो मैं समझता हूं कि आसानी से दोनों देशों के बंटवारे का सवाल निश्चित रूप से तय हो गया होता। लेकिन पाकिस्तान के जो इरादे उस समय रहे हैं वे हमारे सामने है। मैं ऐसा मानता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मंत्रों पर भी इस बात को भारत ने पूरी तरह से और गम्भीरता से कहा है कि हम कश्मीर के बारे में कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चर्चा नहीं करना चाहते।

उस समय 1965 की लड़ाई हुई। हमारे देश के बहादुरों ने हमारी सीमाओं की रक्षा करके बता दिया कि हम किसी भी संकट का सामना करने की तैयारी रखते हैं। 1971 में बंगलादेश की लड़ाई का सवाल आया। उस समय भी हिन्दुस्तान की फौजों ने जो बहादुरी दिखाई वह आपके और हमारे सामने है। हमने इस बात को स्वीकार किया कि 1971 में जो बंगलादेश की लड़ाई हुई थी, बंगलादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा था जो उससे अलग होना चाहता था, हालांकि वह भी मुस्लिम राष्ट्र का हिस्सा था, लेकिन उन्होंने जो अपने तौर पर इरादा किया और हिन्दुस्तान ने सपोर्ट किया।

14.05 म.प.

और लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद वहां के नेताओं को बंगलादेश की हुकूमत सौंपकर हम लोग वापस आ गये। यह विवाद चलता रहा लेकिन जुलाई, 1972 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. जुल्फिकार भुट्टो और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीच में शिमला समझौता हुआ जिसमें यह निश्चित किया गया कि हम प्रकार के मामले द्विपक्षीय वार्ता से तय करेंगे और ऐसे मुद्दों को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनायेंगे। आज फिर वही स्थिति पैदा हो गयी है। हमारा मुल्क और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ शान्ति से रहना चाहते हैं और यहां तथा वहां की जनता के साथ कोई लड़ाई नहीं है। क्योंकि यहां और वहां पर गरीबी, अशिक्षा और बेकारी है जिससे हम लड़ना चाहते हैं। इस संकल्प को हम लोगों ने आजादी के बाद से दोहराया है लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों पर जब कोई राजनैतिक संकट आता है तो वे हिन्दुस्तान के खिलाफ अपनी आवाज उठाने लगते हैं। यही बात आज पाकिस्तान कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि कल पाकिस्तान की पार्लियामेंट के सामने संवाददाताओं से बातचीत करते हुये वहां की प्रधानमंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टों ने यह बात कही कि पंजाब और खासकर जम्मू कश्मीर में जो मानवाधिकारों के हनन की बात हो रही है, उसको हम हर कीमत पर हर स्तर पर कहेंगे चाहे हमें किसी देश का समर्थन मिले या नहीं मिले। मैं इस बारे में कहीं गयी एक और गंभीर बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कश्मीर के मामले पर हमारे मुल्क का समर्थन रहा है, वह इस्लामिक प्रिंसीपल्ज के आधार पर रहा है। मैं समझता हूं कि आज तक यह बात कही गयी है। आज पहली बार पाकिस्तान की तरफ से यह बात कही गयी है जबकि हमने कभी देश के बंटवारे को धर्म के नाम पर स्वीकार नहीं किया था। यदि धर्म के नाम पर बंटवारा स्वीकार किया होता तो बंगलादेश क्यों अलग होता? एक मुस्लिम राष्ट्र का हिस्सा होकर क्यों जाता? ये बहुत ही गंभीर मसले हैं जिन पर हमको गंभीरता से विचार करना चाहिये और आगे आने वाले समय में गंभीरता से सोचकर पूरी तैयारी करनी चाहिये। हमें विश्वास है कि हमारी सेनायें और हमारे देश की जनता इस मामले में एकमत है और देश पर संकट आने की स्थिति में एक राष्ट्र के रूप में खड़ा हो जाती हैं।

मुझे मालूम है कि 1965 में जब मैं इस सदन में एक सदस्य की हैसियत से बैठता था तो उस समय पाकिस्तान और भारत की हुई लड़ाई के समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. शास्त्री जी शाम को 4 बजे हाउस में आकर सदन को विश्वास में लाया करते थे तो उस समय सभी राजनैतिक पार्टियों के नेताओं ने उनसे कहा कि सारा देश आपके साथ है। तो मैं समझता हूं कि आज भी वही स्थिति पैदा हो गयी है। मैं समझता हूं कि आज भी देश की जनता उस संकल्प को दुहरायेगी और यह बता देगी कि चाहे दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति क्यों न हो, हम अपने देश की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता को गिरवी नहीं रखने देंगे। चाहे इसके लिये कितने ही बलिदान क्यों न देने पड़ें, कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, हम हर प्रकार का कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं। यह खेद का विषय है कि हमारी अपनी कोशिशों के बाद ही पंजाब में जब आतंकवाद था, खून की नदियां बह रही थी, हमारी सरकार ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू किया और लोगों से कहा कि शान्ति में आपका हित है और वहां पर विधान सभाओं और लोक सभा के चुनाव हुये और बाद में नगरपालिकाओं के चुनाव भी हुये।

14.10 म.प.

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में खुशी है कि वहां के लोगों ने सोचा कि प्रजातांत्रिक तरीके से रहने से ही उनका विकास हो सकता है और वे शान्ति से रह सकते हैं। चुनाव होने के बाद वहां पर पूर्ण रूप से शान्ति है। हमारा विरोध करने वाला व्यक्ति भी यह महसूस करता है कि पंजाब में जबरदस्त बदलाव आया है। वहां का किसान अपनी मेहनत करके ज्यादा अनाज पैदा कर रहा है और देश को समृद्ध करने में अपना पूरा योगदान दे रहा है। जहां पंजाब में पूर्णशान्ति है वहां अमरीका के कुछ नेता मानवाधिकारों के हनन की बात कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हमें इस बात का जोरदार खंडन करना चाहिये और इस बात को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात कहनी चाहिये कि हम न केवल मानवाधिकारों के बारे में विश्वास ही करते हैं बल्कि हमने अपने देश में ही एक मानवाधिकार आयोग बनाया है जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज इसके सदस्य हैं। अब यदि भारत जैसे देश में मानवाधिकारों के हनन की बात की जाती है तो कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। इस बात को अमरीका के कुछ लोगों के अलावा अमरीकी राष्ट्रपति ने भी कहा है और जिसका अमरीका में स्थित हमारे राजदूत ने खंडन किया है। आज प्रातः ही जब इस संबंध में एक प्रश्न आया तो हमारे विदेश मंत्री ने उत्तर दिया जिससे मैं कुछ हद तक सहमत हूं कि हमारी देश की सार्वभौमिकता के प्रश्न पर सब लोग एकमत हैं और इस तरह की जब भी कोई बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कही जाती है तो हम उसके लिये दृढ़ संकल्प हैं और हमने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है और कर रहे हैं। अतः हमारे देश में कहीं पर मानवाधिकारों का हनन नहीं होता है बल्कि ऐसी व्यवस्था है कि यदि कहीं पर भी कुठाराघात होता है तो उसका ज्यूडिशियल प्रोसैस है। उसका निष्पक्ष भाव से विमोचन करने का, जांच करने का एक तरीका बना हुआ है। इसलिये मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्थिति 1965 में या उसके बाद बनी, वही आज बन रही है और आप लोग उसी दृढ़ता के साथ खड़े हो जाएं। इस अवसर पर यह सामयिक है या नहीं लेकिन मैं बीजेपी के मित्रों से कहूंगा कि ऐसे संकट के समय में अपने रुख में बदलाव लायें। राजनीति में तो यह समझ में आता है कि वे विचारधारा के आधार पर जनता में मत बना कर सत्ता में आयें, इससे इन्कार नहीं कर सकते हैं लेकिन राजनीति में धर्म को लाकर और किसी सम्प्रदाय के मत के लोगों को यह कहकर कि उनके साथ तुष्टीकरण का व्यवहार हो रहा है या किया गया है और देश में ऐसे दो हिस्से पैदा करने के लिये कहना, मेरी समझ में उचित नहीं है। इसलिये इस बात को गंभीरता से सोचें। मुझे मालूम नहीं कि इस मौके पर यह बात कहनी चाहिये या नहीं लेकिन मैं दिल से यह महसूस करता हूं कि आज की स्थिति में इस संकट को देखें तो यह विपदा आज मौजूद है। क्या हिन्दुस्तान में रहने वाले 13 करोड़ अल्पसंख्यक वर्ग के भाइयों से यह कह सकते हैं कि वे दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? उन लोगों को भी उसी प्रकार का अधिकार है जो हिन्दुस्तान में पैदा होने वाले किसी भी व्यक्ति को हैं। उन्होंने भी देश के लिये कुर्बानी दी है। सीमाओं पर जब युद्ध हुआ तो उन लोगों ने भी अपना खून बहाया है। हम लोग उनको भी उसी प्रकार का सम्मान दे और देश में इस तरह का वातावरण बने कि भारत में रहने वाला प्रत्येक हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, जैन और ईसाई सब आपस में भाई हैं और सब को समान रूप से विकास करने का अधिकार है। मेरी यह मार्मिक अपील है और खासतौर से उधर बैठने वाले मित्रों से है कि वे इस बात को गंभीरता से सोचें। श्री वाजपेयी जी से कहना चाहूंगा कि देश में इस संकट के आने पर वे अपने मंतव्य और अपने दृष्टिकोण को फिर से सोचने की कोशिश करें और जो देश की परिस्थितियां हैं, उसके अनुकूल करें।

14.15 म.प.

मैं 52 साल से राजनीति में रहने के बाद आज यह महसूस करता हूं कि हमारा लोकतंत्र परिपक्व होता जा रहा है और यदि छोटे छोटे मसलों पर गंभीरता से न सोचें तो उसका क्या असर होगा, इस ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। साथ ही बड़े मसले पर हम अपनी आंख ओझल कर देते हैं। अब इस संबंध में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में महाराष्ट्र में आये भीषण भूकम्प की विभीषिका का जिक्र किया है जिसमें कहा गया है कि इस भीषण भूकम्प के समय महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार और उससे ऊपर भारत की जनता ने विपतिग्रस्त लोगों की मदद की है, वह अविस्मरणीय है। आज सुबह चौहान साहब ने प्रश्न काल के समय बताया कि उनके इलाके में भी भूकम्प के झटके महसूस किये गये हैं तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जहां पर प्रभावी क्षेत्र हैं या जहां पर भूकम्प आने की संभावना है, वहां पर वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की कोशिश करें, योजना बनाइये और वहां के लोगों को अग्रिम रूप से चेतावनी दें, ऐसी व्यवस्था करें जिससे लोगों की अचानक जन-धन की हानि न हो और उनको भयंकर विपदा से बचाया जा सकें। मुझे खुशी है कि इस विपत्ति के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मौके पर जाकर विपत्तिग्रस्त लोगों को ढांढस बंधाया और जो कुछ भी संभव हो सकता था, किया। फिर भी उसका स्थायी समाधान निकालने के लिये वैज्ञानिक उपकरण लगायें जिससे लोगों को समय रहते सूचित किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में आर्थिक सुधारों की चर्चा की है। इस संबंध में 1991 की स्थिति की चर्चा करना चाहूंगा। जब कांग्रेस ने इस देश की बागडोर संभाली..

श्री नतीश कुमार (बाढ़) : वह पुरानी बात है, कोई नयी बात बतायें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि नीतीश जी इसी प्रकार लगातार बोलते रहेंगे तो उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर नहीं मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री शिव चरण माथुर : सुनिये, पुरानी बात तो नहीं है। 1991 के जून महीने में जो स्थिति थी और सरकार को विरासत में मिली, वह आपके और हमारे सामने है। उस समय विदेशी मुद्रा का भंडार समाप्त हो चुका था और केवल 1000 करोड़ की ही विदेशी मुद्रा रह गयी थी। मुद्रास्फीति की दर 16% थी और देश में तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुयें मंगाने के लिये हमारे पास पैसा नहीं था। अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार पैसे की अदायगी के लिये पैसा नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारी अल्पमत की सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने सभी राजनैतिक दलों से चर्चा करके आपसी सहमति के आधार पर सामंजस्यपूर्ण वातावरण तैयार किया....

श्री बसुदव आचार्य (बांकुरा) : कोई सहमति नहीं थी।

श्री शिवचरण माथुर : उस स्थिति को बदलने की कोशिश की और मुझे मालूम है कि

दिसंबर, 1992 तक लोगों के दिमाग में एक बात स्पष्ट थी कि जिस तरह एक अल्पमत वाली सरकार ने देश की समस्याओं को हल करने की चेष्टा की है, वह अपने आप में अभूतपूर्व हैं, उसके लिये सरकार और प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आर्थिक सुधार हम देश में लाये, हमने देश में उदारवादी नीति अपनाई और लाईसेंस प्रणाली को खत्म किया, यह बात अपने आप में सही है और इससे इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन उसके क्रियान्वयन की ओर यदि हम जायें तो हमें देखने को मिलेगा कि नीचे के स्तर पर हमारे लोगों का मानस अभी तक नहीं बदला है। प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस बात को कहा है कि नीचे के स्तर पर जब तक लोगों का मानस बदलने की बात सामने नहीं आयेगी तब तक ऊपर से स्तर पर लिये गये निर्णयों का सही मानों में अपेक्षित लाभ लोगों को नहीं मिल सकेगा। आज लाईसेंस प्रणाली खत्म कर देने में ही सब काम नहीं हो जाते। ठीक है, लाईसेंस के लिये किसी व्यक्ति को आज उद्योग भवन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती और जो भी कारखाना लगाना चाहता है वह अपने तौर पर सर्वे करके, उसको लगाने की स्थिति में अपने आप को पाता है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। उसे जमीन चाहिये, बिजली चाहिये और पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बाजार में जब उसका माल आयेगा तो उसका निष्पादन कैसे होगा, इसकी व्यवस्था करना पड़ेगी। इसमें अलग अलग स्तर पर सामन्जस्य करने की जरूरत होती है। यह सही है कि वह सामन्जस्य आज तक स्थापित नहीं हुआ है। उसके कारण हमने चाहे उसके लिये कितनी भी एग्रीमेंट क्यों न कर लिये हो लेकिन नीचे के स्तर पर उसका लाभ लोगों को मिलने वाली स्थिति अभी सामने नहीं आयी है।

मैं इस मौके पर विशेष रूप से समस्त मंत्रीगण से कहना चाहूंगा कि वे कोई योजना बनाने के बाद, उसके क्रियान्वयन पर गम्भीरता से दृष्टि रखें और जब तक उसके बारीक प्वाइंट्स को वे नहीं देखेंगे, तब तक नीचे के स्तर पर, उसका कार्यान्वयन हो पायेगा, इसमें मुझे शंका है। मैं स्वयं एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं और मुझे मालूम है कि कैबिनेट स्तर पर कुछ फैसले होते थे परन्तु नीचे के स्तर तक पहुंचते पहुंचते, सर्कुलेट होते होते, अर्थ का अनर्थ हो जाया करता था मैं मानता हूं कि राजनैतिक स्तर पर, विभिन्न मुद्दों पर जो निर्णय लिये जाते हैं, उन पर ठीक से क्रियान्वयन हो और आपके निर्णयों के पीछे जो भावना है, उसके अनुकूल, नीचे के स्तर पर कार्य होगा या नहीं होगा, जब तक राजनीतिक स्तर पर हमारे मिनिस्टर्स इस बात को नहीं देखेंगे, मैं समझता हू कि उनके क्रियान्वयन में थोड़ी कठिनाई आयेगी और आ रही है क्योंकि फील्ड लेवल पर मैं स्वयं देखता हूं। आपको कोई भी कारखाना लगाने के लिये लाईसेंस भले ही न लेना पड़ता हो लेकिन हमारे नीचे के अधिकारियों का जो रवैया बना हुआ है, जब तक उसमें परिवर्तन नहीं आयेगा, हम किसी तरह से सही मानो में आगे नहीं बढ़ पायेंगे। नीचे के लोगों में एक सहानुभूतिपूर्वक क्रियान्वयन की मनोवृत्ति लाने की आवश्यकता है और इस बात को हमें आगे आने वाले समय में देखना पड़ेगा क्योंकि समय हम इसमें नहीं जोड़ सकते हैं, कुछ वर्षो के लिये इसको टाल नहीं सकते हैं। कुछ दिनों या कुछ महीनों में इस बात को हमें तय करना पड़ेगा कि जो भी निर्णय हम ऊपर लेते हैं, उसका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो और जो हमारी भावना है, जो हमारी नीति है, उसका लाभ नीचे के लोगों तक पहुंचे, यही मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं।

अब मैं प्रधानमंत्री जी के भाषण के कुछ अंश यहां कोट करना चाहता हूं जो उन्होंने आर्थिक सुधारों की चर्चा करते हुए, 28 सितम्बर, 1993 को नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल

के 66वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर दिया था :

> "ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कई गुना विस्तार किया गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि निम्नतम स्तर पर लोगों को लाभ पहुंचाने की काफी गुंजाइश है। यह पूरी तरह सरकारी धन से किया जा रहा है। हमारे प्राईमरी स्कूलों को चलाने की जिम्मेदारी और कोई लेने से रहा। इसी तरह कोई बाहरी देश से यहां आकर हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं चलायेगा। समाज कल्याण के कार्यक्रम भी कोई नहीं चलाने जा रहा है। इसकी व्यवस्था हमें खुद करनी होगी। इस देश की सरकार और यहां के लोगों को खुद इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। हां, लोग बाहर से यहां आकर उद्योग लगा सकते हैं, ऐसा संभव है और इसके लिये हम कोशिश भी कर रहे हैं।"

इस तरह दो अलग-2 क्षेत्र हैं - एक वह जिसमें सरकार और लोगों को खुद ही सब कुछ करना है जबकि दूसरे क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश और बाहर के लोगों की भागीदारी संभव है। इसलिए हमें ध्यान से यह बात समझ लेनी चाहिये कि कहां पर हमें खुद अपनी जिम्मेदारी उठानी है और कहां अपनी जिम्मेदारी औरों के साथ बांट सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि सुधार कार्यक्रम ऐसे होने चाहिएं जिन्हें अपने बलबूते पर चलाया जा सके। इसलिए अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में उपलब्धियों के आधार पर सुधारों की रफ्तार निर्धारित की जानी चाहिए। उन उपलब्धियों के पीछे निहित तथ्यों में सुधारों के लिए अथक प्रयास करने की जरूरत है। जब तक यह संकल्प दृढ़ नहीं होगा, मैं समझता हूं कितने ही अच्छे सुधार कार्यक्रम हों, उनका लाभ आम लोगों को नहीं मिल सकता। यह कमी जो मैं महसूस करता हूं, उसे यहां पर कहना चाहता हूं।

मैं विदेशी पूंजी को भारत में लाने का विरोधी नहीं हूं, आवश्यकता हो तो लाइए। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सब कार्यक्रमों के लिए हम विदेशी पूंजी पर निर्भर करते जाएं तो यह आगे आने वाले भारत के मानस के लिए उचित नहीं होगा। जो चीज हम नहीं लगा सकते, जो तकनीक बाहर की है, उसे लाने में कोई एतराज नहीं हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी अच्छे समाजवादी और साम्यवादी मुल्कों ने यह किया है। लेकिन मैं अपनी अस्मिता में, देश की अपनी शक्ति में दृढ़ आस्था रखता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि आज हिन्दुस्तान का वैज्ञानिक दुनिया में जाकर खोज कर सकता है। यदि उसे हिन्दुस्तान में मौका दिया जाए तो यह यहां पर भी वही कमाल करके दिखा सकता है। हमको उसके भरोसे पर, काबलियत पर विश्वास होना चाहिए और हमें उसे यह विश्वास दिलाना पड़ेगा।

मुझे कई लोग मिलते हैं। मैं अमरीका गया था तो वहां पर भी हिन्दुस्तान के कई साईंटिस्ट मिले। उन्होंने कहा कि यदि देश में ऐसा वातावरण उपस्थित किया जाए जहां हम शोध कर सकें तो हम अपने देश के लिए सब कुछ दे सकते हैं। वह विश्वास हमें पैदा करना होगा तभी हम निश्चित रूप से देश के टेलैन्ट का उपयोग कर सकेंगे।

14.28 म.प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

इस अवसर पर मैं अपने देश के पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स की भी प्रशंसा करना चाहता हूं। एक वक्त था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से निश्चय

किया कि देश के बड़े-बड़े उद्योग पब्लिक सैक्टर में लगाए जाएं, उन पर पूंजी लगाई जाए। आज हमने एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की पूंजी उन उद्योगों में लगाई है। मुझे याद है जब हमारे मित्र देश रूस ने भिलाई के इस्पात का कारखाना, बोकारों के इस्पात का कारखाना, रांची का फोर्ड फाउंडरी का कारखाना, राजस्थान में सूरतगढ़ का कृषि फार्म आदि बेसिक इनफ्रास्ट्रक्चर पैदा करने के लिए हमें जो मदद की, उसे हम भुला नहीं सकते। मुझे वह बात याद है जब क्रुश्चेव और बुलगानिन हमारे देश में आए थे। उन्होंने कहा था कि आप हमारी सीमा पर हैं, आप जब भी याद कीजिएगा, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। मैं कह सकता हूं कि हमारे पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स ने एक कमांडिग हाइट प्राप्त की थी। यह ठीक है कि आज यदि वे लाभ में नहीं चलते हैं तो हम उनके लिए अपने पब्लिक फंड से पैसा नहीं दे सकते। लेकिन कई उद्योग आज भी ऐसे हैं जो अच्छे चल रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनके रास्ते में जो कठिनाइयां हैं, हमें उन्हें दूर करना चाहिए।

14.30 म.प.

मुझे इस मौके पर यह कहना है कि देश में पूंजी पैदा हो। सब यही चाहते हैं। हर व्यवस्था में पूंजी पैदा करने की बात आती है - भले ही समाजवाद हो या पूंजीवाद हो। पूंजी पैदा करने के कोई खिलाफ नहीं है लेकिन पूंजी पैदा होने के बाद उसका वितरण किस प्रकार से होता है, इसमें एक प्रकार से मतभेद है। मैं सार्वजनिक क्षेत्रों के बारे में इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि हमें सब तरफ से उनको मदद देनी चाहिये और इसमें जो भूमिका निभाते हैं, उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये।

जो हमारे निजी क्षेत्र में उद्योग आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। देश के विकास के लिये सब तरह के प्रयोग हों और देश आगे बढ़े, इससे किसी को एतराज नहीं हो सकता है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो नये सुधार हुए हैं, उससे भारत के लोगों में विश्वास पैदा हुआ है। पहली बात यह है कि देश में राजनीतिक स्थिरता का वातावरण जो बना है, उससे बाहर के लोगों पर प्रभाव पड़ा है। बाहर के लोग हमारे मुल्क में इसलिये ज्यादा आना चाहते हैं कि वह देखते है कि यहां राजनीतिक स्थिरता है और जो बात कही जाती है, उसको निभाने की वृत्ति है। बाहर का पूंजी का जो निवेश हो रहा है, वह हमारे विकास का अच्छा साधन बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विकास की बात हमारे देश में चल रही है। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। किसान की प्रगति से देश की प्रगति होती है। जितना अधिक खेतों में पैदा होगा, उतना ही देश आगे तरक्की करेगा। इस देश में पांच करोड़ टन अनाज आजादी के बाद पैदा होता था। आज हमारे देश के किसान और कृषि वैज्ञानिकों ने 5 करोड़ टन के उत्पादन को 18 करोड़ टन की क्षमता प्राप्त कर ली है। हम पहले अपने खाने के लिए बाहर से पी.एल. 480 अनाज मंगाया करते थे। अब हमें किसी प्रकार का अनाज मंगाने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वावलंबी हैं। स्वावलंबन के आधार पर.....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : लेकिन तीन मिलियन खाद्यान्न आयात किया जा रहा है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शिव चरण माथुर : यह अच्छी परंपरा नहीं है। 12 घंटे का समय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के लिये रखा गया है। हर पार्टी को उसी अनुपात से समय मिलेगा। जब आपका समय आये, तभी आप बोलें।

हमारे किसानों और वैज्ञानिकों ने अनाज का उत्पादन 5 करोड़ टन से 18 करोड़ टन तक बढ़ा दिया। इसके अच्छे परिणाम आये। देश में स्वावलंबन की भावना पैदा हुई, लेकिन मैं देश की बढ़ती हुई आबादी पर चिंता प्रकट करना चाहूंगा। यदि हमने खेती की प्रगति को 3 प्रतिशत वृद्धि तक नहीं रखा तो आने वाले कुछ समय में एक ऐसी स्थिति बन सकती है जब बाहर से अनाज मंगाने की आवश्यकता पड़ जाये। इसलिये हमारा लक्ष्य राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिये। कृषि उत्पादन का कम से कम 3 फीसदी हर वर्ष उत्पादन बढ़ायें। अधिक खेती करके, सिंचाई साधन इकट्ठे करके और नई तकनीक के आधार पर राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करें। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिये।

जहां तक किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य देने की बात है। उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश के किसान को जितना अपनी उपज का पैसा मिलना चाहिये और जो उसके माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत है, उसके हिसाब से वह नहीं मिलती है। इसमें सामंजस्य स्थापित करना होगा। यदि एक साथ इतना पैसा बढ़ाते हैं तो जो उपभोक्ता है, उनका भी उस पर प्रभाव पड़ता है और बीच का रास्ता हमें निकालना पड़ता है। आपने देखा होगा कि इस सरकार ने जब-जब भी नये सपोर्ट प्राइस तय किये, उसमें इस बात को ध्यान में रखा कि किसानों की जो लागत है, उसको पूरा किया जाए। इस वर्ष जो हमारे सपोर्ट प्राइस तय किये गये हैं, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे हैं। कामन पैडी का जो भाव 1992-93 में 278 रुपये पर क्विंटल था, उसको बढ़ाकर 310 रुपये पर क्विंटल किया गया, जो 14.8 परसेंट की बढ़ोतरी है। फाइन पैडी का 280 रुपये पर क्विंटल से बढ़ाकर 330 रुपये किया गया है, जो 17.9 परसेंट इन्क्रीज है। ज्वार, बाजरा फेयर एवरेज क्वालिटी का 240 रुपये से बढ़ाकर 260 किया गया है, जो 8.3 परसेंट वृद्धि है। गेहूं की एफ.ए.क्यू. वैरायटी 330 रुपये से 350 किया गया, जो 6.1 परसेंट वृद्धि के रूप में सामने आता है। फिर भी मैं ऐसा महसूस करता हूं कि किसान को उसकी सही उत्पादन की लागत मिलने में काफी कमी है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आज गेहूं का भाव 160 डालर पर टन है। 160 डालर पर टन का मतलब होता है करीब 5000 रुपये फी टन, जबकि अभी भी हम सपोर्ट प्राइज के तौर पर 3500 रुपये पर टन पे कर रहे हैं। लेकिन सपोर्ट प्राइज इसलिए हैं कि मार्केट स्टेबलाइज हो, उसके नीचे किसान के भाव नहीं जायें। मैं समझता हूं कि सरकार ने जो इसको किया है, वह अपने आप में बहुत उचित है और इसको समय-समय पर हमारी सरकार रिवाइज करती है, इसमें दो राय नहीं हैं।

एक बात आम तौर पर कही जा रही है कि कृषि के उत्पादन का जो एक्सपोर्ट होगा, उससे किसान की हैसियत बढ़ेगी। मैं सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार करता हूं, इसमें दो राय नहीं हैं। लेकिन जो आज की वर्तमान सामाजिक स्थिति है और जिस प्रकार हमारे यहां का किसान गल्ला निकालकर बाजार में आता है और उसका लाभ जिस समुदाय को मिलता है, वह स्थिति हमारे देश में छिपी हुई नहीं है। यह मानी हुई बात है कि जब किसान अपने गल्ले को खेत से निकालकर लाता है तो उस समय आम तौर से बाजार में भाव नीचे होता है और बाजार के भाव पर किसान को, जो करीब 76 प्रतिशत किसान हैं, अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए गल्ले को निकालना पड़ता है, बेचना पड़ता है। वह बाजार में सस्ते दाम से बेच जाता है और उसी गल्ले को बड़ा व्यापारी इकट्ठा करके उसको

चाहे एक्सपोर्ट करता हो या बाजार में बढ़े दामों पर बेचता हो, उसका लाभ किसान को नहीं मिल पाता।

[illegible] कोई न कोई मकैनिज्म ऐसा निकालना पड़ेगा कि उस समय जो माल खेत से निकलता है, उसको डिस्ट्रैस सेल प्राइस पर नहीं करना पड़े और उसका सही दाम उसको मिल जाये। इसमें क्या मकैनिज्म हो, यह सोचने की बात है। मैं समझता हूं कि एक बार यह सोचा गया था, वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का जन्म ही इसलिए हुआ था कि किसान वहां पर अपने माल को रख दें, उसकी कीमत का 75 परसेंट उसको वहां मिल जाए और जब बाजार में अच्छा दाम आये, तब उसको वेयरहाउसिंग कारपोरेशन बेच दें। लेकिन मैं समझता हूं कि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का काम भी अब किसान को राहत देने का नहीं रहा। अब तो हमारा जो गल्ला हमारे भण्डारण के लिए इकट्ठा होना होता है, उसको जैसे एफ.सी.आई. इक्ट्ठा करता है, उसी तरह से वेयरहाउसिंग कारपोरेशन इक्ट्ठा करता है तो मैं समझता हूं कि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन को बनाने का जो मूल उद्देश्य था और जो आधार था, वह एक प्रकार से सफल नहीं हुआ है और आज भी किसान को सस्ते दाम पर उसका गल्ला बेचना पड़ता है। एक समय ऐसा आ सकता है जबकि हम इस प्रकार की संस्थाओं को और ज्यादा मजबूत करें और किसानों के गल्ले को इकट्ठा करके आवश्यकता के अनुसार पैसा दे दें और जब गल्ले के अच्छे भाव आयें तब उसको बेचकर उसकी सही कीमत उसको चुकाने को कोशिश करें। यह एक बहुत जरूरी बात है, जब तक हम यह नहीं करेंगे, किसान का यह कहना बहुत वाजिब हम समझेंगे कि एक उद्योगपति जो अपने कारखाने में माल पैदा करता है, वह बिना किसी से पूछे हुए लागत लगाकर अपने आप उसके दाम बढ़ा देता है। उसके दामों पर कोई बंधन नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है और उसको उपभोक्ता को खरीदना पड़ता है तो किसान की भी ऐसी स्थिति हमको आने वाले समय में बनानी पड़ेगी जबकि उसकी उपज का उचित मूल्य उसको मिल जाए और यदि यह हम नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से उसके उत्पादन में कमी आयेगी और देश के सामने अनाज का गंभीर संकट पैदा हो जायेगा।

इसलिये यह एक गंभीर मसला है, इसको भी सरकार को आगे आने वाले समय में सोचना है। किस प्रकार से हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का निर्यात हो और उससे जो बड़े पैमाने पर लाभ होता है, प्रसन्नता की बात है कि उससे देश को लाभ होता है लेकिन माइक्रो लेवल पर किसान को उससे क्या लाभ मिल सकता है। उसकी जेब में कितना पैसा जाता है इसका उनको कोई मेकेनिजम तैयार करना पड़ेगा तब किसान संतुष्ट होगा। जब हम गांव के किसान को कहते हैं तो वह कहता है कि मुझे उसका क्या लाभ होने वाला है तो वह लाभ उसको मिले, उसकी जेब में पैसा जाये। इसका कोई न कोई तरीका कृषि मंत्री जी आपको निकालना होगा। आप खुद काश्तकार हैं और किसानों के दर्द को समझते हैं कि वह पैसा किसान की जब में कैसे जाये, इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में सूखी खेती में किस प्रकार से उत्पादन बढ़ा सकते हैं इसका जिक्र किया गया है और उन्होंने देश भर में बहुत से वाटरशैड ऐरियाज के निर्माण की बात कही है। मैं इस योजना को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं क्योंकि हमारे देश में अभी भी 25 परसेंट भूमि पर केवल हम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा सके हैं, 75 फीसरी भूमि भी सूखी है जिसमें कि हमको ड्राइ फार्मिंग करना होता है। उस भूमि पर यदि हम पर यूनिट पैदा करने की क्षमता नहीं बढ़ा सके तो देश के उत्पादन में उसका लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिये हम सूखी खेती पर अधिक ध्यान दें और उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं यह देखना होगा। किसान पर यूनिट पैदावार

को ज्यादा बढ़ा सके यह हमारा चिंता का विषय होना चाहिए। इस संबंध में हमारे राजस्थान के एक हिस्से में, जहां पर कि राजस्थान कैनाल का पानी आया, इंदिरा गांधी कैनाल का पानी आया। एक जमाने में जहां पर कि एक दाना भी पैदा नहीं होता था वहां आज करीब 30-35 लाख टन प्रतिवर्ष अनाज पैदा करने की क्षमता हुई है। लेकिन मैं जानता हूं कि आज फ्लों इरीगेशन के मार्फत बहुत सा पानी बेकार जाता है। बहुत सी जमीन ऊसर हो गई है। हम अगर उसी पानी का सही तरह से उपयोग करना सीख जायें और जो ऊंची जमीन है उसमें पानी को लिफ्ट करके यदि किसान के खेत में पानी पहुंचा सकें तो मैं समझता हूं कि वह एक-एक बूंद पानी का उपयोग करेगा।

महोदय, मैं अपने जिले की बात बताना चाहता हूं। हमने अपने जिले में लिफ्ट इरीगेशन की योजना को चालू किया और उसको हमने सरकार के माध्यम से नहीं चलाया हमने किसानों की समितियां बना करके उनकी सारी जिम्मेदारी उन किसानों की समितियों को दे दी और कहा कि आप इस पानी का उपयोग कीजिये । उनको कुछ सुविधाएं दी, बिजली की सुविधा दी तथा और भी सुविधाएं दी। उपाध्यक्ष महोदय, आपको जान करके प्रसन्नता होगी कि करीब 45 योजनाएं मेरे जिले में चल रही हैं। राजस्थान में अभी सवा तीन सौ ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसके द्वारा किसान के खेत में जो पानी पहुंचाया जा रहा है उससे एक-एक बूंद पानी का उपयोग हुआ है। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जो कैनाल सिस्टम है उसको भी मेहरबानी करके सरकारी तंत्र से हटा करके किसानों की समितियों को सौंप दीजिये। आज बहुत निजीकरण की बातें हो रही हैं। बड़े-बड़े उद्योगों के निजीकरण की बात चल रही है, मैं कहता हूं कि किसान को पानी का उपयोग करने की बात सौंप दीजिये। आज जो बड़े-बड़े इंजीनियर्स हैं वे किस तरह से काम करते हैं यह आप सब को मालूम है। यदि किसान उस सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा तो वह एक-एक बूंद पानी का उपयोग करेगा। आज मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि यदि फ्लो इरीगेशन से चलने वाली हमारे कैनाल के पानी का उपयोग ठीक ढंग से हो तो 25 परसेंट पानी का और बचाव हो करके 25 फीसरी जमीन पर आज और पानी को ले सकते हैं। अगर आप अपनी व्यवस्था को ठीक कर दें तो आप उस पानी का उपयोग पूरी तरह से कर सकते हैं और उससे अधिक पैदावार बढ़ सकती है।

यह काम तभी हो सकता है जब किसानों की समितियों को यह काम सौंप दिया जाए, उनको जिम्मेदारी दी जाए और इसके बाद आप इसके परिणाम देखिए। प्रयोग के तौर पर आप किसी एक सिस्टम की जिम्मेदारी इनको सौंपिए और परिणाम देखिए। मेरे विचार से अभूतपूर्व परिणाम आपके सामने आएंगे। इससे पानी की बचत भी होगी और अधिक पानी आने से जो जमीन ऊसर हो जाती है, वह भी ऊसर होने से बचेगी, इससे किसानों को लाभ होगा और उनका मनोबल भी बढ़ेगा, किसान उसको अपनी चीज समझेंगे, उसको संभालेंगे और इससे निश्चित तौर पर किसान लाभान्वित होंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि बड़े-बड़े बांधों के पानी के वितरण का काम किसान समितियों के हाथ में सौंपने का काम करें।

राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में शहरी शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की बात की गई है। यह बहुत उम्दा योजना है। आज देश के नौजवान जब पढ़ लिख कर विश्वविद्यालयों से निकलते हैं तो एक ही बात सोचते हैं कि उनको सरकारी नौकरी मिल जाए, जबकि नौकरियों की एक सीमा है, जिसको बढ़ाया नहीं जा सकता। आज जरूरत इस बात की है कि सेल्फ अंप्लायमेंट के अंतर्गत शिक्षित शहरी नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए और यही काम इस योजना के तहत किया जाना है। इस योजना को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इसको जितना आगे बढ़ाया जाएगा,

नौजवान उतने ही अधिक लाभान्वित होंगे। इसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस प्रकार की योजनाओं में पैसा इयर मार्क कर दिया जाता है, यहां से स्वीकृति दे दी जाती है, लेकिन नीचे, जिलास्तर तक पहुंच कर इनमें बहुत जटिलताएं आ जाती हैं, जिनकी वजह से नौजवानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनको योजना का लाभ नहीं हो पाता। नौजवान सोचता है कि इससे अच्छा होता तो मैं कहीं मजदूरी कर लेता। इसलिए नियमों में सरलता लाने की आवश्यकता है, जिससे शिक्षित शहरी नौजवान लाभान्वित हो सकें और उनके अंदर आज जो निराशा की भावना पैदा हो गई, वह दूर हो सके। आज सबसे अधिक निराश यदि कोई है तो वह शिक्षित नौजवान ही है। इसके साथ-2 इन नौजवानों के अंदर इस भावना को पैदा करने की भी आवश्यकता है कि जो ऋण उनको बैंकों या अन्य संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, उसको वापिस अवश्य करना है, अन्यथा बैंकों का पैसा डूब जाएगा। जो लोग अपने काम में असफल होते हैं, उनकी असफलताओं के कारणों की भी जांच करनी चाहिए और उन कारणों को दूर किया जाना चाहिए। इस संबंध में प्रधान मंत्री कार्यालय में मानेटरिंग सैल भी स्थापित किया गया है। वह कक्ष केवल आफीशियल सैल बन कर न रह जाए, बल्कि इससे संबंधित सारी समस्याओं को हल करने के लिए क्लीयरिंग सैल का काम करें, यह मेरा सुझाव है। इस कक्ष को एक्टिव बनाया जाए, शक्तियां दी जाएं तथा आंकड़े इकट्ठे करके विश्लेषण किया जाए और आने वाली कठिनाइयों को इसी कक्ष के जरिए दूर करने का काम किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री राम नायक (मुम्बई उत्तर) : क्या आप राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में संशोधन का सुझाव दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शिव चरण माथुर : मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में गैर-परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का भी जिक्र किया गया है, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण योजना है। नान-कन्वेशनल रेसोर्सेस ऑफ एनर्जी के विकास की इतनी गुंजाइश है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं स्वयं इससे बहुत जुड़ा रहा हूं और इस बारे में प्रधान मंत्री जी भी बहुत दिलचस्पी रखते हैं। पिछले दिनों मैं तमिलनाडु गया तो वहां पर मैंने देखा कि वहां पर पवन चक्कियों से 100 मैगावाट बिजली पैदा हो रही है और उसका लाभ बहुत लोगों को मिल रहा है। इसके लिए फॉरेन मनी की भी आवश्यकता नहीं है ओर तमिलनाडु के उद्योगपति स्वयं इसमें पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उस उत्पादित बिजली की सीधी सप्लाई होने के कारण उनको भी लाभ हो रहा है तथा भविष्य में इस तरह से 300-600 मेगावाट बिजली पैदा करने की योजना है। राजस्थान में, खासतौर में रेगिस्तान में जहां तेज हवाएं चलती हैं, अरावली रेंजेज, जहां पर गैप्स है।

ऐसे 12 गैप्स हमारे साईटिस्ट्स ने आईडेंटिफाई किए हैं। उन गैप्स में 18 किलोमीटरा हवा की स्पीड है और 45-46 तक किलोमीटर की स्पीड से अच्छी बिजली पैदा हो सकती है। इन सोर्सेस को टैप करना चाहिए। ये रिन्यूअेबल सोर्सेस हैं जो कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। साल्वे साहब की चिंता है कि पंरपरागत योजना के आधार पर हम अधिक बिजली पैदा करें। उसकी कीमतें बढ़ रही हैं और हमारे पास पैसा नहीं हैं। कभी हम जापान से या दूसरे देशों से मदद मांगते हैं। ये सोर्स हमारे देश में पैदा होते हैं और रिन्यू होते हैं। राजस्थान में 365 दिनों में से 345 दिन भगवान सूर्य

की कृपा रहती है और 20 दिन बारिश होती है। रेगिस्तान के ऐसे क्षेत्र हैं जहां सात साल का बच्चा भी नहीं जानता कि पानी की बूंद क्या होती है लेकिन वहां भगवान सूर्य की कृपा है। ऐसे सोर्स को हमें बड़े पैमाने पर टैप करना चाहिए। सौर-ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्र की लहरों से ऊर्जा का समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि साल्वे साहब की मिनिस्ट्री और नान-कन्वेन्शनल एर्नजी का आपस में समन्वय हो। आपके पास पैसा हो तो उनको दीजिए और उनके पास पैसा हो तो आप लीजिए। मैं समझता हूं कि इससे आप ज्यादा सोर्स टैप कर पायेंगे और ज्यादा लाभ मिल पाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कही गई है तो मैं उसका सबसे ज्यादा समर्थन करता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि शिक्षा में किया हुआ व्यय मानव के विकास में किया हुआ व्यय है। आज से डेढ़ सौ साल पहले यूरोप के देशों में सौ फीसदी साक्षरता थी लेकिन अभी भी हम मुश्किल से 38 प्रतिशत शिक्षा दे सके हैं इसलिए लंबा रास्ता तय करना है। अभी दिसंबर में नौ देशों का दिल्ली में शिखर सम्मेलन हुआ था। वे दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले देश हैं जिनकी दुनिया की आबादी से आधी आबादी है और उनके हैड्स आफ दी गर्वनमेंट यहां आए थे और 16 दिसंबर को दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री जी ने की थी। उस डिक्लेरेशन में यह तय हुआ था कि दो जहार ईसवीं तक हम इन नौ देशों में साक्षरता का पूरा प्रयास करेंगे ताकि कोई व्यक्ति दो हजार ईसवी तक हमारे देश में बिना पढ़ा-लिखा न रहे। यह राष्ट्रीय संकल्प है इसलिए मैं गंभीरता से कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय संकल्प को पूरा करने के लिए उस प्रकार की योजना हमारे राष्ट्र में बननी चाहिए और दिल्ली डिक्लेरेशन को मूर्त रूप देने के लिए कितने स्कूल और कितने अध्यापक चाहिए और कितने नान फारमल तरीके से शिक्षा के प्रचार के लिए साधन इकट्ठे करने पड़ेंगे, यह आंकलन नहीं हो पाया है और जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जिक्र किया गया कि नौवीं योजना में कुछ प्रावधान होगा, यह निराशाजनक बात है। दो हजार ईसवीं तक संपूर्ण शिक्षा देने की बात करते है, 'एजुकेशन फार आल' की बात करते हैं और उसका काम नौंवी योजना में प्रारंभ करना चाहते हैं, यह अपने आप में विरोधाभास बात है। आज पांच बजे बजट पेश होने वाला है और दिल्ली डिक्लेरेशन का सीधा असर आज के बजट पर पड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय संकल्प को पूरा करने के लिए कुछ प्रावधान बढ़ायेंगे। मुझे लगता है कि वह थोड़ा बहुत बढ़ायेंगे और बड़े पैमाने पर इस राष्ट्रीय संकल्प को पूरा करने के लिए जो गति होनी चाहिए उस गति को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश होगी।

यह मैं शिक्षा के संबंध में कहना चाहता हूं। शिक्षा हमारा एक ऐसा आधार है कि देश जितना ज्यादा शिक्षित होगा उतनी ही देश की समस्यायें हल होंगी। आज केरल और पांडिचेरी में शत-प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, वहां पर इसका असर परिवार कल्याण के कार्यक्रम पर भी पड़ा है। इसलिए हर व्यक्ति अगर शिक्षित होगा तो आबादी के आंदोलन का उतना ही अनुकूल असर होगा और हम इस समस्या को दूर करने की स्थिति में आ सकेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश में शिक्षा के ऊपर हम जितना अधिक धन व्यय करेंगे उतनी ही देश की उन्नति होगी और देश को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे देश की पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। राजीव गांधी जी ने अपने कार्यकाल में पूरा एक साल लगाकर सरपंचों, प्रधानों और जिले के कलेक्टर्स, मंत्रियों तथा मुख्यमंत्रियों से खुद बैठकर चर्चा की। एक साल तक अलग-अलग क्षेत्रीय कार्यालयों में

जाकर चर्चा की। एक साल के बाद उन्होंने कुछ संविधान संशोधन करने की बात सोची, लेकिन वह पूरी नहीं हो सकी। हम प्रधान मंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने हिम्मत के साथ 73वां और 74वां संविधान संशोधन देश के सामने रखा और यह भी संसद में एकमत से पारित हुआ। इसमें तय किया गया कि 21 अप्रैल 1994 तक जितनी प्रदेश की सरकारें हैं वे अपने कानूनों में संविधान की धारा के अनुकूल यथोचित परिवर्तन कर लें। उसमें पांच चीजें खासतौर से हैं। जैसे लोक सभा और विधान सभाओं के सदस्यों के चुनाव पांच वर्ष बाद होते हैं वैसे ही पंचायती संस्थाओं के चुनाव भी पांच साल बाद कराये जायेंगे। चुनाव कराने के लिए एक आयोग बनेगा, वह चुनाव करायेगा। देश और प्रदेश के स्तर पर धन के बंटवारे के लिए जैसे एक वित्त आयोग की व्यवस्था होती है उसी तरह राज्य के स्तर पर एक वित्त आयोग की व्यवस्था की जायेगी। उसमें महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। ये सब बातें उसमें कही गई हैं। इससे आगे प्रदेश की सरकारें नहीं जा सकती हैं। लेकिन बहुत सी चीजें प्रदेशों की सरकारों पर छोड़ दी गई हैं। वे आज भी अपने लाभ और हानि को ध्यान में रखते हुए अपनी मंशा के अनुसार परिवर्तन कर रही हैं। जो लूज ऐन्डस हैंड छोड़ दिया गया है उसका वे फायदा उठा रही हैं। फरवरी का महीना आज समाप्त होने वाला है, मार्च और अप्रैल समय सीमा है जिसमें उन्हें अपने कानूनों में संशोधन करना है। मैं समझता हूं कुछ प्रदेश सरकारों ने ऐसा किया है, अभी तक काफी राज्य सरकारों ने नहीं किया है। इसको भी देखने के लिए हमें सोचना चाहिए। क्योंकि पंचायती राज की व्यवस्था गांवों तक रहे और ठीक ढंग से नहीं चले तो हमारा सारा ऊपर का ढांचा निरर्थक होगा। जो कुछ भी हम यहां योजना बनाते हैं उसके क्रियान्वयन के स्तर पर पंचायतों में अमल होता है और उसके इम्प्लीमेंटेशन में राजनैतिक इच्छाशक्ति अधिक और जनता की शक्ति कम होती है और जैसा अन्य योजनाओं का हर्ष अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर रहने पर होता है वैसा ही इसका भी हो रहा है।

जवाहर रोजगार योजना के संबंध में राजीव गांधी ने सोचा था कि हम सीधे पैसा पंचायत को भेजें। पंचायतों के जो स्थानीय निकाय हैं, वे अपनी मर्जी के अनुसार उसको खर्च करें। लेकिन क्या हो रहा है, आज उनको खूब पैसा जा रहा है, लेकिन किसी भी पंचायत को अपनी मर्जी के अनुसार खर्च करने का अधिकार नहीं है। वहां पर जो डी.आर.डी.ए., जिला विकास अधिकरण है, कलेक्टर उसका अध्यक्ष होता है वह अपनी मर्जी के अनुसार एक पंचायत को काटकर दूसरी में वह पैसा खर्च कर देता है। इसलिए इसके पीछे जो भावना थी उसको ठेस पहुंच रही है। सही मायनों में जवाहर रोजगार योजना का काम गांवों में जिस गति से चलना चाहिए, वह नहीं चल रहा है। 30,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए दिया है, मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी राशि पहले कभी इसके लिए नहीं रखी गई। उसका जो उपयोग होना चाहिए, जिसका लाभ नीचे के लोगों को मिलना चाहिए, अभी तक नहीं मिल पाया है।

15.00 म.प.

वह लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। इसलिए इन योजनाओं के लिए भी पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। मैं ऐसा मानता हूं कि भारत सरकार की ओर से पंचायतों के तीनों स्तरों पर - पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ हो जाएं, उसके लिए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। अधिक से अधिक पांच छह महीने के अंतर पर सारे देश में पंचायतों के चुनाव हो जाएं यह व्यवस्था होनी चाहिए तभी आपकी ऊपर से भेजी हुई योजना का लाभ ग्रामीण जनता को मिल पाएगा नहीं तो हमारी योजना गांव के स्तर पर ही रह जाएगी। इसलिए इस व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए यह जरूरी है कि पंचायतों के चुनाव

एक निश्चित समय सीमा के अंदर कराए जाएं और जो पंचायती राज व्यवस्था को बनाने की मूल व्यवस्था है उसमें किसी भी प्रदेश सरकार को फर्क करने की करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है। इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विलेज इनफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा भी करना चाहूंगा। ग्रामीण विकास का जो ढांचा है इसमें दो राय नहीं हैं कि गांवों में सड़कें पहुंची हैं, संपर्क व्यवस्था कायम हुई है, स्कूल के भवन बने हैं, पंचायत घर बने हैं, प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स की बिल्डिंग्ज बनी हैं, लेकिन आज भी गांवों की स्थिति में बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर हमें ग्रामीण विकास के काम को आगे बढ़ाना है और इसको करने के लिए जब तक हमारी योजनाओं के आउटले में प्रावधान नहीं होगा तब तक मैं समझता हूं कि नीचे के इनफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में कठिनाई होगी और उसको करने के लिए भी ऊपर से जो योजनाएं जाएं असको नीचे तक ले जाने के लिए एक लिंक हो, मैकेनिज्म हो और उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाली जो योजनाएं हैं उनमें सीधा प्रावधान होना चाहिए। आज भी मेरे प्रदेश में और सभी प्रदेशों में 1500 की आबादी वाले गांवों को भी सड़कों से नहीं जोड़ा गया है। हिन्दुस्तान की आजादी के 45 साल के बाद भी गांवों का व्यक्ति यह सोचे कि हमें संपर्क सड़क से अभी तक जोड़ा नहीं गया है यह अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि अब प्लानिंग का काम हम नीचे से करते हैं और कहते भी हैं कि नीचे से प्लानिंग का काम होना चाहिए लेकिन वह सही मायने में नहीं हो रहा है। इसको हम स्वयं देखें और प्रधानमंत्री जी का जो कक्ष है वह इस बात की जिम्मेदारी ले कि योजनाओं का काम नीचे से किस प्रकार से चल रहा है और गांवों के लोगों को उसका लाभ कितना मिल रहा है। तब मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी बात होगी और हम निश्चित रूप से आने वाले समय में कह सकेंगे कि हिन्दुस्तान गांवों का देश है और हम गांवों के लिए योजनाएं बनाते हैं। उनको बनाने के साथ हमारा संकल्प है और हम उसको पूरा भी करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, समाज के कमजोर वर्गों के लोगों की चर्चा भी मैं करना चाहता हूं। शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्ज तथा अल्पसंख्यक वर्गों तथा पिछड़ी जातियों के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको हमें गंभीरता से लेना पड़ेगा। हमने उनके विकास के लिए बहुत योजनाएं बनाई हैं लेकिन यह बात सही है कि आज भी सामाजिक न्याय उनको मिलने में कोताही हो रही है। मैं गांवों की स्थिति जानता हूं। गांवों में आज भी स्थिति ऐसी है कि एक गांव के हरिजन का विमान सवर्णों के मंदिर के सामने से नहीं निकल सकता है। यह स्थिति आज भी बनी हुई है। जसवंत सिंह जी, यह बात आज भी है।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : आप तो वर्षों उस प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं, आपने नहीं रोका?

श्री शिव चरण माथुर : मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि हमने उसको रोका। पुलिस के जरिये से उसको रोका लेकिन यह उचित नहीं है। हमें आपने आप में ऐसा मानस बनाना चाहिए जिससे हम समझें कि समाज के कमजोर वर्गों को न्यास के जरिये से आगे बढ़ाने की बात न करें लेकिन समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है उसके मानस में ऐसी कल्पना आनी चाहिए। कानून तो है, उसको लागू भी किया जाता है लेकिन समाज का प्रबुद्ध वर्ग यदि यह सोचे कि हमें उसको ऊपर उठाना है तो मैं समझता हूं कि यह काम बहुत जल्दी किया जा सकता है। आज सरकार की योजनाओं के माध्यम से जो काम होता है और समाज जिस काम को सोचता है वह जल्दी हो जाता है इसलिए मैं आम तौर से यह बात कहने का साहस करता हूं कि सामाजिक न्याय की बात जो आज चल पड़ी

है उसमें गंभीरता है, सच्चाई है, उससे हम इंकार नहीं कर सकते और सामाजिक न्याय के पक्ष को कुबूल करके, उसको स्वीकार करके जहां पर भी कमी है उसको दुरुस्त करना हमारी आज की आवश्यकता है और यदि समय पर उसको शुरू नहीं किया गया तो फिर जो आज मुल्क में हालात बन रहे हैं इस प्रकार के जातीय संघर्ष और वर्ग संघर्ष हमारे देश में उठ खड़े हुए हैं उनको रोकना कठिन होगा, उनको रोका भी नहीं जा सकता। इसलिए मैं इस मौके पर बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय की बात को देश के स्तर पर न केवल सरकार बल्कि समाज का प्रत्येक वर्ग तथा प्रबुद्ध वर्ग सोचे और अपने मानस को बदल कर समाज में ऐसी स्थिति लाने की कोशिश करे जिसमें ऊंच-नीच का भेद समाप्त हो, छुआछूत मिटे और जो पिछड़े हुए दलित हैं उनको उठाने का मौका मिले जिससे अल्संख्यक वर्ग का व्यक्ति भी समझे कि मैं इस देश का उसी प्रकार से अच्छा नागरिक हूं जैसा दूसरा व्यक्ति है। ये सब बातें आप नहीं करेंगे तो जो विकृतियां हमारे देश में और समाज में पैदा हो रही हैं उनको आप रोकने में असमर्थ रहेंगे। देश में अशांति पैदा होगी, सामाजिक असंतुलन बनेगा और एक स्थिति ऐसी आ सकती है जबकि हमें इससे बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था, देश का सारा कारोबार, देश के उद्योग धंधों का लगना देश में शांति पर निर्भर करता है। जिस देश में शांति नहीं रहती है तो फिर देश के उद्योग भी अच्छे ढंग से नहीं चल सकते हैं। देश का विकास भी ठीक नहीं हो सकता है। मैं बहुत गंभीरता से यह बात कहना चाहता हूं। इसमें हम सबका मानस बने, सभी राजनीतिक दल वह स्थिति पैदा करने की चेष्टा करें और देश में एक ऐसा वातावरण बने जिसमें हम पिछड़े हुए गरीबों और दलितों को तथा समाज से तिरस्कृत कहे जाने वाले जो व्यक्ति हैं उनको ऊपर उठाने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम करें तो देश आगे बढ़ेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यहां आकर हमारे दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सदस्य इस पर अपने विचार तो रखेंगे लेकिन एक नयी परंपरा कायम करें कि राष्ट्रीय जी के भाषण को बिना किसी मतभेद के एकमत से पारित करें। यही मेरी आपसे गुजारिश है।

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थामस (एरणाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के बारे में इस सभा के वरिष्ठ सदस्य श्री शिवचरण माथुर द्वारा पेश किये गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

प्रारम्भ में, मैं सभा के ध्यान में दो संस्थाओं अर्थात राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों की गरिमा को लाना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीति और सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी एक संबोधन हाता है। ऐसा ही राज्यपाल के अभिभाषण के मामले में होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश, हमने यह देखा है कि सभा के कुछ सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का या तो बहिष्कार किया जाता है या वे सभा से अनुपस्थित रहते हैं। राज्य विधान सभाओं में स्थिति अभी भी बदत्तर है। राज्यों में, राज्यपालों के अभिभाषणों को मजाक में उड़ा दिया जाता है और जो राज्यपाल कहते हैं उसे कोई नहीं सुनता।

इसलिए, इस सम्मानर्नाय सभा से मेरा यह अनुरोध है कि सभी राजनैतिक दलों को इकट्ठे बैठकर यह निर्णय लेना चाहिए कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सुना जाये अथवा नहीं। यदि हम इसे सुनने का निर्णय लेते हैं तो इसे यथोचित सम्मान दिया जाना चाहिए।

महोदय, राजनैतिक और आर्थिक स्थिरता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम दूसरे पहलू के बिना एक को नहीं रख सकते। 2 1/2 वर्ष पहले जब यह सरकार सत्ता में आई थी तब इस सरकार ने देश में राजनैतिक अव्यवस्थता का सामना किया था। यद्यपि यही इस सरकार की एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसके सभा में सबसे अधिक सदस्य थे, फिर भी यह अल्पमत सरकार थी। हम अल्पमत सरकार, जिसे कोई कई साहसिक आर्थिक निर्णय लेने पड़ते हैं, चलाने के लिए होने वाली कठिनाईयों के बारे में जानते हैं। लेकिन 2 1/2 वर्ष के अंदर हमने यह सिद्ध कर दिया है कि साहसिक राजनैतिक और आर्थिक निर्णय लेकर इस सरकार ने बहुमत प्राप्त किया है। यह सरकार अभी भी बहुमत बनाए हुए है।

इन 2 1/2 वर्षों में इस देश में राजनैतिक धुवीकरण हो गया है। पांच राज्यों और एक संघ शासित प्रदेश अर्थात दिल्ली में चुनाव हुए थे। चुनाव से पहले कई राजनैतिक पंडितों का यह विचार था कि इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आयेगी और लोक सभा के मध्यावधि चुनाव होंगे तथा लाल किले पर केसरी झण्डा होगा। लेकिन ये सभी भविष्यवाणियां गलत सिद्ध हुई और भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों में कांग्रेस भारी बहुमत से सत्ता में आई। इसी राजनैतितक धुवीकरण के कारण सम्प्रदाय विरोधी ताकतें और लोकतांत्रिक ताकतें एक साथ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के अंतर्गत आई हैं और इससे राष्ट्र को एक नई राजनैतिक स्थिरता मिली है।

मैं वामपंथी दलों से यह अनुरोध करता हूं कि वे अपने पुराने नारे भूल जायें क्योंकि कांग्रेस विरोधी नारे उन्हें बचा नहीं पायेंगे। वे एक ही समय में भारतीय जनता पार्टी विरोधी और कांग्रेस विरोधी भी नहीं हो सकते क्योंकि उनके सदस्यों की संख्या अधिक नहीं हैं। यदि आप 1952 से लेकर आज तक लोक सभा में उनकी मत प्रतिशतता देखेंगे तो यह 1952 में 33% थी। यदि इसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स) के साथ मिला दिया जाये तो यह 1991 में 11% थी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जिन्होंने बहुत कम प्रतिशतता से शुरूआत की थी, उभर रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वामपंथी दलों के हमारे मित्र हमें समर्थन देंगे अथवा नहीं। यदि वे हमारा विरोध करते हैं तो वे अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं।

यह सरकार इस तथ्य पर विचार किये बिना कि यह बहुमत में हैं या अल्पमत में है, सर्वसम्मति के आधार पर निर्णय लेने में विश्वास करती है। 1991 में जब यह सरकार सत्ता में आई थी, तो उस समय दो मुख्य मामले थे। एक मंडल आयोग और दूसरा मस्जिद का मामला था। मण्डल मामले में तो हमने लोकतांत्रिक हल निकाल लिया है और अब सभी पिछड़े समुदाय खुश हैं क्योंकि सरकारी तंत्र में उन्हें उचित हिस्सा मिल गया है।

जहां तक मस्जिद के मामले का संबंध है, पंडित नेहरू के समय से ही कांग्रेस पार्टी का यह आधार रहा है कि इस मामले को या तो दोनों दलों के बीच चर्चा द्वारा मैत्रीपूर्ण ढंग से निपटाया जाये या विधि न्यायालय अपना निर्णय दे और उस निर्णय को क्रियान्वित किया जाये।

कांग्रेस पार्टी द्वारा 50 के दशक में किया गया यह निर्णय सही सिद्ध हुआ है क्योंकि महोदय, 1991 के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ मन्दिर और मस्जिद को मुद्दा बनाया गया था। हमें नुकसान हुआ है। 1989 में कांग्रेस के खिलाफ बोफोर्स को मुद्दा बनाया गया था। आप जानते हैं कि 1986-87, 1988 और 1989 में हमने बोफोर्स के बारे में कितने दिन और महीने चर्चा की थी। इसलिए, इन मुद्दों में अब परिवर्तन हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इन मुद्दों का स्थायी रूप से प्रयोग

नहीं किया जा सकता। अब उनका मुद्दा क्या है? अब उनका मुद्दा आर्थिक मोर्चा है।

आर्थिक मोर्चे की बात करते हुए मैं यह कहता हूं कि हमने बहुत ही साहसिक निर्णय किए हैं। 2 1/2 वर्ष पहले जब हम सत्ता में आये थे तो उस समय आर्थिक स्थिति क्या थी? मुद्रास्फीति अत्यधिक अर्थात लगभग 17% थी, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार सबसे कम अर्थात लगभग 4000 करोड़ रु. था। हमारे पास 15 दिनों के लिए आवश्यक वस्तुओं को आयात करने के लिए धन नहीं था। 2 1/2 वर्ष पहले यह स्थिति थी।

अब से 2 घंटे पश्चात जब नया बजट प्रस्तुत किया जायेगा तब हमें यह पता चलेगा कि सम्पूर्ण आर्थिक परिदृष्य बदल गया है। मुद्रास्फीति घट कर न्यूनतम अर्थात 5.5% हो गई है। अब यह थोड़ी सी बढ़कर 8% हो गई है लेकिन हम यह देखते हैं कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में है।

विदेशी मुद्रा भंडार जो 2 1/2 वर्ष पूर्व मात्र 4000 करोड़ रु. था, में 8 गुणा वृद्धि हो गई है। यह लगभग 32,000 करोड़ रु. हो गया है। इसलिए कुल मिलाकर स्थिति सुखद है। यह सुखद स्थिति कांग्रेस द्वारा किये गये प्रबल उपायों के कारण प्राप्त की जा सकी है। जब कांग्रेस कोई प्रबल उपाय करती है तो उसकी नीतियों के खिलाफ प्रहार किया जाता है। एक प्रहार यह है कि कांग्रेस पंडित जी की नीतियों से दूर जा रही है। मैं यहां हमारे सरकारी क्षेत्र और आर्थिक ढांचे के बारे में पंडित जी के विचारों का उल्लेख करना चाहता हूं।

मैं कुछ पंक्तियां उद्धृत कर रहा हूं।

श्री राम नाईक : कौन से वर्ष में?

प्रो. के. वी. थामस : मुझे सही वर्ष की जानकारी नहीं है।

"प्रत्येक उस चीज को बढ़ावा दिया जाये जिससे अधिक उत्पादन होता हो और रोजगार में वृद्धि होती हो बशर्ते यह हमें समाज के समाजवादी ढांचे के हमारे मूल लक्ष्य से दूर न ले जाये। यदि हम उत्पादन और रोजगार में वृद्धि नहीं करेंगे तो न तो किसी का कल्याण होगा और न ही समाजवाद आयेगा हालांकि हमें कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करेंना अथवा ऐसे कानून और आदेश पारित करने पड़ेंगे। यदि हम बड़ी मात्रा में उत्पादन का लक्ष्य बनाते हैं, तो यह केवल तभी संभव है जब यह उत्पादन जनता के लिए हो और जनता के पास इसकी खपत करने के लिए क्रय शक्ति हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने अपने आर्थिक तथा राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक गतिशीलता का समावेश किया है। परीक्षण सदैव प्राप्त किये जाने वाले परिणाम होने चाहिए, कोई सैद्धान्तिक फार्मूला नहीं।"

समाजवादी समाज का मुख्य उद्देश्य उत्पादन तथा वितरण की अड़चनों को दूर करना है। तथापि, यदि हम समाजवाद के नाम पर एक ऐसी नीति अपनाते हैं जिसका अर्थ अड़चनों को प्रोत्साहित करना है, तो हम अपने उद्देश्य से दूर जा रहे हैं और पूर्ण गतिशीलता की वृद्धि को रोक रहे हैं। अतः एक निजी क्षेत्र का भी होना तथा इसे अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना, बशर्ते कि यह हमारे अपने योजना दृष्टिकोण से समन्वित हो, आवश्यक हो जाता है। अतः कांग्रेस पार्टी के मामले में, हमने सदैव यह सोचा है यहां तक कि आजादी से पूर्व भी, हमारे देश की आर्थिक नीति क्या होनी चाहिए। स्वतंत्रता के पश्चात भी, हमनें आर्थिक नीति, जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए, पर गहन चर्चा की थी; और श्री पी.वी. नरसिंह राव भी उसी ढंग से आर्थिक नीति का अनुसरण कर

रहे है। तिरुपति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 79वें पूर्णाधिवेशन में श्री पी.वी. नरसिंह राव ने विकासात्मक योजनाओं के बारे में विस्तृत व्याख्या की थी। मैं उनके भाषण के पृष्ठ 7 से अद्धृत करता हूं। इसमें निम्नलिखित कहा गया है :

> "योजनाबद्ध विकास के युग के प्रारम्भ से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहर लाल नेहरू के दर्शन से प्रोत्साहन तथा मार्ग दर्शन प्राप्त किया है। इतिहास की उनकी गहन समझ तथा भारतीय आचार संहिताओं की विशिष्टता की गहन समझ, के परिणामस्वरूप उन्होंने दूसरों से लिए गये सैद्धान्तिक दृष्टिकोणों को अस्वकार किया तथा विभिन्न प्रभावों से भारत का अपना संश्लेषण विकसित किया, जो न्यायपूर्ण, मानवीय, प्रयोगात्मक तथा विशिट रूप से भारतीय था।
>
> विकासात्मक आयोजना का प्रयोग इन उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा जनता के भौतिक कल्याण तथा व्यक्ति के सम्मान को सुनिश्चित करने का एक साधन था। ये उनकी समाजवादी व्यवस्था के तत्व बने। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, तो नेहरू जी के दर्शन के मूल तत्वों को प्रत्येक दृष्टिकोण से पूर्णतया सुसंगत पाते हैं।"

हमने पंडित जी के रास्ते को कभी नहीं छोड़ा है, लेकिन, दुर्भाग्य से, हमारे वामपंथी मित्र, जो सदैव यह शोर मचाते हैं कि हमने नेहरू जी के रास्ते को छोड़ दिया है, उनको वे दिन याद करने चाहिए जब पंडित जी ने प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की थी। हमारे वामपंथी मित्रों ने पंडिज जी की प्रथम पंचवर्षीय योजना की आलोचना की थी। मुझे अब भी याद है कि मेरे जवानी के दिनों में, केरल में हम इसे 'पंच वर्ष पछुर्थी' कहते थे, साम्यवादी इसे पंच वर्ष पतरी भूखे मरने के लिए कार्यक्रम कहते थे। वे इसे यह नाम देते थे; लेकिन 30-40 वर्षों के पश्चात्, अब हमारे साम्यवादी तथा समाजवादी मित्रों में बुद्धिमता आ गई है; और वे कहते है कि नेहरू जी की नीति सही थी। हमारे साम्यवादी तथा समाजवादी मित्रों की समस्या यह है कि उनमें बुद्धि बहुत देर से आयी है (व्यवधान) अतः इस संबंध में हमारी नीति निरंतर रही है; इस संबंध में हम एक निरंतन नीत का अनुसरण कर रहे हैं। एकमात्र समस्या यह है कि आप समय समय पर बदलते रहते हैं और आप को नीति किसी अन्य से प्राप्त करनी होती है; दिमाग आपका अपना नहीं है; दिमाग किसी और का है। आपकी समस्या यह है।

15.25 म.प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप दो मिनट के लिए अपने स्थान पर बैठिए। मुझे एक घोषणा करनी है।

15.25 म.प.

यूरोपीय संसद के अध्यक्ष का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे एक घोषणा करनी है। मैं अपनी तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डा. इगल ए. कलेपस्क, तथा श्रीमती अनिता कलेपस्क, जो हमारे सम्मानीय अथितियों के रूप में भारत की यात्रा पर हैं, का स्वागत करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है।

वे आज सुबह दिल्ली पहुंचे हैं। अब वे विशेष बाक्स में बैठे हैं। हम अपने देश में आशा करते हैं कि उनकी भारत यात्रा मंगलकारी और लाभदायक रहे।

15.26 म.प.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव – जारी

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस आप कृपया अपना भाषण जारी रखें।

प्रो. के. वी. थामस (एरणाकुलम) : इस वर्ष हम उन नीतियों का लाभ उठा रहे हैं, जिनमें सुधार किया गया है तथा जिन्हें उदार बनाया गया है। ये नीतियां पंडित नेहरू के समय में आरम्भ की गई थीं, तथा जिनका इंदिरा जी और राजीव जी ने अनुसरण किया तथा जिनका श्री पी. वी. नरसिंह राव अब अनुसरण कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान (रोसेडा) : आप यह कैसे कह सकते हैं कि आप उनका अनुसरण कर रहे हैं?

प्रो. के.वी. थामस : हम उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं, हम उस रास्ते से अलग नहीं रहे हैं। परिणामों को देखिए। कृषि क्षेत्र में, 1993-94 में हमारे पास 181 मिलियन टन खाद्यान्न थे जो 1992-93 से लगभग 11 मिलियन टन अधिक हैं। हम कृषि उत्पादों का निर्यात प्रारम्भ कर सकें। वर्ष 1992-93 में हमने 30 लाख रुपये कृषि उत्पादों का निर्यात किया है तथा अप्रैल-सितंबर 1993 की अवधि के दौरान यह 113.7 लाख रुपये का था। यह परिवर्तन कैसे हुआ। यह परिवर्तन हमारी कृषि नीति के आधार पर हुआ हे।

पंडित जी ने बड़े बांधों के निर्माण के साथ प्रारंभ किया था। उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं तथा नये उर्वरक उद्योगों के साथ प्रारम्भ किया। सभी प्रमुख उर्वरक उद्योग पंडित जी के समय प्रारम्भ किये गये थे। साथ ही हमने अपने कृषि विश्वविद्यालयों, अपनी प्रयोगशालाओं में अनुसंधान तथा विकास 'विंग' का प्रारम्भ किया तथा उन कृषि विश्वविद्यालयों तथा प्रयोगशालाओं के परिणाम भूमि, मृदा तक अन्तरित किये जा सके तथा हमारे किसान उनका प्रयोग कर सके।

माहेदय, जब हमारे किसान इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं तो हमें उनकी सहायता करनी है। इस सभा में, सभी राजनैतिक दल यह मांग कर रहे हैं कि किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान किये जाने चाहिए। ऐसा कोई दल नहीं है जिसने इसकी मांग न की हो और जब हम लाभकारी मूल्य प्रदान करते है, तो स्वभावतः यह बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जाना होता है।

इस वर्ष, सरकार ने लाभकारी मूल्य में वृद्धि करते हुए, उसका थोड़ा सा प्रतिशत उपभोक्ताओं पर भी डाल दिया। अतः चावल, गेहूं और उन सभी वस्तुओं की राशन कीमतें बढ़ा दी गईं। आप इन आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को खुले बाजार में देखिए।

मैं कोचीन का हूं जहां पिछले वर्ष चावल की कीमत 6 से 7 रु. प्रति किग्रा. थी। इस वर्ष, चावल का राशन मूल्य बढ़ाने के बाद, चावल की कीमत खुले बाजार में यथावत है।

मुझे याद है कि तीन वर्ष पूर्व हमने इस सदन में आवश्यक उपयोगी वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि पर चर्चा की थी। उस समय हमारे समक्ष क्या प्रश्न थे? एक प्रश्न मूल्य वृद्धि अथवा आवश्यक उपयोगी वस्तुओं की कीमतों को उच्च रूप से निर्धारित करना; और दूसरा, आवश्यक उपयोगी वस्तुओं की अनुपलब्धता।

आज, क्या कोई सदस्य किसी उपयोगी वस्तु की अनुपलब्धता को मुद्दा बना रहा है? सभी वस्तुएं बाजार में उपलबध हैं। आलू, प्याज, आदि जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतें हो सकता है कि थोड़ी बहुत बढ़ी हों। अब वे भी कम हो रही हैं। लेकिन यह सत्य है कि आवश्यक उपयोगी वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हैं। वे उपभोक्ताओं को उपलब्ध हैं। अधिकांश उपयोगी वस्तुएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं।

अतः हम एक साथ यह नहीं कह सकते कि किसानों को उच्च कीमतें दी जाएं और उपभोक्ताओं को वस्तुओं का वितरण कम कीमतों पर हो। यह व्यावहारिक रूप से असंभव है। अतः सरकार ने किसानों को मिलने वाले लाभकारी मूल्यों में वृद्धि करने का निर्णय सही लिया है।

हम, केरल के लोग, डा. बलराम जाखड़ से खोपरे की कीमत निर्धारित करने के लिए अनुरोध करते रहे हैं। हम उनसे कहते रहे है कि इसके दाम निर्धारित हों। एक तरफ, जब हम यह मांग करते हैं कि खोपरे की लाभकारी कीमतें निर्धारित की जाएं तो उसके साथ हम यह नहीं कह सकते कि हमें खाद्य तेल कम कीमतों पर मिलना चाहिए। यह संभव नहीं है। यदि हमारे अनुरोध पर नारियल तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो स्वाभावित है कि खुले बाजार में भी नारियल तेल की कीमतें बढ़ेंगी या यह वृद्धि उसके परिणामस्वरूप होगी। अतः, कृषि जगत में हो रहे प्रगतिशील परिवर्तनों के कारण हम देखते हैं कि किसानों को काफी बेहतर मूल्य मिल रहा है। वे खेतों में जा रहे हैं ओर उन्हें अच्छा लाभ मिल रहा है।

श्री राम विलास पासवान : आलू और आलू के चिप्स के बारे में आपका क्या कहना है?

प्रो. के. वी. थामस : आलू चिप्स बॉर में होते हैं। आम आदमी केवल आलू चाहता है। **(व्यवधान)**

धन की आपूर्ति को देखें तो 1992-93 में धनापूर्ति में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी; 1993-94 में यह बढ़कर 12.6 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार, इस वर्ष अनिवासी भारतीयों की जमा राशि बढ़कर 657 मिलियन डालर हो गई है।

मुझे याद है कि जब डा. मनमोहन सिंह ने रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता के बारे में घोषणा की और जब डालर व्यापार में शत प्रतिशत परिवर्तनीय हो गया, तो प्रत्येक व्यक्ति आशंकित था। सबका कहना था कि रुपए का अवमूल्यन करना होगा। लेकिन हमने पाया है कि भारतीय रुपया डालर और जापानी येन के साथ अग्रिम पंक्ति में है। चूंकि उस समय हमने बहुत साहसिक निर्णय लिया था। अतः प्रत्येक व्यक्ति आशंकित था कि क्या रुपए की इस परिवर्तनीयता पर सहमति हो सकती है।

अब, हमारा कहना है कि सौ प्रतिशत परिवर्तनीयता भी ठीक होगी। हम वहां तक पहुंच गए हैं। ऐसा हमारे द्वारा आर्थिक मोर्चे पर लिए गए निर्णय के कारण हुआ है।

विदेशी निवेश को लें तो देखेंगे कि अगस्त, 1991 से दिसंबर, 1993 तक 131.90 बिलियन

रुपए का सीधा विदेशी निवेश हुआ है। 1994 में भारत में निजी पूंजी प्रवाह दो बिलियन डालर था। इसी प्रकार यदि हम विदेशी ऋण और इसके पुनर्भुगतान को देखें तो पाएंगे कि 1992-93 में हमने 5,887 करोड़ रुपए का ऋण लिया; 1993 में यह राशि 5,248 करोड़ रुपए थी और 1992 में पुनर्भुगतान की राशि 3,664 करोड़ रुपए थी। 1993 में यह राशि 3,762 करोड़ रुपए थी।

विदेशी सहायता निर्यात के क्षेत्र में, अप्रैल, 1992 से मार्च, 1993 तक वृद्धि 3.6 प्रतिशत थी। अप्रैल से दिसंबर, 1992 तक यह केवल 3.4 प्रतिशत थी। अप्रैल से दिसंबर 1993 के बीच यह वृद्धि बढ़कर 19.9 प्रतिशत हो गई।

मैं मात्र ये आंकड़े नहीं पढ़ रहा हूं। इससे हमें क्या संकेत मिलते हैं? संकेत यह हैं कि हमारे आर्थिक पहलू के स्थिरता प्रदान कर दी गई है।

इसी प्रकार विदेशी व्यापार के मामले में, हमने बहुत अच्छा व्यापार संतुलन प्राप्त किया हे। वर्ष 1991-92 में यह 3,969 करोड़ रुपये कम था; वर्ष 1993-94 में यह केवल 2,295 करोड़ रुपये कम था। अतः हम उन उदारीकरण नीतियों पर गर्व कर सकते हैं जो इस सरकार ने विगत अढ़ाई वर्षों से अपनाई हैं।

रोजगार के संबंध में, विगत अढ़ाई वर्ष के दौरान हमने कई उपाय किए हैं। जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना तथा अन्य रोजगार अभिमुखी कार्यक्रमों से देश में बेरोजगारी कम हुई है।

महोदय, नवंबर 1992 में, देश में रोजगार कार्यालयों में आवेदकों की संख्या 36.77 मिलियन थी जबकि नवंबर, 1993 में यह केवल 36.25 मिलियन थी। 1.42 प्रतिशत की कमी थी। इसी तरह, नवंबर 1992 में रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज कराने वालों की संख्या 32.98 मिलियन थी जबकि नवंबर 1993 में यह केवल 34.05 मिलियन थी। नवंबर 1992 में 30.9 मिलियन रिक्तियों को भरा गया था तथा नवंबर 1993 में 32 मिलियन रिक्तियों को भरा गया। अतः रोजगार को हमने विशेष महत्व दिया है ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नवयुवकों को अपने स्थानों पर ही रोजगार मिल सकें।

पैट्रोलियम उत्पादों के मामले में हाल ही में मिट्टी के तेल को छोड़ कर पैट्रोलियम उत्पादों के निर्धारित मूल्यों में वृद्धि की गई है। क्या कारण हैं? जब एल.पी.जी. गैस के एक सिलैण्डर को बाजार में बेचा जा रहा है, तो सरकार 75 रुपये की राजसहायता प्रदान कर रही है। और जब हमने इसमें 10 रुपये की वृद्धि की, तो भी सरकार 65 रुपये की राजसहायता प्रदान कर रही है। अतः सरकार एल.पी.जी. गैस पर राजसहायता प्रदान कर रही हैं। पैट्रोलियम उत्पादों के संबंध में हमारे आन्तरिक उत्पादन में कमी आई है। इसलिए, हमें आयात करना पड़ता है। स्वभावतः हमें उस उपाय का पता लगाना है कि इस स्थिति का सामना कैसे करें। इसलिए सरकार ने मूल्य में वृद्धि कर दी है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कीमत में वृद्धि प्रसन्नतापूर्वक की है, बल्कि अनिच्छा से की है। और डीजल तथा पैट्रोल की कीमतों में वृद्धि करने के अलावा हमारे पास कोई अन्य उपाय नहीं है.... **(व्यवधान)**

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : मैं आपके भाषण में व्यवधान नहीं डाल रहा हूं। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं। तेल उत्पादक देश पैट्रोलियम उत्पादों को कम कीमत पर बेच रहे हैं जबकि हम उनकी कीमतों में वृद्धि कर रहे हैं। क्या कारण है....**(व्यवधान)**

प्रो. के. वी. थामस : इसका कारण यह है कि हम उनका आयात कर रहे हैं। हमें मूल्यवान विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है। और हमारे पास कोई अन्य रास्ता नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री ई. अहमद : क्या इसका यह अर्थ हुआ कि हम उनका अब आयात नहीं कर रहे हैं? **(व्यवधान)**

प्रो. के. वी. थामस : हां, अब हम उनका आयात कर रहे हैं क्योंकि कोई अन्य रास्ता नहीं है....**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : पैट्रोलियम उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी हुई है। फिर, आप मूल्यों में वृद्धि क्यों करते हैं?....**(व्यवधान)**

प्रो. के. वी. थामस : महोदय, श्रम के मामले में यदि आप विभिन्न राज्यों में श्रम दिनों की हानि को देखें तो .....

अध्यक्ष महोदय : आपने लगभग 30 मिनट का समय ले लिया है। कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

प्रो. के. वी. थामस : श्रम के मामले में, यदि आप विगत पांच वर्षों के दौरान श्रमिक दिवसों की हानि पर देखें, तो आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल तथा केरल दोनों में, श्रम दिवसों की हानि की संख्या में कमी आ रही है। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : उसका श्रेय किसे मिलना चाहिये?

प्रो. के. वी. थामस : अर्थव्यवस्था तथा औद्योगिक क्षेत्र में स्थिरता लाने के कारण इसका श्रेय सरकार को जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के लिए आप इसका श्रेय ले सकते हैं और केरल का श्रेय हमें मिलेगा।

अतः श्रम क्षेत्र में, श्रम दिवसों में होने वाली हानि की संख्या में कमी आ रही है। क्योंकि इस समय श्रमिक अपने कर्तव्य को समझते हैं, और ऐसे समय, वे हड़ताल नहीं कर सकते तथा प्रबन्धक भी तालाबन्दी नहीं कर सकते। हमारे देश में श्रम क्षेत्र बहुत शांतिपूर्ण हैं।

महोदय, अनुसंधान क्षेत्र में, हमारी उपलब्धियों के मामले में अग्नि के प्रक्षेपण पर समस्त देश को बहुत गर्व है। यह वैज्ञानिकों के एक समुदाय की उपलब्धि है, जो कई आधुनिक सुविधाओं तथा आधुनिक प्रौद्योगिकियों से वंचित है। लेकिन उन्होंने उन्हीं सीमित साधनों में अग्नि प्रक्षेपण के लिए उपाय तथा समाधान ढूंढ लिया।

जैसे कि अन्तरिक्ष में अग्नि का प्रक्षेपण किया जा चुका है, महोदय, मुझे विश्वास है कि यह सरकार हमारे राजनैतिक, आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र को नया बल प्रदान कर सकेगी ताकि देश में आर्थिक सम्पन्नता हो तथा देश में शांतिपूर्ण राजनैतिक स्थिति बन सके। मेरा एकमात्र अनुरोध यह है कि सभी प्रजातांत्रिक ताकतों को हमारी सहायता करनी चाहिए तथा हमें समर्थन देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण, जो उन्होंने 21 फरवरी, 1994 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, के लिए अत्यन्त आभारी हैं।"

सभा में उपस्थित वे सदस्य जिनके धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन परिचालित किये जा चुके हैं, यदि वे अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वे संशोधनों, जिनका वे प्रस्ताव करना चाहते हैं, के क्रमांक दर्शाते हुए 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज सकते हैं। केवल उन संशोधनों को ही प्रस्तुत किया गया समझा जायेगा।

उसके शीघ्र पश्चात प्रस्ताव किए गये संशोधनों का क्रमांक दर्शाते हुए एक सूची सूचना पट्ट पर लगायी जायेगी यदि किसी सदरय को सूची में कोई विसंगति लगे, तो कृपया वह उसे अविलम्ब सभापटल अधिकारी के ध्यान में लायें।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तोड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। यह प्रक्रिया अभी भी चल रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में इस वाद-विवाद में मेरा दखल निश्चित रूप से अधूरा रह जायेगा क्योंकि सभा संघीय बजट को प्रस्तुत करने की तैयारी में सभा 4 बजे स्थगित हो जायेगी। महोदय, क्या आप इतने दयावान होंगे कि हमें एक घंटे के अवकाश के स्थान पर सवा घंटे का अवकाश प्रदान करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं किया जाना चाहिए। आप एक अथवा दो प्रश्न अब कर सकते हैं शेष प्रश्न अगले दिन कर सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं ठीक आपके कहे अनुसार करूंगा।

मैंने अपने माननीय मित्र, श्री शिवचरण माथुर के भाषण तथा समर्थन करने वाले प्रो. के. वी. थामस को ध्यानपूर्वक सुना। जबकि उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा उसका समर्थन किया, मैंने भी भाषण का पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ा जो वास्तव में गणराज्य के राष्ट्राध्यक्ष का भाषण इतना नहीं है, जितना कि यह, सरकार ने जो कुछ विगत वर्ष में किया है और वे जो कुछ आने वाले वर्ष में करने जा रहे हैं, उसका लेखा-जोखा है। मैंने तब वह भाषण सुना। जब मैंने बाद में इसे पढ़ा जो कुछ कहना है उसकी तैयारी में और जब मैंने धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक तथा समर्थक को सुना तो मुझे यही लगा कि यह एक उबाऊ तथा उत्साहरहित प्रस्ताव और अभिभाषण भी एक उबाऊ तथा उत्साहरहित । इसकी विषयवस्तु प्रेरणादायक नहीं थी। मैं सरकार द्वारा अभिभाषण को खाली आंकड़ों से विन्यस्त करने का सहारा लेने के तथ्य पर हैरान हुआ। मुझे अभिभाषण ऐसा लगा जिसके आत्म-संतोष तथा दम्भ झलक रहा था। एक बहुत बड़ी कमी जो मैंने इसमें पायी वह सरकार के दावों और एक पंगु बना देने वाला दोषान्वेषण जो हमारे राष्ट्रीय प्रयास तथा राष्ट्रीय जीवन के कई भागों में आजकल प्रभावित कर रहा है, के बीच असन्तुलन है। भाषण के द्वारा ऐसी धारणा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि सत्ताधारी दल जोकि सरकार में है, किसी न किसी तरह से सवयं (पार्टी) को सरकार के समतुल्य और सरकार को राष्ट्र के समकक्ष मान रही है – जैसे कि किसी प्रकार का काल्पनिक रोड़ा पार कर लिया गया हो। मैं सत्तापक्ष से कहना चाहूंगा

कि निर्णयों को लेने में संसदीय अंकगणित सत्ताधारी दल के मार्ग में बाधा नहीं बना है। सदन का अंकगणित इस लोक सभा के गठन से ही खंडित हो गया है किन्तु इस अंकगणित में हेरफेर भी की गई है। अब अगर आप यह देखते हैं कि तेलुगू देशम पार्टी टूटने के बाद अथवा जनता दल में मेरे सहकर्मियों के दल से विलय होने के बाद – कितनी बार पार्टियां टूटी हैं, मैं नहीं जानता – सत्ता दल ने सदन में अंकगणितीय योग की व्यवस्था कुछ इस प्रकार कर ली है कि अब उसके पास अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु भी अपेक्षित सदस्य संख्या है तो सर्वप्रथम, यहां यह कहना चाहिए कि जब कभी भी कोई निर्णय लेने का समय आया तो यह समस्या कभी भी उनके आड़े नहीं आई। सदन की कोई न कोई पार्टी हमेशा सरकार को आवश्यक निर्णयों को लेने में सहायक रही। ऐसे मौके आए हैं जब वामपक्षी दलों के हमारे मित्रों ने इस सरकार को बचाया है ऐसे भी मौके आए हैं जब जनता दल में हमारे साथियों ने इस सरकार को बचाया है और ऐसे मौके आए हैं जब हमने इस सरकार को बचाया है। अतः निर्णयों को लेने के लिए आवश्यक सदस्य संख्या न होने की नौबत कभी नहीं आई है। अब यदि अपनी अनैतिकता के जरिए, शासन में भगीदारी पद्धति के विपर्याक्ष के जरिए, दलबदल करवा कर, एक के बाद दूसरी पार्टी के विभाजन करवाकर अपना अंकगणितीय योग पूरा कर लिया है तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि आपने किसी प्रकार का कोई काल्पनिक तीर मार लिया है ओर अब आपके रास्ते में केवल फूल ही फूल बिछे हैं, चारों तरफ हरियाली है। असल में, अब आपके सामने ओर अधिक कठिन घड़ी आने वाली है ..... **(व्यवधान)** अगर आप जो कुछ मैंने जोर देकर कहा है उसे नहीं समझ रहे हैं तो मुझे उसे स्पष्ट करने में काफी लम्बा समय लगेगा। यह मेरी संतुष्टि अथवा किसी अन्य की असंतुष्टि का मामला नहीं है। मैं समझता हूं कि यह मामला ऐसा है जिसमें सत्तापक्ष के लोगों को गहराई से झांकना चाहिए कि यदि आपने दलबदल के जरिए अपना अंकगणितीय योग पक्का कर लिया है तो क्या यह मामला आपके इतराने ओर आत्म-संतुष्टि का होना चाहिए या फिर यह मामला काफी हद तक आपके अपनी प्रति हावी होना चाहिए? मैं उसे उन्हीं पर छोड़ता हूं।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात में गैस आधारित नया बिजली घर स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गैस के किसी अन्य राज्य को देने, जो पहले गुजरात के लिए निर्धारित की गई थी, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (2)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात में विद्युत उत्पादन की बढ़ती हुई क्षमता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (3)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिपवाव गैस आधारित विद्युत परियोजना को मंजूरी देने

के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (4)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कच्चे तेल की रायल्टी की दर में संशोधन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (5)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात विद्युत गृह को आपूर्ति की गई कोयले की मात्रा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (6)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोयला खानों से सप्लाई किए गए घटिया किस्म के स्टीम कोयले के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (7)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नकद भुगतान करके कोयला ले जाने की योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (8)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ताप्ती गैस क्षेत्रों के गवेषण के लिये धनराशि के आबंटन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (9)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गांधार गैस विद्युत परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (10)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार सरोवर परियोजना के लिये धन जुटाने के लिये अनिवासी भारतीय बंधपत्र जारी करने की अनुमति दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (11)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात को खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) के आबंटन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (12)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात को खाद्य तेल के पर्याप्त कोटे के आबंटन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (13)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात को आयातित पाम ऑयल के पर्याप्त कोटे के आबंटन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (14)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात को लेवी चीनी के कोटे को बढ़ाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (15)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पाकिस्तान से अल्पसंख्यक हिन्दू प्रवासियों को जल्दी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (16)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हाल में हुई वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (17)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात के मुख्य शहरों विशेषकर नाडियाड आनंद, अहमदाबाद को घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस के आबंटन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (18)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात को पिपवाव परियोजना के लिए प्राकृतिक गैस के आबंटन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (19)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कदाचार और इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (20)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक में असंगत वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (21)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अधिकतर राज्यों में भूमि हदबंदी और जोतने वाले को अतिरिक्त भूमि के वितरण सहित भूमि सुधार उपायों का क्रियान्वयन रुक गया है के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (22)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 6 - 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने, जैसा कि संविधान में प्रतिष्ठापित है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (23)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को मजबूत और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए उठाए जाने वाले उपायों को स्पष्ट करने में असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (24)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सभी बड़े शहरों में झुग्गी-झोपड़ी वासियों की दशा को सुधारने के लिए उठाए जाने वाले उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (25)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नर्मदा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (365)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में राम मन्दिर के निर्माण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (366)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात में बन्द कपड़ा मिलों के कर्मकारों के पुर्नवास और उनको देय रकम के भुगतान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (367)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (368)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बाल श्रम के उन्मूलन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (369)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में नियत समय-सीमा के भीतर आदिवासियों का उत्थान करने की योजनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (370)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तेजी से बढ़ती मुद्रा स्फीति को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (371)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी ऋण की वापसी के लिए किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (372)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रुपये के अवमूल्यन के प्रतिकूल परिणामों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (373)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाले ऋणों के लिए रखी गयी शर्तों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (374)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (375)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विशेषकर गत दो वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में चोरी से लाये गये घातक हथियारों को ज़ब्त करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(376)

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में साम्प्रदायिक ताकतों के विरुद्ध राजनैतिक जेहाद शुरू करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (40)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अयोध्या में ढहायी गयी बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करने के सरकार के वचन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (41)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के धार्मिक कट्टरवादियों के प्रति सरकार के समझौतापूर्ण रवैये के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (42)

कि प्रस्ताव के अंत मे यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्र के धर्म निरपेक्ष ढांचे की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (43)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी ताकतों को अलग-थलग करने और उनका मुकाबला करने के लिए राजनैतिक प्रक्रिया के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(44)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत को अस्थिर करने के लिए जम्मू-कश्मीर और पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा निभायी जा रही घृणित भूमिका के बारे में उल्लेख नहीं है।" (45)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजीव-लोंगोवाल समझौते के क्रियान्वयन सहित जम्मू-कश्मीर और पंजाब के लोगों की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने में सरकार के नकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (46)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बजट सत्र की पूर्व संध्या पर आवश्यक वस्तुओं, जिसमें पैट्रोल और डीजल भी शामिल है, के मूल्यों में की गयी तीव्र वृद्धि से पड़ने वाले छह हजार करोड़ रुपये से अधिक के बोझ के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (47)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने में सरकार की पूर्ण सफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (48)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार ने गेट समझोते पर हस्ताक्षर करके देश प्रभुता को गिरवी रख दिया है।" (49)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के प्रतिभूतियों के संव्यवहार में हुए घोटाले के संबंध में संयुक्त समिति द्वारा पाये गये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (115)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि "गैट" समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले राज्यों से परामर्श करने में सरकार की असफलतों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (116)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अत्यधिक बेरोजगारी की समस्या को हल करने में असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (194)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं है कि सरकार ने देश को ऋण के जाल में फंसा दिया है।" (195)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और गैट के कहने पर सरकार द्वारा देश की आत्मनिर्भरता को समाप्त किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (196)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उद्योगों की निरंतर बढ़ती हुई रुग्णता को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (197)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा मौलिक भूमि सुधारों की अनिवार्य आवश्यकता को पूर्णतः अनदेखा किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (198)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण स्वदेशी उद्योगों विशेषकर लघु उद्योगों की सुरक्षा के लिये कदम उठाने में सरकार की अक्षमता का कोई उल्लेख नहीं है।" (199)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नष्ट किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (200)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कि पूर्वी भारत को रेल सुविधाओं से पूर्णतया उपेक्षित किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (201)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में काले धन का पता लगाने और इसके बढ़ने पर रोक लगाने की तत्काल आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (202)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असम में मतदाता सूची से विशेषरूप से अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (569)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (570)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में अनेक लम्बित परियाजनाओं और इन्हें विशेषकर रेल परियाजनाओं को पूरा करने के लिए और अधिक धनराशि आवंटित करने के लिए उठाने जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (571)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की प्रत्येक रुग्ण सरकारी क्षेत्र की इकाई में त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (572)

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा संसद के बजट सत्र की पूर्व संध्या पर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि किये जाने औचित्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (50)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण गरीबों, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के सामने आ रही कठिनाइयों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (51)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में डंकल प्रस्तावों को स्वीकार किये जाने के हानिकारक परिणामों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (52)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी उपक्रमों की महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों में विनिवेश से राष्ट्रीय हितों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (53)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती बेरोजगारी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (54)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रानीगंज, पश्चिम बंगाल की कोयला खान में हाल में हुई दुखद दुर्घटना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (55)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोयला खान में काम करने वाले श्रमिकों को दिये जाने वाजे अपेक्षित सुरक्षोपायों के अभाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (56)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर तथा पंजाब को लेकर अमरीका द्वारा हमारे देश के आंतरिक मामलों में खुले रूप से हस्तक्षेप करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (57)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा अपनाई जा रही उदारीकरण की नीति के कारण विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों को हो रही अकथनीय कठिनाइयों और मुसीबतों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (58)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारी आधारभूत अर्थव्यवस्था को बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा अपने निर्बधन पर शर्तों पर निवेश करने हेतु खोलने से होने वाले विपरीत परिणामों का कोई उल्लेख नहीं है।" (59)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (60)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर के संबंध में अमरीकी की नीति की निन्दा करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (61)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भोपाल गैस त्रासदी के शिकार हुए लोगों की भारी कठिनाइयों तथा सरकार द्वारा उन्हें सहायता देने के लिए किये गये वायदों को पूरा न करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (62)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रतिभूति घोटाले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाहियों का कोई संकेत नहीं दिया गया है।" (63)

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर के बारे में अमरीका के राष्ट्रपति के वक्तव्यों को गम्भीरता से लेने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (64)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हरिजनों तथा महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों को रोकने के लिये सरकार की चिन्ता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (65)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को रोकने में असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (66)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर के बारे में बनायी जाने वाली नीति के संबंध में सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने के संबंध में सरकार के दृष्टिकोण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (67)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर के बारे में संविधान के अनुच्छेद 370 को निराकृत करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (68)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी को दूर करने के लिये किसी समयबद्ध योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (69)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी भत्ता देने के लिये उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (70)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रतिभूति घोटाले में शामिल लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने

के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (71)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनाव सुधार शुरू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (72)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर में आतंकवादियों से निपटने के लिये किसी ठोस योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (73)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर के बारे में सरकार की नीति तथा अमरीका द्वारा दिये गये वक्तव्यों के संबंध में आवश्यक कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (74)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नई औषधि नीति तैयार करने और जीवनदायी औषधियों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (75)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीब लोगों को आसान शर्तों पर मकान उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (76)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चावल, चीनी, गेहूं, पैट्रोल और डीजल जैसी उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को रोकने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (77)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर की निरन्तर बिगड़ती स्थिति को सुधारने के लिये किसी कारगर योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (78)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रुग्ण कपड़ा मिलों विशेषकर मध्य प्रदेश में स्थित मिलों को पुनजीर्वित करने के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (79)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल तथा बिहार में वनांचल बनाने के लिये सरकार की नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (80)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के लिए सरकारिया आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (460)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारी संसद् द्वारा पारित संकल्प के अनुसार चीन अधिकृत भारतीय भू-क्षेत्र को वापस लेने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (461)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए सरकार द्वारा उठाये गये या उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (462)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमिहीन और अन्य गरीब किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए भूमि सुधारों के किसी समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (463)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विद्युत आपूर्ति की भारी कमी को पूरा करने के लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (464)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई व्यवस्था के अनुसार संविधान लागू होने से 10 साल की अवधि के भीरत 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (465)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिये राहत योजना की समय-सीमा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (466)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमंडलीकरण के देश की अर्थव्यवस्था और विशेषकर उपभोक्ता क्षेत्र पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (467)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र में विकास परियोजनाओ को समय पर पूरा न करने के कारण लागत में भारी वृद्धि होने और इस संबंध में उठाये गये ठोस कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (468)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के बड़े भागों में पीने के पानी की सप्लाई करने के किसी समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (469)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि को रोकने के लिये उठाये जा रहे ठीक उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (470)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई बेरोजगारी और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (471)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में "बनांचल" और उत्तर प्रदेश में "उत्तरांचल" दो नये राज्य जिनके लिए वहां की जनता ने आंदोलन किये हैं, बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (472)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन के लिये किसी समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (473)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नीति निर्देशक तत्वों में की गई व्यवस्था के अनुसार संपूर्ण देश के लिये समान नागरिक संहिता बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (474)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उच्च शिक्षा व शोध के स्तर को बनाये रखने में

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण और विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों को तदर्थ आधार पर वित्तीय सहायता देने की वर्तमान पद्धति के बजाय सुस्थापित मानदंडों के अनुसार वित्तीय सहायता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (475)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर राज्य का पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र को वापस लेने के बारे में उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (476)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर घाटी से विस्थापित लाखों लोगों के पुर्नवास के लिए उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (477)

प्रो. मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश द्वारा लिये गये विदेशी ऋण के अभूतपूर्व बोझ के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (81)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी को रोकने के लिए किये यजाने वाले उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (82)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "गैट" वार्ताओं में देश के लिए किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करने की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (83)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रशासनिक आदेश के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बजट पूर्व की गई वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (84)

कि प्रस्ताव के अंत में यह ज़ोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर की स्थिति को ठीक करने के लिए किये जाने वाले उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (85)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र की इकाइयों में पर्याप्त निवेश करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (86)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (87)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोयला खानों में अवैज्ञानिक तरीके से कोयला निकालने को रोकने तथा खानों में काम करने वाले खनिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (88)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जरूरतमंद तथा पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाने में विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (89)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बाल श्रम प्रथा को समाप्त करने के लिए पर्याप्त उपाय करने में विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (90)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अभी तक पूरा मुआवजा न दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (91)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "सैल" द्वारा "इस्को" के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (92)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बैंक घोटाले में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (108)

श्री हराधन राय (आसनसोल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (93)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दहेज के कारण हुई मौतों की बढ़ती घटनाओं को रोकने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (94)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी, पश्चिम बंगाल के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (95)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दलितों, हरिजनों और गिरिजनों पर बढ़ते हुए अत्याचारों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (96)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजीव-लोंगोवाल समझौते के क्रियान्वयन की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (97)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (98)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की सिफारिशों के त्वरित क्रियान्वयन की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (99)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न कालेजों में ली जा रही केपीटेशन फीस लेने की प्रथा को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (100)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारी की बढ़ती समस्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (101)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बालश्रम की समस्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (102)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय राजमार्गों की समुचित मरम्मत और रखरखाव के लिए उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (103)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय औषधि नीति तैयार करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (104)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में डंकल प्रस्ताव का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (105)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तेजी से हो रहे विघटन से उत्पन्न खतरे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (106)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के शेयरों की बहुत कम मूल्यों पर बिक्री करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (107)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बैंक प्रतिभूति घोटाले में अन्तर्गस्त व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के बारे में कोई उल्लेख नहीं हे।" (384)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गत दिसंबर में हुये गैट समझौते की उन शर्तों का कोई उल्लेख नहीं है जो देश के लिये अपमानजनक हैं तथा ऐसा कोई आश्वासन नहीं है कि इस समझौते को संसद में अनुमोदन और अनुसमर्थन के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।" (110)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा जुलाई, 1991 से अनुसरण की जा रही नीतियों के कारण देश में उत्पन्न रुग्धता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (111)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा संसद की मंजूरी के बिना आवश्यक वस्तुओं

की कीमतों में मनमानी वृद्धि के जरिये लोगों पर कहर ढोने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (112)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा "टिस्को" का आधुनिकीकरण करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (113)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन विदेशी बैंकों के विरुद्ध जो प्रतिभूति घोटाले में शामिल थे की गई कार्रवाई के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (114)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बजट सत्र से पूर्व चावल, गेहूं, चीनी, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (802)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल के रानीगंज-आसनसोल क्षेत्र में अवैज्ञानिक कोयला खुदाई के कारण भारी पैमाने पर भूमि के धंसने तथा आग की घटनाओं तथा उस क्षेत्र के लोगों की जान-माल की सुरक्षा करने और खुदाई के वैज्ञानिक तरीके अपनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (803)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (804)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में टिस्को, पश्चिम बंगाल में केवल भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (805)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूति संव्यवहारों में घोटाले के संबंध में संयुक्त समिति द्वारा दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (806)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में, विशेषकर पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में,

टेलीफोन की असंतोषजनक सेवा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (807)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रतिवर्ष 10 मिलियन रोजगार उपलब्ध कराने के वायदे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (808)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारी घरेलू नीतियों में अमरीका की दखलंदाजी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (809)

प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को बढ़ने से रोकने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (128)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र में विनिवेश करने के कारण सरकार को हुई हानि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (129)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शेयरों को लोगों को बेचने की आड़ में निजीकरण के षड़यंत्र के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (130)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 14 आवश्यक वस्तुओं को कम मूल्य पर सप्लाई करने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (131)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीका की अध्यक्षता में जी-7 देशों के कहने पर हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता की कुर्बानी, जैसाकि हाल के "गैट करार" में दर्शाया गया है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (132)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगार लोगों के लिये रोजगार के अवसर पैदा करने जैसा कि प्रस्तावित था तथा वायदा किया गया था, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (133)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ते विदेशी ऋण तथा इसके कारण ऋण के जाल में फंसने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (134)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में लोगों के सामने आ रही बेरोजगारी की विकट समस्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (135)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "गैट" वार्ताओं के उरूग्वे दौर में अमेरिका और पश्चिम लॉबी के आगे सरकार के झुकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (136)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में सरकारिया आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिये समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (137)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में छंटनी किये रेलवे कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने के बारे में सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन को क्रियान्वित न किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (138)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (139)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीब और सीमान्त किसानों को पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (140)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में व्यापक भूमि सुधारों और भूमि पर सामन्तवादी, अर्द्ध सामन्तवादी और पूंजीवादी शिंकजे को शिथिल करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (141)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उपज के लिये लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करने के लिए गरीब, लघु और सीमान्त किसानों को पर्याप्त ऋण और सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने तथा समय पर बीज उर्वरक और अन्य आदानों की पूर्ति करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (142)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (500)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रतिभूति घोटाले और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के विनिवेश के घोटाले में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (501)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास हेतु जिनमें 71 जिले इनके अंतर्गत आते हैं, विशेष सहायता प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (143)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजस्थान की केन्द्र सरकार के पास गत कई वर्षों से लम्बित पड़ी विद्युत, सिंचाई और पेय जल से संबंधित परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (144)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजस्थान के खनिज उद्योगों, जिन्हें पर्यावरण के नाम पर बंद कर दिया गया था और जिसके कारण हजारों मजदूर कर्मचारी और ट्रक मालिक बेरोजगार हो गये हैं, प्रतिबंध समाप्त करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (145)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजस्थान जाने वाले पर्यटकों को सुविधायें उपलब्ध कराने के विचार से और "मध्यवर्गीय मोटलों" (मिड वे मोटल्स) के निर्माण कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा और अधिक निधियां प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (146)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी दूर करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (872)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीरी विस्थापितों, विशेषरूप से हिन्दुओं, के पुनर्वास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (873)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कीमतों में वृद्धि पर रोक लगाने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (874)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत को विदेशी ऋण के जाल से बाहर निकालने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (875)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनाव सुधार के लिए किये जाने वाले प्रस्तावित उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (876)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में घाटे में चल रहे उद्योगों को बंद होने के कारण बेरोजगार कर्मकारों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (877)

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुडी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केवल 100 दिन के भीतर ही नहीं बल्कि ढाई वर्षों के भीतर भी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम करके 1990 के बराबर लाने में सरकार की पूर्ण असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (147)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बजट सत्र से पूर्व कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में की गई वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (148)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूरे देश में हावी बेरोजगारी की समस्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (149)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधार नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (150)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत के संविधान में "काम के अधिकार" और रोजगार के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (151)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में काले धन का पता लगाने के लिए किसी उपाय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (152)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में व्याप्त आतंकवाद को रोकने के लिए किसी उपाय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (153)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर समस्या के किसी प्रभावी समाधान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (154)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बन्द मिलों को पुनः चलाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (155)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी बच्चों को समान तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (156)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में व्यक्तियों को निःशुल्क और आधुनिक चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के लिए किसी प्रयास का कोई उल्लेख नहीं है।" (157)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की पूरी अर्थ-व्यवस्था पर केन्द्र-राज्यों के हिस्से की पुनरीक्षा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (158)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किसी मार्गदर्शी सिद्धान्त के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (159)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर मुद्दे पर अमरीका की धमकी का सामना करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (160)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए किन्हीं प्रयासों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (161)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को बचाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (428)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 14 आवश्यक वस्तुओं की कम मूल्य पर सप्लाई करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (429)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल संचार में सुधार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (430)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हर गांव में पेयजल सप्लाई करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (431)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में विभिन्न स्थानों पर इलैक्ट्रानिक टेलीफोन सुविधायें देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (432)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रेलवे में व्याप्त कदाचार को रोकने के लिए कारगर उपाय करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (433)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में बाढ़ से तबाह हुए जलपाई गुड़ी जिले के लिए धनराशि आवंटित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (434)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तरी बंगाल में तीस्ता सिंचाई परियोजना के लिए धनराशि आवंटित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (435)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली-बागडोगरा उड़ान को दैनिक करने के लिए कार्यवाही करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (436)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश को विदेशी ऋण से बचाने के लिए प्रभावी उपाय करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (437)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हर गांव में बिजली की सप्लाई करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (438)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों को और अधिक धनराशि आबंटित करने तथा शक्ति प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (439)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (440)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के किसानों को और अधिक सुविधायें प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (441)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (442)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असम में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (443)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को रोकने के लिए स्पष्ट नीति का कोई उल्लेख नहीं है।" (162)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर घाटी से विस्थापित हुये लाखों लोगों, जिन्में अधिकतर हिन्दू हैं और जो जम्मू क्षेत्र में तथा देश के अन्य भागों में दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, को सहायता उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपायों की अपर्याप्तता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (163)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में पर विदेशी ऋण के बढ़ते हुये बोझ तथा ऐसे ऋण को कम करने के लिये किये गये उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (164)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रसोई गैस, चीनी, चावल, गेहूं, पेट्रोल तथा डीजल के आकलित/नियंत्रित मूल्यों में भारी वृद्धि के कारणों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (165)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर असम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में विद्रोही तथा अलगाववादी गतिविधियों को रोकने के लिये किये गये उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (166)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विगत में हुये अनुभवों के आधार पर देश में निर्वाचन प्रणाली में सुधार करने के प्रस्तावित उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (167)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की रुग्ण तथा घाटे में चल रहे उद्योगों को बंद करने की नीति के परिणामस्वरूप फालतू होने वाले कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध कराने के प्रस्तावित कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (168)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन में की गई मुख्य सिफारिशों को लागू करने की कोई संभावना नहीं दर्शायी गयी है।" (169)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रतिभूतियों तथा बैंक संव्यवहारों में अनियमितताओं के बारे में संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित मुख्य सिफारिशों को लागू करने के लिये की गई कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है।" (170)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बीमा तथा बैंक व्यापार में विदेशी कम्पनियों के प्रवेश से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (171)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी पूंजी तथा प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता से होने वाली अर्थव्यवस्था के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (172)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में की गई व्यवस्था के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने के किसी समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (173)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर को नियंत्रित करने के लिए किसी ठोस कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (174)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के बारे में सरकार की किसी स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं है।" (175)

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के लिए सरकारिया आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के क्रियान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (176)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चीन द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य-क्षेत्र को वापस लेने के

बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (177)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए सरकार द्वारा उठाये गये/उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (178)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जैसा कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में उपबंध किया गया है, संविधान के लागू होने से 10 वर्ष की अवधि के भीतर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (179)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए राहत योजना के लिए किसी समय सूची के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (180)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से उपभोक्ता क्षेत्र पर विश्वव्यापीकरण के कुप्रभावों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (181)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र की विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा न होने तथा इस मामले में न उठाये गये ठोस उपायों के कारण उनकी लागत में हुई भारी वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (182)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतम भागों में पेय जल की सप्लाई के लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (183)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बिजली की भारी कमी को पूरा करने के लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (184)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमिहीन तथा अन्य गरीब किसानों की कठिनाइयों को कम करने के लिए किसी समयबद्ध भूमि सुधार कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (185)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि को रोकने के लिए ठोस उपाय करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (186)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी के बढ़ते हुए ग्राफ तथा इस मामले में सरकार द्वारा किये जा रहे ठोस उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (187)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दो नये राज्यों के गठन अर्थात् 'बिहार में बनांचल' तथा 'उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल', जिसके लिए इन क्षेत्रों के लोगों द्वारा काफी आन्दोलन किया गया है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (188)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी के बाबत संविधान के नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के बारे में किसी समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (189)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जैसा कि पूरे देश में समान सिविल संहिता जैसा कि संविधान के नीति निदेशक तत्वों में दिया गया है, लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (190)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के स्तर को बनाये रखने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण तथा वर्तमान वित्तपोषण की तदर्थ प्रणाली की बजाए सुस्थापित मानदंडों के अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के वित्त पोषण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (191)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर राज्य के पास अधिकृत क्षेत्र को वापस लेने के लिए कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (192)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर घाटी से आये लाखों प्रवासियों के पुनर्वास के लिए किये गये उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (193)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इन क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खुले प्रवेश को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी उपभोक्ता उद्योग को संरक्षण और प्राथमिकता प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (674)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्पष्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अपनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। ताकि कुष्ठ, कैंसर, क्षयरोग और अंधेपन जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों तक स्वास्थ्य सुविधायें पहुंच सकें।" (675)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में प्रभावशाली कदम उठाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (676)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पर्यावरण और जल प्रदूषण से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ताकि इस संबंध में कानूनों का उल्लंघन करने वाले रासायनिक उद्योगों से स्पष्टीकरण मांगा जा सकें।" (677)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समेकित कृषि नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिससे किसानों के हितों की सुरक्षा की जा सके और उन्हें गन्ना, कपास, चावल, अफीम, मूंगफली और सोयाबीन की फसलों के लाभकारी मूल्य प्रदान किये जा सकें।" (678)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय यातायात नीति बनाने और दिल्ली, बम्बई द्वारा चित्तौडगढ़-नीमच-मंदसौर-रतलाम जैसी सड़कों के विस्तार के लिए कार्य करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (679)

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चीन द्वारा कब्जा किये गये भारतीय क्षेत्र को वापस लेने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (203)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कराने के

बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (204)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद हे कि अभिभाषण में हिमाचल प्रदेश में मिलाये गये क्षेत्रों की गद्दी ओर गुज्जर जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (205)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर के पाक अधिकृत क्षेत्र को वापस लेने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (206)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पाकिस्तान के परमाणु बम की चुनौती का सामना करने के लिए परमाणु बम बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (207)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनाव सुधारों के बारे में किसी विशिष्ट कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (248)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करने के संबंध में किसी स्पष्ट नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (249)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (250)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (251)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर काबू पाने के लिये कदम उठाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (252)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जल विद्युत परियाजनाओं के संबंध में हिमाचल प्रदेश को

रायल्टी देने के किसी आश्वासन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (253)

श्री सुदर्शन रायचौधरी (सीरमपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों/जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता और सामाजिक-आर्थिक उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (227)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए प्रभावी उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (228)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "काम के अधिकार" को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (229)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि समुचित संवैधानिक उपबंधों के माध्यम से लोगों के सूचना के अधिकार को मान्यता दी जानी चाहिए और परिणामस्वरूप सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता अपनायी जानी चाहिए और बैंकिंग उद्योग में गोपनीयता खंड और आयकर तथा सम्पत्ति कर के भुगतान से संबंधित विवरण के प्रकाशन पर रोक लगाने जैसे उपबंधों को समाप्त किया जाना चाहिए।" (230)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सभी गांवों में स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के बारे में समय सीमा निर्धारित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (231)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की आवास समस्या को हल करने के लिए ठोस उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (232)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष और विश्व बैंक के दबाव, जिसके कारण हमारे आर्थिक और राजनैतिक हितों का बलिदान हो रहा है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (233)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 14 वर्ष तक की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य सार्वभौमिक शिक्षा शुरू करने के लिए ठोस कदम उठाने और समयबद्ध कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (234)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश से निरक्षरता के उन्मूलन के लिए प्रभावशाली ढंग से समयबद्ध कार्यक्रम प्रारम्भ करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (235)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इलैक्ट्रानिक संचार माध्यम को तटस्थता प्रदान करने की दृष्टि से इसे स्वायत्तता देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (236)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में और इसके आस-पास के विस्तृत क्षेत्रों में जहां भारी मात्रा में तेल भंडारों की संभावना है, तेल की खोज में असफलता और बॉम्बे हाई और अन्य स्थानों पर भारी मात्रा में जलाई जाने वाली प्राकृतिक गैस का समुचित उपयोग करने में भी सरकार असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (237)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के धानियाखाली, पोल्बा, महानंद, हरिपाल और सिंगूर क्षेत्रों में आधुनिक दूरभाष सुविधाएं पहुंचाने की तत्काल आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (238)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त ऋण की शर्तों के रूप में कई आर्थिक उपायों के अपनाये जाने से भारतीय लोगों पर पड़ने वाले गंभीर परिणामों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (239)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रत्यक्ष करों में राजस्व में वृद्धि के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (240)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निश्चित दरों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ठोस कदम उठाये जाएं।" (241)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के किसी आश्वासन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (242)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एक्जिट नीति को समाप्त करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (243)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कीमतों में अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए उठाने जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (244)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र राज्य संबंधों को पुनर्गठित करने के लिए सरकारिया आयोग की मुख्य सिफारिशों को जल्दी से लागू करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।" (245)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि आर्थिक नीतिगत गलत निर्णयों, जैसे चावल, गेहूं, चीनी, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम उत्पाद, खाना पकाने की गैस आदि की सरकारी कीमतों में वृद्धि से अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गयी है।" (246)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बारे में काई उल्लेख नहीं है कि बंदी करने और कर्मचारियों को छंटनी करने के कदम से हमारी अर्थव्यवस्था को भारी क्षति होगी। (247)

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान के अनुच्छेद 138 के बजाय संविधान के अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत अयोध्या के मामले को उच्चतम न्यायालय में भेजने के एक मुद्दे के विरुद्ध देश में मुस्लिम समुदाय द्वारा व्यक्त की गई तीव्र भावनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (254)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय सरकार की सेवाओं, सरकारी उपक्रम की इकाइयों तथा रक्षा सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदायों विशेष रूप से मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व

सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (255)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अल्प संख्यक समुदायों को दी जाने वाली शैक्षिक सुविधाओं में सुधार करने के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (256)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (257)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "टाडा" के अंधाधुंध प्रयोग के कारण अनेक राज्यों में विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों में बढ़ती हुई आशंका के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (258)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण मूल स्थान पर करने के सरकार के आश्वासनों को पूरा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (777)

श्री सुव्रत मुखर्जी (रायगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में युवकों विशेषरूप से शिक्षित बेरोजगार युवकों में बेरोजगारी की समस्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (295)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्प्रदायिक ताकतों पर प्रभावी ढंग से राजनीतिक दबाव डालने के सरकारी दृष्टिकोण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (296)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का सामना करने के लिये प्रभावी राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (297)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजीव-लोंगोवाल समझौते के क्रियान्वयन के बारे में कोई

उल्लेख नहीं है।" (298)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को उनकी उपज के लिये लाभकारी मूल्य प्रदान करने और देश के किसानों के लाभ के लिये उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों, बिजली और सिंचाई जैसे आदानों की कीमतें कम करने के लिये सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली किसी कारगर योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (299)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी की रेखा से नीचे रहे रहे लोगों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की स्थिति में सुधार करने के किसी समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (300)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे भूमिहीन कृषि श्रमिकों की दशा में सुधार करने के लिए कोई कारगर योजना तैयार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (301)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हथकरघा और कुटीर उद्योगों में लगे बुनकरों की स्थिति सुधारने और उनकी जीविका की समस्या को हल करने के लिए दिशा-निर्देश देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (302)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोगों को सस्ता न्याय दिलाने की किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (303)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रशासन और सरकारी विभागों में व्याप्त कदाचारों को दूर करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (304)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को रोकने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (305)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आमूल भूमि सुधार करने में सरकार की असमर्थता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (306)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक रुग्णता को रोकने के लिये ठोस उपाय करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (307)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद्यान्नों की खरीद के मामले में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (308)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने में सरकार की असमर्थता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (309)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की आर्थिक संप्रभुता की रक्षा करने में सरकार की असमर्थता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (310)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी ऋण लेने की प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (311)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बजट सत्र से पूर्व चावल, गेहूं, चीनी, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के आंकलित मूल्यों में की गई वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (312)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों को पर्याप्त वित्तीय समर्थन प्रदान करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (313)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "सेल" द्वारा "इस्को", पश्चिम बंगाल की आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (314)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में झरिया और रानीगंज योजना खानों में लगी आग को बुझाने तथा करोड़ों रुपये मूल्य के कोयले को बचाने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (315)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ईस्टर्न कोल लिमिटेड की नई केन्डा खान में हाल ही में हुई दुर्घटना के पश्चात् खनिकों के जीवन को बचाने के लिये कोयला खानों में सुरक्षा उपाय बढ़ाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (316)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में लंबित पड़ी विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (317)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल की परियोजनाओं को आवंटित धन देश के दूसरे भागों में ले जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (318)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बजट से पहले चीनी के आकलित मूल्य में अनुचित वृद्धि, जिसका बाजार की कीमतों पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ेगा, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (319)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गेहूं, चावल, रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की निंदा करने की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (320)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अयोध्या विवाद का उचित हल ढूंढ़ने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (321)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कमजोर और अप्रभावी नीति के कारण सभी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर देश की कमजोर छवि प्रस्तुत करने और भारत के आंतरिम मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए विश्व ताकतों को करारा उत्तर देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (322)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कार्यरत विदेशी आसूचना एजेंसियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (323)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रकों और विश्व बैंक के दबाव में भारत की संप्रभुत्ता को उत्पन्न खतरे और इसके परिणामस्वरूप भारतीय उद्योगों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (324)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश जिसके परिणामस्वरूप भारत ऋण के जाल में फंस जायेगा, के कारण बढ़ती हुई बेरोजगारी और गरीबी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (325)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गोरखपुर, बरौनी, रामगुन्डुम और हाल्दिया आदि में स्थित यूरिया का उत्पादन करने वाले उर्वरक एकर्कों के बंद हो जाने, जिसका भारत में कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (326)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि विद्युत करघों और हथकरघों औद्योगिक इकाइयों के बंद होने के कारण देश के दो करोड़ बुनकर भूखमरी के कगार पर है।" (327)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुख्य शैक्षणिक संस्थाओं की खराब वित्तीय स्थिति और शैक्षणिक सत्रों को विनियमित करने के लिए उचित शैक्षणिक वातावरण के अभाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (328)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 1962 में चीन द्वारा अधिकृत भूमि को वापस लेने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (329)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तिब्बत की स्वतंत्रता मानव अधिकारों के उल्लंघन और चीन द्वारा तिब्बत में परमाणु हथियारों के भंडार के संबंध में सरकार द्वारा अपने रुख को स्पष्ट करने में असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (330)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में युवकों में बढ़ती बेरोजगारी की भारी समस्या का समाधान करने में भारत सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (331)

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मणिपुर राज्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (377)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मणिपुर राज्य में एक इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (378)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र द्वारा इम्फाल मे क्षेत्रीय चिकित्सा महाविद्यालय का अधिग्रहण करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (379)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय सरकार द्वारा 'लोकटक डाउन स्ट्रीम हाइडो-इलैक्टरिक प्रोजेक्ट' को स्वीकृति दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (380)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मणिपुर राज्य में केन्द्रीय सहायता से एक पेपर मिल स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (381)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मणिपुर राज्य में विद्रोही तत्वों तथा संगठनों को छूट देकर भी वहां पूर्ण शांति लाने के लिये केन्द्र द्वारा किये जाने वाले विशिष्ट उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (382)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के जन जाति के लोगों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (383)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र को पृथक राज्य बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (417)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बुन्देलखण्ड क्षेत्र की सिंचाई तथा पेयजल समस्या को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जल स्त्रोतों को बांधने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (418)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ऐतिहासिक स्थलों जैसे झांसी, ओरछा, तालबेहट, कालिजर, देवगढ़ आदि को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (419)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए इस क्षेत्र में औद्योगीकरण करने की किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (420)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिक्री कर को समाप्त करने के लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (421)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों की रोकथाम के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (422)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड जनपद के झांसी, बांदा, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर के तहसील के अन्दर तथा नगर पालिका एवं टाउन एरिया में एस.टी. डी. सुविधा उपलब्ध कराने के अपने वचन को पूरा करने में सरकार की असफलता तथा उसे पूरा करने के संबंध में किसी कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।" (423)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आम जनता की दैनिक उपयोग की वस्तुओं के नियंत्रित मूल्यों में भारी वृद्धि के कारण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (424)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रुग्ण तथा घाटे में चल रहे उद्योगों में सुधार करने तथा सरकार के बंद उद्योगों से निकले कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (425)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को रोकने के लिये स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं है।" (426)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने के किसी कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (427)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न राज्यों के विकास में असंतुलन और देश के पिछड़े राज्यों के आर्थिक विकास के लिए सरकार की नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (444)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की निरन्तर घटनाओं और इस समाज विरोधी बुराई को दूर करने के लिए किसी नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (445)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या के समाधान करने के लिए किसी समय सीमा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (446)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में भूमि सुधारों में तेजी लाये जाने के लिए किये जाने वाले प्रयासों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (447)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में चुनाव संबंधी सुधारों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (448)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "काम का अधिकार" को संविधान में मूल अधिकार के रूप में शामिल करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (449)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी नौकरियों में बकाया चली आ रही रिक्तियों को

भरने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (450)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बाल श्रम की बढ़ती हुई समस्या और इस समस्या के उन्मूलन के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (451)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की आर्थिक प्रभुत्ता पर पड़ने वाले "गैट" के प्रभावों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (452)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रतिभूति घोटाले से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (453)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोयला खानों में दुःखद घटनाओं और इस प्रकार के विनाश से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अभाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (454)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई औद्योगिक रुग्णता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (455)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में आयात पर निरन्तर निर्भरता और देश में उपलब्ध तेल संसाधनों के इस्तेमाल में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (456)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बंधुआ श्रम प्रणाली को समाप्त करने के लिए बंधुआ श्रम आयोग का गठन करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (457)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हो रही लगातार वृद्धि तथा मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के बारे में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (458)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि-आदानों की लागत में वृद्धि के अनुरूप कृषि उत्पादों के मूल्य के साथ-साथ वृद्धि करने का स्पष्ट आश्वासन देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (459)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सामान्य रूप से और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश की लंबित सिंचाई परियोजनाओं संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी देने के बारे में उठाये जाने वाले ठोस कदमों का उल्लेख नहीं है।" (514)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संशोधित फैसले बीमा योजना को लागू करने की तिथि तथा विभिन्न राज्यों, जिलों जिनमें इस योजना को लागू किया जायेगा, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (515)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि के विकास को सरकार द्वारा उच्चतम प्राथमिकता देने की बात कही गई है जबकि वास्तव में इसे कम प्राथमिकता दी जा रही है।" (516)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में उन कपास उत्पादकों जिन्हें सरकार द्वारा रुई के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने तथा रुई की 5 लाख गांठों का आयात शुल्क बगैर आयात करने के कारण कम कीमत मिल रही है।" (517)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आंध प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के बीच खाद्यान्नों के एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने के संबंध में मतभेदों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (518)

कि प्रस्ताव क अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विद्युत क्षेत्र में निवेश की गई विदेशी पूंजी पर 16 प्रतिशत वापसी पूर्व कर पर राजी हो जाने की सरकार की नीति के कारण देश के ऋण में फंसने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय हितों को होने वाले संभावति खतरे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (519)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट सत्र आरम्भ होने से पहले चावल, गेहूं, चीनी आदि खाना पकाने की गैस, डीजल और पेट्रोल की निर्गम कीमतों में वृद्धि से कन्द्रीय सरकार की अनौचित्यपूर्ण कार्यवाही के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (520)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हाल ही में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हुई भारी वृद्धि के कारण गरीब जनता तथा मध्यम वर्ग के लोगों की स्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (521)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद मुद्दे के अनुच्छेद 138(2) के अंतर्गत शांतिपूर्ण समाधान के लिए उच्चतम न्यायालय को भेजने हेतु सरकार द्वारा उठाये गये ठोस कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (522)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र सरकार की नई आर्थिक नीतियों के कारण अनेक कंपनियों विशेषतया छोटे उद्योगों के बंद होने के परिणामस्वरूप देश में बेजरोजगार लोगों की संख्या में भारी वृद्धि तथा उन्हें रोजगार अवसरों से वंचित रखने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (523)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनेक राज्य सरकारों द्वारा राज्य स्तर पर अर्थव्यवस्था को विनियमित करने तथा अवसरशाही से मुक्त करने के बारे में कोई भी कदम न उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (524)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हर वर्ष एक करोड़ नौकरियां देने के वायदे को पूरा करने में विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (552)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्टॉक बाजार में विदेशी पूंजी के मुक्त प्रवाह के कारण शेयर बाजार में आई तेजी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (553)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शेयर बाजार से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति के

प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (554)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विनिर्माण उद्योगों में व्याप्त मौजूदा मंदी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (555)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में मशीनों के उन्मुक्त आयात के बुरे प्रभावों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (556)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वित्तीय क्षेत्र में बड़े कर्जदारों द्वारा अदायगी न करने के कारण वित्तीय क्षेत्र पर खड़े खतरनाक परिणामों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (557)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चालू वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति के दो अंक में पहुंचने की प्रवृत्ति को स्वीकारने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (558)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसी उन्नत प्रौद्योगिकी के बगैर विदेशी पूंजी के आगमन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (559)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई विदेशी ऋणग्रस्तता और इसके फलस्वरूप अदायगी के बढ़ते हुए बोझ के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (560)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शुल्क वसूली में गिरावट की गंभीर प्रवृत्ति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (561)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारी घरेलू नीतियों में अमरीकी हस्तक्षेप के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (562)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर के बारे में अमरीकी अधिकारियों के कथन की आलोचना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (563)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एक बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग के उचित गठन सहित चुनावी सुधारों की अत्यधिक आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (564)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल, केरल और पूर्वोत्तर राज्य में रेल परियोजनाओं की उपेक्षा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (565)

श्री सत्य देव सिंह (बलरामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ट्रांस नेशनल कारपोरेशनों (टीएनसीएस) द्वारा भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण की आशंका के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (566)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विदेशी प्रिंट प्रचार माध्यमों के प्रस्तावित प्रवेश के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (567)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी इलैक्ट्रोनिक तथा प्रिंट प्रचार माध्यम से देश के सामाजिक, सांस्कृतिक पतन को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये जाने वाले अथवा प्रस्तावित कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (568)

कि प्रस्ताव के अत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे देश में विशेषरूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर और अलीगढ़ शहरों में पाकिस्तान गुप्तचर एजेंसी (आई.एस.आई.) की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (657)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अयोध्या में राम के मंदिर निर्माण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (658)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में थारू अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (659)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनावों में बाहुबल और धन बल के दुरूपयोग को रोकने

की आवश्यकता और चुनाव सुधारों को क्रियान्वित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (660)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मूल्य वृद्धि की भीषण समस्या को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (661)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गोरखपुर उर्वरक संयंत्र को फिर से चालू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (662)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बंगलादेश के नागरिकों की घुसपैठ और उन्हें वापस भेजने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (663)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर घाटी में वापस भेजने के लिए प्रभावशाली योजना की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (664)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पाकिस्तान जो देश में आतंकवादी गतिविधियों में सहायता दे रहा है और उन्हें उकसा रहा है, के साथ प्रभावशाली ढंग से निबटने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (665)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर के भाग जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, को भारत में मिलाने की प्रभावशाली योजना की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (666)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल प्रदेश और बिहार में वनांचल प्रदेश बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (667)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पाकिस्तान को भारत में आतंकवाद को प्रोत्साहन देने और उसको खुला समर्थन देने की अमरीका की नीति की निंदा करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (668)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रशासनिक आदेशों द्वारा बजट से पहले कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में की गई अत्यधिक वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (575)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनकि क्षेत्र में पर्याप्त निवेश करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (576)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगार लोगों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (577)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनेक उद्योगों के बंद होने तथा कामगारों और कर्मचारियों के बेरोजगार होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (578)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संयुक्त राज्य अमरीका के नेतृत्व में जी-7 देशों के कहने पर भारत की आर्थिक संप्रभुता को दूसरों के हवाले करने, जैसाकि "गैट" समझौते से स्पष्ट है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (579)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत पर विदेशी ऋण में अत्यधिक वृद्धि तथा उसके ऋण के जाल में फंसने की आशंका के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (580)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचारों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (581)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर बढ़ रहे अत्याचारों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (582)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर में स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (583)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों में से "उत्तरांचल" नाम का नया राज्य बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (596)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तरांचल के "उद्योग विहीन" जिलों के औद्योगिकीकरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (597)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में अत्यधिक बेरोजगारी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (598)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विशेष रूप से गढ़वाल मंडल में पेय जल की अत्यधिक कमी के समाधान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (599)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तरांचल के पहाड़ी जिलों में रेल सुविधा के विस्तार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (600)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तरांचल में संचार प्रणाली और सड़क सुविधाओं के अत्यधिक अपर्याप्त होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (601)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "वन अधिनियम, 1980" के तहत स्वीकृति न मिलने के कारण अनेक विकास परियोजनाओं के रुक जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (602)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में टिहरी बांध के कारण लोगों को हटाने से उत्पन्न समस्याओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (603)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गढ़वाल में अत्यधिक अपर्याप्त बैंक सुविधाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (604)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान को हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए एक स्पष्ट नीति बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (605)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर के मामले पर इस्लामिक देश संगठन (ओआईसी) द्वारा हस्तक्षेप करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (606)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद हे कि अभिभाषण में भारत में बंगलादेश वासियों के बड़ी संख्या में घुसपैठ करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (607)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर घाटी में आतंकवादियों द्वारा विस्थापित किये गये लाखों लोगों के कल्याण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (608)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर समस्या के बारे में अमरीका के बर्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (609)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ते हुए भारत-इजराइल सहयोग और भारत को इसके लाभों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (610)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में फरक्का बैराज मुद्दे पर बढ़ा-चढ़ाकर किये जा रहे भारत विरोधी प्रचार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (611)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बजट सत्र से पूर्व आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (612)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बड़े पैमाने पर बढ़ते हुए आंतरिक और विदेशी ऋणों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (613)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में अत्यधिक काले धन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (614)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनाव सुधारों को लागू करने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (615)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान में परिकल्पित "समान नागरिक संहिता" लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (616)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जन्म-दर और जनसंख्या में कमी करने के लिए विशिष्ट और समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (617)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत के परमाणु शक्ति बनने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (618)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हर वर्ष बहुत कम उम्र में बड़ी संख्या में सेवा-निवृत्त हो रहे सशस्त्र सेना कर्मियों के उचित उपयोग में सरकार की असमर्थता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (619)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (620)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गढ़वाल मंडल में डाक और तार विभाग तथा दूर-संचार विभाग की पूर्ण अकुशलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (621)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गढ़वाल मंडल में रसोई गैस पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (622)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वनों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए गढ़वाल मंडल में ब्लाक स्तर तक रसोई गैस सप्लाई करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (623)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विष्णु प्रयाग तथा श्रीनगर (गढ़वाल) पन-बिजली परियोजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराने और उन्हें पूर्ण करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (624)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किये जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता में सुधार लाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (625)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूतपूर्व सैनिकों के लिए "समान रैंक समान पेंशन" की समस्या का समाधान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (626)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनेक श्रेणियों, अर्थात् भूतपूर्व सैनिकों की विधवायें जिन्हें अब "एक बार वृद्धि" से बाहर रखा गया है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (627)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "स्वतंत्रता सैनानियों" की तुलना में वीरता पुरस्कार विजेताओं (उदाहरण के लिए परम वीर चक्र, अशोक चक्र, इत्यादि) को पास देने में सैनिकों के प्रति रेलवे द्वारा अनुचित बर्ताव करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (628)

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समाज के कमजोर वर्गों और अत्यधिक गरीबों, अनाथों, विकलांगों तथा विधवाओं के लिए आवास, भोजन, चिकित्सा और पेंशन जैसी मूल सुविधायें उपलब्ध कराने की किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (680)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने की किसी व्यापक राष्ट्रीय योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (681)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में कानून और व्यवस्था की दिन प्रतिदिन बिगड़ती हुई स्थिति, विशेषकर कश्मीर में लूट-पाट, हत्या तथा आतंकवाद की घटनाओं को रोकने के लिए किसी ठोस योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (682)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (683)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में लाखों गरीब नागरिकों को न्यायिक प्रक्रिया में होने वाले अनुचित विलम्ब को कम करके समय पर सस्ता न्याय सुनिश्चित करने की किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (684)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत के विभिन्न भागों में, विशेषकर कश्मीर में, पाकिस्तान द्वारा आई. एस. आई. तथा आतंकवादियों के माध्यम से चलायी जा रही विध्वंसकारी गतिविधियों से निपटने के लिए किसी ठोस योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (685)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत की लाखों एकड़ भूमि को चीन के कब्जे से वापस लेने की किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (686)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने और भारत के प्रमुख मित्र देश जापान के साथ सहयोग बढ़ाने के किसी कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (687)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के गरीब तथा कमजोर किसानों के हितों के लिए घातक डंकल प्रस्तावों को साकार द्वारा रद्द किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (688)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय संस्कृति को विदेशी प्रचार माध्यमों के दुष्प्रभाव से बचाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (689)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोयले पर रायल्टी का भुगतान भार के आधार पर करने के बजाय मूल्य के आधार पर करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (690)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों के द्वारा अपने हाथ में लेने से रोकने के लिए किसी उपबंध के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (691)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों में आर्थिक आधार पर पाई जाने वाली क्षेत्रीय तथा शासकीय असमानताओं को दूर करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (692)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान में संशोधन करके काम के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित करने के लिए कोई कानून बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (693)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में काले धन के प्रसार को रोकने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (701)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी की समस्या को हल करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (702)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में डंकल प्रस्तावों को रद्द करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (703)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए उठाये जाने वाले ठोस कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (704)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समाज के प्रत्येक वर्ग को न्याय दिलाने की दृष्टि से न्यायपालिका का पुनर्गठन करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (705)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महानगरों की मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों का पुर्नवास करने के सरकार के इरादे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (706)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में अल्प विकसित क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (707)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को निर्धारित समय में कम करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (708)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिकोहाबाद, आगरा और फिरोजाबाद क्षेत्रों में उद्योगों को एच.बी.जे. पाइप लाईन के जरिये कोयले के बजाय प्राकृतिक गैस को ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्त्रोत के रूप में प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की लम्बित पड़ी योजनाओं के अनुमोदन तथा क्रियान्वयन तथा उससे ताजमहल को होने वाले पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (923)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आगरा और ताज संरक्षित ज़ोन सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 1984 से प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत एक लाख से अधिक उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर रसोई गैस के कनेक्शन प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (924)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आगरा को एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक शहर के रूप में विकसित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (925)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ताज महल से 10 किलोमीटर दूर तीन राष्ट्रीय राजमार्गों को बाई-पास के जरिये जोड़ने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिससे कि इसे वाहन प्रदूषण से बचाया जा सके।" (926)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आगरा में एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (927)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आगरा, उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (928)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आपराधिक घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या पर अंकुश लगाने तथा हरिजनों, पिछड़ी जातियों और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (929)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में जातीय और साम्प्रदायिक दंगों को प्रभावशली ढंग से रोकने के लिए किसी संकल्प के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिसे पाकिस्तान की आई.एस.आई. सहित विदेशी ताकतों द्वारा भड़काया जा रहा है।" (930)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछड़े जिलों के समेकित विकास और जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कामगारों के कल्याण के बारे में कोई उल्नेख नहीं है।" (931)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चालू वित्तीय वर्ष में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आगरा जिले के विकास हेत निधियों के आबंटन में कमी करने तथा कृषि श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (932)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आगरा के कार्पेट, हस्तकला और जूता उद्योग के संवर्धन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जोकि विदेशी मुद्रा के प्रमुख अर्जक हैं।" (933)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास और विद्युत उत्पादन के संवर्धन के लिए किसी विस्तृत योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (934)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रति व्यक्ति औसत राष्ट्रीय आय के मुकाबले उत्तर प्रदेश में घटती हुई प्रति व्यक्ति आय तथा इसे प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के बराबर लाने के बारे

में कोई उल्लेख नहीं है।" (935)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आगरा में यमुना नदी पर बांध बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (936)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में शिक्षित बेरोजगार लोगों की बढ़ती हुई संख्या को, रोजगार प्रदान करके तथा उन्हें बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करके, रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (937)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वर्दराजन समिति की सिफारिशों के अनुसार आगरा सहित ताज संरक्षित क्षेत्र को निरन्तर और पर्याप्त विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (938)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसी निश्चित योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (939)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को कृषि उपकरण प्रदान करने तथा उन्हें उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए किसी निश्चित योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (940)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद की गतिविधियों को रोकने तथा कमीर के विस्थापित व्यक्तियों का कश्मीर में ही पुनर्वास करने हेतु किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (941)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीरी प्रवासियों के अश्रितों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रबंध करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (942)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की अर्थव्यवसथा को बहु-राष्ट्रीय कंपनियों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के शिकंजे से मुक्त करने के लिए संकल्प और प्रयासों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (943)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रसोई गेस, पैट्रोल और डीजल तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बेचे जाने वाले खाद्यान्नों की कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि से उपभोक्ताओं को मुक्ति दिलाने के लिए किसी संकल्प के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (944)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ताजमहल को रात में पर्यटकों के लिए खोलने तथा उसे विभिन्न रंगों की रोशनियों से जगमगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (945)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आगरा में दूरदर्शन स्टूडियो खोलने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (946)

श्री ललित उरांव (लोहारदगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के छोटा नागपुर-संथाल परगना को मिलाकर एक अलग राज्य वनांचल बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (755)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान तथा उनके हितों का कारगर ढंग से संरक्षण करने और उनके सामाजिक, शैक्षणिक और राजनैतिक अधिकारों के संरक्षण के लिए उठाये जाने वाले आवश्यक कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (756)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जनजातियों की सूची से उन अनुसूचित जनजातियों के लोगों के नामों को हटाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिन्होंने अपने धर्म और संस्कृति को त्यागकर दूसरा धर्म और संस्कृति अपना ली है।" (757)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जनजातियों के उन लोगों की जमीनें वापस करने के बारे में किसी समयबद्ध कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है जिनकी जमीनें गैर-जनजातीय लोगों द्वारा असंवैधानिक तरीके से हथिया ली गई है।" (758)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के वनांचल क्षेत्रों में उन विस्थापित व्यक्तियों के आश्रितों की कुछ जमीनों के मुआवजे का भुगतान करने के लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम

का कोई उल्लेख नहीं है जिनकी जमीनें सिंचाई और अन्य परियोजनाओं के लिए अधिगृहीत कर ली गयी है।" (759)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की आवास समस्या, का समाधान करने हेतु किसी ठोस उपाय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (760)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के जीवनवृत्तों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने, डाक टिकटें जारी करने और उनके जीवन वृत्तों के आधार पर टेली फिल्मों का निर्माण करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (761)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के वनांचल क्षेत्रों के प्रत्येक खंडों में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज लगाने हेतु किसी समयबद्ध योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (762)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार राज्य के गुमला, लोहारडग्गा और पालामऊ जिलों में रक्षा मंत्रालय द्वारा अपने "फाइरिंग रेन्ज" के लिए 242 गांवों को अधिगृहीत करने के कारण वहां के निवासियों के विस्थापित होने, पर्यावरण प्रदूषण और वनों के द्वारा और उसके परिणामस्वरूप होने वाले तनाव से उत्पन्न हो रही समस्याओं को हल करने के लिए उठाये जाने वाले कारगर कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (763)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यरत अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए रिक्त पदों पर नियोजन और प्रोन्नति हेतु किसी समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (764)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (765)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन हिन्दुओं को उनके सामानों सहित कश्मीर वापस लौटने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिन्हें कश्मीर छोड़ने पर विवश कर दिया गया था।" (766)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चीन और पाक अधिकृत कश्मीर द्वारा अधिकृत क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करने की किसी नीति और कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (767)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के जनजातीय बहुल वनांचल क्षेत्रों में मंजूरीशुदा खुदरा डीजल/पैट्रोल बिक्री केन्द्र खोलने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (768)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नवोदय और केन्द्रीय विद्यालयों में शैक्षणिक स्तर सुधारने तथा केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रावास की सुविधाएं प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (769)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "एक प्रबन्ध एक संघ" की नीति के क्रियान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (770)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के लोहार डग्गा जिला मुख्यालय में 1993-94 में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र शुरु करने तथा गुमला, बिहार में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (771)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रांची, बिहार स्थित एच. ई. सी. की वित्तीय स्थिति में सुधार कराने की किसी निश्चित कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (772)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विकास संबंधी कार्यों के लिए वन भूमि के प्रयोग हेतु किसी नीतिगत निर्णय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (773)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के वनांचल क्षेत्रों में आदिवासियों को उनकी खेल क्षमता को ध्यान में रखते हुए खेल सुविधायें प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (774)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पटना, बिहार में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना की बदतर हालत में सधार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (775)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के पटना और रांची में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को आवासी सुविधा प्रदान करने हेतु किसी कारगर योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (776)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई स्पष्ट नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (796)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीरी विस्थापितों को कश्मीर घाटी वापस भेजने के लिए किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (797)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बीमा और बैंकिग क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश के दुष्प्रभावों का सामना करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (798)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी पर बढ़ती हुई निर्भरता के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (799)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (800)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक जीवन में गिरते हुए नैतिक मूल्यों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (801)

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि मजदूरों के रूप में कार्यरत ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (814)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध सुरक्षा के उपाय करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (815)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (816)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विद्यमान सामाजिक, आर्थिक स्थिति का सुधार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (817)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के ऋण के दुष्प्रभावों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (818)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "सबके लिए स्वास्थ्य" के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (819)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में छोटे तथा सीमान्त किसानों के हित के लिए कृषि नीति बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (820)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में भूमि सुधार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (821)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बंगाल बेसिन में भूमिगत तेल को और अधिक मात्रा में निकालने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (822)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी की समस्या को हल करने में तेजी लाने में असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (823)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में नवद्वीप से त्रिवेणी तक गंगा तटबंध को सुदृढ़ करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (824)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आसमान को छू रही कीमतों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा किये जाने वाले आवश्यक उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (842)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पाकिस्तान की गुप्त एजेंसी आई.एस.आई. जो आतंकवादियों को प्रोत्साहित करने और बम विस्फोट करने तथा कश्मीर और पंजाब सहित सम्पूर्ण भारत में साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने जैसे क्रियाकलापों में लगी है, के षड्यंत्रों पर रोक लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (843)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आतंकवाद को दृढ़ता से समाप्त करने तथा घाटी में कश्मीरी विस्थापितों के पुनर्वास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (844)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर और मानव अधिकारों के मामलों पर सम्पूर्ण विश्व में पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार का करारा उत्तर देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (845)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनाव के दौरान धन और बाहुबल के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा किये जाने वाले ठोस उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (846)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता, अखंडता, साम्प्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की भावना उत्पन्न करके बहुसंख्यकों/अल्पसंख्यकों की भावना को समाप्त करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (847)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कोई ठोस कदम उठाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (848)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में वन सम्पदा का तेजी से ह्रास और पर्यावरण संबंधी सन्तुलन को नष्ट होने से बचाने के लिए किये जाने वाले उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (849)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रतिभूति घोटाले में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (850)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनर्गठित करने और राशन की दुकानों पर खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी का तेल, वस्त्र आदि उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (851)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर और हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप को रोकने के लिए उठाये जाने वाले कदमों से संबंधित किसी स्पष्ट नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (852)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मद्यनिषेध और समान सिविल संहिता को लागू किये जाने, जैसा कि हमारे संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (853)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के कुछ भागों में बढ़ते हुए नक्सलवाद पर रोक लगाने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (854)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सभी स्कूलों में "बन्दे मातरम" और "जनगण मन" के अनिवार्य रूप से गायन और राष्ट्रीय ध्वज, राजभाषा के सम्मान की रक्षा करने के उपायों और देश की गरिमा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (855)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोगों को न्याय दिलाने के लिए सभी पदों में राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रयोग को शुरू करने के लिए किये जाने वाले उपायों बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (856)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समाज से बाल विवाह, छुआछूत, दहेज जैसी सामाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (857)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारिया आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (858)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों, आतंकवाद और अलगाववादी क्रियाकलापों और विद्रोह को रोकने के लिए उठाये जाने वाले ठोस कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (859)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजस्थान में सूखे की गंभीर समस्या का समाधान करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1112)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजस्थान के सुखा प्रवण क्षेत्रों में पेयजल की गंभीर समस्या का समाधान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1113)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सीमावर्ती राज्य राजस्थान के शैक्षिक, आर्थिक तथा औद्योगिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए इस राज्य को विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1114)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दूरदर्शन पर विदेशी इलैक्ट्रोनिक प्रचार माध्यमों तथा मैट्रो चैनल द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के कारण आई नैतिक गिरावट तथा फैले सांस्कृतिक प्रदूषण को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1115)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी को रोजगार उपलब्ध कराने, खेतों के लिए सिंचाई का प्रबंध करने तथा श्रमिकों के लिये उपयुक्त मजदूरी सुनिश्चित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1116)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नई पीढ़ी में सांस्कृतिक मूल्य, राष्ट्रवाद, नैतिक मूल्य, आत्मनिर्भरता और कर्त्तव्यपरायणता की भावना उत्पन्न करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1117)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बनाने तथा देश में "एक राष्ट्र एक प्रतीक", "एक राष्ट्र एक प्रधान", "एक राष्ट्र एक संविधान", की भावना फैलाने के लिए अनुच्छेद 370 का निरसन करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1118)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती जनसंख्या तथा घटते कृषि आधार को रोकने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1119)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने तथा इसकी संप्रभुता को बचाने तथा "गैट" और डंकेल प्रस्तावों को अस्वीकार करने, जो देश के हित के प्रतिकूल है, के लिए आवश्यक उपाय करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1120)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उदारीकरण के नाम पर भारत में निवेश करने की इच्छुक, उद्योग स्थापित करने की इच्छुक तथा अपने उत्पादों को भारत में बेचने की इच्छुक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1121)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देकर लघु और हस्तशिल्प उद्योग का विकास करके, व्यर्थ खर्च को रोक कर तथा विदेशी ऋण से बचकर मजबूत भारत का निर्माण करने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1122)

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बंद किये गये उद्योगों, विशेषरूप से कपड़ा मिलों के संबंध में योजनायें बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (878)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वनांचल क्षेत्र के विकास के लिए परिवहन और रेल

सुविधायें उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (879)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं के प्रति अपराधों, दहेज मौतों, और बलात्कार को रोकने के लिए किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (880)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिला शिक्षा और बालिकाओं को स्कूल से निकाले जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (881)

श्री एम. रमन्ना राय (कासरगौड) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चीनी, चावल, गेहूं, पेट्रोलियम उत्पादों ओर खाना पकाने की गैस की सरकारी कीमतों में हाल ही में की गई वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (882)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा चुनाव प्रणाली में सुधारों के संबंध में प्रारम्भ किए गए उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (883)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता के अस्थिरता उत्पन्न करने वाले प्रभाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (884)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (885)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में डंकल प्रस्तावों को स्वीकार करने के हानिकारक प्रभावों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (886)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों की मुख्य औद्योगिक इकाइयों के विनिवेश, जिसके राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (887)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू कश्मीर के बारे में अमरीकी नीति की निंदा करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (888)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रतिभूति घोटाले में अंतर्ग्रस्त लोगों के विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (889)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश से वाणिज्यिक बुराइयों को हमेशा के लिए पूरी तरह समाप्त करने के बारे में किये गये उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (890)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी बैंकों, जिन्होंने प्रतिभूति घेटाले में मुख्य भूमिका निभाई, उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (947)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में डंकल प्रस्ताव को स्वीकार करने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र जैसे उद्योग, कृषि, व्यापार और सेवा पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (948)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीब राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा आदि की अत्यधिक खराब आर्थिक दशा जो अपने कर्मचारियों का वेतन देने में भी सक्षम नहीं है, और विकास कार्य पूर्ण रूप से ठप्प हो गये हैं, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (949)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के कुछ भागों में भुखमरी से होने वाली मौतों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (950)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रुग्ण और बंद औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने के समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (951)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को ऋण देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (952)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उद्योगपतियों और व्यापारियों को उपभोक्ताओं को गत सत्र में दिये गये बजट राहत के अंतरण को कैसे मना कर दिया, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (953)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं के लिये सुलभ शोचालयों की व्यवस्था के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (954)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर ग्रामीण गरीबों के लिए घरेलू ईंधन नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (955)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आंतरिक कानून और व्यवस्था की समस्या के लिये सेना खतरनाक ढंग से बढ़ते हुए उपयोग के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (956)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी स्तरों पर शिक्षा के गिरते हुए स्तर और व्यापक पैमाने पर प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी, हिन्दी या क्षेत्रीय भाषा का स्थान लेने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (957)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार जो राष्ट्रीय जीवन को नष्ट कर रहा है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (958)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीका के भारत विरोधी दृष्टिकोण और इसके भारत के आंतरिक मामलों के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (959)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत तीसरी दुनिया के देशों के नेतृत्व और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में सम्मानजनक स्थान खो रहा है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (960)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के अस्तित्व के लिये अत्यंत आवश्यक चुनाव सुधारों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (961)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दलितों, आदिवासियों और महिलाओं पर अत्याचार के विरुद्ध पंचायत स्तर पर गारन्टी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (962)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सम्पूर्ण काले धन को जब्त करने तथा उस धन का प्रयोग आर्थिक विकास के लिए करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (963)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारिया आयोग द्वारा राज्यों को दी जाने वाली निधियों के संबंध में की गयी सिफारिशों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (964)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र को पुनरुज्जीवित करने के लिए कार्यक्रम तैयार करने तथा क्रियान्वित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (965)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्वास्थ्य बजट और जनसंख्या नीति में व्याप्त विकृतियों को ठीक करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जो महिलाओं और गरीबों के हितों के विपरीत है।" (966)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्रों में [illegible] पूर्ण समानता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (967)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि भारत विकासशील देशों में सबसे बड़ा कर्जदार देश हो गया है ओर इसके पुनर्भुगतान के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम उसके पास नहीं है।" (968)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि विदेशी पूंजी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आने के बजाए अनुमान के आधार पर आ रही है।" (969)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पहले किये गये वायदे के अनुसार विदेशी ऋणों के इस्तेमाल, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिबद्धता प्रभार का भुगतान किया जा रहा है, के लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (970)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वृद्ध और विकलांग व्यक्तियों की पेंशन के लिए किसी राष्ट्रीय योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (971)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की किसी राष्ट्रीय योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (972)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खंडों में राष्ट्रव्यापी 100 दिन में रोजगार शुरू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (973)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए सभी खंडों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करके इसको प्रसार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (974)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर की समस्या तथा पूर्वोत्तर में आतंकवादी तत्वों को समाप्त करने के बारे में कोई राजनैतिक समाधान करने हेतु कोई समयबद्ध तरीके का कोई उल्लेख नहीं है।" (975)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एच.एफ.सी. तथा एफ.सी.आई. इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (976)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के लिए पर्याप्त बजट संबंधी समर्थन प्रदान करने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (977)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर मुद्दे पर अमरीकी हस्तक्षेप के बारे मे कोई उल्लेख नहीं है।" (978)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आर्थिक सुधारों के कारण राज्य जिन वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं उनके बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (979)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में जो जातीय संघर्ष फैला है उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (980)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम हेतु अपर्याप्त धनराशि के आबंटन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (981)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के शेयरों को बेचने से जो राशि प्राप्त हुई है उसका उपयोग अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष/विश्व बैंक की मांग को पूरा करने के लिए वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, न कि उत्पादक निवेश में ।" (982)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि औद्योगिक प्रगति सतत् धीमी है तथा मन्दी अभी भी विद्यमान है।" (983)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक क्षेत्र में विकास की असन्तुलित प्रवृत्ति की ओर ध्यान नहीं दिया गया है जोकि इस कारण है कि पूंजीगत माल के उत्पादन में गिरावट आ रही है तथा उपभोक्ता वस्तुओं में वृद्धि हो रही है।" (984)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि व्यापार सन्तुलन में भारी सुधार इसलिए हुआ है कि आयात में कमी आई है।" (985)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि विदेशी

मुद्रा भंडार में वृद्धि की बात खोखली है क्योंकि इनमें से अधिकांश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बाजार खरीद और विदेशी संस्थागत निवेश में वृद्धि के कारण है।" (986)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी ऋणों का भुगतान तथा ब्याज, वर्ष 1994-95 में अर्थव्यवस्था के ऊपर एक भार होगा, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (987)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि अव्यवहार्यता के आधार पर सरकारी क्षेत्रों की लगभग 9000 बैंक शाखाओं को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बंद करने के निर्णय से अधिकांश ग्रामीण जनता को ऋण लाभ से वंचित करना है तथा किसानों तथा लोगों के अन्य वर्गों की उत्पादक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।" (988)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी कम करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखायेगी क्योंकि इससे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।" (989)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि सरकारी क्षेत्रों को समाप्त करने तथा हमारी अर्थव्यस्था के विभिन्न क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए रास्ता खोलने जिससे स्वतंत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को गम्भीर धक्का लगा है तथा आजादी के पश्चात् जिस अर्थव्यवस्था का हमने निर्माण करना था इस को धक्का पहुंचाया है।" (990)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि सरकार ने जिनेवा में डंकल तथा गेट पर खाली कागज पर हस्ताक्षर कर दिये हैं जिससे हमारी कृषि सहित हमारी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचेगी ।" (991)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य के बारे में कोई गम्भीर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है कि चीनी, गेहूं और चावल के निर्गम मूल्यों में वृद्धि करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करने का रास्ता खोल दिया गया है।" (992)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य के बारे में कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है

कि प्रतिभूति घोटाले संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।" (993)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे उपमहाद्वीप में तनाव बढ़ाने में अमरीकी प्रशासन कुछ अधिक सक्रिय हो गया है जिससे कश्मीर में स्थिति बिगड़ी है तथा पंजाब में खालिस्तानियों को बढ़ावा मिला है जिससे और कठिनाई बढ़ी है।" (994)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अर्थव्यवस्था में काले धन की भूमिका की ओर ध्यान नहीं दिया है जो सकल घरेलू उत्पाद के 50% से भी अधिक सीमा तक बढ़ गया है।" (995)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुद्रा स्फीति की दर बढ़कर दो अंकों में हो गई है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (996)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वित्तीय राजस्व में वृद्धि तथा बजट घाटे में वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (997)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एक्सिट नीति को लागू करने तथा श्रमिक विधान में परिवर्तन लाने की दशा में असमर्थतता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (998)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समूचे कृषि उत्पादन में आई कमी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (999)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस विफलता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि आठवीं योजना के अंत तक संसाधनात्मक उद्योगों में पर्याप्त निजी निवेश आकर्षित करने तथा इस क्षेत्र में बदतर खामियां होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1000)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारी की निरन्तर बढ़ती दर की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।" (1001)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि विदेशी पूंजी आने में उद्योग के क्षेत्र में भारी वृद्धि नहीं हुई है बल्कि यह केवल वित्तीय निवेश के क्षेत्र में ही हुई है।" (1002)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि वर्ष 1993-94 में अर्थव्यवस्था की प्रगति की दर में कुल मिला कर गिरावट आई है।" (1003)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के उच्च अंश के वर्तमान ढांचे से हटकर प्रत्यक्ष करों के उच्च दरों पर आने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1004)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संसाधन बढ़ाने के लिये उधार पर निर्भरता को कम करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1005)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च को कम करके तथा योजना निवेश को कम करके वित्तीय घाटे को कम करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि संसाधनों में वृद्धि से घाटे को कम किया जाये, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1006)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी सभी कानूनों को गंभीरता से लागू करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1007)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लघु पैमाने के उद्योगों तथा कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती ऋण पुनः शुरू करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1008)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में (क) सरकारी क्षेत्र, जिसे बड़ी मेहनत से भारत का एक मुख्य क्षेत्र बनाया था तेजी से उखड़ता जा रहा है (ख) कीमतों में भारी वृद्धि (ग) बेरोजगारी की विकट समस्या जिससे देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति गंभीर हो गई है (घ) औद्योगिक प्रगति की दर घट कर मात्र 2% रह गई है (ङ) वार्षिक आश्वस्त सिंचाई संबंधी

प्रगति दर घट कर आधी हो गई है जैसे एनइपी के गंभीर बुरे परिणामों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1009)

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आत्म-निर्भरता के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1010)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ऐसे किसी कार्य, जो भारतीय समाज की एकता और अखण्डता के लिए हानिकारक है, में सहयोग न करने के लिए सरकार के दृष्टिकोण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1011)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्र की अखण्डता की रक्षा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1012)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "पंथ-निरपेक्ष" शब्द के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1013)

कि प्रस्ताव में अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीरी विस्थापितों के पुनर्वास के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।" (1014)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्वोत्तर राज्यों में विदेशी हस्तक्षेप और घुसपैठ को रोकने और उन्हें उनके देशों में वापस भेजने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1015)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूकम्प ग्रस्त क्षेत्रों में प्राकृतिक सम्पदा की सम्भाव्यता की भविष्यवाणी करने के लिए यंत्र लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1016)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार के इरादे, कि वह विदेशी निवेश का प्रलोभन देकर किसी भी प्रकार की आर्थिक गुलामी को स्वीकार करना नहीं करेगी और वह किसी भी ऐसे

प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देगी जो हमारे उद्योगों और कर्मकारों के हितों के प्रतिकूल हों, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1017)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि क्षेत्र को किसी भी विदेशी प्रतिबंध से मुक्त रखने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1018)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1019)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वर्षा के पानी को सिंचाई के प्रयोजनार्थ इकट्ठा करने के लिए किये जाने वाले उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1020)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1021)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को उनके कृषि उत्पाद के लिए लाभकारी कीमतें उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1022)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को व्यापक आधार प्रदान करने ताकि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को इसका लाभ मिल सकें, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1023)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए तैयार किए जाने वाले विशेष कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1024)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष रोजगार गारंटी योजना शुरू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1025)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय महिला कोष में स्व-रोजगार के लिए महिलाओं को पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1026)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रोजगार योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों में लगे शिक्षित व्यक्तियों को शामिल किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1027)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में संसद सदस्यों, विधायकों और स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारिता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1028)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संचार सुविधाओं को दोषमुक्त और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1029)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वित्तीय क्षेत्र के सुधार के लिए बैंकों, जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम का विलय न करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1030)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आर्थिक विकास के लिए श्रम और पूंजी के बीच उचित संतुलन बनाये रखने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1031)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश पर रोक लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1032)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निर्यात और आयात के बीच संतुलन बनाये रखने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1033)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि के लिए धनराशि के आवंटन में वृद्धि करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1034)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित विधान सभा में विशेष संघटक योजना का विस्तार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1035)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए कोई कार्यक्रम तैयार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1036)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों पर किये गये अत्याचारों से संबंधित मामलों के समयबद्ध निपटान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1037)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सम्पूर्ण जनजातीय परिवारों में जनजातीय महिला साक्षरता योजना लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1038)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्य स्तर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम के तत्वावधान में वित्तीय निगम गठित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1039)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आरक्षण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1040)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में धार्मिक स्थलों की कुर्क की गई सम्पत्ति की देखभाल करने के लिए एक प्रणाली तैयार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1041)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में साक्षरता अभियान को सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए किये जाने वाले उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1042)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम को देखव्यापी अभियान के रूप में सफल बनाने के लिए इसमें प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1043)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोगों को स्वास्थ्य देखरेख तथा पोषण प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1044)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पर्यावरण संरक्षण के लिए जिला कलेक्टरों की सक्रिय भागीदारी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1045)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दूरदर्शन कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति के संरक्षण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1046)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ऊर्जा के अपरम्परागत स्त्रोतों के अंतर्गत महासागरीय ताप विद्युत उत्पन्न करने के क्षेत्र में विशेष प्रयास करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1047)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय सेना को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हथियारों और गोला बारूद का देश में विकास करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1048)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नागरिक कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए मारे गये सशस्त्र बलों के कर्मियों के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा उसके एक सदस्य को रोजगार दिलाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1049)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "सार्क" को अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से सामान्य हित के मामलों पर एकमत होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1050)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाने के लिए प्रयास करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1051)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रूसी संघ के साथ हमारे व्यापारिक संबंध बनाये रखने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1052)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "सार्क" और पूर्व एशिया के देशों के बीच विकास के नये अवसरों का पता लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1053)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय हित में खाड़ी के देशों के साथ आपसी समझबूझ और सहयोग के लिये प्रयास करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1054)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच सहयोग बढ़ाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1055)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उपसहाराही देशों और दक्षिणी अफ्रीका के साथ विकास संबंधी क्रियाकलापों में सहयोग के लिए हमारी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1056)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए स्वदेशी को बढ़ावा देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1057)

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तागलुम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की नई आर्थिक नीति के कारण विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्र के उद्योगों में व्यापक पैमाने पर कामगारों की छंटनी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1058)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने, जैसाकि सत्तारूढ़ दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया था, में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1059)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कुछ उर्वरकों पर सरकारी सहायता वापस लिए जाने के कारण किसानों को होने वाली गंभीर कठिनाईयों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1060)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लच्छा धागे की कीमतों में वृद्धि के कारण देश में जुलाहों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1061)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1062)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1063)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सभी लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1064)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी लोगों को आश्रय उपलब्ध कराने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1065)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1066)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में औद्योगिक रुग्णता की गंभीर समस्याओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1067)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चावल, चीनी, गेहूं, खाना पकाने की गैस, पैट्रोल और डीजल के सरकारी मूल्यों में बजट सत्र के अवसर पर हाल में की गई वृद्धि, जिससे आम जनता को भारी कठिनाइयां हो रही हैं, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1068)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र की इकाइयो के व्यापक निजीकरण, जो हमारी घोषित नीति से बिल्कुल अलग है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1069)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में डंकेल प्रस्तावों को स्वीकार करके देश की आर्थिक संप्रभुता की रक्षा करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1070)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधारों में आमूल परिवर्तन करने के लिए सरकार की इच्छा शक्ति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1071)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आत्मनिर्भरता की वचनबद्धता को जारी रखने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1072)

श्री बृज किशोरी त्रिपाठी (पुरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई ग्रामीण निर्धनता और इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के बिगड़ते हुए स्तर को रोकने तथा राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रवृत्ति को ठीक करने के उपाय करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1073)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रत्येक खेत को पानी, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा और प्रत्येक रोगी को दवाई उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1074)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "काम के अधिकार" को मौलिक अधिकारों में शामिल करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1075)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए प्रभावी आर्थिक उपाय करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1076)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केवल विदेशी ऋणों के कारण विदेशी मुद्रा भण्डार में तथाकथित वृद्धि पर ध्यान देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1077)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऋण की ओर इसके दुष्प्रभावों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1078)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में निरन्तर वृद्धि के प्रति चिंता व्यक्त करने और इसे रोकने के लिए प्रभावी उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1079)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गलत आर्थिक नीति संबंधी निर्णयों जैसे चावल, गेहूं, चीनी और पेट्रोल, डीजल, पैट्रोलियम उत्पाद, घरेलू रसोई गैस आदि, जिससे सभी अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1080)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नई औद्योगिक, वित्त और व्यापार नीतियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के सामने सरकार के घुटने टेकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1081)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर डंकल प्रस्तावों के दुष्प्रभावों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1082)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या के प्रति चिंता जताने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1083)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों पर अत्याचारों को रोकने के प्रभावी उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1084)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के अनेक राज्यों में भूमि सुधारों और भूमि सीमा अधिनियम को कार्यान्वित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1085)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रतिभूतियों और बैंक संव्यवहारों में अनियमितताओं के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन में की गई प्रमुख सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए की गई कार्यवाही के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1086)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक दर को नियंत्रित करने की किसी उचित कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1087)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में ग्रामीण देशों के बड़े भागों में पेय जल की आपूर्ति और विद्युत आपूर्ति की भारी कमी का सामना करने के लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1088)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में व्यापक और व्यवस्थित चुनाव सुधारों के लिए एक विधान बनाने के लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है।" (1089)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सम्पूर्ण देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1090)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमिहीन श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देने के लिए विस्तृत कानून बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1091)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों को और अधिक शक्तियां दिये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1092)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में राज्यों के बीच बढ़ती हुई क्षेत्रीय और आर्थिक विषमता तथा इसका समाधान करने के लिए सरकारी रणनीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1093)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विशेषकर उड़ीसा में प्राकृतिक आपदाओं के नियंत्रण के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1094)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उड़ीसा को विशेष सहायता देने के आश्वासन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1095)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश राज्यों में आर्थिक वृद्धि को बनाये रखने के विचार से इन राज्यों को देय कोयले पर रायल्टी में संशोधन करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1096)

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवंत सिंह अपना भाषण जारी रखें।

श्री जसवंत सिंह : गणतंत्राध्यक्ष और इस सरकार द्वारा की गई सबसे पहली उक्ति पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में हैं। बहुत संक्षेप में मैं सदन को स्मरण कराना चाहूंगा कि इस सरकार द्वारा गणतंत्र-अध्यक्ष के जरिए क्या कहलवाया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में पहले वाक्य में कहा गया है कि "पूर्वोत्तर में विद्रोह की स्थिति में सुधार आया है।" मैं आगे जिस चीज का उद्धरण देने जा रहा हूं उसकी वजह से मैं इसे संक्षेप में उद्धृत करना आवश्यक समझता हूं।

इसी अभिभाषण के पैरा 7 में सरकार हमें बताती है कि :

"पूर्वोत्तर में बोडो समझौते के अनुसरण में अंतरिम बोडोलेण्ड स्वायत्तशासी परिषद का गठन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के मार्ग में एक सकारात्मक कदम है।"

तत्पश्चात् हमें यह सलाह देते हुए एक संदर्भ दिया गया है कि मणिपुर में सरकार ने कार्यवाही की है और सरकार अपनी इस कार्यवाही को विघटनकारी तत्वों को प्रभावशाली ढंग से कुचलने के लिए सरकार की इच्छा का प्रदर्शन बताती है। मैंने इसे उद्धृत करना आवश्यक समझा क्योंकि अब मैं जो उद्धृत करने जा रहा हूं, और जहां से मैं उद्धरण दे रहा हूं, महोदय, वह कोई समाचारपत्रों में उल्लिखित लेखे जोखे नहीं है। ये स्वयं सरकारी एजेन्सियों की रिपोर्टें तथा लिखित दस्तावेज हैं।

पूर्वोत्तर, विशेष रूप से मणिपुर के बारे में मणिपुर के राज्यपाल ने जो कहना था, वह यही है। मैं सम्पूर्ण मणिपुर वाद-विवाद को दोहराना नहीं चाहूंगा क्योंकि इस पर बहस पहले ही हो चुकी है। लेकिन मेरे लिए, जो कुछ मणिपुर के राज्यपाल ने कहा उसे उद्धृत करना आवश्यक है जिससे कि यह पता चल सके कि हमें किसमें विश्वास करना है। क्या हमें जो कुछ राज्यपाल ने कहा उसमें विश्वास करना है? क्या हमें उन बातों पर विश्वास करना है जिन्हें सरकार ने संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए कहलवायी हैं? मेरे पास राज्यपाल की रिपोर्ट के केवल कुछ चुनिन्दा अंश हैं, जिन्हें मैं यहां दोहराऊंगा।

मणिपुर के राज्यपाल ने सबसे पहले मणिपुर के बारे में निम्नलिखित कहा है :

"श्री रिशांग किशिंग एन एस सी एन (आई) को सहायता प्रदान करने और बढ़ावा देने की घिनौनी योजना को पूरा करेंगे तथा सरकारी मशीनरी और पुलिस को नष्ट-भ्रष्ट करेंगे। श्री रिशांग किशिंग ने नाग-कुकी संघर्ष को भी भड़काया है और इसे जातीय संघर्ष का रूप प्रदान किया है।"

अध्यक्ष महोदय : आप किस दस्तावेज से उद्धरण दे रहे हैं?

श्री जसवंत सिंह : यह राज्यपाल की 5 अक्तूबर, 1993 की रिपोर्ट है। इसे सभा पटल पर रखा गया है। यह राज्यपाल की रिपोर्ट है जिसे राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जा चुका है।

मैं एक बात कहूंगा, जिसे अभी मुझे थोड़ी देर में कहनी है और मुझे राज्यपाल द्वारा कही गई बात तथा राष्ट्रपति के जरिए कहलवायी गई बात के बीच फर्क दिखाने हैं और एक और दस्तावेज से मुझे उद्धरण देना है। यह वे बातें हैं जिसे मणिपुर के राज्यपाल गणतंत्र के अध्यक्ष से लिखित में कह रहे हैं :

"स्वयं मुख्यमंत्री पर संदेह है।"

अध्यक्ष महोदय : क्या आप राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र का हवाला दे रहे हैं?

श्री जसवंत सिंह : श्री हां, श्रीमान। इसे सभा पटल पर रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : किस सदन में?

श्री जसवंत सिंह : इस सदन में। इस पत्र का हवाला दिया गया है और सरकार द्वारा इसका परिचालन हम सबको किया गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : महोदय, इन पत्रों के आधार पर सभा को निलम्बित कर दिया गया है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन इस स्तर पर लिखे गये इन पत्रों के साथ कुछ पुनीतताएं भी जुड़ी हैं। यदि उन्हें सभा पटल पर रखा जाता है, आपको उन्हें उद्धृत करने का अधिकार है।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मुझे आप द्वारा बताई गई सावधानियों का ध्यान है। मैंने इन्हें बहुत आवश्यक समझा क्योंकि यह वहां है।

अध्यक्ष महोदय : आप उद्धरण देते हुए जारी रखिए।

श्री जसवंत सिंह : धन्यवाद, महोदय।

राज्यपाल आगे चलकर कहते हैं :

"स्वयं, मुख्यमंत्री महोदय पर यह संदेह किया जा रहा है कि वे मितेइ उग्रवादियों के एक गुट की सहायता कर रहे हैं!"

श्री जयचन्द्र सिंह, मंत्रियों तथा विधायकों का तथाकथित भूमिगत तत्वों के साथ सम्पर्क होने के विरुद्ध, कांग्रेस विधायी दल तथा दल के नेता द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने पर, उनके विरुद्ध खुल कर बोले....."

तत्पश्चात् उन्होंने बताया :

"एन.एस.सी.एन. (आई) ने मितेई उग्रवादियों उलफा, एच.पी.सी. तथा म्यानमार विद्रोहियो से अपने सम्पर्क मजबूत कर लिए हैं, तथा म्यानमार डी.जी. फील्ड इन्टेलीजेन्स बंगलादेश के विद्रोहियों को तथा पाकिस्तान की आई.एस.आई. से पूरी सहायता मिल रही है।"

मैं रिपोर्ट में से और आगे उद्धृत कर रहा हूं। जोकि इस प्रकार है :

"मणिपुर तथा नागालैण्ड की वर्तमान स्थिति से अल्पावधि में यह असर पड़ा है कि हिंसात्मक झगड़े तथा अशान्ति मणिपुर के पूरे पर्वतीय क्षेत्र में फैल गई है तथा इम्फाल घाटी और मध य नागालैण्ड, दक्षिणी नागालैण्ड तथा मणिपुर से लगता हुआ नागालैण्ड के पश्चिमी क्षेत्र में इन घटनाओं में कमी आई है। दीर्घावधि में इससे नागा-कुकी जातियों के मध्य अधिक संघर्ष होगा, मणिपुर में मितेई जनजातियों और नागालैण्ड में अर्न्तजनजाति संघर्षों में वृद्धि होने की संभावना है।

उपरोक्त क्षेत्र में जो अत्यधिक विद्रोह तथा अव्यवस्था है, वह राजनैतिक स्थिरता, संकल्प शक्ति, समग्र अवधारणा न होने के कारण तथा राज्य सरकार एवं सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में बिगड़ती हुई स्थिति पर लंबे समय तक निगरानी नहीं रखने के परिणामस्वरूप हुआ है।....."

महोदय, काफी लंबे समय से जिस प्रकार पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र का तिरस्कार किया गया है, यह मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं बता सकता। यह राज्यपाल की रिपोर्ट है। और यह निसंदेह सत्ता दल का भी आशय होगा, परन्तु सरकार यहां यह कहने के लिए बैठी है, कि "हम राज्यपाल की रिपोर्ट को अस्वीकार करते हैं।" राज्यपाल ने, अपनी नियुक्ति के पश्चात् यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यदि मुझे ठीक से याद है तो राज्यपाल अगस्त, 1993 में यहां आए थे। उन्होंने अक्तूबर, 1993 के शुरू में ही 5 अक्तूबर, 1993 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। दिसंबर के शुरूआत तक, अर्थात जब तक छः राज्यों में चुनाव पूरे नहीं हो जाते वहां राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जायेगा। आगे महोदय, हमें राष्ट्रपति महोदय द्वारा यह बताया गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थिति सुधर रही है।

महोदय, मुझे सेना के प्रेस इन्फारमेशन ब्युरों ने जो एक प्रेस प्रकाशनी जारी की है उसे संक्षेप में उद्धृत करने दिया जाए। इसमें सेना ने असम राज्य की स्थिति के बारे में उल्लेख किया है तथा यह प्रेस प्रकाशनी फरवरी, 1994 माह की है, और इसी माह में हमें राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण दिया गया था। हमसें कहा गया है :

"एक और वर्ष, उत्सुकता, अनिश्चय तथा स्वेच्छाचारिता का बिना कोई सार्थक परिणाम के गुजर गया। विभिन्न गुटों के बीच हो रहे, झगड़े अभी जारी हैं। उल्फा के आपसी भातृ घात संबंधी झगड़े तथा बोडो सुरक्षा बलों और संतुष्ट बोडो एवं अल्प संख्यकों के बीच मंतातर में वृद्धि हो रही है। यह आसाम की कानून और व्यवस्था संबंधी स्थिति तथा राज्य सरकार की विफलता का स्पष्ट विवरण हैं। बोडों समझौता संबंधी उलझनों को निपटाने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा कितनी ही बार बातचीत शुरू की गई परन्तु कोई विशेष सफलता नहीं मिली। बोडो सुरक्षा बल इस मामलें पर अपनी युयुत्स अवधारणा कायम रखे हुए है

तथा अधिकांशतः गैर बोडों लोगों पर, प्रस्तावित स्वायत्त बोडों क्षेत्र से अल्पसंख्यकों को भगाने के विचार से हमला करते रहते हैं।"

अध्यक्ष महोदय : आप कहां से उद्धृत कर रहे हैं?

श्री जसवंत सिंह : मैं सेना की प्रेस प्रकाशनी से उद्धृत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम लोग अखबारों में प्रकाशित समाचारों से कार्य नहीं कर सकते।

श्री जसवंत सिंह : यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है यह मात्र समाचार पत्र में ही नहीं छपा है। यह पी.आई.बी. द्वारा जारी किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मूल रिपोर्ट तथा पी.आई.बी. को दी गई रिपोर्ट में अंतर है। हमें नहीं मालूम रिपोर्ट में क्या है, क्या प्रकाशित हुआ है, क्या नहीं हुआ आदि सभी बातों की जानकारी हमें नहीं है। आप इसका उल्लेख कर सकते है परन्तु इसको उद्धृत नहीं कर सकते। और केवल यही उचित है, क्योंकि जब आप उसको उद्धृत करते हैं तो प्रत्येक अर्धविराम, पूर्ण विराम तथा हरेक शब्द का कोई अर्थ होता है। आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं, तो उल्लेख करने तथा उद्धृत करने में काफी अन्तर हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, अगर हम क्वोट न करते और उसको रेफर करते तो आपकी तरफ से आपत्ति हो सकती थी कि यह आप कहां से उद्धृत कर रहे हैं, कौन सा संदर्भ है, और अगर हम उद्धृत कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि उसकी आवश्यकता नहीं है खाली बहस करना काफी था।

[अनुवाद]

16.00 म.प.

अध्यक्ष महोदय : जब आप उद्धृत करते हैं, तो आप यह कहते हैं कि यह उनके द्वारा कहा गया है वहां पर वास्तविक शब्द, अर्थ, पूर्ण विराम, अर्धविराम, वाक्य, रचना, सभी कुछ मायने रखता है, जब आप संदर्भ देते हैं तो उसमें आपकी भी कुछ जिम्मेदारी हो जाती है। जब आप उद्धृत करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता।

श्री जसवंत सिंह : आप जो कहेंगे मैं उसका अनुपालन करूंगा। आप जैसा कहेंगे, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। परन्तु मैंने जो कुछ भी प्रयास किया है, मैं हमेशा यह नहीं कहता कि मुझे सफलता मिली है, परन्तु मैंने कुछ प्रयास किया है तथा मैं जो कुछ भी संसद में कहता हूं मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं मैंने कभी भी सदन में ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहा।

निसंदेह, मैं उन सभी बातों पर ध्यान रखता हूं, जिसके लिए आपने मुझे सावधान किया है। मैं, असम की स्थिति के बारे में सेना ने जो कहा है, उसका संदर्भ दूंगा। असम राज्य के लिए सेना ने जो कहा है, मैं उसके लिए बहुत चिन्तित हूं क्योंकि असम में वर्ष 1993-94 में जो विद्रोही स्थिति है, उसका सारांश बताते हुए सेना ने यह कहा है कि प्रवासियों में मुस्लिम मौलिकतावाद का

विस्तार एक चिन्ता का विषय है। उल्फा उग्रवादियों ने मुसलमानों की नियुक्ति, निःसंदेह बंगलादेश में स्थित एजेंटों तथा पाकिस्तान की आई.एस.आई. को प्रसन्न करते हेतु, शुरू की है। कार्बी एंग्लोग स्वायत्त परिषद् तथा बोडो स्वायत्त परिषद को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप राज्य में अन्य जातीय जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों न जिसमें मिशिंगस, लालुंग्स, रब्हास तथा ताइओम आदि शामिल हैं, इसी प्रकार की स्वायत्तता के लिए, अपनी आवाज उठा रहे हैं जो कि राज्य के गणतांत्रिक परिप्रेक्ष्य के विरुद्ध हैं और इससे असम राज्य में विखंडता बढ़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

16.02 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा शाम पांच बजे तक के लिए स्थगित हुई।

17.00 म.प.

लोक सभा 17.00 बजे पुनः समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सामान्य बजट - 1994-95

अध्यक्ष महोदय : अब वित्त मंत्री ।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यंत गर्व और विनम्र भाव से वर्ष 1994-95 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं।

महोदय, एक राष्ट्र के जीवन में कुछ नाजुक क्षण होते हैं जिनके लिए साहसी तथा निर्णयात्मक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जब उन राष्ट्रों ने, जो एक संकट का कारगर ढंग से सामना करने में असफल रहे, उन चूकों के लिए आने वाले दशकों में खामियाजा भुगता है। जैसा कि एक कवि ने कहा है :

[हिन्दी]

कुछ ऐसे भी मंजर हैं तारीख की नजरों में,

लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई।

[अनुवाद]

भारत ने ऐसे एक गंभीर संकट का जून 1991 में सामना किया जब देश दिवालिया होने के कगार पर था। सौभाग्य से, हमारे नेतृत्व, हमारे दल तथा प्रधानमंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव के

प्रोत्साहनात्मक नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस चुनौती का सीधा सामना किया। प्रधानमंत्री ने यह वचन दिया था कि हम गंभीर आर्थिक संकट का सामना करने तथा अर्थव्यवस्था को निर्वाह योग्य विकास के मार्ग पर वापस लाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। उन्होंने हमारी सरकार तथा हमारे लोगों से इस संकट को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए एक अवसर में बदलने का आह्वान किया।

[हिन्दी]

उठके इन तारीकियों में सुर्खियां पैदा करें,

इस जमीन की पस्तिओं से आसमां पैदा करें।

[अनुवाद]

इस जनादेश का अनुसरण करते हुए हमने आर्थिक पुनर्संरचना तथा सुधार का एक दूरगामी कार्यक्रम प्रारम्भ किया। जब प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम का प्रारम्भ किया, तो इस सभा तथा सभा के बाहर भी कई लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐसे अज्ञात मार्ग पर चलने के निर्णय पर शंका व्यक्त की थी। लेकिन समय के साथ, वे शंकाएं दूर हो गई हैं। इसका एक परिणाम यह है कि यद्यपि हमने एक अल्पमत सरकार के रूप में प्रारम्भ किया था, हम अब अल्पमत में नहीं है। **(व्यवधान)**

महोदय, प्रधानमंत्री यह दावा कर सकते हैं :

[हिन्दी]

"मैं अकेला ही चला था, जानिब-ए-मंजिल मगर,

लोग साथ आते गये और कारवां बनता गया।"

(व्यवधान)

[अनुवाद]

इस प्रक्रिया में उन्होंने यह दिखा दिया है कि नेतृत्व क्या करने जा रहा है।

[हिन्दी]

"इन्सान वो नहीं है, जो हवा के साथ बदले,

इन्सान तो वही है जो हवा का रुख बदल दें।"

(व्यवधान)

[अनुवाद]

तीन वर्ष पूर्व, हर जगह भारत को एक 'बास्केट केस' कहा जा रहा था। आज हमारी आर्थिक नीतियां विश्व भर का ध्यान आकृष्ट कर रही हैं। इसमें अन्य बातों के साथ हमारी प्रजातांत्रिक नीति

की अन्तर्निहित सबलता का पता लगता है। भारत की इस प्राचीन सभ्यता की इसी अन्तर्निहित सबलता की प्रशंसा में ही महान कवि इकबाल ने ये प्रसिद्ध पंक्तियां लिखी थी :

[हिन्दी]

"यूनान, मिस्त्र, रोमां मिट गये जहां से,

अब तक मगर है बाकी नामोनिशां, हमारा,

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,

सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जमां हमारा।"

(व्यवधान)

तीन वर्ष से कम समय गुजरा है, जब हमारी पार्टी ने उस समय एक अल्पमत सरकार के रूप में प्रधानमंत्री, श्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सत्ता संभाली, जिसके सामने एक छिन्न-भिन्न अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण का विशाल दायित्व था। प्रधानमंत्री ने वचन दिया था कि हम गंभीर आर्थिक संकट से निबटने और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ सतत विकास के मार्ग पर वापस लाने को उच्च प्राथमिकता देंगे। इस आदेश के अनुसरण में हमने आर्थिक पुनर्निर्माण और सुधार के दूरगामी कार्यक्रम निर्धारित किये।

भारत जैसे जटिल देश में आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्य पूरा करने के लिए तीन वर्ष की अवधि पर्याप्त नहीं है, परंतु स्थिति का जायजा लेने के लिए यह समय काफी है। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि आर्थिक स्थिति में अत्यधिक सुधार हुआ है। वैदेशिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है।

- हमारा विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार, जो जून, 1991 में 1 बिलियन डालर से कुछ अधिक था अब 13 बिलियन डालर के लगभग हो गया है। हमारा स्वर्ण, जिसे विदेशों में गिरवी रख दिया गया था, हमारे कब्जे में वापस आ गया है।

- निर्यातकर्ता विनिमय दर और व्यापार नीतियों में हमारे व्यापक सुधारों का बहुत अच्छा प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हमारे निर्यात में वर्ष 1993-94 के प्रथम 10 महीनों में डालर के रूप में 21 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में वर्ष 1991-92 की तदनरूप अवधि में 3 प्रतिशत की गिरावट और वर्ष 1992-93 में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

- सभी भय के बावजूद कि उदारीकरण से आयातों में भारी वृद्धि हो जाएगी, अप्रैल-जनवरी, 1993-1994 के दौरान हमारा आयात, डालर के रूप में वर्ष 1992-93 की समतुल्य अवधि के दौरान किए गए आयातों से एक प्रतिशत से भी कम था। 1993-94 के राजकोषीय वर्ष के लिए आयातों के वर्ष 1990-91 से भी कम होने की संभावना है।

- वर्ष 1993-94 के दौरान हमारे भुगतान संतुलन में चालू खाते का घाटा वर्ष 1990-91 के

3 प्रतिशत से भी अधिक और 1992-93 के 2 प्रतिशत की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का आधा प्रतिशत से भी कम होगा।

- कई लोगों की आशंका के विपरीत, रुपए की विनिमय दर एकीकरण और व्यापार नियंत्रण हटाए जाने के बावजूद उल्लेखनीय रूप से स्थिर रही। पहले की तरह हवाला लेन-देनों के माध्यम की बजाय विदेशी मुद्रा पर्याप्त मात्रा में कानूनी माध्यमों से आ रही है।

- भारत के प्रति अंतर्राष्ट्रीय विश्वास पुनःस्थापित हुआ है। विदेशी प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो निवेश, जो वर्ष 1991-92 में मात्र 150 मिलियन डालर था, उसके वर्ष 1993-94 में लगभग 3 बिलियन डालर हो जाने की संभावना है।

घरेलू अर्थव्यवस्था की प्रगति भी उत्साहवर्धक है। मुद्रास्फीति को अगस्त, 1991 में 17 प्रतिशत के शीर्ष से कम करके वर्तमान में उस स्तर का लगभग आधा कर दिया गया है। कृषि संबंधी निष्पादन भी काफी अच्छा रहा है। सार्वजनिक प्रणाली में खाद्य भंडार पहली जनवरी, 1994 को 23 मिलियन टन था। यह सात वर्षों में उच्चतम स्तर है और फसल की विफलताओं की किसी भी संभावना के एवज में अमूल्य बीमा प्रदान करता है। औद्योगिक उत्पादन में भी सुधार हो रहा है, यद्यपि जैसी हमने आशा की थी उससे यह काफी धीमा है। समग्र आर्थिक वृद्धि लगातार दूसरे वर्ष लगभग 4 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह भय कि सुधार कार्यक्रमों से बेरोजगारी में काफी वृद्धि हो सकती है, निराधार सिद्ध हुआ है। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत और रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों के अद्यतन आंकड़े नवम्बर, 1992 की तुलना में नवम्बर, 1993 में 1.4 प्रतिशत की कमी दर्शाते हैं।

वर्ष 1993-94 में उद्योग की धीमी प्रगति चिंता का विषय है और यह मुख्यतः पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में मंदी के कारण है। अगर पूंजीगत वस्तुओं को छोड़ दिया जाता है तो शेष विनिर्माण क्षेत्र दूसरी तिमाही में 6 प्रतिशत की वृद्धि से अच्छा निष्पादन दर्शाता है और वर्ष की शेष अवधि में और सुधार होने का अनुमान है पूंजीगत वस्तु उद्योगों में मंदी प्रारम्भिक तौर पर निवेश संबंधी क्रियाकलापों में अस्थायी तौर पर कमी होने के कारण है, क्योंकि, फर्मों को नई स्थितियों के अनुसार अपनी निवेश संबंधी योजनाओं को समायोजित करना होता है। इस बात के संकेत हैं कि पुनर्निर्माण की यह प्रक्रिया काफी आगे है और कई कंपनियां अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अब बड़े कार्यक्रम शुरू कर रही हैं। इसलिए, निवेश में एक नया मोड़ प्रारंभ हो रहा है।

वास्तविक जीवन में स्थिति कभी भी समग्र रूप से सुखमय नहीं होती और कुछ चेतावनी के संकेत मौजूद होते हैं, जिन पर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। हमने मूल रूप से जितना लक्ष्य निर्धारित किया था चालू वर्ष में उस स्तर तक राजकोषीय घाटा स्थिर रहना संभव नहीं हुआ है। वर्ष 1993-94 में औद्योगिक सुधार की धीमी गति के कारण राजस्व में गिरावट आई और कई खर्च भी बजट अनुमानों से अधिक हो गए। साधारणतया 1993-94 में राजकोषीय घाटे में कमी प्रत्याशी के विपरीत कम क्षतिकारक रही, क्योंकि यह मुख्यतया पर्याप्त निष्क्रिय औद्योगिक क्षमता और निम्न निवेश स्तर पर विद्यमान थे। परंतु, ज्यों ही निवेश में पुनरुत्थान होना शुरु होता है, हम राजकोषीय क्षेत्र में कमी बनाए रखना सहन नहीं कर सकते। जब तक चालू वर्ष में देखी गई गिरावट को तेजी से बदला नहीं जाता, इस बात का गंभीर खतरा है कि हम ऐसी स्थिति में वापस जा सकते हैं, जहां अत्यधिक सरकारी

घाटा मुद्रास्फीति में वृद्धि करता है, चालू खाते का असंतुलन बढ़ाता है और ब्याज दरों में वृद्धि करता है, जो जीवन स्तर बढ़ाने और पर्याप्त संख्या में उत्पादन रोजगार सृजित करने के लिए आवश्यक हमारी तीव्र आर्थिक वृद्धि लाना असंभव बना देता है।

इस बजट को बनाते समय मैंने छः मुख्य कार्यों की ओर ध्यान दिया है :

- पहला, हमें अपनी कर प्रणाली के सुधार और आधुनिकीकरण की गति तेज करनी चाहिए, जिसे हमने दो वर्ष पूर्व आरंभ किया था।

- दूसरे, हमें चालू वर्ष में राजकोषीय घाटे की बढ़ोतरी (स्लिपेज) को सुधारना चाहिए।

- तीसरे, हमें वैदेशिक क्षेत्र, जहां हमारे सुदृढ़ कार्यनिष्पादन ने विश्व अर्थव्यवस्था के साथ चरणबद्ध एकरूपता की हमारी नीति का समर्थन किया है, में प्राप्त सराहनीय क्षमता को बनाए रखना चाहिए।

- चौथे, बजट को एक सुदृढ़ औद्योगिक सुधार, विशेषकर निवेश और पूंजीगत वस्तु उत्पादन के लिए एक प्रमुख प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए।

- पांचवां, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें अपनी विकास नीतियों और कार्यक्रमों को हमारी अधिकतम जनता विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रभावित करने वाली गरीबी, बेरोजगारी तथा सामाजिक नुकसान वाली समस्याओं को अधिक प्रभावी रूप से अनुकूल बनाने के लिए पुनः अभिमुख बनाना चाहिए।

- छठे, हमने अपनी बैंकिंग प्रणाली का जो पुनरुद्धार किया है, उसे सुदृढ़ करने एवं उसकी प्रगति में और तेजी लानी है।

पिछले वर्ष हम एक एकीकृत बाजार निर्धारित विनिमय दर प्रणाली की ओर अग्रसर हुए थे। इस प्रणाली ने अत्यंत सुचारु रूप से कार्य किया है। अब अगला कदम बढ़ाने और चालू लेखे में परिवर्तनीयता की दिशा में बढ़ने का समय आ गया है। चालू लेखे में परिवर्तनीयता सभी चालू व्यापार लेनदेनों के लिए विदेशी मुद्रा तक हमारी पहुंच को अत्यधिक उदार बनाने और यात्रा, शिक्षा तथा डाक्टरी खर्चों के लिए भी विदेशी मुद्रा को उदार बनाएगी। यह निश्चित रूप से ऐसे लेनदेनों के लिए अवैध चैनलों पर निर्भरता को समाप्त करेगी। इन उदार नीतियों के ब्यौरों की घोषणा रिजर्व बैंक द्वारा अलग से की जा रही है। अपनी विदेशी भुगतान व्यवस्था के प्रगामी उदारीकरण के अनुरूप, हम विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की समीक्षा करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो नये विधान द्वारा इसे प्रतिस्थापित करने सहित आवश्यक परिवर्तन करेंगे।

विदेशी प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो निवेश की हमारी नीतियों से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं और इनसे हमारी विदेशी उधार पर निर्भरता को कम करने में सहायता मिली है। अनुमोदित अधिकांश प्रत्यक्ष निवेश महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा क्षेत्रों के लिए हैं पिछले वर्ष के मेरे बजट भाषण में जैसी परिकल्पना की गई थी, सरकार इस समय कई मुख्य निवेशकर्ता देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश करारों पर बातचीत कर रही है।

हमारा विदेशी ऋण, जो चिंता का कारण है, अब बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है। इसमें 1980 के दशक के उत्तरार्ध में प्रतिवर्ष औसतन लगभग 6 बिलियन डालर की वृद्धि हुई। वर्ष 1990-91 में ऋण में 8 बिलियन डालर से अधिक की वृद्धि हुई। वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 में मात्र लगभग 3 बिलियन डालर की औसत वृद्धि हुई। वर्ष 1993-94 के पूर्वार्ध में, विदेशी ऋण में केवल 300 मिलियन डालर की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, ऋण में हुई हाल की वृद्धि हमारे विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में तीव्र वृद्धि से प्रतिसंतुलित हो गई है। मैं सदन को आश्वासन देना चाहूंगा कि हम इस पहलू के प्रति सजग रहेंगे, ताकि विदेशी ऋण विवेकपूर्ण स्तरों के भीतर रहें। भारत के ऋण जाल में फंसने का कोई प्रश्न नहीं उठता। वास्तव में हमारा पूर्व में व्यय किए गए उच्च लागत वाले कुछ ऋण को छोड़कर सरल भुगतान स्थिति का प्रत्युत्तर देने का प्रस्ताव है। भारतीय कंपनियों को पहले के विदेशी ऋणों का पूर्व-भुगतान करने की मुक्त रूप से अनुमति दी जाएगी।

माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि हमारा कुछ विदेशी ऋण अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से लिया गया है। हमने अपनी संकट की घड़ी में कोष से संपर्क किया था। अब हमारी भुगतान की स्थिति काफी सुधर गई है और हमारा प्रारक्षित भंडार सुविधाजनक स्तर तक पुनर्निर्मित हो गया है। हम समय से कुछ पूर्व ही कोष को वापसी-अदायगी करने की स्थिति में हैं। वर्ष 1994-95 में कोष को 1.4 बिलियन डालर की मूल और ब्याज की वापसी-अदायगी की जानी है। भुगतान की नियमित समय-अनुसूची का पालन करने की बजाय, हमारा इरादा पूरी राशि को वर्ष के प्रारंभ में ही समय-पूर्व भुगतान करने का है। पूर्व-भुगतान करने का यह निर्णय किसी भी अर्थ में कोष, जिसने हमारी आवश्यकता के समय हमारी अत्यधिक सहायता की है, के साथ उत्कृष्ट संबंधों को कम नहीं करता है। अगर स्थितिवश आवश्यक हुआ तो हम पुनःवित्तीय सहायता मांगने में नहीं हिचकिचाएंगे।

वर्तमान में निर्यातकर्ताओं और अन्य विदेशी मुद्रा उपार्जकों को विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट लेखे में विदेशी मुद्रा प्राप्ति 15 प्रतिशत तक रखने की अनुमति दी जाती है। अनुमत्य प्रतिधारण की प्रतिशतता को 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। विशेष प्रोत्साहन के रूप में, शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों तथा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की इकाइयों और साथ ही इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क और साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क की इकाइयों, को अनुमत्य प्रतिधारण 50 प्रतिशत होगा। यह सुविधा निर्यातकर्ताओं को आयातों के लिए भुगतान करते समय रूपान्तरण लागत व्यय करने से संरक्षण प्रदान करने के लिए है। आवश्यक अधिसूचनाएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अलग से जारी की जा रही हैं।

राजकोषीय अनुशासन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता की चर्चा करते हुए, मैंने लंबे समय से महसूस किया है कि सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के असीमित आश्रय, राजकोषीय हुंडियां के निर्गम द्वारा धन सृजित करके अपने घाटे का वित्तपोषण नहीं करना चाहिए। इस प्रथा ने प्रभावी मौद्रिक नीति लागू करने की रिजर्व बैंक की क्षमता को भी क्षीण किया है। सुधारात्मक उपाय के रूप में, मैं राजकोषीय हुंडियों तक सरकार की गम्यता को तीन वर्षों तक चरणबद्ध करने का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष 1994-95 में बजट घाटे को अनुमानित सकल घाटे के एक प्रतिशत के लगभग दो-तिहाई अथवा 6,000 करोड़ रुपए तक सीमित किया जा रहा है। सामान्यतया, पूरे वर्ष के लिए राजकोषीय हुंडियों का निवल निर्गमन इस राशि से नहीं बढ़ना चाहिए। रिजर्व बैंक से यह सहमति भी हुई है कि वर्ष में किसी भी समय राजकोषीय हुंडियों का निवल निर्गमन दस लगातार कार्य दिवसों के लिए 9,000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के स्तर

को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक स्वतः ही बाजार में राजकोषीय हुंडियां बेचेगा। यह एक ऐतिहासिक कदम है जो आने वाले समय में राजकोषीय और मौद्रिक अनुशासन में महत्वपूर्ण सुधार करने में योगदान देगा और रिजर्व बैंक को प्रभावी मौद्रिक प्रबंध के लिए अधिक अवसर प्रदान करेगा। अनुवर्ती वर्षों में, तदर्थ राजकोषीय हुंडियों का आश्रय लेना प्रगामी तौर पर कम किया जाएगा और वर्ष 1997-98 तक सरकार अपने घाटे के वित्तपोषण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का प्रत्यक्ष आश्रय लेना बंद कर देगी और उसे अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति बाजार से उधार लेकर करनी होगी।

उद्योग और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में निवेश पर ब्याज दरों का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बार-बार मांग होती रही है कि ब्याज दरों को कम किया जाना चाहिए। पिछले वर्षों में बैंकों द्वारा प्रभारित ऋण देने की न्यूनतम दरों को पहले ही तीन प्रतिशतांक कम किया जा चुका है। वित्तीय संस्थाओं ने भी अपनी प्रभावी दरें कम कर दी हैं। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं अब ऋण देने की अपनी न्यूनतम दर ब्याज दर के अतिरिक्त 1 प्रतिशतांक और कम करके 14 प्रतिशत कर रही हैं। इसी के साथ-साथ वाणिज्यिक बैंकों की तीन-वर्षों और उससे अधिक के सावधिक ऋणों पर ऋण देने की न्यूनतम दर भी 15 प्रतिशत से कम करके 14 प्रतिशत की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक अलग से अधिसूचना जारी कर रहा है। ये परिवर्तन कल से लागू होंगे और अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करने में सहायता प्रदान करेंगे।

सरकार ने समसामयिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी अधिनियम को कारगर बनाने के लिए इस अधिनियम में कुछ संशोधनों का पहले ही प्रस्ताव किया था। भारतीय कंपनियों को ऐसा परिवेश प्रदान करने के लिए, जिसमें कि वे उच्च प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकें, इन प्रस्तावों में संशोधन करने के लिए उद्योग से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर पुनः विचार किया है और संसद में एक नया विधेयक पेश करने का प्रस्ताव किया है जो कि इन चिन्ताओं के प्रति अनुकूल होगा।

हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी शाक्ति और दौलत के प्रमुख निर्धारक बन गए हैं। भारत को अपने वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की उपलब्धियों पर गर्व है, लेकिन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय नवीकरण का एक कारगर साधन बनाने के लिए काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए देशीय प्रौद्योगिकी के विकास और प्रयोग को तेज करने के वास्ते मैं, अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत इस समय एकत्र किए जा रहे आयातित प्रौद्योगिकियों के लिए रायल्टी के भुगतानों पर लगने वाले 5 प्रतिशत उपकर को प्रौद्योगिकी विकास और प्रयोग संबंधी एक नए कोष में जमा करने का प्रस्ताव करता हूं। यह कोष देशीय विकसित प्रौद्योगिकियों को वाणिज्यिक प्रयोगों के चरण तक पहुंचाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पास रहेगा। इस संबंध में अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। जब मैं कर प्रस्तावों की चर्चा करुंगा, तब मैं अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ और उपायों का प्रस्ताव करुंगा।

मैं सदन को आश्वासन देना चाहूंगा कि हमारी नीतियां एक गतिशील और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धी औद्योगिक क्षेत्र का संवर्धन करने की दिशा में अग्रसर हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे पास कुशल जनशक्ति और उद्यमशीलता का असीम भंडार होने के कारण, भारतीय उद्योग के पास विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने की क्षमता और इच्छा है। सरकार और उद्योग दूसरी औद्योगिक

क्रान्ति की शुरुआत करने में सक्रिय सहयोगियों के रूप में कार्य करेंगे, जो कि दोनों ही अधिक कारगर और अधिक रोजगारोन्मुखी हैं। इस वर्ष के लिए मेरी राजस्व प्रस्तावों, जिनकी मैं बाद में चर्चा करुंगा, में औद्योगिक निवेश और पूंजीगत माल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपायों का एक मजबूत पैकेज शामिल है। भविष्य के संदर्भ में, हमारी औद्योगिक फर्में पूरे विश्व में पहुंचे और दूर-दराज तक, सुदूर देशों में उनके नाम की घर-घर में चर्चा हो, ऐसा मेरा एक सपना है।

अब मैं कृषि से संबंधित कुछ मुद्दों की ओर आता हूं । कृषि को संस्थागत ग्रामीण ऋण का पर्याप्त प्रवाह ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और आवश्यकता की तुलना में इस समय यह प्रवाह अत्यंत कम है । इसके पीछे कारणों में, बैंकों और सह-कारिताओं द्वारा की जाने वाली मध्यवर्तियों की उच्च लागतें, संस्थागत ढ़ांचे में बुनियादी कमजोरियों और ऋण तथा ब्याज दर नीति पर अस्थिर प्रतिबंध शामिल है। मैं ग्रामीण ऋण में दीर्घावधि सुधार के लिए आधार स्थापित करने के वास्ते अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाने का प्रस्ताव करता हूं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ग्रामीण ऋण के लिए शीर्ष अभिकरण हैं। मैं इसकी शेयर पूंजी को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूं और भारतीय रिजर्व बैंक भी इतनी ही राशि का अंशदान करेगा। इससे नाबार्ड की शेयर पूंजी लगभग तिगुनी हो जाएगी और ग्रामीण ऋण की प्रणाली को मजबूत बनाने में शक्तिशाली नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए इसे सुसज्जित करेगा।

ग्रामीण ऋण में एक प्रमुख चिंता का विषय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कमजोर स्थिति है। 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से, पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष लगभग 150 बैंकों ने घाटा दिखाया है। अधिकांश ने अपनी इक्विटी तथा प्रारक्षित भंडार को पूरी तरह समाप्त कर दिया है तथा कुछ में जमाराशियों में भी हानि हो रही है। यह एक अस्थिर स्थिति है ओर यदि इन बैंकों को पुनः लाभ प्रदान करने वाला बनाना है तो दीर्घावधि संरचनात्मक उपाय आवश्यक हैं। रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अधिक लाभप्रद बनाने के लिए अपने उधार देने के अभियान में उन्हें अधिक नम्यता प्रदान करने के लिए कुछ उपायों की पहले ही घोषणा की है। मेरा 1994-95 के दौरान पूरे देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 50 की बैलेंस शीटों को परिमार्जित करने तथा अतिरिक्त पूंजी लगाने सहित व्यापक पुनर्संरचना आरम्भ करने का प्रस्ताव है। संरचनात्मक तथा सम्बद्ध वित्तीय सहायता का स्वरूप और तौर-तरीका वर्ष के दौरान तैयार किया जाएगा। इन 50 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अनुभव बाद के वर्षों में अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रति हमारे दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करेगा। इस कार्यक्रम की सफलता राज्य सरकारों तथा प्रवर्तक बैंकों से पूर्ण सहयोग पर निर्भर करेगी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शेयरधारक एवं कर्मचारी भी हैं। हमारा उद्देश्य फिलहाल कमजोर एवं रुग्ण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय रूप से व्यवहार्य तथा विकेन्द्रीकृत ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ माध्यम में परिवर्तित करना है।

इसके अतिरिक्त, हमें सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने के उपायों का पता लगाना चाहिए, जिन्होंने ऋण सहायता के माध्यम से ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वर्ष 1992-93 के दौरान सहकारिताओं द्वारा 6,295 करोड़ रुपए के नये ऋण प्रदान करने की तुलना में उनके 1993-94 के दौरान 8,500 करोड़ रुपए तक पहुंचने की आशा है। 1994-95 के दौरान, हमारी 9,600 करोड़ रुपए तक और वृद्धि करने की योजना है। इस मात्रात्मक वृद्धि के साथ-साथ संगठनात्मक तथा संरचनात्मक परिवर्तन भी होने चाहिए जो वित्तीय व्यवहार्यता को सुनिश्चित करते हैं। सरकार का

सहकारिता संरचना को सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपाय करने का प्रस्ताव है। "नाबार्ड" सहकारिता प्रणाली को नया रूप देने और उसकी व्यवहार्यता में सुधार लाने के वास्ते राज्य विशेष विकास कार्य योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए राज्य तथा जिला सहकारी बैंकों और संबंधित राज्य सरकारों के साथ सहमति ज्ञापन निष्पन्न करेगा।

ग्रामीण ऋण प्रणाली को मजबूत बनाने के इन उपायों के साथ-साथ ग्रामीण विकास के लिए बजट प्रावधान में काफी वृद्धि करना भी शामिल है, जिस पर मैं अभी आ रहा हूं। यह सुनिश्चित करना भी हमारा उद्देश्य होगा कि कृषि संबंधी हमारी नीतियों से कृषकों पर से सभी अनावश्यक दबाव समाप्त होंगे। खाद्यान्न और अन्य कृषि वस्तुओं की अंतर्देशीय आवाजाही पर से प्रतिबंध पूर्ण रूप से हटाए जाने चाहिए, ताकि हमारे किसान भाई एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के लाभों का उपयोग कर सकें। उन्हें निर्यात करने के लिए भी अधिकाधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए जिससे वे न केवल हमारे राष्ट्रीय निर्यात प्रयासों में अपना योगदान दे सकें, बल्कि लाभप्रद निर्यात अवसरों से भी लाभ उठा सकें।

माननीय सदस्य जानते ही हैं कि हमने बैंकिंग प्रणाली में मूलभूत पुनर्संरचना आरंभ की है, जिसका लक्ष्य इसके परिचालनों की पूर्ण वित्तीय व्यवहार्यता और इसकी प्रतिस्पर्धी क्षमता को मजबूत बनाने को सुनिश्चित करना है। मैंने राष्ट्रीयकृत बैंकों को 1993-94 में पूंजी अंशदान के रूप में 5,700 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है, जिससे उन्हें डुबन्त और संदिग्ध ऋणों के लिए आवश्यक प्रावधान करने तथा नए पूंजी पर्याप्तता मानदंड पूरा करने में सहायता मिल सके। पिछले वर्ष मैंने उल्लेख किया था कि 1994-95 और 1995-96 में अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी और यह बोझ पूर्णतया बजट में वहन नहीं किया जा सकता था। सदन को सूचित करते हुए मुझे हर्ष है कि दिसंबर, 1993 और जनवरी, 1994 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने इक्विटी के निर्गम द्वारा जनता से सफलतापूर्वक 2,200 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि एकत्र की और एक बांड निर्गम के माध्यम से और 1,000 करोड़ रुपए एकत्र किए। राष्ट्रीयकृत बैंकों को इसी प्रकार पूंजी बाजारों में प्रवेश करने की अनुमति देने और बजट पर बोझ को कम करने के लिए लोकसभा में शीतकालीन सत्र में विधायी संशोधन पेश किए गए। उन्हें शीघ्रता से पारित किए जाने से इनमें से कई बैंकों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित पूंजी जुटाने में सहायता मिलेगी। फिर भी, कई राष्ट्रीयकृत बैंकों को वर्ष 1994-95 के दौरान अतिरिक्त सहायता की अपेक्षा होगी और मैं इन बैंकों के लिए अतिरिक्त पूंजी अंशदान के रूप में वर्ष 1994-95 में 5,600 करोड़ रुपए प्रदान कर रहा हूं। पहले की भांति, यह पूंजी सरकारी बांडों, जिन पर तत्काल कोई नकद व्यय नहीं होगा, के रूप में प्रदान की जाएगी। ब्याज अदायगियां और शोधन निस्संदेह भावी बजटों पर एक प्रभार होंगे।

मैं "बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993", जो विशेष वसूली न्यायाधिकरणों की स्थापना की व्यवस्था करता है, को पिछले अगस्त में शीघ्र पारित करने के लिए इस सदन का आभारी हूं। ये न्यायाधिकरण शीघ्र ही प्रचालित हो जाएंगे और बैंकों की बकाया राशि की वसूली में सुधार करने में मुख्य भूमिका अदा करेंगे। मुझे यह सूचित करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि रिजर्व बैंक, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण के लिए एक वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की स्थापना कर रहा है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को आगाह करने और उन उधारकर्ताओं, जिन्होंने अन्य ऋणदाता संस्थाओं को उनके बकाया देने में चूक की है, से उन्हें सावधान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एक प्रारंभिक सीमा के ऊपर चूककर्ता उधारकर्ताओं के नाम बैंकों और वित्तीय

संस्थाओं को परिचालित करने की व्यवस्था कर रहा है। रिजर्व बैंक ऐसे मामलों, जहां बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुकदमे दायर किए गए हैं, में चूककर्ता उधारकर्ताओं की एक सूची भी प्रकाशित करेगा। ये दोनों उपाय उधारकर्ताओं में अधिक अनुशासन प्रोत्साहित करेंगे।

सरकार पूंजी बाजारों से संबंधित सुधारों को उच्च प्राथमिकता देती है, जिनका उद्देश्य एक कुशल और प्रतिस्पर्धी पूंजी बाजार की रचना करना है तथा इसके लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रभावशाली विनियम लागू किए जाएंगे, जिससे निवेशकर्ता को पर्याप्त संरक्षण देना सुनिश्चित हो सकेगा। प्रतिभूति घोटाले के कारण 1992 में एक अस्थायी धक्का लगने के पश्चात्, पूंजी बाजार ने शीघ्र ही अपनी जड़ें मजबूत कर लीं। सेबी के अनुमोदन से सार्वजनिक और राइट्स निर्गमों के माध्यम से पूंजी बाजार में जुटाई गई धनराशि 1993-94 के पहले दस महीनों में बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गई, जब कि 1992-93 की उसी अवधि में यह राशि 16,000 करोड़ तथा 1991-92 के पूरे वर्ष के दौरान यह राशि 6,000 करोड़ रुपए से भी कम थी। इसके अतिरिक्त, बहुत सी भारतीय कंपनियों ने यूरो-इक्विटी निर्गमों तथा विदेशी परिवर्तनीय बांड निर्गमों के माध्यम से विदेशों में भी धनराशि एकत्रित की। सरकार पूंजी बाजार के सम्पूर्ण आधुनिकीकरण तथा व्यापार प्रणालियों में तेजी से सुधार लाने के लिए कटिबद्ध है, जिसका प्रयोजन सौदों की स्पष्टता और उनके शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करना है। स्क्रीन-आधारित व्यापार करने वाले मॉडल राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज द्वारा इस वर्ष के मध्य तक कार्य प्रचालन आरम्भ कर देने की आशा है। इनकी स्थापना से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम और प्रतिभूति (विनियमन) अधिनियम में और संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, ताकि सेबी को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की जा सकें।

पिछले वर्ष अपने बजट भाषण में मैंने एक उच्चाधिकार-प्राप्त समिति की स्थापना की घोषणा की थी, जो बीमा उद्योग का अध्ययन करके भविष्य में उसके विकास हेतु दिशानिर्देश संबंधी अपने सुझाव देगी। बीमा क्षेत्र में सुधार संबंधी उक्त समिति को भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपर्व गवर्नर श्री आर.एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। इस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें बीमा क्षेत्र को धीरे-धीरे विनियमन-मुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिससे एक अधिक प्रतिस्पर्धी और वित्तीय रूप से मजबूत बीमा उद्योग की रचना की जा सके जो एक स्वतंत्र विनियमकारी प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य करे। सरकार इस रिपोर्ट पर अब सक्रिय रूप से विचार कर रही है। मैं इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में, भावी दिशानिर्देश तथा सुधार संबंधी विषयवस्तु के बारे में एक विस्तृत राष्ट्रीय सहमति तैयार करना चाहता हूं।

हमारी अर्थव्यवस्था संबंधी सुधारों की सफलता तथा विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हेतु कुशल और प्रचुर मात्रा में आधारभूत सेवाओं का होना एक अनिवार्य पूर्व-शर्त है। हमारे विद्युत क्षेत्र को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय सक्षमता की समस्या भी शामिल है और यदि हमें लगातार बढ़ती हुई मांग के अनुसार बिजली की आपूर्ति जारी रखनी है तो उक्त समस्या को हल करना होगा। इस क्षेत्र में राज्य विद्युत बोर्डों की कार्य प्रणाली में भारी परिवर्तन करने, शुल्कों को युक्तियुक्त बनाने तथा विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण संबंधी जिम्मेवारियों की पुनःसंरचना करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति हमारी बिजली प्रणाली में विस्तृत सुधार लाने के संबंध में विचार कर रही है तथा हमें इस क्षेत्र में बहुत से कड़े निर्णयों का सामना अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा।

तेल और गैस क्षेत्र में बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, ताकि इस क्षेत्र के अंतर्गत अन्वेषण, विकास, परिशोधन तथा विपणन आदि कार्यों में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। हमारा प्रस्ताव है कि इन उपायों में और अधिक सघनता लाई जाए। कोयला उद्योग में आधुनिकीकरण और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार निवेश, मूल्य-संरचना तथा वितरण संबंधी नीति ढांचे की समीक्षा कर रही है। दूरसंचार क्षेत्र में भी नये कदम उठाए जा रहे हैं।

अब मैं संक्षेप में 1993-94 के संशोधित अनुमानों की ओर आता हूं।

1993-94 के बजट अनुमानों में 1,31,323 करोड़ रुपए के कुल व्यय का प्रावधान था। इस व्यय के अब 1,43,872 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने की संभावना है, यानि इसमें 12,549 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी।

चालू वर्ष के बजट अनुमानों में योजनागत व्यय हेतु 41,251 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता का प्रावधान रखा गया था। इस सहायता में 4,775 करोड़ रुपए की वृद्धि करके अब इसे 46,026 करोड़ रुपए किया जा रहा है। बढ़ाई गई इस राशि में 3,493 करोड़ रुपए राज्यों को उनकी योजनाओं के वित्तपोषण हेतु सहायता के रूप में दिए जाएंगे। बढ़ी हुई इस राशि का एक बड़ा भाग विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित है। मैंने विशेष श्रेणी वाले राज्यों को अग्रिम योजना सहायता के रूप में 856 करोड़ रुपए की राशि का एक प्रावधान किया है, ताकि वे अपने प्रारम्भिक घाटे को पूरा कर सकें तथा पंजाब को अतिरिक्त विशेष योजना ऋण के रूप में 339 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की है, ताकि पंजाब राज्य को उसके पुनरुत्थान संबंधी प्रक्रिया में सहायता मिल सके।

केन्द्रीय योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 1993 को घोषित नई रोजगार बीमा योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। राष्ट्रीय नवीकरण निधि हेतु चालू वर्ष के प्रावधान में मैंने 320 करोड़ रुपए की वृद्धि की है और यह प्रावधान राशि अब बढ़कर 1,020 करोड़ रुपए हो गई है। इससे राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के वित्तपोषण तथा प्रशिक्षण और परामर्श संबंधी कार्यों हेतु वित्तपोषण में भी वृद्धि होगी।

चालू वर्ष के योजना-भिन्न व्यय हेतु 7,774 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता होगी। खाद्य आर्थिक सहायता हेतु 2,200 करोड़ रुपए तथा उर्वरक आर्थिक सहायता हेतु 900 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जानी है। राज्यों को सहायता के रूप में मैं 632 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रख रहा हूं, ताकि किसानों को नियंत्रण-मुक्त उर्वरकों पर रियायत प्रदान की जा सके। रक्षा व्यय हेतु 2,320 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करना भी आवश्यक हो गया है। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि हम देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा के प्रश्न पर कोई समझौता नहीं कर सकते। मैं पुलिस के लिए 303 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था कर रहा हूं। बढ़े हुए प्रावधानों में पेंशन के लिए 219 करोड़ रुपए तथा बेहतर संग्रहण के फलस्वरूप, राज्यों को लघु बचत संग्रहणों में से उनके हिस्से के रूप में ऋण के तौर पर 500 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

सकल कर राजस्व, जिसका बजट में 84,867 करोड़ रुपए होने का अनुमान था, से अब 8,117 करोड़ रुपए कम प्राप्त होने की सम्भावना है। इसमें से लगभग 822 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कर प्राप्तियों के कारण है जो 1 दिसंबर, 1993 से इसकी समेकित निधि में प्राप्त हो रही है। इस कारण से भी व्यय में परिणामी कमी आई है। शेष कमी मुख्यतः सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत है। सीमाशुल्क राजस्व भी अपेक्षित राशि से 5,227 करोड़ रुपए कम है, जिसका मुख्य कारण यह है कि निर्यातों में इतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी कि आरंभ में आशा थी। अर्थव्यवस्था के अधिक राजस्व उपार्जन वाले कुछ क्षेत्रों में उत्पादन में गिरावट आने के कारण उत्पाद शुल्क में 2,001 करोड़ रुपए की कमी आई है। सरकारी उद्यमों में इक्विटी धारिता की विनिवेश संबंधी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में देरी होने के कारण, इस वर्ष संबंधित प्राप्तियां 2,500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जब कि इसकी तुलना में बजट अनुमान 3,500 करोड़ रुपए के थे।

प्राप्तियों में कमी होने के कारण अधिक उधार लेना अनिवार्य हो गया है। तथापि, मैंने यह सुनिश्चित करने के गंभीर प्रयास किए हैं कि बढ़े हुए उधारों से "हाई पावर्ड मनी" में अत्यधिक वृद्धि न हो। इसके स्थान पर, हमें यह देखना है कि सरकार बाजार सबंद्ध निवेशों के आधार पर उधार ले जैसे कि 364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां जो कि 1992-93 में आरंभ की गई थीं। हमने कुछ नए साधन भी शुरू किए हैं जैसे कि शून्य कूपन दर बांड तथा 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की परिपक्वता पर परिवर्तनीय 3-वर्षीय ऋण।

वापसी-अदायगियों को घटाने के पश्चात् विदेशी ऋण राशि 3,837 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जब कि इसकी तुलना में बजट अनुमान 5,454 करोड़ रुपए हैं।

प्राप्तियों और व्यय में अन्य घट-बढ़ को हिसाब में लेते हुए इस वर्ष के अंत तक 9,060 करोड़ रुपए का बजट घाटा होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा, जिसके मूल बजट में 36,959 करोड़ रुपए होने का अनुमान था, अब बढ़कर 58,551 करोड़ रुपए हो जाने की संभावना है। इसलिए, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशंताक के रूप में राजकोषीय घाटा 7.3 प्रतिशत होगा जो कि बजट स्तर पर लगाए गए अनुमान से काफी अधिक है। मैं इस स्थिति से खुश नहीं हूं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, 1993-94 में कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां थीं जिनके कारण अधिक घाटा हुआ। एक निष्क्रिय औद्योगिक क्षमता के कारण मुझे यह चिंता थी कि राजकोषीय घाटे में तेजी से कमी लाने के प्रयास के विपरीत परिणाम निकलते। तथापि, हम बार-बार बड़े राजकोषीय घाटे को वहन नहीं कर सकते। हमें राजकोषीय सुधार के मार्ग पर वापस लौटना चाहिए।

अब मैं 1994-95 के बजट अनुमानों की ओर आता हूं।

विकास संबंधी क्रियाकलापों की गति को बनाए रखने के लिए केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता, जो 1993-94 के बजट अनुमान में 23,241 करोड़ रुपए थी, को बढ़ाकर 1994-95 में 27,278 करोड़ रुपए कर दिया गया है जो लगभग 17.4 प्रतिशत वृद्धि की द्योतक है। 1994-95 के

70.141 करोड़ रुपए वाली केन्द्रीय योजना के कुल परिव्यय में से 39 प्रतिशत भाग को बजटीय सहायता से वित्तपोषित किया जाएगा जब कि 1993-94 के बजट अनुमान में यह सहायता 36 प्रतिशत थी। केन्द्रीय योजना परिव्यय के शेष भाग को केन्द्रीय सरकार के उद्यमों के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

मैं राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को 1994-95 के लिए 19,304 करोड़ रुपए की राशि योजना सहायता के रूप में प्रदान कर रहा हूं जब कि 1993-94 के बजट अनुमान में यह राशि 18,010 करोड़ रुपए थी। केन्द्रीय और राज्य योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार के बजट में से कुल बजटीय सहायता में 13 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी और 1993-94 के बजट अनुमान में 41,251 करोड़ रुपए की तुलना में 1994-95 के लिए यह सहायता राशि 46,582 करोड़ रुपए रखी गई है।

केन्द्रीय योजना हेतु बढ़ाई गई बजटीय सहायता मुख्यतः ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा महिला और बाल विकास तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों के उच्च परिव्यय को पूरा करने के लिए प्रदान की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार सृजन और पूंजी निर्माण की महत्वपूर्ण आवश्यकता तथा ग्रामीण निर्धनता को तेजी से कम करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के परिव्यय, जो कि 1993-94 के बजट अनुमान में 5,010 करोड़ रुपए था, को बढ़ाकर 1994-95 में 7,010 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत की भारी वृद्धि का द्योतक है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि 1992-93 के बजट अनुमान में ग्रामीण विकास के लिए 3,100 करोड़ रुपए का आवंटन रखा गया था। दो वर्षों में हमने इस प्रावधान को दुगना से भी अधिक कर दिया है। 15 अगस्त, 1993 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित नई रोजगार बीमा योजना, जिसे 1752 निर्धारित ब्लाकों में कार्यान्वित किया जा रहा है, के लिए 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जब कि 1993-94 में यह राशि 600 करोड़ रुपए थी। इसी प्रकार, जवाहर रोजगार योजना के लिए आवंटन राशि को 1993-94 के बजट अनुमान में 3,306 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1994-95 में 3,855 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अनुमान है कि 1994-95 में 1150 मिलियन श्रम दिवसों का सृजन किया जाएगा। मैंने राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल योजना सहित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के लिए आवंटन को भी वर्ष 1994-95 में 150 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है।

उद्योग, सेवा और व्यवसाय उद्यमों से 7 लाख छोटे उद्यमों की स्थापना द्वारा देश में दस लाख शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) 2 अक्टूबर, 1993 को आरम्भ की गई थी। इस योजना में 1993-94 के दौरान शहरी क्षेत्रों और 1994-95 से आगे के दौरान पूरे देश को शामिल करने का विचार है। इसके लिए 1994-95 में 145 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

कृषि के लिए 1994-95 में परिव्यय 2,005 करोड़ रुपए होगा। उद्यान विकास पर काफी बल दिया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत आवंटन में 42 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे बजट अनुमान 1993-94 में 130 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1994-95 में 184 करोड़ रुपए किया गया है। ड्रिप सिंचाई

में प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ाने की एक बड़ी योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसके लिए 1994-95 के दौरान 45 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ परिव्यय रखा गया है।

आठवीं योजना में हमने मानव संसाधनों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। इस क्षेत्र के लिए अधिकतर परिव्यय राज्यों की आयोजनाओं में शामिल हैं। केन्द्रीय आयोजना में शिक्षा के लिए परिव्यय में 17.6 प्रतिशत की वृद्धि करके इसे 1994-95 में 1,541 करोड़ रुपए किया गया है। प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके वास्ते परिव्यय को 1993-94 के बजट अनुमान में 442 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1994-95 में 523 करोड़ रुपए किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए आवंटन को 1993-94 के बजट अनुमान में 159 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1994-95 में 209 करोड़ रुपए किया गया है। उच्च शिक्षा की प्रणाली में पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता का उन्नयन करने के लिए विशेष आवंटन किये गये हैं। एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और असम में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए भी व्यवस्था की गई है।

स्वास्थ्य के लिए परिव्यय में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 1993-94 के बजट अनुमान में 483 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1994-95 में 578 करोड़ रुपए किया गया है। अन्धत्व के नियंत्रण के लिए एक नवीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम अगले वर्ष से कार्यान्वित किया जाएगा। कुष्ठ-निवारण कार्यक्रम के लिए आवंटन को 1993-94 के बजट अनुमान में 35 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1994-95 में 94 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एड्स का नियंत्रण और उपचार अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस संबंध में 1994-95 में 83 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई व्यवस्था की गई है।

परिवार कल्याण विभाग के लिए परिव्यय को भी 1993-94 के बजट अनुमान में, 1,270 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1994-95 में 1,430 करोड़ रुपए किया गया है।

विशिष्ट योजनाओं के लिए राज्यों को सहायता सहित वर्ष 1994-95 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 982 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम को केन्द्रीय सरकार द्वारा शेयर पूंजी अंशदान 1993-94 के बजट अनुमान में 53 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1994-95 में 76 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

आधारभूत ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, दूर-संचार, रेलवे और परिवहन, सभी से संबंधित आयोजना परिव्ययों में वृद्धि की गई है। विद्युत क्षेत्र के लिए आयोजना परिव्यय को 1993-94 के बजट अनुमान में 7,461 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1994-95 में 8,464 करोड़ रुपए किया गया है और इसी कुल राशि के अन्तर्गत विद्युत क्षेत्र के लिए बजट सहायता को 1993-94 के बजट अनुमान में 2,445 करोड़ रुपए से 27 प्रतिशत अधिक बढ़ाकर 1994-95 में 3,117 करोड़ रुपए किया गया है। दूर-संचार सेवाओं के लिए आयोजना परिव्यय को 1993-94 के बजट अनुमान में 6,321 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1994-95 में 7,246 करोड़ रुपए

किया गया है। सड़कों के लिए परिव्यय को 1993-94 के बजट अनुमान में 593 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1994-95 में 665 करोड़ रुपए किया गया है। हमने रेलवे को बजट सहायता में भी 20 प्रतिशत वृद्धि करके 1993-94 के बजट अनुमान में 960 करोड़ रुपए से 1994-95 में 1,150 करोड़ रुपये किया है। दीर्घावधि विकास को स्थिर रखने के लिए आधारभूत सेवाओं की लागत वसूली को अधिक कारगर बनाना है। आधारभूत क्षेत्र में निवेश को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आन्तरिक और बजट-बाह्य संसाधनों द्वारा अधिकाधिक वित्तपोषित करना है।

हमारी अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने और इसे विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए परिव्यय में 19 प्रतिशत वृद्धि करके इसे 1993-94 के बजट अनुमान में 189 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1994-95 में 225 करोड़ रुपए किया गया है।

अगले वर्ष के लिए कुल आयोजना-भिन्न व्यय चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 97,846 करोड़ रुपए की तुलना में 1,05,117 करोड़ रुपए किया गया है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान एक प्रमुख कारक की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कि वर्ष-प्रतिवर्ष आयोजना-भिन्न व्यय में काफी वृद्धि में योगदान देता रहा है, और वह ब्याज का बोझ है। अगले वर्ष के लिए ब्याज अदायगियों के वास्ते 46,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह चालू वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 8,000 करोड़ रुपए अधिक है, जबकि कुल आयोजना-भिन्न व्यय में 15,045 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। माननीय सदस्य जानते ही हैं कि ब्याज बोझ का एक बड़ा हिस्सा हमें विगत से परम्परा में मिला है और यह सरकारी उधार के लगातार ऊंचे स्तर के कारण बढ़ता ही जा रहा है। ब्याज अदायगियों को केवल तभी कम किया जा सकता है, यदि हम सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं या राजकोषीय घाटे में चरणबद्ध कटौती का कोई कार्यक्रम कार्यान्वित कर सकें। यह केवल तभी वास्तविकता बन सकती है, यदि हमारी कर-प्रणाली अधिक उत्साही बन जाए, हमारे सरकारी उद्यम अधिक आन्तरिक संसाधन पैदा कर सकें और हम आर्थिक सहायताओं पर व्यय को कम कर सकें। सरकारी उद्यमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश और विशुद्धतः ऋण कम करने के लिए बिक्री आय का एक हिस्सा निर्धारित करने के वास्ते एक निर्भीक कार्यक्रम काफी सहायक होगा।

आयोजना-भिन्न व्यय में रक्षा एक अन्य महत्वपूर्ण संघटक है। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। इसलिए, मैं रक्षा के लिए 1993-94 के बजट अनुमान 19,180 करोड़ रुपए, जो संशोधित अनुमान में स्वतः बढ़ कर 21,500 करोड़ रुपए हो गया था, उसकी तुलना में 23,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूं। मैं खाद्य राज-आर्थिक सहायता और उर्वरक राज-आर्थिक सहायता, प्रत्येक के लिए 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूं। मैं कृषकों को ऋण राहत योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा देय शेष राशि के लिए 341 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त, मैं विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना पर विनिमय हानि देयता के सरकार के पूर्वानुमान के कारण 365 करोड़ रुपए के निवल व्यय की व्यवस्था कर रहा हूं, जिसका पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वहन किया जाता था।

ब्याज अदायगियों और रक्षा के लिए आयोजना-भिन्न व्यय के वास्ते अगले वर्ष के बजट में की गई व्यवस्था चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों में वास्तव में 2,729 करोड़ रुपए कम है।

प्राप्ति पक्ष में, विद्यमान कर स्तरों पर सकल कर-राजस्व 87,136 करोड़ रुपए बैठता है। अगले वर्ष राज्यों का करों में हिस्सा चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 22,244 करोड़ रुपए की तुलना में 24,394 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वापसी-अदायगियों को घटाकर विदेशी ऋण चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 3,837 करोड़ रुपए की तुलना में 4,279 करोड़ रुपए बैठता है।

परिपक्व होने वाली देयताओं को हिसाब में लेते हुए अगले वर्ष में निवल लघु बचत संग्रहण चालू वर्ष के उसी स्तर अर्थात् 6,000 करोड़ रुपए बैठते हैं। मैं सरकारी क्षेत्र की इक्विटी की बिक्री से अवस्फीतिकारी संसाधन जुटाने की नीति को जारी रखते हुए विनिवेश से प्राप्तियों के रूप में अगले वर्ष के लिए 4,000 करोड़ रुपए का ऋण ले रहा हूं। कुल प्राप्तियां 1,45,699 करोड़ रुपए और कुल व्यय 1,51,699 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिससे 6,000 करोड़ रुपए का अन्तर शेष रहेगा।

अब मैं वर्ष 1994-95 के कर संबंधी प्रस्तावों पर आता हूं। इस वर्ष, मैं अप्रत्यक्ष करों के प्रस्तावों से शुरुआत करूंगा।

पिछले कई वर्षों से हमारी अप्रत्यक्ष कर संरचना उच्च और एकाधिक दरों की भूलभुलैया बन कर रह गई है, जिसमें बहुत सी रियायतें और एक ही उत्पाद के लिए विभिन्न प्रयोगों और प्रयोगकर्ताओं के लिए अलग-अलग दरें लागू होती हैं। इससे अनावश्यक दुरुहता उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण प्रशासनिक दुरुपयोग, बढ़ते हुए मुकदमें तथा अनिश्चित आर्थिक प्रभाव जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। इन सब से कर संबंधी आधार और प्रणाली की प्रभावकारिता काफी कम हुए हैं तथा इसमें गंभीर आर्थिक विकृतियां पैदा हुई हैं। सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दोनों से संबंधित मेरे प्रस्तावों का लक्ष्य कर संरचना को सरल बनाना तथा कराधान की दरों को संतुलित बनाने की प्रक्रिया को जारी रखना है।

यद्यपि, पिछले तीन बजटों में सीमाशुल्क दरों में भारी कमी की गई है, लेकिन, इनमें और कमी किए जाने की आवश्यकता है, जिससे भारतीय उद्योग को कच्ची सामग्री और पूंजीगत वस्तुएं उचित लागतों पर मिलती रहें तथा उद्योग को दिये जाने वाले संरक्षण के अनुचित उच्च स्तर को भी कम किया जा सके। इसके साथ ही, शुल्क में कमी के मानदंड को इस तरह से संशोधित किया जाना आवश्यक है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इससे हमारे देश में उन्हीं उत्पादों के उत्पादकों पर अनुचित दबाव न पड़े। इस कर संरचना में, सीमाशुल्क सुधारों संबंधी मेरे प्रस्तावों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-

- सीमाशुल्क की उच्च दरों में और कटौती करना;
- इस्पात और रसायनों जैसी मुख्य कच्ची सामग्रियों पर शुल्क में भारी कमी करना;
- निवेश को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर सीमाशुल्क में कमी करने के साथ-साथ

अन्य प्रोत्साहन भी प्रदान करना, जिससे पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग को सहायता मिल सके;

- कच्ची सामग्री तथा अवयवों पर आयात शुल्क की दरों, जो कि परिष्कृत उत्पादों की शुल्क दरों से अधिक हैं, से संबंधित विसंगतियों को कम करना अथवा समाप्त करना;

- एक जैसे उत्पादों पर एक जैसी शुल्क दरों को एकीकृत करने का सुव्यवस्थित प्रयास करना, जिससे आर्थिक यौक्तिकीकरण हो और विवादों के वर्गीकरण के विस्तार में कमी आए;

- अधिसूचनाओं में भारी कांट-छांट कर उनकी वर्तमान संख्या को लगभग आधी करना, जिनमें समापन उपयोग छूट भी सम्मिलित है, इस प्रकार विवेकाधीन शक्तियों और विवादों की संभावनाओं को कम करना।

मैं सीमाशुल्क की उच्च दरों को 85 प्रतिशत से घटाकर 65 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। लेकिन, यात्री सामान तथा शराब पर शुल्क की मौजूदा उच्च दरें लागू रहेंगी।

हमारी प्रतिस्पर्धा और निवेश को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत वस्तुओं का उचित लागत पर उपलब्ध होना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि अत्यधिक संभावनाओं वाले हमारे स्वदेशी पूंजीगत वस्तु उद्योग को कर संरचना में विसंगतियों के कारण तुलनात्मक रूप में कोई हानि न पहुंचे। इन दोनों उद्देश्यों की दृष्टि से, मैं निम्नलिखित उपायों के पैकेज का प्रस्ताव करता हूं :-

(क) मैं परियोजना आयातों तथा सामान्य पूंजीगत वस्तुओं पर से मूल सीमाशुल्क को 35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। परियोजना आयातों की यह सुविधा पत्तन विकास को शामिल करने के लिए प्रदान की जा रही है, इस सबसे भारतीय उद्योगों में निवेश और आधुनिकीकरण की लागत को कम करने में सहायता मिलेगी। सहायक पुर्जों, चाहे व मूल उपस्कर के पुर्जे हों अथवा अतिरिक्त पुर्जे हो, पर आयात शुल्क की वर्तमान दरों, जो कि इस समय 25 प्रतिशत से 85 प्रतिशत के बीच अलग-अलग है, को घटाकर 25 प्रतिशत किया जा रहा है। उर्वरक परियोजनाओं और विद्युत परियोजनाओं पर आयात शुल्क बिना किसी समतुल्य शुल्क के क्रमशः शून्य दर और 20 प्रतिशत दर पर जारी रहेंगे।

(ख) पूंजीगत वस्तुओं के स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं का निरंतर यह तर्क रहा है कि यदि घरेलू पूंजीगत वस्तुओं को आयातों के साथ परिस्पर्धा करनी है, तब पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं पर लगे उत्पाद शुल्क का प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। मैं इस मांग को स्वीकार करता हूं।

(ग) इसके साथ ही मैं पूंजीगत वस्तुओं को 'मोडवाट' संबंधी लाभ प्रदान करता हूं, जिससे स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं पर अदा किया गया उत्पाद शुल्क अथवा आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर अदा किया गया प्रतिकारी शुल्क संबंधी ऋण एक ही बार उपलब्ध हो। यह मांग भारतीय उद्योग के सभी क्षेत्रों की तरफ से काफी समय से प्राप्त होती रही है।

(घ) मशीनी औजारों पर इस समय 40 प्रतिशत, 60 प्रतिशत तथा 80 प्रतिशत की विभिन्न दरों से शुल्क लगता है। मेरा प्रस्ताव इस संरचना को सरल बना कर शुल्क को 35 प्रतिशत अथवा 45 प्रतिशत कर देने का है।

(ङ) परिष्कृत पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क में कमी करने के पश्चात् यह आवश्यक है कि इस्पात, जो कि एक महत्वपूर्ण निविष्टि है, पर से सीमाशुल्क को भी कम किया जाए। मैं इस्पात पर मौजूदा 75 से 85 प्रतिशत की सीमाशुल्क दर को कम करके 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। तांबा, जस्ता तथा सीसे जैसी मुख्य अलौह धातुओं के बुनियादी रूपों पर आयात शुल्क को एकसमान करके 50 प्रतिशत की दर पर निर्धारित किया जा रहा है। इन प्रस्तावों से, अर्थव्यवस्था में निवेश को एक मजबूत बल मिलेगा तथा विशेषरूप से स्वदेशी पूंजीगत वस्तु उद्योग को सहायता मिलेगी।

स्वदेशी धातु निर्माताओं की सहायता हेतु, सभी अयस्कों और सान्द्रों पर सीमाशुल्क को कम करे 10 प्रतिशत की एक ही दर पर निर्धारित किया जा रहा है। गौण इस्पात क्षेत्र हेतु निविष्टियों की लागत को कम करने के लिए मैल्टिंग स्क्रैप पर आयात शुल्क 12.5 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत तथा लौह अयस्क गुटिकाओं पर 15 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

हमारे चमड़ा उद्योग, जो निर्यात संबंधी आय का एक मुख्य अर्जक है तथा जिसमें रोजगार के गहन अवसर होते हैं, के निर्यात संबंधी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, मैं इस उद्योग में प्रयुक्त होने वाली मशीनरी की बहुत सी मदों तथा कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क, जो कि इस समय 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच है, को कम करे, बिना किसी समतुल्य शुल्क के 20 प्रतिशत की एकसमान दर पर लाने का प्रस्ताव करता हूं।

तीव्र आर्थिक विकास के लिए इलैक्ट्रोनिक तथा दूरसंचार अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और इनके अतिरिक्त रोजगार और निर्यातों, दोनों ही के सृजन में भारी योगदान मिलता है। इन क्षेत्रों की शुल्क संरचना को युक्तियुक्त बनाने के लिए मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :-

(क) कंप्यूटर के पुर्जों पर आयात शुल्क को 80 प्रतिशत से कम करके 50 प्रतिशत किया जा रहा है। विशिष्ट संघटकों पर शुल्क 50 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत तथा विशिष्ट अलग पुर्जों (पीस-पार्टस) पर शुल्क 35 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत किया जा रहा है। एप्लीकेशन साफ्टवेयर पर से आयात शुल्क 85 प्रतिशत से कम करके 20 प्रतिशत किया जा रहा है।

(ख) दूरसंचार क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मैं ऐसे उपस्करों के निर्माण के लिए इलैक्ट्रोनिक-भिन्न पुर्जों पर आयात शुल्क को 50 प्रतिशत से कम करे 40 प्रतिशत तथा आप्टिकल फाइबर पर शुल्क 85 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं, जिससे देश में ही आप्टिकल फाइबर के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

हमारे स्वदेशी घड़ी उद्योग के विकास की भारी संभावनाएं हैं। हमारा यह उद्योग अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बने, इसके लिए मैं इस उद्योग से संबंधित मशीनरी की कुछ मदों पर आयात शुल्क की दर, जो इस समय 50 प्रतिशत है, को घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके साथ ही, घड़ी उद्योग से संबंधित कुछ संघटकों तथा कच्ची सामग्री पर मौजूदा शुल्क दरों को 70 प्रतिशत और 50 प्रतिशत से घटाकर क्रमशः 25 प्रतिशत और 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

चिकित्सा संबंधी उपस्कर से संबंधित आयात शुल्क की मौजूदा संरचना काफी जटिल है तथा बहुत से मामलों में तो प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण काफी समय लग जाता है। स्वदेशी उद्योग भी आयातित उपस्कर के साथ प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि, यह उपस्कर अब नामित प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अस्पतालों को बिना शुल्क के उपलब्ध हो जाता है। उपरोक्त बाधाओं को दूर करने के लिए, मेरा प्रस्ताव है कि धर्मार्थ अस्पतालों हेतु प्रमाणपत्र की प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए तथा बिना किसी प्रतिकारी शुल्क के 15 प्रतिशत की शुल्क दर से निर्दिष्ट चिकित्सा उपस्करों के मुक्त आयात की अनुमति प्रदान कर दी जाए। ऐसे उपस्करों की सूची पृथक रूप से तैयार की जा रही है तथा गुण-दाष के आधार पर इस सूची को बढ़ाया भी जा सकता है। तथापि, सरकारी अस्पतालों तथा सभी निर्दिष्ट जीवन रक्षक और दृष्टि रक्षक उपस्करों का शून्य दर पर आयात करना जारी रखा गया है। अन्य चिकित्सा उपस्करों पर आयात शुल्क की मौजूदा दर को 85 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया जा रहा है। उनके विनिर्माण संबंधी संघटकों का आयात 15 प्रतिशत सीमाशुल्क की दर पर करने की अनुमति दी जाएगी। इस अंतर से स्वदेशी उद्योग द्वारा चिकित्सा उपस्करों का निर्माण करने में सहायता मिलेगी।

कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित आयात शुल्क संरचना को सरल बनाया जा रहा है। कच्चे पेट्रोल और कोयले पर अब क्रमशः 1500/- रुपए प्रति मीट्रिक टन और 85 प्रतिशत के स्थान पर अब 35 प्रतिशत की दर से आयात शुल्क लगाया जाएगा। कोक पर शुल्क 85 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया जा रहा है। एल.पी.जी. और अन्य पेट्रोलियम गैसों पर 15 प्रतिशत की दर से आयात-शुल्क लगेगा। नेप्था और केरोसिन पर बुनियादी गैसों पर 15 प्रतिशत की दर से आयात-शुल्क लगेगा। नेप्था और केरोसिन पर बुनियादी सीमाशुल्क से छूट जारी रहेगा। अन्य पेट्रोलियम पदार्थों पर 30 प्रतिशत आयात शुल्क लगेगा। इन परिवर्तनों से उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के प्रशासित मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

रसायनों से संबंधित वर्तमान आयात शुल्क ढांचे में बुनियादी संभरक सामग्रियों (फीड-स्टॉक) के लिए 15 प्रतिशत शुल्क की कम दर और तैयारशुदा रसायनों के लिए 85 प्रतिशत की उच्च दर की व्यवस्था की गई है। दरों के समग्र विस्तार की उच्च दर को 65 प्रतिशत तक घटाकर कम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, डी.एम.टी., पी.टी.ए. और एम.ई.जी. पर शुल्कों को 70 प्रतिशत से कम करके 60 प्रतिशत किया जा रहा है और एक्सिलिन्स तथा टोल्यून जैसे मध्यवर्तियों पर शुल्कों को 40 प्रतिशत से कम करके 30 प्रतिशत किया जा रहा है। बुनियादी संभरक सामग्रियों (फीड-स्टॉक) के लिए 15 प्रतिशत की दर अपरिवर्तित रखी गई है।

फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अनेक कच्ची सामग्रियों पर आयात शुल्क, जो कि इस समय 85 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच हैं, उन्हें 50 प्रतिशत या 25 प्रतिशत की दो दरों तक कम किया जा रहा है। कुछ मामलों में ड्रग मध्यवर्तियों के घरेलू विनिर्माताओं के हितों की सुरक्षा करने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आयात शुल्क में कुछ उर्ध्वगामी संशोधन किया गया है।

हालांकि, इस संबंध में मुझे कोई संदेह नहीं है कि सीमाशुल्कों में चरणबद्ध कटौती हमारे उद्योग के दीर्घावधिक हित के लिए अनिवार्य है, मुझे कुछ आयातित वस्तुओं को कृत्रिम तौर पर कम मूल्यों पर भंडारण करने संबंधी कुछ उद्योगों की चिंता की भी पूरी जानकारी है। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी भंडारणरोधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें और मजबूत बनाया जाएगा।

मैं अब केन्द्रीय उत्पाद संबंधी प्रस्तावों पर आता हूं।

इस बजट में हमारी कर प्रणाली को आधुनिक बनाने के हमारे कार्यक्रम के एक भाग के रूप में उत्पाद कर ढांचे में भारी सुधार करने का प्रस्ताव है। इस पुनर्संरचना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- मोडवाट को पूंजीगत वस्तुओं और पेट्रोलियम पदार्थों पर लागू करना;
- अधिकतर उत्पाद कराधान को निर्दिष्ट से मूल्यानुसार दरों में अंतरित करना, जिससे राजस्वों में काफी अधिक वृद्धि सुनिश्चित होगी;
- मूल्यानुसार कर दरों की कुल संख्या में कमी करके वर्तमान संख्या का लगभग आधा करना, जो कि सरलता और सुस्पष्टता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा;
- दरों को कम करने की प्रक्रिया को जारी रखना, जब भी ये अनावश्यक रूप से उच्च स्तरों पर हों;
- जहां तक संभव हो, एकसमान वस्तुओं के लिए एकसमान दरें लागू करना। इससे वर्गीकरण समस्याएं, दुरूपयोग की संभावना और अत्यधिक मुदकमेबाजी समाप्त हो जाएगी;
- जटिल मूल्य सूची की प्रक्रिया को समाप्त करना;
- विशेष छूट अधिसूचनाओं की संख्या में कमी करके उन्हें लगभग आधा करना।

इन कदमों से विनिर्माण उत्पादन और रोजगार वृद्धि का संवर्धन होगा और कर प्रशासन सरल बनेगा तथा विवेकाधिकार कम होंगे और गलत वर्गीकरण, विवादों और अपवंचन की संभावना भी कम होगी। इनसे राजस्व नम्यता बढ़ेगी और अंततः मूल्यवर्धित कर (वैट) अपनाए जाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

अंततः, भारी पुनर्संरचना में अनेक उत्पादों के लिए अनेक दरों में परिवर्तन शामिल होते हैं,

क्योंकि उत्पादों को कम दर वाली श्रेणियों में पुनःवर्गीकृत करना होता है। इसके अलावा, मोडवाट लागू करने के कारण राजस्व हानि के लिए प्रतिपूर्ति करने के वास्ते कुछ मामलों में शुल्क दरों को समायोजित किया गया है। फिर भी, हमने सुनिश्चित किया है कि आम खपत की वस्तुओं पर अधिक करों का बोझ नहीं डाला जाए। उदाहरणार्थ, अनेक वस्तुओं जैसे कि हथकरघा उत्पाद, बिना ब्रांड की ड्रग्स, घरेलू बिजली के बल्ब, बाइसिकल, शिशु आहार, खाना पकाने का तेल, मसाले, जैम, जैली, सॉसिज, चाय और कॉफी पर पूरी छूट जारी है। इस बात को ध्यान में रखा गया है कि कुछ वस्तुओं के मूल्य न बढ़ाए जाएं, उदाहरणार्थ चीनी, माचिस और वनस्पति। इससे आम आदमी की उपभोग की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

अब मैं विशेष रुचि के कुछ प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख करना चाहूंगा।

महोदय, इस सदन को याद होगा कि मोडवाट स्कीम 1986 में आरंभ की गई थी। बाद में इसके विस्तार ने विनिष्टि करों के क्रमिक प्रभाव को कम करने में बहुत सहायता की है। लेकिन, इसका विस्तार अभी अधूरा है। पेट्रोलियम पदार्थों, वस्त्र, माचिस, तम्बाकू के उत्पादों और पूंजीगत वस्तुओं को इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया था। इस स्कीम को अधिक व्यापक बनाने के लिए उद्योग की ओर से लगातार मांग की जाती रही। मैं अब मोडवाट स्कीम की दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों, यथा पूंजीगत वस्तुओं और पेट्रोलियम पदार्थों पर लागू करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं पेट्रोलियम पदार्थों के ढांचे को युक्तियुक्त बनाने का प्रस्ताव करता हूं। इस समय उत्पाद शुल्क दरें निर्दिष्ट हैं। अन्त्य उपयोग के अनुसार अनेक छूट उपलब्ध हैं। मैं वर्तमान निर्दिष्ट दरों के स्थान पर, मोटर स्प्रिट जिस पर कि 20 प्रतिशत शुल्क लगेगा, को छोड़कर, सभी पेट्रोलियम पदार्थों पर 10 प्रतिशत की एकसमान मूल्यानुसार दर प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। अन्त्य उपयोग छूटें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तथापि, उर्वरक उद्योग के लिए वर्तमान रियायतें जारी रखी गई हैं। इन परिवर्तनों से इन मदों के प्रशासित मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

सूती और हस्त-निर्मित फैब्रिक्स के लिए वर्तमान शुल्क ढांचा मूल्यानुसार और निर्दिष्ट दरों का मिश्रण है। मैं इस समय लागू अनगिनत निर्दिष्ट और मूल्यानुसार दरों के स्थान पर केवल 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की मूल्यानुसार दरें लागू करने का प्रस्ताव करता हूं।

फाइबरों और यार्न पर वर्तमान उत्पाद शुल्क संरचना जटिल है और विभिन्न प्रकार के यार्न और फाइबर्स के लिए अलग-अलग निर्दिष्ट दरें निर्धारित की गई हैं। इसके कारण सही शुल्क देयता निर्धारित करने के लिए नमूनों का बार-बार परीक्षण करना पड़ता है। वर्गीकरण की सभी समस्याओं का निराकरण करने और विभिन्न फाइबर्स तथा यार्न के बीच उत्पाद शुल्क को निष्क्रिय बनाने के लिए मैं सभी फाइबर्स और ब्लेंडेड या काते गए यार्न पर 20 प्रतिशत का एकसमान उत्पाद शुल्क लागू करने का प्रस्ताव करता हूं। तथापि, सूती यार्न पर वर्तमान जटिल और यार्न के काऊंट के अनुसार विभिन्न निर्दिष्ट दरों के स्थान पर केवल 5 प्रतिशत की दर पर उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। जहां तक फिलामेंट यार्न का संबंध है, राजस्व आय एकसमान उत्पाद शुल्क की दिशा में बढ़ने से रोकती है।

इसलिए, मैंने पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न के लिए 60 प्रतिशत, नाईलान और पोलिप्रोपलीन यार्न के लिए 30 प्रतिशत और विस्कॉस फिलामेंट यार्न के लिए 15 प्रतिशत की दर पर मूल्यानुसार शुल्क दर लगाने का प्रस्ताव किया है। औद्योगिक यार्न के लिए 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की कम दरें निर्धारित की गई हैं। मोडवाट स्कीम फाइबर्स से बने यार्न पर लागू की जा रही है, इसके साथ ही मोडवाट सभी यार्न पर लागू हो जाएगी। ये परिवर्तन मुख्यतया ढांचे का सरलीकरण और युक्तियुक्तकरण है। सीमाशुल्क में कमी करने के साथ ही ये इस क्षेत्र में मूल्यों को संतुलित करने में सहायक होने चाहिए।

मैं एल्यूमीनियम को छोड़कर, जिसके लिए अब शुल्क 25 प्रतिशत की तुलना मे 20 प्रतिशत होगा, सभी धातुओं पर 15 प्रतिशत का एकसमान शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं। तथापि, पिग आयरन और लोहे के कुछ अन्य उत्पादों के लिए 10 प्रतिशत का कम शुल्क लागू रहेगा।

ड्रग्स पर उत्पाद ढ़ांचा अनुसूची 1, अनुसूची 2 और अन्य ड्रग्स के बीच अंतर दर्शाता है। अनुसूची 1 की ड्रग्स जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए हैं और मूल्य नियंत्रणाधीन हैं, उन्हें उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त है। यह व्यवस्था जारी रहेगी। अनुसूची 2 की ड्रग्स के एकल नुस्खों पर 10 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगता है, जबकि अन्य ब्रांड वाली ड्रग्स पर 15 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगता है। मैं इन दरों का एकीकरण करके इन्हें 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं आयुर्वेदिक ब्रांड वाली और होम्योपैथिक दवाइयों तथा अन्य वैकल्पिक प्रणालियों की दवाइयों पर 10 प्रतिशत का साधारण उत्पाद शुल्क भारित करने का प्रस्ताव करता हूं। इस समय बड़े ड्रग्स उत्पादक बल्क ड्रग्स पर 5 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क के कारण, जो कि बहुत कम है, मोडवाट के पूरे लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसे बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है ताकि वे पूरे लाभ उठा सकें। तथापि, बिना ब्रांड वाली ड्रग्स पर उत्पाद शुल्क से छूट जारी रहेगी।

विभिन्न रसायनों और डाई, रंग-रोगन, चर्मशोधन मिश्रण आदि जैसे रसायन आधारित उत्पादों के लिए शुल्क ढांचे को सरल बनाने की दृष्टि से मैं ऐसे उत्पादों पर 5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत के बीच की वर्तमान दरों के स्थान पर 20 प्रतिशत की एकसमान दर लागू करने का प्रस्ताव करता हूं। प्रमुख बल्क प्लास्टिकों, सिंथेटिक रंग-रोगनों और डिटर्जेंट्स पर इस समय लागू 35 प्रतिशत की दर के स्थान पर 30 प्रतिशत की एकसमान दर लगाए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

कागज का शुल्क ढांचा शून्य, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 30 प्रतिशत की मूल्यानुसार दरों, विशिष्ट दरों और विशिष्ट-सह-मूल्यानुसार दर के कारण जटिल है। इसे अब कागज पर शुल्क की सामान्य दर 20 प्रतिशत करके, अखबारी कागज, लेखन सामग्री आदि के लिए शून्य, कागज आधारित परतों, और फर्श आवरकों के लिए 30 प्रतिशत और गैर-परम्परागत कच्ची सामग्रियों से निर्मित कागज के लिए 10 प्रतिशत अथवा 15 प्रतिशत दर रखकर सरलीकृत किया जा रहा है। मैं गैर-परम्परागत कच्ची सामग्रियों का प्रयोग करने वाले कागज की मिलों को वर्तमान में उपलब्ध छूट की सीमा बढ़ा रहा हूं। वर्तमान में यह छूट किसी विनिर्माता की एक से अधिक फैक्टरी से कागजों की स्वीकृति को एक साथ करके लाभ को सीमित कर देती है। मैं अब इसे पृथक रूप से प्रत्येक फैक्टरी

द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए इस रियायत की अनुमति दे रहा हूं।

प्रसाधन-सामग्री और इसके समान व्यक्तिगत देखभाल के उत्पादों पर लागू 70 प्रतिशत की शुल्क दर उन मदों के लिए बहुत अधिक हैं, जो अब लगातार आम लोगों की खपत का हिस्सा बनती जा रही हैं। इसलिए, इस दर को घटाकर 50 प्रतिशत किया जा रहा है।

मैं सामान्य लघु उद्योग छूट स्कीम में भी कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव कर रहा हूं। वर्तमान में, केवल पंजीकृत इकाइयां ही 75 लाख रुपए तक के स्वीकृति मूल्य की रियायत प्राप्त करने की पात्र हैं। अपंजीकृत इकाइयां केवल 30 लाख रुपए तक छूट प्राप्त कर सकती हैं। मैं इस अंतर को मिटा देने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि लघु उद्योग इकाइयां, चाहे वे पंजीकृत हैं अथवा नहीं, इसका ध्यान दिए बिना उनको दी जाने वाली छूट प्राप्त कर सकें। यह लघु उद्योग की एक मुख्य मांग पूरी करेगा। लघु उद्योग छूट स्कीम की सीमा कुछ लोहा, इस्पात और तांबा उत्पादों सहित कई अतिरिक्त मदों को शामिल करने के लिए विस्तारित की जा रही है।

मौजूदा स्कीम के अंतर्गत, अन्य इकाई के ब्रांड नाम के अधीन वस्तु विनिर्माण कर रही लघु इकाई केवल तभी शुल्क की रियायत पाने की हकदार है, यदि ब्रांड नाम किसी बड़ी इकाई का नाम नहीं हो। बड़ी इकाइयों द्वारा उनके ब्रांड नामों की छोटी इकाइयों के नाम से पंजीकृत करके शुल्क के भुगतान से बचने की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। इससे लघु-विनिर्माता को स्वयं अपना ब्रांड संवर्धित करने की अनुमति नहीं मिलती। देश में अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड नामों की शुरुआत से, घरेलू उद्योग के हित में स्कीम के दुरुपयोग पर रोक लगाना आवश्यक है। इसलिए, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अन्य विनिर्माता के ब्रांड नाम वाली वस्तुओं की स्वीकृति पर शुल्क से छूट का लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

लघु उद्योगों की निरंतर मांगों में से एक, उन्हें शुल्क अदा करने की अनुमति देना रही है, यद्यपि, वे अन्यथा छूट के हकदार हैं, क्योंकि यह उनके ग्राहकों को 'मोडवाट' ऋण के लाभ का दावा करने का पात्र बना देगा। इस अनुरोध में काफी अच्छाई है और मैं उन्हें, जो इसका प्रयोग करना चाहेंगे, इसका विकल्प देने का प्रस्ताव करता हूं।

यह स्मरणीय है कि पिछले बजट में, जहाज-तोड़ने वाले उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए जहाजों पर मूल सीमाशुल्क घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क देय था। जहाज को तोड़ने से प्राप्त लौह धातुओं को परिणामतः उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त थी। जहाजों के तोड़ने पर प्रतिकारी शुल्क की देयता के संबंध में कुछ विवाद रहे हैं। इन विवादों को दूर करने के लिए मैं जहाजों के तोड़ने को प्रतिकारी शुल्क छूट देने और सदृश रूप से मूल सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत पर समायोजित करने का प्रस्ताव करता हूं। जहाज-तोड़ने वाले उद्योग के लिए ऐसी टूट से प्राप्त सभी सामग्रियों को भी उत्पाद शुल्क से छूट देना प्रस्तावित है, ताकि जहाज को तोड़ने के क्रियाकलाप पूरी तरह से उत्पाद शुल्क नियंत्रण से परे हों।

चूंकि, मैं सिगरेटों पर शुल्कों की विशिष्ट दरें जारी रख रहा हूं और मूल्यों में वृद्धि के बावजूद ये पिछले दो वर्षों से अपरिवर्तित रही हैं, मैं सिगरेटों पर शुल्कों को लगभग 12 प्रतिशत बढ़ाने

का प्रस्ताव करता हूं। तथापि, गैर-फिल्टर खण्ड में 60 मि.मी. से कम की श्रेणी के लिए इस उद्योग में तंबाकू के अधिक उपयोग के लिए उत्पाद शुल्क कम करके 120 रुपए प्रति हजार से 60 रुपए प्रति हजार किया जा रहा है, जो परिणामतः तम्बाकू उत्पादकों को सहायता प्रदान करेगा।

पिछले कुछ वर्षों से, जहां घरेलू अप्रत्यक्ष करों के आधार को व्यापक बनाने के प्रयास किए गए हैं, वहीं सेवा क्षेत्र को कराधान के अधीन नहीं लाया गया है। फिर भी, इस क्षेत्र का हमारे सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा है और इसमें अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। कराधान से सेवाओं को छूट देने का कोई उचित कारण नहीं है, जबकि वस्तुओं पर कर लगता हो और कई देश कर प्रयोजनों के लिए वस्तुओं और सेवाओं दोनों को समान समझते हैं। कर सुधार समिति ने भी अप्रत्यक्ष करों के आधार को व्यापक बनाने के एक उपाय के रूप में सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की है। इसलिए, मैं टेलीफोन की सेवाओं, गैर-जीवन बीमा और स्टॉक ब्रोकरों पर कर लगाकर इस दिशा में एक संतुलित प्रयास करने का प्रस्ताव करता हूं। यह कर टेलीफोन बिलों की राशि, बीमा कंपनियों द्वारा प्रभारित निवल प्रीमियम और स्टॉक ब्रोकरों द्वारा उनकी सेवाओं के संबंध में प्रभारित दलाली अथवा कमीशन के 5 प्रतिशत की दर से प्रभारित होगा। ये प्रस्ताव बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से लागू होंगे।

उत्पाद शुल्क प्रभारित करने के लिए सामग्रियों के मूल्य के निर्धारण की मौजूदा प्रणाली बोझिल और समय लेने वाली है। इसमें निर्धारिती द्वारा अग्रिम तौर पर मूल्य सूची दाखिल करना और उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा उनका अनुमोदन शामिल होता है। इस प्रक्रिया का पालन तब तक करना होता है जब भी मूल्यों में कोई परिवर्तन होता है। प्रक्रियागत सरलीकरण के एक उपाय के रूप में, मैंने मूल्य सूची की अपेक्षा को समाप्त करने का निर्णय लिया है। निर्धारिती को अब बीजक में घोषित मूल्य के आधार पर उत्पाद शुल्क अदा करने की अनुमति दी जाएगी। मुझे विश्वास है कि इस सुविधा का उद्योग द्वारा व्यापक स्वागत किया जाएगा। यह अंततः एक मूल्यवर्धित कर, जो बीजक के आधार पर मूल्य पर निर्भर करता है, को अपनाने का आधार बनाने में भी सहायक होगा।

घोषित उपायों के राजस्व निहितार्थों का विवरण वित्त विधेयक के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।

मैंने सीमाशुल्क अधिनियम और उत्पाद तथा सीमाशुल्क में परिवर्तन करने के लिए वित्त विधेयक में कुछ अन्य संशोधनों का भी प्रस्ताव किया है। ये संशोधन मात्र समर्थकारी उपबंध हैं और इनमें महत्वपूर्ण राजस्व निहितार्थ नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ मौजूदा अधिसूचनाओं के संशोधन के प्रस्ताव हैं। सदन का समय बचाने के लिए मैं उन्हें दोहरना नहीं चाहता।

सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्कों में उपरोक्त परिवर्तन लागू करने वाली अधिसूचनाओं की प्रतिलिपियां यथासमय सदन के पटल पर रख दी जाएंगी।

अब मैं वर्ष 1994-95 के लिए अपने प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों पर आता हूं।

मैं उस मूल्य दर्शन को आगे ले जाने का प्रस्ताव करता हूं, जिसने करों की संतुलित दरों और बेहतर कर प्रशासन के साथ आधार को व्यापक बनाने पर अधिक निर्भरता की एक साधारण प्रणाली का अनुसरण करने के लिए हमारे कर सुधारों को निर्देशित किया है।

मुझे कामगारों, मजदूर संघों और मध्यम श्रेणी के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य निकायों से आयकर की छूट सीमा, जो अभी तक 30,000 रुपए है, बढ़ाने के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मुझे यह कहा गया है कि मांग उचित है और मैं यह छूट सीमा 35,000 रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। इससे 50,000 रुपए तक सकल आय वाला वेतनभोगी अथवा मजदूरी अर्जक कोई आयकर अदा नहीं करेगा। 52,000 रुपए तक का वेतन अर्जित करने वाली कामकाजी महिला भी कोई कर अदा नहीं करेगी।

मैं कर श्रेणियों, जिनमें दो वर्षों से परिवर्तन नहीं किया गया है, को समायोजित करने का भी प्रस्ताव करता हूं। इस समय, पहली श्रेणी जिस पर 20 प्रतिशत की दर से कर लगता है 30,000 रुपए से 50,000 रुपए तक है। इसके बाद पहली श्रेणी 35,000 रुपए से 60,000 रुपए तक होगी जिस पर 20 प्रतिशत की समान दर से कर लगेगा। इस समय दूसरी श्रेणी 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक है, जिस पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगता है। इसके बाद दूसरी श्रेणी 60,000 रुपए से 1,20,000 रुपए तक होगी, जिस पर 30 प्रतिशत की उसी दर से कर लगेगा। 40 प्रतिशत की अधिकतम कर दर, जो अभी तक 1,00,000 रुपए से अधिक आय पर लागू होती है, अब से 1,20,000 रुपए से अधिक की आय पर लागू होगी।

मैंने पिछले वर्ष कहा था कि मैं गैर-निगमित आय पर 12 प्रतिशत का अधिभार और एक वर्ष के लिए जारी रखने के लिए बाध्य था। मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष है कि मैं अब पूरे अधिभार को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं।

पिछले वर्ष, मैंने यह इंगित किया था कि निगमित कर ढांचे में बड़े सुधार किए जाने वांछनीय हैं, फिर भी उन्हें एक वर्ष तक आस्थगित रखना होगा। मैं अब इन सुधारों को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो हमारी सरकारी तथा निजी दोनों कंपनियों को अधिक बचत करने, अधिक निवेश करने और अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में सहायता करेगा।

इस समय, बहुजन धारित कंपनियों पर 45 प्रतिशत कर लगता है, जबकि अन्य घरेलू कंपनियों पर 50 प्रतिशत कर लगता है। मैं इस भेद को जो अब भी बहुजन धारित और अल्पजन धारित घरेलू कंपनियों की कर दरों के बीच मौजूद है, को हटा देने और दोनों दरों को कम करके 40 प्रतिशत की एकल दर करने का प्रस्ताव करता हूं।

75,000 रुपए से अधिक आय वाली सभी घरेलू कंपनियों को 15 प्रतिशत की दर पर अधिभार अदा करना होता है। हालांकि, मैं इस अधिभार को समाप्त करने का इच्छुक हूं, लेकिन राजस्व संबंधी बाधाएं मुझे अभी इस लेवी को जारी रखने के लिए मजबूर कर रही हैं। विदेश में निगमित, परंतु भारत में आय अर्जित करने वाली कंपनियों पर इस समय 65 प्रतिशत का कर लगता है। निगमित

कर दरों में सामान्य कमी के अनुरूप, इस दर को भी कम करके 55 प्रतिशत किया जा रहा है।

हमारी आर्थिक नीतियों के परिणामों में से एक भारतीय कंपनियों को बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धी स्थिति सुधारने के लिए पुनःसंरचित करने की आवश्यकता है। इसके लिए व्यापारिक आस्तियों के हिस्से से वंचित करने अथवा निष्क्रिय आस्तियों से संभावित मूल्य की वसूली करने की जरूरत हो सकती है, जिसमें से दोनों के लिए दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभ कर आवश्यक होंगे। यह पुनर्संरचना के निवारक के रूप में कार्य करता है। घरेलू कंपनियों पर ऐसी दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभ कर की मौजूदा दर 40 प्रतिशत है, जबकि व्यक्ति विशेषों के दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभों पर केवल 20 प्रतिशत कर लगता है। इसलिए, मैं घरेलू कंपनियों पर पूंजी अभिलाभ कर की दर कम करके 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि शेयरों के समान, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और अन्य अनुमोदित म्यूचुअल फंडों की यूनिटें, अगर उन्हें 12 महीने से अधिक अवधि के लिए धारित किया जाता है, को भी परिणामी लाभों सहित दीर्घावधिक पूंजीगत आस्तियां माना जाएगा; ऐसी यूनिटों के लिए अपेक्षित धारिता अवधि अभी 36 महीने है। इससे यूनिटों में निवेश करने वालों, जो सामान्यतया निम्न मध्यम अथवा मध्यम वर्ग के होते हैं, को पर्याप्त राहत प्राप्त होगी।

अनिवासियों की निवेश आय (अर्थात् लाभांश और ब्याज आय) के कराधान की दरें प्राप्तकर्ता की कर हैसियत के साथ परिवर्तनीय होती हैं। मैं सभी अनिवासी कंपनियों और अनिवासी व्यक्तियों (चाहे वे भारतीय हों अथवा विदेशी) को होने वाली ऐसी आय पर 20 प्रतिशत की एकसमान दर द्वारा ऐसे कराधान की योजना को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूं।

अनिवासी भारतीयों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि यदि वे भारत की यात्रा करें और 149 दिवस से अधिक ठहरें तो उनका अनिवासी का दर्जा समाप्त नहीं होना चाहिए। मैं इस अवधि को 181 दिवस करने का प्रस्ताव करता हूं।

दो वर्ष पहले मैंने वृद्ध जनों (अर्थात् जिनकी आयु 65 वर्ष और उसे अधिक है) के लिए देय कर के 10 प्रतिशत की विशेष कर राहत आरंभ की थी, यदि उनकी आय 50,000 रुपए से कम है। पिछले वर्ष मैंने कर छूट को बढ़ाकर 20 प्रतिशत और आय सीमा को भी बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया था। अब मैं उनके लिए स्वीकार्य छूट को देय कर के 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत और यह लाभ एक लाख रुपए तक की आय वाले वृद्ध जनों के लिए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं।

वर्ष 1992 में, हमने किसी शिशु की आय को उसके माता-पिता की आय के साथ मिलाने का निर्णय लिया था। इससे विकलांग शिशुओं और उनके माता-पिता से संबंधित मामलों में अनावश्यक कठिनाइयां बढ़ी हैं। यदि किसी शारीरिक रूप से विकलांग शिशु की कर-पश्च आय किसी तरह कम नहीं हुई है, तो मैं ऐसे विकलांग शिशुओं की आय को आयकर और धनकर अधिनियमों, दोनों के अंतर्गत मिलाने के प्रावधानों से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

स्व-रोजगार वाले लोगों द्वारा उनके बुढ़ापे में सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से एक पेंशन निधि में अंशदान करने के लिए, भारतीय यूनिट ट्रस्ट एक निधि स्थापित करने जा रहा हे। मैं ऐसी किसी पेंशन निधि में किए जाने वाले अंशदान को आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूट के लिए पात्र राशियों में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं।

मानव संसाधनों के विकास में निवेश विकास और प्रगति के लिए एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। अनेक विद्यार्थी अध्ययन के लिए ऋण लेते हैं। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों, जो वित्तीय संस्थाओं से उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेते हैं, की सहायता करने के उपाय के रूप में मैं आय से मूलधन की वापसी अदायगियां और ब्याज की अदायगी के रूप में 2 लाख रुपए तक की कुल संचित राशि पर 25,000 रुपए प्रतिवर्ष की आय पर कटौती की छूट देने का प्रस्ताव करता हूं यह कर रियायत उन विद्यार्थियों को उपलब्ध होगी, जो इंजीनियरी, चिकित्सा अथवा प्रबंधन में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर या विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, गणित अथवा सांख्यिकी में स्नातकोत्तर अध्ययन करते हैं।

विकास के संवर्धन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। इस समय, जब कोई निर्धारिती भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला को अंशदान देता है, उसे अंशदान के 125 प्रतिशत की भारित कटौती प्राप्त होती है। मैं यह लाभ सभी विश्वविद्यालयों, सम-विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इलैक्ट्रानिक विभाग, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग और आणविक ऊर्जा विभाग के तत्वावधान में वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

अनेक विश्वविद्यालयों और सहकारी समितियों ने अभ्यावेदन दिए हैं कि अनुमोदित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं से संबंधित धारा 10 (10ग) के अंतर्गत कर छूट उनके कर्मचारियों को भी प्रदान की जानी चाहिए। मैं उनके अभ्यावेदनों को स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूं।

पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्थापित सरकारी निगमों की आय को छूट देने संबंधी विचार को दर्शाने वाला एक वक्तव्य संसद के पिछले सत्र में पहले ही दिया जा चुका है। मैं इस वचनबद्धता को पूरा करने के लिए विधायी संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं।

सम्पत्ति की हिस्सेदारी (कम्यूनीओ डोस बेन्स) की प्रणाली गोवा, दमण, दीव, दादरा और नागर हवेली के निवासियों के लिए विशेष महत्व की है। हाल ही में कुछ न्यायिक निर्णय लिए गए हैं, जिनके अनुसार किसी भी गोआनी परिवारक की व्यावसायिक आय पूर्णतया एक व्यक्ति के हाथ में होने से कर योग्य हो जाती है। इन निर्णयों ने ऐसी आय के पति तथा पत्नी के बीच बराबर विभाजन और दोनों के मामले में अलग-अलग कर-निर्धारण की चिर-सम्मानित प्रणाली को प्रभावित किया है। मैं समझता हूं कि इससे गोआनी दम्पतियों के बीच अनावश्यक तनाव और चिंता पैदा हुई है। इस क्षेत्र में सभी विवादों को समाप्त करने के लिए मैं आयकर अधिनियम में उचित संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि गोवा में सम्पत्ति की हिस्सेदारी की प्रणाली द्वारा शासित नागरिकों के वेतनों को छोड़कर,

कोई भी अन्य पति तथा पत्नी के बीच बराबर विभाजित की जाएगी और कर-निर्धारण अलग-अलग किया जाएगा।

पिछले कुछ वर्षों में हमने कर्मचारियों के मामले में चिकित्सा व्यय के रूप में अनुलाभों के कराधान को उदार बनाया है। मैं कर्मचारियों द्वारा मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों को प्रदत्त बिलों की प्रतिपूर्ति को शामिल करके लाभों के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

जो लोग अपने मकानों में रहते हैं, उन्हें राहत देने और गृह निर्माण को एक प्रोत्साहन के रूप में मैं गृह निर्माण के लिए उधार ली गई पूंजी पर ब्याज के कारण कटौती को आयकर के प्रयोजनों के लिए 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

हम पिछले दो वर्षों से असंगठित क्षेत्र में निर्धारितियों के कराधान की एक सरल आनुमानिक स्कीम कार्यान्वित करते रहे हैं। यह स्कीम इस वर्ष समाप्त हो जानी थी। मैं इस स्कीम को जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे आशा है कि अधिकाधिक लोग इस स्कीम से लाभ उठाएंगे और बिना किसी भय अथवा बाधा के राष्ट्रीय कर प्रयास के लिए अपनी क्षमतानुसार योगदान देने के लिए तत्काल आगे आएंगे।

इसके अतिरिक्त उन ठेकेदारों, जिनका व्यापार 40 लाख रुपए तक का है और उन ट्रक-मालिकों, जिनके पास ट्रकों की संख्या दस तक है, के लिए एक नई आनुमानिक आय योजना आरम्भ कर रहा हूं । ठेकेदारों के मामले में निवल लाभ का अनुमान सकल प्राप्तियों के 8 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा। ट्रक मालिकों के मामले में, आय का अनुमान हल्के वाणिज्यिक वाहनों और मध्यम मोटर वाहनों के लिए 24,000 रुपए प्रति ट्रक प्रति वर्ष तथा भारी माल वाहक मोटर वाहनों के लिए 30,000 रुपए प्रति ट्रक प्रति वर्ष की दर से लगाया जाएगा। इन दोनों के ही मामले में, मूल्यह्रास अथवा ब्याज अथवा किसी अन्य व्यय के कारण किसी अतिरिक्त कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोनों ही मामलों में यह योजना वैकल्पिक है। यह योजना कर सुधार संबंधी चेलैय्या समिति की सिफारिशों पर आधारित है। यह योजना बिल्कुल सरल ओर झमेलों से मुक्त होगी तथा मुझे आशा है कि इस योजना का उत्साहपूर्ण स्वागत किया जाएगा।

पिछले वर्ष मैंने आयकर अधिनियम की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट राज्यों में उत्पादन शुरू करने वाले नये औद्योगिक उपक्रमों के लिए पांच वर्ष के करावकाश की घोषणा की थी। सब तरफ से बार-बार यह मांग दोहराई जाती रही है कि यह लाभ अन्य राज्यों के पिछड़े हुए जिलों में भी जारी किया जाना चाहिए। मैंने घोषणा की थी कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया जाएगा। इस दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा इस पर विचार किया जा रहा है। देश के अन्य राज्यों के पिछड़े जिलों में नये निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए मेरा ऐसे जिलों को यह रियायत देने का प्रस्ताव है, जो कतिपय निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार पिछड़े हुए हैं।

आयकर अधिनियम की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल की गई मदों के निर्माण में जुटे नए औद्योगिक उपक्रमों की बड़ी इकाइयों को भी लाभ में कटौती की अनुमति प्रदान करने के संबंध में

सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है, बशर्ते कि ऐसे एककों की स्थापना आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट पिछड़े राज्यों में की जाए। मैं इस उद्देश्य को वैधानिक रूप देने का प्रस्ताव करता हूं।

कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात को प्रोत्साहन देना जारी रखने की दृष्टि से, मैं ऐसे निर्यात संबंधी लाभों पर छूट को और एक वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

अपने देश में पर्यटकों को आकर्षित करने का हमारा एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम है। इस बात पर जोरदार बल दिया जाता रहा है कि होटलों में किए गए व्यय पर मौजूदा कर की दर से पर्यटन हतोत्साहित होता है। इसलिए, मैं इस व्यय कर को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। ऐसा कदम मैं इस आशा के साथ उठा रहा हूं कि राज्य सरकारें भी इसका अनुसरण करेंगी और होटलों में अपने कराधान को कम करेंगी, जिससे देश के भीतर पर्यटन को बढ़ावा मिले तथा अधिक विदेशी पर्यटक यहां आएं।

प्रदूषण पर नियंत्रण रखना हम सब के लिए अत्यधिक महत्व की बात है। इसलिए, मैं आयकर अधिनियम की धारा 35कग के अंतर्गत रियायत के लिए पात्र परियोजनाओं में प्रदूषण नियंत्रण को भी शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार की परियोजना में अंशदान करता है, वह कर कटौती के रूप में ऐसे शत-प्रतिशत अंशदान का दावा कर सके।

विवाह के अवसर पर दान कर की छूट सीमा 30,000 रुपए तथा उपहार देना आदि के संबंध में दान कर हेतु 30,000 रुपए की अतिरिक्त छूट उपलब्ध है। विवाह जैसे खुशी के अवसर पर सभी परिवार एकत्र होते हैं तथा जहां तक संभव हो ऐसे शुभ अवसरों पर ईमानदार कर-दाता नागरिकों को कर से मुक्त रहने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए, मैं आश्रित रिश्तेदार के विवाह के अवसर पर ऐसे उपहारों हेतु छूट की सीमा 30,000 रुपए में बढ़ाकर 1,00,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

परम्परागत अनुमान के अनुसार, सीमाशुल्क में प्रस्तावित परिवर्तनों से 2,981 करोड़ रुपए की राजस्व हानि तथा 699 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा। उत्पाद शुल्क पक्ष में 2,106 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होने तथा राहत राशि 2,000 करोड़ रुपए होने का पूर्वानुमान है। प्रत्यक्ष करों में परिवर्तनों से व्यक्तिगत आयकर संग्रहण में 1,075 करोड़ रुपए तथा निगमित कर में 1,355 करोड़ रुपए की हानि होगी। व्यय कर में 75 करोड़ रुपए की हानि होने का अनुमान है। सेवा संबंधी करों से होने वाले 600 करोड़ रुपए के लाभ को हिसाब में लेने के पश्चात्, परिकलन के पारम्परिक तरीकों से लगाए गए अनुमान के अनुसार कर संबंधी निवल हानि 4,081 करोड़ रुपए बैठती है। व्यक्तिगत आय कर में राहत देने के कारण राज्यों को 625 करोड़ रुपए की हानि होगी तथा उत्पाद शुल्क में 148 करोड़ रुपए का लाभ होगा। इन परिकलनों के आधार पर केन्द्र को 3,604 करोड़ रुपए की हानि होगी।

सामान्यतया, ऐसे समय जब राजकोषीय प्रणाली दबाव में है, इतनी मात्रा की राजस्व क्षति को अतिरिक्त कर लगाने अथवा मौजूदा दरों में वृद्धि करने की अपेक्षा होगी। मैंने यह कार्रवाई कई

कारणों से नहीं की है। राजस्व हानि का परिकलन कर ढांचे के सरलीकरण और यौक्तिकीकरण, जो राजस्व संग्रहण में सहायता करेगा, को कोई श्रेय नहीं देता। राजकोषीय विशेषज्ञ लगभग एकमत हैं कि हमारी प्रणाली में करों का काफी अपवंचन होता है और कर दरों को कम करना और फिर भी कर प्रशासन और अनुपालन को सुधार कर अतिरिक्त राजस्व जुटाना संभव है। अभी लागू किए जा रहे प्रत्यक्ष कर ढांचे में सरलीकरण विवेक, विवाद और मुकदमेबाजी की संभावना को कम करेगा, जो सभी कर अपवंचन के एक स्त्रोत हैं। मूल्यानुसार उत्पाद शुल्कों की ओर अंतरण भी उत्प्लावकता में वृद्धि करेगा। मैं कर प्रशासन सुधारने के लिए एक बड़ा प्रयास करने का प्रस्ताव करता हूं। कर कानूनों का प्रशासन सही तरीके और दृढ़ता से किया जाने वाला है। कम्प्यूटरीकरण, जो दोनों विभागों में शुरू हो चुका है, से कर प्रशासन में और सुधार आने की आशा है। मुझे यह भी आशा है कि करदाता, जिन्होंने लंबे समय से कर की दरों को नियंत्रित करने की मांग की है और आश्वासन दिया है कि इससे अनुपालन में सुधार होगा, अब अपने इस समझौते पर कायम रहेंगे। अंततः इस प्रयोग की सफलता से उन्हें ही अधिक लाभ होगा।

हर जगह आर्थिक जीवन की विशेषता अत्यंत अनिश्चितता है। हमेशा यह संभावना रहती है कि शायद सभी बातें वैसी नहीं हो सकती, जैसी मैंने प्रत्याशा की है। यद्यपि, कोई भी इन मामलों में सिद्धांतवादी नहीं हो सकता, फिर भी मेरा पक्का विचार है कि मेरे द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई में शामिल जोखिम विवेक की सीमा पार नहीं करेंगे। कर सुधार को स्थगित करने अथवा पारम्परिक रूप से यथा-परिकलित राजस्व हानि को प्रतिसंतुलित करने के लिए अतिरिक्त कर अधिरोपित करना, ऐसी स्थिति में पूर्णतः अनुत्पादक होगा, जहां हमारी अर्थव्यवस्था की विशिष्टता पर्याप्त अप्रयुक्त औद्योगिक क्षमता, रिकार्ड खाद्य भंडारों और पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों से परिलक्षित होती है। ऐसी कोई भी कार्रवाई उस आर्थिक पुनरुत्थान, जिसकी हमारे देश को आवश्यकता है और जो अभी हमारे सामने है, को धक्का पहुंचा सकती है।

इन कारणों से, मैं बजट प्रस्तावों के परिणामस्वरूप किसी राजस्व हानि के अनुमान लगाने का प्रस्ताव नहीं करता हूं। इसलिए, बजट घाटा 6,000 करोड़ रुपए तथा राजकोषीय घाटा 54,915 करोड़ रुपए पर ही रहेगा। इस स्तर पर, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत के आसपास रहेगा। यह मेरी आशा से अधिक है, परंतु जैसा कि मैंने कहा है सभी कर सुधारों में कुछ जोखिम बने रहते हैं।

यह बजट अर्थव्यवस्था के लिए संकटग्रस्त समय पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इतिहास में कुछ ऐसे क्षेण होते हैं जो निर्णायक कार्रवाई की मांग करते हैं। कार्रवाई न करने अथवा अच्छा प्रत्युत्तर न देने के भयंकर परिणाम निकल सकते हैं, जिन्हें सदियों तक महसूस किया जाता है। जून, 1991 का समय एक ऐसा ही मौका था। हम प्रधानमंत्री, श्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा प्रदान किए गए शानदार नेतृत्व के आभारी हैं, जिससे हम अपने भाग्य की प्रतिकूल परिस्थितियों को बदलने में सफल रहे। तथापि, किसी भी तरह राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का कार्य समाप्त नहीं हुआ है। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें हमें दशक की शेष अवधि में संलग्न रहना चाहिए। परंतु, हम आज इस कार्य को एक सुदृढ़ स्थिति में कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत बना दिया गया है और यह आने वाले वर्षों

में तीव्र वृद्धि की क्षमता प्रदर्शित करती है। हमारा कृषि क्षेत्र नई नीतियों का प्रत्युत्तर देने के लिए सुदृढ़ और सुव्यवस्थित है। हमारे निजी और सरकारी, दोनों औद्योगिक क्षेत्रों ने बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धी बाजार स्थितियों का सामना करने के लिए पुनर्संरचना का कठिन कार्य प्रारंभ कर दिया है। देशी और विदेशी, दोनों निवेशों के वातावरण में बहुत सुधार हो गया है। अब प्रस्तावित कर ढांचा आधुनिक कर प्रणाली और संतुलित कर दरों की ओर अग्रसर है तथा अनुपालन पर बल देता है, जो सभी सफल देशों के प्रमाण-चिन्ह हैं। मुझे विश्वास है कि यह नए निवेशों, आर्थिक पुनरुत्थान और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता, जिसकी आज अर्थव्यवस्था को आवश्यकता है, के लिए मजबूत प्रेरणा प्रदान करेगा। कर सुधार समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित मध्यावधिक उद्देश्य अब स्पष्ट रूप से हमारी पहुंच के भीतर हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट एक दृढ़ विश्वास से प्रेरित है कि भारत के पास विश्व का अग्रिम पंक्ति वाला राष्ट्र बनने के लिए सभी भौतिक और मानव संसाधन उपलब्ध हैं। हम एक नई सदी, निस्संदेह एक नए स्वर्ण युग के कगार पर हैं। कई विस्मयकारी अवसर मौजूद हैं, बशर्ते कि हमारे पास उनका लाभ उठाने की दूरदृष्टि और विवेक हो। अगर हम हिम्मत हार गए या निर्णय लेने में डांवाडोल हो गए तो इसके कई भयानक खतरे भी हैं। महोदय, यह तब आदर्शवाद के उन महान सिद्धान्तों के लिए परिश्रम करने का समय है, जिसने भारत के चमकते भाल को उस पर धब्बा लगाए और धुंधला किए बिना हमारी आजादी की लड़ाई को और मजबूत इरादों को दृढ़ रहने की प्रेरणा दी है, जैसे जवाहरलाल नेहरू कहना पसंद करते थे कि यह अपनी महान और अनंत युग चेतना को मूर्त रूप देता है, ताकि इसका प्रकाश घर-घर में पहुंचे और आशा, विश्वास तथा साहस प्रज्जवलित करें और भारतीय होने में गर्व महसूस कराएं। आइए, हम अनथक प्रयास करें, जैसा कि महान कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए अपनी प्रार्थना में कहा था, जहां "विवेक का निर्मल सरित प्रवाह निर्जीव आदतों की शुष्क मरुभूमि में अपना रास्ता न भूल जाए"। आइये, हम इस महान कार्य और भारत की इस प्राचीन और पवित्र भूमि के योग्य बनें।

महोदय, मैं यह बजट इस महान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

18.43 बजे

वित्त विधेयक, 1994*

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए केन्द्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने हेतु एक विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्र सरकार के वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।"

*भारत के दिनांक 28.2.1994 राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2 में प्रकाशित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

** ** **

श्री मनमोहन सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।**

अध्यक्ष महोदय : सभा मंगलवार, 1 मार्च, 1994 को 11.00 बजे पुनः समवेत होने तक स्थगित होती है।

18.44 बजे

तत्पश्चात लोक सभा की बैठक मंगलवार, 1 मार्च, 1994/10 फाल्गुन, 1915 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

**राष्ट्रपति की सिफारिशों के साथ पुरःस्थापित किया गया।